अनुशासन एवं राज्य कर्मचारी

RAJASTHAN C.C.A. RULES, 1958

WITH CONDUCT RULES, 1971

Disciplinary Proceedings Against Government Servants And Its Remedies

इस पुस्तक में.—*राजस्थान सी. सी ए. रूल्स 1958
**राजस्थान सिविल सेवा आचरण नियम 1971
***हाई कोर्टस एव सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसलो के नजीरो सहित
****राजस्थान सरकार के निर्देश

द्वारा :
गोविन्द नारायण माथुर
बी ए. एल. एल बी., एडवोकेट

1980

प्रकाशक :

बाफना बुक डिपो
चौड़ा रास्ता–जयपुर

प्रकाशक :

बाफना बुक डिपो
चौडा रास्ता–जयपुर ।

संस्करण 1980

मूल्य : पैंतीस रुपये ।

मुद्रक :

1. एस० एन० प्रिन्टर्स–जयपुर
2. जनता प्रेस–जयपुर

राजस्थान सिविल सेवा

(वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील) नियम, 1958
(राजस्थान सी. सी. ए. रूल्स)

अनुक्रमणिका

पृष्ठ	नियम

भाग 6—अपील

भाग 7—पुनरीक्षण एवं पुनर्विलोकन

भाग 8—प्रकीर्ण तथा अस्थाई

राजस्थान सिविल सेवा

(वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील) नियम, 1958

ऐतिहासिक पृष्ठ–भूमि

भारत मे अंग्रेजी शासन के प्रारम्भिक समय मे किसी राजकीय सिविल कर्मचारी को सेवा मे बहाल रखना मुख्यतः क्राउन अर्थात् राजमुकुट (बादशाह) की 'प्रसन्नता' अथवा 'प्रसाद' पर निर्भर था। बाद मे गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया अधिनियम, 1919 की धारा 96 बी के अनुसार भी क्राउन (बादशाह सलामत) के कर्मचारी अपने पद पर राजमुकुट के प्रसाद पर्यन्त ही कायम रह सकते थे परन्तु उक्त धारा की उप-धारा (1) मे यह प्रावधान था कि किसी सिविल सेवा के कर्मचारी का उसकी नियुक्त करने वाले पदाधिकारी से नीचे के स्तर का कोई प्राधिकारी बरखास्त नही कर सकेगा। धारा 96 बी की उप-धारा (2) द्वारा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इन्डिया इन-कौंसिल को यह अधिकार भी प्रदान किए गए कि वह सिविल सेवाओ का नियमन तथा वर्गीकरण करन, उनके भर्ती के तरीके एव सेवा की शर्तो और तत्सम्बन्धी मामलो के बारे मे नियम बना सके। इस प्रकार सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील) नियम सन् 1920 के दिसम्बर महीने मे बनाए गए और उनका पुनः प्रकाश्न भारत सरकार के राज-पत्र मे 21 जून, 1930 को हुआ। उक्त नियमो से सिविल कर्मचारी के कुछ बचाव का प्रावधान धारा 55 मे यह किया गया कि जब तक कि किसी सिविल कर्मचारी को उसकी प्रस्तावित बरखास्तगी, नौकरी से हटाए जाने या पदावनति (demotion) करने की कार्यवाही के लिए आधार बताते हुए, नोटिस नहीं दिया जावे और जब तक उसे अपनी प्रतिरक्षा का पर्याप्त अवसर नही दिया जावे तब तक इस प्रकार की कोई सजा नही दी जावे। परन्तु किसी सरकारी कर्मचारी को किसी फौजदारी अदालत या सैनिक अदालत (Court martial) द्वारा दोषी करार दिए जाने के फलस्वरूप उक्त सजाए दिए जाने पर यह प्रतिबन्ध लागू नही होता था।

परन्तु ऊपर बताई गई सुरक्षा की स्थिति प्रिवी कौंसिल ने राघाचारी बनाम सेक्रेटरी आफ स्टेट[1] और वेंकट राव बनाम सेक्रेटरी आफ स्टेट[2] के मामलो मे दिए गए फैसलो से शून्य करदी। प्रिवी कौंसिल ने निर्णय दिया कि यद्यपि सिविल सेवाओ के वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील नियम कानूनी प्राधिकार के अन्तर्गत बनाए गए थे, फिर भी वह राजमुकुट (बादशाह) पर उनके विवेक मे किसी को बरखास्त करने पर, रोक नहीं लगा सकते और उक्त नियमो के उल्लघन मे किसी कानूनी न्यायालय मे विनाय दावा पैदा नहीं हो सकता। प्रिवी कौंसिल ने इन नियमो को राजमुकुट द्वारा साधारण

---

1. AIR 1937 P C 27.
2. AIR 1937 P C 31.

राजस्थान सिविल सेवा

(वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील) नियम, 1958

ऐतिहासिक पृष्ठ–भूमि

भारत मे अंग्रेजी शासन के प्रारम्भिक समय मे किसी राजकीय सिविल कर्मचारी को सेवा मे बहाल रखना मुख्यतः क्राउन अर्थात् राजमुकुट (बादशाह) की 'प्रसन्नता' अथवा 'प्रसाद' पर निर्भर था। बाद मे गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया अधिनियम, 1919 की धारा 96 बी के अनुसार भी क्राउन (बादशाह सलामत) के कर्मचारी अपने पद पर राजमुकुट के प्रसाद पर्यन्त ही कायम रह सकते थे परन्तु उक्त धारा की उप-धारा (1) मे यह प्रावधान था कि किसी सिविल सेवा के कर्मचारी को उसको नियुक्त करने वाले पदाधिकारी से नीचे के स्तर का कोई प्राधिकारी बरखास्त नही कर सकेगा। धारा 96 बी की उप-धारा (2) द्वारा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इन्डिया-इन कौसिल को यह अधिकार भी प्रदान किए गए कि वह सिविल सेवाओ का नियमन तथा वर्गीकरण करने, उनके भर्ती के तरीके एव सेवा की शर्तो और तत्सम्बन्धी मामलो के बारे मे नियम बना सके। इस प्रकार सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील) नियम सन् 1920 के दिसम्बर महीने मे बनाए गए और उनका पुन प्रकाशन भारत सरकार के राज-पत्र मे 21 जून, 1930 को हुआ। उक्त नियमो से सिविल कर्मचारी के कुछ बचाव का प्रावधान धारा 55 मे यह किया गया कि जब तक कि किसी सिविल कर्मचारी को उसकी प्रस्तावित बरखास्तगी, नौकरी से हटाए जाने या पदावनति (demotion) करने की कार्यवाही के लिए आधार बताते हुए, नोटिस नही दिया जावे और जब तक उसे अपनी प्रतिरक्षा का पर्याप्त अवसर नही दिया जावे तब तक इस प्रकार की कोई सजा नही दी जावे। परन्तु किसी सरकारी कर्मचारी को किसी फौजदारी अदालत या सैनिक अदालत (Court martial) द्वारा दोषी करार दिए जाने के फलस्वरूप उक्त सजाए दिए जाने पर यह प्रतिबन्ध लागू नही होता था।

परन्तु ऊपर बताई गई सुरक्षा की स्थिति प्रिवी कौंसिल ने गधाचारी बनाम सेक्रेटरी ग्राफ स्टेट[1] और वेंकट राव बनाम सेक्रेटरी आफ स्टेट[2] के मामला मे दिए गए फैसलो ने खत्म करदी। प्रिवी कौंसिल ने निर्णय दिया कि यद्यपि सिविल सेवाओ के वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील नियम कानूनी प्राधिकार के अन्तर्गत बनाए गए थे, फिर भी वह राजमुकुट (बादशाह) पर उनके [illegible] किसी को बरखास्त करने पर, रोक नही लगा सकते और उक्त नियमों के उल्लंघन के लिये कानूनी कार्यवाही मे विनाश दावा पैदा नही हो सकता। प्रिवी कौंसिल ने इन नियमों को महत्वहीन [illegible]

1 AIR 1937 P C 27.

2. AIR 1937 P C 31.

पथ प्रदर्शन की हिदायतें मात्र माना। इसका नतीजा यह हुआ कि उक्त नियमो के उल्लघन मे किसी सिविल कर्मचारी को बरखास्त करने या हटाये जाने पर, उसको किसी दीवानी अदालत मे चाराजोई करने का अधिकार नही रहा। किन्तु वह शासकीय प्राधिकारियो के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता था।

गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया अधिनियम, 1935 बनाते समय कानून की ऊपर बनाई गई स्थिति को ध्यान म रखा गया। अत सिविल कर्मचारियो से सम्बन्धित धारा 240 मे उप धारा (1) मे 'प्रसाद पर्यन्त' का उसूल पुन दोहराया गया और सन् 1919 के अधिनियम की धारा 96 की द्वारा आरोपित प्रतिबन्ध फिर से लगाये गये, परन्तु उप-धारा (3) ने सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील) नियमो की धारा 55 द्वारा प्रदत्त अधिकारो को कानूनी सरक्षण प्रदान किया। तदनुसार, पंजाब प्रदेश बनाम ताराचन्द और उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रदेश बनाम सूरज नारायण[3] मे फेडरल अदालत ने निर्णय दिया कि पीडित सिविल कर्मचारी सरकार के विरुद्ध दावा लाने का हकदार है, जिसमे दोषमय बरखास्तगी की तिथि से चढा हुआ वेतन पाना भी शामिल है।

किन्तु प्रिवी कौसिल ने हाई कमिश्नर बनाम लाल[4] के फैसले मे फेडरल कोर्ट के निर्णय को अमान्य करार दिया और तय किया कि यदि किसी सिविल कर्मचारी को धारा 240 की किसी भी उप-धारा के उल्लघन मे नौकरी से बरखास्त किया जाता है, तो उसका उपचार वही है, अर्थात् ऐसी घोषणा का कि बरखास्तगी का आदेश शून्य तथा प्रभावहीन है और वादी दावा प्रस्तुत करने की तिथि से वह का सदस्य कायम रहा, परन्तु वह चढा हुआ वेतन तथा हर्जाना नही पा सकेगा। उक्त निर्णय का कारण यह बताया गया कि राज्यमुकुट को अपकृति (Tort) के अधीन हर्जाने का जिम्मेदार नही ठहराया जा सकता क्योकि राजमुकुट के अधीन नौकरी बादशाह सलामत की कृपा पर निर्भर है।

अब उल्लेखनीय बात यह है कि जब हमारा सविधान प्रभावशील हुआ तो भारत की सर्वोत्तम न्यायालय ने प्रिवी कौसिल के निर्णय अमान्य करार दिये और फेडरल कोर्ट के निर्णय को पुन स्थापित कर दिया। बिहार राज्य बनाम अब्दुल मजीद[5] मे सर्वोत्तम न्यायालय ने निर्णय दिया कि यदि धारा 240 की उप-धारा (2) या (3) का उल्लघन होता है, तो पीडित सिविल कर्मचारी को हक है कि वह कानूनी उपचार मागे जिसमे सरकार के खिलाफ बरखास्तगी की तिथी से चढे हुए वेतन की डिक्री भी सम्मिलित है।

तत्पश्चात्, सन् 1957 में केन्द्रीय सिविल सेवाए (वर्गीकरण, कन्ट्रोल और अपील) नियम बनाए गए जिन्होंने सन् 1930 का पुराना कानून विखण्डित कर दिया।

सन् 1965 मे नये केन्द्रीय सिविल सेवायें (वर्गीकरण कन्ट्रोल और अपील) नियम बनाये गये जो 1 दिसम्बर, 1965 से लागू हुये और जिनसे 1957 के नियम निरस्त कर दिये गये।

राजस्थान सरकार ने केन्द्रीय नियमो की रूपरेखानुसार राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील) नियम, 1958 प्रचलित किये, जो 7 मई, 1959 से लागू हुये। ये नियम

---

3 AIR 1947 F. C 23 तथा AIR 1949 P C 112

4 AIR 1948 P C 121

5. (1954) S C R 786

सर्वोत्तम न्यायालय के इस फैसले[1] के अनुरूप हैं कि रिटायर होने की आयु प्राप्त करने पर सिविल कर्मचारी की अनिवार्य सेवा निवृत्ति करना कोई शास्ति या सजा नहीं है।[2]

राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील) नियम, 1958 राजस्थान के राज्यपाल द्वारा, सविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुये जारी किए गए हैं और आज तक भी किसी अधिनियम के अन्तर्गत नही बनाये गये। इक्कीस वर्ष के पश्चात भी इसका कोई अधिनियम क्यो नही बना, यह प्रश्न सम्बन्धित प्राधिकारियो से ही पूछा जाना चाहिये।

सविधान का अनुच्छेद 309 इस प्रकार है-—

"309 **सघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियो की भर्ती तथा सेवा की शर्तें** —इस सविधान के उपबन्धो के अधीन रहते हुये समुचित विधान मण्डल के अधिनियम सघ या किसी राज्य के कार्यो से सम्बद्ध लोक सवाओ और पदो के लिए भर्ती का तथा नियुक्त व्यक्तियो की सेवा शर्तो का विनियमन कर सकेंगे।

परन्तु जब तक इस अनुच्छेद के अधीन समुचित विधान मण्डल के अधिनियम के द्वारा या अधीन उस लिये उपबन्ध नहीं बनाये जाते तब तक यथास्थिति सघ के कार्यों से सम्बद्ध सेवाओ और पदो के बारे मे राष्ट्रपति को अथवा ऐसे व्यक्ति को, जिसे वह निर्देशित करे, तथा राज्य के कार्यों से सम्बद्ध सेवाओ और पदो के बारे मे राज्य के राज्यपाल को अथवा ऐसे व्यक्ति को, जिसे वह निदेशित करे, ऐसी सवाओं और पदों के लिये भर्ती तथा नियुक्त व्यक्तियो की सेवा की शर्तों का विनियमन करने वाले नियमो के बनाने की क्षमता होगी तथा किसी ऐसे अधिनियम के उपबन्धो के अधीन रहते हुये उस प्रकार निर्मित कोई नियम प्रभावी होग।"

---

1 AIR 1954 SC 369 श्यामलाल वि यू पी सरकार।

2 ILR (1961) 11 राजस्थान 371 [illegible]

राजस्थान सिविल सेवा
(वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील)
नियम, 1958

प्राधिकृत पाठ[1]

भाग–1 : सामान्य

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल राजस्थान सिविल सेवा के सदस्यों के वर्गीकरण और नियन्त्रण तथा ऐसी सेवाओं के सदस्यों द्वारा की जाने वाली अपीलों के सम्बन्ध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं—

टिप्पणी

दिनांक 11 दिसम्बर, 1958 की उपरोक्त अधिसूचना से स्पष्ट है कि राजस्थान के राज्यपाल ने ये नियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक (प्रतिबन्धात्मक वाक्य खण्ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बनाये हैं। साधारणतः राज्य विधान मण्डल को ऐसे नियम बनाने चाहियें। यह विदित नहीं है कि विधान मण्डल ने ऐसा क्यों नहीं किया और इतने लम्बे काल के बाद भी मामले को राज्यपाल पर क्यों छोड रखा है। कुछ भी हो, इन नियमों में कानून का बल है क्योंकि राज्यपाल ऐसे नियम बनाने तथा समय-समय पर परिस्थितियों के अनुसार उनमें उपयुक्त संशोधन करने के लिये सक्षम है।[2] अतः बदनीयती (malafides) के आधार पर इन नियमों को चुनौती नहीं दी जा सकती।[3]

परन्तु राज्यपाल का ऐसे नियमों के माध्यम से, संविधान के अनुच्छेद 311 द्वारा गारन्टीशुदा सार्वजनिक कर्मचारियों के अधिकारों को कम करने या उनमें दखल करने का हक नहीं है।[4]

संविधान के अनुच्छेद 310 तथा 311 इस प्रकार हैं —

"310, संघ या राज्यों की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि —(1) इस संविधान द्वारा स्पष्टतापूर्वक उपबन्धित अवस्था को छोड़कर प्रत्येक व्यक्ति, जो संघ की प्रतिरक्षा सेवा या

---

1 विधि विभाग (विधि रचना संगठन) की अधिसूचना GSR 76 दि 8 जून 1973 द्वारा प्रथम बार राजस्थान राजपत्र, भाग 4 (ग)–1 दि 17 जुलाई 1975 में प्रकाशित। प्राधिकृत हिन्दी पाठ।

2 1973 (1) SLR 1053–विश्वनाथ वर्मा वि मध्यप्रदेश राज्य, AIR 1967 SC 1910—मनराम वि राजस्थान सरकार

3 1974 RLW 584 व 1974 WLN 647–अविनाश स्वरूप वि राजस्थान सरकार।

4 AIR 1972 SC 1429 पंजाब राज्य वि. मदनसिंह और AIR 1964 SC 600, 1967 SC 1264, AIR 1966 SC 1442

असैनिक सेवा का या अखिल भारतीय सेवा का सदस्य है, अथवा संघ के अधीन प्रतिरक्षा से सम्बन्धित किसी पद को अथवा किसी असैनिक पद को धारण करता है, राष्ट्रपति के प्रसाद-पर्यन्त पद धारण करता है तथा प्रत्येक व्यक्ति, जो राज्य की असैनिक सेवा का सदस्य है अथवा राज्य के अधीन किसी असैनिक पद को धारण करता है राज्य के राज्यपाल के प्रसाद-पर्यन्त पद धारण करता है।

(2) इस बात के होते हुए भी कि संघ या राज्य के अधीन असैनिक पद को धारण करने वाला कोई व्यक्ति यथास्थिति राष्ट्रपति अथवा राज्य के राज्यपाल के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करता है कोई संविदा जिसके अधीन कोई व्यक्ति जो प्रतिरक्षा सेवा या अखिल भारतीय सेवा अथवा संघ या राज्य की असैनिक सेवा का सदस्य नहीं है ऐसे किसी पद को धारण करने के लिए इस संविधान के अधीन नियुक्त होता है, यह उपबन्ध कर सकेगी कि यदि यथास्थिति राष्ट्रपति या राज्यपाल विशेष अर्हताओं वाले किसी व्यक्ति की सेवा को प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक समझता है तो, यदि करार की हुई कालावधि की समाप्ति से पहले उस पद का अन्त कर दिया जाता है अथवा उसके द्वारा किये गये किसी अवचार से असम्बद्ध कारणों के लिए उससे पद रिक्त करने की अपेक्षा की जाती है तो उसे प्रतिकर दिया जायगा।"

·311 संघ या राज्य के अधीन असैनिक हैसियत से नौकरी में लगे हुये व्यक्तियों की पदच्युति, पद से हटाया जाना, या पंक्तिच्युत किया जाना – (1) जो व्यक्ति संघ की असैनिक सेवा का या अखिल भारतीय सेवा का या राज्य की असैनिक सेवा का सदस्य है, अथवा संघ के या राज्य के अधीन असैनिक पद को धारण करता है वह अपनी नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी से निचले किसी प्राधिकारी द्वारा पदच्युत नहीं किया जायेगा अथवा पद से हटाया नहीं जावेगा।

[1][(2) उपर्युक्त प्रकार का कोई व्यक्ति तब तक पदच्युत नहीं किया जाएगा अथवा पद से नहीं हटाया जाएगा अथवा पंक्तिच्युत नहीं किया जाएगा जब तक ऐसी जाँच जिसमें उसे अपने खिलाफ दोषारोपों से अवगत करा दिया गया है और उन दोषारोपों के सम्बन्ध में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया गया है, नहीं करली जाती।

"परन्तु जहां ऐसी जाच के पश्चात् उस पर ऐसी शास्ति अधिरोपित करने की प्रस्थापना है वहां ऐसी शास्ति ऐसी जाच के दौरान दिये गए साक्ष्य के आधार पर अधिरोपित की जा सकेगी और ऐसे व्यक्ति को प्रस्थापित शास्ति के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का अवसर देना आवश्यक नहीं होगा :

परन्तु यह और है कि यह खण्ड वहां लागू नहीं होगा –

(क) जहां कि कोई व्यक्ति ऐसे आचार के आधार पर पदच्युत किया गया या हटाया गया या पंक्तिच्युत किया गया है जिसके लिए दण्ड दोषारोप पर वह सिद्धदोष हुआ है, या

(ख) जहां कि किसी व्यक्ति को पदच्युत करने या पद से हटाने या पंक्तिच्युत करने की शक्ति रखने वाले किसी प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि किसी कारण से, जो उस प्राधिकारी द्वारा लेखबद्ध किया जायगा यह युक्तियुक्त रूप में व्यवहार्य नहीं है कि ऐसी जाच की जाये, या

(ग) जहां कि यथास्थिति राष्ट्रपति या राज्यपाल का समाधान हो जाता है कि राज्य की सुरक्षा के हित में यह इष्टकर नहीं है कि ऐसी जाच की जाये।

---

1 संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा संशोधित।

(3) यदि उपर्युक्त प्रकार के किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में कोई प्रश्न पैदा होता है कि क्या खण्ड (2) में निर्दिष्ट जैसी कोई जांच करना युक्तियुक्त रूप में व्यवहार्य है या नहीं तो उस प्राधिकारी का उस पर विनिश्चय अन्तिम होगा जिसे उस व्यक्ति को पदच्युत करने या पद से हटाने अथवा पंक्तिच्युत करने की शक्ति प्राप्त है।"

ज्ञात रहे कि संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 311 (2) में संशोधन कर दिया गया है, जिसके अनुसार उक्त उप अनुच्छेद की निम्नलिखित अन्तिम पंक्तियां लोपित कर दी गई हैं।—

"और जहां ऐसी जांच के पश्चात उस पर ऐसी कोई शास्ति आरोपित करना प्रस्थापित है वहां जहाँ तक उसे प्रस्तावित शास्ति की बाबत अभिवेदन, किन्तु ऐसी जांच के दौरान दिए गए साक्ष्य के आधार पर, करने का युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया जाता।"

इसके साथ ही अनुच्छेद 311 (2) में प्रथम परन्तुक जोड़ा गया है जिससे स्पष्ट है कि प्रस्तावित सजा के विरुद्ध सम्बन्धित कर्मचारी को अभिवेदन प्रस्तुत करने का नोटिस देना अब आवश्यक नहीं है। यद्यपि यह दूसरा नोटिस देना संविधान के अनुसार अब जरूरी नहीं है, फिर भी इन नियमों के नियम 16 (10) (i) (ख) के अनुसार प्रस्तावित शास्ति के विरुद्ध प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का अधिकार कर्मचारी के पक्ष में अब भी कानूनन सुरक्षित है।

'प्रसाद' (Pleasure) का सिद्धान्त, अर्थात् यह सिद्धान्त कि राज्य के समस्त सिविल कर्मचारी अपना अपना पद राज्यपाल के प्रसाद पर्यन्त धारण करते हैं अभी तक विद्यमान है जैसा कि ऊपर दिए गए संविधान के अनुच्छेद 310 से विदित होगा। परन्तु संविधान के अन्य प्रावधानों ने सेवा से बरखास्तगी, हटाए जाने तथा पदावनति करने पर प्रतिबन्ध लगा दिए हैं। निरंकुश कार्यवाही अब नहीं की जा सकती इसीलिये इन नियमों को बनाने की आवश्यकता हुई।

ये नियम केवल राज्य के सिविल सेवाओं के सदस्यों पर ही लागू होते हैं और थल सेना, जल सेना या वायु सेना के सदस्यों पर तथा राजनैतिक पद धारण करने वाले व्यक्तियों पर लागू नहीं होते जैसे कि राज्य के मन्त्री (मिनिस्टर)। संविधान ने कुछ अन्य पद भी इन नियमों की परिधि से बाहर रखे हैं। उदाहरणतः उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यगण, जिन पर 'प्रसाद' का सिद्धान्त लागू नहीं होता। विशेष संविद अर्थात् शर्तों पर नियुक्त व्यक्ति भी इन नियमों की पहुंच से बाहर हैं। किन्तु संविधान के अनुच्छेद 311 द्वारा प्रदत्त संरक्षण अस्थाई सार्वजनिक कर्मचारियों पर भी लागू हैं।[1]

राजस्थान सरकार ने अनुशासन की कार्यवाहियों के विषय में आदेशों की पुस्तिका प्रकाशित की है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि इस प्रकाशन को राजस्थान सिविल सेवा वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील) नियमों का पूरक माना जाना चाहिये।[2] इस विषय में राजस्थान सरकार का आदेश निम्नलिखित है —

---

1 1958 S C R 825–पी एल धींगड़ा वि भारत सरकार [AIR 1958 S C 36]

2 I L R

राजस्थान सरकार का आदेश

अनुशासन की कार्यवाहिया म विस्तृत प्रक्रिया का अनुसरण करना चाहिय वह राजस्थान सिविल सवा (वर्गीकरण नियत्रण और अपील) नियम 1958 म पूर्ण विवरण सहित बनाई गई है जिसका ज्ञान समस्त सरकारी अधिकारिया को तथा विशेषत अनुशासन प्राधिकारियो को पूरी तरह होना चाहिय। किन्तु ऐसा प्रतीत हुआ है कि या तो एस मामलो को निपटाने हतु नियमा तथा आवश्यक प्रक्रिया सबधी अपेक्षताओ स परिचित होने के लिए उनको पर्याप्त समय नही मिलता अथवा वे इनको आवश्यक महत्व नही देते जिसका नतीजा यह होता है कि न केवल अनुशासन कार्यवाहिया और उनम पारित अतिम आदेश अपील/नजरसानी/निगरानी म तथा विभागीय जाच पूरी करने म विलम्ब के कारण कानूनी न्यायालयो द्वारा भी खारिज कर दिये जाते है परन्तु यह भी कि *दोषी व्यक्तियो (delinquents) को भी अनावश्यक परेशानी होती है। अत यह पुस्तिका तैयार करने* की आवश्यकता समझी गई जिसम मूलभूत नियमो के सदम के साथ आवश्यक प्रक्रिया की अपेक्षता बनाई गई है और सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए आदेश तथा अधिसूचनाए सम्मिलित है। यह पुस्तक राजस्थान सिविल सवा (वर्गीकरण नियन्त्रण और अपील) नियम की पूरक मात्र है न कि उनका स्थान ग्रहण करने वाली। अखिल भारतीय सेवाओ के अधिकारीगण इस प्रक्रिया स शामिल नही होते हैं।

[अनुशासन कार्यवाहियो की पुस्तिका–(राजस्थान सरकार 1963 सस्करण अनुच्छेद (1)]

1 सक्षिप्त नाम और प्रारम्भ —(क) इन नियमो का सक्षिप्त नाम राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील) नियम, 1958 है।

(ख) *ये तुरन्त प्रवृत्त होग।*[1]

टिप्पणी

प्रारम्भ —नियम 1 का अनुच्छेद (ख) कहता है कि य नियम तुरन्त लागू होग इसका अभिप्राय सरकारी गजट (राज पत्र) म प्रकाशन होन की तिथि म है। ये नियम राजस्थान राज पत्र असाधारण भाग 4 (ग) म दिनाक 7 मई *1959 को प्रकाशित* हुए। इस प्रकार इस तिथि स ये प्रभावशील हुए।

2 निर्वचन—जब तक सदर्भ द्वारा *अन्यथा* अपेक्षित न हो इन *नियमा मे*—

(क) किसी सरकारी कर्मचारी के सम्बध मे 'नियुक्ति प्राधिकारी' से निम्नलिखित मे से जो भी उच्चतम प्राधिकारी हो वह अभिप्रेत है—

(1) जिस सेवा का सरकारी कर्मचारी उस समय सदस्य है उस सेवा मे या जिस सेवा मे सरकारी कर्मचारी उस समय सम्मिलित है उस सेवा की ग्रेड मे नियुक्तिया करने के लिये सशक्त प्राधिकारी, या

(2) जिस पद को सरकारी कर्मचारी उस समय धारण करता है उस पर नियुक्तिया करने के लिये सशक्त प्राधिकारी या

---

1 *विज्ञप्ति स F 18 (2) Apptt (A) 56 दिनाक—दिसम्बर 11, 1958,* राजस्थान राजपत्र क भाग 4 (ग) दि 7-5-1959 म प्रकाशित एव प्रभावशील।

(3) वह प्राधिकारी जिसने सरकारी कर्मचारी को ऐसी सेवा, श्रेणी या पद, यथास्थिति, पर नियुक्त किया था, या

(4) जहा सरकारी कर्मचारी किसी अन्य सेवा का स्थायी सदस्य होते हुये या अधिष्ठायी रूप से कोई अन्य स्थायी पद धारण करते हुये निरतर सरकार के नियोजन मे (सरकारी सेवा मे) रहा है वहा वह प्राधिकारी जिसने उसे उस सेवा मे या उस सेवा की किसी श्रेणी मे या उस पद पर नियुक्त किया था :

परतु जहा सरकार ने या विभागाध्यक्ष ने किसी अधीनस्थ प्राधिकारी को अपनी शक्तिया सौंप दी हो तो नियम 23 (2) (क) (ख) के प्रयोजनो के लिये सम्बधित विभागाध्यक्ष ही नियुक्ति प्राधिकारी होगा ।

(ख) 'आयोग' से राजस्थान लोक सेवा आयोग अभिप्रेत है,

(ग) किसी सरकारी कर्मचारी पर शास्ति लगाने के सबध मे 'अनुशासनिक प्राधिकारी' से ऐसा प्राधिकारी अभिप्रेत है जो इन नियमो के अधीन उस पर ऐसी शास्ति लगाने के लिए सक्षम हो,

(घ) 'राज पत्र' से राजस्थान राज पत्र अभिप्रेत है,

(ङ) 'सरकार' से राजस्थान सरकार अभिप्रेत है,

(च) **'सरकारी कर्मचारी'** से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी सेवा का सदस्य है अथवा राजस्थान सरकार के अधीन कोई सिविल पद धारण किये हुए है और उसमे ऐसा कोई भी व्यक्ति सम्मिलित है जो 'बाहरी सेवा' मे है अथवा जिसकी सेवाय अस्थायी रूप से किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन रख दी गई हो और किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी की सेवा का वह व्यक्ति भी जिसकी सेवाय अस्थायी रूप से राजस्थान सरकार के अधीन रख दी गई हैं अथवा जो किसी सविदा के अतर्गत राजस्थान सरकार की सेवा मे है, अथवा जो अन्य कही से सरकारी सेवा से निवृत्त हो चुका है और राजस्थान सरकार के अधीन पुनर्नियोजित कर लिया गया है, परतु इसमे ऐसा व्यक्ति सम्मिलित नही होगा जो सघ सरकार अथवा किसी राज्य सरकार की सिविल सेवा मे है और राजस्थान मे प्रतिनियुक्ति पर, सेवा कर रहा है वह उन्ही नियमो से शासित होना रहेगा जो उस पर लागू हो,

(छ) ऐसे किसी विभाग के सम्बध मे जो सरकार के प्रशासनिक नियत्रण मे है, 'विभागाध्यक्ष' से वह प्राधिकारी अभिप्रेत है जिसे अनुसूची 'क' मे विभागाध्यक्ष विनिर्दिष्ट किया गया है, और उसमे वह विभागीय जाच आयुक्त भी सम्मिलित है जिसे सरकार द्वारा विभिन्न विभागो के सम्बध मे 50/– तथा उससे अधिक राशि के गबन के मामलो मे जाच करने का कार्य सौंपा गया है,

(ज) प्रत्येक ऐसे कार्यालय के सम्बध मे जो सरकार के प्रशासनिक नियत्रण मे है, 'कार्यालयाध्यक्ष' से वह प्राधिकारी अभिप्रेत है जिसे अनुसूची 'ख' में कार्या-

लयाध्यक्ष विनिर्दिष्ट किया गया है और इसमें गबन विषयक जाच के मामलो का विशेषाधिकारी तथा सहायक आयुक्त, विभागीय जाच भी सम्मिलित है, जबकि विभिन्न विभागो से सम्बन्धित 50/– रु या उससे अधिक की राशि वाले गबन के मामलो मे जाच का कार्य आयुक्त विभागीय जाच को सौपा गया है,

(झ) **'अनुसूची'** से इन नियमो से सलग्न अनुसूची अभिप्रेत है,

(ञ) **'सेवा'** से राजस्थान राज्य की कोई सिविल सेवा अभिप्रेत है।

व्याख्या:—जब किसी कानून मे किसी शब्द या अभिव्यक्ति की परिभाषा प्रावधानित हो तो जहा कही भी वह शब्द या अभिव्यक्ति आवे, वहा उसका अर्थ तद्नुसार ही लगाया जावे जब तक कि सदर्भ मे कोई अन्य अर्थ अपेक्षित न हो। अत दी हुई परिभाषा का अर्थ विषय के सदर्भानुसार तथा अधिनियम की योजना (scheme) तथा उसके उद्देश्य और कानून के अन्य प्रावधानो के अनुकूल लगाया जावे।[1] हमे किसी शब्द या अभिव्यक्ति का ऐसा अस्पष्ट अर्थ नही लगाना चाहिए जो उसके सदर्भ विशेष से असगत हो।[2]

नियुक्ति प्राधिकारी—कोई प्राधिकारी जो किसी राज्य कर्मचारी के सम्बध मे निम्नलिखित चार श्रेणियो मे से किसी भी एक श्रेणी मे आता हो, वह उक्त कर्मचारी का नियुक्ति प्राधिकारी होगा —

(1) वह प्राधिकारी जो सम्बन्धित राज्य कर्मचारी जिस वर्ग का तत्समय सदस्य हो उस वर्ग म नियुक्ति करने के लिये सक्षम हो या सेवा के जिस ग्रेड मे सम्बन्धित राज्य कर्मचारी आता हो, उस ग्रेड म नियुक्ति प्रदान करने का अधिकार रखता हो अथवा

(2) वह प्राधिकारी जो सम्बन्धित राज्य कर्मचारी द्वारा तत्समय धारण किए हुए पद पर नियुक्ति करने की क्षमता रखता हो, अथवा

(3) वह प्राधिकारी जिसने सम्बन्धित राज्य कर्मचारी को उक्त सेवा या उक्त ग्रेड या उक्त पद पर नियुक्त किया हो, अथवा

(4) यदि सबधित राज्य कर्मचारी, किसी अन्य सेवा का स्थाई सदस्य होते हुए, सरकारी सेवा मे निरन्तर चल रहा है, तो वह प्राधिकारी जिसने उस, उस सेवा मे, या उस सेवा के किसी ग्रेड मे अथवा उस पद पर नियुक्त किया (जो ऐसे प्राधिकारियो मे से सबसे ऊचे पद (रैंक का हो) उस विशेष मामले मे नियुक्ति प्राधिकारी होना समझा जाएगा। यही नियम ऐसे सरकारी कर्मचारी पर भी लागू होगा, जिसने कोई अन्य स्थाई पद स्थाई रूप से धारण किया हो और जो अब राज्य सरकार के निरन्तर नियोजन मे चल रहा है। अन्य शब्दो मे, जिस प्राधिकारी ने उसे उक्त सेवा, या उस सेवा के किसी ग्रेड मे या उस पद पर नियुक्त किया, वह उस कर्मचारी का नियुक्ति प्राधिकारी होगा।

---

1 AIR 1958 Sc 353–हिन्दुस्तान लीवर लि वि दिल्ली प्रशासन।

2 AIR 1933 Pc 216

जब किसी राज्य कर्मचारी को किसी पद विशेष पर अन्तिम रूप से नियुक्त कर दिया गया हो और जब उसका पिछले मूल पद पर कोई पदाधिकार (lien) नही रहे, तो उसके सम्बध मे नियुक्ति प्राधिकारी वह व्यक्ति होगा जिसने उसे नए पद पर नियुक्त किया ।[1]

नियम 2 (क) म जोडे गए परन्तुक को ध्यान म रखना चाहिये । इस परन्तुकके अनुसार जहा तक नियम 23 (2)(क) तथा (ख) के अधीन शास्ति लागू करने के आदेशो के विरुद्ध अपील स सम्बन्ध है, कोई अधीनस्थ अधिकारी (subordinate officer) जिस सरकार से या किसी विभागाध्यक्ष (Head of Department) द्वारा सुपुर्द किए हुए अधिकार प्राप्त हो, वह नियुक्ति प्राधिकारी नहीं समझा जाएगा । ऐस मामले मे सम्बन्धित विभाग का अध्यक्ष (Head of Department) नियुक्ति प्राधिकारी होगा । तद्नुसार, अधीनस्थ सेवा का सदस्य, नियुक्ति प्राधिकारी से नीचे के अधिकारी द्वारा दिए गए आदेश के विरुद्ध अपील नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष कर सकेगा, और यदि आदेश नियुक्ति प्राधिकारी ने जारी किया हो, तो सरकार क समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकेगा । गबन (embezzlement) के मामलो मे विभागाध्यक्ष (*Head of Department*) की हैसियत से, *विभागीय* जाच आयुक्त द्वारा दिए गए आदेश की अपील राज्य सरकार को होगी ।

संविधान के अनुच्छेद 311 की व्याख्या नियुक्ति प्राधिकारी के सम्बध मे –चू कि राजस्थान राज्य का गठन कतिपय राजाओ क राज्यो के विलीनकरण से हुआ, इसलिये पूवगामी राज्य से आए हुए व्यक्ति के बारे मे उसके नियुक्ति प्राधिकारी का पता लगाना कुछ जटिल काय है । ऐसे मामलो म किसी सेवारत कर्मचारी के विषय मे यह ज्ञान करना आवश्यक नही है कि विलीनीकरण स पहले उसकी नियुक्ति किसन की थी । हमको क्वल यह मालूम करना है कि विलीनीकरण के पश्चात् राजस्थान म उसकी नियुक्ति किसने की । अत सविधान के अनुच्छेद 311 की व्यारया हमे इस प्रकार करनी च हिए कि सवा स बरखास्तगी या हटाए जान की सजा किसी ऐस अधिकारी द्वारा नही दी जा सकती जो एकीकरण (Integration) होन पर राजस्थान राज्य मे उसे नियुक्ति प्रदान करने वाले अधिकारी स निम्न स्तर का अर्थात् नीचे के पद का हो ।[2] परन्तु जबकि किसी कमचारी की नियुक्ति एकीकृत रूप म (intigrated set up) म, उसके निलम्बित होने के कारण कभी हुई ही नही हो, तो हम यह ज्ञात करना होगा कि यदि वह निलम्बित नही होता तो उसकी नियुक्ति सम्मिलित स्वीकृत (intigrated) राजस्थान मे कौन करता, और उस मामले म वही अधिकारी उक्त कर्मचारी का नियुक्ति प्राधिकारी माना जाएगा ।[3]

नियुक्ति प्राधिकारी से ऊचा तथा नीचे का अधिकारी —यदि किसी सरकारी कमचारी क विरुद्ध कार्यवाही करने वाला प्राधिकारी उसके नियुक्ति प्राधिकारी से ऊपर के पद का है, तो इसम कोई गलती नहीं है । जबकि 'क' की नियुक्ति लिपिक के पद पर, सरकार के सहायक सचिव स्वय ने अपन हस्ताक्षर स की, और उसकी बरखास्तगी का आदेश उप-आयुक्त न दिया, तो लक्ष्मीनारायण वि उडीसा सरकार[4] म तय हुआ कि यह आदेश वैध था क्योकि उप आयुक्त निम्न-स्तर का नहीं था ।

1 AIR 1956 इलाहबाद 475–शफी अहमद वि डाकखानो के वरिष्ट अधीक्षक (सुप्रिटेन्डेन्ट) ।

2 AIR 1954 राजस्थान 207–मोन गमन वि राजस्थान सरकार ।

3 " " "

4 AIR 1961 [illegible]

इसी प्रकार, वन सरक्षक द्वारा नियुक्त व्यक्ति मुख्य वन सरक्षक द्वारा दण्डित किया जा सकता है, क्योंकि उससे सविधान के अनुच्छेद 311 द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त की अवहेलना नहीं होती।* इसी तरह से, सरकार के सहायक सचिव द्वारा नियुक्त व्यक्ति, सरकार के उप-सचिव द्वारा नौकरी से हटाया जा सकता है।[1]

इसके विपरीत, जब कि पुलिस के एक सब-इन्सपेक्टर (थानेदार) को महानिरीक्षक पुलिस ने नियुक्त किया था और बाद मे उप-महानिरीक्षक के आदेशो के अन्तर्गत उसे बरखास्त कर दिया गया तो यह बरखास्तगी अ-सवैधानिक करार दी गई।[2] जबकि एक पुलिस थानदार को, जिसकी नियुक्ति रतलाम राज्य ने की थी, समयोपरान्त, मध्य भारत के उप महानिरीक्षक आरक्षी ने बरखास्त कर दिया, यह बरखास्तगी अवैध करार दी गई क्योंकि उप-महानिरीक्षक नियुक्ति प्राधिकारी से निम्न स्तर का था।[3] एक व्यक्ति को कारागारो के महानिरीक्षक ने नियुक्त किया था और उसकी बरखास्तगी का आदेश कारागार अधीक्षक ने कर दी, तो बरखास्तगी का आदेश सविधान के अनुच्छेद 311 (1) के उल्लघन मे होना निर्णीत हुआ। यद्यपि अपील मे उक्त आदेश कारागारो के महानिरीक्षक ने ने सशोधित कर दिया, फिर भी प्रारम्भिक दशा म स्थित क्षेत्राधिकार का अभाव सुधारा नही जा सका।[4] जबकि प्रार्थी की नियुक्ति चीफ कमीश्नर ने की थी और उसे हटाए जान का आदेश, डिप्टी कमीश्नर ने पारित किया तो यह निर्णय हुआ कि यह कार्यवाही सविधान के अनिवार्य प्रावधान के प्रतिकूल थी।[5] इसी प्रकार जब एक व्यक्ति को राज्य सरकार ने नियुक्त किया था और बरखास्तगी का आदेश कमीश्नर ने पारित कर दिया तो यह बरखास्तगी सविधान के अनुच्छेद 311 (1) के उल्लघन म की गई निर्णित हुई।[6] प्रार्थी की नियुक्ति डिप्टी कमीश्नर के पद पर राजप्रमुख ने की थी। तत्पश्चात, राजप्रमुख के सलाहकार (Adviser to the Rajpramukh) ने उसे अतिरिक्त सहायक कमीश्नर के पद पर तैनात किया। यह आदेश गैर कानूनी करार दिया गया। यह तथ्य कि राज-प्रमुख न उससे अ सहमति प्रकट नही की, उनकी सहमति होना नही मानी जा सकती।[7]

राजस्थान उच्च न्यायालय ने एक नया फैसला फतेहसिह लोढा वि. "राजस्थान सरकार[8] मे दिया है। इसमे यह साबित था कि प्रार्थी को पुलिस थानेदार (S I P) के पद पर महानिरीक्षक आरक्षी ने किया था स्थाई (confirm) परन्तु उसके विरुद्ध अनुशासन की कार्यवाही का आदेश उप-महा निरीक्षक आरक्षी न दिया। उच्च न्यायालय ने तय किया कि चू कि यह मामला बरखास्तगी या सेवा से हटाए जाने का नही था (वरन् केवल पदावनति का था) इसलिए इसमें सविधान के अनुच्छेद 311 का उल्लघन नही हुआ, परन्तु फिर भी यह कार्यवाही राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रण और अपील) नियम, 1958 के नियम 15 तथा 16 की अवहेलना मे हुआ क्योंकि प्रार्थी के के विरुद्ध जाच प्रारम्भ करने के लिए महा निरीक्षक आरक्षी (I G Police) ने, राज्य सरकार की अनुमति से, उप-महानिरीक्षक आरक्षी को विशेषत अधिकार प्रदान नही किया था।

---

* AIR 1956 पटना–228.

1 AIR 1960 कलकत्ता–सतीशचन्द्र गुप्ता वि प बगाल सरकार।

2 AIR 1964 मध्यप्रदेश 114–रामरतन वि मध्यप्रदेश सरकार।

3 AIR 1957 मध्यप्रदेश 126–रामचन्द्र गोपाल राव वि उप-महानिरीक्षक, पुलिस।

4 AIR 1956 मद्रास 419–सोमासुन्दरम् वि मद्रास सरकार, तथा AIR 1956 मनीपुर 34.

5 AIR 1963 मनीपुर 51–अहमद हसन वि डिप्टी कमीश्नर, मनीपुर।

6 AIR 1956 मध्यभारत 259–ए एम खान वि मध्य भारत सरकार।

7 AIR 1954 पेप्सू 98

8. 1977 WLN 421

एक अन्य मामले, डा बी के गुप्ता वि भारत सरकार[1] मे एक अस्थाई कर्मचारी की सेवा उस आग रखे रहने के लिए अयोग्य पाई गई। अत उसके विरुद्ध कोई भी कलक (aspersion) प्रकट किए बिना उसे नौकरी से हटा दिया गया। यह कोई सजा नहीं हुई, इसलिए संविधान का अनुच्छेद 311 इसमे आकर्पित नही हुआ।

जबकि सरकार ने अपने मुकद्दमो की पैरवी के लिए प्रार्थी वकील को एक निश्चित अवधि के लिए रखने के आधार (monthly retainer basis) पर नियुक्त किया, तो निर्णय हुआ कि प्रार्थी और सरकार का पारस्परिक रिश्ता एक मवक्किल और वकील का था। प्रार्थी सिविल सेवा का कोई पद धारण नही करता था, इसलिए उसके हटाए जाने पर संविधान का अनुच्छेद 311 लागू नही हुआ।[2]

शब्द पदच्युति' (dismissal) नौकरी से हटाना, (removal) या पक्तिच्युत (reduction in rank), जैसा कि इनका प्रयोग संविधान के अनुच्छेद 311 मे हुआ है साफ तौर से दर्शाते हैं कि पदच्युति करने सेवा से हटाने अथवा पक्तिच्युत करने के आदेश पर अनुच्छेद 311 तभी लागू होगा जबकि आदेश सजा के रूप म जारी किया गया हो। यदि नौकरी से पृथक करना राजस्थान सेवा नियमो के नियम 23 क के अधीन केवल सेवा की समाप्ति (termination simpliciter) मात्र है, तो यह अनुच्छेद 311 म प्रयोगित सेवा स हटाए जाने (removal of s*rvice) के अन्तर्गत नही आएगा।

अत बिना कलक लगाये किसी अस्थाई कर्मचारी की सेवा समाप्त करना एक साधारण सेवा समाप्ति की तारीफ मे आता है जिस पर संविधान का अनुच्छेद 311 लागू नही होता और यह सैद्धान्तिक अनिवार्यता कि हटाने का आदेश केवल नियुक्ति प्राधिकारी ही दे सकता उपयोग म नही लाया जा सकता।[3]

संविधान के अनुच्छेद 311(1) के प्रयोजनार्थ किसी कर्मचारी को उसके पद पर पक्का (confirm) करने वाला प्राधिकारी उसका नियुक्ति प्राधिकारी है। इस प्रकार जबकि प्रार्थी को स्थाई रूप से वास्तविक नियुक्ति देने वाला पश्चिम रेलवे का डिप्टी चीफ एकाउन्ट्स ऑफिसर था तो वही अधिकारी प्रार्थी का नियुक्ति प्राधिकारी माना जावेगा। हरिशकर वि भारतीय सघ[4] के मामले म डिविजनल मेकेनिकल इन्जिनियर ने, जो कि डिप्टी चीफ अकाउन्ट्स आफिसर से नीचे के स्तर का पदाधिकारी था, ने प्रार्थी को सेवाच्युत करने का आदेश दिया। ऐसी स्थिति म डिविजनल मेके-निकल इजिनियर द्वारा दिया गया आदेश खारिज किया गया।[4]

किसी कर्मचारी से सम्बन्धित सही नियुक्ति प्राधिकारी का पता लगाना भी एक गभीर समस्या है। इस विषय मे माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि सम्बन्धित प्राधिकारी के पदस्तर की जाच करनी चाहिए। 'यद्यपि संविधान का अनुच्छेद 311 (1) यह अपेक्षा नही करता कि सेवा स बर्खास्त करना या हटाना उसी व्यक्ति द्वारा होना चाहिए जिसने कर्मचारी की नियुक्ति की थी, फिर भी यह अवश्य निर्धारित किया गया है कि वास्तविक नियुक्ति प्राधिकारी से

1 1977 WLN 124
2 1976 WLN 519–रघुवीर सिंह वि राजस्थान सरकार।
3 1975 WLN 835–राज सरकार वि जगदीश चन्द्र।
4 1975 WLN 100

नीचे के स्तर या ग्रेड का कोई अधीनस्थ प्राधिकारी उसे सेवाच्युत करने या नौकरी से हटाने के लिए सशक्त नहीं है हालांकि वह नियमों के अधीन उसी प्रकार की नियुक्तियां प्रदान करने हुतु सक्षम हो। श्रन गणेशनारायण वि राजस्थान सरकार[1] म जबकि अपील कर्त्ता का नियुक्ति प्राधिकारी डाकघरों का वरिष्ठ निरीक्षक अजमेर डिविजन था, उक्त कर्मचारी को उसके पद के सम्बन्ध में फौजदारी मुकदमा चलाने की स्वीकृति पाली डिविजन के डाकघर के अधीक्षक ने जारी की जो कि डाकघरों के वरिष्ठ अधीक्षक के पद से नीचे के स्तर का था। इस मामले में उच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि यह ज्ञात करने के लिए कि क्या सेवा से हटाने वाला प्राधिकारी नियुक्ति प्राधिकारी से नीचे के पद का है या नहीं पद या ग्रेड उसका महत्त्वपूर्ण परीक्षण है। अतः अजमेर डिवीजन के डाकघरों का वरिष्ठ अधीक्षक श्रेणी प्रथम के ग्रेड का र 400–1250 के वेतनमान का अधिकारी होने म पाली डिविजन के डाकघरों के अधीक्षक से जो कि श्रेणी द्वितीय म र 350–900 के वेतनमान का अधिकारी था, उच्चतर पद धारण करता था और पाली का अधीक्षक अजमेर के वरिष्ठ अधीक्षक स निम्न स्तर का था यद्यपि वह अधिकारों एव कर्त्तव्यों की दृष्टि स उसके अधीनस्थ नहीं था।

खेमचन्द वि. भारतीय सघ[2] के तथ्य भिन्न हैं। इस मामले म, प्रार्थी, जो कि एक पुन नियोजित अस्थाई लिपिक था, निर्बल तथा असन्तोषजनक कारणों के आधार पर, अपनी नियुक्ति के नए स्थान पर जाने म विफल रहा। किन्तु, बिना अनुशासन कार्यवाही किए और उसे हटाने के आदेश म बिना कोई कारण बताए उसकी सेवा समाप्त कर दी गई। अतः निर्णय हुआ कि उसके मामले में सविधान का अनुच्छेद 311 लागू नहीं होता।

कुलदीपसिंह तथा अन्य वि भारतीय सघ[3] मे छ प्रार्थीगण, जो रेलवे कर्मचारी थे सेवा से हटा दिए गये अथवा बर्खास्त कर दिए गए क्योंकि वे सभी फौजदारी अदालत द्वारा दोषी सिद्ध हुए थे। इस मामले मे राजस्थान उच्च न्यायालय की एक खण्ड पीठ न यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि अदालत से दोष सिद्ध (conviction) होने मात्र से कोई सरकारी कर्मचारी आवश्यक रूप से सरकारी नौकरी मे बने रहने की अर्हता (योग्यता) नही खोता और, इसके विपरीत, प्रोबेशन अधिनियम (Probation Act) का फायदा उसे अनुशासन कार्यवाही से अछूता नहीं रख सकता। दूसरा यह कि अपराध की किस्म कोई विशेष महत्व नही रखती क्योंकि अनुच्छेद 311 (2) मे सभी प्रकार के दोषारोपण समाविष्ट है। इसके अतिरिक्त जब किसी राज्य कर्मचारी एसे आचरण के आधार पर जिससे फौजदारी दोषारोपण सिद्ध हुआ, पदच्युत या हटाया जाता है तो सविधान के अनुच्छेद 311 (2) का परन्तुक (क) सजा देन वाले अधिकारी को चार्ज के विषय म और प्रस्तावित शास्ति के विषय दोनों दफा उसे नोटिस देन की आवश्यकता से मुक्त करता है।

अनुच्छेद 311 (2) का परन्तुक (ग). —उपर्युक्त मामले म,[4] यह भी स्पष्ट किया गया है कि किसी राज्य कर्मचारी को बिना अनुशासनीय कार्यवाही किए और सजा देने का कारण प्रकट नही करने पर भी शास्ति इस आधार पर दी जा सकती है कि राज्यपाल को सतोषजनक विश्वास है कि कारण प्रकट करना राज्य की सुरक्षा के हित मे नही है। यदि उन परिस्थितियो को प्रकट करने से राज्य

1 1975 WLN 117
2 1975 WLN 202
3 1974 WLN 176
4 1974 WLN 175–कुलदीपसिंह वि भारतीय सघ।

की सुरक्षा खतरे में पड़ती हो तो अवश्य ही उनको प्रकट करना जरूरी नहीं है परन्तु फिर भी सम्बंधित राज्य कर्मचारी को अपना पक्ष अभिव्यक्त करने की इजाजत दी जा सकेगी।

अस्थाई कर्मचारी की सेवा समाप्त करना सजा नहीं है — जबकि एक अस्थाई कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय जाँच उसको चार्जशीट देने और उसके उत्तर में उसके स्पष्टीकरण प्राप्त होने से आगे नहीं बढ़ी, तो निर्णय हुआ कि बिना किसी प्रकार का कारण बताए, एक महीने के नोटिस पर उसकी सेवा समाप्त करने में संविधान के अनुच्छेद 311 की क्रियाशीलता आकृष्ट नहीं हुई क्योंकि उसको नौकरी से पृथक करने का आदेश एक अस्थाई कर्मचारी की सामान्य सेवा का समापन करना मात्र है।*

संविधान का अनुच्छेद 311 रक्षा विभाग के सिविल कर्मचारी को शासित नहीं करता। यह सिद्धान्त जीवनपुरी वि. भारतीय संघ में प्रतिपादित किया गया। यह भी तय किया कि संविधान के अनुच्छेद 310 के अधीन "राज्यपाल के प्रसाद" की शक्ति, उदाहरणत. अनुच्छेद 311 के अन्तर्गत सजा देने की शक्ति अधीनस्थ अधिकारी को नहीं सौंपी जा सकती।

परीक्षण के अधीन कोई कर्मचारी अपने पद पर अधिकार धारण नहीं करता —जो कर्मचारी परिक्षण (Probation) पर कार्य कर रहा हो उसकी सेवा बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है और परिक्षणार्थी का अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। संविधान का अनुच्छेद 311 उस पर लागू नहीं होता। यद्यपि परिक्षण काल की अवधि समाप्त हो गई हो, फिर भी जब तक उसे स्पष्टतः पक्का नहीं किया जाये तब तक ऐसा कर्मचारी अस्थाई ही रहेगा।[1] अनुपयुक्तता के आधार पर किसी परिक्षणार्थी की सेवा समापन करना केवल मात्र समाप्ति है न कि सजा। इस कारण से उस पर संविधान का अनुच्छेद 311 (2) लागू नहीं होता।[2]

जबकि एक कार्यवाहक जिला तथा सत्र न्यायाधीश को उसके मूल पद पर वापस भेज दिया गया (Reverted), यह निर्णय हुआ कि केवल परिलाभों (emoluments) में कमी होने मात्र से आदेश को अधिकारी के विरुद्ध शास्ति लागू करने वाला नहीं माना जा सकता। स्थिति इससे भिन्न होती यदि इसका परिणाम वरिष्ठता खोना या उच्च पद पर पदोन्नति के भविष्य अवसर दूर चले जाना हो। कानून की यह स्थिति चन्दरसिंह वि. राजस्थान सरकार[3] में प्रतिपादित की गई और यह कहा गया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद के लिए प्रार्थी की अनुपयुक्तता के आधार पर वापस मौलिक पद पर भेजना संविधान के अनुच्छेद 311 (2) के उल्लंघन में नहीं है और प्रार्थी को उसके मौलिक पद पर वापस भेजने से पहले उसको कोई नोटिस देना भी अपेक्षित नहीं था।

अनिवार्य सेवा निवृत्तिः – किसी राज्य कर्मचारी की अनिवार्य सेवा निवृत्ति (compulsory retirement) उसके विरुद्ध कोई कलंक लगाये बिना 'भेदभाव' की तारीफ में नहीं आता। यह सजा की तारीफ में भी नहीं आता, इसलिए इससे संविधान का अनुच्छेद 311 (2) आकर्षित नहीं होता।

---

*1973 WLN 194 जीवनपुरी वि. भारतीय संघ

1 1973 WLN 389–कैलाशचन्द्र मेठिया वि. राज. राज्य विद्युत मण्डल।

2 AIR 1978 SC 363–विमलचन्द गुप्ता वि. हरियाणा सरकार।

3. 1972 WLN–8

ऐसे मामले मे अदालत सचिवालय की फाइलो मे यह तथ्य खोजने का कार्य नही कर सकती कि आया ऐसे अनुसन्धान से कोई कलंक लगने का निष्कर्ष निकाला जा सकता है या नही । कतिपय मामला मे अनिवार्य सेवा निवृत्ति सार्वजनिक हित मे की जाती है और यदि रिटायर करने के आदेश मे यह व्यक्त कर दिया जाय कि उस व्यक्ति को सार्वजनिक हित मे रिटायर किया गया है तो इसमे कोई त्रुटि नही होगी ।

(ग) **अनुशासन प्राधिकारी**—नियम 2 (ग) मे दी गई परिभाषानुसार किसी सरकारी कर्मचारी के सम्बन्ध मे अनुशासन प्राधिकारी वह व्यक्ति है जो उसे शास्ति देने के लिए सशक्त हो । शास्तियो का वर्णन नियम 14 मे किया गया है । इस प्रकार ऐसा प्राधिकारी जो किसी राज्य कर्मचारी को नियम 14 मे उल्लिखित कोई भी शास्ति देने मे समर्थ हो वही उक्त राज्य कर्मचारी का अनुशासन प्राधिकारी है । वह उसका नियुक्ति प्राधिकारी भी हो सकता है या नही भी हो ।

यदि वह नियुक्ति प्राधिकारी का अधीनस्थ प्राधिकारी हो तो वह केवल नियम 14 के अनुच्छेद (i) से (v) मे उल्लेखित (लघु) शास्ति ही आरोपित कर सकता है । सेवा से हटाने या पदच्युत करने की कठोर शास्तिया केवल नियुक्ति प्राधिकारी ही दे सकता है । नियम 15 अनुशासन प्राधिकारियो के अधिकारो तथा कार्यों के विषय मे है । राज्य सेवाओ (State services) के लिए अनुशासन प्राधिकारी राज्य सरकार है या राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से प्रदत्त शक्तिधारी प्राधिकारी होता है । अधीनस्थ सेवाओ के लिए विभागाध्यक्ष अथवा सरकार की अनुमति से उसके द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत प्राधिकारी होता है । लेखक वर्गीय और चतुर्थ श्रेणी सेवा के लिए कार्यालयाध्यक्ष अनुशासन प्राधिकारी होगा ।

(च) **राज्य कर्मचारी**:—राज्य कर्मचारी वह व्यक्ति है, जो—

(i) किसी सेवा का सदस्य है, या

(ii) राजस्थान सरकार के अधीन कोई असैनिक (सिविल) पद धारण किए हुए हो और इसमे निम्न लिखित व्यक्ति शामिल होगे —

(क) जो वैदेशिक सेवा मे हो, या

(ख) जिसकी सेवाए अस्थाई रूप से किसी स्थानीय अधिकारी (उदाहरणत नगर पालिका, पचायत, राजकीय प्रतिष्ठान या निगम) को सुपुर्द की हुई हो, या

(ग) किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के सेवा का कोई व्यक्ति जिसकी सेवाए अस्थाई रूप से राजस्थान सरकार को सुपुर्द की हुई हो, या

(घ) किसी सविदा (contract) पर सेवा मे कार्य कर रहा हो, या

(ड) वह व्यक्ति जो किसी अन्य सरकार की सेवा से सेवा मुक्त हो चुका हो और जो राजस्थान सरकार के अधीन पुन नियुक्त किया गया हो

परन्तु निम्न लिखित व्यक्ति राजस्थान सिविल (वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील) नियमो के अधीन राज्य कर्मचारी नही हैं —

(i) भारतीय सघ की असैनिक सेवा का कोई व्यक्ति, या

(ii) किसी अन्य राज्य की असैनिक सेवा का कोई व्यक्ति–

जो राजस्थान में प्रतिनियुक्ति (डेपूटेशन) पर कार्य कर रहा हो। ऐसे व्यक्ति पर पहले से ही उन पर लागू नियम, लागू रहेंगे।

सिविल (असैनिक) पद.—शब्द "सिविल पद" (या असैनिक पद) का प्रयोग अभिव्यक्ति "राज्य कर्मचारी" की परिभाषा में किया गया है। राज्य के अधीन "सिविल पद" वह पद (post) है जिस पर राज्य सरकार का पूरा नियन्त्रण है और यदि सरकार चाहे तो उस पद को समाप्त कर सकती है। राज्य सरकार का सिविल पद पर निकटतम और अन्तिम नियन्त्रण (immediate and ultimate control] होता है।[1] इसके अतिरिक्त सिविल पद सैनिक पदों से विभिन्न है।[2] यद्यपि राज्य सरकार के अधीन किसी पदधारी को कोई वेतन नहीं दिया जाता हो, फिर भी उसे सिविल पद धारण करने वाला माना जाएगा।[3] इसके विपरीत, केवल राजकीय निधियों से उसे रकम दी जाने या कतिपय प्रतिष्ठानों पर नियन्त्रण मात्र होने से, उन प्रतिष्ठानों में काम करने वाले व्यक्ति को को स्वतः राज्य सेवा में असैनिक पद धारण करने वाला नहीं माना जा सकता।[4]

निम्नलिखित व्यक्ति राज्य सरकार के अधीन सिविल पद धारक की परिभाषा में नहीं आते.—

(1) स्टेट बैंक आफ इन्डिया का कर्मचारी,[5]
(2) स्टेट सहकारी बैंक का कर्मचारी,[6]
(3) राजकीय परिवहन निगम का कर्मचारी,[7]
(4) नगरपालिका का कर्मचारी,[8]
(5) जिला बोर्ड का कर्मचारी,[9]
(6) पंचायत का सचिव या अधिशासी अधिकारी,[10]
(7) सुधार न्यास का कर्मचारी,[11]
(8) सरकारी होजरी मिल में दैनिक वेतन पर काम करने वाला,[12]

---

1 AIR 1956 पटना 398 तथा AIR 1963 कलकत्ता 116
2 AIR 1955 नागपुर 175, AIR 1967 SC 844 आसाम राज्य वि. कमल चन्द्रदत्त।
3 AIR 1955 कलकत्ता 556
4. AIR 1959 ज. कश्मीर 26
5 AIR 1965 मद्रास 335 तथा AIR 1962 कलकत्ता 72.
6 AIR 1965 पटना 223 चतुर्भुज सहाय वि. चेयरमैन, स्टेट सहकारी बैंक।
7 AIR 1963 कलकत्ता 116, प्रफुल्ल कुमार सेन वि. कलकत्ता राज्य ट्रांसपोर्ट कोरपोरेशन।
8 AIR 1958 जम्मू कश्मीर 6–विशम्भर नाथ नेहरू वि. एच एवं जम्मू तथा कश्मीर सरकार।
9 AIR 1958 मद्रास 211 एवं AIR 1957 पटना 333 रंग नाथ मिश्रा वि. सभापति, जिला बोर्ड।
10 AIR 1962 मध्य प्र. 50–रूपसिंह वि. संचालक, पंचायत और समाज सेवा, इन्दौर।
11. AIR 1958 इलाहबाद 353–एम ए किदवाई वि. अध्यक्ष, सुधार न्यास।
12 AIR 1956 जम्मू-कश्मीर–डी एम वादरा वि. शासन सचिव उद्योग तथा वाणि विभाग।

(9) किसी कम्पनी या निगम का कर्मचारी,[1]

(10) राज-भवन का माली,[2]

(11) राज्यपाल के आकस्मिक कर्मचारीगण (contingency staff),[3]

(12) गवर्नमेन्ट एडवोकेट,[4]

(13) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त मरदिय का अधिकारी,[5] और

(14) गाव का चौधरी ।[6]

सिविल सेवाएं—सिविल सेवाओं के विषय में अनेक निर्णय हुए हैं। जी एस रामास्वामी वि महानिरीक्षक, पुलिस, मैसूर[7] में सर्वोत्तम न्यायालय ने तय किया कि परीक्षणार्थी (probationer) परीक्षण काल की अवधि समाप्त हो जाने पर स्वत. सेवा का स्थाई सदस्य नहीं बन सकता। इस फैसले का आधार लेते हुए कैलाश चन्द्र सठिया वि राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल[8] में राजस्थान उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि यद्यपि परीक्षण पर नियुक्त प्रार्थी अपने पद परीक्षण की प्रारम्भिक अवधि बीत जाने के बाद भी कार्य करता रहा, फिर भी वह केवल समय गुजरने मात्र से तब तक स्थाई कर्मचारी नहीं बन सकता जब तक कि उस पर लागू नियम ऐसा स्पष्ट प्रावधान नहीं करते कि परीक्षण का प्रारम्भिक काल समाप्त हो जाने पर वह अपने आप स्थाई हो जाएगा। इस प्रकार, यद्यपि परीक्षण की अवधि किसी आदेश द्वारा बढाई नहीं गई है तथापि कर्मचारी परीक्षणार्थी के रूप में जारी रहेगा।

परन्तु जब कि अनुशासन प्राधिकारी ने दोषारोपी (delinguent) अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण पर विचार ही नहीं किया और निर्णय की पुष्टि के कारण भी व्यक्त नहीं किए गए तो उसे सेवा से हटाने का आदेश दोषयुक्त करार दिया गया (भारतीय संघ वि बी. के दत्ता)[9]। इसके विपरीत, एक अस्थाई कर्मचारी (प्रार्थी) की सेवाएं एक महीने का नोटिस देकर समाप्त करदी गई, तो यह आदेश वैध माना गया।[10] इसी प्रकार जब सेवा समाप्त करने के आदेश में यह उल्लेख किया गया कि प्रार्थी का कार्य संतोषजनक नहीं था तो निर्णय हुआ कि यह कोई कलंक नहीं था और सेवा समाप्ति का आदेश उसकी नियुक्ति की शर्तों के अनुकूल था।[11]

---

1 AIR 1963 कलकत्ता 421 AIR 1961 इलाहबाद 502

2 AIR 1956 पटना 398–लक्ष्मी वि राज्यपाल का मिलीट्री सक्रेटरी।

3 *AIR 1955 पेप्सू 25–करतारसिंह वि पेप्सू सरकार।*

4 AIR 1960 राजस्थान 138–राजस्थान सरकार वि मदन स्वरूप।

5 AIR 1959 त्रिपुरा 21–महेन्द्र लाल चक्रवर्ती वि भारत संघीय क्षेत्र त्रिपुरा।

6 ILR 1956 राजस्थान 355–शेरसिंह वि राजस्थान सरकार।

7 AIR 1966 सुप्रीम कोर्ट 175

8 1973 WLN 389

9 1973 WLN 663

10 1973 WLN 303–किशनाराम वि भारतीय संघ।

11 1973 WLN 389

यहां यह स्पष्ट कर दें कि एक प्रशिक्षार्थी (apprentice) की नियुक्ति का साधारण आदेश उसे किसी स्थाई पद का अधिकार प्रदान नहीं करता।[1] किसी सेवा समाप्ति के आदेश का रूप निर्णायक (conclusive) नहीं होता। ट्रिब्यूनल उसकी गहराई में जाकर सत्य ज्ञात कर सकती है।[2]

जब किसी सिविल सेवा के सदस्य की जन्म तिथि बिना उसे नोटिस दिए बदल दी गई और उक्त परिवर्तित जन्म तिथि के आधार उसकी सेवा निवृत्ति (retirement) का आदेश जारी कर दिया गया तो फैसला हुआ कि सेवा से उसको रिटायर करना अवैध था।[3]

किसी विशेष विषय में किसी व्यक्ति की निपुणता सम्बन्धी क्षमता विश्व विद्यालय द्वारा आंकी जानी चाहिए और उच्च न्यायालय को ऐसे विश्वविद्यालय सम्बन्धी ((academic matters) में दखल नहीं करना चाहिए।[4]

संविदा पर नियोजित व्यक्ति — साधारणतः सरकार नियुक्ति के आदेशानुसार नियुक्तियां करती हैं जिसे कि कर्मचारी स्वीकार करता है। इसलिए संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत की गई सभी सिविल कर्मचारियों की नियुक्तियों के लिए सरकार और कर्मचारी के मध्य कोई संविदा (इकरारनामा) निष्पादित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती।[5] ऐसे मामले कानूनी नियमों से नियमित होते हैं न कि किसी पृथक संविदा से।[6] परन्तु सरकार अस्थाई कर्मचारियों से विशेष संविदा कर सकती है बशर्ते कि ऐसे इकरार की शर्तें संविधान के किसी प्रावधान की अवहेलना नहीं करती हों।[7] लिखित शर्तों के विषय में संविधान का अनुच्छेद 299 प्रावधान करता है। सरकार तथा विशेष इकरारनामे पर नियुक्त कर्मचारी दोनों ही उनके द्वारा तय की गई शर्तों से बाध्य होंगे।[8] जब किसी अस्थाई कर्मचारी को एक निश्चित अवधि के लिए नियुक्त किया गया हो तो उक्त अवधि समाप्त होने पर उसकी नियुक्ति का समापन हो जायेगा और एक महीने के नोटिस की कोई आवश्यकता नहीं होगी।[9] परन्तु कर्मचारी इकरार की पूरी अवधि तक कार्यरत रहने का अधिकारी है।[10]

किन्तु जब एक राज्य दूसरे राज्य में सहमिलन (Accession) या विलय या विलीनीकरण या एकीकरण द्वारा सविलीन हो जाता है तो पूर्ववर्तीन सरकार और उसके कर्मचारियों के मध्य सेवा के समस्त इकरारनामे स्वतः समाप्त हो जाते हैं और तत्पश्चात् जो कर्मचारी सेवा में बने रहने का विकल्प दें वे नई सरकार द्वारा लागू की गई शर्तों पर रह सकेंगे।[11]

---

1 1974 WLN 112
2 1977 WLN 461
3 1977 WLN 551
4 1977 WLN 593
5 AIR 1953 पेप्सू 196—बद्री वि. पेप्सू सरकार।
6 AIR 1958 कलकत्ता 551—आर. के. चक्रवर्ती वि. प. बंगाल सरकार।
7 AIR 1955 इलाहाबाद—496—एस. पी. श्रीवास्तव वि. महालेखाकार उत्तर प्रदेश
8 AIR 1953 सुप्रीम कोर्ट—250 एस. सी. आनन्द वि. भारतीय संघ।
9 AIR 1962 मनीपुर—52
10 AIR 1963 बम्बई—13

3 नियमो का लागू होना —(1) ये नियम निम्नांकित के सिवाय सभी सरकारी कर्मचारियो पर लागू होंगे.—

(क) वे व्यक्ति जो भारत सरकार, अथवा किन्ही भी राज्यो या सघ राज्य क्षेत्रो से प्रतिनियुक्ति पर हैं,

(ख) वे व्यक्ति जो भारत सरकार के ऐसे औद्योगिक सगठनो मे नियोजित है जो समय-समय पर अधिसूचित किए जाए और जो औद्योगिक विवाद अधिनियम के अर्थान्तर्गत कर्मकार है,

(ग) राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश,

(घ) उपर्युक्त न्यायालय के अधिकारी और कर्मचारी जो सविधान के अनुच्छेद 229 के खण्ड (2) के अधीन बनाए गए नियमो द्वारा शासित होंगे,

(ङ) राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य जो सावधान के अनुच्छेद 318 के अधीन बनाए गए नियमो द्वारा शासित होंगे,

(च) वे व्यक्ति जिनकी नियुक्ति तथा अन्य मामला के लिए, जो इन नियमो के अन्तर्गत आते है, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के द्वारा या अधीन, उक्त विधि के अन्तर्गत आने वाले मामला के सम्बन्ध मे, विशेप उपबन्ध किया गया है,

(छ) वे व्यक्ति, जो आकस्मिक नियोजन मे है,

(ज) वे व्यक्ति जो एक महीने से कम की अवधि के नोटिस पर सेवोन्मुक्त किए जा सकते हो, और

(झ) अखिल भारतीय सेवाओ के सदस्य।

(2) उप-नियम (1) मे किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी और सविधान के अनुच्छेद 311 के उपवधा के अध्यधीन सरकार, आदेश द्वारा किसी सरकारी कर्मचारी या सरकारी कर्मचारियो के किसी वर्ग को, इन सब नियमो या इनमे से कुछ के प्रवर्तन से से अलग कर सकेगी।

(3) यदि कोई सदेह उत्पन्न हो कि —

(क) क्या ये नियम या इनमे से कोई भी नियम किसी व्यक्ति पर लागू होता है, या

(ख) क्या कोई व्यक्ति जिस पर ये नियम लागू होते हो, किसी विशेप रूप से सेवा का सदस्य है,

तो ऐसा मामला सरकार के नियुक्ति विभाग को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका कि निर्णय उन पर अन्तिम होगा।

टिप्पणी

राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील) नियम, 1958 कतिपय अपवादो के साथ, राजस्थान के समस्त राज्य कर्मचारियो पर लागू होते है। "राज्य कर्मचारी" की परिभाषा नियम 2 के खण्ड (च) म दी गई है जो बताती है कि ये नियम, इन नियमो से सलग्न अनुसूचियो मे निर्दिष्ट सभी कर्मचारियो पर लागू है।

इस परिभाषा के विश्लेषण से स्थिति स्पष्ट होगी। इसके अनुसार राज्य कर्मचारी वह व्यक्ति है—

I (i) जो किसी सेवा का सदस्य हो, अथवा

(ii) जो राजस्थान सरकार के अधीन कोई सिविल (असैनिक) पद धारण करता हो

और

II इसमें निम्नलिखित सम्मिलित है —

(i) वैदेशिक सेवा म राई ऐसा व्यक्ति, या वह जो किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी अन्य प्राधिकारी के पास प्रतिनियुक्ति (Deputation) पर हो,

(ii) कोई व्यक्ति जो किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी अन्य प्राधिकारी की सेवा का हो और जो अस्थाई रूप से राजस्थान सरकार की सेवा म प्रतिनियुक्ति पर हो, अथवा

(iii) सविदा पर नियुक्त कोई व्यक्ति, अथवा

(iv) कोई रिटायर शुदा सरकारी कर्मचारी जिसको राजस्थान सरकार के अधीन पुन नियुक्त किया हो।

निम्नलिखितो पर ये नियम लागू नही होंगे—

(1) भारतीय सघ की सिविल सेवाओ का कोई व्यक्ति, अथवा

(2) वह व्यक्ति जो किसी अन्य राज्य सरकार की सेवा मे होता हुआ राजस्थान सरकार द्वारा प्रतिनियुक्ति पर काय करता हो।

अत राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण व अपील) नियम किसी रेलवे कर्मचारी पर, किसी भारतीय सेवाओ के सदस्य पर आकस्मिक नियुक्ति पर कार्यरत किसी व्यक्ति पर या किसी ऐसे व्यक्ति पर लागू नही होत जिसकी सेवाए एक माह से कम के नोटिस पर समाप्त की जा सकती हो, या जिसके लिए कोई विशेष कानून या इकरारानुसार विशेष शर्तें लागू होती हैं। इन अपवादो की विस्तृत सूची ऊपर नियम 3 के उपनियम (1) के अनुच्छेद (क) से (भ) मे दी गई है।

(क) प्रतिनियुक्ति पर आया हुआ व्यक्ति —ऐसे समस्त व्यक्ति जो मूलत भारत सरकार के कर्मचारी हैं भारत सरकार के या किसी अन्य राज्य सरकार के या सघीय क्षेत्र के कर्मचारी हैं परन्तु जिनकी सेवाए राजस्थान सरकार को सुपर्द कर दी गई है, अपनी मूल सरकार के कानून स प्रशासित रहेंगे न कि राजस्थान सेवा नियमों स। मध्यप्रदेश के एक पुलिस सब इन्सपेक्टर को हैदराबाद मे प्रतिनियुक्ति पर लगाया गया। जब उसके विरुद्ध हैदराबाद के कानून के अधीन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा जाच की गई तो यह निर्णय हुआ कि जाच पूर्वतः अनाधिकृत एजेन्सी द्वारा सचालित की गई।[1]

(ख) कर्मकार (workmen) जो सरकारी औद्योगिक संगठनों मे नियुक्त हों इन नियम से प्रभावित नही होंगे। औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2 (ध) मे कर्मकार की परिभाषा दी हुई है। यह परिभाषा इस प्रकार है —

कर्मकार' से ऐसा कोई व्यक्ति (प्रशिक्षु सहित) अभिप्रेत है जो कि किसी उद्योग में कोई कौशलपूर्ण या कौशलरहित शारीरिक, पर्यवेक्षणीय प्राविधिक या लिपिक सम्बन्धी कार्य भाड़े या पुरस्कार पर करने के लिए नियोजित है चाहे नियोजन की शर्तें अभिव्यक्त या प्रलक्षित हों और इस अधिनियम के अधीन औद्योगिक विवाद के सम्बन्ध में किसी कार्यवाही के प्रयोजन के लिए ऐसा कोई व्यक्ति इसके अन्तर्गत आता है जो कि उस विवाद के सम्बन्ध में या ऐसे विवाद के परिणामस्वरूप पदच्युत किया गया, अलग किया गया या छाट दिया गया है, अथवा जिसकी पदच्युति, अलहदगी, या छटनी होने के कारण ऐसा विवाद उत्पन्न हुआ है।

निम्नलिखित 'कर्मकार' में अन्तर्गत नहीं आते हैं —

(क) कोई ऐसा व्यक्ति जो कि स्थल सेना अधिनियम, हवाई-सेवा अधिनियम, या जल सेना (अनुशासन) अधिनियम द्वारा नियमित हो,

(ख) कोई ऐसा व्यक्ति जो कि पुलिस या जेल में नियोजित हो,

(ग) कोई ऐसा व्यक्ति जो कि प्रबन्धकीय या प्रशासकीय क्षमता में कार्य कर रहा है,

(घ) यदि नियोजक पर्यवेक्षणीय क्षमता के भीतर कार्य कर रहा है तो उसे अवश्य ही एक प्रबन्धकीय क्षमता के अन्तर्गत कार्य करना चाहिए और इसके साथ ही उसे 500 रु प्रतिमास से अधिक का वेतन भी नहीं प्राप्त करना चाहिए।"

वे सभी व्यक्ति जो समय समय पर अधिसूचित किसी सरकारी औद्योगिक संगठनों में नियोजित हैं और जो ऊपर उल्लिखित परिभाषा के अभिप्राय से 'कार्मिक' (workmen) हैं, वे राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील) नियमों से शासित नहीं होंगे।

(ग) राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीशः—ये नियम राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायधीशों पर लागू नहीं होते, क्योंकि उनकी नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति करते हैं और केवल संविधान के अनुच्छेद 218 के साथ पठित अनुच्छेद 124 की प्रक्रिया द्वारा ही हटाए जा सकते हैं। ये न्यायाधीश, हाई कोर्ट न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1954 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों से शासित होते हैं।

(घ) राजस्थान उच्च न्यायालय के पदाधिकारी तथा कर्मचारीः- राजस्थान उच्च न्यायालय के अधिकारी और कर्मचारीगण संविधान के अनुच्छेद 229 (2) के अधीन शासित होते हैं। राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील) नियम उक्त अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू नहीं होते और हाई कोर्ट ने उनके लिये 1956 में पृथक नियम बनाए। प्रद्योत कुमार वि चीफ जस्टिस [1] में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि हाई कोर्ट स्टाफ के सदस्यगण न्यायालय के चीफ जस्टिस (मुख्य न्यायाधीश) के नियन्त्रण में थे, जिसको उनके मामले निपटाने हेतु संवैधानिक अधिकार प्राप्त हैं।

नि सन्देह ये नियम, G S R 27, अधिसूचना सख्या F 3 (40) ऐपोइन्टमेन्टस (A-III) 72 दिनांक 24 सितम्बर, 1973 (प्रकाशन तिथि 14-7-1975) द्वारा राजस्थान न्यायिक सेवा तथा राजस्थान उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्यों पर लागू होते हैं।

(ङ) लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य —राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यगण भी राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण तथा अपील) नियमों से प्रभावित

---

1 AIR 1956 सुप्रीम कोर्ट 285

नही होते । वे सविधान के अनुच्छेद 318 के अधीन वनाए गए विनियमो स शासित है ।

(च) विशेष प्रावधानो के अधीन नियुक्त व्यक्ति—जब भी किसी व्यक्ति के लिये, किसी कानून द्वारा कोई विशेष प्रावधान किया हुआ हो, तो कानून का वही प्रावधान उसको शासित करेगा और उसके विषय म ये नियम लागू नहीं होंगे । राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियन्त्रण और अपील) नियम राजस्थान पुलिस के अधीनस्थ सेवाओं के पदो के सदस्यो पर पुलिस अधिनियम के अधीनस्थ रहने, लागू होते है । अत पुलिस अधिनियम में सेवा की शर्तों और शास्तियो के विषय म जिन प्रावधानो का अभाव है और जो मामले स्पष्टत पुलिस अधिनियम मे नही आते वे राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील) नियमो द्वारा निपटाय जाएगे । इस प्रकार ये नियम पुलिस अधिनियम के पूरक है ।[1]

(छ) आकस्मिक नियोजन वाले व्यक्ति—जो व्यक्ति आकस्मिक कार्य के लिये नियुक्त किये जाते है, वे इन नियमो के अधीन सिविल पद धारण करने वाले नही समझे जा सकते । दैनिक मजदूरी पर रखे जाने वाले श्रमिको पर ये नियम लागू नही होते, जैसे कि डी डी टी छिड़कने वाले, ग्रीष्मकाल मे खस की टट्टियों पर पानी डालने वाले, माली, आदि । [2]परन्तु जहा ऐसे व्यक्ति नियमित बजट मे समुचित स्वीकृत पदो पर काम करते है, वे आकस्मिक सेवा मे नही समझे जाएंगे और इसलिये ये नियम उन पर लागू होंगे ।

(ज) ऐसे व्यक्ति जो एक महीने से कम के नोटिस से सेवा से हटाए जा सकते है—जो व्यक्ति निरे अस्थाई आधार पर नियुक्त हो, यहा तक कि, जिनकी सेवा की शर्तों के अनुसार, एक माह से कम अवधि के नोटिस पर नौकरी से डिसचार्ज किये जा सकते हो, उन पर ये नियम लागू नही होते । जब एक अस्थाई कर्मचारी की सेवा उसे आगे रखने के लिये उपयुक्त नही पाई गई, तो उसकी नौकरी समाप्त कर दी गई । निर्णय हुआ कि इस मामले मे सविधान का अनुच्छेद 311 आकृष्ट नही होता और यह कि सेवा की समाप्ती वैध थी ।[3]

बिना कलक लगाए किसी अस्थाई कर्मचारी की सेवा समाप्त करना केवल मात्र साधारण समाप्ती है और इस पर अनुच्छेद 311 लागू नही होता । [4]इसी प्रकार का एक फैसला सेमचद वि भारतीय सघ[5] मे हुआ ।

इसी तरह का एक अन्य मामला शकरलाल वि भारतीय सघ[6] था । जबकि एक अस्थाई कर्मचारी की सेवा जो परीक्षण पर नियुक्त था, बिना नोटिस समाप्त कर दी गई, तो निर्णय हुआ कि किसी नोटिस की आवश्यकता नहीं थी और कथित आदेश सही था और ये नियम उक्त मामले पर लागू नही होते ।[7]

1. AIR 1967 राजस्थान 414—लौंगमल वि अधीक्षक आरक्षी, AIR 1960 राजस्थान 56.
2. AIR 1966 पटना 328.
3. 1977 WLN 124—डा. बी. के गुप्ता वि. भारतीय सघ ।
4. 1975 WLN 835—राजस्थान सरकार वि जगदीश चन्द्र ।
5. 1975 WLN 207
6. 1974 WLN 194.
7. AIR 1960 इलाहाबाद 647

(झ) अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य — राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील) नियम, 1958 अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों पर लागू नही होते, जैसे कि, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वैदेशिक सेवा, आदि। उन पर पृथक नियम लागू होते है।

4, करार द्वारा विशेष उपबन्धः—जहा किसी सरकारी कर्मचारी के सम्बध मे, इन नियमो के किसी भी नियम से असगत विशेष उपबध का रखा जाना आवश्यक प्रतीत हो, तो नियुक्ति प्राधिकारी, उक्त सरकारी कर्मचारी के साथ करार द्वारा ऐसे विशेष उपबध कर सकेगा और तदुपरात ये नियम उक्त सरकारी कर्मचारी पर उस सीमा तक लागू नही होगे जिस सीमा तक इस प्रकार बनाए गए विशेष उपबध उनसे असगत् हो :

परन्तु यदि नियुक्ति प्राधिकारी सरकार के नियुक्ति विभाग के अतिरिक्त दूसरा कोई हो, तो ऐसे प्राधिकारी द्वारा सरकार के नियुक्ति विभाग की पूर्व स्वीकृति प्राप्त की जाएगी।[1]

सरकार को अधिकार है कि वह किसी व्यक्ति को किसी विशेष अनुबन्धन या शर्तों पर सेवा मे नियोजित कर सके बशर्ते कि सविधान के किसी प्रावधान का उल्लघन न हो।[2] इस प्रकार से नियुक्त कर्मचारी पर राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील) नियम लागू नही होंगे। परन्तु उसको सविदा (इकरार) की शर्तों के अनुसार सेवा से हटाया जा सकेगा, जिससे सविधान का अनुच्छेद 311 (2) आकर्षित नही होगा।[3] ऐसे विशेष इकरार के लिए निम्न बाते आवश्यक है.-

(1) कोई विशेष प्रावधान करना जो इन नियमो के किसी प्रावधान से असगत हो,

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी स्वय सरकार अर्थात् नियुक्ति विभाग नही है तो नियुक्ति विभाग मे सरकार की पूर्वगामी अनुमति प्राप्त करना, और।

(3) यह सुनिश्चित करना कि ऐसे इकरार स सविधान के किसी भी प्रावधान का उल्लघन नही होगा। परन्तु यदि सजा के रूप म उसे सेवा से बर्खास्त किया जायेगा तो सविधान का अनुच्छेद 311 क्रियान्वित हो जायगा।

एक व्यक्ति की नियुक्ति इस शर्त पर हुई कि वह युद्ध के दौरान तथा उसके बाद 'यदि आवश्यकता हुई तो सेवा मे रहेगा। ऐसे व्यक्ति को युद्ध के पश्चात यदि किसी भी समय नौकरी से हटा दिया जावे तो उसे शिकायत करने का कोई कारण नही होना चाहिये।[4]

जब एक राज्य अन्य राज्य मे सहमिलन (accession), विजय (Conquest), विलीनी करण (merger) या एकीकरण (integration) द्वारा सविलीन (absorb) हो जाए तो पिछली सरकार और उसके कर्मचारियो के मध्य समस्त इकरार स्वतः समाप्त हो जाते हैं और उसके बाद, वे सभी व्यक्ति जो नए राज्य की सेवा म रहने का विकल्प दे, उन्ह नई गठित राज्य के द्वारा आरोपित अनु-

---

1 अधिसूचना स 16 (9) नियुक्ति/O/59/ग्रुप III दिनाक 23-2 62 द्वारा जोडा गया।
2 AIR 1955 इलाहाबाद 496–शारदा प्रसाद वि ए जी, यू पी।
3 AIR 1953 सुप्रीम कोर्ट 250–सतीशचन्द्र आनन्द वि भारतीय सघ।
4. AIR 1955 कलकत्ता 45.

बन्धो और शर्तों का पालन करना होगा ।[1] परन्तु, इन नियमों का नियम 37 विशेष तौर से प्रावधान करता है कि जब किसी अधिकारी को एकीकृत योजना में किसी भी पद पर नियुक्त ही नहीं किया हो, तो वह राजस्थान में मिलने वाली उस इकाई (यूनिट) के नियमों से शासित होता रहेगा जिसमें वह अंतिम नियुक्ति धारण करता था ।

जब जिला परिषद् के एक सचिव, (जो सेवा में स्थाई हो चुका था) की सेवा उसकी सेवा की शर्तों के अनुसार, बिना किसी जाच के समाप्त कर दी गई तो निर्णय हुआ कि ऐसा करना वैध था ।[2]

5. किसी विधि या करार द्वारा प्रदत्त अधिकारों और विशेषाधिकारों का संरक्षण— इन नियमों की कोई भी बात किसी भी सरकारी कर्मचारी को किसी अधिकार या विशेषाधिकार से वंचित नहीं करेगी जिसका वह निम्नांकित आधारों पर हकदार है—

(क) उस समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन, या

(ख) इन नियमों के प्रारम्भ के समय, उस व्यक्ति और सरकार के बीच अस्तित्वयुक्त किसी करार की शर्तों के द्वारा ।

टिप्पणी

नियम 5 राज्य कर्मचारी को एक आश्रय या संरक्षण प्रदान करता है ताकि ये नियम—

(1) किसी प्रचलित कानून द्वारा या उसके अन्तर्गत, या

(2) कर्मचारी और सरकार के बीच, इन नियमों के प्रारम्भ होने के समय चल रहे किसी इकरार की शर्तों द्वारा—

किसी राज्य कर्मचारी को उसके उचित अधिकारों या विशेषाधिकारों से वंचित नहीं रख सकते । अत: पहले से ही अर्जित अधिकारों को नए नियम नहीं छीन सकते ।[3]

एक प्रश्न यह उठता है कि आया सरकार और सिविल कर्मचारी कोई ऐसी संविदा निष्पादित कर सकते हैं जिनका नतीजा संविधान द्वारा गारंटी किए गए अधिकारों में संशोधन के रूप में घटित हो जावे । सरकार वि. गजानन महादेव[4] में मुख्य न्यायाधीश छागला ने निर्णय दिया कि संविधान के अनुच्छेद 311 द्वारा प्रत्याभूत संरक्षण एक कानूनी अपेक्षता है और यह राज्य कर्मचारी के मांगने पर निर्भर नहीं हैं । टी मुनी स्वामी वि. मैसूर सरकार[5] में यह तय किया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 311 द्वारा निर्मित अधिकार में विधान मण्डल द्वारा बनाये गये किसी कानून द्वारा या राज्यपाल द्वारा बनाये गये नियमों द्वारा कोई कमी नहीं की जा सकती । राज्य कर्मचारी, नि संदेह, कानूनी न्यायालय में जाकर ऐसी घोषणा के लिए प्रार्थना कर सकता है कि उसकी बर्खास्तगी या सेवा से हटाये जाने का आदेश शून्य तथा प्रभावहीन है और वह दावा प्रस्तुत करने की तिथि को सेवा का

1. AIR 1958 सुप्रीम कोर्ट 228–अमरसिंह वि राजस्थान सरकार ।
2. 1971 Lab IC 1072
3. AIR 1953 पेप्सू 24, 1969 सुप्रीम कोर्ट 118, 1975 सुप्रीम कोर्ट 1116, 1972 सुप्रीम कोर्ट 628.
4. AIR 1954 बम्बई 351.
5. AIR 1964 मैसूर–250.

सदस्य बना हुआ है।[1] पुराना अंग्रेजी यह कानून कि कोई भी सरकारी कर्मचारी राज-मुकुट के विरुद्ध चढे हुए वेतन का दावा नहीं ला सकता, अब भारत म लागू नहीं हैं। उसको भारत म सवैधानिक कानून के प्रावधान द्वारा नकारा जा चुका है।[2]

भाग-2 : वर्गीकरण

6 (1) सिविल सेवाओ का निम्नाकित रूप से वर्गीकरण किया जायगा —

(1) राज्य सेवाए,

(2) अधीनस्थ सेवाए,

(3) लिपिक वर्गीय सेवाए, और

(4) चतुर्थ श्रेणी की सेवाए,

(2) यदि किसी सेवा मे एक से* अधिक ग्रेड के पद हो तो विभिन्न ग्रेडो के पदो को विभिन्न वर्गो मे सम्मिलित किया जा सकेगा।

टिप्पणी

सिविल सेवाओ का वर्गीकरण निम्नलिखित चार वर्गों म श्रेणीबद्ध किया गया है —

(i) राज्य सेवाए

इनम से कुछ सवाए इन नियमा स सलग्न अनुसूची I मे बताई गई है, उदाहरणत —

(क) राजस्थान उच्चतर न्यायिक सवा,

(ख) राजस्थान प्रशासनिक सेवा,

(ग) राजस्थान न्यायिक सेवा

(घ) राजस्थान पुलिस सेवा,

(ड) राजस्थान लेखा सेवा,

(च) राजस्थान सचिवालय सवा।

उपरोक्त सेवाओ म सम्मिलित पदो को धारण करने वाले राज्य सेवाओ के सदस्य हैं। इस सूची को पूरा करने के लिए नियम 7 (क) तथा (ग) भी पढ़।

(ii) अधीनस्थ सेवाए

अनुसूची II म अधीनस्थ सेवाओ के सदस्यो की सूची दी गई हैं। इस सूची म नियम 8 के अनुच्छेद (क), (ख) तथा (ग) मे उल्लेखित व्यक्ति जोडे जावें।

(iii) लिपिक वर्गीय सेवाए

ये अनुसूची 3 म उल्लखित लिखित लिपिको के पद है और नियम 9 के अनुच्छेद (ख) तथा (ग) म बताये गये व्यक्ति भी इसम शामिल है।

---

1 AIR 1947 प्रीवी कौसिल 23

2 (1954) बिहार सरकार वि अब्दुल मजीद SCR 786

* अधिसूचना सख्या एफ 16 (9) नियुक्ति (ए) 59 ग्रुप 3 दिनाक 23-2 62 द्वारा जोडा गया।

(iv) चतुर्थ श्रेणी सेवाएं

ये निम्न श्रेणी की सेवाएं हैं उदाहरणतः चपरासी, साईकिल सवार, जमादार, नाई, दफ्तरी, सिपाही, सफाई कर्त्ता, दर्जी, धोबी आदि। ये पद राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील) नियमों से सलग्न अनुसूची 4 में तथा नियम 10 के अनुच्छेद (ख) व (ग) में निर्दिष्ट किए गए हैं।

वर्गीकरण आवश्यक है क्योंकि भिन्न भिन्न वर्गों के असैनिक कर्मचारी अपने अपने उच्चतर प्राधिकारियों द्वारा नियन्त्रित होते है। ध्यान रहे कि प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग से उच्चतर है, द्वितीय वर्ग तृतीय वर्ग से उच्चतर है और तृतीय वर्ग चतुर्थ श्रेणी से ऊंचा है। ये वर्गीकरण महत्त्वपूर्ण हैं। जबकि एक वाहन चालक अधीनस्थ सेवा का सदस्य है उसे 60 वर्ष तक की आयु तक नौकरी से इस गलत फहमी से रखा गया कि वह एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है। अतः इन नियमों से सलग्न अधिसूचियां ऐसी गलतियों से बचने के लिए तथा सही वर्ग ज्ञात करने के लिये बनाई गई है। नियुक्ति विभाग ने सरक्यूलर सं F 8 (33) नियुक्ति (क)/55 दिनांक 26 मई, 1959 जारी कर के इस प्रकार की गलतियां न करने के लिए अधिकारियों को चेतावनी दी है। इस प्रकार का वर्गीकरण जो पहले से विद्यमान पदों की मान्यता पर आधारित है, अनुचित या मनचाही तरीके से बनाया गया, नहीं माना गया है।[1] उचित वर्गीकरण से समान सरक्षण का अधिकार भग नही होता।[2]

नियम 6 का उपनियम (2) विभिन्न ग्रेड्स में विभाजित पदों के बारे में हैं। एक ही सेवा में अलग अलग ग्रेड हो सकते हैं और प्रत्येक ग्रेड में विभिन्न सेवाएं सम्मिलित हो सकती हैं मसलन, यदि सचिवालय सेवाओं में (i) सलेक्शन ग्रेड, (ii) ग्रेड प्रथम (iii) ग्रेड द्वितीय, (iv) ग्रेड तृतीय (v) ग्रेड चतुर्थ हैं, तो सलेक्शन ग्रेड और प्रथम ग्रेड राज्य सेवाओं में हो सकते है, ग्रेड द्वितीय अधीनस्थ सेवाओं में सम्मिलित हो सकता है, ग्रेड तृतीय लेखक वर्गीय सेवाओं में सम्मिलित हो सकता है तथा ग्रेड चतुर्थ, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में हो सकता है। इन सेवाओं के नियुक्ति प्राधिकारी नियम 12 में निर्दिष्ट व्यक्ति होंगे।

7 राज्य सेवा में निम्नलिखित होंगे:—

(क) अनुसूची (I) में सम्मिलित सेवाओं के सदस्य।

(ख) ऐसे व्यक्ति जो अनुसूची (I) में सम्मिलित पदों पर अधिष्ठायी हैसियत से कार्य करते हों, और जो किसी दूसरे सेवा के सवर्ग के नहीं हों।

(ग) ऐसे व्यक्ति जिनका एकीकरण विभाग के नियमों के अनुसार उनका अन्तिम चयन होने तक खण्ड (क) में निर्दिष्ट सेवाओं के सवर्गों के पदों पर या खण्ड (ख) में निर्दिष्ट पदों पर तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया हो।

8 अधीनस्थ सेवा में निम्नांकित सम्मिलित होंगे —

(क) अनुसूची (2) में सम्मिलित सेवाओं के सदस्य।

(ख) ऐसे व्यक्ति जो अनुसूची (2) में सम्मिलित पदों पर अधिष्ठायी हैसियत से कार्य करते हों और जो पद किसी दूसरी सेवा के सवर्ग के नहीं हों।

1. AIR 1963 मैसूर–203
2 AIR 1959 आन्ध्रप्रदेश–251

(ग) ऐसे व्यक्ति जिनका एकीकरण विभाग के नियमो के अनुसार उनका अन्तिम चयन होने तक खण्ड (क) मे निर्दिष्ट सेवाओ के सवर्गो के पदो पर या खण्ड (ख) मे निर्दिष्ट पदो पर तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया हो।

9 लिपिक वर्गीय सेवाओ मे निम्नाकित सम्मिलित होगे:—

(क) अनुसूची (3) म सम्मिलित सेवाओ के सदस्य।

(ख) ऐसे व्यक्ति जो अनुसूची (3) मे सम्मिलित पदा पर अधिष्ठायी हैसियत से कार्य करते हो और जो पद किसी दूसरी सेवा के सवर्ग के नही हो।

(ग) ऐसे व्यक्ति जिनका एकीकरण विभाग के नियमो के अनुसार उनका अन्तिम चयन होने तक खण्ड (क) मे निर्दिष्ट सेवाओ के सवर्गों के पदो पर, या खण्ड (ख) मे निर्दिष्ट पदो पर तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया हो।

10 चतुर्थ श्रेणी सेवा मे निम्नाकित सम्मिलित होगे:—

(क) अनुसूची (4) मे सम्मिलित सेवाओ के सदस्य।

(ख) ऐसे व्यक्ति जो अनुसूची (4) मे सम्मिलित पदो पर अधिष्ठायी हैसियत से कार्य करते हो और जो पद किसी दूसरी सेवा के सवर्ग के न हो।

(ग) ऐसे व्यक्ति जिनका एकीकरण विभाग के नियमो के अनुसार उनका अन्तिम चयन होने तक, खण्ड (क) मे निर्दिष्ट सेवाओ के सवर्गो के पदो पर या खण्ड (ख) मे निर्दिष्ट पदो पर तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया हो।

11 (क) सरकार, समय समय पर, अनुसूचियो की प्रविष्टियो मे परिवर्धन या परिवर्तन कर सकेगी।

(ख) जब कोई विद्यमान पद पर किसी भी अनुसूची मे सम्मिलित नही किया गया हो तो ऐसा मामला सरकार के नियुक्ति विभाग मे भेजकर विनिश्चित कराया जाएगा।

टिप्पणी

सेवाओ का वर्गीकरण उपरोक्त भाग 2 मे नियमवद्ध किया गया है। प्रत्येक सेवा की सम्पूर्ण सूची बनाई नहीं जा सकती क्योकि अनेक पद समय समय पर नए बनाए जाते हैं या समाप्त किए जाते हैं। नियम 11 सरकार को ऐसे अधिकार प्रदान करता है जिससे वह इन नियमो से सलग्न सूचियों मे नए नाम जोडने या परिवर्तन करने मे समर्थ हो सके। इससे भिन्न किसी अन्य स्थिति का सामना करने के लिए, नियम 11 का उपनियम (ख) प्रावधान करता है कि यदि कोई पद किसी भी अनुसूची म दर्ज नहीं हो, तो मामला सरकार के नियुक्ति विभाग में निर्णय हेतु भेजा जाएगा। कार्य दक्षता का वाछित स्तर सुनिश्चित करने के लिऐ सरकार वर्गीकरण के नियम बनाने हेतु कानूनन सक्षम है। हो सकता है कि वर्गीकरण वैज्ञानिक रूप से सही या तर्क की दृष्टि से सम्पूर्ण न हो। ऐसी विभिन्नताए जिनसे वर्गीकरण करना जरूरी हो, वास्तविक तथा सारभूत (substantial) और जिन उद्देश्यो को प्राप्ती करनी है उनसे सही एव उचित सम्बन्ध रखने वाली होनी चाहिए।[1] अभिव्यक्ति

1 AIR 1970 सुप्रीम कोर्ट 2178–गगाराम वि भारतीय सघ।

"सेवा का सदस्य" से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जो इन नियमों के अधीन उक्त सेवा में स्थाई रूप से नियुक्त हो।[1] मूल-रचना (cadre) के अतिरिक्त किसी पद पर नियुक्त व्यक्ति सम्बंधित सेवा की सदस्यता से बाहर होना नहीं माना जा सकता।[2]

भाग-3 नियुक्ति प्राधिकारी

12 (1) किसी राज्य सेवा में समस्त नियुक्तियां सरकार द्वारा या इस विषय में सरकार द्वारा विशेष रूप से सशक्त प्राधिकारी द्वारा की जाएगी।

(2) किसी अधीनस्थ सेवा में समस्त नियुक्तियां विभागाध्यक्ष द्वारा या इस विषय में सरकार की स्वीकृति से विभागाध्यक्ष द्वारा विशेष रूप से सशक्त प्राधिकारी द्वारा की जाएगी।

(3) किसी लिपिक वर्गीय सेवाओं तथा चतुर्थ श्रेणी सेवाओं में समस्त नियुक्तियां विभागाध्यक्ष द्वारा इस विषय में जारी किये गये नियमों एवं अनुदेशों के अध्यधीन कार्यालयाध्यक्ष द्वारा की जाएगी।

टिप्पणी

विभिन्न सेवाओं के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारियों की व्यवस्था नियम 12 करता है। राज्य सेवाओं में सभी नियुक्तियां राज्य सरकार करेगी। पहले उपरोक्त तीनों उपनियमों (1) (2) व (3) में शब्द 'समस्त' और नियुक्तियां[3] के मध्य शब्द प्रथम लिखा हुआ था। इसका तात्पर्य यह था कि पहले केवल प्रथम नियुक्ति प्रदान करने वाला ही नियुक्ति प्राधिकारी माना जाता था। परन्तु अब अधिसूचना संख्या एफ 16 (9) नियुक्ति ए/59 ग्रुप 3 दिनांक 23-2 62 द्वारा शब्द "प्रथम" प्रत्येक श्रेणी के लिये लोपित कर दिया गया है। अतः अब राज्य सेवाओं में समस्त नियुक्तियां राज्य सरकार द्वारा की जाती हैं और अधिनस्थ सेवाओं की सारी नियुक्तियां विभागाध्यक्ष करता है। लेखक वर्गीय सेवाओं में सभी नियुक्तियां कार्यालयाध्यक्ष करता है परन्तु निःसंदेह वह सम्बन्धित विभागाध्यक्ष द्वारा जारी किये गये नियमों और निर्देशों से प्रतिबन्धित है। इसी प्रकार चतुर्थ श्रेणी सेवा में समस्त नियुक्तियां विभागाध्यक्ष द्वारा जारी किये गये नियमों और निर्देशों का अनुसरण करते हुये कार्यालयाध्यक्ष करेगा। राज्य सरकार को यह भी अधिकार है कि वह उप नियम (1) के अन्तर्गत किसी अन्य अधिकारी को भी राज्य सेवाओं में नियुक्तियां करने के लिये अधिकार प्रदान कर सके। ऐसी अवस्था में, कथित अधिकारी नियुक्ति प्राधिकारी कहलाएगा। इसी तरह नियम (2) के अधीन विभागाध्यक्ष भी किसी अन्य अधिकारी को अधिनस्थ सेवाओं में नियुक्तियां करने के लिये प्राधिकृत कर सकता है और उस दशा में ऐसा प्राधिकारी नियुक्ति प्राधिकारी कहलावेगा। परन्तु अधिनस्थ सेवाओं के मामले में एक बड़ी शर्त यह है कि इस प्रकार से अधिकार किसी अन्य अधिकारी को सुपर्द करने से पहले विभागाध्यक्ष को राज्य सरकार से अधिकार सुपर्द करने हेतु अनुमति पहले ले लेनी चाहिए। लेखक वर्गीय सेवाओं तथा चतुर्थ श्रेणी सेवाओं के सम्बन्ध में कार्यालयाध्यक्ष नियुक्तियां करने का

1　1970 WLN 302-गोपालकृष्ण वि. राजस्थान सरकार।

2　1970 WLN 302-उपरोक्तानुसार।

3　अधिसूचना संख्या एफ 16 (9) नियुक्ति ए/59 ग्रुप 3 दिनांक 23-2-62 द्वारा शब्द "प्रथम" हटाया गया।

अधिकार किसी अन्य प्रधिकारी को नही सोप सकता तथा उसके लिए यह भी आवश्यक है कि ऐसी नियुक्तियों के सम्बन्ध मे विभागाध्यक्ष द्वारा बनाये गये नियमों व हिदायतो का पालन होता रहे। यदि विभागाध्यक्ष कोई प्रतिबन्ध आरोपित करे या कतिपय पदो के लिए कोई अर्हताए निर्धारित करें तो कार्यालयाध्यक्ष उक्त हिदायतो के प्रतिकूल कार्य नही कर सकेगा। इसी प्रकार यदि विभागाध्यक्ष एसी हिदायत जारी करे कि आगामी आदेशो तक कोई भी नियुक्ति नही की जाएगी तो कार्यालयाध्यक्ष तब तक कोई नियुक्ति नही कर सकेगा जब तक कि विभागाध्यक्ष नियुक्तिया करने के लिये नई हिदायत जारी नही करें।

विभागाध्यक्षो की सूची, अनुसूची (क) मे दी गई है और कार्यालयाध्यक्षो की सूची अनुसूची (ख) मे है, जो इन नियमो के साथ सलग्न हैं।

स्थाई करने वाला प्राधिकारी अर्थात् वह प्राधिकारी जो किसी परिवीक्षा मे रखे गये कर्मचारी (Probationer) की नियुक्ति मूल पद पर परिवीक्षा की अवधि समाप्त होने पर स्थाई करे वही उक्त कर्मचारी का नियुक्ति प्राधिकारी होगा। वह अधिकारी जो किसी व्यक्ति को केवल मात्र परिवीक्षा (Probation) पर रखे, वह उसका नियुक्ति प्राधिकारी नही कहला या जा सकेगा।

नियुक्ति प्राधिकारी की परिभाषा पर, (नियम 2-अनुच्छेद-थ) की व्याख्या करते हुये हम इस परिभाषा पर पहले से ही चर्चा कर चुके हैं।

भाग-4 निलम्बन

13 निलम्बन—(1) नियुक्ति प्राधिकारी या कोई प्राधिकारी जिसके अधीन वह नियुक्ति प्राधिकारी है या सरकार द्वारा इस विषय मे सशक्त कोई भी अन्य प्राधिकारी किसी सरकारी कर्मचारी को निलम्बित कर सकेगाः—

(क) जहा कि उसके विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही करने का विचार है या ऐसी कोई कार्यवाही लबित है, या

(ख) जहा उसके विरुद्ध किसी फौजदारी अपराध के सम्बन्ध मे अन्वेषण या विचारण हो रहा हो :

परन्तु जहा निलबन की आज्ञा नियुक्ति प्राधिकारी से निम्नतर प्राधिकारी द्वारा दी गई है तो उक्त प्राधिकारी, उन परिस्थितियो की रिपोर्ट, जिनमे ऐसी आज्ञा दी गई थी, तुरन्त नियुक्ति प्राधिकारी को देगा।

***राजस्थान सरकार का निर्णय**

राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील) नियम, 1958 के नियम 13 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इन नियमों के नियम 14 मे निर्दिष्ट लघु शक्तियो मे से कोई शास्ति आरोपित करने के लिये सशक्त प्राधिकारी को, राज्य सरकार के कर्मचारी को निलम्बन करने का प्राधिकार प्रदान करती है।

(2) कोई राज्य कमचारी जो किसी फौजदारी दोषारोपण पर या अन्यथा 48 घटो से अधिक समय तक हिरासत मे रखा गया हो, तो उसे हिरासत की तिथि से नियुक्ति प्राधिकारी के आदेश द्वारा निलम्बित किया हुआ समझा जायेगा और वह आगामी आदेश तक निलम्बन मे रहेगा।

---

* अधिसूचना स, एफ 3 (9) नियुक्ति (अ) 62, दिनाक 10 9-62 द्वारा जोडा गया।

जब किसी निलम्बन आदेश मे चल रहे राज्य कर्मचारी पर उसके विरुद्ध जारी की गई बर्खास्तगी या सेवा से हटाये जाने या अनिवार्य सेवा निवृत्ति की शास्ति इन नियमो के अधीन अपील मे या नजरसानी होने पर निरस्त कर दी जाती है और किसी निर्देशन के साथ मामला आगे जाच करने या कार्यवाही करने के लिए लौटा दिया जावे, तो उस कर्मचारी का निलम्बन सेवा स बर्खास्तगी, हटाये जाने या अनिवार्य सेवा निवृत्ति के मूल आदेश की तिथि से पुन. जारी रहना समझा जायेगा और वह आगामी आज्ञा तक प्रभावशील रहेगा।

(4) जब किसी राज्य कर्मचारी पर सेवा से बर्खास्त करने, हटाये जाने, या अनिवार्य सेवा निवृत्ति करने की शास्ति किसी कानूनी न्यायालय के फैसले द्वारा खारिज करदी जावे या शून्य घोषित करदी जाये या प्रभावहीन हो जाये और मामले की परिस्थितियो पर विचार करते हुए अनुशासन प्राधिकारी उन्ही आरोपो पर जिनके आधार पर उसे बर्खास्तगी हटाये जाने या सेवा निवृत्ति की शास्ति मूलतः दी गई थी, आगे जाच करना तय करे तो उक्त राज्य कर्मचारी बर्खास्तगी, हटाये जाने या अनिवार्य सेवा निवृत्ति के मूल आदेश की तिथि से नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निलम्बित किया समझा जायेगा और आगामी आदेशों तक वह निलम्बन मे चलता रहेगा।

(5) इस नियम के अधीन जारी किया गया निलम्बन का आदेश, किसी भी समय, उक्त आदेश देने वाले या देने वाले समझे गए प्राधिकारी द्वारा या ऐसे प्राधिकारी द्वारा निरस्त किया जा सकेगा जिसका उक्त प्राधिकारी अधीनस्थ है।

राजस्थान सरकार के निर्देश

[राजस्थान सरकार की पुस्तिका-अनुशासन कार्यवाहिया, 1963 सस्करण, अनुच्छेद 4]

(i) प्रारम्भिक जाच के फल स्वरुप यदि यह समझा जावे कि दोषी व्यक्ति के विरुद्ध लगाए गए आरोपो की गभीरता को देखते हुए उसे अपने पद पर बने रहने देना सार्वजनिक हित मे नही है या यदि कोई सरकारी कर्मचारी फौजदारी आरोपो के कारण गिरफ्तार किया गया हो, तो ऐसे दोषी (delinquent) को तुरन्त निलम्बित कर देना चाहिए। साधारणत निलम्बन का आदेश नियुक्ति प्राधिकारी से नीचे वाले अधिकारी को नही देना चाहिए। परन्तु यदि सेवा की अत्यावश्यकता (exigencies of the service) को कोई भिन्न कार्यवाही की तुरन्त जरूरत हो, तो निलम्बन का आदेश जारी करने वाले प्राधिकारी को आदेश की पुष्टि नियुक्ति प्राधिकारी से करवा लेनी चाहिए। हाल ही मे राज्य कर्मचारी को निलम्बित करने का प्राधिकार ऐसे अधिकारी को सुपुर्द कर दिया गया है जो सम्बन्धित राज्य कर्मचारी को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील) नियमो के नियम 14 मे विदिष्ट कोई भी लघु शास्ति लागू करने के लिये सक्षम हो। निलम्बन, आदेश की तिथि से या उससे पहले की किसी तिथि से प्रभावित नही करना चाहिये बल्कि चार्ज सुपुर्द करने की तिथि से होना चाहिये। (श्री प्रसाद, 1960 RLW 386), निलम्बन आदेश का प्रमाणिक मजमून (Standardized draft) परिशिष्ट मे दिया गया है।

(ii) निलम्बन का आदेश देने वाले प्राधिकारी के लिये दोषी व्यक्ति को निर्वाह भत्ता देने की स्वीकृति भी देनी अपेक्षित है, जो अधिकाधिक उसका आधा वेतन और उस पर देय महगाई भत्ता होगा।

[निर्वाह भत्ते पर राजस्थान सेवा नियमो का नियम 53 देखिये।]

*(iii) निलम्बित राज्य कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय जाच के लिये समय सारिका —

निलम्बन के अधीन सरकारी कर्मचारियो के विरुद्ध विभागीय जाच में निम्नलिखित समय सारिका निर्धारित की गई है—

(1)	प्रारम्भिक इनक्वायरी (जाच) पूरी करना और अनुशासन प्राधिकारी को चार्ज व आरोपो के विवरण सहित रिपोर्ट प्रेषित करना ।	3 महीने
(2)	प्रारम्भिक इनक्वायरी की रिपोर्ट की जाच करना और दोषी को चार्ज शीट देना ।	1 महीना
(3)	दोषी द्वारा लिखित उत्तर देना ।	कम से कम 3 सप्ताह और ज्यादा से ज्यादा 2 महीने
(4)	लिखित उत्तर की जाच और जाच अधिकारी की नियुक्ति	2 महीने
(5)	विभागीय जाच पूरी करना	3 सप्ताह
(6)	जाच रिपोट (enquiry report) का परीक्षण	2 सप्ताह
(7)	कारण बताओ नोटिस जारी करना	2 सप्ताह
(8)	दोषी द्वारा कारण बताओ नोटिस का उत्तर प्रेषित करना	3 सप्ताह
(9)	कारण बताओ नोटिस के उत्तर की जाच और अतिम आदेश जारी करना	1 सप्ताह

नोट —यदि किसी मामले मे किसी विशेष अवस्था (stage) पर उपरोक्त समय सारिकानुसार कार्यवाही करने म कठिनाई हो, तो अनुशासन प्राधिकारी से किसी विशेष अवस्था (stage) पर समय बढाने की अनुमति प्राप्त की जाएगी । यदि ऐसी कोई कठिनाईया अनुशासन प्राधिकारी को महसूस हो तो वह ऐसी अनुमति अपने अगले उच्च प्राधिकारी से प्राप्त करगा ।

**राजस्थान सरकार के नीनिर्दे

सिवाय उन मामलो के जिनम सरकारी कमचारियो को फौजदारी अपराध की तफतीश या मुकदमा चालू होने के कारण निलम्बित किया गया हो निम्नलिखित सरकारी आदेश राज्य कमचारियो को निलम्बित करने के मामले म दृढता से पालन करना चाहिए ।

(1) निलम्बन करने का रास्ता बहुत सावधानी से अपनाया जाना चाहिए और केवल तभी जबकि राजस्थान (वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील) नियम 1958 के अधीन निर्धारित किसी कठोर शास्ति दोषी कमचारी पर अन्तत लागू करने की सम्भावना हो अथवा जब वह किसी फौजदारी चाज पर गिरफ्तार कर लिया गया हो ।

---

* नियुक्ति (ग–III) विभाग का सरक्यूलर स F 5 (43) नियुक्ति (ए/62 दिनाक 8-2-63 तथा सख्या एफ 2 (9) नियुक्ति (ग–III) 64 दिनाक 23-3-66

** स एफ 3 (28) ए ए–III/69 दिनाक 27 अप्रेल, 1970

(2) निलम्बन के सम्बन्ध मे आदेश जारी करने से पहले, निलम्बन प्राधिकारी के सामने प्रारम्भिक रिपोर्ट और दोषी कर्मचारी का कथन दोनो उपलब्ध होने चाहियें ताकि उपर्युक्त (1) का पालन कर सकें, क्योंकि केवल प्रारम्भिक रिपोर्ट के आधार पर आदेश जारी करना सम्भवत इकतरफा आधार पर होगा।

(3) निलम्बन करने के पश्चात् समय सारिणी के अनुसार कार्यवाही करने का प्रयास करना चाहिए।

एक नया निर्देश निम्नानुसार हैः—

राजस्थान सरकार का निर्देश

I **राष्ट्रीय स्वय सेवक सघ, जमाते इस्लामी और आनन्द मार्ग की गतिविधियो मे भाग लेनाः—आपातकाल (इमरजेन्सी) मे लगाया गया प्रतिबन्ध वापस ले लिया गया है।

II [1]कारण बताओ नोटिस पर निलम्बन—विभागीय जाच के पश्चात् जब राज्य कर्मचारी को नियम 16 (10) के अधीन कारण बताओ नोटिस जारी हो, तो यदि वह पहले ही से निलम्बन म नही हो तो, उसे तुरन्त निलम्बित किया जाना चाहिए।

[2]राजस्थान सरकार का निर्देश

फौजदारी कार्यवाहिया चालू रहने की अवधि मे या ऋण के कारण गिरफ्तारी की कार्यवाही होने पर या किसी कानून के अधीन निवारक नजरबन्दी का प्रावधान करने वाले किसी कानून के (अर्थात् अब मीसा) के अन्तर्गत हिरासत के दरमियान निलम्बन।

(क) जब किसी राज्य कर्मचारी को निवारक नजरबन्दी का प्रावधान करने वाले किसी कानून के अधीन या किसी फौजदारी अपराध या ऋण के फलस्वरूप कार्यवाहियो मे हिरासत मे रखा जाता है और यदि हिरासत की अवधि 48 घण्टो से अधिक हो और यदि वह पहले से ही निलम्बित नही है, तो वह राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील) नियम, 1958 के नियम 13 (2) के अनुसार भावी आदेश होने तक, हिरासत की तिथि से निलम्बित होना समझा जाएगा। जो राज्य कर्मचारी कैद की सजा भुगत रहा हो भी, इसके विरुद्ध अनुशासन कार्यवाही करने का फैसला विचाराधीन रहने पर उसके साथ भी इसी प्रकार का सलूक किया जाएगा,

(ख) जिस सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध, किसी फौजदारी आरोप पर कार्यवाही चालू हो परन्तु जिसे वास्तव म हिरासत म नही रखा गया हो (उदाहरणत जमानत पर छोडा गया व्यक्ति), वह राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील) नियमो के नियम 13 (1) के अनुच्छेद (ख) के अधीन सक्षम प्राधिकारी के आदेश से निलम्बित किया जा सकेगा। यदि चार्ज राज्य कर्मचारी के सरकारी पद से सम्बन्धित है या उसका नैतिक पतन (moral turpitude) का है, तो जब तक कि कोई अन्य रास्ता अपनाने के लिए विशेष कारण न हो तब तक निलम्बन का आदेश इसी नियम के अन्तगत दिया जाएगा

** सख्या F 4 (1) कार्मिक/A–III/74 दिनाक 19 5-1977, 'लेखाविज्ञ' 1977 पेज 1

1 उपरोक्त अधिसूचना जा 'लेखाविज्ञ' 1977 मे पृष्ठ 257 पर प्रकाशित हुई।

2 राज सेवा नियम जिल्द 2 परिशिष्ट I–(II) वित्त विभाग मीमो स 2467–A (1) एफ डी ए /नियम 53 I दिनाक 10-8-1959

(ग) जब किसी राज्य कर्मचारी के विरुद्ध ऋण के लिए गिरफ्तारी की कार्यवाही चालू की गई हो परन्तु जो वास्तव मे हिरासत मे नहीं लिया गया है, तो उसको राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील) नियम 1958 के नियम 13 (1) के अनुच्छेद (क) के अधीन आदेश द्वारा निलम्बित किया जा सकेगा अर्थात् केवल तभी जब कि उसके विरुद्ध अनुशासन कार्यवाही करने का इरादा हो,

(घ) जब कोई राज्य कर्मचारी, जिसे अनुच्छेद (ख) मे उल्लेखित परिस्थितियो मे निलम्बित समझा गया है, बिना अनुशासन कार्यवाही किए पुन स्थापित (re-instated) किया जाता है, तो निलम्बन काल का वेतन और भत्ता नियम 54 के अधीन नियमित किया जाएगा, अर्थात् यदि वह दोष से बरी किया गया है (या उसके विरुद्ध गिरफ्तारी की कार्यवाही ऋण के लिए की गई थी) या यह साबित हुआ हो कि उसका दायित्व ऐसी परिस्थितियो से उत्पन्न हुआ था जो उसके नियन्त्रण मे बाहर थी या किसी सक्षम प्राधिकारी ने उसको हिरासत मे रखना पूर्णतः अनुचित करार दिया हो, तो मामला नियम 54 (2) के अधीन निपटाया जाएगा, अन्यथा नियम 54 (3) के अधीन तय किया जाएगा।"

नोट.—ऊपर नियम 54 का उल्लेख है, उससे अभिप्राय राजस्थान सेवा नियमो के नियम 54 से है।

[1]राजस्थान सरकार का निर्देश

यदि कोई सरकारी कर्मचारी दो वर्ष से अधिक समय से निलम्बित चला आ रहा है (और किसी कानूनी अदालत मे उस पर फौजदारी मुकद्दमा नही चल रहा है) तो दो वर्ष की समाप्ती पर सक्षम प्राधिकारी तुरन्त निलम्बन आदश का पुन निरीक्षण करेगा। यदि उसे निलम्बन करने का आधार तब भी विद्यमान है, तो उसका निलम्बन जारी रहेगा, परन्तु यदि सक्षम प्राधिकारी (जो साधारणतया नियुक्ति प्राधिकारी होगा) यह अनुभव करे कि जिन आधारो पर उसे निलम्बित किया गया था वे अब मौजूद नही हैं अथवा यदि उक्त प्राधिकारी अनुभव करे कि कुछ विशेष परस्थितिया ऐसी हैं जिनसे उस पुन स्थापित करना जरूरी है, तो लिखित म कारण अभिलिखित करके उस राज्य कर्मचारी को पुन स्थापित कर सकेगा। यह पुन. स्थापन विभागीय जाच के मामले पर काई प्रतिकूल प्रभाव नही डालेगा किन्तु जिस मामले म पुन. स्थापन किया गया है, निलम्बन की अवधि क्या समझी जाएगी इसका फैसला तभी किया जाएगा जब कि दोषी के विरुद्ध विभागीय जाच का अतिम निर्णय हो जावे।

जांच प्रारम्भ होने के एक वर्ष पश्चात् जाच अधिकारी विभागाध्यक्ष के माध्यम से (जबकि जांच अधिकारी विभागाध्यक्ष के अतिरिक्त कोई अन्य हो) सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग को सूचित करेगा कि जाच अमुक समय मे समाप्त होनी सम्भव थी और पिछले विलम्ब और भविष्य मे होने वाले विलम्ब का कारण बतलायेगा। तत्पश्चात् सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग को हर तीन महीने प्रगति रिपोर्ट भेजी जाएगी। ऐसे मामलो का पुर्ननिरीक्षण प्रशासन विभाग मे किया जायेगा और उचित आदेश पारित किये जाएगे। जब यह अनुभव किया जाये कि बिना पर्याप्त कारण के जाच म अत्यधिक विलम्ब हुआ है या विलम्ब के पीछे कोई बदनीयती का इरादा था, तो सम्बन्धित जाच

1 नियुक्ति (ए III) विभाग आदेश म एफ 5 (61) नियुक्ति (ए) 62 दि 21 दिसम्बर, 1962)

अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिये नियुक्ति विभाग को लिखा जाना चाहिये।

जब किसी उच्चतर प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील मे अथवा अदालती फैसले के फलस्वरूप या अन्यथा यह ज्ञान हो कि किसी दोषी राज्य कर्मचारी को इसकारण से बरी किया गया है कि जाच अधिकारी या अनुशासन प्राधिकारी ने निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया, तो उसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अवश्य की जानी चाहिए, यदि उन्होने जानबूझ कर निर्धारित प्रक्रिया की अवहेलना की या घोर लापरवाही के कारण निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण नही किया अथवा प्रक्रिया बदनीयती से भग की गई।

जब किसी राज्य कर्मचारी को, जिसे मामले मे जाच विचाराधीन होने से निलम्बन मे रखा गया था, पुन स्थापित किया जाए तो पुन. स्थापित करने मे सक्षम प्राधिकारी को आदेश मे यह अवश्य व्यक्त करना चाहिये कि निलम्बन काल का शुमार किस प्रकार किया जाऐगे तथा उस अवधि के लिये कितना वेतन एव भत्ता दिया जाना है। यदि राज्य कर्मचारी पूरी तरह दोषमुक्त किया जाता है, तो वह पूरे वेतन व मंहगाई भत्ते का हकदार होगा। अन्य मामलो मे उस अनुपात से वेतन तथा भत्ते अनुमन किये जायेंगे जितने सक्षम प्राधिकारी निर्धारित करे। पुनः स्थापन उस तिथि से प्रभावित होगा जिस तिथि को राज्य कर्मचारी अपने पद का यथा स्थान भार सभाले।[1]

प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष के लिए, समस्त विभागाध्यक्षो द्वारा हर वर्ष 15 जनवरी तक निम्नलिखित परिशिष्ठ-2 मे निर्धारित प्रपत्र पर वार्षिक नक्शा भेजा जायेगा जिसमे निलम्बित किये गये राज्य कर्मचारी तथा उनकी विभागीय जाच का नतीजा दर्शाया जायेगा। यह नक्शा राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष देखती है, इसलिये समय पर भेज देना चाहिए।

[राजस्थान सरकार की अनुशासन कार्यवाहियों की पुस्तक अनुच्छेद 4,]

परिशिष्ठ-2

. ... विभाग

वर्ष .... के लिये निलम्बन में रखे गये अधिकारियों/कर्मचारियो के विषय मे विचाराधीन विभागीय जाच के मामलों की अवस्था बतलाई गई है।

क्रम सख्या	अधिकारी/कर्मचारी का नाम तथा पद	आया राजपत्रित अधिकारी है या अराजपत्रित	निलम्बन की तिथि	चार्ज शीट देने की तिथि	जाच करने के आदेश की तिथि
1	2	3	4	5	6

जाच प्रतिवेदन प्राप्त होने की तिथि	निर्णय तथा उसकी तिथि	कानूनी कार्यवाही की अवस्था, यदि कोई हो	विलम्ब के कारण	विशेष विवरण
7	8	9	10	11

1 राज सेवा नियमो का नियम 54.

टिप्पणी

निलम्बन का तात्पर्य:—शब्द 'निलम्बन' की परिभाषा इन नियमों में दी हुई नहीं है। परन्तु निलम्बन का मुख्य अभिप्राय राज्य कर्मचारी को अपने विशेषाधिकार का पद धारण करते हुये और सरकारी हैसियत से कार्य करने में दखल करने से है।[1] अन्य शब्दों में उसे अपने अधिकार प्रयोग करने से या सरकारी पद पर विशेषाधिकार रखने से रोका जाता है और उसे अस्थाई रुप से उसके कार्यों व विशेषाधिकार से अलग रखा जाता है।[2] निलम्बन बर्खास्तगी या सेवा से पृथक करना नहीं होता, इसलिए वह संविधान के किसी प्रावधान को आकर्षित नहीं करता। कर्मचारी को उसके कर्त्तव्य-पालन से अस्थाई रूप में केवल रोका जाता है।[3]

ज्ञात रहे कि सरकार को सजा के रूप में निलम्बित करने का अधिकार नहीं है। निलम्बन का आदेश तभी दिया जाता है जब कि नागरिक कर्मचारी के विरुद्ध कोई विभागीय जाच, या फौजदारी तफतीश या फौजदारी मुकद्दमा विचाराधीन हो। यह आवश्यक है ताकि सरकार और सम्बन्धित कर्मचारी दोनों उलझन की दशा (embarrassing situation) में बच सकें। निलम्बन काल में दोषी अधिकारी को पूरा वेतन नहीं दिया जाकर निर्वाह भत्ता प्रदत्त किया जाता है।[4]

मालिक बिना कोई कारण बताये अपने कर्मचारी को कह सकता है कि वह कार्य नही करे, परन्तु ऐसा आदेश बतौर सजा नही होना चाहिए, और इसीलिये मालिक को अपने कर्मचारी को पूरा वेतन का भुगतान करना होगा।[5]

निलम्बन न तो पदस्तर में पंक्तिच्युत करना है,[6] और न ही सेवा से हटाना है।[7] अतः निलम्बन आदेश जारी करने से पहले दोषी कर्मचारी को नोटिस जारी करना आवश्यक नही है। ऐसा आदेश रिट याचिका द्वारा चुनौती नहीं दिया जा सकता।[8] परन्तु मध्य प्रदेश वि शमशुद्दीन[9] में नागपुर उच्च न्यायालय ने एक भिन्न निर्णय दिया, जिसमे न्यायमूर्ति बोस ने व्यक्त किया कि जब किसी व्यक्ति को निलम्बित किया जाता है तो उसकी राय में उसे उसकी पदपंक्ति से गिरा दिया जाता हैं। परन्तु उसके बाद, कलकत्ता, उड़ीसा, मद्रास, मध्यभारत, पटना, आसाम, आन्ध्रप्रदेश, केरल आदि उच्च न्यायालयो ने नागपुर के निर्णय की पुष्टि नही की। अब तो सर्वोत्तम न्यायालय ने तय कर दिया है कि जाच का निर्णय विचाराधीन रहने, निलम्बन का आदेश, संविधान के अनुच्छेद 311 को आकर्षित नही करता।[10]

---

1. ए. आई. आर 1958 आन्ध्र प्रदेश 619–मोहम्मद आजम वि हैदराबाद सरकार।
2. ए आई. आर. 1964 सुप्रीमकोर्ट 72 तथा ए. आई. आर 1954 कलकत्ता–340.
3. AIR 1954 जम्मू-कश्मीर 14
4. AIR 1961 कलकत्ता 225
5. AIR 1971 सुप्रीम कोर्ट 823–भारत सरकार वि. टी. एन. घोष।
6. AIR 1958 राजस्थान 239–बद्री प्रताप वि. राजस्थान सरकार, 1975 SLJ 333.
7. AIR 1957 सुप्रीम कोर्ट 246; (1974) 1 S L R–90.
8. 1977 Lab I C. (NOC) 105 (कलकत्ता)
9. AIR 1949 नागपुर 118
10. AIR 1957 सुप्रीमकोर्ट 246–मोहम्मद गाऊस वि. मद्रास सरकार।

निलम्बन प्राधिकारी —नियम 13 (1) के अनुसार निम्नलिखित प्राधिकारी निलम्बन आदेश जारी करने का अधिकार रखते हैं:

(i) नियुक्ति प्राधिकारी उपरोक्त नियम 12 के अनुसार; अथवा

(ii) कोई उच्चतर प्राधिकारी जिसका नियुक्ति प्राधिकारी अधिनस्थ है, अथवा

(iii) कोई अन्य प्राधिकारी जिसको राज्य सरकार ने इस प्रयोजन के लिए शक्ति प्रदान की हो।

राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार (अधिसूचना दिनांक 11 सितम्बर, 1962), किसी राज्य कर्मचारी को निलम्बित करने के अधिकार ऐसे सक्षम प्राधिकारी को सुपुर्द कर दिए गए हैं जिसको यह अधिकार हो कि वह सम्बन्धित कर्मचारी को नियम 14 में निर्दिष्ट कोई लघु शास्ति से दण्डित कर सकने नामार्थ निन्दा, वेतन वृद्धि या पदोन्नति रोक देना, सरकारी आर्थिक हानि को पूर्णत या आंशिक रूप से वसूल करना, निम्नतर सेवा, ग्रेड या पद आदि पर अवनत कर देना। यदि निलम्बन करने वाला प्राधिकारी नियुक्ति प्राधिकारी की पद-पंक्ति से नीचे का है, तो उसके लिए यह जरूरी है कि मामले की रिपोर्ट नियुक्ति प्राधिकारी को भेजे।

सरकारी निर्देशन यह भी आज्ञा देता है कि निलम्बन का प्रभाव किसी पिछली तिथि से नहीं हो सकता और न आदेश की तिथि से ही, वरन् पद का भार सुपुर्द करने की तारीख से होगा।

राजकीय सेवाओं के लिए, राज्य सरकार निलम्बन प्राधिकारी है। स्थाई निदेशानुसार, राजकीय सेवाओं के किसी सदस्य को निलम्बित करने का प्रस्ताव मुख्य सचिव तथा मुख्यमन्त्री को विशेष सचिव (DOP) के माध्यम से आदेश और अनुमति हेतु भेजना चाहिये।

निलम्बन प्राधिकारी, निलम्बित व्यक्ति के कागजात को खटाई में डालकर हाथ पर हाथ रखे नहीं बैठ सकता। उसे नियमों द्वारा निर्धारित तरीके से उसके विरुद्ध अनुशासन कार्यवाही प्रारम्भ करनी चाहिये और यदि प्रथम दृष्टि में कोई (prima facie) आरोप नहीं बनता, तो उसे अपना आदेश वापिस लेना चाहिये। राजस्थान सरकार वि. जगदीश चन्द्र[1] में तय किया गया है कि बिना अनुशासन कार्यवाही चलाए इतने लम्बे समय तक निलम्बन आदेश जारी रखना कि जिससे सम्बन्धित अधिकारी की सेवाएं अन्तिम रूप से समाप्त हो गई, प्रकट करता है कि नियुक्ति प्राधिकारी उसके विरुद्ध ईमानदारी से कार्यवाही नहीं कर रहा था। अतएव राजस्थान सरकार ने विभागीय जाचों के लिए एक समय सारिका निर्धारित करदी है, जो ऊपर दी जा चुकी है।[2] यदि निर्धारित समय सारिका के अनुसार किसी अवस्था में काम करना कठिन हो तो अनुशासन प्राधिकारी से समय बढाने की स्वीकृति प्राप्त करनी चाहिए और यदि अनुशासन प्राधिकारी स्वयं ऐसी कठिनाई में हो, तो वह इसी प्रकार की अनुमति अपने अगले उच्चतर प्राधिकारी से प्राप्त करेगा।

नि संदेह उपर्युक्त निर्देशों के पालन नहीं करने से निलम्बन का आदेश गैर कानूनी नहीं होगा, फिर भी जहां तक संभव हो उनका अनुसरण करना ही चाहिये।*

---

1 1976 Lab I c 385 (Rajasthan)

2. सरक्यूलर No F. 5 (43) Appts (A/52) दिनांक 8-2-63 और No F 2 (a) Appts (A–III) 64 दिनांक 26-3-66

* 1976 S C C (L & S) 155

नियोजक को मूल अधिकार होता है जिसमे कि वह अपने कर्मचारी को निलम्बित करने मे सक्षम है। करीब करीब यह एक गर्भित अथवा छिपा हुआ अधिकार है और राज्य कर्मचारी ऐसे आदेश पालन करने के लिए बाध्य है क्योंकि यह उसकी सेवा की एक शर्त है।[1] फिर भी यह आवश्यक नहीं है कि जब भी कोई विभागीय जाच चल रही हो तो कर्मचारी को निलम्बित किया ही जाय।[2] विभागाध्यक्षो और निलम्बित करने के लिए सशक्त अधिकारियो को, "किसी राज्य कर्मचारी को निलम्बित करने के मामले मे अत्यन्त सावधानी और सतर्कता से कार्य करना चाहिए। साधारणत निलम्बित केवल तभी किया जाना चाहिए जबकि सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय जाच चल रही हो या चलाने का विचार हो अथवा जबकि उसके विरुद्ध कोई फौजदारी मामला तफतीश मे हो या मुकदमा चल रहा हो और दोषारोपण की गम्भीरता या अपराध ऐसा हो कि यदि यह साबित हो जाय तो बहुत सम्भव है कि वह उसको सेवा से हटाये जाने या बर्खास्त करने मे परिणित होगी।"[3]

'निलम्बन के सम्बन्ध मे आदेश जारी करने से पूर्व निलम्बन प्राधिकारी के सामने प्रारम्भिक रिपोर्ट और दोषी कर्मचारी का कथन दोनो होने चाहिए।"[4]

विभागीय जाच के पश्चात् कारण बताओ नोटिस-क्या निलम्बन आवश्यक है?—सरकार ने निर्देश जारी किया है कि विभागीय जाच के पश्चात् जब प्रस्तावित शास्ति के बारे मे कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा हो तो नियम 16 (10) के अधीन दोषी कर्मचारी को, यदि वह *पहिले से ही निलम्बित न हो तो निलम्बित कर दिया जाना चाहिए।*[5]

आपातकाल मे सरकारी कर्मचारियो पर राष्ट्रीय स्वय सेवक सघ, जमायत-ए इस्लामी तथा आनन्द मार्ग की गतिविधियो मे भाग लेने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया था, यह प्रतिबन्ध 1977 मे उठा लिया गया है।[6]

'विचार हो' —नियम 13 के अनुच्छेद 1 (क) अनुशासन कार्यवाही के सम्बन्ध मे जो अभिव्यक्ति 'विचार है' लिखी गई है उससे अभिप्राय यह निकलता है कि सम्बन्धित प्राधिकारी ने कर्मचारी के विरुद्ध लगाये गये आरोपो पर विचार किया है और सोचा है और इस विषय मे उपलब्ध सामग्री का निरीक्षण किया है और इस निष्कर्ष पर पहुचा है कि उक्त सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध प्रथम-*वलोकन मे दुराचरण प्रतीत होता है जिससे नियमित जाच करना उचित है। उपनियम (1) के* अधीन निलम्बन का आदेश बोलता हुआ आदेश होना चाहिए अर्थात् निलम्बन का कारण व्यक्त करते हुए होना चाहिए ऐसे आदेश मे निरकुशता की बू नहीं आनी चाहिए क्योकि निलम्बन के परिणाम गम्भीर होते है, *जैसे कि सरकारी कर्मचारी को पूरे वेतन प्रतिष्ठा तथा ख्याति की हानि।*[7]

---

1. 1977 Lab I C 73 (इलाहाबाद) पूर्णपीठ
2. 1971 Lab I C 973-डा एस अय्यर वि मैसूर सरकार
3. अधिसूचना स F 3 (28) AA-III/69 दिनाक 27-4-70 जो पूरा ऊपर दिया जा चुका है।
4. अधिसूचना स D 16633/59F 19 (28) Appointments (A) 60 दिनाक 17-3-60 जो पूरा ऊपर दिया जा चुका है।
5. अधिसूचना स F 9 (34) कार्मिक/A-III/74 दिनाक 19-5-77 जो लेखाविज्ञ 1977 मे पृष्ठ 257 पर प्रकाशित हुआ।
6. उपरोक्तानुसार
7. 1975 lab I C 1190-अर्शादअहमद वि जम्मू कश्मीर सरकार।

जांच के दौरान निलम्बन—का आदेश दोषी कर्मचारी के विरुद्ध चार्ज (आराप) निर्धारित करने से पूर्व या उसके पश्चात् किसी भी अवस्था मे दिया जा सकेगा परन्तु केवल तभी जबकि सावधानी पूर्वक विचार करने के बाद, सम्बन्धित प्राधिकारी इस मत का हो कि विभागीय जाच की उम्माद है या चल रही है। इन नियमो के अधीन निलम्बित करने की शक्ति कौनसी अवस्था मे प्रयोग की जा सकती है वह सदैव प्रत्येक मामले के तथ्यो एव परिस्थितियो पर आधारित होगी।[1]

निलम्बन से पूर्व नोटिस देना आवश्यक नहीं—किसी सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध निलम्बन का आदेश देने से पूर्व उसे नोटिस देना आवश्यक नही है।[2] इसका कारण यह है कि निलम्बन केवल उसे पद से अस्थाई रूप मे वंचित करना मात्र है। यह सजा देने का कार्य अंतिम आदेश नही होता।[3] जाच के दौरान या फौजदारी मुकदमे के दौरान निलम्बन सजा के बतौर निलम्बित करने से सर्वथा भिन्न है, जो कि एक अलग मामला है।[4]

स्वत निलम्बन या अर्थात् समझा गया निलम्बनः—निम्नलिखित परिस्थितिया ऐसी हैं जिनमे नियम 13 के उप नियम (2) (3), तथा (4) के अनुसार सरकारी कर्मचारी को भविष्य के आदेश तक निलम्बित किया हुआ समझा जायेगा —

(i) जबकि सरकारी कर्मचारी को किसी फौजदारी दोषारोपण पर या अन्यथा 48 घण्टो से अधिक समय तक हिरासत मे रखा गया है, तो हिरासत मे लेने की तारीख से, अथवा

(ii) जबकि सेवा से बर्खास्तगी या हटाये जाने या अनिवार्य सेवा निवृत्ति का आदेश अपील या नजरसानी मे निरस्त कर दिया गया हो और मामले को आगे जाच के लिए या आगे की कार्यवाही के लिए या अन्य किसी निर्देशो के साथ वापस भेजा गया हो। ऐसा निलम्बन बर्खास्तगी, सेवा से हटाये जाने या अनिवार्य सेवा निवृत्ति के मूल आदेश से जारी रहना समझा जाएगा, अथवा

(iii) जबकि बर्खास्तगी, सेवा से हटाए जाने, या अनिवार्य सेवा निवृत्ति की शास्ति किसी कानूनी अदालत द्वारा खारिज कर दी गई हो या शून्य घोषित कर दी गई हो या शून्य हो गई हो और अनुशासन प्राधिकारी उन्ही मूल आरोपो के विषय मे जिनमे राज्य कर्मचारी को पहले सजा देने का आदेश दिया गया था, फिर से जाच करना तय करे।

उपर्युक्त परिस्थितिया मे निलम्बन का कोई औपचारिक आदेश जरूरी नही है फिर भी सम्बधित सरकारी कर्मचारी निलम्बन मे रखा गया समझा जाएगा। सूर्य कुमार चटर्जी वि एस एन बनर्जी[5] मे निर्णय हुआ कि जिस अवधि मे सरकारी कर्मचारी हिरासत मे या जेल मे बन्द रहा उस काल मे स्वत वह निलम्बन मे होना समझा जाएगा। जबकि हिरासत मे या जेल मे रखे जाने की अवधि के

---

1 1977 Lab I C 73–पूर्णपीठ निर्णय जिसने 1974 इलाहाबाद L J 282–जवाहरलाल भार्गव वि सरकार के निर्णय को खंडित किया।
2. AIR 1964 मद्रास 518
3 AIR 1963 मणीपुर 28
4. AIR 1964 सुप्रीम कोर्ट 787
5. AIR 1955 कलकत्ता 365

लिए निलम्बन का कोई विशिष्ट आदेश आवश्यक नहीं था, परन्तु जिन दिनों वह वास्तव में हिरासत में या जेल में अवरुद्ध नहीं था उस समय के लिए विशिष्ट आदेश आवश्यक था।

नियम 13 (3) और नियम 13 (4) के प्रभाव में राज्य कर्मचारी के लिए कोई महत्वपूर्ण अन्तर नहीं है क्योंकि दोनों अवस्थाओं में निलम्बन, बर्खास्तगी, सेवा से हटाए जाने या अनिवार्य सेवा निवृत्ति के मूल आदेश से प्रभावशील होगा और आगामी आदेश तक जारी रहेगा।

हिरासत से छूटने के बाद, जैसे ही राज्य कर्मचारी बाहर आवे, वह पुनःस्थापन (re-instatement) का हकदार होता है। अतः ऐसी रिहाई के बाद, यदि सम्बन्धित प्राधिकारी, जाच बिठाना तय करे तो उस कर्मचारी को निलम्बित कर सकेगा, अर्थात् पुनः स्थापन की आज्ञा जारी करते समय, साथ ही उसे निलम्बित करने का आदेश प्रदान कर सकेगा।[1]

फौजदारी जाच या मुकदमा चालू रहने, फौजदारी कार्यवाहियों के अन्तिम निपटारे तक निलम्बन प्रभावशील रहेगा। अतः जैसे ही कर्मचारी के बरी होने या डिसचार्ज होने के साथ इन कार्यवाहियों का अन्त हो वैसे ही निलम्बन आदेश स्वतः ही प्रभावहीन हो जाएगा। इसलिए ऐसी समाप्ती के तुरन्त बाद सम्बन्धित राज्य कर्मचारी निलम्बन की तिथि से पूरे वेतन तथा भत्ता का हकदार हो जाएगा।[2]

ताजे निलम्बन आदेश की आवश्यकता—जब किसी राज्य कर्मचारी का दन्डीकरण (Conviction) अपील में खारिज हो जाता है और जबकि निलम्बन का अन्तरिम आदेश वापिस लिया जा चुका था, तो विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ करने में निलम्बनका पूर्व आदेश स्वतः पुनर्जिवित नहीं होगा।[3]

जब किसी कर्मचारी को उसके विरुद्ध विचाराधीन फौजदारी मुकदमे के कारण निलम्बित किया गया था तो अदालत द्वारा उसके पक्ष में बरी करने का फैसला होने पर, वह पुनः स्थापन का हकदार हो गया। दोषमोचन(Acquittal) की तिथि से उसके पुनः स्थापन के अधिकार पर इस कारण से कोई रुकावट नहीं होगी कि उसको बरी करने के आदेश के विरुद्ध सरकार ने अपील दायर की है।[4]

ऐसे सरकारी कर्मचारी के लिए जिसके विरुद्ध फौजदारी दोषारोपण की कार्यवाहियां चल रही हो परन्तु जो वास्तव में हिरासत में नहीं हो (उदाहरण जमानत पर छूटा हुआ), सक्षम प्राधिकारी द्वारा निलम्बन का स्पष्ट आदेश जारी किया जाना अपेक्षित है। जबकि दोषारोपण उसके सरकारी पद से सम्बन्धित है अथवा उसमें कोई नैतिक पतन सम्मिलित है, तो जब तक कि कोई भिन्न रास्ता अपनाने के लिए विशेष कारण विद्यमान न हो तब तक नियम 13 (1) के अनुच्छेद (ख) के अधीन साधारणतः उसको निलम्बित करने का आदेश जारी किया जाना चाहिए।[5]

सरकारी आदेश यह भी निर्धारित करते हैं कि जब किसी राज्य कर्मचारी के विरुद्ध ऋण के कारण गिरफ्तारी की कार्यवाही शुरू की गई हो परन्तु जो वास्तव में हिरासत में नहीं रखा गया हो तो उसको निलम्बित करने के आदेश नियम 13 (1) के अनुच्छेद (क) के अधीन केवल तभी जारी

1. 1975 lab I C 1190 (जम्मू कश्मीर) मकबूल अहमद वि जम्मू-कश्मीर सरकार।
2. AIR 1964 सुप्रीम कोर्ट 787, 1976 lab I C 1503 (D B) आर पी कपूर वि भारतीय सघ।
3. 1976 lab I C 1503 (गन्ट पॉइंट)।
4. 1977 Lab. I C. 1325 (जम्मू तथा काश्मीर)
5. ऊपर उल्लिखित राजस्थान सरकार के आदेश।

क्यो जायेंगे जब उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का विचार हो।

जब किसी राज्य कर्मचारी को जो अनुच्छेद (ब) मे उल्लेखित परिस्थितियो मे निलम्बन के अधीन समझा गया था बिना कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही किये पुन. स्थापित किया जाता है, तो उसका वेतन व भत्ते निलम्बन अवधि के दौरान राजस्थान सेवा नियमो के नियम 54 के अधीन नियमित किए जाने चाहिये।

यदि वह उसके विरुद्ध लगाये गये आरोपो से दोषमुक्त हो गया हो या यदि उसकी गिरफ्तारी की कार्यवाही ऋण के लिये थी अथवा यह साबित हो जाए कि उसका दायित्व ऐसी परिस्थितियो से उत्पन्न हुआ था जो उसके नियन्त्रण के बाहर थी अथवा गिरफ्तारी पूर्णतः अनुचित निर्णित की गई हो तो कर्मचारी का मामला राजस्थान सेवा नियमो के नियम 54 (2) के अधीन निपटाया जाएगा और यदि अन्यथा हो, नियम 54 (3) के अन्तर्गत।

इसके विपरीत जबकि सरकारी कर्मचारी दोषी साबित हुआ हो और उस आधार पर उसे दण्डित किया गया हो, तो निलम्बन की अवधि में भुगतान का मामला राजस्थान सेवा नियमो के अनुच्छेद (3) तथा (5) के अन्तर्गत तय किया जायेगा। ऐसे मामले मे साधारणतः सेवा से गैर हाजरी सेवा की अवधि नही समझी जायेगी। मामला तय करने से पहले दोषी कर्मचारियो को कोई नोटिस देना जरूरी नही है।[1] परन्तु जब कि अपील मे राज्य कर्मचारी को पूर्णत दोषमुक्त कर दिया था और उसे पुनः स्थापन करने का आदेश हुआ, फिर भी राज्य सरकार ने अपील तय करते हुए आदेश दिया कि अनिवार्य सेवा निवृति की तिथि और उसके वापस नौकरी पर जाने की तिथि के मध्य का काल विशेष अवकाश के रूप मे शुमार किया जायेगा, तो राजस्थान उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि ऐसे मामले मे प्रार्थी को प्रस्तावित कार्यवाही के विरुद्ध कारण बताने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिये था। चू कि नवरतन मल व्यास वि राजस्थान सरकार[2] मे ऐसे नोटिस का अभाव था इसलिए विचाराधीन आदेश इस आधार पर खारिज किया गया कि उसमे प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त का उल्लघन किया गया था।

यहा राजस्थान सेवा नियमो का नियम 54 उद्धृत करना लाभकारी होगा।

(1) 'नियम 54 (1)-पुन स्थापन,—जब किसी राज्य कर्मचारी को जिसे सेवा से बर्खास्त या हटा दिया गया था या शास्ति स्वरूप अनिवायत: सेवा निवृत्त कर दिया गया था या निलम्बित कर दिया गया था वह पुन'स्थापित किया जाना है तो पुन स्थापित करने वाला सक्षम अधिकारी उस पर विचार करेगा और निम्न बिन्दुओ पर विशिष्ट आदेश प्रदान करेगा —

(क) काम म अनुपस्थिति के काल मे या विश्राम वृत्ति आयु पर सेवा निवृत्त होने की तिथि को निलम्बन की अवधि, यथा स्थिति, मे कर्मचारी को देने वाले वेतन व भत्तो के विषय मे; तथा

(ख) आया उक्त अवधि काम पर रहने के काल मे शुमार की जाएगी या नही।

(2) जब ऐसा सक्षम प्राधिकारी यह धारणा करे कि राज्य कर्मचारी पूर्णत. दोषमुक्त हो गया है, अथवा निलम्बन के मामले मे यदि निलम्बन पूर्णतः अनुचित था तो राज्य कर्मचारी को पूरा वेतन

1. 1977 WLN 245 –गजराजा सिंह वि राजस्थान सरकार
2. 1974 WLN—877.

तथा महगाई भत्ता दिया जायेगा जिसका कि वह हकदार होता, यदि वह शास्ति के रूप मे सेवा से बर्खास्त या पृथक या अनिवार्यत: सेवा निवृत नहीं किया जाता या निलम्बित नही किया जाता, जैसी भी स्थिति हो।

(3) अन्य मामलों मे, राज्य कर्मचारी को उस अनुपात से वेतन तथा महगाई भत्ता दिया जायेगा जैसा कि सक्षम प्राधिकारी निधारित करे।

(4) उप-खण्ड (2) के अधीन आने वाले मामलो मे काम से अनुपस्थिति के समय को सभी प्रयोजनो के लिए कार्य पर व्यतीत किया गया समय समझा जायेगा।

(5) उप-खण्ड (3) के अधीन आने वाले मामले मे काम से अनुपस्थिति का समय काम पर व्यतीत किया गया काल तब तक समझा जायेगा जब तक कि सक्षम प्राधिकारी विशिष्ठत: ऐसा निर्देश नही दे कि उक्त अवधि किसी विशेष प्रयोजन के लिये बिताई गई समझी जायेगी।

परन्तु शर्त यह है कि यदि राज्य कर्मचारी एसा चाहे तो उक्त प्राधिकारी निर्देश दे सकेगा कि कार्य से अनुपस्थिति का समय कर्मचारी के बकाया तथा स्वीकृत योग्य किसी प्रकार के अवकाश मे परिवर्तित कर दिया जावे।"

बर्खास्तगी के आदेश के साथ निलम्बन आदेश समाप्त हो जाता हैं; जब बर्खास्तगी खारिज की जावे तो वह पुर्नजीवित नहीं होता —ओम प्रकाश गुप्ता विरूद्ध यू पी सरकार[1] मे प्रार्थी, जो पहले निलम्बन में था उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था जिससे निलम्बन का आदेश समाप्त हो गया तथा प्रभावहीन हो गया। बाद मे सिविल न्यायालय ने बर्खास्तगी के कथित आदेश को अवैध घोषित किया। इसमे निर्णय हुआ कि सिविल न्यायालय से जो निलम्बन आदेश पहले से ही समाप्त हो चुका था वापस पुर्नजीवित नही हुआ।

राजस्थान उच्च न्यायालय ने भैरों प्रसाद वि राजस्थान सरकार[2] मे भी यही सम्मति प्रकट की है, जिसमे यह कहा गया है:—

"न्यायालय द्वारा सेवा मे बर्खास्तगी का आदेश खारिज कर दिए जाने से, जाच के दौरान लागू पहले का निलम्बन आदेश बहाल नही होता। यह महत्वहीन है कि आया बर्खास्तगी का आदेश, मामले के गुण-अवगुण पर खारिज किया गया या सावधान के अनुच्छेद 311 के प्रावधानो का अनुपालन नही करने से या प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो की अवहेलना के कारण निरस्त किया गया।"

ऐसे मामलो का सामना करने के प्रयास मे, पूर्वगामी प्रभाव से ताजा निलम्बन आदेश जारी करने की भी न्यायालयो ने भर्त्सना की है और उसे अवैध ठहराया है।[3] इस प्रकार के निर्णयो के फल स्वरूप भारत सरकार तथा राजस्थान सरकार को भी नियमो मे सशोधन करना पड़ा। कानून की सही स्थिति जयवत राय वि. राजस्थान सरकार[4] मे भी निम्नानुसार स्पष्ट की गई है —

"जब कोई विभागीय जाच के दौरान दिया गया निलम्बन का आदेश बाद मे दिये गये सेवा मुक्ति के आदेश मे विलीन हो जाता है और तत्पश्चात सेवा मुक्ति का आदेश किसी कानूनी अदालत

1. AIR 1955 सुप्रीम कोर्ट 600
2. ILR 1960 राजस्थान 952
3. 1957 RLW 587.
4. 1963 RLW 374

द्वारा या ऐसा करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा खारिज कर दिया जावे, तो निलम्बन का आदेश पुनर्जीवित नहीं हो सकता क्योकि वह कनई विद्यमान ही नही है और आगे स्थिति यह है कि कानूनी प्राविहृनि (Statutory Authority) के अभाव मे, पूर्वकालीन प्रभाव से ताजा निलम्बन आदेश नही दिया जा सकता ।[1]

ऐसा एक मामला सर्वोत्तम न्यायालय के सामने देवेन्द्र प्रताप नारायण राय शर्मा वि उत्तर प्रदेश सरकार[2] म प्रस्तुत हुआ, जिसम निम्नलिखित निर्णय दिया गया :—

"उच्च न्यायालय ने दावे मे डिक्री इस आधार पर जारी की कि शास्ति आरोपित करने की प्रक्रिया अनियमित थी और एसा निर्णय राज्य सरकार को उसी विषय म, सविधान के अनुच्छेद 310 और 311 के प्रावधानो के अनुकरण मे दूसरी जाच प्रारम्भ करने से नहीं रोक सकता । इसलिए, जब किसी सार्वजनिक कर्मचारी पर किसी जाच म शास्ति लागू करने का आदेश दीवानी अदालत द्वारा खारिज कर देने के पश्चात, उसके विरूद्ध आगे कार्यवाही शुरू की जा सकनी है, यद्यपि, उस कार्यवाही मे जिसमे जाच का आदेश निरस्त किया गया था, सम्बन्धित सार्वजनिक कर्मचारी के विरुद्ध लगाए गए आरोपो के गुण-अवगुणो की छान बीन कभी नहीं हुई थी । यदि राज्य सरकार नई जाच के आदेश देने मे सक्षम थी, तो कोई कारण नही है कि वह जाच के दौरान अपीलकर्ता को निलम्बन करने के लिए अक्षम रहे ।[6] परन्तु ऐसे मामले म निलम्बन का ताजा आदेश जारी करना चाहिए ।

केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील) नियम, 1965 का नियम 12, राजस्थान (वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील) नियमो के नियम 13 के समान है । खम चद वि. भारतीय सघ[3] के मामले मे सर्वोत्तम न्यायालय ने तय किया कि "केन्द्रीय नियमो के नियम 12 (1) के अधीन बर्खास्तगी के मूल आदेश की तिथि से, राज्य कर्मचारी निलम्बित किया गया समझा जाएगा । परन्तु यह प्रावधान इस स्थिति को प्रभावित नही कर सकता कि पहले का आदेश प्रभावहीन था और अपीलकर्त्ता 25 मई, 1953 को सेवा का सदस्य था जब कि अपीलकर्त्ता ने पहला दावा दायर किया । निलम्बन का आदेश सरकारी कर्मचारी की सेवा का अन्त नही करता । निलम्बन आदेश के बावजूद वह राज्य सेवा का सदस्य बना रहता है । जब 17 दिसम्बर, 1951 को बर्खास्तगी का आदेश हुआ तो अपीलकर्त्ता की सेवा समाप्त हो गई । बाद मे जब बर्खास्तगी का आदेश विखण्डित कर दिया गया तो अपीलकर्त्ता की सेवा पुन जीवित हो गई और जब तक अपीलकर्त्ता को बर्खास्त करने का अन्य आदेश नही होता या अपीलकर्त्ता कि सेवा किसी अन्य तरीके म समाप्त नहीं की जाती तब तक अपीलकर्त्ता सेवा का सदस्य बना रहेगा और निलम्बन का आदेश उसकी स्थिति को किसी भी प्रकार स प्रभावित नही कर सकता । निलम्बन के आदेश का वास्तविक प्रभाव यह है कि यद्यपि वह सेवा का सदस्य बना रहा, तथापि उस काम करने की इजाजत नही थी और आगे यह भी कि, निलम्बन काल म उसे केवल कुछ भत्ता मिला जिसे आमतौर से 'निर्वाह भत्ता' कहते हैं जो साधारणतः वेतन मे कम होता है बजाय उस वेतन और भत्तो के जिसे, यदि वह निलम्बित नहीं किया जाता तो पाने का हकदार होता ।"

1 1963 RLW 374

2 AIR 1962 सुप्रीम कोर्ट 1334 (1336)

3 AIR 1963 सुप्रीम कोर्ट 687.

इसी फैसले म सर्वोत्तम यायालय ने तय किया कि जहाँ तक नियम 12 (4) (ग्रर्थात् राजस्थान का नियम 13 (4) सविधान के ग्रनुच्छेद 19 (1) (च) के ग्रधीन प्रदत्त ग्रधिकारा पर प्रतिबध लगाता है, तहा तक वह ग्राम जनता के हितो म एक उचित प्रतिब ध है। ग्रत यह नियम सवैधनिक प्रावधाना का उल्लघन नहीं करता।

सर्वोत्तम न्यायालय के उपर्युक्त फैसले के बाद केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील) नियम 1965 म सशोधन किया जिसम 'निलम्बन स सम्बधित नियम 10 के शब्दो म परिवतन किया परन्तु सिद्धान्त वही रहा। सशोधित नियम 10 सर्वोत्तम न्यायालय क समक्ष एच एल महरा वि भारत सरकार[2] म प्रस्तुत हुआ। इसम निणय हुआ कि —

(i) चू कि ग्रपीलकत्ता क विरुद्ध दिया गया निलम्बन का पूवगामी ग्रादेश उसको बर्खास्त करते समय समाप्त हो गया इसलिये उसका प्रभाव जारी नहीं रह सकता था। ग्रत बर्खास्तगी के बाद निलम्बन ज री रहना ग्रवैध था।

(ii) नियम 10 का उप नियम (4) (राजस्थान का नियम 13 (4)) किसी न्यायालय द्वारा बर्खास्तगी विखण्डित करने तथा उन्ही ग्रारोपो पर नई जाच बिठाने से निलम्बित करन के लिये प्रावधान करता है। इस नियम के ग्रन्तगत जबकि नई जाच के ग्रारोप मूल जाच क ग्रारोपो स भिन्न हो तो निलम्बन नहीं किया जा सकता।

(iii) बर्खास्तगी के ग्रादेश स मालिक और नौकर का सम्बन्ध विच्छेद हो जाता है। इसलिए जब यह सम्बन्ध बर्खास्तगी द्वारा समाप्त हो जाता है तो निलम्बन का पूवगामी ग्रादेश लागू रहना जारी नहीं रहेगा।

(iv) जब कोई प्राधिकारी ग्रपनी शक्तिया के ग्रधीन रहते कोई ग्रादेश पारित करता है तो उक्त ग्रादेश कवल इस कारण म विफल नहीं हो सकता कि वह कानून के किसी गलत प्रावधान के ग्रधीन दिया हुआ था, यदि वह किसी ग्रन्य कानून के प्रावधान के ग्रन्तगत उसकी शक्तिया के भीतर था।

परन्तु यदि पुन स्थापन का कोई ग्रादेश विखण्डित किया जाता है तो सम्बधित दोषी सरकारी कमचारी निलम्बन की ग्रपनी पिछली स्थिति म लौट जाएगा।

निलम्बन काल को ग्रत्यधिक लम्बा करना सरकार ने इसे गभीरता से लिया है — ऐसे ग्रनक मामले हुए है जिनम निलम्बन काल ग्रत्यधिक लम्बा हुआ जो मुक्त भोगी दोषी कमचारियो की बार म्बार शिकायतो का कारण बना। राजस्थान सरकार ने भी एसे मामलो मे गम्भीर मत धारण किया है जो नियुक्ति विभाग (A III) द्वारा जारी ग्रादेश स F (61) (A) 62 दिनाक 19 12 1962 से स्पष्ट है। इस निर्देश को पूणत ऊपर उद्धत किया जा चुका है। इस निर्देश के ग्रनुसार सक्षम प्राधिकारी को 2 वष की निलम्बन ग्रवधि समाप्त होन पर मामल पर पुनविचार करना चाहिये।

ग्रब राजस्थान सरकार न एक वष से ग्रधिक चल रहे निलम्बन के मामला का पुनरावलोकन

1 1974 SCC (L & S) 351

2 1976 SCC (L & S) 571—बलदेव राज गुलयानी वि पजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय तथा हरियाणा राज्य वि बलदेव राज गुलयानी AIR 1976 SC 490

करने के लिये एक पुनरवालोकन समिति भी नियुक्त की है और विभागीय जाचो को जल्दी से निपटाने के लिए समय-समय पर पुनरावलोकन करने के निर्देश जारी किये हैं, देखिये-स F 9 (30) कार्मिक (A-III)77 दिनाक 26 अगस्त, 1977 तथा स F 9(30) कार्मिक(A-III)/77 दिनाक 29 अक्टूबर, 1977, और आदेश स F 9 (2) कार्मिक (A 3) 76 दिनाक 4 मई, 1977 । तद्नुसार, छ मास से अधिक समय से चल रहे निलम्बन के मामलो मे, हर छ महीने पश्चात् उच्चतर प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है ।*

प्रत्येक जाच या मुकद्मे की अवस्था (stage) और निपटारे के कारण दर्शाते हुए वार्षिक विवरण पत्र भी प्रेषित करने पड़ते हैं। यदि यह पाया जावे कि किसी अनुशासन प्राधिकारी ने जानबूझ कर या लापरवाही से निर्धारित प्रक्रिया की अवहेलना की, जिसके कारण अदालती फैसले के फल स्वरूप या अन्यथा, निलबित कर्मचारी का सेवा म पुन स्थापन हुआ, तो अनुशासन प्राधिकारी के विरूद्ध उचित कार्यवाही भी की जा सकती है । पुन स्थापन उस तारीख से प्रभावशील होगा जिस तारीख को सरकारी कर्मचारी नियुक्त किए गए अपने स्थान पर अपने पद का भार ग्रहण करता है ।**

निलम्बन आदेश निरस्त करना—नियम 13 का अनुच्छेद (5) निलम्बन आदेश जारी करने वाले प्राधिकारी को या उस अधिकारी को जिसकी प्राधिकृति के अधीन उक्त आदेश जारी किया जाना समझा गया है, कथित निलम्बन आदेश निरस्त करने (revoke) की शक्ति प्रदान करता है । कार्यवाहियो की किसी भी अवस्था (stage) पर वह ऐसा कर सकता है अर्थात् जब भी वह आदेश निरस्त करना न्यायिक या उचित समझे । ऐसा वरिष्ठ अधिकारी भी जिसका निलम्बन प्राधिकारी मातहत है, उसके अधीनस्थ अधिकारी द्वारा जारी किया गया निलम्बन आदेश निरस्त कर सकता है ।

राज्य सरकार ने कार्मिक विभाग के दिनाक 31 अक्टूबर, 1977 के आदेश द्वारा+ स्पष्ट किया है कि राज्य सेवाओ (State Services)के सदस्यो के लिए निलम्बन प्राधिकारी राज्य सरकार है। ऐसे मामले मे निलम्बन का प्रस्ताव सम्बधित विभाग के शासन सचिव द्वारा आदेश और अनुमोदन हेतु मुख्य सचिव एव मुख्य मन्त्री को विशेष सचिव (DOP) के माध्यम स भेजा जाना चाहिये ।

अनियमित निलम्बन आदेश:—निम्नलिखित कतिपय उदाहरण हैं, जिनमे निलम्बन आदेश अवैध ठहराए गए।

निलम्बन जिसका प्रभाव किसी पिछली तिथि से हो वह अवैध होगा ।[1] निलम्बन या तो उस तारीख से प्रभावित होना है जिस दिन आदेश, सम्बन्धित कर्मचारी को पहुचे,[2] या उस तारीख से जिस दिन वह अपने पद का प्रभार सुपुर्द करे ।[3] जब आदेश हस्ताक्षरित न हो अथवा जब उस पर ऐसे प्राधिकारी के हस्ताक्षर हो जिसको निलम्बन करने का प्राधिकार ही प्राप्त नही था तो ऐसा आदेश प्रभाव-

---

* 'लेखाविज्ञ" 1977 पृष्ठ 310

** "लेखाविज्ञ" 1977 पृष्ट 310

\+ स एफ 9 (51) कार्मिक (AIII) दिनाक 31-10-1977

1 1963 RLW 374, 1973 SLJ 366

2 1964 SCR 733, ILR (1962) 15 (2) पजाब 642, AIR 1970 S. C 214

3 1960 RLW 386 श्री प्रसाद वि राजस्थान राज्य

हीन हो जाएगा।[1] जब किसी राज्य कर्मचारी को एसी जाच के दौरान निलम्बित किया गया था जिसमे चार ग्रारोप लगाये गये थे, जिनमे वह ग्रारोप भी सम्मिलित था जिसमे वह दोषमुक्त किया जा चुका था, तो न्यायालय ने निलम्बन का ग्रादेश ग्रनियमित होना घोषित किया।[2] जब नैतिक पतन का कोई प्रश्न नही था तो निलम्बन करना ग्रनावश्यक समझा गया। जब कर्मचारी को सेवा मे कार्यरत रखने म कोई प्रशासनिक कठिनाई सभावित न हो तो उसे किसी ग्रन्य स्थान पर स्थानान्तरित किया जा सकता है, ग्रौर निलम्बित करने की ग्रावश्यकता नही रहती। किसी तकनीकी ग्रनियमितता के कारण जाच के दौरान निलम्बित करना उचित नही है।[3]

निलम्बन के ग्रन्तरिम ग्रादेश के ग्रौचित्य का प्रश्न किसी न्यायिक ग्रदालत मे नही उठाया जा सकता क्योकि वह ग्रादेश शास्ति के रूप मे नही होता। वह सविधान के ग्रनुच्छेद 311 (2) के ग्रन्तर्गत नही ग्राता। निलम्बन करने का ग्रधिकार ग्रौर निलम्बन का ग्रौचित्य दो ग्रलग-ग्रलग मामले है। यह स्वीकारोक्ति कि सरकार प्रार्थी का निलम्बित करने के लिए सक्षम है यह स्वीकार नही किया जा सकता कि निलम्बन उचित था।[3]

बदनीयती से निलम्बन.—बदनीयती से निलम्बन करने की प्रवृत्ति की सदैव भर्त्सना की गई है। ग्रर्शाद ग्रहमद वि जम्मू-काश्मीर सरकार[4] म न्यायालय नेपाया कि निलम्बन ग्रनिश्चित लम्बे काल के लिए जारी रहा, उसे ग्रवैध ग्रौर नैतिकता की दृष्टि से ग्रपमानजनक करार दिया गया। उसको बदनीयती से प्रेरित तथा कष्टदायक भी कहा जा सकता है। इसलिए उच्च न्यायालय ने ग्रनुच्छेद 226 के ग्रन्तर्गत ग्रपनी शक्तियो का प्रयोग करते हुए पीडित राज्य कमचारी को मुग्रावजा दिलाने के लिए चढे हुए वेतन पर 6% की दर से ब्याज दिलवाया। उन्होने ग्रपना निणय AIR 1958 इलाहाबाद 246 ग्रौर 1972 SLR 711 (जम्मू-काशमीर) पर ग्राधारित किया। इसके ग्रतिरिक्त, निलम्बन ग्रादेश जारी करते हुए प्राधिकारी को ऐसा करने के कारण भी ग्रभिलिखित करन चाहिये। ग्रादेश न्यायिक तथा बाहरी प्रभावो से मुक्त होने चाहिये। राजनैतिक दबाव के ग्रधीन दिया गया निलम्बन का ग्रादेश खारिज किया गया।[5]

निलम्बन के दौरान सेवा निवृत्ति की ग्रायु प्राप्त करना—यदि जाच चलू हो ग्रौर दोपी राज्य कमचारी निलम्बन में हो ग्रौर वह सेवा निवृत्ति की ग्रायु प्राप्त कर ले तो वह स्वतः सेवा निवृत्त नही होगा। पहले, राजस्थान सेवा नियमो का नियम 56 (ख) कर्मचारी का उमे मामले म ग्रन्तिम निर्णय नही होने तक रिटायर होने की ग्रनुमति नही देना था। वित्त विभाग के मीमो स F 7 क (22) F D–A/Rules/59 दिनाक 3-10-1960 के ग्रनुसार ग्रनुशासन कार्यवाही खतम होने से पहले कर्मचारी को रिटायर होने की इजाजत नही दी जा सकती थी। परन्तु ग्रब राजस्थान सेवा नियमो का नियल 56 दिनाक 6-8-1963 मे निरस्त कर दिया गया है। ग्रत· नियम 210 (ग) लागू होता है जिसके ग्रधीन सक्षम प्राधिकारी, विशेष परिस्थितियो मे, किसी कर्मचारी को सेवा स रिटयर होने की ग्रनुमति प्रदान कर सकना है।

1. AIR 1958 कलकत्ता 239
2. AIR 1961 मैसूर 37
3. 1967 SLR 636, 1969 Lab I C 1171
4. 1975 Lab I C 1190.
5. 1970 SLR 520.

निर्वाह भत्ता —

निलम्बन के अधीन राज्य कर्मचारी निर्वाह भत्ता तथा समय समय पर स्वीकृत कोई अन्य मुआवजा भत्ता भी पाने का हक्दार है। राजस्थान सेवा नियमों का नियम 53 उस पर लागू होगा। यह नियम पाठक की सुविधा हेतु नीचे दिया जा रहा है:—

नियम 53 (1) —निलम्बित राज्य कर्मचारी निम्नांकित भुगतान प्राप्त करने का हकदार होगा:—

(क) निर्वाह भत्ते के रूप में अवकाश राशि के बराबर राशि जिसे वह कर्मचारी अर्द्ध-वेतन अवकाश पर रहने की स्थिति में प्राप्त करता, और उसके अतिरिक्त उक्त अवकाश वेतन पर आधारित महगाई भत्ता,

परन्तु शर्त यह है कि जब निलम्बन काल 6 मास* से अधिक हो गया हो, वह अधिकारी जिसने निलम्बन का आदेश दिया था या जो आदेश देने वाला समझा गया, 6 मास के पश्चात् निर्वाह भत्ते की राशि में निम्न प्रकार से परिवर्तन कर सकेगा

(i) निर्वाह-भत्ते की राशि उचित सीमा तक बढाई जा सकेगी, जो प्रथम 6 मास की अवधि के लिए स्वीकृत निर्वाह-भत्ते से 50% से अधिक नहीं बढाई जा सकेगी, यदि कथित प्राधिकारी की राय में, निलम्बन की अवधि ऐसे कारणों से बढ गई हो जो प्रत्यक्ष रूप से कर्मचारी की वजह से नहीं हो, उसके कारण अभिलिखित किये जाएंगे,

(ii) निर्वाह-भत्ते की राशि उचित सीमा तक घटाई जा सकेगी, जो प्रथम 6 महिना* की अवधि के दौरान स्वीकृत निर्वाह भत्ते से 50% से अधिक नहीं घटाई जा सकेगी, यदि उक्त प्राधिकारी की राय में निलम्बन की अवधि सम्बन्धित राज्य कर्मचारी की वजह से प्रत्यक्षतः बढी, उसके कारण अभिलिखित किये जाएंगे,

(iii) महगाई भत्ते की दरें उपरोक्त उप-खण्ट (1) तथा (2) के अन्तर्गत देय निर्वाह भत्ते की बढी हुई या घटी हुई राशि पर, यथास्थिति आधारित होंगी।

(ग) कोई अन्य क्षतिपूरक भत्ता जो निलम्बन की तिथि को राज्य कर्मचारी को समय समय पर उसके वेतन पर देय था, यदि उक्त भत्ते उठाने के लिए निर्धारित शर्तों का पालन हुआ हो।

( ) जब तक राज्य कर्मचारी ऐसा प्रमाण-पत्र पेश नहीं करे कि वह किसी अन्य नियोजन, व्यापार, व्यवसाय या धन्धे में लगा हुआ नहीं है तब तक उसे उपनियम (1) के अधीन कोई भुगतान नहीं किया जाएगा,

परन्तु शर्त यह है कि राज्य कर्मचारी को बर्खास्तगी सेवा से हटाए जाने या अनिवार्य सेवा निवृत्ति की दशा में, राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील) नियम 1958 के नियम 13 के उप नियम (3) या (4) के अनुसार ऐसी बर्खास्तगी या निष्कासन या अनिवार्य-सेवा-निवृत्ति की तारीख से जो निलम्बित किया गया अथवा निलम्बित चालू रहना किया गया माना गया है और जो ऐसी अवधि के संबंध में उक्त प्रकार से प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करे, तो वह उतनी राशि

* शब्दावली "12 महीने के स्थान पर प्रतिस्थापन की गई, जो 9-6 1971 "

तब निर्वाह-भत्ते एव अन्य देय भत्ते प्राप्त करेगा, जो उसकी उस अवधि की अर्जित आय तथा निर्वाह भत्ते की राशि से कम पड़े जिसे वह प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर प्राप्त करता। जब कि देय निर्वाह भत्ता एव अन्य भत्ते निलम्बित कर्मचारी द्वारा अर्जित अन्य आय के बराबर या उससे कम हो तो इस नियम का कोई प्रावधान उस पर लागू नही होगा, अर्थात् ऐसी दशा मे उसे कोई निर्वाह भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि नही दिये जाएगे।

स्पष्टीकरण

(1) 6 माह की अवधि उस दिन से गिनी जाएगी जिस तिथि को राज्य कर्मचारी निलम्बित किया गया।*

(2) निलम्बन प्राधिकारी को निर्वाह-भत्ते के भुगतान को रोकने का कोई स्व-विवेकाधिकार नही हैं। निलम्बित कर्मचारी को निलम्बन की अवधि मे निर्वाह भत्ता देना ही होगा। किन्तु सक्षम प्राधिकारी, सबधित निलम्बित कर्मचारी के विरुद्ध, राजस्थान सिविल सेवा (C C A) नियम के अधीन, सक्षम प्राधिकारी की बिना अनुमति के मुख्यावास छोडने पर दूसरी जाच प्रारम्भ कर सकेगा।**

निर्वाह भत्ता रोकना:—निलम्बित दोषी राज्य कर्मचारी को देय निर्वाह भत्ता रोकना समुचित अवसर नही देना माना गया है।[1] निर्वाह भत्ता नही मिलने के कारण जब कोई राज्य कर्मचारी धनाभाव मे जाच के लिए निश्चित तारीख पर अनुपस्थित रहा फिर भी जब जाच जारी रही तो वह जाच तथा उसमे दिया गया निर्णय अवैध करार दिया गया।[2] अत निर्वाह भत्ता रोकने का निलम्बन प्राधिकारी को कोई अधिकार नही है (देखिये-उपरोक्त मीमो दिनाक 4 6 1970)।

निलम्बित कर्मचारी को अन्य सुविधाऐं :— निलम्बित राज्य कर्मचारी को विभागीय जाच स सबधित अथवा सरकारी मामले की दशा मे गवाही देने के लिए अदालत मे उपस्थित होने हेतु तथा अन्य इसी प्रकार के अवसरो पर यात्रा करने पर पूरा यात्रा भत्ता प्राप्त करने का अधिकार होगा, (देखिए-राज यात्रा भत्ता नियम, 1971 का नियम 27)। वह चिकित्सक के अथवा चिकित्सा के नकद पत्रो की राशि क्षतिपूर्ति के रूप मे पाने का भी हकदार होगा। वह मकान किराया भत्ता उठाने का भी हकदार रहेगा तथा निलम्बन अवधि म सरकारी रिहायशी मकान खाली करने के लिए बाध्य नही किया जायेगा। उचित आवेदन के आधार पर उसे अपना मुख्यावास बदलने की भी अनुमति दी जा सकेगी और इसी प्रकार उचित अवधियो मे विशेष परिस्थितियो मे उसे मुख्यावास छोडने की भी अनुमति प्रदान की जा सकेगी।[3]

प्रतिबन्ध.—राजस्थान सेवा नियमो के नियम 55 के अधीन निलम्बन काल मे अवकाश की माग अस्वीकार की जा सकेगी। बिना उचित अनुमति के वह मुख्यावास नही छोड सकता। उससे यह भी अपेक्षा की जा सकेगी कि वह प्रतिदिन कार्यालय मे उपस्थित होकर अपनी हाजरी अंकित करवाए।

---

* F D ममो स F 1 (44) F D (Ex Rules) 63 दिनाक 22-6-1964 द्वारा जोडा गया।

** F O मेमो स F 1 (32) F D (रूल्स) 70 दिनाँक 6 4-1970 द्वारा जोडा गया।

1 1973 WLN (U C) 83 एम एन तीवाडी वि पचायत समिति मादरा।

2 AIR 1973 S C 1183 घनश्यामदास श्रीवास्तव वि मध्यप्रदेश सरकार।

3 राज सवा नियमो के नियम 55 मे दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार।

परन्तु समस्त दिन ठहर कर दफ्तर का कार्य करने के लिए नहीं कहा जा सकता। सक्षम प्राधिकारी कार्यालय मे नियमित हाजरी देने से मुक्ति भी प्रदान कर सकेगा।

यदि राज्य कर्मचारी पर कोई शास्ति लागू करना प्रस्तावित हो, तो ऐसे आदेश जारी करने से पहले कारण बताओ नोटिस देना आवश्यक है अन्यथा प्राकृतिक नियमो के सिद्धान्तो के उल्लंघन के आधार पर आदेश अवैध करार दिया जाकर विखण्डित किया जा सकता है।[1] यदि प्रस्तावित शास्ति का आदेश दोषी कर्मचारी को वित्तीय रूप मे प्रभावित करता हो तो सबधित व्यक्ति को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समुचित अवसर प्रदान करने के पश्चात् और उस पर भली भांति विचार करने के बाद जारी करना चाहिए।[2]

निलम्बन काल का पूरा वेतन—निम्नांकित परिस्थितियो मे, सरकारी कर्मचारी, निलम्बन काल के लिए पूरा वेतन प्राप्त करने का अधिकारी होगा.—

(1) जब वह, विभागीय जाच मे उसके विरूद्ध लगाये गए आरोपो से दोष मुक्त किया जाकर सेवा मे पुनःस्थापित किया गया हो।[3]

(2) जबकि सरकारी कर्मचारी कानूनी अदालत द्वारा उस फौजदारी अपराध से डिस्चार्ज या बरी कर दिया गया हो जिसके विषय मे उस पर मुकदमा चलाया गया था और जिसके कारण वह निलम्बित किया गया था। परन्तु सक्षम प्राधिकारी का विचार हो कि वह पूर्णतः दोष मुक्त नहीं हुआ था या 'बाइज्जत बरी' नहीं किया गया था, तो वह उसके विरूद्ध विभागीय जाच प्रारम्भ करा सकेगा। यदि वह ऐसा करने मे विफल हो तो सबधित कर्मचारी निलम्बन की अवधि मे पूरा वेतन पाने का हकदार होगा।[4]

(3) जबकि राज्य कर्मचारी को उसके विरूद्ध लगाए गए अपराध से बरी किया गया हो, तो इससे कोई फर्क नही पड़ेगा-आया वह साक्ष्य के अभाव मे या मुकदमे की किसी प्रक्रिया के त्रुटिपूर्ण होने के कारण या उसे शक का फायदा दिया गया था या मामले के गुण-अवगुणो के आधार पर बरी किया गया। प्रत्येक दशा मे वह पूरे देय वेतन और भत्ते पाने का हकदार होगा। यह गुण अवगुणो पर या बा इज्जत बरी होने से प्रतिबन्धित नही है।[5]

(4) जबकि कठोर शास्ति आरोपित करने का आदेश किसी कानूनी अदालत द्वारा या उच्चतर प्राधिकारी द्वारा निरस्त कर दिया गया हो।

(5) जबकि कर्मचारी के विरूद्ध विभागीय जाच या फौजदारी मुकद्दमा वापिस ले लिया गया हो।[6]

---

1 AIR 1968 S C 240-गोपालकृष्ण नायडू वि मध्यप्रदेश सरकार।

2 1971 RLW S C 546-कन्हैयालाल वि भारतीय सघ।

3 1978 RLT IV 29-मदनलाल कल्ला वि राजस्थान सरकार।

4 1971 Lab I C 923 (गुजरात)-रामसिहजी, बीराजी राठौड वि गुजरात सरकार। AIR 1960 मद्रास 325, AIR 1966 जम्मू-काश्मीर 278 तथा AIR 1963 उड़ीसा 73 भी देखिए।

5 1975 Lab I C 139 (कर्नाटक)

6 AIR 1965 कलकत्ता 281-श्यामलाल वि भारतीय सघ।

यदि पुनः स्थापित होने पर, प्राधिकारीगण राज्य कर्मचारी को निलम्बन की अवधि का चढा हुआ वेतन भुगतान नहीं करें, तो वह देय राशि के लिये सरकार के विरुद्ध दावा प्रस्तुत कर सकता है। विषयदावा निलम्बन आदेश खारिज होने की तिथि को उत्पन्न होगा और उसी तारीख से उसके विरुद्ध मयाद (limitation) प्रारम्भ होगी।[1]

उपयुक्त मामलो मे निलम्बन अवधि मे देय वेतन पर न्यायालय ब्याज दिलाने का आदेश भी दे सकता है, यद्यपि ऐसे उपचार के लिए इस्तदुआ नहीं की गई हो।[2]

जब कि उस फौजदारी मुकदमे मे, जिसके कारण राज्य कर्मचारी को निलम्बित किया गया था, वह दोषमुक्त (बरी) कर दिया गया, फिर भी निलम्बन स्वतः समाप्त नही होगा। उसे पुनः स्थापन करने का आदेश निलम्बन करने हेतु सक्षम प्राधिकारी को जारी करना होगा।[3]

भाग-5 : अनुशासन

14. शास्तियों के प्रकार—निम्नांकित शास्तिया समुचित और पर्याप्त कारणो से, जिनको अभिलिखित किया जाएगा और जैसा इसमे इसके पश्चात् उपबन्धित है, किसी सरकारी कर्मचारी पर लगाई जा सकेगी, अर्थात् —

[1] परिनिन्दा,

[2] वेतन वृद्धि या पदोन्नति रोकना,

[3] लापरवाही से या किसी विधि, नियम या आदेश को भग करने से सरकार को हुई आर्थिक हानि की उसके वेतन मे से सम्पूर्ण या आंशिक रूप से वसूली,

[4] निम्नतर सेवा, ग्रेड या पद पर अथवा निम्नतर काल वेतनमान मे अथवा काल वेतनमान मे नीचे के प्रक्रम पर अवनत कर देना, या पेंशन की दशा मे नियमानुसार देय राशि मे कमी कर देना,

[5] अनुपातिक पेंशन पर अनिवार्य सेवा निवृत्ति,

[6] सेवा से हटाया जाना जो कि आगे नियोजन के लिए निरर्हता नही होगी।

[7] सेवा से पदच्युति जो सामान्यत. भावी नियोजन के लिए निरर्हता होगी।

स्पष्टीकरण—(1) इस नियम के अर्थान्तिर्गत निम्नलिखित शास्ति की कोटि मे नही होगें:—

[1] सेवा या पद या नियुक्ति के निबधनों से सम्बधित नियमो या आदेशों के अनुसार विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने मे असफल रहने पर सरकारी कर्मचारी की वेतन वृद्धि रोक देना,

[2] किसी सरकारी कर्मचारी के दक्षता अवरोध पार करने मे अयोग्य होने के कारण, उसे काल वेतनमान मे दक्षता अवरोध पर रोकना,

---

1 AIR 1970 दिल्ली 185–भारतीय सघ। वि ज्ञानसिंह, 1977 S.c (L & S) 232.

2 AIR 1964 आन्ध्र प्रदेश 491–आन्ध्रप्रदेश सरकार वि मोहम्मद कुतबुद्दीन खाँ।

3 AIR 1957 इलाहाबाद 437–जगदीश चन्द्र वि यू पी सरकार।

[3] किसी सरकारी कर्मचारी को, उसके मामले पर विचार करने के बाद, ऐसी सेवा, ग्रेड या पद पर जिस पर पदोन्नति के लिए वह पात्र है, अधिष्ठायी या स्थानापन्न हैसियत से पदोन्नत न करना,

[4] किसी उच्चतर सेवा, ग्रेड या पद पर स्थानापन्न रूप से काम करने वाले किसी सरकारी कर्मचारी का निम्नतर सेवा, ग्रेड या पद पर इस आधार पर कि उसे अवसर दिए जाने पर वह ऐसी उच्चतर सेवा, ग्रेड या पद के लिए अनुपयुक्त समझा गया है अथवा किसी प्रशासनिक आधार पर जो उसके आचरण से सम्बधित नही है, प्रतिवर्तन कर देना,

[5] किसी सरकारी कर्मचारी का जो परिवीक्षा पर किसी दूसरी सेवा, ग्रेड या पद पर नियुक्त किया गया हो, परिवीक्षाकाल मे या उसकी समाप्ति पर नियुक्ति के निबन्धो या परिवीक्षा को शासित करने वाले नियमो और आदेशो के अनुसरण मे अपनी स्थायी सेवा, ग्रेड या पद पर प्रतिवर्तन कर देना,

[6] किसी सरकारी कर्मचारी की, उसकी अभिवर्षिता या सेवा निवृत्ति सबधी उपबधो के अनुसार अनिवार्य सेवा निवृत्ति,

[7] सेवा समाप्तिः—

(क) परिवीक्षा पर नियुक्त किसी सरकारी कर्मचारी की, परिवीक्षाकाल में या उसकी समाप्ति पर उसकी नियुक्ति के निबधनो या परिवीक्षा सबधी नियमो या आदेशो के अनुसार,

(ख) सविदा से अन्यथा किसी अन्य रूप मे नियुक्त किसी अस्थायी सरकारी कर्मचारी की, नियुक्ति काल समाप्त होने पर,

(ग) किसी करार के अधीन नियोजित किसी सरकारी कर्मचारी की, उक्त करार के निबधनो के अनुसार,

(घ) राजस्थान की एकीकृत इकाइयो में से किसी की भी सेवाओ के ऐसे सरकारी कर्मचारी की, एकीकरण नियमों के अनुसार राजस्थान राज्य की एकीकृत सेवाओं मे से किसी म भी नियुक्ति के लिए चयन न होने पर या उनमे आमेलित न किये जाने पर।

स्पष्टीकरण—(2) किसी व्यक्ति की, जो राजस्थान की एकीकृत सेवाओ मे किसी भी पद पर तदर्थ या अन्तिम आधार पर नियुक्त हो एकीकृत नियमो के अनुसार ऐसी किन्ही सेवाओ या पदो पर चयन नही किये जाने या उनमे आमेलित नही किये जाने से अन्यथा किसी कारण से की गयी सेवोन्मुक्ति को, सेवा से हटाया जाना या पदच्युति यथा स्थिति, समझा जाएगा।

[1]टिप्पण—नियम 14 [7] के अधीन पदच्युति के कारण भावी नियोजन के लिए निरर्हता केवल सरकार द्वारा ही अधित्यजित की जा सकती है यदि किसी मामले के गुण दोषो से ऐसा करना न्यायोचित हो।

---

1 अधिसूचना स एफ 3 (5) नियुक्ति (ग) 61 ग्रुप III दिनांक 22-2-61 द्वारा जोडा गया।

राजस्थान सरकार के निर्देश (1)

दण्ड –जो शास्तियां राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1958 के अधीन आरोपित की जा सकती हैं व नियम 14 में निर्दिष्ट हैं और वे किसी भी सही या पर्याप्त कारण से लागू की जा सकती हैं। शास्तियों की यह सूची पूर्ण है, और किसी अन्य स्वरूप या तरीके से शास्ति लगाना गलत होगा, उदाहरणत वेतन रोकना, बिना वेतन के अवकाश स्वीकार करना जबकि दूसरे किस्म के अवकाश देय हैं, जुर्माना करना, आदि।

[अनुशासन कार्यवाहियों की पुस्तिका–(राजस्थान सरकार) अनु० 17 (i)]

राजस्थान सरकार का निर्देश (2)

दण्ड का स्वरूप और उसकी मात्रा किसी विशेष मामले में कितनी होनी चाहिये वह उपलब्ध पूर्व निर्णयों के तथ्यों एवं परस्थितियों को ध्यान में रखते हुए स्वयं अनुशासन प्राधिकारी द्वारा तय किये जाने चाहियें। मोटेतौर से, शास्ति इतनी उदार नहीं होनी चाहिये जिससे कि कार्य अकुशलता और अनुशासनहीनता को बढ़ावा मिले और इतनी क्रुर भी नहीं होनी चाहिये जिससे कि राज्य कर्मचारी को, यदि उसे सेवा में रखा जावे, तो उसकी नैतिकता तथा कार्यकुशलता में गिरावट आ जावे।

दोषों के कतिपय विशिष्ठ मामलों में जैसे कि अप्राधिकृत तथा फर्जी यात्रा भत्ता बिल उठाना, सरकार ने 10 8-1960 को यह तय किया है कि बदनियती से यात्रा भत्ते की अधिक उठायी गयी राशियों के विचाराधीन मामलों में तीन ग्रेड वेतन वृद्धियाँ सचय प्रभाव से रोक दिये जाने का दण्ड दिया जाना चाहिये। भविष्य में यदि बदनियती से अधिक यात्रा भत्ता उठाने का आशय हो, तो सेवा से हटाये जाने या बर्खास्तगी का दण्ड दिया जाना चाहिये। यात्रा भत्ता उठाने में किसी तकनीकी त्रुटि का मामला उसके गुण-अवगुण पर तय करना चाहिये।[1]

[अनुशासन कार्यवाहियों की पुस्तिका (राजस्थान सरकार) 1963 सस्करण अनु० 17 (ii)]

राजस्थान सरकार के निर्देश (3)

वेतन वृद्धियाँ रोकने के आदेश में यह निर्दिष्ट किया जाना चाहिये कि आया रुकावट सचयी प्रभावी है या नहीं।

[अनुशासन कार्यवाहियों की पुस्तिका–राज० सरकार 1963 अनु० 17 (vii)]

राजस्थान सरकार के निर्देश (4)

पदोन्नति रोकने के आदेश में कार्यकाल का उल्लेख स्पष्टत करना चाहिये अर्थात् आया वह स्थाई रूप से है या अस्थायी रूप से किसी निर्दिष्ट अवधि के लिये है।

[अनुशासन कार्यवाहियों की पुस्तिका (राज० सरकार) 1963 अनु० 17 (viii)]

राजस्थान सरकार के निर्देश (5)

सरकार को पहुंचायी गई आर्थिक हानि के लिये दोषी कर्मचारी के वेतन से वसूली के आदेश के मामले में, दोषी कर्मचारी की स्थिति के अनुकूल सुविधाजनक किश्तों में वसूली की जानी चाहिये।

[अनुशासन कार्यवाहियों की पुस्तिका (राज० सरकार) 1963 अनु० 17 (ix)]

---

1 आदेश सख्या एफ 20 (32) नियुक्ति (A) 60 ग्रुप III दि 1-8 1960

राजस्थान सरकार के निर्देश (6)

जब किसी राज्य कर्मचारी को निम्नतर सेवा, पद या निम्नतर समयमान (Time Scale) मे पदावनत किया जावे तो पदावनति का आदेश देने वाला प्राधिकारी वह अवधि निर्दिष्ट करे या नही भी करे जिस समय तक के लिय पदावनति प्रभावशील रहगी। जब यह अवधि निर्दिष्ट हो, तो उक्त प्राधिकारी को यह भी उल्लेख करना चाहिय कि क्या पूर्वावस्था की प्राप्ति पर पदावनति की अवधि भविष्य की वेतन वृद्धियो को स्थगित करने वाली होगी और यदि एसा है तो किस सीमा तक। स्थाई स्वरूप का दण्ड उदाहरणत निम्नतर सेवा, ग्रेड या पद म स्थायी अवनति करना, साधारणत टाल देना चाहिये, क्योंकि उनसे सम्बन्धित अधिकारी की अच्छा कार्य करन की प्रवृत्ति नष्ट होती है और नैतिकता का पतन होता है। अत एसी पदावनति की अवधि निर्दिष्ट की जानी चाहिय।

[अनुशासन कार्यवाहियो की पुस्तिका (राज० सरकार) अनु० 17 (iv)]

राजस्थान सरकार के निर्देश (7)

अनिवार्य सेवा निवृत्ति का दण्ड जो राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियन्त्रण और अपील) नियम, 1958 के नियम 14 उपखण्ड (v) म उल्लेखित हैं, इसलिय बनाया गया है जिससे ऐसे मामलो के लिये प्रावधान हो सके जिनमे राज्य कर्मचारी को सेवा मे जारी रखना अवांछित समझा गया हो परन्तु सेवा से हटाये जाने या बर्खास्तगी की कठोरतम शास्ति लागू करना जिसके परिणाम स्वरूप पेंशन की हानि हो अधिक कठोर प्रतीत हो, सिवाय उन मामलो के जिनमें दोष वास्तव म बहुत गभीर हो, उदाहरणत सरकारी रकम का गबन नैतिक पतन वाले अपराध। जो प्राधिकारीगण सेवा से हटाने या बर्खास्तगी की शास्ति आरोपित करन के लिये सशक्त है वे अनिवार्य सेवा नियम की शास्ति लागू करने के लिये सक्षम हैं। जिन अधिकारियो को अनिवार्यत सेवा निवृत्त किया जावे उन्ह ऐसी दर से पेंशन प्रदान की जा सकेगी जो उनको अनिवार्य सेवा निवृत्ति की तिथि को स्वीकार योग्य पेंशन से दो तिहाई से कम नही हो तथा पूर्ण रोगातुर पेंशन (invalid pension) से अधिक नही हो। शास्ति के रूप मे अनिवार्य सेवा निवृत्ति राजस्थान सेवा नियमो के नियम 244 (2) के अधीन अनिवार्य सेवा निवृत्ति करने स भिन्न है। राजस्थान सेवा नियमो के नियम 244 (2) के अन्तर्गत अनिवार्य सेवा निवृति सविधान के अनुच्छेद 311 (2) के प्रावधानों को आकर्षित नहीं करती, और इस कारण स राजस्थान सेवा नियम (वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील) नियम, 1958 मे निर्धारित शास्ति आरोपित करने की प्रक्रिया उस पर लागू नहीं होती, जब कि शास्ति के रूप मे की गई अनिवार्य सेवा निवृत्ति सविधान के अनुच्छेद 311 (2) के प्रावधानो को आकर्षित करेगी और कठोर शास्तियो के लिए राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील) नियम, 1958 मे प्रावधानित प्रक्रिया का अनुसरण करना होगा।

[अनुशासन कार्यवाहियो की पुस्तिका, राजस्थान सरकार, 1963 अनुच्छेद 17 (v)]

राजस्थान सरकार के निर्देश (8)

कानूनी अदालत द्वारा किसी राज्य कर्मचारी को दोषी ठहराए जाने पर बर्खास्तगी का आदेश पारित करते समय, अनुशासन प्राधिकारी को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिय कि उक्त आदेश का प्रभाव आदेश की तिथि से दिया जाना चाहिय न कि निलम्बन की तिथि से या दोषी करार दिये जाने (Conviction) की तिथि से। जब कि दोषी करार दिए जाने के फैसले के विरुद्ध अपील दायर

की गई हो, तो अनुशासन प्राधिकारी को बर्खास्तगी का आदेश देने से पहले अपील-न्यायालय के निर्णय की भी प्रतीक्षा करनी चाहिये।

[अनुशासन कार्यवाहियों की पुस्तिका, 1963, राजस्थान सरकार अनुच्छेद 17 (vi)।]

राजस्थान सरकार के निर्देश (9)

सेवा की समाप्ति/अस्थाई/प्रतिस्थापित (officiating) कर्मचारियों का परावर्तन (Reversion):–

(क) प्रतिस्थापन पर कार्य कर रहे राज्य कर्मचारी को पुन उसके पहले के पद पर परावर्तन (revert) करने से पहले उसे कारण बताओ नोटिस देना कानूनन आवश्यक नही है परन्तु जब उसका कारण असन्तोषजनक कार्य होना बताना हो तो यह आवश्यक तथा वाछित होगा कि उसे कारण बताने का अवसर प्रदान किया जावे।

(ख) यदि अस्थाई राज्य कर्मचारी की सेवा दुराचरण या अकुशलता के आधार पर समाप्त की जाती है तो सविधान का अनुच्छेद 311 (2) आकर्षित होगा। किन्तु साधारण अनुशासन कार्यवाही के जरिये अस्थाई कर्मचारी की सेवा समाप्त करना जरूरी नही हैं। राजस्थान सेवा नियमो के नियम 23 (क) के अनुसार अस्थाई राज्य कर्मचारी की सेवा एक माह का नोटिस देकर कभी भी समाप्त की जा सकती हैं। इसलिए ऐसी समाप्ति के लिए कारण उल्लेख करना आवश्यक नही है। चू कि राजस्थान सेवा नियमो के नियम 23 (क) के अधीन अस्थाई राज्य कर्मचारियो की सेवा बिना कारण बताए और दुराचरण या अकुशलता का उल्लेख किये बिना समाप्त की जा सकती है, इसलिए नियुक्ति प्राधिकारी के लिए यह आवश्यक नही है कि वह उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाहिया करे और सेवा समाप्ति के लिए कारण बताओ नोटिस तामील करवाएँ।

(ग) यदि कोई नियुक्ति परिक्षण पर की गई हो तो परिक्षण काल मे असन्तोषजनक प्रगति के कारण सेवा समाप्त की जा सकती है और कारण बताने के नोटिस की जरूरत नही होगी। ऐसे मामलो मे, स्थाई नही करने के कारण बताने की भी आवश्यकता नही है।

[राज सरकार की अनुशासन कार्यवाहियो की पुस्तिका, 1963, अनुच्छेद 17 (xi)]

टिप्पणी

जिस प्रकार ताजीरात हिन्द मे विभिन्न प्रकार के दण्ड प्रावधानित हैं उसी प्रकार राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील) नियम, 1958 मे राज्य कर्मचारियो के लिये कतिपय शास्तिया निधारित की गई है। पुलिस कर्मचारी केवल इन नियमों से ही नहीं, वरन् पुलिस अधिनियम से भी शासित होते है, जिससे ऐसे दण्ड जो पुलिस अधिनियम से असगत न हो, पुलिस के अधीनस्थ स्तर के अधिकारियो पर इन नियमो के नियम (I) (च) and पुलिस अधिनियम की धारा 2 के अधीन आरोपित किए जा सकते है।

भारतीय पुलिस अधिनियम 1861 राजस्थान मे 19 जुलाई, 1950 से लागू किया गया। पुलिस अधिनियम की धारा 7 जिसमे दण्ड का प्रावधान है, इस प्रकार है —

"सविधान के अनुच्छेद 311 के प्रावधानो एव इस अधिनियम के अन्तर्गत जो नियम राज्य सरकार बनावे, उनके अधीनस्थ रहते हुए, पुलिस के महा निरीक्षक, उप-महा निरीक्षक, सहायक महा-निरीक्षक एव जिला अधीक्षक किसी समय भी अधीनस्थ पक्ति के किसी पुलिस अधिकारी को जिसको

वह कर्त्तव्य में शिथिल, असावधान अथवा अनुपयुक्त समझे उसे सेवा से बर्खास्त, निलम्बित अथवा पदावनत कर सकते हैं अथवा निम्नलिखित शास्तियों में से कोई एक या अधिक किसी अधीनस्थ स्तर के पुलिस अधिकारी को जो नौकरी में असावधानी या सेवा से उपेक्षा करता हो अथवा अपने किसी कार्य द्वारा उसने अपने आपको उक्त काम के लिए अयोग्य होना प्रकट किया हो उसके विरुद्ध लागू कर सकता है, यथा (क) जुर्माना किसी धनराशि का जो एक महीने के वेतन से अधिक न हो, (ख) क्वार्टरों में नजरबन्दी जो पन्द्रह दिनों से अधिक अवधि की न हो ड्रिल, अतिरिक्त पहरा, थकान या अन्य ड्यूटी के साथ अथवा अलग, (ग) सदाचरण वेतन से वंचित करना, (घ) किसी विशिष्ट पद अथवा विशेष उपलब्धि (रेम्यूनरेशन) के पद से हटाना।"

राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील) नियम, पुलिस अधिनियम के पूरक है।[1] अत: अनुशासन प्राधिकारी इन नियमों के नियम 14 में बताई गई और पुलिस अधिनियम में निर्धारित कोई भी शास्ति लागू कर सकता है। जब कि एक पुलिस कर्मचारी ने स्थानान्तर आदेश का पालन नहीं किया और जब वह अधीक्षक आरक्षी के सम्मुख व्यक्तिगत उपस्थित हुआ, तो उसने वर्दी पहनने से इन्कार किया और मुफ्ती में पेश हुआ और अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार किया। अतः स्थानान्तर के आदेश की अवज्ञा करने के कारण शास्ति आरोपित करने के अतिरिक्त, उसे पुलिस अधिनियम की धारा 7 के अधीन कठिन ड्रिल और थकान की ड्यूटी के साथ 14 दिन की क्वार्टरों में नजरबन्दी (quarter guard) की सजा भी दी गई। इस मामले में निर्णय हुआ कि बाद में उल्लिखित सजा, स्थानान्तर आदेश की अवज्ञा के कारण दी हुई सजा से अलग व स्वतन्त्र सजा थी।[2]

शास्तियों की पूरी सूची—नियम 14 में केवल सात प्रकार की शास्तियां गिनाई गई हैं जो राज्य कर्मचारी पर लागू की जा सकती हैं। यह सूची सम्पूर्ण है। इसलिये इन सात शास्तियों से भिन्न अन्य कोई भी शास्ति किसी भी रूप में नहीं दी जा सकती। वेतन का भुगतान रोकना, बिना वेतन अवकाश स्वीकार करना जबकि अन्य प्रकार का सवैतनिक अवकाश कर्मचारी को देय है, जुर्माना करना आदि सजाएं नियम 14 की परिधि से बाहर हैं, अतः आरोपित नहीं की जा सकती।

शास्ति केवल अनुशासन प्राधिकारी आरोपित कर सकता है:—नियम 14 में उल्लेखित कोई शास्ति या उससे पहले कारण बताओ नोटिस केवल अनुशासन प्राधिकारी ही दे सकता है। संविधान द्वारा प्रदत्त यह प्राधिकार समानान्तर रूप से किसी अन्य को सुपुर्द नहीं किया जा सकता। जब कि राज्यपाल ने एक अधिसूचना जारी करके राजस्थान न्यायिक सेवा के एक सदस्य के सम्बन्ध में उच्च न्यायालय में निहित अनुशासन प्राधिकारी की शक्तियाँ प्रशासन न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश द्वारा मनोनीत न्यायाधीश को सौंप दी, तो कथित अधिसूचना अवैध घोषित की गई।[3]

सही एवं पर्याप्त कारण—नियम 14 में उल्लिखित कोई भी शास्ति बिना सही और पर्याप्त कारणों के किसी कर्मचारी पर लागू नहीं की जा सकती। यह नियम 14 का मुख्य तथा अनिवार्य अंग है। केवल सही एवं पर्याप्त कारण ही अनुशासन प्राधिकारी को सरकारी कर्मचारी पर

---

1. AIR 1967 राजस्थान 414—लौंगमल वि. अधीक्षक आरक्षी।
2. उपरोक्तानुसार।
3. 1974 WLN 969—आनन्दीलाल वि. राजस्थान सरकार।

शास्ति आरोपित करने का क्षेत्राधिकार प्रदान करता है। यह सही तरीके से अभिलिखित तथ्यो पर आधारित है। यदि रेकर्ड पर कर्मचारी के विरुद्ध कोई अभियोग साबित नहीं या शहादत (साक्ष्य) से निकाला गया निष्कर्ष स्पष्टत. विपरीत है तो शास्ति लागू करने का आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर का होगा।[1] शास्ति लागू करने का आदेश बोलता हुआ आदेश होना चाहिये अर्थात् आदेश का पठन करने से की हुई कार्यवाही पूरी न्यायोचित प्रतीत होनी चाहिये[1] (एस शमशुद्दीन वि जम्मू व कश्मीर सरकार)।

अभिव्यक्ति, "सही एव परियाप्त कारण" की कोई परिभाषा नही है। यह सजा देने वाल प्राधिकारी के स्व विवेक पर छोड दिया गया है, जो दुराचरण की प्रकृति और गभीरता तय करेगा।[2] उसे उन सही और परियाप्त कारणो को अभिलिखित करना चाहिये जिनके आधार पर वह राज्य कर्मचारी को दण्डित करना चाहता है।[3] एक पुराने मामले मे एक अधिकारी ने, अनुशासनात्मक मामलो को तय करने के लिये छापे हुए रूढिवद्ध प्रपत्र (S ereotyped printed form) अपना लिया था। इसम निर्णय हुआ कि ऐसा करना इस प्रावधान का परियाप्त अनुपालन नही था।[4] नियम 14 ऐसा कोई पथ प्रदर्शन नही करता जिससे किसी कमचारी के दुराचरण का स्वरूप और उसके अनुरूप शास्ति निश्चित की जा सके। यह तो सम्बन्धित प्राधिकारी के स्वविवेक मे निहित है।[5] परन्तु यह स्वविवेक पूरी जाच और सावधानी के साथ प्रयोग म लाया जाना चाहिये। "आया कोई गभीर दुराचरण साबित था या नही" एक न्यायिक तनकी है और उस पर दीवानी अदालत खुद का निष्कर्ष निकाल सकती है।[6]

यदि प्रथमावलोकन से "सही एव परियाप्त" कारण प्रतीत हो तो उच्च न्यायालय, साधारणत राज्य कमचारी पर कठोर शास्ति आरोपित करने के कारणो की छानबीन नही करता। परन्तु यदि किसी मामले म रेकर्ड से प्रत्यक्ष दिखता हो कि आरोपित शास्ति के लिए न्यायसगत सही एव परियाप्त कारण रेकर्ड पर विद्यमान नही है, तो उच्च न्यायालय इस आधार पर दखल कर सकता है कि दण्ड इस नियम के अनुकूल नही है।[7]

सरकारी निर्देश—चू कि नियम 14 द्वारा प्रदत्त स्वविवेक के अधिकार विस्तृत तथा अस्पष्ट है, इसलिये राजस्थान सरकार ने, अनुशासन कार्यवाहियो की पुस्तिका, 1963 के अनुच्छेद 17 (1) मे कतिपय निर्देश दिए है, जो ऊपर उधृत किए गए हैं। इन निर्देशो[8] के अनुसार, अनुशासन प्राधिकारी को उपलब्ध पहले के फैसलो के तथ्यो और परस्थितियो को ध्यान म रखना चाहिये। शास्ति इतनी उदार या ढीली नहीं होनी चाहिये जिससे कर्मचारी की अकुशलता तथा अनुशासनहीनता को बढावा मिले और इतनी क्रूर भी नही होनी चाहिये जिसमे यदि कर्मचारी को सेवा मे रखा जावे तो

---

1 1976 Lab IC 979 (जम्मू कश्मीर) (पूर्ण पीठ) एस शमशुद्दीन वि जम्मू कश्मीर सरकार।
2. AIR 1963 मध्य प्रदेश 115–गोविन्द शकर वि मध्य प्रदेश सरकार।
3 1971 WLN 560–रामगोपाल तँवर वि भारतीय सघ।
4. ILR 38 कलकत्ता 789
5 AIR 1958 उडीसा 96–धीरेन्द्रनाथ दास वि उडीसा सरकार।
6 1973 SLJ 586–भारतीय सघ वि पी एस मिश्रा।
7. 1956RLW 531
8. नियुक्ति (A-III) विभाग के आदेश म F 20(32) नियुक्ति (A)60, ग्रुप-III दि 1-8-1960.

उसके मनोधैर्य और कार्य में कुशलता अर्थात् दक्षता को क्षति पहुचे। उपरोक्त अधिसूचना में कतिपय उदाहरण भी दिए गए हैं।

अच्छा हो, यदि राज्य विधान मण्डल विभिन्न प्रकार के दुराचरणों के लिए शास्ति का प्रकार और मात्रा निर्धारित करदे, ताकि अनुशासन प्राधिकारीगण अपने व्यक्तिगत मन की लहर तथा स्वच्छानुसार अग्रसर नही हो सकें और समान मामलों में सरकारी कर्मचारियों के साथ समान सलूक किया जा सके। ज्यादती के कतिपय मामले नीचे बताए जा रहे हैं।

(क) नामान्तकरण के कतिपय मामलों में एक पटवारी की कुछ अनियमितताए पाई गई, परन्तु उसके विरुद्ध कोई भी व्यक्तिगत लाभ उठाना साबित नही था। इसलिए, राजस्व मण्डल ने उसके विरुद्ध पारित बर्खास्तगी का आदेश रद्द किया और उसे संचित प्रभाव से दो वेतन-वृद्धिया रोकने की शास्ति और बीच की अवधि को कार्यरत रहना मानने का आदेश दिया।[1]

(ख) जबकि कलेक्टर ने नियम 16 के अनुसार विस्तृत जाच किये बिना, एक कनिष्ठ लिपिक को, तीन माह तक कार्यालय से अनुपस्थित रहने के कारण लघुतम वेतनमान में चतुर्थ श्रेणी में पदावनत कर दिया, तो यह सजा अन्यायपूर्ण मानी गई, अतः कर्मचारी की अपील स्वीकार की गई और मामला वापस कार्यवाही हेतु भेजा गया।[2]

(ग) एक पटवारी को, ताजीरात हिन्द की धारा 323 के अधीन साधारण चोट पहुचाने की रिपोर्ट के कारण निलम्बित किया गया। मामला प्रोबेशन ऑफ ऑफेन्डर्स एक्ट की धारा 4 व 12 के अधीन कर्मचारी को छोड़ने के साथ समाप्त हुआ। इसपर कलेक्टर ने निलम्बन अवधि म उसके आधे वेतन को जब्त करने की शास्ति आरोपित की। कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करने पर राजस्व-मण्डल ने निर्णय दिया कि उक्त आरोप में कोई नैतिक-पतन या निष्ठाहीनता नही है, और उसके लम्बे काल तक निलम्बित रहने व परेशानी को देखते हुए उसे पूरा वेतन दिलवाया गया और उस पर केवल निन्दा की शास्ति लागू करके मामला समाप्त किया गया।[3]

(घ) जब यह स्थापित हुआ कि एक पटवारी अपने सर्कल से अनुपस्थित रहा, और सरकारी वसूलियन में तथा पटवारी से अपेक्षित कर्तव्यों म कोई अभिरुचि नही ला तो कलेक्टर ने उसे सेवा से हटाये जाने का कठोर दण्ड दिया यद्यपि आरोप साबित हुए थे, परन्तु वे इतने गम्भीर नही माने गये जिससे कि इतना कठोर दण्ड दिया जावे। अतएव पटवारी की अपील स्वीकार की गई और शास्ति में संशोधन करके संचित प्रभाव से दो ग्रेड वेतन वृद्धियों को रोकने म परिवर्तित की गई।[4]

(ङ) जबकि एक राज्य कर्मचारी ने चार्जशीट और कारण बताने का नोटिस भेजने के पश्चात अपना स्पष्टीकरण प्रेषित नही किया तो अनुशासन प्राधिकारी ने उसे सेवा से हटाये जाने का आदेश पारित किया। उसमें निर्णय दिया गया कि चूकि दोषी कर्मचारी ने

1. 1976 RRD 138
2. 1974 RRD NUC-102
3 1976 RRD 452
4 1974 RRD-NUC-108

उसके विरूद्ध लगाये गये आरोपो को स्वीकार नही किया था, इसलिए नियम 16 के अधीन जाच करना कानूनन आवश्यक था। अतः मामला जाच के लिए वापस भेजा गया।[1]

(च) इसी प्रकार जबकि कोषाध्यक्ष ने एक लिपिक को उसके प्रतिवेदन पर बिना विस्तृत जाच किए तीन वेतन वृद्धिया रोकने की शास्तिया लागू की तो आरोप साबित होना नही माना गया और शास्ति का आदेश निरस्त किया गया।[2]

(छ) जबकि एक राज्य कर्मचारी के विरूद्ध लगाया गया आरोप गम्भीर प्रकृति का नही था तो कलेक्टर ने उसको एक वेतन वृद्धि रोकने और निलम्बन की अवधि मे केवल तीन-चोथाई वेतन देने की शास्ति लागू की। अपील करने पर राजस्व मण्डल ने आदेश सशोधित किया क्योंकि कर्मचारी के विरूद्ध आरोप बहुत लघु होने की दृष्टि से, निलम्बन अवधि मे वेतन मे से कटौती करने का कोई उचित कारण नही था।[3]

(ज) अपील कर्त्ता की गोपनीय रिपोट मे एक रिमार्क यह था कि उसकी ईमानदारी शकाप्रद थी। इस पर कलेक्टर ने उसे नोटिस जारी किया परन्तु अपीलान्ट अनुपस्थित रहा। कलेक्टर ने इन नियमो म प्रावधानित प्रक्रिया का अनुसरण किये बिना उस पर एक ग्रेड वेतन वृद्धि बिना सिचित प्रभाव से रोकने की शास्ति आरोपित की। इसलिए कलेक्टर द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया वैध नही मानी गई।[4]

दोहरी शास्ति—इस बात पर मतान्तर है कि आया किसी राज्य कर्मचारी पर एक से अधिक शास्तिया एक साथ लागू की जा सकती हैं या नही। जबकि उडीसा उच्च न्यायालय ने यह मत प्रकट किया है कि एक ही दोष पर दोहरी शास्तिया लागू करने पर कोई प्रतिबन्ध नही हैं,[5] इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि एक ही दुराचरण के लिए दो शास्तिया लागू नही की जा सकती।[6]

जबकि धोखे से नौकरी प्राप्त करना, नियोजन के दौरान दुराचरण मे नही आता,[7] मद्रास उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि नौकरी पाने के लिए गलत जन्म तिथि पेश करना उसे नौकरी से हटाने के लिए 'सही और पर्याप्त कारण" हैं।[8]

जैसा कि ऊपर कहा गया है किसी कर्मचारी को दण्डित करने से पहले उस पर लगाये गये आरोप रेकर्ड पर सिद्ध होने चाहिए। एक मामले मे जबकि आरोप साबित नही हुए (निन्दा) की शास्ति का आदेश सही नही माना गया।[9] जबकि कारण बताओ नोटिस मे अवज्ञा (अविनय) या अनुशासनहीनता की गतिविधियों से सम्बन्धित किसी आरोप का उल्लेख नही था, तो यह निर्णय

1. 1978 RRD–NUC–74
2. 1975 RRD–NUC–599
3 1974 RRD NUC 121
4. RRD 1974–205.
5. 1974 SLJ–25
6. 1969 SLR–787.
7. 1973 Lab. IC 1267 (इलाहाबाद)
8 1953 Lab IC 552 (मद्रास)
9. AIR 1971 सुप्रीम कोर्ट–156.

था कि इन आरोपों पर सम्बन्धित कर्मचारी को दण्डित नहीं किया जा सकता।[1] नियम 14 में वर्णित शास्ति के विभिन्न स्वरूपों का विवेचन करते हुए हम कुछ अन्य फैसलों का भी जिक्र करेंगे।

शास्तियों का वर्गीकरण—नियम 14 में उल्लिखित शास्तियां दो वर्गों में श्रेणीबद्ध की गई हैं, यानि् लघु शास्तियां और कठोर शास्तियां।

I लघु शास्तियां:—

(i) निन्दा,

(ii) वेतन वृद्धि पर रोक

(iii) पदोन्नति पर रोक, और

(iv) सरकारी आर्थिक हानि के कारण वसूली।

II कठोर शास्तियां.—

(i) निम्नतर सेवा, ग्रेड या पद या नीचे के वेतनमान में अवनति,

(ii) अनुपातिक पेंशन पर अनिवार्य सेवा निवृत्ति,

(iii) सेवा से हटाना, और

(iv) सेवा से बरखास्तगी।

यहां, नियम 14 के नीचे दिए गए स्पष्टीकरण का अध्ययन करना लाभप्रद होगा, जिसके अनुसार निम्नलिखित कार्य इस नियम के अभिप्राय में शास्ति नहीं माने जाएंगे —

(i) सेवा नियमों या राज्य कर्मचारी नियुक्ति की शर्तों के अनुसार किसी विभागीय परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहने के कारण उसकी वेतन वृद्धियों पर रोक।

(ii) अनुपयुक्तता के आधार पर दक्षता अवरोध (Efficiency Bars) पर तरक्की रोक देना।

(iii) किसी उच्चतर पद या वेतनमान में पदोन्नत नहीं करना।

(iv) स्थानापन्न रूप में (officiating) पर काम कर रहे कर्मचारी को, उच्चतर सेवा, ग्रेड या पद के लिए अनुपयुक्तता के आधार पर या प्रशासनिक कारण से उसके मूल पद-स्तर पर वापिस भेज देना।

(v) परीक्षण पर उच्चतर पद पर काम कर रहे कर्मचारी को वापिस उसके स्थाई पद पर परावर्तन (reversion) कर देना।

(vi) नियत सेवावधि (superannuation) या रिटायरमेन्ट के नियमानुसार अनिवार्य सेवा निवृत्ति।

(vii) सेवा की समाप्ति—

(क) परीक्षण काल के दौरान या उसकी समाप्ति पर, या

(ख) अस्थाई कर्मचारी की, जब कि उसका नियुक्ति काल समाप्त हो जावे, या

(ग) विशेष इकरार पर नियुक्त किए गए कर्मचारी की, उसके इकरारनामे की शर्तों के अनुसार, या

---

1 1975 WLN (UC)–232

(घ) राजस्थान मे सम्मिलित होने वाले किसी इकाई के कर्मचारी की, जब वह एकीकृत राजस्थान मे किसी सेवा के लिए नही चुना जावे या जिसका सविलीनीकरण (absorption) नही हुआ हो ।

कतिपय व्यक्तियों पर परीक्षाए लागू करने सम्बन्धी सरकारी निर्णय के औचित्य की जाच अदालत नही कर सकती ।[1] अनुशासन प्राधिकारी कर्मचारी को दक्षता-अवरोध पर रोकने मे समर्थ है और दीवानी अदालत इस अधिकार की जाच नही कर सकती और प्रशासनिक प्राधिकारियो के इस प्रकार के आदेशो के विरूद्ध अपील नही सुन सकती ।[2] अधीनस्थ अधिकारी द्वारा दी गई दक्षता अवरोध पार करने की अनुमति, नियुक्ति प्राधिकारी खारिज कर सकता है और सम्बन्धित राज्य कर्मचारी पर परीक्षा लागू कर सकता है ।[3] परन्तु अब नए वेतनमानो मे दक्षता अवरोध हटा दिए गए हैं, इसलिए भविष्य मे दक्षता अवरोध पर वेतन वृद्धियाँ रोकने का प्रश्न ही नही रहेगा ।

प्रक्रिया.–लघु-शास्तिया आरोपित करने की प्रक्रिया नियम 17 मे निर्धारित की हुई है और कठोर शास्तियों के लिए नियम 16 मे प्रावधान है । निर्धारित प्रक्रिया का पालन दृढता से करना चाहिए क्यो कि यह अपेक्षा 'कानूनी' और सविधान के अनुच्द 311(2)के अधीन आदेशात्मक(mandatory)भी है ।[4]

(1) **निन्दा** —यह राज्य कर्मचारी पर लागू की जा सकने वाली न्यूनतम शास्ति है जो करने योग्य कोई काम नही करने पर या अवाँछित कार्य या टालने योग्य कार्य करने पर यथा स्थिति, आरोपित की जा सकती है । निन्दा से अभिप्राय किसी अवांछित कार्य के करने पर या भूलचूक होने पर झिडकी देने या असम्मति प्रकट करने से है । निन्दा की शास्ति आरोपित करने के लिए लोक-सेवा आयोग से परामर्श लेना आवश्यक नही है । जब लोक सेवा आयोग एक मामले म सिफारिश की कि मामले की परस्थितियो को देखते हुए, 'निन्दा' परियाप्त सजा होगी, तो यह निर्णय हुआ कि सरकार के लिये यह बाध्य नही था कि वह लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर आलोचना करने के लिए सम्बन्धित कर्मचारी को अवसर प्रदान करने के लिए नोटिस जारी कर ।[5] सर्विस बुक मे दी गई प्रत्येक प्रतिकूल टिप्पणी 'निन्दा' नही होती । सर्विस बुक मे अकित यह अभ्युक्ति कि "सत्यशीलता सदेहप्रद है" (doubtful integrity) केवल एक सम्मति मानी गई न कि निन्दा या शास्ति ।[6] गोपनीय प्रतिवेदन मे प्रतिकूल इन्द्राज यदि सम्बन्धित व्यक्ति को सूचित किया जावे तो वह 'निन्दा' का रूप धारण करलगी और जब सूचित नही किया जावे तो 'निन्दा' नही मानी जाएगी ।[7]

प्रत्येक चेतावनी (वार्निंग), जो निर्धारित तरीके से नही दी जावे वह निन्दा' नही है । परन्तु *जब वह दुराचरण के कारण दी जावे और कर्मचारी के भविष्य पर विपरीत असर डाले तो* वो चेतावनी के भेष मे निन्दा होगी ।[8]

---

1 AIR 1960 इलाहबाद 484–मोइउद्दीन वि यू पी. सरकार ।
2 ILR 1960 राजस्थान 952–भैरो प्रसाद वि राजस्थान सरकार ।
3 AIR 1955 कलकत्ता 585–के बी माथुर वि एन सी चटर्जी ।
4 ILR 1957 राजस्थान 823, 1965 राजस्थान 108, 1958 राज 36
5. AIR 1961 MP 261 सी ए. डी सोजा वि मध्यप्रदेश सरकार ।
6. AIR 1961 कलकत्ता 164–ए आर नायक वि पश्चिम बगाल सरकार ।
7. ILR (1965)15 राजस्थान 664-श्री नन्दन वि सरकार, AIR 1970 SC 2086 भी देखिए ।
8. 1969 SLR 24 (दिल्ली) एन. सिह वि भारतीय सघ ।

जबकि दोषी कर्मचारी को दिया गया कारण बताओ नोटिस अस्पष्ट था जिससे वह उसका प्रभावशाली स्पष्टीकरण प्रेषित नहीं कर सकता था तो निन्दा का आदेश रद्द किया गया।[1] प्रार्थी ने सरकारी रकम बिना तिजोरी किए अपने पास एक वर्ष तक रखी तो उसके खिलाफ दिया गया निन्दा का दण्ड अनुमोदित किया गया।[2] इसी प्रकार जब एक डाक्टर ने जिला मेडिकल आफीसर के आदेश की न केवल अवहेलना की वरन् उसके प्रति भद्दी भाषा का प्रयोग कर उसका अपमान किया, इस कारण से उस पर आरोपित निन्दा की शास्ति न्यायसंगत मानी गई।[3] संविधान के अनुच्छेद 311 में निन्दा की शास्ति सम्मिलित नहीं है।[4]

(2) **वेतन वृद्धियां या पदोन्नति रोकना**—यह लघु शास्ति का अन्य रूप है। इस शास्ति के लिए भी अधीनस्थ कर्मचारियों के मामलों में लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है। परन्तु पदोन्नति रोकने से पहले राज्य सेवाओं के सदस्यों के मामलों में लोक सेवा आयोग की राय लेना जरूरी होगी। यह शास्ति संविधान का अनुच्छेद 311 आकर्षित नहीं करती। परन्तु जब पहले से ही देय तरक्की रोकने के साथ कर्मचारी की सेवा भी समाप्त करदी गई और संविधान के अनुच्छेद 311 (2) के प्रावधानों का पालन नहीं किया तो यह शास्ति अवैध ठहराई गई।[5]

राज्य सरकार के निर्देशानुसार, वेतन वृद्धियां रोकने के आदेश में यह निर्दिष्ट कर देना चाहिए क्या रुकावट संचित प्रभाव से होगी अथवा नहीं। इसी प्रकार पदोन्नति रोकने के आदेश में भी उसके प्रभाव की अवधि उल्लेखित करनी चाहिए, अर्थात् क्या स्थाई रूप से या अस्थाई निर्दिष्ट समय के लिए।

साधारणतः राज्य कर्मचारियों पर लघु शास्तियां आरोपित करने के प्रशासनिक आदेशों के औचित्य पर न्यायालय निर्णय नहीं देता है। परन्तु घोर अन्याय के मामलों न्यायालय को दखल करना पड़ा। जब कि एक राज्य कर्मचारी द्वारा 22 वर्षों तक सेवा करने के पश्चात् विभागीय परीक्षा में पास नहीं होने के कारण उसकी वेतन वृद्धि रोकदी गई तो यह शास्ति अनुचित ठहराई गई।[6] एक अन्य मामले में, जब कि एक पहले से ही प्रदत्त अग्रिम वेतन वृद्धि, सम्बन्धित कर्मचारी को, अपना प्रतिवेदन देने का अवसर दिए बिना, रोकदी गई तो रोकने का आदेश खारिज किया गया।[7] एक असाधारण मामले में एक सरकारी कर्मचारी की वेतन वृद्धियां तीन वर्ष तक शास्ति के रूप में रोकदी गई क्योंकि भाषा विवाद पर सरकार के विरुद्ध उसने अपनी राय प्रकट की। अदालत ने यह आदेश इस आधार पर अवैध ठहराया कि वह आचरण नियमों से असंगत था और इससे अन्यथा भी वह संविधान के अनुच्छेद 19 (2) का उल्लंघन करता था।[8]

---

1 AIR 1972 SC 2472–बी डी गुप्ता वि हरियाणा सरकार।
2 1970 SLR 185 (उड़ीसा) बी सतपथी वि उड़ीसा सरकार।
3 1971 Lab IC 1548 (आसाम) डा के पालीत वि शासन सचिव
4 AIR 1954 अजमेर 22
5. AIR 1960 पंजाब 129–गुरदीप सिंह वि पंजाब सरकार।
6 1976 SLC (L & S) 118–पंजाब सरकार वि शामलाल मुरारी।
7 1969 SLR 496 (पूर्ण पीठ)–अप्पुकुट्टन नय्यर वि केरल सरकार।
8 AIR 1966 SC 1387–डा बी के. आवती वि मैसूर सरकार।

जबकि एक राज्य कर्मचारी की वेतन वृद्धिया रोकने का आदेश, उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपो का नतीजा अभिलिखित किये बिना जारी किया गया था, तो यह फैसला हुआ कि कारणों के अभाव ने अपील के अधिकार प्रदान किये और उसी आधार पर उक्त आदेश खारिज किया गया[1] इस प्रकार किसी आदेश को वैद्य होने के लिए उसे बाकता हुआ लिखा जाना चाहिए अर्थात् उसमे आदेश दन के कारण व्यक्त करने चाहिए ।[2]

सचित प्रभाव से वेतन वृद्धिया रोकना—जबकि नियम 14 के अनुच्छेद (ii) मे उल्लेखित शास्ति वेतन-वृद्धि रोकना, एक लघु शास्ति है, परन्तु यदि उसके साथ अभिव्यक्ति सचित प्रभाव स जोडा गया हो तो वह सेवा मे पदानवती बन सकता है और इस प्रकार कठोर शास्ति मे परिवर्तित हो जायेगा। राजस्थान उच्च न्यायालय की एक खण्डपीठ ने निर्णय दिया कि शब्द 'पदानवती मे वेतन वृद्धिया रोकना सम्मिलित है और यदि वह भविष्य मे प्रभावित करने वाली हो तो वह, जहा तक वह कमचारी की उपलब्धियो (Emoluments) स सम्बन्धित हैं, उसकी उन्नति के वेग को स्थाई रूप से कम करने वाली होगी। यह मत लोगमल वि. सरकार[3] मे अभिव्यक्त किया गया। यह स्थिति भारत सरकार द्वारा जाच की गई और दिनाक 20-4-1968 को केन्द्रीय सिविल सवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील) नियमा मे सशोधन किया गया जिससे जाच करना आवश्यक हो गया।

ऐसे मामलो म प्रशासनिक आदेशो पर भी अदालतो ने प्राकृतिक न्याय का सिद्धान्त विस्तारित कर के लागू कर दिया है। एक दूसरे मामले–सी वीरा चोवइया वि मैसूर राज्य[4]–मे निर्णय दिया गया कि, "आदेश यह विशिष्टत उल्लेख करता है कि वेतन वृद्धिया तीन वर्ष के लिए रोकी गई है जो उसको भविष्य मे तरक्की मिलने मे प्रभावित करेगी। अत इसका नतीजा यह होगा कि जहा तक प्रार्थी सम्बन्धित है, वहा तक तीन वर्ष के लिए घडी की सुई पीछे खिसका दी गई है, मानो कि वह वेतन वृद्धियो के प्रयोजनार्थ सेवा मे था ही नही। यदि इस आदेश का प्रभाव समयावधि वेतनमान मे नीचे के स्तर पर गिराने का हो तो इसका अर्थ यह अवश्य हुआ कि नियमो मे बताई गई वह एक कठोर शास्ति हो गई। ऐसी शास्ति जो भारतीय सविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन बनाये गये नियमो से प्रतिकूल हो वह खारिज करने योग्य है। यह सम्मत्ति दिल्ली उच्च न्यायालय ने श्रीमती सुशीला दुआ वि राज्यपाल[5] मे व्यक्त की। किन्तु उडीसा उच्च न्यायालय ने गोविन्दचन्द्र राउट वि उडीसा सरकार[6] मे यह निर्णय दिया कि वेतन वृद्धि रोकना एक लघु शास्ति है और 'वेतन मान मे निम्न स्तर पर पदावन्नति' के समान कठोर शास्ति नही है। जैसे कि नियमो मे उल्लिखित हैं, ये दोनो भिन्न भिन्न शास्तिया है। इससे वर्तमान मे वेतन-मान मे नीचे के स्टेज पर अवनति होगी और भविष्य मे लाभमय प्रगति के अवसर खोना नही।

पदोन्नति रोकना—पदोन्नति पर रोक लगाना भी एक लघु शास्ति है। यद्यपि पदोन्नति कोई

1. 1978 Lab IC 41 (कलकत्ता) (पूर्णपीठ)–टी आर पाण्डे वि चीफ कमीश्नर
2 1970 SLR 732–डा० वी के तलवार वि हरियाणा सरकार।
3. AIR 1967 राज 214
4 1973 (1) SLR–241
5. 1977 Lab IC (NUC) 141
6 1977 Lab IC 1684

अधिकार नहीं होता[1] फिर भी राज्य कर्मचारी को अधिकार है कि जब तक कि उसे शास्ति के रूप पदोन्नति से वंचित नहीं किया गया हो, जब तक उसके मामले पर विचार किया जावे।[2] इसलिए शास्ति के रूप में जिस किसी राज्य कर्मचारी की पदोन्नति रोकी जावे तो ऐसा अवरोध लगाने से पहले, नियम 17 में निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करना चाहिए।[3] यह शास्ति बिना सही और पर्याप्त कारणों के लागू नहीं की जा सकती। अन्य शब्दों में, यह शास्ति आरोपित करने से पूर्व रेकार्ड पर दुराचरण का आरोप साबित होना चाहिए। सरकारी कर्मचारी को पदोन्नति नहीं देना पदस्तर से अवनति करना नहीं होना।[4] परन्तु वह संविधान के अनुच्छेद 16 में विचारणीय राज्याधीन नौकरी के विषय में अवसर व समानता के सिद्धान्त के अन्तर्गत आती है। मैसूर सरकार वि सी आर शेषाद्री[5] में यह कहा गया है —

'हमारी संविधान की योजना में मोटे तौर से तीन विभाग विद्यमान हैं, नामार्थ—

(अ) किसी पदाधिकारी को पदोन्नति देने का अधिकार कार्यकारीणी (सरकार) को है और न्यायिक शक्ति सरकार की कार्यवाही को नियन्त्रित या पुनरावलोकन कर सकेगी परन्तु इस हद तक कार्यवाही नहीं कर सकती मानो कि वह स्वयं ही कार्यकारणी हो।

(ख) न्यायालय निदेशन जारी कर सकता है परन्तु उसकी कार्यान्विति कार्यकारीणी पर छोड़ देनी है।

(ग) न्यायपालिका कर्मचारियों को पदोन्नत या पदान्नवति नहीं कर सकती परन्तु सरकार के किसी गलत आदेश को खारीज कर सकती है या सही सिद्धान्तों पर पुनर्विचार करने के लिए आदेश दे सकती है।"

पदोन्नतियों के मामले नियोजन और नियुक्ति की परिधि में आते हैं।[6] पदोन्नति का मामला पूर्णत प्राधिकारी के स्व विवेक पर निर्भर है और जब तक यह नहीं दर्शाया जावे की किसी कानून या नियमों का उल्लंघन हुआ है तब तक उसे कानूनन चुनौति नहीं दी जा सकती।[7] अत, जब कि प्रारम्भ में एक कर्मचारी का नाम पदोन्नति के लिए उपयुक्त समझा गया, परन्तु बाद में उसे सूचित किया गया कि वह इसके उपयुक्त नहीं है तो इससे अपने आप में कर्मचारी को पदोन्नति के लिए कोई अधिकार प्रदत्त नहीं हुआ।[8] इसके विपरीत जबकि प्रार्थी के प्रतिवेदन पर लोक सेवा आयोग की सिफरीश के पश्चात् भी जब उसका नाम पदोन्नतियों की प्रस्तावित सूची में सम्मिलित नहीं किया गया तो मना करने का सरकारी निर्णय अवैध तथा गलत घोषित किया गया।[9]

---

1 AIR 1962 SC 1704 और AIR 1968 SC 1113
2 AIR 1967 SC 1910—सन्तराम वि राजस्थान सरकार।
3 1973 SLJ 41—श्री नाथ वि मैसूर सरकार।
4 AIR 1958 राजस्थान—239
5 1974 SCC (L & S) 264
6 1965 RLW 388—मोहनलाल वि राजस्थान सरकार।
7. AIR 1959 मणीपुर 1—श्री बी सिंह वि पाठशाला निरीक्षक।
8. AIR 1959 मद्रास 270—एल बालकृष्णन वि उप-महा-निरीक्षक।
9 AIR 1964 पंजाब-302—के एल नन्दा वि पंजाब सरकार।

सेवाओं के एक सदस्य को अस्थाई रूप से एक उच्चतर पद पर कार्यग्राहन के रूप म कार्य करने के लिए पदोन्नत किया गया परन्तु उसके विरुद्ध शिकायतें प्राप्त होने पर उसे एक वर्ष के लिए उसके मूल पद पर परावर्तन कर दिया गया और उसकी भावी पदोन्नति उसके ऊपर के अधिकारी की अच्छी रिपोर्ट पर निर्भर की। एक वर्ष की समाप्ति पर उसने अधिकार के रूप मे पदोन्नति का दावा किया। न्यायालय ने इस आधार पर उसका दावा खारिज कर दिया कि राज्य कर्मचारी अधिकार के रूप म पदोन्नति पाने का हकदार नही होता और जब वह एक बार नीचे की पंक्ति म परावर्तन कर दिया जाता है तो उसकी पदोन्नति, पदोन्नतियो के नियमो द्वारा नियमित की जायगी।[1] इसी प्रकार, जबकि पदोन्नति के मामले म प्रार्थी को अनेक कनिष्ट अधिकारीयो द्वारा अतिक्रमित कराया गया (Superseded) तो वह अपना दावा लेकर न्यायालय मे पहुचा। न्यायालय ने निर्णय दिया कि उसके मामले पर सम्बन्धित प्राधिकारी ने यथाचित विचार किया था और उसे पदोन्नति के लिए उपयुक्त नही समझा इसलिए दावे के लिए कोई विनाय दावा पैदा नही हुआ।[2] राजस्थान उच्च न्यायालय के एक अधिकारी श्री परमात्माशरण ने सहायक रजिस्ट्रार या मुख्य न्यायाधीश के सचिव के पद पर पदोन्नत करने के लिए इस आधार पर दावा किया कि उसके मामले पर पूर्णतया विचार नही किया गया। इस मामले पर न्यायालय न निर्णय दिया कि यद्यपि अनुच्छेद 16 के अन्तर्गत किसी भी नागरिक को समान अवसर से इन्कार नही किया जा सकता परन्तु इसका यह तात्पर्य नही है कि उसे कुछ सुविधाए प्रदान की जावे। मुख्य न्यायाधीश को अधिकार था कि वह पदोन्नति के लिए सबसे उपयुक्त आदमी का चुनाव करता।[3]

जो व्यक्ति किसी अन्य विभाग म उप-नियुक्ति (डेप्यूटेशन) पर चला गया हो तो उसके पदोन्नति के मामले म उसके मूल विभाग द्वारा उपयुक्त विचार किया जाना चाहिए क्योकि वह अपने पिछले पद पर पदाधिकार (lien) धारण करता है।[4] कर्मचारी की वरिष्ठता पर तभी विचार किया जा सकता है जब कि वह अपने प्रतिस्पर्धी दावेदारो के गुण तथा योग्यता मे लगभग समान हो।[5] आर. आर रोय वि मध्यप्रदेश[6] मे निर्धारित यह तय किया गया है कि सरकार को पदोन्नतियो की तदर्थ या प्रस्तावित सूची तैयार करके प्रकाशित कर देनी चाहिये ताकि जो व्यक्ति उनसे प्रभावित हो उनको अपना दावा प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर मिल सके।

अनुसूचित जातियो/जन जातियो के पक्ष म आरक्षण करना संविधान के अनुच्छेद 16 (4) द्वारा प्रावधानित समान अवसर से मूल अधिकार का उल्लघन नही करता[7] तदनुसार सर्वोत्तम न्यायालय ने मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले को अमान्य किया और यह मत अभिव्यक्त किया कि, 'आरक्षण की जो शक्ति राज्य को संविधान के अनुच्छेद 16 (4) के अधीन प्रदान की गई है वह राज्य सरकार द्वारा उपयुक्त मामलो म न केवल नियुक्तियो के आरक्षण हेतु बल्कि चुनाव पदो के आरक्षण के लिए

1 AIR 1960 M P 216–बी सी तिवाडी वि मध्य प्रदेश सरकार।
2 AIR 1962 SC 1704–कलकत्ता उच्च न्यायालय वि ए के रोय।
3. 1963 RLW246–परमात्मा शरण वि राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश।
4 1965 RLW 388–मोहनलाल वि राजस्थान सरकार।
5 AIR 1957 कश्मीर 29–एम एन गन्जू वि जम्मू व काश्मीर सरकार।
6 AIR 1964 मध्यप्रदेश–407
7 AIR 1962 सुप्रीम कोर्ट 36–जिसमे AIR 1960 इलाहाबाद 454 का विखण्डन किया गया

प्रावधान करने के लिए भी प्रयोग कर सकेगी। हमारी सम्मति में इसका यह अभिप्राय संविधान निर्माताओं के इस आशय को प्रभावशाली बनाएगा कि पिछड़ी जातियों की प्रगति के लिए और सेवाओं में उनके पर्याप्त प्रतिनिधित्व की प्राप्ति के लिए उचित संरक्षण रखा जाना चाहिए।"

(4) वेतन से वसूली — चौथी किस्म की लघु शास्ति कर्मचारी की लापरवाही या किसी कानून, नियम अथवा आदेश के उल्लंघन के फलस्वरूप घटित सरकार को पहुंचाई गई हानि की क्षति पूर्ति पूर्णत: या आंशिक रूप से राज्य कर्मचारी के वेतन में वसूल करने की है। यह कोई जुर्माना नहीं है, इसलिए वसूली की राशि वास्तविक नुकसान की राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए। जबकि दोषी व्यक्ति राजकीय सेवाओं का सदस्य हो तो यह शास्ति लागू करने से पहले राजस्थान लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक होगा।

संवैधानिक संरक्षण —सार्वजनिक कर्मचारी को जो संवैधानिक संरक्षण प्रदत्त है वह उनकी अवहेलना किसी भी परिस्थिति में नहीं की जानी चाहिए। जबकि जिस प्रयोगशाला का प्रभारी अपीलकर्ता था उसमें बारम्बार चोरियां घटित हुई जिसमें उसे अवांछित व्यक्ति समझा गया। प्राधिकारियों ने निरंकुश तरीके से कार्यवाही की और निर्धारित औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना उसका दो महीने का वेतन जब्त कर लिया और उसे सेवा से हटा दिया गया। इसलिए, उक्त शास्ति का आदेश रद्द किया गया।[1]

वेतन से वसूली की यह शास्ति इसलिए आवश्यक है कि राजकीय कर्मचारी ऐसे लापरवाही, असावधानी या बर्बादी या किसी कानून, नियम या आदेश का उल्लंघन करने, से भयभीत रहें जिससे कि सरकार को हानि पहुंचे। उदाहरणार्थ, हम बस परिचालक के मामले को ले सकते हैं जो यात्रियों से कम किराया वसूल करे या ऐसा चालक जो यह जानते हुए कि गाड़ी में खराबी है उसे चलाता रहे जिसके फलस्वरूप कोई क्षति पहुंचे अथवा ऐसा खजान्ची जो सरकारी राशि को खुले में छोड़दे जिससे उसकी चोरी होने या आंधी के झोंके से उड़ जाने का परिणाम निकले। यदि कोई गोदाम कीपर या स्टोरकीपर या सरकारी लेखन सामग्री का प्रभारी अपने प्रभार की वस्तुओं को सावधानीपूर्वक नहीं रखें और कोई सामग्री दीमक वर्षा के पानी, चोरी आदि सारा नष्ट या क्षतिग्रस्त हो जाए, तो वह ऐसी शास्ति का भागी होगा।

वित्तिय नियमों में भी वित्तिय सुचरित्र का एक मानक (स्टेण्डर्ड) निर्धारित है, जिसका दृढ़ता से पालन करना अपने आपको शास्ति से बचाने के लिए आवश्यक है। प्रत्येक राज्य कर्मचारी से अपेक्षा की जाती है कि वह सरकारी सम्पत्ति की रक्षा उसी होशियारी तथा सतर्कता से करे जो वह अपनी निजी सम्पत्ति के विषय में करता है। यदि वह धोखाधड़ी या कपटपूर्ण तरीके से जान बूझकर सरकार को हानि पहुंचावे तो वसूली की यह लघु शास्ति पर्याप्त नहीं होगी। उसे अधिक संगीन परिणाम भुगतने चाहिए।

वसूली का कोई आदेश जारी करने से पूर्व निम्नलिखित तथ्य निर्धारित किए जाने चाहिए —

(1) सरकार को पहुंचाई गई वास्तविक आर्थिक हानि,

(2) उक्त हानि दोषी कर्मचारी की लापरवाही या किसी कानून, नियमों या आदेश के उल्लंघन के फलस्वरूप घटित होनी चाहिए, और

---

1. AIR 1960 मध्य प्रदेश 294—चावराल वि. प्रधानाचार्य राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय।

(3) राशि के कम हानि की सीमा जो पूर्णत या आंशिक रूप म कमचारी से वसूल करनी है।[1]

अत जब कि यह नहीं कहा जा सकता कि हानि किसी विशिष्ट कमचारी के कारण ही घटित हुई तो उस दण्डित नहीं किया जा सकता। जब कि प्रार्थी का यह कर्तव्य नहीं था कि वह पत्रिंग व कागजो वगैरह का वर्गीकरण करता तो वह गबन वर्गीकरण के लिए जिम्मेवार नहीं ठहराया जा सकता जिसके परिणाम स्वरूप सरकार को हानि हुई।[2] जोसफ वि केरल राज्य[3] म यह न्यायोचित नही समझा गया कि जब स्टाक म पड हुए गेहू का वजन प्राकृतिक कारणों (नमी) के कारण बढ गया तो सरकार ने उसका फायदा उठा लिया परन्तु जब प्राकृतिक कारणो से ही (उदाहरणत सूखा) के कारण गेहूँ का वजन घट गया, तो सरकार ने इसका दायित्व गोदाम कीपर पर ठहराया।

शास्ति तभी लागू की जानी चाहिए जब कि जाच की सारी औपचारिकताए पूरी करली गई हो और सम्बन्धित कमचारी को मामले म अपना प्रतिवदन प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया जा चुका हो।

राजस्थान सरकार के निर्देशनानुसार दोषी कमचारी स वसूली उसके भुगतान करने की सामर्थ्य का ध्यान रखत हुए सुविधाजनक किश्तो म की जानी चाहिए। यदि राज्य कमचारी के वतन से वसूली होने स पहले, कमचारी सेवा निवृत्त हो जाए तो राजस्थान सेवा नियमो क नियम 170 के अन्तगत उसकी पेशन स वसूली की जा सकती है।

कठोर शास्तिया

(1) पदस्तर से पदावनति —यह एक प्रकार की कठोर शास्ति है। इसस तात्पय पद से नीचे गिराना है अर्थात् सरकारी कमचारी को निम्नतर ग्रेड या निम्नतर पद, या निम्नतर वेतनमान मे, या उसी वतन मान म नीचे की अवस्था (stage) म लगाना है अथवा देय पेशन स कम राशि पेशन के रूप म देने से है।[4]

दो प्रश्न हैं जिनके उत्तर इसका निर्णय करेग कि आया कोई पदावनति शास्ति स्वरूप है अथवा नही। पहला यह कि आया सम्बन्धित व्यक्ति को वह पद धारण करने का अधिकार है या नही दूसरा यह कि आया उस पदावनति का परिणाम सविधान के अनुच्छेद 311 म प्रावधानित दण्ड के रूप म है अर्थात् अर्जित लाभो की जब्ती या भावी पदोन्नति के अवसरो म रुकावट या स्थगन। इनम से किसी भी एक प्रश्न का उत्तर हाँ म होने से पदावनति शास्ति क रूप म होने वाली समझी जाएगी। उपरोक्त सिद्धान्त सर्वोत्तम न्यायालय ने प्रसिद्ध केस पुरशोतम लाल धींगरा वि भारतीय सघ[5] मे निर्धारित किया। नियम 14 के नीचे दिए गए स्पष्टीकरण (1) के उप खण्ड (iv) और (v) यह स्पष्ट करते है कि उच्च सेवा ग्रेड या पद पर स्थानापन्न रूप से काय करने वाले किसी राज्य कमचारी का प्रत्यावर्तन अनुपयुक्तता या प्रशासकीय आधार पर करना जो उसके आचरण से सम्बन्धित न हो शास्ति नही माना जाएगा। इसी प्रकार परीक्षण पर किसी अन्य सेवा ग्रेड या पद पर काय कर रहे राज्य कमचारी को परीक्षण अवधि म या अवधि की समाप्ति पर, उसकी

---

1 AIR 1955 VP 21 रामचरण वि विन्ध्य प्रदेश सरकार।

2 1975 Lab IC 1332 (पटना श्रीधर प्रसाद वि भारतीय सघ)।

3 1973 (2) SLR 712

4 AIR 1958 मणिपुर 33–एन तोम्बी सिंह वि सरकार।

5 AIR 1958 सुप्रीम कोर्ट 36

नियुक्ति की शर्तों या परीक्षण सम्बन्धी आदेश या नियमो के अनुसार उसे वापिस उसकी स्थाई (मूल) सेवा, ग्रेड या पद पर प्रत्यावर्तित कर देना नियम 14 के अभिप्राय से शास्ति नही होगी। यहा शब्द "पदावनति" को उसके तकनीकी अर्थ मे समझना चाहिये, अर्थात् यह एक शास्ति है जो अनुशासन-हीनता या दुराचरण के कारण किसी राज्य कर्मचारी पर लगाई जा सकती है।[1] "पद-स्तर मे अवनति" कर्मचारी की वर्तमान स्थिति मे सम्बन्धित होनी चाहिए न कि किसी भावी सभावित हानि से। शास्ति के रूप मे नीचे के पद पर या कम वेतन, भत्तो आदि उपलब्धियो पर पदावनत करना सविधान के अनुच्छेद 311 के आशय के अनुसार पक्तिच्युत करना होगा।[2]

जब एक व्यक्ति जो ऊचे पद पर प्रतिनियुक्ति (डेप्यूटेशन) पर काम कर रहा था, मामूली तौर से वापिस उसके मूल पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जाता है, तो इसमे शास्ति का कोई तत्व या अश नही है। परन्तु यदि पदस्तर मे गिरावट शिकायत और जाच के फल स्वरूप है, तो वह किसी अपराध या दुराचरण का दण्ड होगा और उससे उस कर्मचारी की भावी पदोन्नतिया रुक जाएगी, इसलिए वह पद स्तर मे पदावनति करना होगा।[3]

जब एक कर्मचारी का प्रत्यावर्तन इस कारण से कर दिया गया कि स्थाई पदाधिकारी उपलब्ध करा दिया गया था,[4] या उपयुक्त योग्यता का आदमी मिल गया था, या अस्थाई पदोन्नति पाने वाला व्यक्ति उच्च पद के लिए अनुपयुक्त पाया गया।[5] तो निर्णय हुआ कि वह कोई दण्ड देने का मामला नही था। जबकि प्रतिनियुक्ति की अवधि समाप्त होने पर, जिसके लिए कि वह प्रतिनियुक्ति पर कार्य करने के लिए भेजा गया था, उसे मूल पद पर प्रत्यावर्तन कर दिया, तो कोई शास्ति नही बनी।[6] जब प्रतिनियुक्ति की अवधि मे एक कर्मचारी निधारित परीक्षा मे अनुत्तीर्ण रहा, जिससे उसको वापस उसके स्थाई पद पर भेजा गया, तो निर्णय हुआ कि यह भी कोई शास्ति का मामला नही था।[7] जबकि प्रतिनियुक्ति की अवधि मे चुनाव समिति ने कर्मचारी को उस पद के लिए नही चुना,[8] अथवा प्रशासनिक कारणों से उसे उस पद पर नही रखा गया[9] अथवा उपनियुक्ति पर कार्य कर रहे व्यक्ति के विरुद्ध प्रतिकूल रिमार्क लगाये जाने के कारण उसे वापस प्रत्यावर्तित कर दिया गया, तो प्रत्यावर्तन के इन सभी मामलो मे कोई शास्ति सम्मिलित होनी नही मानी गई।[10]

---

1. AIR 1953 सुप्रीम कोर्ट 250–सतीश चन्द्र वि भारतीय सघ।
2. ILR 1958 राजस्थान 134–बद्रीप्रसाद गुप्ता वि राजस्थान सरकार।
3. AIR 1956–जी बी देशमुख वि मध्य भारत सरकार।
4. AIR 1962 सुप्रीम कोर्ट 794–बम्बई राज्य वि एफ ए अब्राहिम।
5. (1953) 58 CWN 128 विक्टोरेय वि मध्य प्रदेश सरकार, AIR 1952 नागपुर 288 और 1969 SLR 442–भारतीय सघ वि आर एस धावा।
6. (1955) 59 CWN 859
7. AIR 1956 पटना 273
8. AIR 1965 केरल के एन शर्मा वि केरल सरकार।
9. AIR 1960 पजाब 65–हरबशसिंह वि पजाब सरकार।
10. AIR 1958 सुप्रिम कोर्ट–36–पुरुषोत्तम लाल धीगरा वि भारतीय सघ।

निम्नलिखित मामलों में भी प्रत्यावर्तन करना भी शास्ति स्वरूप नहीं माना गया —

(1) जबकि प्रशासनिक कारणों से सम्बन्धित पद समाप्त कर दिया गया ।[1]

(2) जबकि नये प्रकार के प्रशासनिक ढांचे के कारण प्रत्यावर्तन करना पड़ा ।[2]

(3) जबकि कर्मचारी के विरुद्ध कोई कलंक नहीं लगाया गया ।[3]

इसके विपरीत, प्रत्यावर्तन करना शास्ति स्वरूप माना गया जबकि कर्मचारी के विरुद्ध कोई कलंक लगाया गया था,[4] या नये उम्मीदवार का चुनाव कर लिये जाने के कारण कर्मचारी को प्रतिनियुक्ति के पद से हटाया गया,[5] या गोपनीय प्रतिवेदन में प्रतिकूल रिमार्क होने के कारण[6] या अकुशलता, लापरवाही और दुराचरण के आरोपों के आधार पर,[7] या भ्रष्टाचार के आरोप पर जांच पूरी नहीं होने से पहले,[8] या अनुपयुक्तता के कारण वेतन में कमी करने के साथ[9] या प्रत्यावर्तन बदनीयती से जांच को सुविधाजनक बनाने के लिए किया गया प्रत्यावर्तन[10] या जबकि एक आदेश से कर्मचारी को वेतन और भत्तों की जब्ती या उसके मूल पद पर वरिष्ठता की हानि हुई या जबकि उसके भावी पदोन्नति के अवसर रुक गये या स्थगित हो गये तो यह निर्णय हुआ कि आदेश को चाहे जैसा शास्ति विहीन रूप में दिया गया हो फिर भी उसकी परिस्थितियां बताती थी कि वह शास्ति रूप था और सरकार ने निःसंदेह उस व्यक्ति को दंडित किया ।[11]

इसी प्रकार सेवा-निवृत्त कर्मचारी की पेंशन में किसी कार्यकारिणी आदेश द्वारा कमी नहीं की जा सकती क्योंकि पेंशन कोई अनुदान नहीं है और उसे प्राप्त करना सम्पत्ति का अधिकार है ।[12]

अतः जब तक कि पेंशन पाने वाले को अपनी प्रतिरक्षा के लिये उपयुक्त अवसर प्रदान नहीं किया जाय तब तक पेंशन की राशि में कोई कटौती नहीं की जा सकती ।[13] इस सम्बन्ध में राजस्थान सेवा नियमों के नियम 170 का पठन करना लाभप्रद होगा । पेंशन में कटौती करना एक कठोर शास्ति है जो तब तक नहीं लगाई जा सकती जब तक कि राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियन्त्रण और अपील) नियमों के नियम 16 में निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन दृढ़ता से नहीं किया गया हो ।

---

1 1973 SCC (L&S) 560–एम आर पिल्लई वि केरल सरकार ।
2 1971 (1) SLR–164–गुरदेवसिंह वि पंजाब सरकार ।
3 1969 SLR–442–भारतीय संघ वि आर एस धावा ।
4 1974 SCC (L&S)–124
5. 1973 WLN 320–(जे सी भाटिया वि राजस्थान सरकार ।
6 1974 SCC (L&S) 124 यू पी सरकार वि शुघडसिंह ।
7. 1973 SLC 302 (P&H) पंजाब राज्य वि माहिन्दर सिंह ।
8 (1971) SLR 345 के एच फर्डनिस वि महाराष्ट्र सरकार ।
9 AIR 1970 SC 77 डी सी दास वि भारतीय संघ ।
10. AIR 1964 SC 423–पी सी वाधवा वि भारतीय संघ ।
11. AIR 1958 SC 36–पी एल धींगरा वि भारतीय संघ ।
12 AIR 1971 SC 1409–देवकीनन्दन प्रसाद वि बिहार सरकार ।
13 1976 SCC (L&S) 172 पंजाब सरकार वि इकबाल सिंह ।

राजस्थान सरकार ने अपनी पुस्तिका अनुशासन कार्यवाहियों की हैण्डबुक म अनुच्छेद 17 (4) मे विशिष्ट निर्देशन दिये हैं जो ऊपर उधृत किये जा चुके है। सरकार चाहती है कि जब किसी सरकारी कर्मचारी को नीचे की सेवा, ग्रेड या पद या निम्नतर वेतनमान मे पदानवत किया जाता है तो सम्बन्धित प्राधिकारी को चाहिए कि वह साधारणत. स्थाई पदानवति नही करे क्योंकि उससे दोषी अधिकारी की नेक कार्य करने की प्रेरणा नष्ट होती है और उसका नैतिक पतन होता है। जबकि पदानवति की अवधि निर्दिष्ट की जावे, तो प्राधिकारी को यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि आया पूर्वस्थिति प्राप्त करने पर आया पदानवति की अवधि से भावी वेतन वृद्धिया स्थगित होंगी या नही और यदि है तो किस सीमा तक। इस विषय मे कृपया राजस्थान सेवा नियमों के नियम 34 को भी पढिए।

(2) अनुपातिक पेंशन पर अनिवार्य सेवा निवृत्ति भी एक कठोर शास्ति है। साधारणत, राजस्थान सरकार के समस्त असैनिक कर्मचारी उस माह की अंतिम तिथि को रिटायर होत है जिसम वे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी होने की दशा मे 58 वर्ष और अन्य श्रेणी के होने की दशा मे 55 वर्ष की आयु प्राप्त करते है, देखिए राजस्थान सेवा नियमों का नियम 56 केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए सेवा निवृत्ति की आयु 57 वर्ष है। सेवा निवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर जब कर्मचारी को रिटायर किया जाता है तो वह राजस्थान सेवा नियमों की शर्तों के अनुसार, जिनके आधार पर उसकी नियुक्ति हुई थी, सेवा निवृत्त किया जाना है। अत, इसमे शास्ति का कोई तत्व नही है। परन्तु सरकार को अधिकार है कि वह निम्नलिखित तरीकों से कर्मचारी को उक्त आयु प्राप्त करने से पहले रिटायर करदे —

(1) नियम 16 तथा सविधान के अनुच्छेद 311 (2) मे निर्धारित उपयुक्त जाच करने के पश्चात् शास्ति के रूप मे सेवा निवृत्ति की जा सकती है, अथवा

(2) पदों की कमी (Retrenchment) करने के लिए, राजस्थान सेवा नियमो के नियम 144 (2) के अधीन, जो कि एक प्रशासनिक मामला है। इस नियम के अधीन जब कोई राज्य कर्मचारी 25 वर्ष की अर्हरता सेवा समाप्त कर लेता है या 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है तो बिना कोई कारण बताए उसे सेवा निवृत्त किया जा सकेगा, जो नियम 14 के स्पष्टीकरण (vi) के अनुसार शास्ति स्वरूप नही होगा क्योंकि वह कमचारी की सेवा की शर्तों के अनुरूप है, अर्थात् राजस्थान सेवा नियमो के अनुसार है। वह राजस्थान सेवा नियमो के नियम 243 और 246 के अधीन पूरी सेवा निवृत्ति पेंशन प्राप्त करेगा।

(3) 25 वर्ष का अर्हरता सेवा समाप्त करने के पूर्व ही किसी कर्मचारी को सेवा निवृत्ति की आयु से पहले इस आधार पर रिटायर किया जा सकेगा कि वह राजस्थान सेवा नियमों के नियम 228 के अधीन शारीरिक या मानसिक रोग के कारण असमर्थ हो गया है। ऐसा करना भी कोई शास्ति नही होगी और उसकी असमर्थता की तिथि से वह सेवा निवृत्ति पेंशन प्राप्त करेगा।

सेवा निवृत्ति के प्रयोजनार्थ राज्य कर्मचारी की आयु उसकी सेवा पुस्तिका (सर्विस बुक) में दर्ज की गई जन्म तिथि के आधार पर तय की जाएगी। जबकि एक कर्मचारी ने हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण की हो तो हाई स्कूल के प्रमाण-पत्र मे उल्लिखित जन्म तिथि आयु का आधार मानी जाएगी और बिना किसी विपरीत शक्तिशाली सबूत के इसमे परिवर्तन नही किया जाएगा।

25 वर्ष की सेवा के पश्चात् अनिवार्य सेवा निवृत्ति का आदेश देने की शक्ति का प्रयोग केवल तभी किया जा सकता है जबकि ऐसा करना सार्वजनिक हित मे हो। इस विषय मे, नियुक्ति विभाग के सरक्यूलर सख्या F-24 (55) नियुक्ति (A) 57 दिनाक 17-1-59 के अनुसार राजपत्रित अधिकारियो के लिए सक्षम प्राधिकारी राज्य सरकार है। सरक्यूलर सख्या D 1273/60/F-24 (55) नियुक्ति (A) 57 दिनाक 22-2-60 के अनुसार लिपिकवर्गीय या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियो के लिए राज्य सरकार की पूर्वगामी अनुमति आवश्यक होगी।

सरकार की स्वीकृति-इसका तात्पर्य—कारोबारी नियम (Business Rules) का नियम 31 (vii) निर्धारित करता है कि किसी अधिकारी को बर्खास्त करने, सेवा स हटाने या अनिवायत सेवा निवृत्त करने का आदेश जारी करने से पूर्व, जबकि नियुक्ति प्राधिकारी सरकार हो तो प्रस्ताव अनुमति के लिए राज्यपाल व मुख्य मत्री को पश किए जाएगे। श्रीपाल जैन वि महानिरीक्षक आरक्षी राजस्थान[1] म न्यायमूर्ति बेरी ने निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण निर्णय दिया है —

"जब किसी राजपत्रित अधिकारी न 25 वर्ष की अर्हकारी सेवा समाप्त करली हो उसके पश्चात् यह निर्धारित करने का कार्य कि आया उसे सार्वजनिक हित मे सेवा निवृत्त करना अपेक्षित है, राज्यपाल व मुख्य मत्री ने स्वय धारण करने के लिए आरक्षित कर लिया है। किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा यह कार्य करने का अधिकार, चाहे वह कितना भी ऊँचा प्राधिकारी क्यो न हो कानून के अनुसार नही होगा।" इस मामल म सम्बन्धित पुलिस का सब-इन्सपेक्टर सरकार द्वारा नियुक्त किया हुआ था और सरकार के नाम से ही वह अनिवार्यतः सेवा निवृत्त किया गया परन्तु वास्तव मे उक्त आदेश मुख्य मत्री स आगे राज्यपाल तक पहुचा ही नही, इसलिए यह आदेश कानूनन गलत माना जाकर खारिज किया गया।

इस विषय मे राजस्थान सरकार के निर्देश महत्वपूर्ण है जो ऊपर पूरे दिये जा चुके है।[2] तदनुसार सरकार का आशय यह है कि ऐसे मामलो म जिनम किसी कर्मचारी को सेवा म जारी रखना अवाछित प्रतीत हो और जबकि सेवा स हटाये जाने या बर्खास्तगी की कठोरतम शास्तिया उनके परिणामस्वरूप होने वाली पेन्शन की हानि का दृष्टिगोचर रखते हुए, क्रूर समझी जावें, तो वैसे मामले म अनिवार्यत सेवा निवृत्ति की शास्ति दी जा सकेगी। परन्तु सरकारी रकम का गबन और नैतिक पतन के अपराध के मामलो 'को' पूर्वकालीन सेवा निवृत्ति से ज्यादा सख्त सजा दी जानी चाहिए। जो अधिकारी राज्य कर्मचारी को सेवा से हटान या बर्खास्त करने के लिए सक्षम हो वही उस अनिवाय सेवा निवृत्ति की शास्ति आरोपित कर सकेगा न कि कोई उससे नीचे का प्राधिकारी। इस प्रकार से रिटायर किये गये अधिकारियो को पेन्शन मजूर की जा सकेगी जो दोषी अधिकारी को स्वीकार्य योग्य पेशन से दो-तीहाई से कम नही तथा पूरी रोगातुर पेशन (invalid pension) स अधिक नही होगी। शास्ति के रूप मे अनिवार्य सेवा निवृत्ति सविधान के अनुच्छेद 311 (2)को आकर्षित करती है[3] और इसके लिए राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील)

---

1 ILR 1961 राजस्थान 536

2 प्रशासनिक कार्यवाहिया की पुस्तिका, 1963

3 1961 RLW 298–मगाराम वि राजस्थान सरकार।

नियम 1958 मे कठोर शास्तियों के लिए निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करना चाहिए । आन्ध्रप्रदेश सरकार वि एम एन निजामुद्दीन अलीखाँ[1] मे निर्णय दिया गया कि जाच की अवस्था मे तथा शास्ति प्रस्तावित करने की अवस्था मे, दोनो समय सुनवाई का अवसर प्रदान करने तथा प्रतिवेदन पेश करने का अवसर प्रदान करने का अभाव रहने से सविधान का अनुच्छेद 311 (2) अतिक्रमित हुआ, अतः आदेश खण्डन करने योग्य माना गया। जाच विचाराधीन रहते समय स पूर्व रिटायर करना सेवा से बर्खास्तगी या हटाने के समान है और चू कि सविधान मे अनुच्छेद 311 (2) की अपेक्षनाओ की पूर्ति नही की गई इसलिए आदेश निरस्त किया गया ।[2] उसी प्रकार, जबकि जाच जारी रखने के बजाय, दोषी कर्मचारी को समय से पूर्व रिटायर कर दिया गया तो विद्याधर मिश्रा वि यू. पी सरकार[3] मे तय हुआ कि उक्त सेवा निवृत्ति दण्ड स्वरूप थी और उससे सविधान के अनुच्छेद 311 (2) का उल्लघन हुआ।

एक राज्यपत्रित अधिकारी के पास रु 2440/—पाए गए। इस आधार पर प्राधिकारी ने यह कहते हुए उसको रिटायर कर दिया कि उक्त रकम उसकी आमदनी के अनुपात से काफी बडी थी। न्यायालय ने निर्णय दिया कि उपरोक्त निष्कर्ष पूर्णत अनुचित तथा अन्याय पूर्ण था, और अनिवार्य सेवा निवृत्ति का आदेश रद्द किया गया।[4]

इसके विपरीत जबकि राजस्थान सरकार ने एक आम आदेश जारी किया कि समस्त राज्य कर्मचारी जिन्होने एक मई, 1949 को 55 वर्ष की आयु प्राप्त करली है या 30 वर्ष की अर्हरता सेवा पूरी करली है वे 1 मई, 1949 को सेवा निवृत्त हो जाएगे। प्रार्थी, को जिसने 1 मई, 1949 का 30 वर्ष की सेवा पूरी करली थी ऐसे अन्य कर्मचारी के साथ रिटायर कर दिया, प्रार्थी ने अपनी सेवा निवृत्ति को इस आधार पर चुनौती दी कि उसे कोई नोटिस नही दिया गया इसलिए वह जब तक 55 वर्ष की आयु प्राप्त नही करले तब तक नौकरी पर बने रहने का अधिकारी है। इस पर निर्णय दिया गया कि 55 वर्ष की आयु तक सेवा मे रहना कोई अक्षय (indefeasible) अधिकार नही है, और यह कि सविधान के अनुच्छेद 311 (2) के अधीन कोई नोटिस देना आवश्यक नही था।[5] आगे अनेक मामलो मे यह भी निर्णित हुआ कि राजस्थान सेवा नियमों के नियम 244 (2) के अधीन सेवा निवृत्ति करना सविधान के अनुच्छेद 311, या अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 16 का उल्लघन नही करते।[6]

जब अनिवार्य सेवा निवृत्ति शास्ति के रूप मे आरोपित नही की जाती, तो सम्बन्धित कर्मचारी की सुनवाई करना आवश्यक नही है। परन्तु जब यह शास्ति के रूप मे हो, (जिसमे पदधारी द्वारा

1 AIR 1976 सुप्रीमकोर्ट 1964

2 1978 SLJ 88–इलाहाबाद–जी एम सीयाल वि भारतीय सघ।

3 1977 Lab IC 384 (इलाहाबाद)।

4 1973 (2) SLR–291.

5. ILR 1951 राज 405 और ILR 1965 राज 371–केवलमन ,सिंघवी वि हेनागम तथा गगाराम पुरोहित वि राजस्थान सरकार ।

6 RLW 1965–44–गोपालमल वि राज्य, ILR 1962 राज. 69–कपूरचन्द वि राजस्थान राज्य तथा ILR 1961 राज. 379–जी. आर पुरोहित वि राजस्थान राज्य।

पहले से ही अर्जित लाभो की जब्ती सम्मिलित है) यह आवश्यक है कि दोषी कर्मचारी को प्रतिवेदन करने तथा अपने आप को बचाने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किया जावे ।[1]

जयराम वि. भारतीय सघ[2] मे एक भिन्न स्थिति उत्पन्न हुई, जबकि प्रार्थि ने खुद ने यह माग की कि वह 55 वर्ष की सेवा निवृत्ति की आयु प्राप्त करने से पहले रिटायर कर दिया जावे । जब उसने अपनी माग पर दबाव डाला, तो सरकार ने उसकी प्रार्थना स्वीकार करली और उसे सेवा निवृत्त होने से पहले 11 महीने व 25 दिन का अवकाश प्रदान किया । परन्तु उक्त अवकाश समाप्त होने से ठीक 10 दिन पहले उसने अपना विचार बदल लिया और पुन कार्य पर आने की इच्छा प्रकट की । इस ध्येय की प्राप्ति के लिए वह न्यायालय मे पहुचा । इस मामले में सर्वोतम न्यायालय ने फैसला दिया कि यह स्थिति पूर्णत. उसकी स्वय की बनाई हुई थी । सरकार ने उसे रिटायर होन के लिए नहीं कहा था । अतः वह न्यायालय की सहायता प्राप्त करने का हकदार नही था ।

जब कि राज्य सेवाओ के किसी सदस्य को समय से पहले रिटायर करने का प्रस्ताव हो, तो लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक होगा । निम्नलिखित मामलो म सेवा निवृत्ति को सेवा से हटाना माना गया और, इसलिये, सविधान का अनुच्छेद 311 (2) आकर्षित हुआ —

(1) जब कि राज्य कर्मचारी राजनैतिक गतिविधियो मे भाग लेता था, या[3],

(2) जब कि वह असत्यवादी या अकुशल था,[4] या

(3) जब कि लोक सेवा आयोग की राय थी कि कर्मचारी के विरूद्ध आरोप साबित थे [5] या

(4) जब वह ऐसे व्यक्तियो के यहा आता जाता था जो कि विध्वसक गतिविधियो (subversive activities) मे भाग लेते थे[6], या

(5) जब उसे अनिवार्यतः अवकाश दिया गया जिसका अत आखिरकार उसकी सेवा निवृत्ति के रूप मे हुआ[7] ।

जब कि सरकार ने प्रार्थी का सेवा काल 11 महीने 20 दिन बढा दिया, परन्तु कथित आदेश एक पखवाडे के भीतर उठा लिया और प्रार्थी को उसके पद से मुक्त कर दिया गया, तो न्यायालय ने निर्णय दिया कि ऐसा करने से पहले सविधान के अनुच्छेद 311 के अधीन प्रार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान करना चाहिये था । ऐसे अवसर के अभाव मे द्वितीय आदेश स्पष्टत गलत था ।[8]

परन्तु जब कि राज्य सरकार ने एक आम अधिसूचना जारी करके, सार्वजनिक प्रशासन मे

---

1. AIR 1954 सुप्रीम कोर्ट 369.
2. AIR 1954 सुप्रीम कोर्ट 585
3. AIR 1963 सुप्रीम कोर्ट 1160—वि एस मेनन वि. भारतीय सघ ।
4. AIR 1954 सौराष्ट्र 146—सौभागचन्द एम दोषी वि सौराष्ट्र सरकार, एवं 1956 सुप्रीम कोर्ट 892.
5. AIR 1963 मद्रास 14—मद्रास राज्य वि. टी. के. जी अय्यर ।
6 AIR 1956 पेपसू 19—लक्ष्मन सिह वि आई जी. पुलिस ।
7 AIR 1951 जम्मू-कश्मीर 60
8. AIR 1963 मैसूर 208–के शामा राव वि मैसूर सरकार ।

कुशलता बढाने और सार्वजनिक हित के आधार पर सेवा निवृत्ति की आयु 58 से घटा कर 55 वर्ष की कर दी तो न्यायालय ने तय किया कि इससे अनुच्छेद 311 आकर्षित नही हुआ।[1]

अनुपातिक पन्शन पर सेवा निवृत्ति एक कठोर शास्ति है। परन्तु बर्खास्तगी से बचने के लिए जब कि राज्य कर्मचारी ने स्वय स्वच्छा से अनुपातिक पेन्शन पर रिटायर होने का विकल्प लिया, तो फैसला हुआ कि इसम जाच बिठाने की आवश्यकता नही थी क्योकि कमचारी ने दो बुराइयो म से कम हानिकर बुराई को चुना और वह उसके परिणामो म विज्ञ था।[2]

(3) सेवा से हटाना—सेवा से हटाया जाना एक कठोर शास्ति है, परन्तु इससे राज्य कर्मचारी को पुन सेवा म लिए जाने पर रोक नही लगती अर्थात् वह अनर्हित नही होता। राज्य सेवाओ के सदस्य पर यह शास्ति आरोपित करने से पूर्व लोक सेवा आयोग से परामर्श कर लेना चाहिये। यह शास्ति बर्खास्ती से भिन्न है क्योकि बर्खास्तगी स साधारणत कर्मचारी पुन. नियोजन के लिय अनर्हित (disqualified) हो जाता है।[3]

रेलवे के एक टी टी ई को सेवा से सही हटाया गया जब कि उसने कतिपय यात्रियो को बिना टिकट यात्रा करन की अनुमति दी।[4] बिना अनुमति के कार्य स अनुपस्थिति या अवकाश की अवधि समाप्त होने के बाद भी काम पर नही आन से उक्त दण्ड दिया जा सकता है।[5] जब कि एक पुलिस उप निरीक्षक को दैनिक रोजनाम म फर्जी इन्द्राज करने के कारण सेवा से हटा दिया गया तो ऐसा करना वैध निर्णीत हुआ।[6] जब कि एक राज्य कर्मचारी ने व्यापार करना प्रारम्भ कर दिया जो कि राजकीय नियमो म प्रतिषिद्ध था तो उनको नौकरी से हटाया जाना सही ठहराया गया।[7] जब कि रेलवे के परिसर मे सभाए करना निषिद्ध था, फिर भी प्रार्थी द्वारा ऐसी मीटिंग वहा करने पर उसे यह शास्ति दी गई तो अदालत ने उस वैध माना।[8] जब एक राज्य कर्मचारी ने नगरपालिका का चुनाव लडा, तो उसे नौकरी मे निकालना सही था।[9] स्थानान्तर होने पर काम पर नही जाने स,[10] और टेलीफोन आवटन करन म अनियमितता के लिए[11] इसी प्रकार की शास्ति सही मानी गई।

---

1. AIR 1962 इलाहाबाद 328–रामावतार पाण्डे वि यू पी सरकार।
2 AIR 1957 आसाम 77–आसाम सरकार वि एच बरुआ।
3 AIR 1975 सुप्रीम कोर्ट 1964 1975 ASR 370—मोहम्मद अब्दुल सलाम खाँ वि सरफराज अहमद खाँ।
4 AIR 1971 इलाहाबाद 246—भारतीय सघ वि ओ एस जौहरी 1970 SLR 874 (इलाहाबाद)।
5 AIR 1966 सुप्रीम कोर्ट 492–जयशकर वि राजस्थान सरकार।
6. AIR 1961 मध्य प्रदेश 365–एन एन पाठक वि मध्य प्रदेश सरकार।
7 AIR 1971 त्रिपुरा 21–ए सी गौत्तम वि त्रिपुरा का अरबन ट्रस्ट।
8 AIR 1969 सुप्रीम कोर्ट 966–रेलवे मण्डल वि निरजन सिह।
9 AIR 1960 कलकत्ता 283 एन एन बनर्जी वि. डिस्ट्रिक्ट डिप्टी ए सी।
10 1971 SLR 730 (आन्ध्र प्र) एन वाई स्वामी वि [illegible]

इसके विपरीत जब कि हडताल मे भाग लेने का आरोप था, परन्तु यह साबित नही था कि हडताल सार्वजनिक शान्ति म बाधा डालने वाली थी, तो सेवा से हटाने का आदेश निरस्त किया गया।[1] जब कि प्रार्थी न अपने पिता का वश मौसो लिया परन्तु कर्मचारी के विरूद्ध व्यापार या व्यवसाय करने का आरोप सावित नही हुआ, तो उसकी शास्ति का आदेश खारिज किया गया।[2]

नियम 14 के स्पष्टीकरण 1 (vii) के अनुसार निम्नलिखित कार्यवाहिया शास्ति स्वरूप नही मानी जाएगी :—

(1) परीक्षण पर नियुक्त किए गए राज्य कर्मचारी की सेवा समाप्ति, परीक्षण की अवधि म या उसके खत्म होने पर. या

(2) अस्थाई राज्य कर्मचारी की सेवा समाप्ति, नियोजन अवधि समाप्त होने पर, परन्तु यह सविदा पर नियुक्त कर्मचारियो के मामले म लागू नही होगा, या

(3) *किसी इकरार के अधीन नियोजित सरकारी कमचारी की सेवा समाप्ति, यदि यह* समाप्ति उक्त इकरार की शर्तों के अनुसार है या

(4) ऐसे राज्य कमचारी की सेवा समाप्ति जो राजस्थान मे सम्मिलित होने वाली किसी इकाई की सेवा म था और जिसका चुनाव या सविलीनीकरण सम्मिलित राजस्थान की किसी भी सेवा म एकीकरण क नियमो के अनुसार नही हुआ। परन्तु यदि उस किसी अन्य कारण स सेवा-मुक्त कर दिया हो' तो वह सेवा से हटाया जाना या बर्खास्तगी, जैसी कि स्थिति हो, मानी जाएगी।

(1) परीक्षणार्थी की सेवा समाप्ति—जब कि एक अनौपचारिक जाच केवल यह तय करने के लिए की गई कि आया, किसी परीक्षणार्थी विशेष (Particular probationer) को सेवा मे रखा जाव या नही और उसके बाद उसका सेवा स मुक्त करने का आदेश जारी हुआ, तो उससे उसके प्रति कोई बुरे परिणाम घटित नही हुए। ऐसे मामले म वह कर्मचारी सविधान के अनुच्छेद 311 के प्रावधानानुसार पूरी जाच कराने का दावा नही कर सकता।[3] परीक्षण पर रखने का प्रयोजन केवल यह होता है कि पदधारी के आचरण तथा योग्यता की जाच करली जावे। परीक्षण की अवधि पूरी हो जाने के बाद भी वह अधिकार रूप मे स्थाई किया जाने का दावा नही कर सकता। स्थाई करने के स्पष्ट आदेश के अभाव म वह स्थाई किया जाना समझे जाने का दावा नही कर सकता। इस विषय मे सर्वोत्तम न्यायालय ने सुखबश सिंह वि पजाब सरकार[4] म एक विस्तृत निर्णय दिया है। यदि किसी परिक्षणार्थी को दुराचरण के कारण दण्डित किया गया हो तो सविधान के अनुच्छेद 311 (2) की अपेक्षताए पूरी करनी आवश्यक होगी जैसा कि पुरुषोत्तम लाल धींगडा वि. भारतीय सघ मे निर्णय हुआ था।[5] अत मामूली तौर से, आम मामलो म परीक्षण पर रखे गए कमचारी को अपने पद पर

---

1 AIR 1964 पजाब 143–एम एल कान्धारी वि भारतीय सघ।

2 1967 ALJ 608–चन्द्र किशोर वि यू पी के ए जी।

3 AIR 1977 पजाब व हरियाणा 7. 1977 Lab IC 345–*विशनलाल गुप्ता वि हरियाणा* सरकार।

4 AIR 1962 सुप्रीम कोर्ट–1711

5 AIR 1958 सुप्रीमकोर्ट–36

बन रहने का कोई अधिकार नहीं है और वह परीक्षण की अवधि में कभी भी, लागू नियमों के अधीनस्थ रहते, हटाया जा सकता है।[1] कैलाश चन्द्र मेठिया वि राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल[2] में, न्यायमूर्ति पी एन सिंघल ने, सर्वोत्तम न्यायालय द्वारा जी. एस रामास्वामी वि आई जी पुलिस में दिए गए फैसले का अनुसरण करते हुए, मत प्रकट किया कि,–"परीक्षण अवधि की समाप्ति के पश्चात्, परिवीक्ष्यमाण (प्रोबेशनर) स्वत, सेवा के स्थाई सदस्य की हैसियत प्राप्त नहीं करता, नि.सदेह, जब तक, कि जिन नियमों के अन्तर्गत उसे नियुक्ति मिली थी, उसमें ऐसा परिणाम स्पष्टत: प्रावधानित न हो। इसलिए, यद्यपि प्रोबेशनर अपनी परीक्षण कालीन नियुक्ति के पद पर, परीक्षण की प्रारम्भिक अवधि से भी अधिक समय तक सेवारत रहा हो तथापि केवल समय निकल जाने के आधार पर ही वह सेवा का स्थाई सदस्य नहीं बन सकता जब तक कि उसको शामिल करने वाले सेवा के नियमों म यह साफ तौर से निर्धारित नहीं किया गया हो कि प्रारम्भिक परीक्षण काल बीत जाने के पश्चात् वह स्वत. स्थाई हो जाएगा।" उच्चतम न्यायालय न एक वाद के मामले, कैदारनाथ, बहल वि पंजाब सरकार[3] में और इलाहाबाद उच्च न्यायालय, ने एस्ट्रेला बेट्रीज लि वि यू पी सरकार[4] में भी यही मत धारण किया।

अत: परीक्षणार्थी (प्रोबेशनर) को अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है और नियुक्ति की शर्तों के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 311 (2) के प्रावधानों को आकर्षित किए बिना परीक्षण की अवधि में वह कभी भी सेवा से हटाया जा सकता है।[5] इसी फैसले में यह मत भी प्रकट किया गया कि जब पदमुक्ति के आदेश में कार्य 'असन्तोषजनक' उल्लिखित था तो उसे कलंक रूप में नहीं माना जा सकता क्योंकि प्रार्थी की नियुक्ति की शर्तों में साफ उल्लिखित था कि यदि उसका काम 'असन्तोषजनक' पाया गया, तो वह नौकरी से हटाया जा सकेगा। इसके, अतिरिक्त, प्रार्थी की सेवा समाप्त करने का निर्णय लेने में राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल को किसी सारहीन असबद्ध (irrelevent) तत्वों ने प्रभावित नहीं किया, इसलिये यह मामला शक्ति के दुरुपयोग का नहीं था। सेवा मुक्ति के आदेश की किस्म जानने के लिए केवल आदेश का रूप पूर्णत: निष्कर्ष बनाने वाला नहीं होता। यह सम्भव है कि आदेश दुराचरण के कारण बर्खास्तगी है परन्तु ऊपरी दिखावे से साधारण सेवा समाप्ति प्रतीत होती है। इसलिए ट्रिब्यूनल जब चाहे तब आदेश के रूप के पीछे जाकर उसके तत्वों की छानबीन कर सकती है। यदि वह इस मत पर पहुंचे कि मात्र सेवा मुक्ति के भेष में आदेश दुराचरण के आधार पर बर्खास्तगी है तो उसे "कपटपूर्ण तरीके से शक्ति का प्रयोग" मानते हुए खारिज करना चाहिये।[6]

अस्थाई राज्य कर्मचारी की सेवा समाप्ति–नियम 14 के स्पष्टीकरण (1)(vii) (ख) के अनुसार जिस कर्मचारी को अस्थाई रूप में बिना किसी संविदा के नियुक्त किया गया हो, उसकी सेवा, नियुक्ति की अवधि समाप्त होने पर, समाप्त की जा सकती है। उसे सेवा से हटाया जाना नहीं माना जायेगा।

1. AIR 1963 सुप्रीम कोर्ट 1552–राजेन्द्र सी चटर्जी वि भारतीय संघ।
2. 1973 WLN 389, 1973 RLW 544.
3. AIR 1972 SC 873
4. FLR 1979 (38) 373.
5. 1973 WLN 389–कैलाश चन्द्र मेठिया वि राज राज्य विद्युत मण्डल।
6. 1977 WLN 461.

सतीशचन्द्र आनन्द वि. भारतीय संघ[1] मे सर्वोत्तम न्यायालय न मत व्यक्त किया कि अस्थाई प्रकार के कार्यों के लिए, किसी अन्य नियोजक के समान, सरकार अस्थाई रूप मे नियोजित कर्मचारियो के साथ सेवा की विशेष संविदा कर सकती है। ऐसी स्थिति मे जब कि अस्थाई सेवा अर्धस्थाई सेवा मे परिवर्तित नही हुई हो तो ऐसे नियोजन की समाप्ति से कर्मचारी के किसी अधिकार का हनन नही होता और वह अपने आप मे कोई दण्ड नहीं होता। अतः निम्नलिखित मामलो मे अस्थाई कर्मचारीयों की सेवा समाप्ति दण्ड-स्वरूप नही मानी गई और उससे संविधान का अनुच्छेद 311(2) आकर्षित नही हुआ :—

(1) सेवा के पदो की सख्या मे कमी करने से।[2]
(2) कर्मचारी द्वारा धारण किये हुए पद की समाप्ति।[3]
(3) सम्बन्धित सरकारी योजना का उन्मूलन।[4]
(4) कर्मचारी वर्ग की समाप्ति।[5]
(5) कॉलेज से किसी विषय को हटाना।[6]
(6) जब कर्मचारी विध्वसक गतिविधियो मे भाग लेता था।[7]
(7) जब पद अतिरिक्त (सरप्लस) घोषित किया गया।[8]
(8) जब कर्मचारी की पूर्वकालीन रिपोर्ट सतोषजनक नही थी।[9]
(9) जबकि कर्मचारी पहले स सजायाफ्ता था-जो सूचना बाद मे ज्ञात हुई।[10]

केवल साधारण सेवा समाप्ति, जो राजस्थान सेवा नियमो के नियम 23(क) के अन्तर्गत आती है वह संविधान के अनुच्छेद 311 मे प्रयोगित अभिव्यक्ति 'पद से हटाया जाना' के अन्तर्गत नही आती। अत, राजस्थान सरकार द्वारा अनुशासन कार्यवाहीयो की पुस्तिका 1963 अनु 17(xi) मे दिये गये निर्देशानुसार, जो ऊपर उद्धृत किये जा चुके है, किसी अस्थाई राज्य कर्मचारी की सेवा किसी भी समय एक माह का नोटिस देकर समाप्त की जा सकती है और ऐसी समाप्ति के कारण, उदाहरणतः दुराचरण या अकुशलता उल्लेखित करना आवश्यक नही है।

इसके विपरीत, नयशुदा अवधि से पहले सेवा समाप्त करना दण्ड देने का कार्य करती है।[11] प्रारम्भ मे प्रार्थी की नियुक्ति छ, महीने के लिए की गई थी। उसके बाद, समय समय पर यह अवधि बढाई जाती रही और तत्पश्चात आगे का कोई नियोजन काल निश्चित नही किया गया। अचानक,

---

1. AIR 1958 सुप्रीम कोर्ट 250
2. AIR 1958 SC 419
3 AIR 1955 पटना 353
4. AIR 1957 पटना 555
5 AIR 1957 हेदराबाद-12
6. AIR 1965 इलाहबाद-252
7. AIR 1958 सुप्रीम कोर्ट 232
8. AIR 1955 नागपुर-289
9 AIR 1965 केरल 19
10 1965 RLW-7–ईश्वरी प्रसाद वि राज राज्य
11. AIR 1963 आसाम 94–एस बी तिवारी वि भारतीय संघ।

एक दिन, लोक सेवा आयोग द्वारा नहीं चुने जाने के आधार पर, तत्कालिक प्रभाव से सेवा समाप्त करने का आदेश जारी कर दिया गया। इस मामले में निर्णय हुआ कि उपरोक्त परिस्थितियों में यह नहीं कहा जा सकता कि नियुक्ति निश्चित अवधि के लिए थी। अतः ऐसी अस्थाई नियुक्ति के लिए संविधान का अनुच्छेद 311 आकर्षित हुआ।[1]

एक राज्य कर्मचारी का स्थानान्तर अन्य स्थान पर किया गया, जिस आदेश का उसने पालन नहीं किया और चिकित्सा कराने के आधार पर रियायती छुट्टी (Previlege leave) के लिए आवेदन किया। उसने अवकाश में आगे वृद्धियां भी प्राप्त कीं, परन्तु अन्तिम अवस्था में, और अवकाश बढ़ाने के लिए दिया गया आवेदन नामंजूर किया गया और उसे आदेश हुआ कि वह अपने कर्तव्य-स्थल पर पद ग्रहण करें, अन्यथा उसकी नौकरी समाप्त होनी समझी जाएगी। इस मामले में फैसला हुआ कि उसकी सेवा का समापन दण्ड स्वरूप नहीं था और उससे सामान्य न्याय के सिद्धान्तों का प्रयोग आकर्षित नहीं हुआ।[2] परन्तु, जतीन्द्र मोहन साहा वि निदेशालय, स्वास्थ्य, सेवायें[3] में, कर्मचारी को सूचित किया गया कि उसको निरन्तर अनुपस्थिति के कारण और पूरा देय अवकाश खत्म होने के पश्चात, उसकी सेवा समाप्त होनी समझी गई है। किन्तु उसकी सेवा समापन करने का कोई वास्तविक आदेश जारी नहीं हुआ। इसमें निर्णय हुआ कि सरकार उसकी सेवा समाप्त करने के लिए सक्षम थी परन्तु तब तक वह राज्य कर्मचारी होना समझा जाएगा और उसको नियमों के अनुसार देय वेतन तथा उपलब्धियां (emoluments) भुगतान करने होंगे।

(iii) इकरार के अनुसार सेवा समाप्ति नियम 14 के स्पष्टीकरण (1) (vii) (ग) के अनुसार, शास्ति नहीं होगी। सरकार को अधिकार है कि वह अस्थाई कर्मचारियों के साथ भी सेवा की विशेष संविदा कर सके।[4] परन्तु ऐसी संविदा की शर्तें संविधान के किसी प्रावधान को उल्लंघन करने वाली नहीं होनी चाहिए।[5] सरकार भी ऐसी संविदाओं की शर्तों से बाध्य है।[6] जब कि इकरार में एक निश्चित अवधि तय हो चुकी हो, तो इस प्रकार के अस्थाई कर्मचारी की सेवा, अवधि के अन्त होने पर, समाप्त हो जाएगी। ऐसी दशा में एक महीने के नोटिस की आवश्यकता नहीं है। परन्तु जब कि अवधि अनिश्चित हो, तो ऐसे नोटिस का प्रश्न उठेगा।[7] ऐसे मामलों में कोई विशेष प्रक्रिया अपनानी जरूरी नहीं है। इकरार की शर्तों के अनुरूप सेवा समाप्ति से कोई शास्ति नहीं होगी।[8]

इसके विपरीत जब कि दुराचरण के आधार पर जांच करने के पश्चात कर्मचारी को हटाया जावे, तो संविधान का अनुच्छेद 311 लागू हो जाएगा, यद्यपि साधारणतः सेवा के इकरार के अनुसार, किसी भी पार्टी द्वारा एक महीने का नोटिस देना पर्याप्त था। सेवा समाप्ति का आशय मामले की परिस्थितियों और आदेश के शब्दों से समझना चाहिए।[9]

---

1 AIR 1952 पेप्सू 148–ईश्वरदास मेहता वि पेप्सू सरकार।
2 AIR 1962 पटना 452–डा परमानन्द वि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड।
3 AIR 1963 कलकत्ता 638
4. AIR 1955 इलाहाबाद 496 शारदा प्रसाद वि ए जी।
5. AIR 1957 कलकत्ता 700 पनिल बाभन बोस वि कमीश्नर।
6 AIR 1953 सुप्रीम कोर्ट 250–सतीश चन्द्र वि. भारतीय संघ।
7. AIR 1962 मनीपुर 52–यौंगम गौरोसिंह वि भारतीय गणतन्त्र।
8 AIR 1960 कलकत्ता 549–आर घोष वि दामोदर वेली कॉरपोरेशन।
9 AIR 1957 इलाहाबाद 408–डा. मेनन वि डाइरेक्टर, हरियाणा वेलफेयर।

(iv) एकीकृत योजना मे सेवा की समाप्ति के विषय मे नियम 14 के स्पष्टीकरण (1) (vii) (घ) मे खुलासा किया गया है। इस स्पष्टीकरण के अनुसार, यदि कोई ऐसा कर्मचारी है जो राजस्थान म सम्मिलित होने वाली किसी इकाई की नौकरी मे था परन्तु जिसका चुनाव या सविलीनीकरण सम्मिलित राजस्थान की किसी सेवा मे एकीकरण के नियमो के अनुसार नही हो सका हो, तो उसकी सेवा समाप्त की जा सकेगी और ऐसा करना शास्ति के रूप मे नही माना जाएगा।

(4) **सेवा से बर्खास्तगी** —बर्खास्तगी अंतिम तथा कठोर शास्तियो मे से कठोरतम दण्ड है, क्योकि साधारणत इसके दूरगामी परिणाम होते है, उदाहरणत भावी नियोजन के लिए अयोग्यता, पेंशन की हानि, आदि। नियम 14 के नीचे दिये गये नोट के अनुसार भविष्य मे नौकरी पर प्रतिबन्ध केवल राज्य सरकार द्वारा, मामले के गुण-अवगुणो को देखते हुए यदि उचित समझा जावे तो हटाया जा सकता है। राज्य सेवाओ के सदस्यो के मामले मे यह शास्ति आरोपित करने से पहले अनुशासन प्राधिकारी द्वारा लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना चाहिए। यह शास्ति अनुशासन प्राधिकारी लागू कर सकता है। *विभिन्न सेवाओ के लिए अनुशासन प्राधिकारी कौन है इसके लिए नियम 15* मे प्रावधान है।

उक्त कठोर शास्ति लागू करने के लिए अनुशासन प्राधिकारियो के पथ प्रदर्शन के लिये कोई निश्चित नियम नही है। यह उनके न्यायिक स्व विविक पर निर्भर करता है। परन्तु वे पूर्वकालीन फैसलो से सहायता ले सकते हैं। सर्व प्रथम तो यह ध्यान रखना अति आवश्यक है कि शास्ति लागू करने से पूर्व सविधान के अनुच्छेद 311 (1) और (2) की शर्तों का दृढता से अनुसरण किया जावे। आमतौर से, न्यायालय किसी आरोप विशेष के लिय लागू की गई शास्ति के औचित्य पर नही जाते, परन्तु जाच के सचालन मे अपनाई गई प्रक्रिया मे त्रुटि होने के आधार पर शास्ति का आदेश विखण्डित किया जा सकेगा।

कतिपय निर्णय इस प्रकार है —

सार्वजनिक धन का निजि उपयोग और कार्य स अनुपस्थिति,[1] रिश्वत लेना,[2] तथा कर्त्तव्य पालन म घोर लापरवाही,[3] गलत हिसाब रखना और सरकारी अभिलेखो मे काट-छाट करना,[4] कर्मचारी के पास आमदनी स्रोतो से अत्यधिक अनुपात से सम्पत्ति मिलना,[5] विश्वविद्यालय के किसी राजकीय विख्याता द्वारा परीक्षक के रूप मे कार्य करत हुए रिश्वत स्वीकार करना,[6] रिश्वत की माग करना,[7] काबिल दस्तन्दाजी पुलिस की रिपोर्ट प्रस्तुत होन पर किसी पुलिस अधिकारी द्वारा उस पर कार्यवाही नही करना,[8] ये सब ऐसे मामले हैं जिनम सेवा से बर्खास्तगी की कठोरतम शास्ति लागू करना उपयुक्त है।

1. AIR 1962 आसाम–28
2. 1970 SLR (173) (रास्थान)
3. AIR 1965 मैसूर–283.
4. AIR 1962 केरल–43
5. AIR 1962 आसाम 17 तथा AIR 1970 सुप्रीम कोर्ट–1255
6. AIR 1970 गुजरात–97.
7. AIR 1956 मद्रास–613.
8. AIR 1970 सुप्रीम कोर्ट 1255

इसी प्रकार बुकिंग ऑफिस मे टिकटें गायब होने से,[1] गलत व्यक्ति की सहायता करके उसको 55 रु सरकारी कोष से दिलवाने के लिए[2] नाजायज तौर से वृक्ष उखाड़े जाने पर रिपोर्ट नही करने के कारण,[3] जो सरकारी सम्पति कर्मचारी के प्रभार मे थी, उसकी पर्याप्त सुरक्षा नही करने के कारण चोरी हो जाने के आधार पर,[4] ऐसा व्यवहार करना जो अधिकारी के लिए शोभनीय न हो,[5] नौकरी की परिधि के बाहर ऐसा दुराचरण जो अत्यन्त अनैतिक हो,[6] कर्तव्यपालन मे विफल होने के कारण तथा किसी स्त्री के साथ गैरकानूनी सम्पर्क बनाने के आधार पर तथा सरकारी सम्पति का दुरुपयोग करने व किसी के साथ पक्षपात करने एव फर्जी यात्रा भत्ता बिल प्रस्तुत करने कारण,[7] रिश्वत प्राप्त करना तथा अपने नियन्त्रण तथा क्षेत्राधिकार के जगल से लकडी अवैध रुप से ले जाने मे सहायता देने के कारण,[8] और पाठशालाओ के जिला निरीक्षक का महिला अध्यापिकाओ के साथ व्यक्तिगत अनैतिक सम्बन्ध के आधार पर,[9] बर्खास्तगी का दण्ड देना न्यायोचित ठहराया गया।

जबकि एक सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध दुर्व्यवहार का आरोप स्थापित हुआ और उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया तो यह निर्णय हुआ कि दण्ड के औचित्य का विषय न्यायालय से सम्बन्धित नही था।[10] किन्तु एक अन्य मामले मे अनुशासन प्राधिकारी (कलेक्टर भिलवाड़ा) ने जाच अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी को बर्खास्त करना प्रस्तावित किया, और तद्नुसार, उसे नोटिस जारी किया परन्तु प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण पर विचार करने के पश्चात् उसे कर्तव्यपालन म लापरवाह पाया गया और उस पर सचित प्रभाव से तीन वेतन वृद्धिया रोकने की शास्ति लागू की। परन्तु राजस्व मण्डल के अध्यक्ष ने इन नियमो के नियम 32 के अधिकारो का उपयोग करते हुए, प्रार्थी को शास्ति बढाने का नोटिस देने के पश्चात्, उसके स्पष्टीकरण को असतोषजनक मानते हुए शास्ति को कठोर बना कर उसे सेवा से बर्खास्त करने का आदेश जारी किया। प्रार्थी द्वारा राज्य सरकार को की गई अपील भी विफल हो जाने पर, वह सविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन राजस्थान उच्च न्यायालय मे पहुचा। प्रार्थी द्वारा यह बताया गया कि एक गवाह गौरीशकर के साथ उसको जिरह करने का अवसर नही दिया गया और उसका बयान भी उसकी उपस्थिति मे अभिलिखित नही किया गया, इस कारण से अध्यक्ष द्वारा गौरीशकर की गवाही पर आधारित होना गलत था। इस दलील को स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति श्री डी पी गुप्ता ने निर्णय दिया कि गौरीशकर ने कथित बयान, एक अन्य दोषी कर्मचारी के विरुद्ध, अन्य जाच अधिकारी के समक्ष प्रार्थी के पीठ पिछे दिया था, जिस पर प्रार्थी को जिरह करने का कतई कोई अवसर प्रदान नही किया गया।

1. AIR 1960 केरल–224
2. AIR 1966 पजाब–175
3. AIR 1967 मध्य प्रदेश–207.
4. AIR 1967 बम्बई–332.
5. AIR 1970 सुप्रीम कोर्ट–679.
6 17 B D. 536.
7. 1971 ALJ 324.
8. AIR 1964 केरल–87.
9 1971 ALJ–324
10. 1977 WLN 645–राजस्थान सरकार वि. दानमल।

भीलवाडा कलेक्टर द्वारा प्रार्थी पर आरोपित शास्ति को कठोरतम बनाने के लिए इस प्रकार के बयान का आधार नही लेना चाहिए था। अत राजस्व मण्डल द्वारा जारी किया गया नोटिस तथा शास्ति का आदेश और राज्य सरकार द्वारा पारित आदेश भी खारिज किया गया।[1]

15 अनुशासनिक प्राधिकारीः—(1) राज्य सेवाओ के लिए, सरकार या सरकार द्वारा उस विषय मे विशेष रूप से सशक्त प्राधिकारी अधीनस्थ सेवा के लिए विभागाध्यक्ष या विभागाध्यक्ष द्वारा सरकार के अनुमोदन से विशेष रूप मे सशक्त प्राधिकारी, और लिपिक वर्गीय तथा चतुर्थ श्रेणी सेवाओ के लिए कार्यालयाध्यक्ष नियम 14 मे निर्दिष्ट सभी शक्तिया देने के लिए प्राधिकृत होगे।

राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील) नियम, 1958 के नियम 15 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए राज्यपाल प्रशासी न्यायाधीश या राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति द्वारा नामजद किसी न्यायाधीश को, उपर्युक्त नियमो के अधीन विहित शास्तियो मे से सेवा से हटाये जाने तथा पदच्युति की शास्ति के सिवाय, कोई शास्ति,* [राजस्थान उच्चतर न्यायिक सेवा और] राजस्थान न्यायिक सेवा के सदस्यो पर लगाने की शक्ति प्रदान करते है।

(2) जिन राज्य सेवाओ के सबध मे, जिनमे नियुक्ति करने की शक्ति किसी अधीनस्थ प्राधिकारी को नही सौंपी गयी हो, परिनिन्दा तथा वेतन वृद्धि रोकने के अतिरिक्त शास्ति लगाने से पहले लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा।

राजस्थान सरकार का निर्देश

"ऊपर बताई गई शक्तिया दो श्रेणियो मे विभाजित की गई हैं, नामार्थ **कठोर तथा लघु** और प्रत्येक के लिए पृथक-पृथक प्रक्रिया प्रावधानित की गई है। ऐसा सविधान की अपेक्षताओ का पालन करने के लिए किया गया है। दो कठोर शास्तिया, अर्थात् सेवा से बर्खास्तगी और हटाये जाने की लागू करने के सम्बन्ध म यह स्मरण रखना अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि किसी भी राज्य कर्मचारी को ऐसा कोई भी प्राधिकारी बर्खास्त या सेवा से नही हटा सकेगा जो वास्तव में उसको नियुक्त करने वाले प्राधिकारी से अधिनस्थ स्तर का था। यह सवैधानिक सरक्षण कानूनी नियमों द्वारा छीना नहीं जा सकता। 'नियुक्ति प्राधिकारी" कौन है यह ज्ञात करने के लिए औपचारिक दस्तावेज का अवलोकन करना वाछित होगा। यदि विभागाध्यक्ष द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति स्थाई रूप से किसी अन्य विभाग म स्थानान्तरण कर दिया गया हो तो वह केवल अन्य विभाग के विभागाध्यक्ष द्वारा ही बर्खास्त या सेवा से हटाया जा सकेगा।[2] परिविक्षार्थी (प्रोबेशनर) हो तो, इसका मूल नियुक्ति के विषय मे स्थाई करने वाला प्राधिकारी, नियुक्ति प्राधिकारी होगा। नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी से ऊपर के दर्जे के प्राधिकारी पर भी उस व्यक्ति को बर्खास्त करने या हटाने के लिए कोई रोक नहीं है। परन्तु

---

1 1975 WLN 8 हमनलाल वि राजस्थान सरकार।

*विज्ञप्ति म GSR 27 म F 3 (4) Appts (A III) 72 दिनाक 24 सितम्बर 1973 द्वारा सशोधित जो राजस्थान राजपत्र दि 17 अप्रेल, 1975 मे पृष्ठ 30-31 पर प्रकाशित हुई।

2 AIR 1967 राजस्थान 148.

साधारणत उच्च प्राधिकारी को ऐसा नही करना चाहिए क्योकि इससे नियमो के अधीन उच्चतर प्राधिकारी के समक्ष अपील करने का कर्मचारी का हक मारा जाता है। एक दूसरा महत्वपूर्ण विन्दु इस विषय म ध्यान देने योग्य यह है कि किसी भी दोषी कर्मचारी को पूर्वकालीन प्रभाव से, सेवा से हटाया या बर्खास्त नही किया जा सकता।"

[राजस्थान सरकार की अनुशासन कार्यवाहीयो की पुस्तिका 1963 अनुच्छेद 17 (III)]

टिप्पणी

नियम 15 अनुशासन प्राधिकारियो की शक्ति के विषय म है। नियम 2(ग) मे दी गई परिभाषा के अनुसार किसी राज्य कर्मचारी पर शास्ति लागू करने के सम्बन्ध म "अनुशासन प्राधिकारी" वह प्राधिकारी है, जो उस पर उक्त शास्ति लागू करने मे सक्षम हो। अभिव्यक्ति 'नियुक्ति प्राधिकारी' की परिभाषा नियम 2 (क) मे दी गई है और उसकी शक्तिया नियम 12 मे उल्लेखित हैं। नीचे की तालिका विभिन्न वर्गों की सेवाओ के सम्बन्ध मे नियुक्ति प्राधिकारी, अनुशासन प्राधिकारी और प्रत्यक श्रेणी के अनुशासन प्राधिकारियो द्वारा लागू की जा सकने वाली शास्ति बतायेगी :—

क्रमाक	सेवा की श्रेणी	नियुक्ति प्राधिकारी	अनुशासन प्राधिकारी	शास्ति जो वह लागू कर सकता है
1	2	3	4	5
1.	राज्य सेवायें, राजस्थान न्यायिक सेवाओ के अतिरिक्त	(क) राज्य सरकार अर्थात् राज्यपाल) (ख) सरकार द्वारा विशेषतः शक्ति प्रदत प्राधिकारी	(क) राज्य सरकार (अर्थात् राज्यपाल) या (ख) सरकार द्वारा विशेषत, प्राधिकृत प्राधिकारी	नियम 14 मे निर्दिष्ट सभी शास्तिया।
2	अधिनस्थ सेवाएँ	(क) विभागाध्यक्ष या (ख) विभागाध्यक्ष द्वारा सरकार क अनुमोदन स विशपत. प्राधिकृत प्राधिकारी	(क) विभागाध्यक्ष या (ख) विभागाध्यक्ष द्वारा सरकार के अनुमोदन से विशेषत, प्राधिकृत प्राधिकारी	,, ,,
3	लिपिक वर्गीय सेवाए	कार्यालयाध्यक्ष, जो विभागाध्यक्ष द्वारा जारी किये गय निर्देशो व नियमा के अधिनस्थ रहगा	कार्यालयाध्यक्ष	,, ,,
4	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	,, ,,	,,	,, ,,

1	2	3	4	5
5	राजस्थान उच्चतर न्यायिक सेवा तथा राजस्थान न्यायिक सेवाओं के सदस्य	(क) राज्यपाल या (ख) राजस्थान उच्च-न्यायालय	राज्यपाल या राजस्थान उच्च न्यायालय का प्रशासनिक न्यायाधीश, या मुख्य न्यायाधीश द्वारा मनोनीत न्यायाधीश।	राज्यपाल नियम 14 में निर्दिष्ट समस्त शास्तियां लागू कर सकता है, परन्तु वह न्यायाधीश जिसको अनुशासन प्राधिकारी की शक्तियां प्रत्यावर्तित की गई हो वह सेवा से हटाने या बर्खास्तगी की शास्ती लागू नहीं कर सकता।

राजस्थान उच्चतर न्यायिक सेवा और राजस्थान न्यायिक सेवा के सदस्यों पर शास्तियां आरोपित करने के विषय में **आनन्दीलाल वि राजस्थान सरकार**[1] के मामले पर ध्यान देना उपयुक्त है। इस मामले में निम्नांकित बिन्दु तय किए गए —

(1) यह कि संविधान प्रभावित होने के पश्चात् अधीनस्थ न्यायिक सेवा पर, अनुशासनीय नियन्त्रण पूर्णत, 'उच्च न्यायालय' में निहित है, न कि किसी अन्य प्राधिकारी में

(2) यह कि शब्द 'उच्च न्यायालय' से अभिप्राय मुख्य न्यायाधीश तथा ऐसे अन्य न्यायाधीशों से है जिनको राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझे अर्थात् पूरा न्यायालय (संविधान का अनुच्छेद 216) अत अकेला मुख्य न्यायाधीश या प्रशासनीय न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश या राज्यपाल द्वारा प्रत्यावर्तित कोई भी न्यायाधीश अकेला न्यायिक सेवाओं के किसी सदस्य के लिए वैध रूप से अनुशासन प्राधिकारी की भूमिका अदा नहीं कर सकता।

(3) यह कि एक अकेले न्यायाधीश द्वारा अनुशासन प्राधिकारी की हैसियत से की गई कार्यवाही का तत्पश्चात् सत्यापन या अनुमोदन राज्यपाल या मुख्य न्यायाधीश या यहां तक कि पूरे राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा भी नहीं किया जा सकता। संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा पहले से निर्मित प्राधिकारी के समानान्तर कोई अन्य प्राधिकारी की नियुक्ति राज्यपाल नहीं कर सकता।

1　1974 WLN 969

अब ऐसे मामलों से निपटने के लिए पूरे राजस्थान उच्च न्यायालय ने दिनांक 30 अक्टूबर, 1971 को निम्नलिखित संकल्प ग्रहण किया है:—

"भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अधीन सत्र न्यायालयों और उसके अधीनस्थ न्यायालयों पर नियन्त्रण, जिसमें सत्र न्यायाधीशों के पदधारियों को तैनाती (प्रोस्टिंग) और पदोन्नति और अवकाश स्वीकृति सम्मिलित हैं, उच्च न्यायालय में निहित हैं। अतः सत्र न्यायालयों तथा उसके अधिनस्थ न्यायालयों के पीठाध्यक्षों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की शक्ति इस न्यायालय में निहित है, जो संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्य प्रावधानों तथा अनुच्छेद 311 के प्रावधानों के अधीनस्थ है। राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण व अपील) नियम, 1958, जो ऐसे मामलों के लिए वर्तमान में प्रावधान करते हैं, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन बनाये गये हैं और इसलिए वे, जहां तक संविधान के अनुच्छेद 235 के प्रावधानों से असंगत हैं, वहां तक सत्र न्यायालयों और उसके अधिनस्थ न्यायालयों के पीठाध्यक्षों पर लागू नहीं हो सकते।

"अनुच्छेद 235 के अधीन नियन्त्रण पूरे न्यायालय में निहित है, परन्तु चूंकि पूरे न्यायालय के लिए ऐसे मामलों में कार्यवाही करना सुविधाजनक नहीं है, इसलिए उसके द्वारा शक्तियों का निम्नलिखित परयावर्त्तन (डेलीगेशन) किया जाता है:—

×   ×   ×   ×

प्रशासकीय न्यायाधीश अथवा मुख्य न्यायाधीश द्वारा मनोनीत न्यायाधीश को अधिकार होगा कि वह न्यायिक अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सके और सेवा से हटाने या बर्खास्त करने के अतिरिक्त राजस्थान सिविलि सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण व अपील) नियम, 1958 के नियम 14 में निर्दिष्ट अन्य कोई भी शास्ति आरोपित कर सके।"

इस सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद 311 (1) के प्रावधान का सदैव ध्यान रखना चाहिए जिसके अनुसार—

"जो व्यक्ति संघ की असैनिक सेवा का या अखिल भारतीय सेवा का या राज्य की असैनिक सेवा का सदस्य है, अथवा संघ के या राज्य के अधीन असैनिक पद को धारण करता है, वह अपनी नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी से निचले किसी प्राधिकारी द्वारा पदच्युत नहीं किया जायेगा अथवा पद से हटाया नहीं जावेगा।"

राजस्थान सरकार ने भी अनुशासन कार्यवाहियों की पुस्तिका में अनुच्छेद 17 (iii) द्वारा इस बिन्दु पर बल दिया है, जो ऊपर उद्धृत किया जा चुका है। यह साफ बतला दिया गया है कि संवैधानिक संरक्षण कानूनी नियमों द्वारा भी छीना नहीं जा सकता। यह सुझाव दिया गया है कि किसी दोषी पदाधिकारी के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी कौन है, यह निश्चित करने के लिए दस्तावेजों का अवलोकन करना चाहिए। यदि किसी विभागाध्यक्ष द्वारा नियुक्ति व्यक्ति का तबादला स्थाई रूप से किसी अन्य महकमें में कर दिया गया हो तो उसकी बर्खास्तगी या सेवा से पृथक्करण उक्त अन्य विभाग का केवल विभागाध्यक्ष ही कर सकेगा।[1] परिक्षणार्थी (Probationsr) होने की स्थिति में कर्मचारी की मूल नियुक्ति के सम्बन्ध में उसको स्थाई करने वाला प्राधिकारी कर्मचारी का नियुक्ति प्राधिकारी होगा। किसी कर्मचारी को नियुक्ति प्रदान करने वाले से उच्चतर प्राधिकारी, *नि सन्देह*, सेवा से हटाने या बर्खास्तगी की सीमा तक असैनिक कर्मचारी को दण्ड दे सकेगा। परन्तु साधारणत:

1. AIR 1967 राज. 148

उच्चतर प्राधिकारी को ऐसा नही करना चाहिए क्योंकि उससे नियमो द्वारा प्रदत्त दोषी कर्मचारी का अपील करने का अधिकार मारा जाएगा । इस बात पर भी विशेष ध्यान देना आवश्यक है कि किसी भी दोषी कर्मचारी को *पूर्वकालीन प्रभाव से सेवा से हटाया या बर्खास्त नहीं किया जाएगा ।* एक और महत्वपूर्ण यह मुद्दा विचारणीय है कि जब नियुक्ति प्राधिकारी और अनुशासन प्राधिकारी अलग-अलग व्यक्ति हो तो अनुशासन कर्मचारी सेवा से हटाने और बर्खास्त करने के सिवाय अन्य सभी शक्तिया लागू कर सकता है । सेवा से हटाने या बर्खास्त करने की शक्तिया केवल नियुक्ति प्राधिकारी ही आरोपित कर सकेगा । उदाहरणत राज्य सरकार द्वारा नियुक्त राज्य सेवाओ के किसी सदस्य को केवल राज्य सरकार ही हटा सकती है या बर्खास्त कर सकती है और उससे नीचे का कोई प्राधिकारी नही कर सकता । इन्हीं सिद्धान्तो पर, यदि किसी अधिनस्थ सेवाओ के सदस्य के विषय मे जिसको विभागाध्यक्ष ने नियुक्त किया था, परन्तु जिसकी जाच किसी प्रत्यावर्तित (delegated) अधिकारी ने सचालित की थी तो अनुशासन प्राधिकारी उसके विरुद्ध सेवा से हटाने या बर्खास्तगी के अलावा अन्य कोई शास्ति लागू कर सकेगा ।

उप नियम (2) लोक सेवा आयोग से परामर्श—लोक सेवा आयोग से परामर्श लेना आवश्यक होगा—

(1) *जबकि निम्नलिखितो मे से कोई शास्ति किसी राज्य सेवाओ के सदस्य पर आरोपित की जा रही हो —*

(क) पदोन्नति रोकना,

(ख) सरकार का पहुच ई गई कोई आर्थिक हानि की कोई पूर्णत या आशिक वसूली,

(ग) निम्नतर सेवा ग्रेड या पद या निम्न वेतनमान मे या उसी वेतनमान मे नीचे के स्तर पर पदावनति करना या नियमो के अधीन देय पेंशन की राशि मे कमी करना

(घ) अनुपातिक पेंशन पर अनिवार्य सेवा निवृत्ति,

(ङ) सेवा से हटाना,

(च) सेवा से बर्खास्तगी ।

इसका तात्पर्य यह हुआ कि जब राज्य सेवाओ के किसी सदस्य के विरुद्ध वेतन वृद्धिया रोकने का ही प्रस्ताव हो तो लोक सेवा आयोग से परामर्श करना जरूरी नही होगा ।

विभिन्न उच्च न्यायालयो मे इस विषय पर मतभेद था कि आया सविधान के अनुच्छेद 320 (3) (ग) मे निर्धारित लोक सेवा से परामर्श करना आदेशात्मक (मन्डेटरी) है या केवल निर्देशात्मक (Directory) ताकि आयोग से परामर्श नही करने की दशा मे शास्ति का आदेश अवैध नही हो । परन्तु अब सर्वोत्तम न्यायालय द्वारा यू पी सरकार वि मोहनलाल[1] मे दिये गये फैसले से मतमतान्तर की समाप्ति हो गई है । यद्यपि सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील) नियमो मे एसा प्रावधान है तथापि वह आदेशात्मक नही हो सकता क्योंकि यह सविधान के अनुच्छेद 320 (3) (ग) के अधीन बनाया गया है ।[2]

---

1 AIR 1957 सुप्रीमकोर्ट 912 , यह भी देखिए —AIR 1962 सुप्रीमकोर्ट 1344–यू आर भट्ट वि भारतीय सघ ।

2 AIR 1971 सुप्रीमकोर्ट 749 तथा AIR 1971 सुप्रीमकोर्ट 2004

यद्यपि उक्त प्रावधान केवल निर्देशात्मक है तथापि इससे यह नही समझना चाहिए कि प्राधिकारीगण अपनी स्वेच्छा से जब चाहे तब इसकी अवहेलना कर सकें। सभी मामलों मे लोक सेवा आयोग से परामर्श करना चाहिए और उसका परित्याग केवल अपवादात्मक मामलों मे ही किया जा सकेगा जिसके लिए कारण अभिलिखित किए जाने चाहिए। नियमित रूप से इसकी अवहेलना नही की जानी चाहिए।[1] आदर्शकुमारी भाटी वि. के एन सिन्हा[2] मे यह तय किया गया है कि कार्यकारीणी सरकार को यह स्वतन्त्रता नही है कि वह पूर्णत. आयोग की अवहेलना करें और जहा नियमित रूप से नियम बने हुए हो, तो उनका पालन पूर्णतः किया जाना चाहिए।

विकास अधिकारियों के विरुद्ध लघु शास्तिया आरोपित करने के विषय मे निम्नलिखित पृथक तथा विशेष आदेश दिये गये हैं —

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

(क III)

अधिसूचना सख्या प 9 (18) कार्मिक/क–III/77 जी एस आर 251, जनवरी 10,1978– राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील) नियम, 1958 के नियम 15 के उप नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार इसके द्वारा —

(1) कार्मिक विभाग की अधिसूचना सख्या एफ 3 (7) ए. ए. III 68 दिनाक 25–5–72 को प्रत्याहृत करती है (withdraws)।

(2) सबधित कलक्टर, (जिला विकास अधिकारी) को उसके जिले मे पदस्थापित विकास अधिकारी के विरुद्ध लघु शास्तिया अधिरोपित करने हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाहिया प्रारम्भ करने के लिए विशेष रूप से सशक्त करती है। कलक्टर केवल 'परिनिन्दा' (निन्दा) तथा असचाटी (असचित) प्रभाव से वेतन वृद्धिया (दो तक) रोकने की शास्ति अधिरोपित कर सकेगा : यदि वह यह महसूस करे कि दोषी अधिकारी के उत्तर का दृष्टि में रखते हुए, ऊपर विनिर्दिष्ट के अलावा किसी अन्य लघु शास्ति के अधिरोपण की आवश्यकता है, तो वह निदेशक, सामुदायिक विकास को निर्देश (Refernce) कर सकेगा, जिसे ऐसे दोषी व्यक्तियो के विरुद्ध कोई भी लघु शास्ति अधिरोपित करने की पूर्ण शक्तिया होगी।

(3) यह आदेश देती है कि कोई विकास अधिकारी जिसके विरुद्ध ऊपर उप पेरा (2) मे विनिर्दिष्ट शास्ति अधिरोपित करने सबधी कोई आदेश कलक्टर द्वारा दिया गया हो, निदेशक, सामुदायिक विकास को अपील कर सकेगा।

[राजस्थान राज-पत्र भाग 4 (ग) I दिनाक 19–1–1978 म पृष्ट 778 पर प्रकाशित।]

---

1. AIR 1957 पजाब–97.
2. 1978 Lab I C–1049 (मध्य प्रदेश)

16, बडी शास्तिया लगाने की प्रक्रिया—(1) पब्लिक सर्वेन्टस (इन्क्वायरीज) एक्ट, 1850 के उपबन्धो पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किसी सरकारी कर्मचारी पर नियम 14 के खण्ड [4] से [7] तक मे विनिर्दिष्ट शास्तियो मे से कोई शास्ति लगाने वाला आदेश तब तक नही दिया जाएगा जब तक कि यथाशक्य इसमे इसके पश्चात् उपबधित रीति से जाच न कर ली गयी हो।

(2) अनुशासनिक प्राधिकारी जिन अभिकथनो के आधार पर जाच किया जाना प्रस्तावित है, उनके आधार पर निश्चित आरोप तैयार करेगा। ऐसे आरोप, अभिकथनो के विवरण के साथ, जिन पर वे आधारित हैं लिखित रूप मे सरकारी कर्मचारी को संसूचित किये जायेंगे और उससे ऐसे समय के भीतर जो कि अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय एक लिखित कथन प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाएगी जिसमे यह बतलाया जाएगा कि क्या वह सभी आरोपो को या उनमे से किसी की सत्यता स्वीकार करता है, उसको क्या स्पष्टीकरण देना है, या बचाव यदि कोई हो, करना है और क्या वह व्यक्तिगत सुनवाई चाहता है

परन्तु जब दोषारोपित व्यक्ति द्वारा अपने बचाव के अनुक्रम मे दिये किसी कथन या अभिकथन पर कार्यवाही की जानी प्रस्तावित हो तो कोई अतिरिक्त आरोप तैयार करना आवश्यक नही होगा।

स्पष्टीकरण—इस उप नियम तथा उप-नियम (3) मे अभिव्यक्ति "अनुशासनिक प्राधिकारी" मे वह प्राधिकारी भी सम्मिलित होगा जो इन नियमो के अधीन सरकारी कर्मचारी पर नियम 14 के खण्ड [1] से [3] मे विनिर्दिष्ट शास्तियो मे से कोई शास्ति लगाने के लिए सक्षम हो।

(3) सरकारी कर्मचारी को अपने बचाव की तैयारी करने के प्रयोजनार्थ ऐसे सरकारी अभिलेखो का जिन्हे वह विनिर्दिष्ट कर निरीक्षण करने तथा उनमे से उद्धरण लेने की अनुज्ञा दी जाएगी परन्तु यदि अनुशासनिक प्राधिकारी की राय मे ऐसे अभिलेख उस प्रयोजन से सुसगत नही है या उसे अभिलेख दिखलाना लोकहित के विरुद्ध है, तो अभिलिखित कारणो से ऐसी अनुज्ञा देने से इन्कार किया जा सकेगा।

*[(4) बचाव के लिखित कथन की प्राप्ति पर या विनिर्दिष्ट समय मे ऐसा कोई कथन प्राप्त न हो तो अनुशासनिक प्राधिकारी स्वय ऐसे आरोपो के बारे मे जो स्वीकार नही किये गये हैं, जाच कर सकेगा या यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझे तो उस प्रयोजन के लिये 'जाच बोर्ड' या "जाच प्राधिकारी" नियुक्त कर सकेगा, और जब सरकारी कर्मचारी अपने बचाव के लिखित कथन मे आरोप के सभी अनुच्छेद स्वीकार करले तो प्रत्येक आरोप के बारे मे अनुशासनिक प्राधिकारी अपने निष्कर्ष अभिलिखित करेगा।]

(4 क) यदि सरकारी कर्मचारी जिसने आरोप के किसी अनुच्छेद को बचाव के लिखित कथन मे स्वीकार नही किया है या बचाव मे कोई लिखित कथन प्रस्तुत किया है,

---

*विज्ञप्ति स GSZ 129 म एफ 3 (17) नियुक्ति (क 3) 67 दिनाक 5 अक्टूबर 1974 द्वारा प्रतिस्थापित एव जोडा गया।

जाच प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होता है तो ऐसा प्राधिकारी उससे पूछेगा कि क्या वह दोषी है या अपने बचाव मे कुछ कहना चाहता है और यदि वह आरोप के किसी अनुच्छेद के लिये दोषी होने का अभिवचन करता है तो जाच प्राधिकारी उस अभिवाक् को अभिलिखित करेगा, अभिलेख पर हस्ताक्षर करेगा-तथा उस पर सरकारी कर्मचारी के हस्ताक्षर प्राप्त करेगा।''

जाच प्राधिकारी सरकारी, कर्मचारी ने आरोप के जिन अनुच्छेदो के लिये दोषी होने का अभिवचन किया है-उनके बारे मे दोषी होने का निष्कर्ष भेजेगा।]

(5) अनुशासनिक प्राधिकारी किसी भी व्यक्ति को आरोपो की जाच करने वाले प्राधिकारी (जिसे इसमे इसके पश्चात् जाच प्राधिकारी के रूप मे निर्दिष्ट किया गया है) के समक्ष आरोपो के समर्थन मे मामले को प्रस्तुत करने के लिए नामजद कर सकेगा। सरकारी कर्मचारी अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किसी दूसरे सरकारी कर्मचारी की सहायता से, अपने मामले को प्रस्तुत कर सकेगा, परन्तु इस प्रयोजन के लिए किसी विधि व्यवसायी को नियुक्त नही कर सकेगा जब तक कि अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा नामजद व्यक्ति कोई विधि व्यवसायी न हो या जब तक कि अनुशासनिक प्राधिकारी मामले की परिस्थितियो का ध्यान रखते हुए ऐसी अनुज्ञा न दे दे।

स्पष्टीकरण—इस उप-नियम के प्रयोजनार्थ किसी लोक अभियोजक, प्रोसीक्युटिंग इन्सपेक्टर या प्रोसीक्युटिंग सब- इन्सपेक्टर को विधि व्यवसायी माना जायगा।

[1][(6) (क) जहा जाच के प्रारम्भ होने पर सरकारी कर्मचारी आरोपो का दोषी होने का अभिवचन नही करता, जाच अधिकारी, अनुशासनिक प्राधिकारी की ओर स उपस्थित होने वाले प्रस्तुतकर्ता (प्रजेंटिंग) अधिकारी को, साक्षियो की सूची तथा दस्तावेजो को 10 दिन मे प्रस्तुत करने के लिये कहेगा जो इसके साथ ही उसकी एक प्रति सरकारी कर्मचारी को भेजेगा। जाच प्राधिकारी ऐसी सूची प्राप्त होने पर, सूची के अनुसार सुसगत साक्ष्य को समन करेगा तथा प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को मुख्य-परीक्षा का और सरकारी कर्मचारी या उसके सहायक अधिकारी को जो भी उपस्थित हो, प्रति-परीक्षा का अवसर देते हुए साक्ष्य अभिलिखित करेगा। प्रस्तुतकर्ता अधिकारी किसी भी बिन्दु पर, जिस पर कि साक्षियो से प्रति-परीक्षा की जा चुकी है साक्षियो को पुनर्परीक्षा करने का हकदार होगा, लेकिन किसी नये मामले पर जाच प्राधिकारी की अनुमति के बिना नही। अभियोजन साक्ष्य की समाप्ति पर, सरकारी कर्मचारी को साक्षियो की सूची तथा दस्तावेज, जो वह अपने बचाव मे ऐसा चाहेगा, 10 दिन के भीतर प्रस्तुत करने को कहा जायेगा। जाच प्राधिकारी साक्षियो तथा दस्तावेजो की सुसगति पर विचार करने के पश्चात् केवल सुसगत साक्षियों तथा दस्तावेजो को ही समन करेगा तथा पक्षकारो को मुख्य परीक्षा तथा प्रति परीक्षा। पुनर्परीक्षा का अवसर देते हुए, उनका साक्ष्य अभिलिखित करेगा तथा इसके पश्चात् साक्ष्य बन्द कर देगा। जाच प्राधिकारी दोनो पक्षकारो द्वारा बुलाये गये साक्षियो तथा दस्तावेजो की सुसगति पर विचार करेगा और

---

1 प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद—वि० स० GSR 129 स० F 3 (17) Appts (A-III) 65 दिनाक 9 अक्टूबर 1974 द्वारा सशोधित। राजपत्र म 10 अक्टू० 1974 मे प्रकाशित।

किन्ही साक्षियो या दस्तावेजो के समन करने से मना कर देने की दशा मे वह इसका कारण लेखबद्ध करेगा। जाच प्राधिकारी भी न्याय के हित मे पक्षकारो के साक्षियो से एसे प्रश्न पूछ सकता है जैसे वह ठीक समझे। पक्षकारो को भी बहस करने का अवसर दिया जायेगा।

टिप्पणी:—यदि सरकारी कर्मचारी, उप नियम (6) (क) मे उल्लिखित सूचि मे वर्णित साक्षियो के कथन की प्रतिलिपिया उपलब्ध कराने के लिये मौखिक अथवा लिखित मे आवेदन करे तो जाच प्राधिकारी उसे ऐसी प्रतिलिपिया यथासभव शीघ्र उपलब्ध करायेगा जो किसी भी दशा मे अनुशासनिक प्राधिकारी की ओर से साक्षियो की परीक्षा प्रारम्भ होने से कम से कम तीन दिन पूर्व तक उपलब्ध हो जानी चाहिये।]

[2][6 (क-1) किसी व्यक्ति की गवाही जो औपचारिक रूप की है हलफनामे द्वारा दी जा सकेगी और सब न्यायोचित अपवादो के अधीन रहते विभागीय कार्यवाही मे स्वीकार की जा सकेगी। जहा जाच प्राधिकारी यह उचित समझे कि किसी व्यक्ति को सम्मन भेजा जाकर उसका व्यक्तिगत रूप से बयान लेना चाहिय, या यदि कोई पक्षकार या प्रस्तुतकर्ता अधिकारी या दोषी अधिकारी, किसी गवाह की व्यक्तिगत उपस्थिति पर जोर दे, तो ऐसे गवाह की व्यक्तिगत उपस्थिति के लिये व्यवस्था की जानी चाहिये।]

(ख) जाच प्राधिकारी उसके द्वारा सचालित किये जा रहे या आशिक रूप से सुने गये, मामलो मे उचित तथा पर्याप्त कारणो से जो लेखबद्ध किये जायगे, गवाही को बयान के लिए पुनः बुला सकेगा।

[1][(6) (ग) जाच प्राधिकारी आदेश के 10 दिनो के भीतर या ऐसे और समय के भीतर जो 10 दिन से अधिक का नही होगा, और जिसे जाच प्राधिकारी अनुज्ञात करे, किन्ही ऐसे दस्तावेज की जो सरकार के कब्जे मे है लेकिन उप नियम (6) (क) मे निर्दिष्ट सूची मे वर्णित नही है, खोज या प्रस्तुतीकरण के लिये, नोटिस जारी करेगा।

टिप्पण—सरकारी कर्मचारी, उन दस्तावेजो के सम्बन्ध मे, जिनके लिये सरकार द्वारा खोज किए जाने या प्रस्तुत किये जाने की उसके द्वारा अपेक्षा की गई है, सुसगति उपदर्शित करेगा। जाच प्राधिकारी, दस्तावेजो की खोज करने या प्रस्तुत करने का नोटिस प्राप्त होने पर, उसे या उसकी प्रतिलिपियो को ऐसी तारीख तक दस्तावेज पेश करने की अध्यपेक्षा के साथ, जो कि अध्यपेक्षा मे विनिर्दिष्ट की जाय, उस प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा जिसकी अभिरक्षा और /या कब्जे मे दस्तावेज रखे हुए है।

परन्तु जाच प्राधिकारी, ऐसे दस्तावेजो के लिये जो उसकी राय मे, मामले से सुसगत नही है, कारण अभिलिखित करते हुए अध्यपेक्षा करने से मना कर सकेगा।

अध्यपेक्षा की प्राप्ति पर, प्रत्येक प्राधिकारी जिसकी अभिरक्षा या कब्जे मे अध्यपेक्षा किये गये दस्तावेज हैं, उन्हे जाच प्राधिकारी के समक्ष पेश करेगा,

---

2 अप्राधिकृत हिन्दी अनुवाद—वि० स० F 3 (15) का/A III/72 GSR 81 (65) दिनाक 26-12-1973, राज० राजपत्र भाग 4 (ग) (I) दिनाक 7-2 1974 के पृष्ठ 135 (180) मे प्रकाशित।

परन्तु अध्यपेक्षित दस्तावेजो की अभिरक्षा या उनका कब्जा रखने वाले प्राधिकारी का यदि अभिलिखित किए जाने वाले कारणो से समाधान हो जाता है कि ऐसे दस्तावेजो मे से सब या किन्ही को प्रस्तुत करना लोकहित या राज्य सुरक्षा के विरुद्ध होगा तो वह जाच प्राधिकारी को तदनुसार सूचित करेगा और इस प्रकार सूचित किये जाने पर जाच प्राधिकारी इसकी सूचना सरकारी कर्मचारी को देगा और ऐसे दस्तावेजो को प्रस्तुत करने या खोज करने की अपने द्वारा की गई अध्यपेक्षा अधियाचन प्रत्याहरित कर लेगा ।]

[1]['(6) (घ) इन नियमो के नियम 18 के अधीन सयुक्त विभागीय जाच के मामले मे या नियम 16 के अधीन जाच के मामले मे यदि सरकारी कर्मचारी सुनवाई के लिए नियत तारीख को जिसकी कि उसे/उन्हे सूचना दी गई थी, बिना पर्याप्त कारण के उपस्थित होने मे असफल रहता है/रहते हैं तो जाच प्राधिकारी ऐसी सरकारी कर्मचारी/कर्मचारियो की अनुपस्थिति मे आगे जाच की कार्यवाही कर सकेगा ।"]

[2]['(6-क) अनुशासनिक प्राधिकारी की ओर से मामला समाप्त किये जाने से पूर्व, यदि यह आवश्यक प्रतीत हो, तो जाच प्राधिकारी, स्वविवेक से सरकारी कर्मचारी को दी गई सूची मे समाविष्ट न किये गये साक्ष्य को पेश करने के लिए प्रस्तुतकर्त्ता अधिकारी को अनुज्ञा दे सकेगा। या स्वय ही नये साक्ष्य को मगा सकेगा या किसी साक्षी को पुन. बुला सकेगा और ऐसे मामले मे सरकारी कर्मचारी को, यदि वह माग करता है तो पेश किये जाने के लिये प्रस्तावित और साक्ष्य की सूची की एक प्रति लेने तथा स्थगन के दिन और जिस दिन स्थगन हुआ उसको छोडकर स्पष्ट तीन दिनो के लिए, जाच का स्थगन लेने का हक होगा । उन दस्तावेजो को अभिलेख पर लेने से पूर्व, जाच प्राधिकारी सरकारी कर्मचारी को इन दस्तावेजो का निरीक्षण करने का एक अवसर देगा । जाच प्राधिकारी सरकारी कर्मचारी को नया साक्ष्य पेश करने के लिए अनुज्ञा दे सकेगा, यदि उसकी यह राय हो कि इस साक्ष्य को पेश करना न्याय के हित मे आवश्यक है ।

टिप्पण —साक्ष्य के अन्तराल को भरने के लिए, नये साक्ष्य की अनुज्ञा न तो दी जायगी अथवा न वह मागी जायगी और न ही कोई साक्षी पुनः बुलाया जायगा । इस प्रकार का साक्ष्य केवल तभी मगाया जा सकेगा जबकि मूलत. प्रस्तुत किये गये साक्ष्य मे कोई अन्तर्निहित कमी या त्रुटि हो ।]

*((6 ख) (क) जहा नियम 14 के खण्ड (1) (III) मे विनिर्दिष्ट शास्तियों मे से कोई शास्ति अधिरोपित करने के लिए सक्षम (किन्तु नियम 14 के खण्ड (4) से (7) मे विनिर्दिष्ट शास्तियो मे से कोई शास्ति अधिरोपित करने के लिए सक्षम नही, अनुशासनिक प्राधिकारी ने किसी आरोप का स्वय जाच की है या जाच करवायी है और उस प्राधिकारी की, अपने द्वारा निकाले गये निष्कर्षो के आधार पर या अपने द्वारा नियुक्त किसी जाच प्राधिकारी के किन्ही निष्कर्षो पर लिए गए निर्णय के आधार पर, यह राय हो कि

1 प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद—वि स GSR 129 स F 3 (17) Apptts (A-III) 65 दि 9 अक्तूबर 1974 द्वारा सशोधित । राजपत्र मे 10 अक्तू 1974 मे प्रकाशित ।

* प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद—वि स GSR 129 स F 3 (17) Apptts (A III) 65 दि 9 अक्तूबर 1974 द्वारा सशोधित । राजपत्र मे 10 अक्तू 1974 मे प्रकाशित ।

नियम 14 के खण्ड (4) से (7) मे विनिर्दिष्ट शास्तिया सरकारी कर्मचारी पर अधिरोपित की जानी चाहिए, वहा वह प्राधिकारी जाच के अभिलेख को ऐसे अनुशासनिक प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा जो अन्त मे वर्णित शास्तियो को अधिरोपित करने के लिए सक्षम हो ।

(ख) अनुशासनिक प्राधिकारी, जिसको कि इस प्रकार अभिलेख अग्रेषित किया गया है, अभिलेख पर के साक्ष्य के अनुसार कार्यवाही कर सकेगा या यदि उसकी राय हो कि साक्षियो मे से किसी की और आगे अपीक्षा करना न्याय के हित मे है, साक्षी को पुन बुला सकेगा और आगे साक्षी की परीक्षा/प्रतिपरीक्षा तथा पुनर्परीक्षा कर सकेगा और सरकारी कर्मचारी पर ऐसी शास्ति अधिरोपित कर सकेगा जो इन नियमो के अनुसार उसे उचित प्रतीत हो ।]

(7) जाच की समाप्ति पर, जाच प्राधिकारी प्रत्येक आरोप पर अपने निष्कर्ष उनके कारणो सहित, अभिलिखित करते हुए जाच की रिपोर्ट तैयार करेगा । यदि ऐसे प्राधिकारी की राय मे जाच की कार्यवाही से मूलत तैयार किये गये आरोपो से भिन्न आरोप स्थापित हो, तो वह ऐसे आरोपो पर निष्कर्ष अभिलिखित कर सकेगा परन्तु ऐसे आरोपो पर निष्कर्ष तब तक अभिलिखित नही किए जाएगे जब तक कि सरकारी कर्मचारी ने उन्हे सस्थापित करने वाले तथ्यो को स्वीकार न कर लिया हो या जब तक उसे उनके विरूद्ध अपना बचाव करने का अवसर न मिल चुका हो ।

(8) जाच के अभिलेख मे निम्नाकित सम्मिलित होगे —

[1] उप-नियम (2) के अधीन सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध तैयार किये गये आरोप और उसको दिया गया अभिकथन विवरण,

[2] उसके बचाव का लिखित कथन, यदि कोई हो,

[3] जाच के अनुक्रम मे लिया गया मौखिक साक्ष्य,

[4] जाच के अनुक्रम मे वह दस्तावेजी साक्ष्य जिस पर विचार किया गया हो,

[5] जाच के बारे मे अनुशासनिक प्राधिकारी तथा जाच प्राधिकारी द्वारा दिये गये आदेश, यदि कोई हो, और

[6] प्रत्येक आरोप पर निष्कर्ष तथा उनके कारणो को बतलाने वाली रिपोर्ट ।

(9) अनुशासनिक प्राधिकारी, यदि वह जाच प्राधिकारी न हो तो जाच के अभिलेख पर विचार करेगा और प्रत्येक आरोप पर अपने निष्कर्ष अभिलिखित करेगा ।

अनुशासनिक प्राधिकारी, जॉच प्राधिकारी की रिपोर्ट पर विचार करते समय, न्यायोचित तथा पर्याप्त कारणो से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, मामले को उसकी और आगे जाच किये जाने/नये सिरे से जाच किये जाने के लिए, प्रतिप्रेषित कर सकेगा यदि उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि पहले से की गयी जाच मे किसी न किसी रूप मे कोई कमी रह गई है ।

(10) [1] अपने आरोपो के निष्कर्ष का ध्यान रखते हुए यदि अनुशासनिक प्राधिकारी की राय हो कि नियम 14 के खन्ड [4] से [7] मे विनिर्दिष्ट शास्तियो मे से कोई शास्ति लगाई जानी चाहिये तो वह—

(क) जाच प्राधिकारी की रिपोर्ट की प्रति और जहा अनुशासनिक प्राधिकारी जाच प्राधिकारी न हो तो वह अपने निष्कर्षो का, और जाच प्राधिकारी के निष्कर्षो मे यदि उसकी कोई असहमति हो तो उसके सक्षिप्त कारणो सहित एक विवरण सरकारी कर्मचारी को देगा, और

(ख) उस पर लगाई जाने के लिए प्रस्तावित शास्ति का उल्लेख करते हुए और उससे विनिर्दिष्ट समय मे ऐसा अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए कहते हुए जो वह प्रस्तावित शास्ति के सवध मे करना चाहे उसको एक नोटिस देगा परन्तु ऐसा अभ्यावेदन केवल जाच के दौरान पेश किये गये साक्ष्य पर ही आधारित होगा।

[2] (क) ऐसे प्रत्येक मामले मे जिसमे आयोग से परामर्श करना आवश्यक हो, जाच का अभिलेख, खण्ड [1] के अधीन दिये गये नोटिस की एक प्रति के साथ तथा ऐसे नोटिस के प्रत्युत्तर मे प्राप्त अभ्यावेदक सहित, यदि कोई हो, अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा आयोग को उसकी सलाह के लिए भेजा जाएगा।

(ख) आयोग की सलाह प्राप्त होने पर, अनुशासनिक प्राधिकारी सरकारी कर्मचारी से प्राप्त उपरोक्त अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, तथा आयोग द्वारा दी गई सलाह पर विचार करेगा और यह तय करेगा कि सरकारी कर्मचारी पर कौनसी शास्ति लगाई जाए यदि कोई लगाई जानी है, और मामले में समुचित आज्ञा देगा।

[3] ऐसे किसी मामले मे जिसमे आयोग से परामर्श करना आवश्यक न हो, अनुशासनिक प्राधिकारी खण्ड [1] के अधीन नोटिस के प्रत्युत्तर मे सरकारी कर्मचारी द्वारा दिये गये अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, विचार करेगा और यह तय करेगा कि सरकारी कर्मचारी पर कौनसी शास्ति लगाई जाए, यदि कोई लगाई जानी है, तथा मामले में समुचित आदेश देगा।

(11) अपने निष्कर्षों को ध्यान मे रखते हुए यदि अनुशासनिक प्राधिकारी की राय हो कि *नियम 14 के खण्ड [1] से [3]* मे विनिर्दिष्ट शास्तियो मे से कोई भी शास्ति लगाई जानी चाहिए तो वह मामले मे समुचित आदेश देगा :

परन्तु जिन मामलो मे आयोग से परामर्श करना आवश्यक हो, ऐसे प्रत्येक मामले मे जाच का अभिलेख अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा आयोग को उसकी सलाह के लिए भेजा जाएगा और ऐसी सलाह पर आदेश देने से पहले विचार कर लिया जाएगा।

(12) अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा दिये गये आदेश सरकारी कर्मचारी को समूचित किये जाए गे और उसे जाच प्राधिकारी की रिपोर्ट की एक प्रति भी दी जाएगी और जहा अनुशासनिक प्राधिकारी, जाच प्राधिकारी न हो तो उसके निष्कर्षो का एक विवरण, जाच प्राधिकारी के निष्कर्षो से असहमति, यदि कोई हो, के सक्षिप्त कारणो सहित, दिया जाएगा, यदि वे पहले उसको नही दिये गये हो और यदि आयोग द्वारा कोई

सलाह दी गयी हो तो उसकी एक प्रति भी दी जाएगी तथा जहा अनुशासनिक प्राधिकारी ने आयोग की सलाह स्वीकार न की हो तो ऐसी अस्वीकृति के कारणो का सक्षिप्त विवरण दिया जाएगा।

तथापि जाच प्राधिकारी की रिपोर्ट की प्रति देना उन मामलो मे आवश्यक नही होगा जिनमे नियम 14 के खण्ड [1] से [3] मे विनिर्दिष्ट शास्तियो मे से कोई शास्ति सरकारी कर्मचारी पर लगाई जाय।

राजस्थान सरकार का निर्देश (1)

"प्रारम्भिक जाच आरम्भ करना —

(i) जब किसी राज्य कर्मचारी के विरूद्ध कोई गभीर दोप या दुराचरण का मामला उसके उच्च अधिकारी की जानकारी म लाया जावे जिसम अनुशासन कार्यवाही की जरूरत हो, तो वह दोषी से वरिष्ठ किसी अधिकारी द्वारा, बिना किसी विलम्ब के प्रारम्भिक जाच करवाएगा।

(ii) जिन मामलो म भ्रष्टाचार के आरोप हो, तो विभागाध्यक्ष के मारफत और सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति की दशा म नियुक्ति विभाग के माध्यम से, मामले की छानबीन के लिए, यथा सभव शीघ्र भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के अतिरिक्त महा निरीक्षक आरक्षी (Additional Inspector Genral of Police Anti-curruption Department) को निर्देश भेजा जाएगा।

(iii) सरल प्रकृति के मामलो मे जब कि अनुशासन प्राधिकारी तथ्यों की सचाई से अन्यथा सन्तुष्ट हो, तो प्रारम्भिक जाच का परित्याग किया जा सकेगा।

(iv) प्रारम्भिक जाच के दौरान, सभी सारभूत दस्तावेज एकत्रित किए जावें और गवाहों के बयान लिखे जावें, और जहा तक सभव हो उन पर उन के हस्ताक्षर करना लिए जावें। दोषी कर्मचारी का लिखित कथन भी प्राप्त करना उचित होगा। उपलब्ध शहादत अभिलिखित करने और सारभूत दस्तावेजो का परीक्षण करने के पश्चात प्रारम्भिक जाँच करने वाले अधिकारी को उसके द्वारा जाँच किए गए आरोपो की सत्यता या अन्यथा पर अपना निष्कर्ष पर पहुचना चाहिये। प्रारम्भिक जाच रिपोर्ट मे शिकायत, शहादत और निष्कर्ष भी सम्मिलित होगा, जिसे तीन महीने के भीतर आरोपो के विवरण और अभियोगो के मसौदे के साथ अनुशासन प्राधिकारी के समक्ष पेश कर दिया जाना चाहिए।*

प्रारम्भिक जाच रिपोर्ट का परीक्षण —प्रारम्भिक जाच की रिपोर्ट प्राप्त होने पर, उस पर आगे कार्यवाही करने के विषय मे निर्णय लेने के लिए, अनुशासन प्राधिकारी को रिपोर्ट का परीक्षण करना चाहिये। यदि अनुशासन प्राधिकारी को तसल्ली हो जाए कि दोषी कर्मचारी के विरूद्ध प्रथमावलोकन से कोई मामला नहीं बनता, तो वह कागजात दाखिल दफतर करने का आदेश दे सकेगा। किन्तु यदि अनुशासन प्राधिकारी की राय म अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिए प्रथमावलोकन से मामला बनता है, तो अनुशासन प्राधिकारी को आगे यह भी तय करना चाहिये,

* नियुक्ति (ए) विभाग (ए)–सरक्यूलर स एफ 23 (36) नियुक्ति (A)/ 57 दिनाक 22 अगस्त, 1957।

के आया मामले मे, राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील), नियम 1958 के नियम 14 के खण्ड (i) से (ii) मे निर्दिष्ट लघु शास्ति या खण्ड (iv) से (vii) मे निर्दिष्ट कठोर शास्ति लागू करना वाछित हैं। लघु शास्ति होने की दशा मे, दोषी कर्मचारी से नियम 17 (i) के अधीन केवल स्पष्टीकरण मागा जावे जब कि दूसरे किस्म का मामला हो तो, तो उपर्युक्त नियमो के नियम 16 के अधीन दोषी को नियमित रूप से चार्जशीट दी जाएगी।"

[अनुशासन कार्यवाहियो की पुस्तिका, 1963 अनुच्छेद (2) और (3)]

राजस्थान सरकार का निर्देश (2)

*अभियोजन (प्रोसिक्यूशन)

जब कि भ्रष्टाचार निरोधक विभाग या जिला पुलिस या कोई अन्य प्राधिकारी तफतीश के फलस्वरूप किसी दोषी कर्मचारी पर फौजदारी मुकदमा (अभियोजन) चलाना चाहता हो, तो नियुक्ति प्राधिकारी को तथ्यात्मक रिपोर्ट की जाच अत्यन्त सावधानी से करनी चहिये और यदि मामले की सामग्री पर जैसा भी उचित हो, या तो वाछित स्वीकृती दी जावे अथवा अस्वीकार कर दी जावे। किसी भी दशा मे, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग या जिला पुलिस से प्राप्त ऐसे निर्देशनो का निपटारा प्राप्ति के दिनाक से 15 दिन मे कर देना चाहिये।

यदि स्वीकृति प्रदान की जावे तो वह जहाँ तक संभव हो विस्तृत होनी चाहिए जिसमे उन तथ्यो का समावेश होना चाहिये जिनसे अभियोजन के लिए अपराध बना और उसमे विशिष्टतः यह उल्लेख करना चाहिए कि स्वीकृति प्रदान करने वाले प्राधिकारी ने मामले पर स्वय विचार किया है और यह भी कि वह प्राधिकारी विशेष स्वीकृति प्रदान करने के लिये सक्षम है। स्वीकृति का प्रपत्र परिशिष्ठ मे उपलब्ध है। (देखिए प्रपत्र स 70)।

[राजस्थान सरकार की पुस्तिका अनुशासन कार्यवाहीया पैरा 16]

राजस्थान सरकार का निर्देश (3)

अनुशासन कार्यवाहियों के मामलों का शीघ्रता से निपटारा :

सरकार ने समय-समय पर अनुशासन के मामलो को शीघ्रता से निपटाने की आवश्यकता और उपयुक्तता पर बल दिया है।

गबन के मामलों मे विभागीय जांचः

रु. 50/-से अधिक के धन सम्पत्ति के गबन के मामलो से सम्बन्धित उन विभागीय जाचो का शीघ्रता से निपटारा सुनिश्चित करने के लिए, जो कि विभागाध्यक्षो के पास विचाराधीन है या जो भविष्य मे उत्पन्न हो. विभागीय जाच आयुक्त, राजस्थान को सम्बन्धित विभागाध्यक्ष की शक्तिया प्रदान की गई है।**

जिन मामलो मे विभागीय तथा कानूनी दोनो कार्यवाहिया सम्मिलित हो, तो प्रारम्भ मे, विभागीय. जाच करनी चाहिए और उसे पूरी की जाकर दोषी कर्मचारियो को दण्डित किया जाना चाहिए। इसके दौरान पुलिस द्वारा मामले की तफ्तीश (अन्वेषण) जारी रह सकती है परन्तु

---

* नियुक्ति (A) विभाग सरक्यूलर F. 19 (38) नियुक्ति (A) 60 दिनाक 13-5-1960

** नियुक्ति (A) विभागीय आदेश स. F. 19 (12) नियुक्ति (A)/59/ग्रुप III, दि. 26-10-1961.

अदालत म उसका चालान तभी पेश किया जाना चाहिए जबकि विभागीय जाच समाप्त हो गई हो और उसके फलस्वरूप दोषी को दण्डित किया जा चुका हो। सामान्य तौर से यही प्रक्रिया होनी चाहिए। किन्तु ऐसे भी मामले हो सकते है जिनम उपलब्ध साक्ष्यो पर साफ तौर से दोषी के विरुद्ध अपराध बनता हो और कानूनी अदालत म उसे दोषी करार दिए जाने की पूरी सभावना हो। ऐसे मामलो म पहले से ही अभयपूर्वक मुकदमा दायर किया जा सकता है। किन्तु अदालती मुकदमे चालू रहने के दौरान अभियोग पत्र बनाया जा सकेगा और कर्मचारी से लिखित प्रतिवेदन मगवाया जा सकेगा ताकि मुकदमे म दोष सिद्ध होने वरी होने के पश्चात् जभी भी स्थिति हो मामला नियमित विभागीय जाच के लिए जाच अधिकारी को केवल सौंपा जाना बाकी रह जाए। अत अधिकतर मामलो म विभागीय जाच पहले होगी और कुछ मामलो म मुकदमा पहले दायर होगा। इनमे से कौनसा रास्ता अपनाया जावे यह इस प्रकार के मामलो मे लिप्त दोषी कर्मचारियो को राजकीय सेवा म बर्खास्त करने हेतु सक्षम प्राधिकारी के स्वविवेक पर निर्भर होगा।*

विभागीय जाचो का गलत सचालन

जब उच्चतर प्राधिकारी के समक्ष अपील/नजरसानी करने पर या किसी अदालती निर्णय के फल स्वरूप कोई मूल आदेश निरस्त करना पडे और अपील/नजरसानी जाच प्राधिकारी या अनुशासन प्राधिकारी द्वारा निर्धारित कार्य प्रणाली का पूरा पालन नही करने के कारण स्वीकार की गई हो तो गलती करने वाले जाच प्राधिकारी/अनुशासन प्राधिकारी के विरुद्ध उपयुक्त सरकारी आदेश म निर्धारित अनुशासन कार्यवाही की जा सकेगी जिसके लिये कि वह अवश्य जिम्मेदार है।

[राजस्थान सरकार की पुस्तिका अनुशासन कार्यवाहिया अनुच्छेद 21 22 व 23]

राजस्थान सरकार का निर्देश (4)

अनुशासन कार्यवाही आरम्भ करने से पूर्व या उसके दौरान दोषी कर्मचारियो की सेवा निवृत्ति के मामलो मे अनुसरणीय कार्य प्रणाली

यदि कोई दोषी कर्मचारी विभागीय जाच आरम्भ करने से पहले या उसके चालू रहने के दौरान सेवा निवृत्त (रिटायर) हो जाता है तो राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियन्त्रण और अपील) नियम 1958 के अन्तर्गत उसके विरुद्ध कोई दण्ड की कार्यवाही नही की जा सकती। किन्तु ऐसे दोषी के विरुद्ध राजस्थान सेवा नियमो के नियम 170 के प्रावधानानुसार कार्यवाही की जा सकती है। किसी विभागीय या न्यायिक कार्यवाही म यदि कोई पेंशन भोगी अपने सेवाकाल म जिसम सेवा निवृत्ति के बाद पुन नियोजन का सेवा काल सम्मिलित है घोर दुराचरण का अपराधी पाया गया हो या उसने अपने दुराचरण या लापरवाही के कारण सरकार को आर्थिक हानि पहुँचाई हो और उसकी पेंशन या उसका कोई भाग स्थाई तौर से या किसी निर्दिष्ट अवधि के लिए रोकना या वापिस लेना प्रस्तावित हो या सरकार को पहुचाई गई आर्थिक हानि पूर्णत या आशिक रूप से उसकी पेंशन स वसूल की जानी हो तो इस नियम के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ की जा सकती है बशर्ते कि—

(क) यदि ऐसी विभागीय जाच कर्मचारी के सेवारत रहते उसकी सेवा निवृत्ति स पहले या पुन नियोजन के दरमियान आरम्भ नही की गई हो तो

* नियुक्ति (A) विभाग सरक्यूलर स F 23 (36) नियुक्ति (A)/57/ग्रुप III दि 6 2 1963

(i) राज्यपाल की स्वीकृति के बिना शुरू नहीं की जाएगी;

(ii) वह ऐसी घटना के विषय मे होगी जो ऐसी कार्यवाही आरम्भ करने मे अधिकाधिक चार वर्ष से पहले की नहीं हो, और

(iii) जाच प्राधिकारी द्वारा एव ऐसे स्थान या स्थानो पर सचालित की जाएगी जिसके लिए राज्यपाल निर्देश दे और उस कार्य प्रणाली के अनुसार की जाएगी जो सेवा से बरखास्तगी के आदेश जारी करने के लिए लागू है,

(ख) ऐसी न्यायिक कार्यवाही, यदि कर्मचारी के सेवा काल मे, सेवा निवृत्ति से पूर्व या उसकी पुनर्नियुक्ति के दौरान आरम्भ नही की गई हो, तो वह खण्ड (क) के उप-खण्ड (ii) के अनुसार आरम्भ की गई हो, और

(ग) अंतिम आदेश जारी करने से पहले राजस्थान लोक सेवा आयोग मे परामर्श लिया जाएगा।

[राजस्थान सरकार की अनुशासन कार्यवाहियो की पुस्तिका, 1963 पेरा 19]

राजस्थान सरकार के निर्देश (5)

*दोषी कर्मचारियो द्वारा रेकर्ड का निरीक्षण.—राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील) नियम, 1958 के अलावा, राज्य सरकार ने दोषी कर्मचारियो को रेकर्ड की नकले प्रदान करने तथा रेकर्ड निरीक्षण करने की अनुमति के लिए निम्न लिखित निर्देश निर्धारित किए हैं—

(i) सरकारी रेकर्ड तक पहुच असीमित नहीं है और अनुशासन प्राधिकारी एसी पहुच (access) के लिए इन्कार कर सकेगा यदि उसकी सम्मति मे —

(क) ऐसा रेकर्ड मामले से सुसगत (relevant) नहीं है, और/अथवा,

(ख) ऐसी पहुंच सार्वजनिक हित मे वाछनीय नहीं है।

(ii) किन्तु सरकारी रेकार्ड तक पहुचने से इन्कार करने के अधिकार का प्रयोग बहुत कम होना चाहिए। सुसगतता (सारभूतता) का प्रश्न प्रतिरक्षा के दृष्टिकोण से देखना चाहिए और यदि कोई प्रतिरक्षा की ऐसी सभावित विचारधारा हो जिससे कोई दस्तावेज किसी भी प्रकार से सारभूत हो, तो यद्यपि प्रार्थना करते समय अनुशासन प्राधिकारी की सुसगतता साफ नहीं दिखती हो, तथापि उस तक पहुचाने की प्रार्थना अस्वीकार नहीं की जानी चाहिए।

(iii) सार्वजनिक हित के आधार पर पहुंचने (access) से इन्कार करने की शक्ति का प्रयोग केवल तभी किया जाना चाहिए जब कि ऐसा विश्वास करने के लिए सही और पर्याप्त कारण हो कि उससे सार्वजनिक हित को स्पष्टत: हानि होगी। इस प्रकार के मामले सभवत: बहुत कम होते है, और यदि उक्त दस्तावेज का अभियोगो के सबूत मे प्रयोग करने का इरादा हो और जाच बिठाई जाने की दशा मे ऐसे दस्तावेज को जाच

1. सरक्यूलर स F 3 (25) नियुक्ति (A)/61/ग्रुप III दिनाक 14-2-1962 और उसी सख्या का सरक्यूलर दि 8-11-1962

प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना प्रस्तावित हो, तो सामान्यतः उसके सार्वजनिक हित में नहीं होने के आधार पर पहुचने (निरीक्षण करने) से अस्वीकृति का अवसर उत्पन्न नहीं होना चाहिए।

(iv) याद रखना चाहिए कि, दस्तावेजो तक पहुचने के लिए अनुशासन प्राधिकारियो द्वारा मनाई करना जब न्यायालय सही होना नही माने, तो गभीर कठिनाइयां पैदा हो जाती हैं। किसी भी दशा मे, जब पहुच (access) अस्वीकार करना तय कर लिया हो, तो ऐसी अस्वीकृति विश्वस्त तथा ठोस होनी चाहिए और निश्चितः उसे लिखित मे अभिलिखित करना चाहिए।

(v) आरोपो के विवरण मे जो अभियोग तथा तथ्य हो उनको सावित करने हेतु आधारभूत दस्तावेजो की प्रस्तावित सूची, दोषी कर्मचारी को चार्ज शीट के साथ ही या उसके पश्चात् यथा सभव शीघ्र दे देनी चाहिए। यदि कर्मचारी चाहे, तो सूची मे उल्लेखित दस्तावेजो तक पहुचने (निरीक्षण) के लिए कर्मचारी को अनुमति दी जानी चाहिए।

(vi) यदि दोषी कर्मचारी सूची मे, सम्मिलित नही किए गए सरकारी दस्तावेजो के लिए प्रार्थना करे, तो उपर्युक्त अनुच्छेदो को ध्यान मे रखते हुए प्रार्थना साधारणतः स्वीकार की जानी चाहिए।

(vii) प्रारम्भिक जाच करने हेतु नियुक्त किसी अधिकारी द्वारा तथ्यो का ठीक से पता लगाने की रिपोर्ट, प्रारम्भिक जाच करने के बाद की रिपोर्ट, जाब्ता फौजदारी (दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898) की धारा 173 की उप-धारा (1) अनुच्छेद (क) मे निर्दिष्ट अन्वेषण के अतिरिक्त, पुलिस द्वारा अन्वेषण (तफतीश) करने के बाद की रिपोर्ट जो सरकार को या अन्य सक्षम प्राधिकारियो, अनुशासन प्राधिकारियां सहित, को प्रेषित की जाती हैं व आम तौर से गोपनीय होती है, जो केवल सक्षम प्राधिकारी की सन्तुष्टि के लिए होती है कि आया नियमित विभागीय जाच की या कोई अन्य प्रकार की कार्यवाही करना आवश्यक है। इन रिपोटो को राज्य कर्मचारी को दिखाना आवश्यक नही है।

(viii) विभाग द्वारा सचालित प्रारम्भिक जाच मे या पुलिस द्वारा किए गए अन्वेषण के दौरान अभिलिखित गवाहो के बयान —

ये बयान केवल जिरह (cross-examination) के प्रयोजनार्थ उपयोग मे लाए जा सकते है, और राज्य कर्मचारी को केवल उन गवाहो से जिरह के लिए कहा जाता है जिनके बयानो पर अभियोग या आरोपो के विवरण मे दिए गए तथ्यो के सबूत के लिए आधार लेना प्रस्तावित है। जैसा कि कहा जा चुका है, सम्बन्धित राज्य कर्मचारी को प्रारम्भिक जाच मे या पुलिस की तफ्तीश मे बयान लिए गए सभी गवाहो के बयानो तक पहुचने (access) की इजाजत देना जरुरी नही हैं और केवल उन्ही गवाहो के बयानो तक पहुचने देना चाहिए जिनको अभियोगों तथा आरोपो के विवरण मे उल्लेखित तथ्यो को सावित करने के लिए साक्ष्य मे पेश करना है। कतिपय मामलो मे, राज्य कर्मचारी कुछ ऐसे गवाहान के बयानो की नकलें माग सकते हैं जिन पर अनुशासन प्राधिकारी इस कारण स आधारित नही रहना चाहते कि कर्मचारी अपनी ओर से उन गवाहो को पेश करना चाहता है और जाच अधिकारी के समक्ष उन गवाहो द्वारा पहले दिए गए बयानो की पुष्टि (corroboration) कराने के लिए उसको जरुरत है। चू कि किसी व्यक्ति द्वारा गवाह के रूप मे

पहले दिया गया बयान पुष्टि कराने के प्रयोजन हेतु स्वीकार्य नही होता, इसलिए उन बयानो तक पहुचने की इजाजत अभयतापूर्वक अस्वीकार की जा सकती है। किन्तु कानून इस बात को मान्यता देता है कि यदि पिछला बयान उस समय/या उसके करीब दिया गया था जिस समय कि कोई तथ्य घटित हुआ और जब कि किसी कार्यवाही मे उस व्यक्ति को उक्त तथ्य के बारे मे गवाही देने के लिए बुलाया जावे, तो पिछला बयान पुष्टि करने के प्रयोजनो के लिए काम म लिया जा सकता है। ऐसे मामलो मे, पिछले बयानो तक पहुचने (access) देना जरूरी होगा।

(ix) गवाहो के बयानो तक पहुंचने की अनुमति देने की अवस्था (stage),

गवाहा के बयानो की प्रतिया केवल जिरह करने के लिए ही काम मे लाई जा सकती हैं और, इसलिए, नकलो की माग तभी की जानी चाहिये जब कि गवाहो को मौखिक जाच मे बयानो के लिए बुलाया जावे। यदि ऐसी माग नहीं की जावे तो यही अनुमान लगाया जाएगा कि इस प्रयोजन के लिए नकलो की जरूरत नही थी। ऐसी नकलो का उपयोग किसी बाद की अवस्था मे नही किया जा सकता क्योकि इन बयानो पर अनुशासन प्राधिकारी भी विचार नही कर सकता। नकलें गवाहो का बयान लेने से पहले युक्त (reasonable) समय मे, उपलब्ध करा देनी चाहिए। विभागीय जाच मे शहादत अंकित करने की अवस्था से पहले ऐसी प्रतियां देने से कानुनन अवश्य इन्कार किया जा सकता है, परन्तु अपवादजनक मामलो मे, यदि दोषी कर्मचारी बलपूर्वक आग्रह करे, तो चार्ज-शीट के के उत्तर मे उसको लिखित प्रतिवेदन तैयार करने के प्रयोजन हेतु अनुशासन प्राधिकारी, अपने स्व-विवेक से, नकलें पहले देने की इजाजत दे सकेगा।

(x) दस्तावेजो की नकले,

राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियन्त्रण और अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के उप-नियम (3) मे दस्तावेजो की नकले देने का कोई प्रावधान नही है। परिणामत सामान्यतौर से विभिन्न दस्तावेजो (documents) की नकलें देना आवश्यक नही है और केवल इतना ही पर्याप्त होगा कि कर्मचारी को ऊपर उल्लेखित नियमो के अधीन दस्तावेज तक पहुचने (निरीक्षण करने) की अनुमति दी जावे।

(xi) विभागीय जाच मे लिप्त सरकारी कर्मचारियों को जब सरकारी रेकर्ड देखने की अनुमति दी जाती है तो वह कभी कभी उनकी फोटो स्टेट प्रतिया लेने की इजाजत मागते हैं। आम तौर से ऐसी इजाजत नही दी जानी चाहिए, खास तौर से जब कि *कर्मचारी ऐसी प्रतिया किसी निजी (प्राइवेट) फोटोग्राफर* के माध्यम से बनवाना चाहते हो क्योकि उससे बाहरी लोगो को सरकारी रेकर्ड देखने का मौका मिलता है, जो वाछिन नही है। किन्तु, यदि जिन दस्तावेजो की फोटो स्टेट प्रतिया मागी गई हैं वे मामलो म अत्यन्त सारभूत हो (उदाहरणत जब कि अभियोग का सबूत हस्तलिपि के सबूत पर निर्भर हो या दस्तावेज ऐसा हो जिसकी प्रामाणिकता विवादास्पद हो) तो अनुशासन प्राधिकारी खुद को उसकी फोटो स्टेट प्रतिया बनवालेनी चाहिए और राज्य कर्मचारी को देनी चाहिए। ऐसे मामला मे जो इसी प्रकार के न हो (दिए हुए उदाहरण केवल मिसाल के तौर पर हैं और पूर्णत नहीं हैं), इतना ही पर्याप्त होगा कि सरकारी कर्मचारी को सरकारी रेकर्ड का निरीक्षण करने दिया जावे और उपर्युक्त नियमों के प्रावधानानुसार उसम से उद्धरण (extracts) लेने की अनुमति दी जावे।

[राजस्थान सरकार की अनुशासन कार्यवाहियो की पुस्तिका, 1963, अनुच्छेद 11]

राजस्थान सरकार का निर्देश (6)

जांच अधिकारी की नियुक्ति :

जब कि लिखित प्रतिवेदन के जांच स्वरूप (या जब निर्धारित अवधि में या समय-समय पर बढ़ाई गई अवधि में कोई लिखित प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने से इकतर्फी कार्यवाही करना तय हुआ हो) और अनुशासन प्राधिकारी सन्तुष्ट हो कि कतिपय आरोपों के सबूत के लिए नियमित जांच अपेक्षित हैं, अथवा आरोप गंभीर प्रकार के होने से कोई कठोर शास्ति अधिरोपित की जा सकती है तो अनुशासन प्राधिकारी स्वयं ऐसे अभियोगों की जांच कर सकता जो विवादास्पद हों, अथवा इस प्रयोजन के लिए, यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझे तो, अपने निजी हस्ताक्षरों से कोई जांच अधिकारी या जांच मण्डल (Board of Enquiry) नियुक्त कर सकेगा। आम तौर से मण्डल नियुक्त नहीं किया जाता है और केवल बहुत गहन या उलझन भरे मामलों में उसकी नियुक्ति अपेक्षित हो सकती है। जांच अधिकारी का चुनाव करने में आरोपों की गम्भीरता और दोषी कर्मचारियों के पद स्तर का उचित ध्यान रखना चाहिए। ऐसे अधिकारी को जांच सुपुर्द नहीं की जानी चाहिए जिसने स्वयं प्रारम्भिक जांच की हो या जिसने पहले तनकियात (विवाद-बिन्दुओं) पर अपनी निश्चित सम्मति प्रकट की हो। सामान्यतः जांच अधिकारी दोषी कर्मचारी से वरिष्ठ व्यक्ति होना चाहिए और जो अपनी अपक्षपाती और न्यायप्रियता (Fair Minded and Just) के लिए जाना जाता हो। जांच के दौरान यदि इस प्रकार से नियुक्त जांच अधिकारी का स्थानान्तर हो जाता है, तो अन्य जांच अधिकारी की नियुक्ति का आदेश, निर्धारित प्रपत्र में अवश्य जारी करना चाहिए। जांच अधिकारी का स्थानान्तर होने पर और नए जांच अधिकारी की नियुक्ति होने पर दोषी कर्मचारियों को नए सिरे से जांच करने की मांग करने का कोई अधिकार नहीं है। जब तक कि किसी विशेष मामले में उसकी परस्थितियों को दृष्टिगोचर करने में जांच अधिकारी विशेषतः गवाही पुनः अभिलिखित करना तय नहीं करे तब तक उसे ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। नियुक्ति आदेश का मसौदा परिशिष्ट में (प्रपत्र नं 7) दिया गया है।

[राजस्थान सरकार की पुस्तिका, अनुशासन कार्यवाहियां 1963, अनुच्छेद 9]

राजस्थान सरकार का निर्देश (7)

विभागीय प्रतिनिधि और दोषी अधिकारियों का प्रतिनिधि

(i) अनुशासन प्राधिकारी जब जांच, जाँच अधिकारी को सुपुर्द करे तब या उसके बाद शीघ्र ही उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को जांच अधिकारी के समक्ष अभियोग पक्ष का मामला प्रस्तुत करने के लिए, मनोनीत करना चाहिये।

(ii) इसी प्रकार, दोषी कर्मचारी भी अपना मामला, अनुशासन प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त किसी अन्य राज्य कर्मचारी की सहायता से प्रस्तुत कर सकेगा। किन्तु जब तक कि अनुशासन प्राधिकारी द्वारा मनोनीत व्यक्ति कोई वकील न हो (जैसा कि 1961 R L W 104, ए के व्यास के मामले में निर्णीत हुआ) अथवा जब तक कि मामले की परस्थितियों का ध्यान रखते हुए कथित नियम के अधीन अनुशासन प्राधिकारी इजाजत न दे, तब तक राज्य कर्मचारी को अधिकार स्वरूप वकील द्वारा अपनी प्रतिरक्षा करने की मांग करने का हक नहीं है।

(iii) साधारणतः जाच मे वकील उपस्थित होने की अनुमति नही दी जानी चाहिये अन्यथा जाच सम्भवतः लम्बी हो जाएगी। ऐसी जाच मे अभियोजित व्यक्ति को भी अधिकार स्वरूप यह हक नहीं है कि वह वकील द्वारा अपनी प्रतिरक्षा कराने की माग करे। परन्तु किसी भी पक्ष से वकीलो की अनुज्ञा पर कोई निषेध नही है, और यह सदैव ध्यान मे रखना चाहिये कि अभियोजित व्यक्ति को अपना बचाव करने का समुचित अवसर मिलना चाहिये। इसलिये, यदि मामला बहुत उलझन भरा और कठिन हो, या यदि अभियोजित व्यक्ति को उससे ममभतः बहुत दुविधा या परेशानी होगी, तो उसे कानूनी सहायता लेने की इजाजत दी जा सकती है (1957 आन्ध्र प्रदेश 414, 1958 इलाहाबाद 532 तथा 1961 कलकत्ता 1)। परन्तु इसकी इजाजत अत्यन्त अपवाद स्वरूपी परिस्थितियो मे और उसका कारण लिखित मे अभिलिखित करके देनी चाहिय।

[राजस्थान सरकार की पुस्तिका, अनुशासन कार्यवाहिया अनुच्छेद 12]

राजस्थान सरकार का निर्देश (8)

जाच अधिकारी के समक्ष कार्य प्रणाली :

(i) मौखिक जाँच प्रारम्भ होने से पूर्व, यदि प्रतिरक्षा का लिखित प्रतिवेदन पेश किया जा चुका हो और यदि ऐसा प्रतिवेदन पेश नही भी किया गया हो, तो भी अभियोजित व्यक्ति को अवसर प्रदान किया जाना चाहिये कि वह अपना मौखिक बयान, अपने लिखित प्रतिवेदन के पूरक स्वरूप या उसके स्पष्टीकरण मे या उसके बदले म यथा स्थिति, दे सके। यदि अभियोजित व्यक्ति अभियोग के विषय मे कोई बयान देन से इन्कार करे तो बयान देन से इन्कारी अभिलिखित करनी चाहिये। किन्तु ऐसी इन्कारी म यह अनुमान नहीं लगाना चाहिये कि वह अभियोग की सत्यता स्वीकार करता है।

(ii) मौखिक जाच मे उन्ही आरोपो/अभियोगो के विषय मे गवाही सुनी जानी चाहिये जो स्वीकार नही किए गए है। जाच अधिकारी का गवाहो के बयान दोषी कर्मचारी की उपस्थिति मे अभिलिखित करने चाहिये, जिसको उनसे जिरह (प्रतिपरीक्षा) का पूरा अवसर दिया जाना चाहिये। प्रारम्भिक जाच के दौरान लिए गए बयान विभागीय जाच की कार्यवाही का अग नहीं बनते। यह बात सावधानी स ध्यान मे रखी जावे कि अभियोग पक्ष के केवल उन गवाहो से जिनके बयान प्रारम्भिक जाच म लिए गए थे। जिरह करने का अवसर प्रदान करना, अपेक्षताओ की पूर्ति नही करेगा। उक्त गवाहो के बयान फिर आरम्भ से अभियोजित अधिकारी की उपस्थिति मे लिये जावे (कन्हैयालाल वि राजस्थान सरकार, RLW 1958)

जिरह के दौरान भिन्नता (Contradiction) के प्रयाजनार्थ, जाच प्रारम्भ होने से पहले, प्रारम्भिक जाच म अभिलिखित गवाहो के बयानो की नकले दोषी कर्मचारी को दी जा सकेगी। आगे उसे स्वय शहादत देने और अपनी प्रतिरक्षा की पुष्टि म गवाह पश करने की इजाजत दी जानी चाहिय। और इन गवाहो से विभागीय प्रतिनिधि या जाच अधिकारी जिरह कर सकेगे।

(iii) साधारणतः अभियोजित व्यक्ति को अपनी दस्तावेजी शहादत, यदि कोई हो, उसके लिखित प्रतिवेदन के साथ पेश करने के लिए कहा जाना चाहिये, परन्तु ऐसी शहादत

को केवल इस कारण पर अस्वीकार नही करना चाहिये कि वह विलम्ब से प्रस्तुत हुई है। विलम्बित अवस्था मे भी अभियोजित व्यक्ति द्वारा पेश की गई सारभूत शहादत का स्वीकार करना सदैव अच्छा है। ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध काम मे ली जाने वाली प्रस्तावित दास्तावेजी शहादत, कायदे से, शुरू की अवस्था मे ही रेकर्ड पर स्थापित कर देनी चाहिए और साधरणतः ऐसी दस्तावेजो की सूची उसे चार्ज-शीट देने के साथ ही दे देनी चाहिए।

(iv) सदर्भ की सुविधा के लिए, अभियोग पक्ष के बयान लिए हुए गवाहों को क्रम से सख्या-बद्ध कर देना चाहिये, जैसे, P W 1, P. W 2, आदि. और प्रतिरक्षा के गवाहो को D W-1 तथा D W-2 आदि से। इसी प्रकार, अभियोग पक्ष द्वारा साक्ष्य मे प्रस्तुत दस्तावेजो को EX P-1, EX P-2, आदि और प्रतिरक्षा द्वारा प्रस्तुत 'दस्तावेजो को EX D-1, EX D-2, आदि चिन्हो से क्रमाकित करना चाहिये और ऐसे क्रमाकन के नीचे जाच अधिकारी को अपन हस्ताक्षर अवश्य करने चाहिये।

(v) जाच अधिकारी किसी गवाह का बयान लेने से इस आधार पर इन्कार कर सकता है कि उसकी गवाही अभियोगो से सारभूत या आवश्यक सम्बन्ध नही रखती। उसे ऐसा करने के अपसे कारण लिखित म रेकर्ड पर रखने चाहिये। यह स्वविवेक दोषी कर्मचारी के विपरीत अनियमितता से उपयोग मे नही लाना चाहिये। साधारणतः किसी गवाह को बुलाने की प्रार्थना अस्वीकार नही करनी चाहिये। किन्तु जब ऐसा प्रतीत हो कि किसी गवाह विशेष को बुलाने की प्रार्थना क्लेशदाई है, या जाच को अनावश्यक रूप से विलम्बित करने की नीयत से की गई है, तो ऐसी प्रार्थना अस्वीकार की जा सकेगी किन्तु उपर्युक्त अपेक्षा के अधीनस्थ कि ऐसी अस्वीकृति के कथित नियमो के नियम 16 (6) द्वारा अपेक्षित कारण अभिलिखित करन के बाद करनी चाहिये।

(vi) गवाहो के बयान साधारणतः वृतान्त के रूप मे (in the form of a narrative) अभिलिखित करने चाहिये। गवाहो को कोई शपथ नही दिलाई जाएगी। प्रत्येक गवाह के बयान मे यह स्पष्ट सकेत होना चाहिये कि क्या दोषी कर्मचारी ने उसके साथ जिरह की है या जिरह करने से इन्कार कर दिया है। जब (प्रत्येक) गवाह के बयान पूरे हो जावें तो उसके बाद उसे पढकर सुनाना चाहिये और गवाह तथा जाच अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित कराया जाना चाहिये। बयान पढकर सुनाते समय यदि गवाह साक्ष्य के किसी भाग को सही होने स इन्कार करे, तो जाच अधिकारी, साक्ष्य मे सुधार करने के बजाय, बयान पर गवाह द्वारा उठाई गई आपति अकित कर सकेगा जिसमे वह अपना 'रिमार्क', जैसा वह उचित, समझे जोड सकेगा। याद रखना चाहिये कि जाच अधिकारी, किसी भी परस्थिति मे अपने कर्त्तव्यो का पालन किसी अन्य अधिकारी को नही सौंप सकता।

(vii) राजस्थान अनुशासन कार्यवाहिया (गवाहो की तलबी तथा दस्तावेजों का प्रस्तुतीकरण) अधिनियम, 1959 और उसके अधीन बनाये गये नियमो के प्रावधानो के अधीन जाच अधिकारी को अधिकार है कि वह गवाहों को उपस्थित होने के लिए बाध्य कर सके चाहे गवाह राज्य कर्मचारी हो या निजी व्यक्ति। यात्रा भत्ता नियमो का नियम 34

(अब, यात्रा भत्ता नियम 1971 का नियम 28) जाच अधिकारी के द्वारा निजी गवाहों को खर्चा देने का प्रावधान करता है जिनको कि वह जाच के दौरान तलब करे।

(viii) दोनो पक्षो की ओर से गवाही अभिलिखित हो जाने के पश्चात्, दोषी कर्मचारी को अवसर प्रदान करना चाहिये कि यदि वह चाहे तो अपनी बहस सुनाए।

जाच के दौरान चार्ज-शीट से सुसगत समस्त सम्भावी प्रश्न, जो जाच के आधार हो, पूछे जाने की अनुमति देनी चाहिए। जो प्रश्न यद्यपि चार्ज-शीट से प्रत्यक्ष रूप के सुसगत नही है तथापि यदि उनसे निर्णय तक पहुचने म सुविधा की सम्भावना हो, तो प्रत्येक मामले के गुण-अवगुणो को देखते हुए, पूछे जाने की अनुमति दी जानी चाहिए।

[राजस्थान सरकार की पुस्तिका, अनुशासन कार्यवाहिया (1963) अनु. 13]

राजस्थान सरकार का निर्देश (9)

जॉच समाप्त हो जाने पर, जाच अधिकारी को जाच की एक रिपोर्ट बनानी चाहिए जिसम प्रत्येक अभियोग पर पृथक-पृथक अपना निष्कर्ष कारणो सहित लिखना चाहिए। निष्कर्ष उपयुक्त कारणो पर आधारित होना चाहिए और दोनो पक्षो की शहादत पर पूरा विचार करन के पश्चात् निकालना चाहिए। औपचारिक जॉच के रेकार्ड पर जो साक्ष्य विद्यमान न हो उसे दोषी कर्मचारी के विरूद्ध उपयोग म नही लाई जा सकती। यदि जाच अधिकारी की राय म, जाच की कार्यवाहीयो म मूलत. निर्धारित अभियोगो से कोई भिन्न अभियोग स्थापित होते है, तो वह ऐसे निष्कर्षो को अभिलिखित कर सकेगा, बशर्ते कि उक्त निष्कर्ष दोषी कर्मचारी द्वारा स्वीकारे गए तथ्यो पर आधारित हो और उनके विरूद्ध कर्मचारी को अपना बचाव करन का अवसर मिल चुका हो। ऐसे मामल मे अनुशासन प्राधिकारी अभियोगो मे सशोधन कर सकता है। जाच अधिकारी के लिए यह आवश्यक नही है कि वह विशिष्टत कोई दण्ड प्रस्तावित करे और उसे प्रत्येक अभियोग के विषय म केवल अपने निष्कर्ष अभिलिखित करने तक अपने आप को सिमित रखना चाहिए।

[राजस्थान सरकार की पुस्तिका अनुशासन कार्यवाहिया, 1963 अनु. 13 (ix)]

राजस्थान सरकार के निर्देश (10)

जाच अधिकारी के निष्कर्षो का परीक्षण .

जाच रिपोर्ट प्राप्त होने पर, अनुशासन प्राधिकारी को प्रत्येक अभियोग पर तथा जाच के रेकर्ड व निष्कर्षो के अभिलेख पर विचार करना चाहिए अर्थात् प्रत्येक अभियोग के विषय मे जाच अधिकारी के निष्कर्ष से सहमति या असहमति। अनुशासन अधिकारी लिखित मे कारण अभिलिखित करके जाच अधिकारी के निष्कर्षो से विभिन्न मत धारण सकता है।

[राज सरकार की पुस्तिका अनुशासन कार्यवाहिया, 1963 अनुच्छेद 14]

राजस्थान सरकार के निर्देश (11)

निर्णय :

(i) अभियोगों पर अपने निष्कर्षो को ध्यान मे रखने हुए, यदि अनुशासन प्राधिकारी इस सम्मति का हो कि कोई भी आरोप साबित नही हुए है, तो वह दोषी कर्मचारी को दोष

मुक्त कर सकेगा। राज्य कर्मचारी को लिखित में दोष मुक्त करने की सूचना भेजी जाएगी।

(ii) जांच रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यदि अनुशासन प्राधिकारी इस नतीजे पर पहुँचे कि राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील) नियम, 1958 के नियम 14 के उपखण्ड (i) से (iii) तक में निर्दिष्ट केवल कोई लघु शास्ति की ही अपेक्षा है, तो वह कारण बताओ नोटिस जारी किए बिना मामले में उपयुक्त आदेश पारित कर सकेगा।

(iii) यदि अभियोगों के निष्कर्षों पर विचार करने से अनुशासन प्राधिकारी इस सम्मति का हो कि राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील), नियम 1958 के नियम 14 के अनुच्छेद (iv) तथा (v) तथा (vi) में निर्दिष्ट कोई कठोर शास्ति अधिरोपित की जानी चाहिए तो वह—

(क) दोषी कर्मचारी को जांच अधिकारी के रिपोर्ट की प्रतिलिपि, अपने स्वयं के निष्कर्षों पर निर्णय और जबकि अनुशासन प्राधिकारी जांच अधिकारी के निष्कर्षों से असहमत हो तो ऐसी असहमति के कारणों सहित भेजेगा, और

(ख) और उसे एक नोटिस देगा जिसमें तदर्थ रूप से दण्ड की प्रस्तावना करते हुए उसे आदेश दिया जाएगा कि वह प्रस्तवित दण्ड के नतीजे के विरुद्ध कोई प्रतिवेदन करना चाहे तो निर्दिष्ट अवधि में, उदाहरणत 15 दिनो में, प्रेषित करे।

नोटः-जब अनुशासन प्राधिकारी स्वयं ही जांच प्राधिकारी हो तो भी उन्ही औपचारिकताओं का पालन किया जाएगा।

(iv) कारण बताओ नोटिस के उत्तर मे प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, दोषी कर्मचारी द्वारा उठाऐ गए मुद्दों पर सावधानी से विचार किया जाना चाहिए, और आयोग से परामर्श लेने के पश्चात्, जबकि ऐसा अपेक्षित हो, दोषी कर्मचारी के विरुद्ध सावित अभियोगों की गम्भीरता और प्रकृति का ध्यान रखते हुए उपयुक्त शास्ति अधिरोपित की जानी चाहिए। दण्ड की मात्रा निर्धारित करते समय अनुशासन प्राधिकारी दोषी कर्मचारी का पिछला रेकार्ड या पिछला दुराचरण केवल तभी विचाराधीन रख सकता है जबकि उसका उल्लेख कारण बताओ नोटिस में कर दिया गया था और दोषी कर्मचारी को स्पष्टीकरण देने के लिए पूरा अवसर दिया जा चुका था। (AIR 1954 नागपुर 90 तथा 1960 इलाहाबाद 270)।

(v) यदि दोषी कर्मचारी के विरुद्ध जारी किए गए कारण बताओ नोटिस से प्रस्तावित दण्ड गम्भीर प्राकृति का हो, किन्तु उसके प्रतिवेदन पर सुनवाई करने के पश्चात् उससे हल्का दण्ड देने का निर्णय लिया जाये तो ताजा कारण बताओ नोटिस की आवश्यकता नहीं है, परन्तु यदि उससे भारी दण्ड दिया जाना हो, तो ताजा कारण बताओ नोटिस देना जरुरी होगा।

(vi) अनुशासन प्राधिकारी द्वारा पारित अन्तिम आदेश राज्य कर्मचारी को भेजा जाएगा और अधिनस्थ सेवा एवं लिपिकवर्गीय सेवाओं के मामलो में उक्त आदेश सरकार को भी (सम्बन्धित) प्रशासनीय विभाग को प्रेषित किया जाएगा और चतुर्थ श्रेणी सेवा के

मामलो मे उसके ऊपर के प्राधिकारी को भी इस आशय से भेजा जाएगा कि इस प्रकार मे पारित अतिम आदेशो को प्रशासनीक विभाग अथवा उससे उच्च प्राधिकारी देख सकें और दण्ड की पर्याप्तता पर निर्णय ले सके तथा यदि आवश्यक समझें तो उसकी नजरसानी कर के आदेश को सशोधित कर सकें।

[राज. सरकार की पुस्तिका अनुशासन कार्यवाहीया 1963 अनुच्छेद 15]

टिप्पणी

असैनिक राज्य कर्मचारियो पर कठोर शास्तिया अधिरोपित करने के लिए नियम 16 विस्तृत कार्य प्रणाली निर्धारित करता है। सही तथ्या का पता लगाने के लिए और राज्य कर्मचारी को अपना पक्ष निवेदन करने तथा अपनी प्रतिरक्षा का समुचित अवसर प्रदान करने के लिए ऐसी व्यवस्था आवश्यक है ताकि न्याय किया जा सके। इस नियम मे समय समय पर अनेक परिवर्धन तथा सशोधन किये गये है, अर्थात् दिनाक 16-7-63, 20-3-65, 16-6-65, 11-3-66 एव अधिक्तर 9-10-74 को जैसा कि ऊपर उद्दत नियम के निचे दिये गये फुट नोटो मे दर्शाया गया है। राज्य कर्मचारी माग कर सक्ता है कि उसके विरुद्ध जाच नियमो मे निर्धारित तरीको से की जाए न कि जाच अधिकारी के व्यक्तिगत मन की लहर तथा चपलता के अनुसार। यह सभी सम्बन्धिनो के लिए लिए एक्सा प्रमाप (Standard) भी निर्धारित करता है।[1]

नियम 16 (1).—राज्य कर्मचारीयो के विरुद्ध जाच के लिए पूर्वकालीन ब्रिटिश सरकार ने सार्वजनिक कर्मचारी (जाच) अधिनियम, 1850 लागू किया था। यद्यपि सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील), नियम प्रभावित हो चुके है, तथापि 1850 का कथित अधिनियम अभी भी कानूनी पुस्तको पर विद्यमान है, परन्तु अब उसका उपयोग नही किया जाता है। किन्तु यदि सरकार चाहे तो, अब भी, जैसा कि उपनियम (1) मे उल्लेख किया गया है, उपर्युक्त 1850 के अधिनियम के अनुसार कार्यवाही कर सक्ती है।[2] सरकार के लिए यह एक सुविधा का मामला है आया कोई जाच वह इन नियमो के अधीन सचालित करे या सार्वजनिक कर्मचारी (जाच), अधिनियम, 1850 के अन्तर्गत।[3] सविधान के अनुच्छेद 311 (2) मे निर्धारित प्रावधान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील) नियम के अधीन विभागीय जाच का निचोड तथा रीढ की हड्डी के समान है।

नियम 16 (1) राज्य कर्मचारीयो पर नियम 14 के अनुच्छेद (iv) से (vii) मे उल्लिखित सभी प्रकार की कठोर शास्तिया अधिरोपित करने के लिए लागू होता है, नामार्थ।

(iv) निम्नतर सेवा, ग्रेड या पद पर, या नीचे के वेतनमान मे या उसी वेतनमान मे नीचे के वेतन पर पदानवती अथवा पेंशन होने की दशा मे नियमो के अधीन देय राशि से कम राशि तय करना,

(v) अनुपातिक पेंशन पर अनिवार्य सेवा निवृति,

(vi) सेवा से हटाना, और या

(vii) सेवा से बर्खास्तगी।

---

1. AIR 1958 राजस्थान-1.
2 AIR 1956 पजाब-58—कपूरसिह वि. भारतीय सघ।
3. AIR 1960 पटना-116—श्रीभुवननाथ वि बिहार सरकार।

विभागीय जाच पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 वास्तविक रूप म लागू नहीं है, परन्तु प्रतीत होता है कि यह नियम बनाते समय उसके मोटे सिद्धान्त विधायी मण्डल के ध्यान म अवश्य थ। इसके अतिरिक्त जाच की निर्धारित प्रक्रिया के साथ साथ प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो का भी पालन किया जाना है। यह अर्द्ध न्यायिक कार्यवाही हैं जिस पर प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त उतने ही लागू ह जितने कि न्यायिक कार्यवाही पर और उनको निरस्त कराने के लिए उत्प्रेषण आदेश याचिका (writ of certiorari) द्वारा प्रार्थना की जा सकती है। परन्तु यदि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत सूक्ष्म रूप म पालन कर लिए गए हैं तो किसी एक नियम के अनुपालन म विफल रहना कार्यवाही को खारिज करने के लिए पर्याप्त नही है क्योंकि नियम 16 (1) म अभिव्यक्ति जहा तक सभव हो का प्रयोग किया गया है।[1] किन्तु प्राधिकारियो से आशा की जाती है कि वे प्रशासनिक मामलो म भी न्यायिकता पक्षपातहीनता से काम करेंगे।[2] अतः जबकि एक गवाह का बयान प्रार्थी की अनुपस्थिति म अन्य मामले के जाच अधिकारी ने एक अन्य दोषी कर्मचारी के वर्ग म अभिलिखित किया और प्रार्थी को उस गवाह से जिरह करने का अवसर भी नहीं दिया गया और फिर भी उस गवाह के बयान को आधार लेकर प्रार्थी की शास्ति म वृद्धि का आदेश दिया तो उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि कथित आदेश न्यायिक नियमो के प्रतिकूल था।[3] इसी प्रकार जब रेकार्ड पर ऐसा पर्याप्त साक्ष्य नहीं था जिससे यह साबित होता कि दोषी कर्मचारी ने अपने कर्तव्यो का पालन ठीक तरह से नहीं किया तो यह फैसला हुआ कि ऐसा निष्कर्ष जो किसी शहादत पर आधारित नहीं था कायम नहीं रखा जा सकता।[4] परन्तु जब कार्यवाही लघु शास्ति के लिए नियम 17 के अधीन चालू की गई थी परन्तु उस पर अंतिम निर्णय नहीं हुआ और नियम 16 के अधीन जाच आरम्भ की गई तो तय हुआ कि ताजा जाच करने पर कोई रोक नहीं था।[5]

प्रारम्भिक जाच—किसी सिविल कर्मचारी के विरुद्ध अभियोग निश्चित करने से पहले, तथ्यो का पता लगाने के लिए प्रारम्भिक जाच की जा सकेगी। यह जाँच वैकल्पिक है और कर्मचारी की अनुपस्थिति म एकतर्फा की जा सकती है।[6] प्रारम्भिक जाच से नियमित जाच म कोई रुकावट नहीं होगी।[7] परन्तु सरकार को अधिकार हैं कि बिना प्रारम्भिक जाच के भी अभियोग निश्चित कर सके।[8]

राजस्थान सरकार ने प्रारम्भिक जाच के विषय म अनुशासन कार्यवाहियो की अपनी पुस्तिका के 1963 के संस्करण म अनुच्छेद (2 व 3) म निर्देशन जारी किए हैं जो ऊपर नियम की भाषा के नीचे दिए जा चुके है। इन निर्देशो के अनुसार जब किसी अधिकारी के ध्यान म किसी राज्य कर्मचारी के विरुद्ध ऐसे गम्भीर दोष या दुराचरण आवे या उसकी जानकारी म लाए जावें तो उसे

1 AIR 1960 राजस्थान 419–ए के व्यास वि राजस्थान सरकार।
2 1974 WLN 245 रामशरण शर्मा वि राजस्थान सरकार।
3 1975 WLN 8–हुगन लाल वि राजस्थान सरकार।
4 1977 WLN 646–राजस्थान सरकार वि दान मल।
5 1977 WLN 421 फतह सिंह जोधा वि राजस्थान सरकार।
6 1969 SLR 18–टी के सिंह वि बिहार सरकार।
7 AIR 1976 सुप्रीम कोर्ट 2037–आर सी शर्मा वि भारतीय संघ।
8 1969 RLW 579 = 1969 WLN 17–किशन लाल गाधरा वि सरकार।

तुरन्त प्रारम्भिक जच करानी चाहिए, जो चाहे वह स्वय करे या दोषी कर्मचारी के ऊपर का कोई अधिकारी करे।

यदि कर्मचारी के विरुद्ध भ्रष्टाचारो के आरोप हो, तो भ्रष्टाचार निरोधक पुलिस के अतिरिक्त महा निरीक्षक को विभागाध्यक्ष के मार्फत तफ्तीश के लिए तुरन्त निर्देश भेज देने चाहिए, और यदि उक्त कर्मचारी की नियुक्ति सरकार न की थी तो नियुक्ति विभाग के माध्यम से उक्त अतिरिक्त महा निरीक्षक का मामले की छानबीन करने हेतु लिखा जावे। उसस आगे की कार्यवाही अतिरिक्त महा-निरीक्षक पुलिस की सिफारिश प्राप्त होने के पश्चात् की जानी चाहिए।

परन्तु साधारण मामला म जबकि तथ्य सन्तोषजनक रूप से स्पष्ट हो तो प्रारम्भिक जाच की कोई जरूरत नहीं होगी। प्रारम्भिक जाच के दौरान सभी उपलब्ध साक्ष्य और सुसगत अभिलेख एकत्रित कर लेने चाहिए और गवाहो के बयान लिख आँकर, यथासम्भव, उन पर उनके हस्ताक्षर करवा लेने चाहिय। यह भी उचित होगा कि, दोषी कमचारी का स्पष्टीकरण लिखित म प्राप्त कर लिया जाये। इसके बाद रकार्ड निष्कर्षो सहित, आरोपो के विवरण और अभियोगो के साथ 3 माह के भीतर अनुशासन प्राधिकारी को समर्पित कर दिया जावे। तत्पश्चात् यह तय करना अनुशासन प्राधिकारी का कार्य है कि आया कागजात दाखिल दफ्तर कर दिये जावें अथवा मामले म औपचारिक जाच सचालित की जाए, और यदि एसा निर्णय हो, कि आया जाच नियम 16 के अधीन कठोर शास्तियो के लिए या नियम 17 क अन्तर्गत लघु शास्तियो की जाच के तरीके से की जाए।

फौजदारी मुकदमा—राजस्थान सरकार न यह भी निर्देशन जारी किए हैं कि जब भ्रष्टाचार निरोधक विभाग या पुलिस विभाग या कोई अन्य प्राधिकारी किसी राज्य कर्मचारी के विरुद्ध अपने अन्वेषण के फलस्वरूप फौजदारी मुकदमा चलाना प्रस्तावित कर तो नियुक्ति प्राधिकारी को चाहिए कि वह तथ्यो की रिपोर्ट का सावधानी पूर्वक अध्ययन करे और उस पर स्वय सोच विचार करने के पश्चात्, या तो ऐसा मुकदमा दायर करने की अनुमति प्रदान करे या अस्वीकृति प्रकट कर। यदि मुकदम के लिए स्वीकृति प्रदान की जाए तो, स्वीकृति का आदश काफी विस्तृत होना चाहिए जिसम उन तथ्यो का विवेचन होना चाहिए जिनसे अपराध बना। एसा आदेश प्रपत्र 14 के अनुरूप होना चाहिए जो इस पुस्तक मे अन्यत्र दिया हुआ है।

फौजदारी मुकदमे के साथ विभागीय जाच—फौजदारी मुकदमा तथा विभागीय जाच साथ साथ प्रारम्भ किए जा सकेगें,[1] परन्तु न्यायालयो ने सम्मति प्रकट की है कि न्यायिकता तथा पक्ष-पातहीनता की दृष्टि स, जब तक कि फौजदारी मुकदमे का फैसला नही हो जाए, तब तक विभागीय जाच स्थगित रखी जाए। यह आवश्यक नही है कि फौजदारी अदालत का निर्णय जाच अधिकारी या अनुशासन प्राधिकारी पर बाध्यकारी हो।[2]

सविधान का अनुच्छेद 20 (2) प्रावधान करता है कि, "कोई व्यक्ति एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दण्डित नहीं किया जाएगा"। यद्यपि यह प्रावधान विशिष्टत कानूनी अदालतो पर लागू है, तथापि इस प्राकृतिक नियम के सिद्धान्त रूप मे माना है कि, "एक ही अभियोग के लिए किसी भी व्यक्ति को दो दफा परेशान नहीं किया जाना चाहिए"।[3] यह निर्णय

1 AIR 1960 सुप्रीम कोर्ट 1210—भगतसिंह वि पजाब सरकार।

2 1973 (2) SLR 564—काशीराम वि भारतीय सघ।

3 1973 SLC 180।

दिया गया है कि जब एक कर्मचारी को सक्षम प्राधिकारी द्वारा पहले की गई पूरी जाच मे दोषमुक्त कर दिया गया हो, तो उन्हीं तथ्यो के आरोपो पर उसे चार्ज-शीट दी जाकर विभागीय जाच रचना कर्मचारी को परेशान करना होगा और प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के प्रतिकूल होगा।[1] जब एक कर्मचारी बिना अनुमति काम से अनुपस्थित रहा जिसके कारण उसका वेतन काट लिया गया, तो वह अपने आप में स्वय एक शास्ति थी। अत वेतन स उक्त कटौती करने के पश्चात्, प्राधिकारीगण अनुपस्थित रहने के लिए उसे चार्ज-शीट नही दे सकते।[2] निष्पक्षता और न्यायिकता के सिद्धान्त पर उन्ही अभियोगो पर नई जाच अनुचित होने से पुष्टि करने योग्य नहीं है।[3] ऐसे मामलों मे "रुकावट का सिद्धान्त" (Principle of estoppel) भी लागू है, जिसके अनुसार दुबारा जाच अनुज्ञ नहीं है।[4] प्रवतिकार वि नगरपालिका[5] मे न्यायालय और भी आगे बढा है और सम्मति प्रकट की है कि एक पुरानी घटना को ताजा जाच म पुन उठाकर, उसके आधार पर कर्मचारी को सेवा से हटाना बदनीयती की कार्यवाही मे आता है। जो कुल्हाडी एक दफा दफनाई गई है उसे बार बार खोदकर नही निकालना चाहिये। एक प्रशासनिक मामले, यू पी सरकार वि सुखदेसिंह[6] मे सर्वोत्तम न्यायालय ने दोहरे दण्ड के विषय मे यह सम्मति प्रकट की—"यदि आदेश को न्यायोचितता उसके (कर्मचारी के) चरित्रलेखा (केरेक्टर रॉल) मे उसके विरुद्ध किए गए इन्द्राज से सदर्भित है, तो यह न केवल दोहरी सजा का मामला बन गया बल्कि (सविधान के) अनुच्छेद 311 के उल्लघन का भी मामला है ...... इस आलोचना को टालना असम्भव है कि प्रत्यावर्तन (reversion) के आदेश के वेश मे वस्तुतः यह एक सजा दी।" इसी प्रकार का मत द्वारकाचन्द वि राजस्थान सरकार[7] मे धारण किया जिसमें एक सिविल कर्मचारी के विरुद्ध दूसरी जाच प्रारम्भ कर दी गई थी यद्यपि वह पहले उसी अभियोग से दोषमुक्त कर दिया था। आदर्श सेवा मण्डल वि. उप निदेशक, शिक्षा विभाग[8] मे साफ तौर से तय, किया गया है कि जब एक दफा मामला समाप्त कर दिया गया हो और कर्मचारी को पुनः स्थापित (re-instated) किया जा चुका हो, तो दूसरी अनुशासन कार्यवाही अनुज्ञ नही है। एक अन्य मामले, शिखर चन्द सेठ वि डिविजनल मेकेनिकल एन्जीनियर, पश्चिमी रेलवे[9] म कर्मचारी को दीवानी अदालत ने दोष मुक्त कर दिया था। इसलिए ताजी जाच का सचालन दूषित हो गया (vitiated)। इसके उपरान्त भी, प्राधिकारियो ने न्यायालय के निर्णय की अवहेलना करते हुए, कर्मचारी को निलम्बित किया और तत्पश्चात सेवा स बरखास्त कर दिया। जाच के दौरान निलम्बन भी दूषित करार दिया गया। अनुशासन प्राधिकारी का आदेश न्यायालय द्वारा जाच अधिकारी की अक्षमता के आधार पर और मामले के गुण अवगुण के आधार पर भी खारिज किया गया। ऐसी परिस्थितियो म ताजा जाँच पर रोक लगवाने का निर्णय घोषित हुआ।

1 1972 Lab IC 1539 ILR (1973) 52 पटना 266।
2 1978 SLJ 456—अनवर खा वि गोगा प्रशासक।
3 आसाम LR (1971) आसाम 281।
4 1975 Lab IC 1580 कलकत्ता, यह भी देखिए AIR 1958 मध्य प्र 413।
5 AIR 1961 मैसूर 181।
6 1974 S C C (L & S) 124।
7. AIR 1858 राजस्थान 138।
8 1978 SLJ (इलाहबाद) 138।
9 1970 RLW 83 AIR 1970 राजस्थान 210।

इसके विपरीत फतहसिंह वि राजस्थान सरकार[1] में, प्रारम्भ में नियम 17 के अन्तर्गत कार्यवाही शुरू की गई थी परन्तु उसके अन्तिम निर्णय से पहले, दोषी कर्मचारी को नियम 16 के अधीन नया नोटिस जारी किया गया और नवीन जांच प्रारम्भ की गई। निर्णय हुआ कि इस प्रकार से नई जांच की जाने पर कोई रोक नहीं थी। इसी मामले में ताजा चार्ज शीट देने में देर हुई क्योंकि सक्षम प्राधिकारी कौन है इस विषय में महानिरीक्षक आरक्षी और उप-महानिरीक्षक आरक्षी में मत-भेद था। न्यायालय ने तय किया कि विलम्ब का कारण स्पष्ट कर दिया गया है, इसलिए, नई जांच के लिए घातक नहीं है।

फौजदारी अदालत का फैसला और ताजा जांच—जब कि विभागीय जांच के आरोप उस फौजदारी अदालत के मुकदमे के विषय से भिन्न हों जिसमें कि राज्य कर्मचारी बरी हुआ, तो नई विभागीय जांच करने पर कोई रोक नहीं होगी यद्यपि[2] तथ्य वैसे ही हों[3]। जब कि फौजदारी अदालत ने परियाप्त शहादत के अभाव में मुलजिम राज्य कर्मचारी को डिसचार्ज कर दिया, फिर भी यदि अनुशासन प्राधिकारी के पास उससे बेहतर सबूत हो, तो वह उसके खिलाफ विभागीय कार्यवाही चला सकेगा।[4] जब कि मुकद्दमा केवल तकनीकी कारणों से, बिना उसके गुण-अवगुणों पर विचार किए बन्द कर दिया गया हो, तो यदि आरोपों के लिए सही तथा परियाप्त आधार" हों तो विभागीय जांच आरम्भ की जा सकेगी।[5] फौजदारी अदालत के निष्कर्ष अनुशासन प्राधिकारी को बाध्य करने वाले नहीं हैं।[6] विभागीय जांच में एक पटवारी को सेवा से हटा दिया गया, उन्हीं अभियोगों पर फौजदारी अदालत ने उसे बरी कर दिया। फिर भी निर्णय हुआ कि बरी होने के आधार पर उसे सेवा में पुन स्थापित किए जाने का अधिकार नहीं था।[7]

गबन के मामले—सभी विभागीय जांचों की कार्यवाहियों में अनावश्यक लम्बा समय नहीं लगना चाहिए, क्योंकि विलम्ब न केवल न्याय देने से इन्कारी है, वरन् कतिपय मामलों में किसी महत्वपूर्ण गवाह की मृत्यु हो जाने के कारण या समय गुजर जाने के स्मरण शक्ति क्षीण हो जाने से, दोषी कर्मचारी दोष मुक्त हो सकता है। परन्तु गबन के मामलों में तत्परता से कार्यवाही करना और भी आवश्यक है। राजस्थान सरकार ने इस आवश्यकता पर बल दिया है, और रु 50/- या उससे अधिक राशि या मूल्य की सम्पत्ति के गबन के मामलों का शीघ्रता से निपटारा कराने की दृष्टि से विशेष निर्देशन जारी किए हैं। इस प्रयोजन के लिए, राजस्थान के विभागीय जांच आयुक्त को विशेषत विभागाध्यक्ष के अधिकार प्रदान किए हैं, देखिए—आदेश दिनांक 26-10-1961 तथा 6-2-1963, जो ऊपर (निर्देश स 3) दिए जा चुके हैं।

जांच अधिकारियों और अनुशासन प्राधिकारियों को बहुत सावधानी रखनी चाहिए और यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि कार्यवाही कि विभिन्न अवस्थाओं (stages) में, निर्धारित सारी औप-

---

1 1977 WLN 421।

2 AIR 1962 उड़ीसा 125–राधाकान्त पटनायक वि उड़ीसा सरकार तथा AIR 1956 पटना 228–करमदेवसिंह वि बिहार सरकार।

3 ILR (1975) कर्नाटक 895।

4 AIR 1955 पटना 328।

5 AIR 1962 SC–1334–देवेन्द्रप्रताप नारायणराय शर्मा वि उत्तर प्र० सरकार।

6 1972 Lab IC 1453 (बम्बई)।

7 1974 Lab IC 553–(हरियाणा-पंजाब)।

चारिकताओं का सही पालन हुआ है। प्राकृतिक न्याय और संविधान के सम्बन्धित प्रावधानों का भी यथोचित ध्यान रखना चाहिए। इस सम्बन्ध में त्रुटि या विफलता रहने से उनके दिए हुए फैसले

अपील या नजरसानी में अथवा किसी कानूनी अदालत में खारिज किए जा सकते हैं और उस दशा में स्थाई सरकारी आदेशों के अनुसार प्राधिकारियों के विरुद्ध भी अनुशासन कार्यवाही की जा सकती है। (देखिए–राजस्थान सरकार की अनुशासनिक कार्यवाही पर पुस्तिका के अनुच्छेद 21 22 तथा 23)।

विभागीय जांच के दौरान सेवा निवृत्ति आयु प्राप्त करना —यदि कोई दोषी राज्य कर्मचारी विभागीय जांच प्रारम्भ करने से पूर्व या उसके चालू रहते सेवा निवृत्त (रिटायर) हो जावे तो राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण और अपील) नियम 1958 के अधीन उस पर कोई शास्ति अधिरोपित नहीं की जा सकती। जब वह रिटायर हो जावे तो उसके विरुद्ध अनुशासन कार्यवाही का भी अन्त हो जाएगा और तब सरकार उसे सेवा में रखने के लिए सशक्त नहीं रहेगी जिससे कि उस पर शास्ति लागू करने में सक्षम हो सके।[1] जांच करने के प्रयोजन से उसे सेवा में रखना उचित नहीं होता और उसके सेवाकाल में वृद्धि करना भी गैर कानूनी है।[2] यदि दोषी कर्मचारी का सेवा निवृत्ति तिथि से पहले विभागीय जांच पूरी नहीं की जा सकती हो, तो सही रास्ता रास्ता यह होगा कि उसे सेवा से निलम्बित कर दिया जावे (यदि वह पहले से ही निलम्बन में न हो) और जब तक विभागीय जांच में अन्तिम आदेश पारित न हो तब तक उसे सेवा निवृत्त होने की अनुमति नहीं दी जावे।[3] हाल ही में एक मामले आर पी नायर वि केरल राज्य विद्युत् मण्डल[4] में केरल उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि जो विभागीय कार्यवाही कर्मचारी के सेवा में रहते आरम्भ की गई थी वह उसे सेवा निवृत्त हो जाने के पश्चात् जारी नहीं रह सकती। पेंशन के सम्बन्ध के सिवाय नौकरी में जारी रखना अवैध होगा। निःसंदेह यदि कर्मचारी ने अपने सेवा काल या पुनः नियोजन काल में सरकार को अपने दुराचरण या लापरवाही के कारण आर्थिक हानि पहुंचाई हो तो उसकी क्षतिपूर्ति पूर्णतः या आंशिक रूप में राजस्थान सेवा नियमों के नियम 170 के अन्तर्गत कर्मचारी की पेंशन से वसूली जा सकती है परन्तु शर्त यह है कि —

(क) यदि उस सम्बन्ध में विभागीय कार्यवाही दोषी कर्मचारी के सेवारत रहते या सेवा निवृत्ति के बाद पुनः नियोजन की अवधि में प्रारम्भ नहीं की गई तो —

(i) सरकार की स्वीकृति के बिना प्रारम्भ नहीं की जावेगी

(ii) ऐसी किसी घटना या क्रिया के बारे में नहीं होगी जो उक्त कार्यवाही शुरू करने से 4 वर्ष से अधिक पहले घटित हुई थी

(iii) जांच ऐसे अधिकारी द्वारा तथा ऐसे स्थान या स्थानों पर सचालित की जाएगी जैसा कि राज्यपाल निर्देशन दे और ऐसी विभागीय कार्यवाही की कार्य प्रणाली

1 AIR 1958 राजस्थान 36–द्वारकाचन्द वि राजस्थान सरकार।
AIR 1967 राजस्थान 82–नवलकिशोर वि राजस्थान सरकार।

2 AIR 1966 सुप्रीम कोर्ट 447–प बंगाल सरकार वि निपेन्द्रनाथ बागची।

3 AIR 1970 सुप्रीम कोर्ट 214–पंजाब राज्य वि खमीराम और
AIR 1976 सुप्रीम कोर्ट 1737–खमीराम वि पंजाब सरकार।

4 FLR 1979 (38) 236।

के अनुसार की जाएगी जो किसी राज्य कर्मचारी की सेवा से बरखास्त करने के लिए निर्धारित है।

(ख) ऐसी कोई भी न्यायिक जाच, यदि कर्मचारी के सेवाकाल में, उसकी सेवा निवृत्ति से पूर्व या उसके पुन नियोजन काल मे प्रारम्भ नही की गई थी, तो किसी ऐसी घटना या क्रिया के सम्बन्ध मे प्रारम्भ नही की जाएगी जिसका समय जाच प्रारम्भ करने के पूर्व चार साल से अधिक गुजर चुका हो।

(ग) अन्तिम आदेश जारी करने से पहले राजस्थान लोक सेवा आयोग से परामर्श लेना होगा।*

अनुच्छेद 311 (2) मे संशोधन—अब, सविधान के अनुच्छेद 311 (2) मे, सविधान (बयालीसव सशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा सशोधन किया गया है, जो 3 जनवरी, 1977 स प्रभावशील हुआ है। इसके अनुसार दण्ड प्रस्तावित करने की अवस्था (stage) आने पर जो द्वितीय कारण बताओ नोटिस पहले दोषी कर्मचारी को देना अनिवार्य था वह प्रावधान वापिस ले लिया गया है। किन्तु राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील) नियमो का नियम 16 (10) अभी तक प्रभावशील है जिसमे ऐसे द्वितीय नोटिस का कानूनी प्रावधान है परन्तु उसकी पुष्टि मे पहले वाला सवैधानिक बल अब नही रहा है।

नियम 16 (2)—अभियोग तथा आरोपो का विवरण-पत्र निश्चित करना—कठोर शास्तियो हेतु विभागीय जाच की प्रथम अवस्था नियम 16 (2) मे बताई गई है जो निर्धारित करता है कि ऐसे (क) आरोपो के आधार पर जिनकी जाच की जानी है, अनुशासन प्राधिकारी (ख) निश्चित अभियोग बनाएगा। ऐसे अभियोग, आरोपो के विवरण सहित लिखित मे बनाए जाएगे और दोषी राज्य कर्मचारी को एक नोटिस के साथ भेजे जायेंगे जिसमे उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि वह अपना लिखित प्रतिवेदन, ऐसी अवधि के भीतर पेश करे जो अनुशासन प्राधिकारी, नियम 16 (2) और 16 (3) के प्रयोजनार्थ निर्दिष्ट करे। जो प्राधिकारी नियम 14 के उप-खण्ड (i) से (iii) मे निर्दिष्ट लघु शास्तिया लागू करने के लिए अधिकृत हो वह अनुशासन प्राधिकारी भी हो सकेगा। नियम 16 (2) के नीचे दिए गए परन्तुक के अनुसार जब कि अभियोगित दोषी व्यक्ति द्वारा उसकी प्रतिरक्षा के दौरान दिए गए अभिकथन या लगाया गए आरोप के सम्बन्ध मे उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही करना प्रस्तावित हो, तो कोई अतिरिक्त अभियोग (चार्ज) बनाना आवश्यक नही होगा।

राजस्थान सरकार ने कतिपय आदर्श प्रपत्र अर्थात् प्रमाणिक मसौदे के फार्म बनाए है जो इन नियमो के अन्त मे दिए गए है। प्रपत्र स. (3) जाच प्रस्तावित करने का मेमोरेन्डम है, प्रपत्र स. (4) अभियोग पत्र (चार्ज शीट) का है और प्रपत्र स (5) आरोपो का विवरण तैयार करने के लिए है। अत. जब भी नियम 16 (2) के अधीन कार्यवाही की जानी हो, तो उपर्युक्त तीन फार्मो का उपयोग करना चाहिए और ये तीनो भरे जाकर उस राज्य कर्मचारी के भेजने चाहिए जिसके विरुद्ध जाच बिठानी प्रस्तावित हो। दोषी कर्मचारी पर इनकी तामील या तो व्यक्तिगत रूप से अथवा रजिस्टर्ड डाक से करानी चाहिए और उसकी रसीद या पहुच उक्त कर्मचारी के हस्ताक्षरो की प्राप्त करनी चाहिए। यह नियम कोई निश्चित अवधि निर्धारित नही करता जिसमे दोषी कर्मचारी को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहा जावे। सामान्यत. 15 दिन से कम समय नही दिया जावे। उपर्युक्त

*देखिए—अनुशासन कार्यवाही की राजस्थान सरकार की पुस्तिका 1963, अनुच्छेद 19।

सभी दस्तावेजो पर हस्ताक्षर स्वय अनुशासन प्राधिकारी को करने चाहिये और इनको किसी अन्य अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किए जाने के लिए नही छोड़ना चाहिए। अभियोग तथा आरोपो का विवरण जितना निश्चित और विशिष्ट हो सके उतना साफ शब्दो म लिखना चाहिए ताकि अस्पष्ट (Vague) होने के आधार पर उनको चुनौती नही दी जा सके।[1] यहा शब्द 'अभियोग (चार्ज)' से अभिप्राय कर्मचारी के विरुद्ध लगाए गए किसी आरोप से है जो आवश्यक रूप से दण्ड सहिता के तकनीकी अर्थ मे अपराधो के लिए वर्णित 'चार्ज' नही होता।[2] मेमोरेन्डम औपचारिक चार्ज-शीट भी हो सकता है।[3] आरोपो के विवरण या अभियोग पत्र मे दोषी कर्मचारी के विरुद्ध विद्यमान शहादत का सकेत मिलना चाहिए।[4]

राजस्थान सरकार वि दानमल[5] मे एक अभियोग (चार्ज) इस प्रकार था —

'यह कि 7-2-53 को जब श्री एन एन- दीवान आई. पी एस ने आपको रोकड सत्यापन करवाने के लिए कहा तो आपने साफ इन्कार कर दिया। इसलिए आपको पुलिस अधीक्षक के निवास स्थान पर ले जाया गया परन्तु वहा भी आपने इन्कार किया। अन्तत एम डी एम को बुलवाना पडा और बहुत ही हिचकिचाहट के बाद आपने उसे (रोकड पेटी को) खोला। अतः भली भाति जानते हुए, आपने पुलिस अधीक्षक और सहायक पुलिस अधीक्षक के आदेशो की अवमानना की और श्री दीवान के साथ ऐसा अशोभनीय और अनुशासन हीनता व बदतमीजी का व्यवहार किया और पुलिस लाइन्स मे तथा पुलिस अधीक्षक पाली के निवास स्थान पर और एस डी एम के सामने ऐसी अभद्र अश्लील भाषा का प्रयोग किया जो अविनय (अवज्ञा) (insubordination) की तारीफ मे आता है।"

दोषी कर्मचारी की एक दलील यह थी कि अभियोग (विशेषत उपर्युक्त चार्ज) अस्पष्ट (vague) था और उसकी अस्पष्टता से की गई जाच दूषित हो गई। यह व्यक्त किया गया कि जिस शब्दावली 'अशोभनीय, 'अनुशासन हीनता,' 'बदतमीजी' 'ढीठपन', अभद्र भाषा' का प्रयोग चार्ज मे तथा आरोपो के विवरण मे किया गया है वह अस्पष्ट है और रेसपोन्डेन्ट द्वारा वास्तव मे उच्चारित किए गए शब्दो को चार्ज-शीट और आरोपो के विवरण म सम्मिलित करना चाहिए था। इस सबध मे उसने सुरथचन्द्र चक्रवर्ती वि पश्चिम बगाल सरकार (AIR 1971 सुप्रीमकोर्ट 752) आदि का आधार लिया। परन्तु राजस्थान उच्च न्यायालय ने इस केस को तथ्यो के आधार पर उनसे भिन्न होना माना क्योकि गवाह हसराज ने रेस्पोन्डेन्ट द्वारा उच्चारित वास्तविक शब्दो को दुहराया था। *अत यह नही का जा सकता कि रेसपोन्डेन्ट द्वारा विभिन्न स्थानो पर बोली गई वास्तविक शब्दावली* की उसे जानकारी नही कराई गई थी। इस प्रकार न्यायालय ने रेस्पोन्डेन्ट द्वारा उठाई गई अस्पष्टता की दलील ठुकरादी। इसी प्रकार एक अन्य मामले मे जब कि अभियोग पत्र म घटना का समय और स्थान के विशिष्ट उदाहरण तथा विवरण और शिकायत कर्ता के नाम और राज्य कर्मचारी विरुद्ध अधिरोपित कार्यो का उल्लेख था तो उसे त्रुटियुक्त नही माना गया।[6]

---

1 LIR 1962 राजस्थान 302 एव AIR 1963 त्रिपुरा 20
2. AIR 1958 राजस्थान 1-कन्हया लाल वि राजस्थान सरकार।
3 AIR 1974 सुप्रीम कोर्ट 1589-कृष्ण चन्द्र टण्डन वि भारतीय सघ।
4 AIR 1972 कलकत्ता 27.
5 1977 WLN 645.
6 AIR 1956 सौराष्ट्र 14-भानुप्रसाद वि सरकार।

इसके विपरीत, जब कि दोषी कर्मचारी के विरूद्ध विशिष्ट अभियोग यह था कि उसने 367 बाहरी रेलवे लाइनो के पास जालसाजी से जारी किए, परन्तु 367 व्यक्तियो के नाम और आरोपित बाहरी रेलवे लाइनो के नाम प्रकट नही किए गए, तो निर्णय हुआ कि ऐसे अभियोग पर आधारित विभागीय जाच की सचालन-प्रक्रिया कानून के प्रतिकूल थी ।[1]

अभियोगो के पत्र में सम्बन्धित व्यक्ति के विरुद्ध प्रस्तावित शास्ति का उल्लेख नही करना चाहिए, क्योकि इससे यह सकेत मिलेगा कि अनुशासन प्राधिकारी ने जाच सचालित करने से पहले ही दोषी कर्मचारी को दण्डित करने का मानस बना लिया है, जो सविधान के अनुच्छेद 311 की अवहेलना समझा जा सकता है ।[2] परन्तु ऐसे मामले मे भी, समस्त कार्यवाही विखण्डित कराने के लिए याचिका शास्ति आरोपित करने के अन्तिम आदेश पारित होने से पहले नही की जा सकती ।[3] यदि किसी राज्य कर्मचारी के विरुद्ध अभियोग एक से अधिक हो, तो जाच दूषित नही होगी ।[4] यदि पहले दी गई चार्ज-शीट के स्थान पर दूसरी चार्जशीट दी जावे तो इसमे कोई गलती नही होगी ।[5] आई जी पुलिस और डिप्टी आई. जी पुलिस के मध्य, एक मामले मे नियुक्ति प्राधिकारी के प्रश्न पर मतभेद होने के कारण, दोषी कर्मचारी को ताजा चार्जशीट देने म देरी हुई । न्यायालय ने तय किया कि विलम्ब का कारण रेकर्ड पर स्पष्ट कर दिया गया था, इसलिए, वह ताजा जाच करने के लिए घातक नही था ।[6]

आरोपो का विवरण—सम्बन्धित राज्य कर्मचारी को आरोपो का विवरण (Statement of aleegations) देने के लिए विशेष प्रावधान नियम 16 (2) मे किया गया है, जिसको टालना या भूलना या तुच्छ समझते हुए छोडना नही चाहिए । सूर्यचन्द्र चक्रवर्ती वि प बगाल सरकार[7] म जबकि आरोपो का विवरण दोषी कर्मचारी को नही दिया गया, तो उसे समुचित अवसर प्रदान करने से मनाई करना माना गया और उसे सेवा से हटाने का आदेश रद्द किया गया । परन्तु कन्हैयालाल वि राजस्थान सरकार[8] के एक पुराने मामले मे चार्ज-शीट स्वय बहुत विस्तृत थी और उसमे वे सभी आरोप समाविष्ट थे जिन पर अभियोग आधारित थे और जाच अधिकारी ने अपने निष्कर्षों मे उन से बाहर की किसी भी परस्थिति पर विचार नही किया । अत प्रार्थी को आरोपो का विवरण नही देना केवल एक ऐसी अनियमितता मानी गई जिसमे मामले के गुण-दोषो पर कोई प्रभाव नही पडता था ।

लिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए नोटिस—चार्ज-शीट और आरोपो के विवरण के साथ दोषी राज्य कर्मचारी को एक नोटिस भी भेजना चाहिए जिसमे उसे अपना उत्तर पेश करने के लिए

1. AIR 1961 कलकत्ता 47–अमूल्य रतन वि डिप्टी चीफ मेकेनिकल एन्जीनियर, और 1974 (1) SLR 285 और 1974 (2) SLR 466
2. AIR 1964 मद्रास 374–एस मणिक्कम वि. पुलिस अधीक्षक ।
3. AIR 1963 पटना 38–श्रीकात उपाध्याय वि भारतीय सघ ।
4. AIR 1956 पजाब 58–कपूर सिंह वि. भारतीय सघ ।
5. AIR 1960 पजाब 147–विनोद चन्द्र वि. भारतीय सघ ।
6. 1977 WLN 421–फतेहसिंह वि राजस्थान सरकार ।
7. AIR 1971 सुप्रीम कोर्ट 275 : 1971 SLR 103.
8. AIR 1958 राजस्थान 1 ।

कहा जाए-अर्थात् वह अपना लिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करे जिसमें व्यक्त करे कि आया वह अधिरोपित सभी या उनमें से कुछ अभियोगों की सत्यता को स्वीकार करता है और उसे क्या स्पष्टीकरण या प्रतिरक्षा, यदि कोई हो, देनी है और यह भी बतावे कि आया वह व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहता है। उक्त नोटिस में एक अवधि निर्दिष्ट करनी चाहिए जिसमें दोषी कर्मचारी को अपना लिखित प्रतिवेदन प्रेषित करना है। ऐसे मेमोरेन्डम, नोटिस सहित का आदर्श प्रपत्र परिशिष्ट 'क' में दिया गया है। राज्य कर्मचारी को अपना लिखित प्रतिवेदन पेश करने के लिए उपयुक्त समय दिया जाना चाहिए। जब कि प्रार्थी को उत्तर पेश करने के लिए केवल एक दिन का समय दिया गया तो उसे नितान्त अपर्याप्त समझा गया[1] और यह फैसला हुआ कि कर्मचारी को समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया।[2] साधारणत 15 दिन से एक महीने तक का समय देना चाहिये।

आया कोई कार्यवाही बंद की जा सकती है ?

किसी सिविल कर्मचारी के विरुद्ध हो रही जाच को बंद करने के लिए सरकार सदैव स्वच्छन्द है।[3] निर्देश (रेफ़रेन्स) करने के अधिकार के साथ उसको वापिस लेने का अधिकार जुड़ा हुआ है।[4] सिविल सेवा (वर्गीकरण नियन्त्रण और अपील) नियम राज्य कर्मचारी को यह अधिकार प्रदान नहीं करता कि वह ऐसा आग्रह कर सके कि जो जाच उसके विरुद्ध आरम्भ की गई है उसका अन्तिम निर्णय दिया जावे या अंतिम निर्णय नहीं होने तक उसे सेवा में रखा जावे। नवल किशोर दुबे वि. राजस्थान सरकार[5] मे, प्रार्थी को नियम 16 के अधीन अभियोग-पत्र और आरोपो का विवरण दिया गया, परन्तु तत्पश्चात कोई जाच नहीं की गई, और वह राजस्थान सेवा नियमो के नियम 244 (2) के अधीन अनिवार्य सेवा निवृत्त कर दिया गया। प्रार्थी की दलील यह थी कि उसे रिटायर करने से पहले उसके विरुद्ध आरम्भ की गई जाच पूरी की जावे। न्यायालय ने यह दलील अस्वीकार करते हुए फैसला दिया कि जो व्यक्ति रिटायर हो जाता है या सेवा से रिटायर कर दिया जाता है वह सरकारी सेवाओं का सदस्य नहीं रहता। जैसे ही एक दफा सेवा निवृत्ति का आदेश प्रभावशील हुआ तब से ही वह सेवा से पदावनत, हटाया जाना या बर्खास्त नहीं किया जा सकता और इस लिए, उसके विरुद्ध कोई जांच नहीं की जा सकती।

नियम 16 (3) — दोषी कर्मचारी को अपनी प्रतिरक्षा करने के लिए न्यायोचित अवसर प्रदान करने के लिए नियम 16 (3) में प्रावधान किया गया है कि वह सरकारी रेकर्ड का निरीक्षण कर सके और उनमें से उद्धारण ले सके। सिवाय निम्नांकित अपवादों के सामान्यत उसे ऐसा करने की अनुमति दी जाएगी:—

(1) यह कि ऐसा रेकर्ड इस प्रयोजन के लिए सुसगत (सारभूत) (relevant) नहीं है, अथवा

(2) यह कि ऐसे रेकर्ड तक पहुचने (access) की अनुमति देना सावजनिक हित के प्रतिकूल है।

---

1 AIR 1961 कलकत्ता 628–सुधीर रजन वि पश्चिम बगाल सरकार AIR 1965 पजाब 352

2 AIR 1958 राजस्थान 1–कन्हयालाल वि राजस्थान सरकार।

3 AIR 1961 मध्य प्रदेश 293–एस एस पाण्डे वि मध्य प्रदेश सरकार।

4 AIR 1962 आन्ध्रप्रदेश 303–आर. मरकय्या वि अनुशासन कार्यवाहियों का ट्रिब्यूनल।

5 AIR 1967 राजस्थान 82

सरकारी अभिलेखो का निरीक्षण करने और उनमे से उद्धरण लेने से इन्कार करने की सूचना देने का अनुशासन प्राधिकारी का आदेश परिशिष्ट मे दिए गए प्रपत्र स 10 के प्रतिरूप होना चाहिये।

राजस्थान सरकार ने अपनी अनुशासन कार्यवाहियो की पुस्तिका, संस्करण 1963 के अनुच्छेद 11 मे उक्त विषय मे विस्तृत निर्देश दिए हैं जो ऊपर दिए जा चुके हैं।[1]

उपर्युक्त निर्देशो मे व्यवस्था दी गई है कि यदि कोई सरकारी रेकार्ड जो केवल सरकार के दृष्टिकोण से ही नही बल्कि वह भी जिससे प्रतिरक्षा की कोई विचारधारा सम्भवत बन सकती हो, उसके निरीक्षण के लिए दोषी कर्मचारी आवेदन करे तो उसे इजाजत दी जानी चाहिए। यद्यपि किसी दस्तावेज की सुसगतता अनुशासन प्राधिकारी को आवेदन करते समय स्पष्ट नही हो तो भी साधारणत. अनुमति देनी चाहिए।

सार्वजनिक हित के आधार पर भी किसी दस्तावेज को दिखाने से इन्कार करने की शक्ति का प्रयोग भी बहुत सतर्कता व सावधानी से करना चाहिए। यदि यह बहुत सम्भव हो कि किसी दस्तावेज की आवश्यकता अभियोग साबित करने के लिए होगी, तो उसका निरीक्षण करने के लिए कर्मचारी को अनुमति देनी चाहिए। परन्तु जिन दस्तावेजो का दिखाना वास्तव मे सार्वजनिक हित मे नही है, उनको देखने की इजाजत कदापि नही देनी चाहिए। 'इन्कारी का आदेश विश्वस्त और ठोस होना चाहिए और लिखित होना चाहिए।"

प्रारम्भिक जाच करने वाले अधिकारी की सरकार को या अन्य प्राधिकारी को दी जाने वाली रिपोर्ट और भारतीय दण्ड प्रक्रिया सहिता, 1898 की धारा 173 की उप धारा (1) के अनुच्छेद (क) (जैसा कि वह 1974 के अधिनियम स 2 जारी होने से पहले स्थित था) की रिपोर्ट के अतिरिक्त जो रिपोर्ट अन्वेषण (तफतीश) के बाद पुलिस तय्यार करती है, वे आम तौर से गोपनीय होती हैं और उनको राज्य कर्मचारी को देखने देना आवश्यक नही है।

प्रारम्भिक जाच मे या पुलिस अन्वेषण के दौरान लिए गए गवाहों के सभी बयानो को दोषी कर्मचारी को निरीक्षण करन की अनुमति देना जरूरी नहीं है। केवल उन्ही गवाहो के बयानो का निरीक्षण करने की इजाजत देनी चाहिए जिनको अभियोगो तथा आरोपो के विवरण मे उल्लेखित तथ्यो को साबित करने के लिए साक्ष्य मे प्रस्तुत करना प्रस्तावित हो। लेकिन प्रारम्भिक जाच या पुलिस तफतीश के दौरान अभिलिखित किये गये बयानो की माग विभागीय जाच के समय प्रस्तावित गवाहो से जिरह करने के लिए की जा सकती है। अत, राज्य कर्मचारी को केवल ऐसे गवाहो के बयान पठन की अनुमति दी जानी चाहिए न कि अन्य गवाहो के लिए जिनके लिए निरीक्षण करने की अनुमति अस्वीकार की जा सकती है। परन्तु उक्त प्रस्तावना मे भी एक अपवाद है। यदि पहले का बयान उस समय या उसके आसपास अभिलिखित किया गया था जबकि घटना घटित हुई और बयान देने वाले व्यक्ति को किसी कार्यवाही मे इसी बात के विषय मे साक्ष्य के लिए बुलाया जाता है, तो कानून शहादत के अधीन पूर्वकालीन बयान का उसकी पुष्टि (Corroboration) के प्रयोजन के लिए उपयोग किया जा सकता है। ऐसी परिस्थिति मे राज्य कर्मचारी को पूर्वकालीन बयानो का मुआयना

1 गश्तीपत्र स F 3 (25) नियुक्ति (ए) 61/ग्रुप III दिनाक 14 2-1962 तथा इसी सख्या का गश्तीपत्र दिनाक 8-11-1962.

करने की इजाजत दी जानी चाहिए । कृष्णलाल गोदारा वि राजस्थान सरकार[1] मे सम्मति प्रकट की गई कि प्रारम्भिक जाच म लिए गए गवाहो के बयान विशेषाधिकार के दस्तावेज (priviledged documents) नहीं होते क्योंकि उनसे कोई सार्वजनिक हित को हानि नहीं पहुचती ।

दस्तावेजों की नकलें

नियम 16 (3) में दस्तावेजो की नकले देने का कोई प्रावधान नहीं हैं । इसलिए, साधारणत. दोषी कर्मचारी को नकलें देना जरूरी नही है और इतना ही पर्याप्त होगा कि उसे दस्तावेजो का निरीक्षण करने और उनम से उद्धरण लेने की अनुज्ञा दी जाव । ध्यान रहे कि उद्धरण लेने के लिए केवल कच्ची पेंसिल का उपयोग किया जा सकता हैं न कि स्याही, कॉपिंग पेंसिल का, या बॉल पोइन्ट का । रेकर्ड का मुआयना करते वक्त दस्तावेजो पर किसी भी प्रकार का निशान लगाना निषिद्ध है ।

जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, बयानो का उपयोग केवल सम्बन्धित गवाहो से जिरह करने के लिए किया जा सकता है । अत एस बयानो की प्रतिया के लिए माग तभी करनी चाहिए जब कि उन गवाहो को शहादत के लिए बुलाया गया हो । यदि नकलो के लिए आवेदन नही किया, तो यह समझ लिया जाएगा कि इस प्रयोजन के लिए नकलो को जरूरत नही थी । ऐसी प्रतियो का उपयोग किसी बाद की अवस्था म नही किया जा सकता, न ऐसे बयानो पर अनुशासन प्राधिकारी विचार ही कर सकता है । ऐसी प्रतिया सम्बन्धित गवाहो के बयान होने स पहल वाजिब समय म दी जानी चाहिय । गवाहो के बयान लेन स पहले की अवस्था म, नकलो के लिए दिया गया आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है । परन्तु यदि दोषी कर्मचारी ऐसी प्रतियो के लिए आग्रह करे, तो अनुशासन प्राधिकारी अपने स्वविवेक मे अनुमति दे सकता है ताकि कर्मचारी अभियोगो के उत्तर म अपना प्रतिवेदन उनके आधार पर तैयार कर सके ।

कभी कभी दोषी कर्मचारी सरकारी रेकार्डो की फोटो-स्टेट नकल बनवाने की अनुमति के लिए प्रार्थना करते हैं । यदि ऐसे दस्तावेज मामले म ठोस महत्व रखते हो (मसलन हस्तलिपि या हस्ताक्षरो का सबूत) तो (सरकारी निदेशानुसार) सही कदम यह होगा कि ऐसी फोटो-स्टेट नकलें सरकार स्वय बनवाले और कर्मचारी को उपलब्ध करा दे क्योंकि किसी निजी फोटोग्राफर द्वारा फोटो खिचवाने म बाहरी व्यक्ति को सरकारी रेकार्ड देखने का मौका मिलता है जो अनुचित है । अन्य प्रकार के मामलो मे, जिनमे फोटो स्टेट नकलें अनावश्यक हैं, एसी अनुमति अस्वीकार की जा सकेगी ।

अनुशासन प्राधिकारी, लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट[2] और गोपनीय प्रारम्भिक जाच मे लिए गए बयान[3] व भ्रष्टाचार निरोधक विभाग की रिपोर्ट[4] का निरीक्षण करने और उनम से उद्धरण लेने की अनुमति अस्वीकार कर सकेगा । यदि रेकार्ड महत्वपूर्ण हो, तो उसका निरीक्षण करने या नकलें देने, यथा स्थिति, की अनुमति दी जानी चाहिए अन्यथा राज्य कर्मचारी यह दलील कर सकेगा कि जिन सारभूत दस्तावेजो की प्रतिया प्राप्त करने का उसे अधिकार था उनके लिए जाच अधिकारी द्वारा

1　1969 WLN 17　1969 SLR 667
2　AIR 1961 सुप्रीम कोर्ट 493–पजाब सरकार वि सोधी सुखदेवसिंह ।
3　AIR 1959 उडीसा 152–जामेश बुशी वि कलेक्टर गजम ।
4　AIR 1957 पटना 357–पुनीतलाल साहा वि बिहार सरकार ।

इन्कारी करने के कारण वह गवाहो से प्रभावशील तरीके से जिरह करने से वचित रहा। इसको प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की अवहेलना माना जा सकता है।[1] जब कि राज्य कर्मचारी को महत्वपूर्ण दस्तावेज नही दिए गए, तो निर्णय हुआ कि उसे नोटिस का उत्तर प्रस्तुत करने के लिए समुचित अवसर प्रदान नही किया गया।[2] चाहे दोषी कर्मचारी ने लिखित उत्तर पेश किया हो या नही, उसे गवाहो का बयान लेने से पहल दस्तावेजो का मुआयना करन का हक है।[3]

प्रतिरक्षा की तैयारी—दोषी कर्मचारी को अपना बचाव पक्ष तैयार करने के लिए सरकारी रेकाड का निरीक्षण करने का हक अधिकार स्वरूप प्राप्त है। यह कानून द्वारा प्रदत्त एक अवसर है। यह अवसर वास्तविक होना चाहिए न कि विधि की खाना पुर्तिमात्र, प्रभावशील होना चाहिए न कि दिखावटी और उसके बाद कर्मचारी के स्पष्टीकरण पर न्यायिक विचार किया जाना चाहिए।[4]

यात्रा भत्ता :

अनुशासन प्राधिकारी की अनुमति से, दोषी कर्मचारी, अपनी प्रतिरक्षा के लिए की गई यात्राओ के लिए यात्रा-भत्ता उठा सकेगा। जाच की कार्यवाही की तारीखो पर उपस्थित होने के लिए भी वह वही यात्रा भत्ता पान का अधिकार होगा जो वह साधारणतः नियमानुकूल पाने का हकदार है। निलम्बन की अवस्था मे भी भत्ते की दरो मे कोई अन्तर नही आएगा। इस विषय म राजस्थान यात्रा भत्ता नियमो का नियम 27 (2) लागू होगा।

नियम 16 (4)—प्रावधान करता है कि यदि दोषी कर्मचारी उसके विरुद्ध अधिरोपित अभियोग या अभियोगो को स्वीकार करले तो अनुशासन प्राधिकारी इसी अवस्था (stage) पर प्रत्येक चार्ज पर अपना निष्कर्ष अभिलिखित करेगा और नियम 16 (10) से (12) के अनुसार अन्तिम निर्णय के लिए कार्यवाही करेगा। इसके प्रतिकूल, यदि प्रतिरक्षा के लिखित प्रतिवेदन मे, सभी अभियोग स्वीकार नही किए जावें या निर्धारित अवधि मे कोई ऐसा प्रतिवेदन पेश ही न हो, तो अनुशासन प्राधिकारी या तो दोषी द्वारा अस्वीकृत अभियोगो पर जाच स्वय करेगा या उन की जाच मण्डल द्वारा या प्रपत्र स 7 के अनुसार नियुक्त जाच अधिकारी से करवाएगा। यह उप-खण्ड G S R स 129* के अधीन प्रतिस्थापित किया गया है। पहले स्वीकारे गए अभियोगो के लिए ऐसा प्रावधान नही था। उप-खण्ड (4 क)* भी नया जोडा गया है (उसी G S R स 129 दिनाक 9 अक्टूबर, 1974 द्वारा)। नए उप-खण्ड 4 क के अनुसार, यदि दोषी कर्मचारी अपनी प्रतिरक्षा के लिखित उत्तर मे चार्ज का कोई आर्टीकल स्वीकार नही करे, अथवा उसने कोई लिखित उत्तर पेश ही नही किया हो परन्तु जो स्वय जाच प्राधिकारी के सम्मुख उपस्थित हो, तो जाच प्राधिकारी उससे पूछेगा कि आया वह अपराधी है या कोई वरियत पेश करनी है और यदि इस स्टेज पर भी वह किसी अभियोग पर वह अपना दोष स्वीकार करले तो जाच अधिकारी उसका कथन अभिलिखित करेगा और अपने हस्ताक्षर करेगा। ऐसे रेकार्ड पर वह उक्त राज्य कर्मचारी के हस्ताक्षर भी करवायगा। जाच प्राधिकारी स्वीकारे गए अभियोग पर अपराधी होने का निष्कर्ष लिखेगा और जिन अभियोगो को राज्य

---

1 AIR 1961 सुप्रीम कोर्ट 1623—मध्य प्रदेश सरकार वि चिन्तामन सदाशिव वैशम्पायन।
2 AIR 1961 आन्ध्र प्रदेश 289।
3 AIR 1971 दिल्ली 133—सुरतसिंह वि एस आर वशी।
4 AIR 1970 केरल 65—इब्राहिम कु जा वि केरल सरकार।
*स F. 3 (17) नियुक्ति (A III)/67 दि 9-10-74।

कर्मचारी ने स्वीकारा नहीं है उन के विषय मे जाच करने के लिए आगे कार्यवाही करेगा। यदि वह अपना अपराध स्वीकार नही करे और प्रतिरक्षा प्रस्तुत करना चाहे, तो नियमों के अनुसार आगे जाच की जाएगी।

जब कि राज्य कर्मचारी ने साफ शब्दो मे अपना दोष स्वीकार कर लिया हो और वह उसके विरुद्ध अधिरोपित अभियोग अगीकार करे, तो सिवाय नियम 16 के उप-नियम (9), (10) (11) तथा (12) के अधीन कार्यवाही करने के, और कोई आगे जाच करने की जरुरत नहीं होगी।[1] निष्कर्ष स्थापित करने के लिए दोष की स्वीकारोक्ति स्पष्ट और सदेह रहित शब्दो मे होनी चाहिए। जब कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन दोष की सदेह रहित स्वीकारोक्ति नहीं थी, तो उसके आधार पर उसके विरुद्ध पारित बर्खास्तगी के आदेश को विस्तृत जाच के अभाव मे अत्यन्त दुर्बल माना।[2] जब कि प्रार्थी ने जाच की कार्यवाही म अपने आपको जाच अधिकारी की दया पर छोड दिया और दया की प्रार्थना के आधार पर अपनी पैरवी करन (मामला झगडने) म इन्कार कर दिया, तो निर्णय हुआ कि उसको दी गई सजा वैध थी और उसका दिया गया अवसर कानूनन परियाप्त था।[3] जब कि आरोपो की स्वीकृति अपवादरहित नही थी, जिसम यह पक्ष प्रस्तुत किया गया था कि उसके द्वारा की गई अनियमितताए ऐसी परिस्थितियो की वजह से हुई जो कि उसके नियन्त्रण के बाहर की थी, और जाच अधिकारी ने न तो प्रार्थी की प्रतिरक्षा के इस आरोप को खण्डित करने के लिए किसी गवाह का बयान लिया और न ही दोषी कमचारी को उसके स्पष्टीकरण मे उल्लेखित विशेष परिस्थितिया साबित करने का मौका दिया और प्रतिरक्षा के इस भाग पर विचार ही नही किया, तो निर्णय हुआ कि जाच अधिकारी ने अपना दिमाग नहीं लगाया और बिना किसी शहादत के प्रार्थी का अस्थाई दुरुपयोग (temporaty misappropriation) का दोषी मानकर वह अपने अर्ध-न्यायिक कर्त्तव्यो के पालन म विफल हुआ है। इससे प्राकृतिक न्याय क सिद्धान्त का खुला उल्लघन हुआ है, इसलिए, उसका निष्कर्ष कायम नही रखा जा सकता।[4]

जाच अधिकारी की नियुक्ति—अनुशासन प्राधिकारी या तो स्वय ऐसे अभियोगो की जाच कर सकेगा जिन्हे सम्बन्धित राज्य कमचारी ने अगीकार नही किया है या वह जाच करने वाले प्राधिकारी जिसे आम तौर से 'जाच अधिकारी' कहा जाता है, कि नियुक्ति करेगा या एक जाच मण्डल का गठन कर सकेगा। जाच अधिकारी केवल तथ्यो का पता लगाने वाला प्राधिकारी होता है।[5] प्राकृतिक न्याय के नियमानुसार, वह मामले मे व्यक्तिगत रुचि रखने वाला या पक्षपातधारी नही हाना चाहिए।[6] वह खुले दिमाग का तथा दोषी कर्मचारी के विरुद्ध पक्षपाती रुख रखने वाला नही होना

1 AIR 1961 त्रिपुरा 1–रविन्द्र मोहन वि अरबन ट्रस्ट, त्रिपुरा।
AIR 1965 जम्मू-कश्मीर 53 तथा AIR 1963 बम्बई 121।
2 AIR 1961 सुप्रीम कोट 1070–जे. पी सक्सना वि मध्य प्र सरकार,
ILR (1963) 13 राजस्था7 28।
3 AIR 1963 पजाब 137
4 1972 Lab IC 734 (कलकत्ता)।
5 AIR 1964 आन्ध्र प्रदेश 407–अब्दुल रहीम वि चीफ एग्जीक्यूटिव आफिसर।
6 AIR 1964 गुजरात 139–ए एस राजकी वि डिविजनल अभियन्ता।

चाहिए।* एक अधीनस्थ अधिकारी को जाच प्राधिकारी के अधिकार सुपुर्द किये जा सकते हैं, परन्तु वह दोषी राज्य कर्मचारी के पद स्तर से ऊंचा होना चाहिए।[1] जबकि कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार के विरुद्ध अधिरोपित अभियोगो की जाच करने के लिए उसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का नियुक्त किया तो यह निर्णय हुआ कि मुख्य न्यायाधीश के लिए यह आवश्यक नहीं था कि वह मामले मे स्वय जाच करे और वह अन्य न्यायाधीश को यह कार्य सुपुर्द करने क लिए सक्षम था।[2] एक अन्य मामल म, भारत सरकार के सचिव न एक राज्य कर्मचारी के विरूद्ध अभियोग निर्धारित किए और डिप्टी हाई कमिश्नर को जाच अधिकारी नियुक्त करने का आदेश दिया तथा कथित राज्य कर्मचारी को कहा गया कि वह अपना लिखित प्रतिवेदन डिप्टी हाई कमीश्नर द्वारा चुने गये जाच अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करे। जाच अधिकारी न अपने जाच की रिपोर्ट भारत सरकार को प्रेषित की और दोषी कर्मचारी को दूसरा नोटिस जारी करन के पश्चात् तथा लोक सेवा आयोग से परामर्श लेकर, कमचारी को सेवा मे बर्खास्त कर दिया। इसमें यह दलील दी गई कि भारत सरकार के सचिव का यह अधिकार नही था कि वह जाच अधिकारी का चुनाव करने की अपनी शक्ति किसी अन्य अधिकारी को सुपुर्द करदे। इस मामले म निर्णय किया गया कि वास्तव मे कोई सुपर्दगी बिल्कुल ही नही हुई। जो अधिकारी मामले म निर्णय देने का प्राधिकार रखता था वह उसकी सामग्री एकत्र करने के लिए किसी भी व्यक्ति को नियुक्त कर सकता था। जब तक कि ऐसा प्राधिकारी मामले मे सुनवाई करने क अपने आवश्यक कर्त्तव्यों का परित्याग नही करदे और एकत्रित की गई सामग्री पर स्वय का दिमाग न लगाए और अपने खुद के निष्कर्षों पर न पहुंचे तो सामग्री एकत्रित करने क लिए किसी अधिकारी की नियुक्ति करन हेतु आपत्ति नहीं उठाई जा सकती।[3] इसी प्रकार जबकि एक जाच समिति का गठन डिविजनल अभियन्ता के स्थान पर सहायक अभियन्ता ने किया तो निर्णय हुआ कि जाच समिति द्वारा प्रेषित रिपोर्ट मूल्यहीन नही थी तथा उस पर कार्यवाही की जा सकती थी।[4] अनुशासन प्राधिकारी जाच संचालन का अधिकार किसी को सुपुर्द कर सकता है[5] परन्तु जाच अधिकारी किसी अन्य व्यक्ति को अपने स्थान पर जाच अधिकारी का कार्य करने के लिए नियुक्त नहीं कर सकता।[6] न तो जाच अधिकारी नया अभियोग लगा सकता है,[7] और न ही किसी दण्ड की सिफारिश कर सकेगा।[8]

सब-इन्सपेक्टर पुलिस का पद अधीनस्थ सेवाओं मे सम्मिलित है और इन नियमों से सलग्न अनुसूची II मे उल्लिखित है। नियम 15 के अनुसार, विभागाध्यक्ष या राज्य सरकार के अनुमोदन से उसके द्वारा विशेषतः प्राधिकृत प्राधिकारी को हक है कि वह नियम 14 मे बताई हुई सभी

* AIR 1956 कलकत्ता 661–ए आर. एस चौधरी वि भारतीय संघ।
1 AIR 1954 सुप्रीम कोर्ट 285–प्रफुल्ल कुमार वि मुख्य न्यायाधीश, कलकत्ता।
2 1965 RLW–166
3 AIR 1968 दिल्ली 24–ए एम सेठी वि भारतीय संघ।
4 ILR 1961–राजस्थान–63–मदनसिंह वि भारतीय संघ।
5 AIR 1964 आन्ध्रप्रदेश 407–अब्दुल रहीम वि. चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर।
6 AIR 1964 मध्य प्रदेश 318–आनन्द नारायण वि मध्य प्रदेश सरकार।
7 1964 मैसूर 221
8 AIR 1962 सुप्रीम कोर्ट 1130

शास्तिया अधिरोपित कर सके। इस प्रकार, प्रार्थी सब इन्सपेक्टर पुलिस से सम्बन्धित अनुशासन प्राधिकारी, विभागाध्यक्ष होने के नाते, आई जी पुलिस था न कि डिप्टी आई जी पुलिस। चूंकि डिप्टी आई जी पुलिस को राज्य सरकार के अनुमोदन से, प्रार्थी के विरुद्ध जाच प्रारम्भ करने के लिए आई जी पुलिस ने विशिष्टत अधिकृत नही किया था इसलिए, प्रार्थी को नियम 16 के अधीन चार्ज-शीट और आरोपो के साथ जारी किया गया नोटिस अवैध करार दिया गया और रद्द किया गया।[1] जाच प्राधिकारी का पद स्तर इन नियमो मे दिए गए निर्देशानुसार होना चाहिए।[2] यह आवश्यक नहीं है कि जाच अधिकारी स्वय शास्ति अधिरोपित करने वाला प्राधिकारी हो या उसके बराबर के पद स्तर का हो।[3] जब कि पहले नियुक्त किए गए जाच अधिकारी का स्थानान्तर जाच के दौरान हो जाने के कारण उसके स्थान पर दूसरे अधिकारी की नियुक्ति की गई, तो दूसरे जाच अधिकारी द्वारा पूरी की गई जाच को दूषित होना नही माना गया।[4] मुस्तगीथ (शिकायतकर्ता) को या किसी ऐसे अधिकारी को जाच प्राधिकारी नियुक्त नही किया जा सकता जिसकी रिपोर्ट पर जाच प्रारम्भ की गई थी।[5] जाच अधिकारी न्यायाधीश के समान होता है इसलिए उससे यह आशा की जाती है कि वह पक्षपात रहित तरीके से अनुलग्नता रहित (with no attachments), खुले दिमाग से शालीनता से कार्य करे।[6] जो मामला उसे जाच करने के लिए सुपुर्द हुआ है, उसमे वह न्यायाधीश और गवाह दोनो नही हो सकता।[7]

राजस्थान सरकार ने निर्देश जारी किए है जिनमे परामर्श दिया है कि समान्यत जाच मण्डल का गठन नही करना चाहिए जब तक कि मामला बहुत जटिल और उलझन भरा न हो। जाच अधिकारी का चुनाव करने मे आरोपो की गभीरता और दोषी राज्य कर्मचारी के पद स्तर का खयाल रखना चाहिए। जाच ऐसे अधिकारी को सुपुर्द नही करनी चाहिए जिसने खुद ने प्रारम्भिक जाच की थी या जिसने पहले मामले के विवाद ग्रस्त बिन्दुओ पर अपनी सम्मति प्रकट की थी। जाच अधिकारी के कर्तव्य पालन करने हेतु ऐसे अधिकारी को चुनना चाहिए जो अपनी पक्षपात हीनता और न्यायिकता के लिए प्रसिद्ध हो। जाच चालू रहते जब एक जाच अधिकारी के स्थान पर दूसरा अधिकारी नियुक्त किया जावे तो उसकी नियुक्ति भी निर्धारित प्रपत्र स 7 द्वारा की जानी चाहिए। ऐसी परस्थितियो मे दोषी कर्मचारी को फिर से नई जाच प्रारम्भ करने की माग करने का अधिकार नही है। जब तक कि किसी विशिष्ट मामले मे, नव नियुक्त जाच अधिकारी, मामले की परस्थितिया को देखते हुए, दुबारा गवाही लेना आवश्यक नही समझे, तब तक उसे ऐसा करना जरूरी नही है।

नियम 16 (5) —इस नियम के अधीन, अनुशासन प्राधिकारी किसी व्यक्ति को जाच अधिकारी के समक्ष अभियोगो की पुष्टि मे मामला प्रस्तुत करने अर्थात् पैरवी करने के लिए नियुक्त

---

1 1977 WLN 421–पनहसिंह लोढा वि राजस्थान सरकार।
2. AIR 1970 सुप्रीम कोर्ट 122–भारतीय सघ वि जगजीत सिंह।
3 AIR 1960 आन्ध्रप्रदेश 473–मध्यप्रदेश सरकार वि शार्दुल सिंह।
4 AIR 1970 सुप्रीम कोर्ट 1095–जनरल मैनेजर पूर्वी रेलवे वि. ज्वाला प्रसाद सिंह।
5 1956 कलकत्ता 662 व AIR 1955 पेप्सू 127 और 1975 Lab IC 682 (इलाहाबाद)।
6 AIR 1958 पजाब 327, AIR 1962 त्रिपुरा 15
7. AIR 1956 कलकत्ता 278–आशुतोष दास वि प बगाल सरकार।

कर सकेगा। विरोधी पक्ष की ओर से दोषी राज्य कर्मचारी स्वयं अपने मामले की पैरवी कर सकता है या किसी अन्य राज्य कर्मचारी का चुनाव अनुशासन प्राधिकारी के अनुमोदन से कर सकेगा। इस प्रयोजन के लिए साधारणतः राज्य कर्मचारी को वकील नियुक्त करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, परन्तु यदि अनुशासन प्राधिकारी द्वारा अभियोगों की पुष्टि में पैरवी करने वाला व्यक्ति कोई वकील, पब्लिक प्रोसीक्यूटर या प्रोसीक्यूटिंग इन्सपेक्टर या प्रोसीक्यूटिंग सब-इन्सपेक्टर हो, तो दोषी कर्मचारी का भी अधिकार होगा कि वह अपनी पैरवी वकील से करवा सके।

इसके अतिरिक्त यदि मामला इतना जटिल व उलझन भरा हो कि कर्मचारी के लिए अपनी प्रतिरक्षा ठीक तरह से करना कठिन हो, तो अनुशासन प्राधिकारी उसे वकील से सहायता लेने की अनुमति प्रदान कर सकेगा।

प्रतिरक्षा में अन्य राज्य कर्मचारी (जिसे सहायक अधिकारी कहते हैं) की सहायता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी चाहिए —

(1) प्रस्तावित सहायता अधिकारी की लिखित स्वीकृति पेश करनी होगी।

(2) प्रस्तावित सहायता अधिकारी को अपने स्वयं के उच्च अधिकारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी।

(3) उक्त सहायता अधिकारी से दोषी कर्मचारी द्वारा पैरवी में सहायता लेने हेतु अनुशासन प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

राजस्थान सरकार ने निर्देशन जारी करके सलाह दी है कि अभियोजित व्यक्ति को अपना बचाव करने के लिए उपयुक्त अवसर मिलना चाहिए "इसलिए यदि मामला अत्यन्त जटिल और कठिन हो या जब कि अभियोगित व्यक्ति को सभवत दुविधा का सामना करना पड़ेगा, तो उसे कानूनी सहायता लेने की इजाजत दी जानी चाहिए: (1957 आन्ध्रप्रदेश 414, 1958 इलाहाबाद 532 और 1961 कलकत्ता 1)।" परन्तु इसकी अनुमति अत्यन्त अपवाद स्वरूप परस्थितियों में दी जानी चाहिए और उसके कारण रेकर्ड में लिखित में अंकित करने चाहिए।* किन्तु सरकार का आशय यह है कि सामान्यतः दोषी कर्मचारी को वकील की सहायता लेने की इजाजत नहीं देनी चाहिए।+

अन्य राज्य कर्मचारी से सहायता लेने का राज्य कर्मचारी को अधिकार — यह एक कानूनी अधिकार है जिसको अस्वीकार नहीं किया जा सकता। सी एल सुब्रामणियम वि कस्टम कलेक्टर[1] में सर्वोत्तम न्यायालय ने कहा है कि यह अधिकार आदेशात्मक (mandatary) है जो सविधान के अनुच्छेद 311 के अधीन दी गई गारटी को नियमित करता है, क्यों कि राज्य कर्मचारियों को आम तौर से कानूनी प्रशिक्षण नहीं होता। अतः दोषी कर्मचारी को प्रतिरक्षा का अवसर देने के लिए अन्य

---

* अनुशासन कार्यवाहियों की राजस्थान सरकार की पुस्तिका, अनुच्छेद 12.

+ अधिसूचना स. F. 2 (35) Apptts (A)/57 दिनाक 7-10-58; F. 23 (36) Apptts (A) 57 दिनाक 17-10-58; स D. 14340/F 23 (65) Apptts A/57 दि 7-10-58 और न. D 14340/F 23 (65) Apptts (C) 55 दिनाक 31-12-56

1. 1972 Lab, IC 1049 (सुप्रीम कोर्ट) : AIR 1972 SC 2178

राज्य कर्मचारी से मदद लेने की इजाजत दी जाती है। सम्भवत दोषी कर्मचारी अपना पक्ष स्वय सचालित करने की सही मानसिक स्थिति मे नही होता, उसकी अपेक्षा, सहायता अधिकारी उससे अधिक विद्वान तथा कार्यकुशल हो सकता है। अत न्यायालयो को यह देखना चाहिए कि न्यायिक सुनवाई के इस अवशेष म प्रशासन दखल नही कर।[1] जब दोषी कर्मचारी द्वारा सहायता के लिए चुने गए व्यक्ति को किसी सही कारण से अनुमति नही दी जा सके तो अनुशासन प्राधिकारी को चाहिए कि वह किसी अन्य व्यक्ति का चुनाव करन क लिए दोषी कर्मचारी को कहे।[2] भारतीय सघ वि अब्दुल कादर[3] मे तय किया गया कि जब, दोषी कर्मचारी को अपने पक्ष की प्रतिरक्षा करने क लिए अन्य राज्य कर्मचारी से सहायता लेने की अनुमति नही दी गई तो पक्षपात स्पष्ट हो गया जिसके लिए किसी अन्य सबूत की जरूरत नही है और इस कारण से जाच दूषित हो गई।

वकील की सहायता — जैसा कि ऊपर बताया गया है साधारण तौर से दोषी कर्मचारी को अपना बचाव की पैरोकारी वकील से करवान का अधिकार नही होता। इसलिए, इसके लिए मागी गई अनुमति अस्वीकार करना उपयुक्त अवसर देने से इन्कार करना नही होता।[4] एक निरा कथन कि जाँच अधिकारी ने दोषी कर्मचारी के मामले म प्रोसीक्यूटिंग इन्सपेक्टर से परामर्श लिया, जब कि रेकार्ड पर एसा कोई तथ्य नही था जो यह सकेत करता कि जाच अधिकारी ने प्रोसीक्यूटिंग इन्सपेक्टर से किसी भी प्रकार से सहायता ली, तो निर्णय हुआ कि रेसपोन्डेन्ट को वकील से सहायता लेन का अधिकार स्वरूप हक कोई नही था।[5]

इसके विपरीत जब कि मामल के तथ्य जटिल हो या उनमे कोई कानूनी मुद्दा समाविष्ट हो, या विषय तकनीकी हो या शहादत बहुत ज्यादा हो, तो वकील नियुक्त करने की अनुमति अस्वीकार करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त का उल्लघन होगा क्योकि दोषी कर्मचारी को अपना बचाव करन का समुचित अवसर अस्वीकार कर दिया गया।[6]

एक राज्य कर्मचारी पर दुरुपयोग misappro priation) का अभियोग लगाया गया। उसने अपनी प्रतिरक्षा क लिए वकील नियुक्त करने की प्रार्थना की, परतु अनुमति इस आधार पर अस्वीकार कर दी गई कि प्रथम तो उसन जाच मे भाग नही लिया जो इकतर्फा की गई और द्वितीय यह कि उस सेवा से हटा दिया गया है। इस मामल मे निर्णय हुआ कि इस अस्वीकृति स नियम 16 (5) का उल्लघन हुआ क्योकि उसे अपने आप की प्रतिरक्षा करने का समुचित अवसर मना कर दिया गया।[7] जब कि विभाग न इस बात पर विचार ही नही किया कि आया मामले की परिस्थितियो म वकील की सहायता लेना वाजिब है या नही, तो अस्वीकृति का आदेश खारिज किया गया।[8] जब

---

1 AIR 1970 कलकत्ता 545–भारतीय सघ वि एस बी विस्वास।

2. 1975 Lab IC 1140 (केरल)–एन पी पद्मनाभ व डाकखानो के अधीक्षक।

3. 1977 Lab IC 974 (बम्बई)

4 AIR 1974 सुप्रीम कोट 1589–कृष्णचन्द्र टण्डन वि भारतीय सघ, AIR 1961 RLW–104 ए के व्यास वि राजस्थान सरकार।

5 1977 WLN 645 राजस्थान सरकार वि दान मल।

6 AIR 1974 सुप्रीम कोर्ट 1589–कृष्ण चन्द्र टडन वि भारतीय सघ।

7. AIR 1972 सुप्रीम कोर्ट 2178

8 1978 Lab IC 654 मद्रास–एस वाई वैंकटश्वरलु वि डाइरेक्टर जनरल।

कि अनुशासन प्राधिकारी को वरियत के लिए वकील की इजाजत हेतु प्रार्थना की जावे, तो दोषी कर्मचारी की ऐसी प्रार्थना पर समुचित विचार करना होगा। जब कि एक मामले में अनुशासन प्राधिकारी का पक्ष प्रस्तुत करने के लिए एक प्रशिक्षित पुलिस प्रोसीक्यूटर या ए सी डी. की नियुक्ति की गई, तो यह तय हुआ कि यद्यपि ऐसे सहायक अधिकारी को वकील नहीं कहा जा सकता, तथापि दोषी कर्मचारी को वकील की सहायता प्राप्त करने की अनुमति देने के लिए यह एक अच्छा आधार था।[1] परन्तु मद्रास उच्च न्यायालय ने फैसला दिया है कि स्पेशल पुलिस एसटेबलिशमेन्ट का सदस्य वकील की श्रेणी में नहीं आता।[2]

नियम 16 (6) (क)–साक्ष्य अभिलिखित करना.—यह नियम सशोधित रूप मे जी एस आर 129 स एफ 3 (17) नियुक्ति (ए-III)/67 दिनाक 9 अक्टूबर, 1974 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। दोषी कर्मचारी को अपना पक्ष निवेदन करने के लिये सहायक रखने का अवसर प्रदान करने के पश्चात, जाच अधिकारी के लिए आगे का कदम यह होगा कि वह प्रस्तुतकर्त्ता अधिकारी से 10 दिन की अवधि में अपने गवाहो और अभिलेखो की सूची पेश करने और साथ ही उनकी प्रतिया दोषी कर्मचारी को देने के लिए कहेगा। गवाहो की सूची प्राप्त होने पर, जाच अधिकारी सूची के अनुसार सारभूत गवाहो को तलब करेगा। तत्पश्चात्, जबकि गवाहान उपस्थित आवें और दस्तावेज फाइल पर आजावें, तो वह प्रस्तुतकर्त्ता अधिकारी को अपनी शहादत आरम्भ करने के लिये आदेश देगा। पहले वह प्रस्तुतकर्त्ता अधिकारी को इजाजत देगा कि गवाह की मुख्य परीक्षा (Examination in Chief) करे, उसके बाद दोषी सरकारी कर्मचारी या उसके सहायक अधिकारी को गवाह से जिरह (cross examination) करने की अनुमति देगा। जब गवाह से जिरह पूरी हो जावे, तो प्रस्तुतकर्त्ता अधिकारी उसकी पुनः परीक्षा (Re examination) केवल उन बिन्दुओं पर कर सकेगा जिन पर जिरह मे प्रश्न पूछे गए थे, परन्तु बिना जाच अधिकारी की अनुमति के कोई नया विषय नही ला सकेगा। इस प्रकार एक एक करके जब आरोपो की पुष्टि म प्रस्तुत किये गये सभी गवाहो की शहादत अभिलिखित हो जावे, अर्थात अभियोग पक्ष की शहादत बन्द होने के पश्चात् दोषी कर्मचारी को कहा जायेगा कि वह 10 दिन के भीतर अपने दस्तावेजो व गवाहो की सूची पेश करें। उसके बाद सूची के अनुसार सारभूत गवाहो को तलब किया जाकर प्रतिरक्षा की शहादत प्रारम्भ की जायेगी। जिन दस्तावेज तथा रेकार्ड की दोषी कर्मचारी ने माग की है वे अगर जाच मे सारभूत हो तो जाच अधिकारी उसे मगवायेगा। दोषी कर्मचारी या उसका सहायक अधिकारी प्रतिरक्षा के गवाह का मुख्य परिक्षण करेगा जिसके बाद प्रस्तुतकर्त्ता अधिकारी उससे जिरह कर सकेगा और दोषी कर्मचारी उनकी पुनः परीक्षा केवल उन बिन्दुओ पर कर सकेगा जो जिरह मे उठाए गये थे लेकिन कोई नया विषय नही ला सकेगा। इस प्रकार क्रमानुसार एक एक गवाह की साक्ष्य समाप्त हो जाने पर वरियत की गवाही बन्द की जायेगी। यह बात ध्यान देने योग्य है कि यदि जाच अधिकारी किसी गवाह को बुलाने या रेकार्ड मगवाने के लिये किसी पक्ष को मना करे तो वह उसके कारणो को रेकर्ड पर लिखेगा। जाच अधिकारी स्वय भी किसी गवाह से ऐसे प्रश्न पूछ सकेगा जो न्याय की दृष्टि मे वह उपयुक्त समझे। फिर बहस की अवस्था आ जायेगी जिसके लिये दोनो पक्षो को अवसर दिया जाएगा।

1. AIR 1972 सुप्रीम कोर्ट–सी एन मुनामणियम वि. कलेक्टर, कस्टम्स, AIR 1973 SLR 7 SC ; 1974 Lab IC 1459 कलकत्ता।
2. 1978 Lab IC (Noc) 47 (मद्रास) पी. एण्ड टी बोर्ड वि, एम ए हनुमन्थन।

यदि दोषी कर्मचारी लिखित मे या मौखिक रूप से भी उपर्युक्त गवाहो के प्रारम्भिक जाच मे दिये गये बयानो की प्रतिया दिलाने का आवेदन करे तो जाच अधिकारी उसको ऐसी प्रतिया दिलवाएगा, जो प्रतिरक्षा साक्ष्य आरम्भ होने से कम से कम तीन दिन पहले दी जायेगी।

राजस्थान सरकार ने अनुशासनात्मक कार्यवाहियो की अपनी पुस्तिका (1963) के अनुच्छेद 13 मे इस विषय मे विस्तृत निर्देश दिये है जो ऊपर दिये जा चुके है। इन निर्देशानुसार मौखिक जाच आरम्भ करने से पूर्व चाहे दोषी कर्मचारी ने अपना लिखित प्रतिवेदन प्रेषित किया हो अथवा नही, उसे मौखिक बयान देने का अवसर दिया जायेगा जिस वह अपने लिखित बयान के पूरक रूप म या उसके स्पष्टीकरण मे, या उसने लिखित उत्तर दिया ही नही हो तो उसके स्थान म उपयोग कर सकेगा। यदि दोषी बयान देने से इन्कार करे तो यह तथ्य रेकार्ड पर लिखित कर लेना चाहिये। बयान देने से इन्कार करना आरोपो को स्वीकार करना नही माना जा सकता।

गवाहो के बयान दोषी कमचारी की उपस्थिति मे लिये जाने चाहिये जिससे उसे जिरह करने का पूरा अवसर देना चाहिये। *प्रारम्भिक जाच के दौरान लिये गये गवाह का पूर्वकालीन बयान इस* प्रयोजन को सार्थक नही करेगा क्योंकि ऐसा बयान विभागीय जाच का अ ग नहीं होना। कर्मचारी की मौजूदगी मे ही बयान लेना आदेशात्मक है। कमचारी की पीठ पीछे उसकी अनुपस्थिति मे पूर्व मे लिये गये किसी बयान को दिखाया जाकर, उसी आधार पर कर्मचारी को उस गवाह स जिरह करने के लिये नही कहा जा सकता जैसा कि राजस्थान उच्च न्यायालय ने कन्हैयालाल वि राजस्थान सरकार मे[1] तय किया है। एक दूसरे मामले मे जबकि किसी गवाह का बयान प्रार्थी की अनुपस्थिति म अभिलिखित किया गया, जिसस जिरह करन का उसे कोई मौका ही नही था, फिर भी उस गवाह के साक्ष्य के आधार पर शास्ति कठोरतम बना दी गई तो यह निर्णय हुआ कि ऐसी शास्ति का आदेश न्यायिक नियमो के प्रतिकूल था और निरस्त करने योग्य था।[2]

जबकि प्रार्थी को जाच अधिकारी के कमरे से बाहर रखा गया और गवाह का मुख्य बयान कर्मचारी की अनुपस्थिति मे लिखा गया तो यद्यपि उसे गवाह से जिरह करने की अनुमति दी गई, तथापि ऐसा करना जाच नियमो से विरुद्ध और प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के प्रतिकूल माना गया।[3]

साधारणत दोषी कर्मचारी द्वारा किसी गवाह को बुलाने के लिये की गई प्रार्थना अस्वीकार नही की जानी चाहिए। परन्तु जब ऐसा प्रतीत हो कि उक्त प्रार्थना परेशान करने के लिये या जाच को अनावश्यक रूप से लम्बी करने के इरादे से की गई है तो प्रार्थना खारिज की जा सकेगी। ऐसी अस्वीकृति का कारण लिखित मे अभिलिखित करना होगा।[4] यह आदेशात्मक है।[5]

शहादत वृतान्त के रूप मे अभिलिखित करनी चाहिये जैसे कि न्याय अदालतें आमतौर से लिखती हैं परन्तु इसम महत्वपूर्ण अन्तर यह है कि अनुशासनात्मक कार्यवाहियो मे गवाह को शपथ

---

1 1958 RLW-1,

2 1975 WLN-8–हसनलाल वि राज सरकार।

3, AIR 1962 पजाब 496, AIR 1963 पजाब-399,

4 AIR 1962 राज 265, 1963 इलाहाबाद-94, 1968 सुप्रीम कोर्ट-158

5 1973 ASR 90–मोहम्मद युसुफ अली वि आन्ध्र प्रदेश सरकार।

नही दिलाई जा सकती । गवाह का खर्चा जाच अधिकारी अदा करेगा और यदि गवाह कोई सरकारी कर्मचारी है तो वह राजस्थान यात्रा भत्तो के नियम 34 के अधीन यात्रा भत्ता उठा सकेगा ।

गवाहो के बयान जाच अधिकारी को स्वय लिखने चाहिए । यह कार्य वह किसी अन्य व्यक्ति को सुपुर्द नही कर सकता । किन्तु जब गवाह मे प्रश्न पूछे जा रहे हो तब साथ ही साथ जाच अधिकारी के लिखवाने पर श्रुतिलेख (dication) के रूप मे जाच अधिकारी से सलग्न कोई टकरण लिपिक या कोई अन्य लिपिक बयान लिख सकेगा । परन्तु जब सारी साक्षी दस्तावेजी थी और उससे दोषी कर्मचारी पर कोई विपरीत प्रभाव नही पडा तो यह अनियमितता दोषमार्जित (condoned)की गई ।[1] अनुशासन प्राधिकारी स्वय जाच कर सकेगा, जाच अधिकारी की नियुक्ति नही करने से जाच दूषित नही होगी । जब दोषी कर्मचारी ने मौखिक जाच की माग ही नही की तो उससे समस्त कार्यवाही दूषित नही हुई ।[2] किन्तु जाच अधिकारी को यह अधिकार नही है कि वह दोषी कर्मचारी के विरुद्ध लगाए गए आरोपो के विषय मे उसकी अनुपस्थिति मे निजी पूछताछ करे और उस निजी पूछताछ के आधार पर अपना निष्कर्ष देवे ।[3]

चार्जशीट देने के वक्त ही दस्तावेजो और गवाहो की सूची कर्मचारी को दे देनी चाहिए । जब ऐसी सूचिया चार्जशीट के पश्चात् भी नही दी गई और कर्मचारी ने अनुशासन प्राधिकारी के समक्ष और अपील के मीमो मे भी कोई आपत्ति नही उठाई, तो उच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि इन परिस्थितियो ने प्रार्थी को सर्व सर्व प्रथम यह आपत्ति उच्च न्यायालय मे रिट की कार्यवाहियो मे उठाने की इजाजत नही दी जा सकती ।[4]

राजस्थान अनुशासनात्मक कार्यवाहिया (गवाहो का आह्वान तथा प्रलेखो का प्रस्तुतिकरण) नियम 1960 के अधीन दीवानी अदालत की तरह ही गवाहो की उपस्थिति बाध्य करने के लिए जाच अधिकारी सशक्त है । ये नियम इस पुस्तक के अन्त मे दिए गए हैं ।

जाच अधिकारी को इन नियमो द्वारा निर्धारित कार्य प्रणाली का पालन दृढता से करना चाहिये । जबकि एक जाच अधिकारी ने न तो किसी प्रस्तुतकर्त्ता अधिकारी की नियुक्ति की और न ही राज्य कर्मचारी को किसी अन्य सरकारी कर्मचारी से सहायता लेने मे अनुमति दी और अधिकारी ने स्वय सभी गवाहो से जिरह की, तो वह विभागीय कार्यवाही अवैध घोषित की गई ।[5]

गवाहों का आह्वान और दस्तावेजो का प्रस्तुतिकरण – जाच अधिकारी का यह वैधानिक कर्तव्य है कि सही समय पर पक्षकार द्वारा आवेदित गवाहो को तलब करे और यदि वह इस मत का हो कि कतिपय गवाहो को कोई सारभूत साक्षी नही देनी है या जिनका नाम सूची मे केवल जाच को विलम्बित करन या किसी प्रकार से परेशान करने की नीयत से सम्मिलित किया गया है, तो वह ऐसे गवाहो को बुलाने मे इन्कार कर सकेगा । यह महत्वपूर्ण है कि उसे दोषी कर्मचारी के मामले मे उदार तथा विशाल हृदय होना चाहिए क्योकि जिस तथ्य को जाच अधिकारी मामले को सुसगत नही समझता हो वह कर्मचारी के लिए सुसगत हो जाए । अत यदि प्रतिरक्षा के गवाहो को आह्वान करने मे इन्कारी

1 1963 RLW–374–जसवन्तराव वि राज सरकार ।
2 Lab I C–1941 (आन्ध्रप्रदेश) पी रामैय्या वि कलेक्टर, कुरनूल ।
3 1974 SLJ 415–कृष्ण चन्द्र टडन वि भारतीय सघ–AIR 1974 सुप्रीमकोर्ट-1589.
4 1975 WLN (U C) 320–सत्यनारायण वि राजस्थान सरकार ।
5 1978 lab I C 60 (कर्नाटक)–एल वी शीरागप्पी वि डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस ।

करने की शक्ति का प्रयोग जाच अधिकारी उपयुक्त सावधानी और सचेतकता से नही किया गया तो वह सविधान के अनुच्छेद 311 म प्रावधानित प्रतिरक्षा के लिए समुचित अवसर प्रदान करने के सिद्धान्त का उल्लघन हो सकता है।[1] यह सिद्धान्त न्यायालयो म तथा न्यायाधिकरणों मे समान रूप से लागू होता है। जब एक न्यायाधिकरण न मुलजिम द्वारा आवेदित एक गवाह का इस आधार पर सम्मन करने से इन्कार कर दिया कि मुलजिम की सहायता करन हेतु गवाहो को बुलाना उसका कत्तव्य नही है, तो न्यायालय ने फैसला दिया कि एसी अस्वीकृति न्याय के प्रत्येक सिद्धान्त और सद्भावना के प्रतिकूल था।[2] यद्यपि जाच सचालन करने वाले अधिकारी न यह निष्कर्ष निकाला कि प्रतिरक्षा के कुछ गवाहो को बुलाया जाय किन्तु पुलिस अधीक्षक न पन्द्रह गवाहो के सम्मन करने स मना कर दिया और जाच अधिकारी ने दोषी कमचारी को उसके लिए अवसर प्रदान नही किया तो निर्णय हुआ कि अभिदोषी व्यक्ति के विरूद्ध उसकी प्रतिरक्षा के प्रति पक्षपात किया गया है और इस कारण से उसके विरूद्ध पारित बर्खास्तगी का आदेश खारिज किया गया।[3] इसी प्रकार मोहम्मद हनीफ वि उप अधीक्षक पुलिस[4] म दोषी कर्मचारी को उसके गवाह सम्मन करने तथा वाछित दस्तावेज प्रस्तुत करन के लिए अवसर नही दिया तो यह निर्णय हुआ कि ऐसा अवसर प्रदान किया जाना चाहिए था।

नियम 16 [6 (क) (1)],—यह नियम अधिसूचना सख्या 3 (15)/कार्मिक/A-III-72/G S R 81 (65) दिनाक 26 दिसम्बर 1973, जो राजस्थान राजपत्र भाग 4 (ग) (I) दिनाक 7 फरवरी 1974 को पृष्ठ 135 (180) पर प्रकाशित हुआ, के अधीन जोडा गया है। यह नियम शपथ पत्र (हलफनामा) द्वारा गवाही लेने का प्रावधान करता है। परन्तु सभी प्रकार के गवाहो के बयान हलफनामो के रूप म ग्रहण नहीं किए जा सकते। केवल ऐसे गवाहो के बयान हलफनामो के रूप म लिए जा सकत है जिनकी साक्ष्य निरी 'औपचारिक किस्म' की हो जिसस कि विभागीय जाच म अनावश्यक विलम्ब कम किया जा सके। परन्तु जब भी दोषी राज्य कमचारी या प्रस्तुतकर्त्ता अधिकारी इस पर आपत्ती उठाए और गवाहो की व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए माग करे तो उन्हे व्यक्तिगत शहादत मे बुलाना चाहिए। इसी प्रकार यदि जाच अधिकारी किसी ऐसे गवाह को व्यक्तिगत परीक्षण करना उचित समझे तो गवाही के लिए सम्मन द्वारा बुलाया जाना चाहिए। अभिव्यक्ति औपचारिक किस्म की कोई परिभाषा दी हुई नही है। परन्तु किसी दस्तावज को साबित करना या यह बयान देना कि अब हम न फला रिपोर्ट प्राप्त होने पर फला आदेश जारी किया, 'औपचारिक किस्म' के उदाहरण के रूप म बताए जा सकते हैं।

नियम 16 (6) (ख)—आंशिक रूप मे सुने गए मामलो मे गवाहो को दुबारा बुलाना—यह नियम अधिसूचना स F. 3 (5) नियुक्ति A-III 65 दिनाक 11 मार्च 1966 द्वारा जोडा गया है यह जाच अधिकारी को अधिकार प्रदान करता है कि आंशिक रूप से किसी अन्य जाच अधिकारी द्वारा सुने गए मामले म जिस पर अब कार्यवाही उसे करनी है, वह गवाहो को पुन. परीक्षण के लिए बुला सके। परन्तु गवाह को पुन बुलाने के लिए बुलाने हेतु सही तथा पर्याप्त कारण होने चाहिए जो लिखित म रेकर्ड पर रखे जावें। गवाह को पुन. बुलाने के लिए उपर्युक्त दो शर्तें नियत हैं।

---

1 ILR 1962 राजस्थान–302–रमानन्द वि डिविजनल मेकेनिकल इन्जिनियर।
2 AIR 1955 आन्ध्रप्रदेश 168, AIR 1968 सुप्रीम कोर्ट 158
3 AIR 1958 इलाहाबाद 609–बुद्धसिंह वि उत्तरप्रदेश सरकार।
4 AIR 1957 इलाहाबाद 634.

नियम 16 (6) (ग) —इस नियम म ताजा सशोधन जी एम ग्रार 129 सख्या F 3 (17) युक्ति (A III)/67 दिनाक 9 अक्टूबर 1974 को किया गया ताकि इस विषय म स्पष्टीकरण । सके कि जो दस्तावेज सरकार क कब्ज मे है परन्तु जिनका उल्लेख उपनियम 6 (क) म सदभित ची म नही किया गया है उनक अन्वेषन (dis.ovory) तथा प्रस्तुतिकरण के लिए क्या प्रावधान है। से अपेक्षित दस्तावेजो के अन्वेषण या प्रस्तुतीकरण के लिए दोषी कमचा ी को उक्त दस्तावेजो की सगतता (relevancy) बतानी हागी। राजस्थान सरकार क निर्देशनो* के अनुसार सरकारी अभि-खो तक पहुचने (Access) का अधिकार 'असिमित' नही है और यदि ऐसा अभिलख मामले म ारभूत नही है, तथा/अथवा उन तक पहुचन की अनुमति देना सावजनिक हित म वाछनीय नही ह ो उनक लिए अस्वीकृति दी जा सकती है। इसक साथ ही सरकार ने चेतावनी दी है कि अस्वीकृति अधिकार का प्रयोग बहुत ही कम किया जाना चाहिए। हो सकता है कि किसी दस्तावेज की ुसगतता अनुशासनिक प्राधिकारी का प्राथना करत समय स्पष्ट न हो परन्तु बाद म सम्भवत ातिरक्षा की कोई विचारधारा उस दस्तावेज स उत्पन्न हो सकती है। अत दस्तावेज तक पहुचन ी प्रायना अस्वीकार नही की जानी चाहिए।

दूसरो बात यह है कि स र्वजनिक हिन के आध र पर अस्वीकृति केवल तभी दी जानी चाहिए जबकि एसी अस्वीकृति के लिए समुचित तथा पर्याप्त आधार विद्यमान हो। ऐसे मामले बहुत ही कम ोते है। यदि किसी दस्तावज को राज्य कर्मचारी के विरुद्ध सबूत म पेश करन का इरादा हा ता उस दस्तावेज का निरीक्षण करने की इजाजत नामजूर नही की जानी चाहिए। कुछ भी हा, अस्वीकृति के कारण लिखित मे रेकर्ड पर होन चाहिये। सर्वोत्तम न्यायालय ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 123 और 162 (2) के अधीन सार्वजनिक हित के आधार पर किसी दस्तावज को रोकन का अधिकार माना है, परन्तु न्यायमूर्ति सुब्बाराव ने इस फैसले से अपनी असहमति प्रकट की और सरकार के इस विशेषाधिकार की माग को उचित नही माना।**

नियम 16 (6) (घ) —(का) सशोधन GSR 129 स F 3 (17) नियुक्ति (A III) 67 दिनाक 9 अक्टूबर 1974 द्वारा हुआ। यह नियम दोषी कर्मचारी की या नियम 18 के अधीन सयुक्त विभागीय जाच होन की दशा म एक या अधिक कर्मचारियो की अनुपस्थिति क सम्बन्ध म है।

इकतरफा कार्यवाही —यदि सम्मन की तामील होने के बावजूद कोई दोषी अधिकारी जाच अधिकारी के सम्मुख अनुपस्थित रहे तो जाच अधिकारी इकतरफा कार्यवाही करने को स्वतन्त्र हागा, परन्तु उसे यह बात नियम 19 (ii) क अधीन लिखनी चाहिए कि नियम 16 के अधीन निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना वाजिब तौर से व्यवहार्य (practicable) नही है। इसी प्रकार की कायवाही सयुक्त विभागीय जाच होन की दशा म करनी चाहिए जबकि सम्मन की साफ तामील हो जान के बावजूद एक या अधिक दोषी कर्मचारी अनुपस्थित रह। परन्तु इसका यह तात्पय नही है कि जाच अधिकारी अपना निष्कर्ष बिना किसी जाच के अभिलिखित करदे, अर्थात् बिना किसी मौखिक या दस्तावेजी शहादत के ही निश्चित करे।[1] जबकि एक इकतरफा जाच म अनुसरण की गई प्रक्रिया

* प्रपत्र स F 3 (25) नियुक्ति A/61 ग्रुप III दिनाक 14 2-1962 एव इसी सख्या का अन्य प्रपत्र दिनाक 8-11-1962

** AIR 1961 सुप्रीमकोर्ट 493–पजाब सरकार वि सोधी सुखदेवसिंह।

1 1964 RLW 613–श्यामनारायण शर्मा वि भारतीय सघ।

नियमो के अनुकूल नही थी, तो यह निर्णय हुआ कि कार्यवाही मनमानी होने के कारण कर्मचारी के विरुद्ध दोष साबित होने का निष्कर्ष अवैध था ।[1]

इकतर्फा कार्यवाही आरम्भ करने के लिए शर्तें — विभागीय जाच इकतर्फा अर्थात्, एक या अधिक दोषी कर्मचारियो की गैर हाजिरी में केवल तभी चल सकती है जब कि—

(1) पेशी की तारीख और स्थान निश्चित् किए जा चुके हैं और उनकी सूचना यथोचित तरीके से दोषी कर्मचारी या कर्मचारियो को दी जा चुकी है, और

(2) उक्त कर्मचारी पेशी की कथित तारीख को बिना किसी परियाप्त कारण अनुपस्थित रहे। शब्दावली "बिना किसी परियाप्त कारण के" नई जोडी गई है । यदि पेशी की तारीख और स्थान की सूचना दोषी कर्मचारी को नही दी गई हो, तो केवल इस आधार पर कि उसने चार्जशीट का उत्तर नही दिया, उसके विरुद्ध इकतर्फा कार्यवाही आरम्भ करना न्यायोचित नही होगा ।[2]

अकस्मात बीमार हो जाने या ज्यादा वर्षा से रास्ता रुकजाने, या ट्रेन या बस चूक जाने या सरकारी कार्य के लिए अधिकारी द्वारा रोक लिये जाने से तारीख पशी पर गैर हाजिर रहने के परियाप्त कारण हो सकते हैं । जब कि निलम्बित दोषी कर्मचारी का निर्वाह भत्ता नही दिया गया और जाच का स्थान उसके निवास स्थान से लगभग 500 मील दूर था इसलिए, धनाभाव के कारण राज्य कर्मचारी पेशी पर हाजिर नही हो सका तो सर्वोत्तम न्यायालय ने इसे अनुपस्थिति का परियाप्त कारण माना । अत दोषी कर्मचारी की अनुपस्थिति में की गई कार्यवाही अवैध घोषित की गई ।[3] इसी प्रकार के कारणो पर मोहनलाल तिवारी वि पचायत समिति, भादरा[4] मे जाच दूषित होना करार दिया गया ।

इसके विपरीत, जब कि प्रार्थी जाच अधिकारी के समक्ष इस आधार पर उपस्थित नही हुआ कि मामला उच्च न्यायालय मे विचाराधीन था, तो निर्णय हुआ कि सत्र न्यायाधीश की टिप्पणी (रिमार्क) हटवाने के लिए की गई निगरानी से जाच पर कोई रोक नही थी, इसलिए इसे समुचित अवसर नही देना नही माना जा सकता ।[5] जब कि पेशी स्थगित करवाने के लिए कोई परियाप्त कारण नही बताया गया और जाच सम्बन्धित कर्मचारी की अनुपस्थिति मे चालू रही, तो इस मामले म इकतर्फा का आदेश अनुचित नही माना गया । इसके अलावा इकतर्फा आदेश निरस्त करवाने के लिए भी कोई कार्यवाही नही की गई । तय हुआ कि इस मामले मे समुचित अवसर प्रदान करने की इन्कारी नही हुई ।[6]

नियम 16 (6-अ).—अतिरिक्त या नई साक्ष्य, यह नियम जी. एस आर 129* दिनाक 9-10-1974 के अधीन जोडा गया है । यह नियम जाच अधिकारी को अधिकृत करता है कि वह

---

1 AIR 1956 कलकत्ता 114-ए पी डी गुप्ता वि. निदेशक प्रोक्योरमेंट ।
2 AIR 1970 उडीसा-1-पूरनचन्द्र दास वि चैयरमन स्टेट ट्रासपोर्ट ऑथोरिटी ।
3 AIR 1973 सुप्रीम कोर्ट-घनश्याम दास श्रीवास्तव वि उत्तर प्रदेश सरकार ।
4. 1975 WLN (U C) 83
5 1976 WLN (U C) 340 सूआलाल यादव वि राजस्थान सरकार ।
6 1975 WLN (UC) 299-गुरुचरण सिंह वि. राजस्थान सरकार ।
* स F 3 (17) नियुक्ति (A-III) 67 दिनाक 9 अक्टूबर, 1974.

दोषी कर्मचारी की दी गई सूची मे जिन गवाहो के नाम नही लिखे हैं तो भी वह अपने स्वविवेक से उन गवाहों को उपस्थित करने की अनुमति प्रदान करदे, अथवा जाच अधिकारी स्वय नई शहादत तलब कर सकेगा या किसी गवाह को पुन. बुलाकर उसके बयान पुन ले सकेगा। परन्तु, ऐसे स्वविवेक के प्रयोग पर अनेक प्रतिबन्ध लगे हुए है जैसे कि:—

(1) ऐसी कार्यवाही का चरण (stage) अनुशासनिक प्राधिकारी के पक्ष की गवाही बन्द होने से पहले है। यदि यह अवस्था गुजर चुकी है तो जाच अधिकारी फिर नई शहादत बुलाने, आदि के लिए सक्षम नही रहेगा।

(2) ऐसा कदम केवल तभी उठाया जा सकता है जब कि ऐसा करना आवश्यक प्रतीत हो, अन्यथा नही।

(3) सम्बन्धित राज्य कर्मचारी द्वारा माग की जाने पर उसे प्रस्तावित नई शहादत की सूची देनी होगी।

(4) उपर्युक्त नई शहादत पेश करने से पहले दोषी कर्मचारी को तारीख पेशी का स्थगन कम से कम तीन पूरे दिनो का भी देना होगा जिसमे स्थगन स्वीकार करने की तिथि और आगे की तारीख पेशी शुमार नही की जाएगी।

(5) रेकर्ड पर लिए जाने से पहले नए दस्तावेजो का निरीक्षण करने का अवसर दोषी कर्मचारी को दिया जाएगा।

(6) नई शहादत या किसी गवाह का पुन. परीक्षण, शहादत मे रह गई किसी खामी को पूरी करने के लिए अनुज्ञ नही होगा। किन्तु मूल साक्ष्य की कोई अन्तर्निहित भूल या त्रुटी को सुधारने के लिए ऐसा किया जा सकेगा।

(7) दोषी कर्मचारी को अनुमति दी जाएगी कि वह नए गवाहो से या पुन बुलाए गए गवाहो से दीगर जिरह (further cross-examination) कर सके।

नियम 16 (6-ख).—कठोर शास्ति के लिए मामला आगे भेजना—यह नियम भी जी एस. आर. 129, स F 3 (17) नियुक्ति (A-III) 67 दिनाक 9 अक्टूबर, 1974 द्वारा जोडा गया है। जब कोई ऐसा अनुशासनिक अधिकारी जो सम्बन्धित राज्य कर्मचारी पर कठोर शास्ति अधिरापित करने की क्षमता नही रखता हो, इस सम्मत्ति का हो कि उसके निष्कर्षो के आधार पर उस पर कोई शास्ति लागू करनी चाहिए, तो वह जाच का रेकर्ड ऐसे अनुशासनिक प्राधिकारी का भेजेगा जो कठोर शास्ति अधिरोपित करने के लिए सशक्त हो। तदुपरान्त, उक्त कठोर शास्ति के लिए सशक्त अनुशासनिक प्राधिकारी, या तो पहले से रेकर्ड पर विद्यमान शहादत के आधार पर कार्यवाही कर सकेगा, या यदि वह न्याय के हित मे आवश्यक समझे, तो वह गवाहो को अतिरिक्त साक्ष्य के लिए (जिसमे जिरह और पुन परीक्षण सम्मिलित है), वापिस बुला सकेगा और दोषी राज्य कर्मचारी के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील) नियम के अनुसार जैसी भी शास्ति उचित समझे वैसी अधिरोपित कर सकेगा।

यह नियम केवल उन्ही मामलो पर लागू होता है जिनमे अनुशासनिक प्राधिकारी ने जाच स्वय की हो और वह कठोर शास्तिया लागू करने के लिए प्राधिकृत न हो।

नियम 16 (7)-जाच की रिपोर्ट —जब जाँच सम्पूर्ण हो जावे तो जाच अधिकारी को

जाच की एक रिपोर्ट बनानी होगी जिसमे उसे दोषी कर्मचारी पर लगाए गए प्रत्येक चार्ज (आरोप) पर अपना निष्कर्ष उल्लिखित करना होगा । उसे अपने निष्कर्षों की पुष्टि मे ऐसे कारण देने होंगे जो ऐसे परिणामो का औचित्य बतावें । परन्तु यदि जाच अधिकारी जाच कार्यवाही के आधार पर ऐसे नतीजे पर पहुचे कि कतिपय ऐसे आरोप स्थापित होते है जो दोषारोपित कर्मचारी के विरूद्ध मूलतः निर्धारित आरोपों से भिन्न है तो वह ऐसे निष्कर्ष अभिलिखित कर सकेगा बशर्ते कि सम्बन्धित कर्मचारी ने—

(1) उन तथ्यो को स्वीकारा है जिनसे नया आरोप बनता है, अथवा

(2) उसे उनके विरुद्ध प्रतिरक्षा करने का अवसर मिला था ।

नियम 16 (8)–जाच की रिपोर्ट —नियम 16 (8) मे उन कागजात के नाम गिनाए गए हैं जो जाच के (रेकर्ड) मे सम्मिलित किए जाएगे और उनको यहा दुहराने की आवश्यकता नही है। राजस्थान सरकार ने अनुशासनिक कार्यवाही पर अपनी पुस्तिका 1963 संस्करण) के अनुच्छेद 13 (ix) मे इस विषय मे निर्देशन दिए है । अतः स्मरण रहे, कि जब विभागीय जाच पूरी हो जावे, तो जाच अधिकारी को जाच की रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए । जाच रिपोर्ट मे जाच करने वाले अधिकारी को प्रत्येक आरोप पर अलग-अलग अपना नतीजा (निष्कर्ष) लिखना चाहिए और प्रत्येक निष्कर्ष के लिए न्यायोचित कारण व्यक्त करने चाहिये । निष्कर्ष दोनो पक्षो द्वारा रेकर्ड पर लाई गई साक्ष्य पर भली भाति विचार करने के बाद निकालने चाहिए । इस सिद्धान्त पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि कोई भी तथ्य या सामग्री जो औपचारिक रूप मे रेकार्ड मे स्थित नही हो, उसका उपयोग दोषी कर्मचारी के विरूद्ध नही किया जा सकता । हाल ही के एक मामले राजस्थान सरकार वि दान माल[1] मे, चार्ज स 1 का भाग (क) इस प्रकार था, "यह कि हैड कान्सटेबल दान मल, जब कि वह पुलिस लाइन, पाली मे लेखाकार लिपिक का कार्य कर रहा था, दिनाक 6-3-53 को कतिपय कर्मचारियो ने तत्कालिक पुलिस अधीक्षक को शिकायत की कि, यद्यपि उनका वेतन उठा लिया गया है, तथापि जब तक वे दानमल को पैसा देने को तैयार नही तक वह वेतन का वितरण करना नही चाहता ।" इस मामले मे न्यायमूर्ति श्री मोदी ने निर्णय दिया कि केवल इस कथन से कि कर्मचारी वर्ग के कुछ सदस्यो ने पिछले दो या तीन महीने से वेतन प्राप्त नही किया है, यह नतीजा नही निकलता कि पुलिस अधीक्षक के समक्ष प्रस्तुत की गई शिकायत सही थी या यह कि शिकायत करने वाले व्यक्तियों को, दानमल द्वारा अपना कर्त्तव्य पालन नही करने के कारण वेतन नहीं मिला । अतः दानमल के विरुद्ध चार्ज स 1 के भाग (क) का दोषी होने का जाच अधिकारी का नतीजा किसी भी शहादत पर आधारित नही था और इसलिए यह निष्कर्ष स्थित नही रखा जा सकता ।[1]

आरोपो को साबित करने का भार विभाग पर है । दृढ सकारात्मक सबूत का स्थान केवल अटकल बाजी या संदेह नही ले सकते ।[2]

जबकि जाच अधिकारी के निष्कर्ष, संदेहो पर आधारित, पक्षपातयुक्त, मनमाने और अनुचित होने से पूर्णतः दूषित करार दिये गये थे, तो उसके बाद अनुशासनिक प्राधिकारी और अपील

1 1977 WLN 645,

2 1973 SLJ 669 हरमन्दर सिंह वि पंजाब सरकार, AIR 1972 सुप्रीम कोर्ट 2535 आसाम सरकार वि मोहन चन्द्र कलिता ।

प्राधिकारी द्वारा पुष्टि किये जाने पर भी, वे स्थिर नही रखे जा सके।[1] सर्वोत्तम न्यायालय ने तय किया है कि जब कोई शहादत ही नही हो, या निष्कर्ष कुटिलता से निकाले गये हो तो उन्हे कायम नही रखा जा सकता। यह कानून की प्रत्यक्ष त्रुटि है जो याचिका द्वारा सुधारी जा सकती है, परन्तु शहादत पर पुनः विचार करना सभव नही है।[2] परन्तु एक अन्य मामले मे यह निर्णय किया गया कि जब ट्रिब्यूनल (न्यायाधिकरण) ने अपने नतीजे शकाओ तथा अस्वीकृत साक्ष्य पर निर्धारित किए हो, तो उच्च न्यायलय, रिट याचिका मे इस बात की जाच कर सकता है कि आया ट्रिब्यूनल का निष्कर्ष सही है।[3] इसके विपरीत यदि नतीजा साबित किये गये तथ्यो का वाजिब निष्कर्ष हो, तो उसे कुटिल (perverse) या सारभूत सामग्री से अपुष्ट होना नही कह जा सकता।[4] भगवत प्रसाद श्रीवास्तव वि मध्य प्रदेश सरकार[5] मे दोषी कर्मचारी को उपयुक्त अवसर अस्वीकार किया गया और बाहरी सामग्री शामिल की जब कि उससे मुकाबला करने के लिये कोई मौका प्रदान नही किया गया और सम्बन्धित प्राधिकारी को अनिवार्य सेवा निवृत्ति की शास्ति की सिफारिश करने का भी अधिकार नही था। अत न्यायालय ने ऐसे नतीजे को अनुचित माना।

नियम 16 (7) के अनुसार, दोषी होने का नतीजा मूल आरोपो से भिन्न आरोपो के विषय मे भी दिया जा सकता बशर्ते कि ऐसे नए आरोपो के विषय मे राज्य कर्मचारी को उसकी प्रतिरक्षा के लिए समुचित अवसर प्रदान किया गया हो। ऐसे आरोप पर लागू की गई शास्ति स्थिर रह सकती है।

जाच अधिकारी और अनुशासनिक अधिकारी दोनो को रेकर्ड पर विद्यमान सामग्री पर अपना खुद का दिमाग लगा कर निश्चित नतीजो पर पहुचना चाहिए। हिचकिचाहट के साथ दिए गए और अपूर्ण फैसले प्रयोजन हीन होते हैं। वे व्यर्थ है।[6]

राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार "जाच अधिकारी के लिए यह आवश्यक नही है कि वह विशिष्टतः कोई शास्ति प्रस्तावित करे, और उसे प्रत्येक चार्ज के सम्बन्ध मे अपने निष्कर्ष अभिलिखित करने तक सीमित रहना चाहिए।" जाच अधिकारी को ज्ञात करना चाहिए कि आया कोई आरोप विशेष साबित हुआ है या नही। उसे अपने प्रत्येक निष्कर्ष की पुष्टि मे कारण अवश्य बताने चाहियें। परन्तु अपने निष्कर्षो से साबित आरोपो पर उसे कोई शास्ति का सुझाव देने की जरूरत नही है।[7]

नियम 16 (9)-अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा निष्कर्षो पर विचार—यह उपनियम केवल तभी लागू होगा जबकि अनुशासनिक प्राधिकारी स्वय जाँच अधिकारी नही हो। अनुशासनिक प्राधिकारी का यह परम कर्तव्य है कि जाच के समस्त अभिलेखो का वह स्वय अध्ययन करे और प्रत्येक आरोप पर अपने निजी नतीजे, उनकी पुष्टि मे कारणो का उल्लेख करते हुए, रेकर्ड पर

---

1 19/3 Lab Ic (NOC) 26 कर्नाटक एट नरसीमहिय्या वि कर्नाटक सरकार।
2 AIR 1965 सुप्रीम कोर्ट 1103-मद्रास राज्य वि सुन्दरम।
3 1972 SLR 893.
4 1972 SLR 355-भारतीय सघ वि सरदार बहादुर।
5 1978 SLJ 162 मध्य प्रदेश।
6 1975 Lab IC 73 (हिमाचल प्रदेश) ज्ञान सिंह वि हिमाचल प्रदेश सरकार।
7 AIR 1964 आन्ध्र प्रदेश 407-अब्दुल रहीम वि एक्जीक्यूटिव आफिसर तथा AIR 1958 राजस्थान 595

लगावे। उसे अपना खुद का दिमाग लगाना चाहिए न कि जाच के विवरणो से अपने आपको निर्लिप्त रखते हुए, केवल जाच अधिकारी की सम्मति का समर्थन कर दे। अनुशासनिक प्राधिकारी बाध्य है कि वह रेकर्ड पर स्थित सामग्री पर नैतिक सतर्कता से स्वय विचार कर और निश्चित नतीजे पर पहुचे। अन्यथा, अपूर्ण निष्कर्ष मे कोई प्रयोजन हासिल नहीं होगा और वह निरथक हागा।[1] *यह आवश्यक नही है कि अनुशासनिक प्राधिकारी जाच अधिकारी ने नतीजो से सहमत हो, और असहमति* की दशा मे, यदि वह सकारण यह विश्वास रखता हो कि जाच किसी विषय मैं अपूर्ण है तो मामले को अतिरिक्त जाच के लिए या फिर स नई जाच करन के लिए वापिस भेज सकेगा अथात रिमाड कर सकेगा। परन्तु ऐसा करने के लिए उसके पास "सही और परियाप्त कारण" होन चाहिए जो लिखित मे अभिलिखित किए जाए। किन्तु रिपोर्ट म जाच अधिकारी की केवल छोटी सी त्रुटि, जो उसक निष्कर्षो के सार को प्रभावित नही करे जाच को दूषित नही कर सकती।[2]

नियम 16 (10) (i) प्रस्तावित शास्ति का नोटिस—जबकि अनुशासनिक प्राधिकारी अपने निष्कर्षों के आधार पर इस नतीजे पर पहुचे कि दोषी कमचारी पर नियम 14 के अनुच्छेद (iv) से (vii) म उल्लेखित कोई कठोर शास्ति अधिरोपित की जाए तो वह सम्बन्धित राज्य कमचारी को जाच अधिकारी की रिपोर्ट की एक प्रति भेजेगा और उसके विरूद्ध प्रस्तावित दण्ड सूचित करते हुए नोटिस देगा कि, यदि वह चाहे, तो (नोटिस मे) निर्दिष्ट अवधि म, प्रस्तावित शास्ति उसके विरुद्ध क्यो नही लागू की जावे इसका कारण बताते हुए अपना प्रतिवेदन पश करे। यदि अनुशासनिक प्राधिकारी स्वय जाच अधिकारी नही हो, तो वह अपने खुद के नतीजे का विवरण भी, जाच अधिकारी के निष्कर्षो से असहमति के कारण सक्षेप मे बताते हुए (यदि ऐसा हो), भेजेगा। दोषी कर्मचारी अपने प्रतिवेदन म केवल अभिलिखित साक्ष्य पर निवेदन कर सकेगा।

राज्य कर्मचारी को अपना प्रतिवेदन तैयार करन तथा प्रेषित करने के लिए उपयुक्त समय दिया जाना चाहिए, उदाहरणत पन्द्रह दिन का, जैसा कि सरकारी निर्देशनो मे सुझाव दिया गया है।

इसके प्रतिकूल, यदि अनुशासनिक प्राधिकारी इस नतीजे पर पहुचे कि आरोपित व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी आरोप साबित नही हुआ है, तो वह उसे दोष मुक्त कर सकेगा और तद्नुसार कर्मचारी को सूचित करेगा।

सविधान के अनुच्छेद 311 (2) मे सशोधन—अब सविधान के बयालीसवे सशोधन 1976 द्वारा सविधान के अनुच्छेद 311 (2) म परिवर्त्तन किया गया है। प्रस्तावित शास्ति के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस देने की आदेशात्मक व्यवस्था अब समाप्त करदी गई है। किन्तु राजस्थान सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील) नियमो के नियम 16 (10) (i) के अधीन उक्त द्वितीय नोटिस देना फिर भी अनिवार्य है और इस नियम की पुष्टि मे कानूनी बल अवश्य विद्यमान है। अतः उक्त सशोधन से पहले के सविधान के प्रावधान पर आधारित पूर्वकालीन अदालती फैसलो को अब तद्नुसार समझना चाहिए।

जब कि जाच अधिकारी न कर्मचारी के विरूद्ध लगाये गये सभी आरोपो से उस दोष मुक्त कर दिया हो, परन्तु अनुशासनिक प्राधिकारी न प्रतिकूल राय बनाई हो, तो उसे अपनी असहमति के

1 1975 Lab IC 73 (हिमाचल प्र) ज्ञान सिह वि हिमाचल प्रदेश सरकार।
2 1977 WLN 245 गजराज सिह वि राजस्थान सरकार।

कारण व्यक्त करने चाहियें। ऐसे कारणो के अभाव मे बर्खास्तगी का आदेश गलत होगा, क्योंकि नियम 16 (10) (i) आदेशात्मक है और इससे दोषी कर्मचारी अपनी प्रतिरक्षा प्रभावशाली तरीके से करने के समुचित अवसर से वंचित हो जायेगा। दोषी कर्मचारी को सूचित किये बिना उसके पिछले रेकार्ड पर विचार करने से, या आरोपो से असम्बन्धित बाहरी मामलों को निष्कर्षों का आधार बनाने पर, कर्मचारी के विरुद्ध अधिरोपित शास्ति का आदेश दूषित हो जाएगा।+

कतिपय महत्व पूर्ण निर्णय—जबकि प्रार्थी को सब डिविजनल मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट की प्रति नहीं दी गई और कलेक्टर के निष्कर्षों की प्रति भी नही दी गई, तो फैसला हुआ कि जिन आधारो पर प्रार्थी को दण्डित किया जाना प्रस्तावित था उनके विरुद्ध कारण बताने का उसे समुचित अवसर प्रदान नही किया गया।[1] जबकि दोषी कर्मचारी को यह विदित ही नही हो कि उसके विरुद्ध क्या और कितना प्रबल मामला बनाया गया है, तो वह उसके विरुद्ध प्रस्तावित कठोर शास्ति लागू करने के विरुद्ध प्रभावशील कारण बताने में असमर्थ रहेगा।[2]

जबकि दोषी कर्मचारी के विरुद्ध एक से अधिक चार्ज (आरोप) थे और नोटिस मे प्रत्येक आरोप पर पृथक् पृथक् शास्ति प्रस्तावित करने का सकेत नही दिया गया, तो तय हुआ कि उक्त नोटिस अवैध नही था।[3]

अनुशासन प्राधिकारी का यह बाध्यकारी कर्त्तव्य है कि सदयं रूप से राज्य कर्मचारी पर शास्ति प्रस्तावित करने से पहले, अपने आप को सन्तुष्ट करे कि उसके विरुद्ध आरोप साबित हैं।[4]

जबकि निष्कर्ष अनिश्चित हो और स्पष्ट शब्दो मे व्यक्त नही किए गए हो, तो उनके आधार पर नोटिस जारी करना अपरिपक्व (premature) होगा और उन पर पारित बर्खास्तगी का आदेश अवैध होगा।[5]

दोषी कर्मचारी ने प्रस्तावित शास्ति के विरुद्ध प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय मांगा जो अस्वीकार किया गया। फिर भी उसका उत्तर अनुशासनिक प्राधिकारी को शास्ति का आदेश देने से पहले प्राप्त हो गया, परन्तु अनुशासनिक प्राधिकारी ने उस पर विचार नही किया। अतः के सदाशिवय्या वि. जी एम. टेली कॉम[6] मे निर्णय दिया गया कि दोषी कर्मचारी द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण अत्यन्त महत्वपूर्ण होता है जिस पर अवश्य ही विचार किया जाना चाहिये। इस प्रकार के विचार के अभाव मे शास्ति का आदेश रद्द किया गया। जबकि द्वितीय कारण बताओ नोटिस के अभाव मे दण्ड का आदेश निरस्त किया जाता है, तो फिर से नया मुकदमा चालू करना आवश्यक नही होता, इस प्रयोजन के लिये केवल ताजा कारण बताओ नोटिस तामील करना पर्याप्त होगा।[7]

\+ 1976 WLN (UC) 367–रामसहाय वि राजस्व मण्डल।
1. AIR 1958 राजस्थान 153–नाथूलाल वि. सरकार, AIR 1963 पजाब 390.
2. AIR 1960 इलाहाबाद 543–यू पी सरकार वि. सालिगराम शर्मा।
3. AIR 1963 मध्य प्र 115–गोविन्द शकर वि मध्यप्रदेश सरकार।
4. AIR 1960 उडीसा 37–के. जी मुकर्जी वि सरकार।
5. AIR 1958 राज 153–नाथूलाल वि सरकार और AIR 1960 पजाब सरकार वि. ओ. एन जोशी।
6. 1978 एम एल. जे 253 (आंध्रप्रदेश)।
7. 1963 आर एल डब्ल्यू 374–जयवन्त राज वि राज सरकार।

जबकि अनुशासनिक प्राधिकारी ने कारण बताओ नोटिस मे स्पष्ट उल्लेख कर दिया था कि जाच अधिकारी की रिपोर्ट को देखने हुए और विशेषत दोषी कमचारियो के विरूद्ध साबित आरोपो की गम्भीरता को ध्यान म रखत हुए उसे बर्खास्तगी की सजा देना प्रस्तावित की जाती है, तो यद्यपि अनुशासनिक प्राधिकारी ने प्रत्येक आरोप पर अपना निष्कर्ष कारण बताओ नोटिस म नही दिया था, तथापि उक्त नोटिस मे कोई कमजोरी नही थी ।[1]

यदि अनुशासनिक प्राधिकारी जाच अधिकारी के निष्कर्षों से सहमत हो, तो दोषी कर्मचारी को कारण बताओ नोटिस जारी करते समय उस अपना तदथ निष्कर्ष उल्लेख करना आवश्यक नही होगा । ऐसे मामले मे आदेश कारण सहित लिखना जरूरी नही है ।[2] कारण बताओ नोटिस तभी जारी किया जाता है जबकि कमचारी के विरूद्ध प्रथमावलोकन से अपराध बनता हो और उस अवस्था मे जो राय कायम की गयी है वह केवल तदर्थ है । अन्तिम कार्यवाही दोषी कर्मचारी के उत्तर पर विचार करने के पश्चात् की जाती है ।[3]

जबकि दोषी कर्मचारी को सूचित प्रस्तावित शास्ति, कमचारी के प्रतिवेदन पर सुनवाई करने के पश्चात् वास्तव मे दी गई शास्ति से कम कठोर थी, तो इससे सविधान के अनुच्छेद 311 (2) और प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो का पालन नहीं होना माना गया ।[4]

जबकि जाच का रेकार्ड जल कर भस्म हो गया और रेकार्ड उपलब्ध नहीं होने से पुन निर्मित नही हुआ, तो केवल जाच की रिपाट के आधार पर ने दोषी कर्मचारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । न्यायालय ने उक्त नोटिस को अवैध माना ।[5]

मोहनलाल वि सरकार[6] के मामल म कारण बताओ नोटिस मे अविनय और अनुशासन हीन गतिविधियो (insubordination and indisciplined activities) का उल्लख नही किया गया । इसलिये तय हुआ कि इन आधारो पर दोषी कर्मचारी को दण्डित नही किया जा सकता था । **नसीरूद्दीन वि सरकार**[7] म भी कमचारी के विरूद्ध पारित बर्खास्तगी का आदेश अवैध माना गया क्योकि उक्त आदेश कारण बताओ नोटिस के उत्तर मे दिए गए प्रतिवेदन पर विचार किए बिना पारित किया गया ।

नियम 16 (10) (ii) लोक सेवा आयोग से परामर्श तथा दोषी कर्मचारी के प्रतिवेदन पर विचार

अनुशासनिक प्राधिकारी को चाहिए कि वह जाच का पूरा अभिलेख (रेकार्ड) दोषी कर्मचारी के

1　1975 WLN 320 राज (यू सी) ।
2　AIR 1963 सु कोर्ट 1612–आसाम सरकार वि बिमलकुमार पडित, और 1977 सु काट (एल. एण्ड एस) 151 ताराचन्द खत्री वि म्यूनिसीपल कार्पो)
3　1976 Lab I C 1741 (गोहाटी) नन्द किशोर वि ए पी वी राघवन ।
4　AIR 1955 उडीसा 33, AIR 1970 उडीसा 81–ब्रिंदावन पाधी वि उडीसा राज्य, 1974 Lab I C 1068 (हिमाचल प्रदेश) पुलेलसिंह वि डाइरेक्टर, शिक्षा विभाग ।
5　1988 Lab. IC 1032 (हिमाचल प्र) छत्तर सिंह वि डिप्टी कमीश्नर, शिमला ।
6.　1975 WLN (UC) 232
7.　1976 WLN (UC) 335

प्रतिवेदन के साथ लोक सेवा आयोग को मंत्रणा के लिए भेजे। सभी मामलों में ऐसा करना आवश्यक नहीं है। परन्तु लोक सेवा आयोग से ऐसी जांचों के बारे में परामर्श लेना आवश्यक है जो राज्य सेवाओं के सदस्यों के सम्बन्ध में हों, जिनका कि नियुक्ति प्राधिकारी सरकार हो और नियुक्ति करने का अधिकार किसी अधीनस्थ प्राधिकारी को नहीं सौंपा गया हो और जबकि दोषी कर्मचारी के विरुद्ध निन्दा और वेतन वृद्धियां रोकने की शास्तियों से भिन्न कोई अन्य शास्ति लागू करना प्रस्तावित हो। [देखिए नियम 15 (2) 1] अत. आयोग से परामर्श मांगा जाना चाहिए जबकि नियम 14 के अनुच्छेद (iii) से (vii) और अनुच्छेद (ii) के द्वितीय भाग में निर्दिष्ट कोई शास्ति आरोप करने का विचार हो जो संक्षेप में निम्नलिखित है:—

(1) पदोन्नति रोकना;

(2) सरकार को आर्थिक हानि पहुंचने की दशा में वेतन से वसूली करना,

(3) निम्नतर सेवा, ग्रेड या पद, आदि पर पदावनति करना,

(4) अनुपातिक पेन्शन पर अनिवार्य सेवा निवृत्ति,

(5) सेवा से हटाना, और

(6) सेवा से बर्खास्तगी।

राजस्थान सरकार ने अनुशासनिक कार्यवाही पर लिखित पुस्तिका (1963) के अनुच्छेद 15 में इस विषय पर निर्देशन जारी किए हैं। इन निर्देशनों के अनुसार, अनुशासन प्राधिकारी को, कारण बताओ नोटिस के उत्तर में दोषी कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में उठाए गए बिन्दुओं पर सावधानी-पूर्वक विचार करना चाहिए। इसके अतिरिक्त लोक सेवा आयोग से परामर्श लेने के पश्चात् जहां यह जरूरी हो, कर्मचारी के विरुद्ध साबित आरोपों की प्रकृति एवं गंभीरता का ध्यान रखते हुए, उचित शास्ति लागू करनी चाहिए। "दण्ड की मात्रा निर्धारित करते हुए, दोषी कर्मचारी के पिछले रेकार्ड या पूर्वकालीन दुराचरण पर विचार केवल तभी किया जा सकता है, जब कि उसका उल्लेख कारण बताओ नोटिस में कर दिया गया था और कर्मचारी को उसका स्पष्टीकरण देने के लिए पूरा अवसर दिया गया हो। (AIR 1954 नागपुर 90 और 1960 इलाहाबाद 270)।"

इन निर्देशनों में आगे यह भी कहा गया है कि दोषी कर्मचारी के प्रतिवेदन की सुनवाई करने के पश्चात् उसे मूलतः प्रस्तावित शास्ति से कोई हल्की शास्ति बिना नया कारण बताओ नोटिस जारी किए प्रदान की जा सकती है, परन्तु यदि उससे भारी सजा देनी हो, तो उसे ताजा कारण बताओ नोटिस जारी करना आवश्यक होगा।

लोक सेवा आयोग से परामर्श लेना आदेशात्मक नहीं है—संविधान का अनुच्छेद 320 (3) व्यवस्था करता है कि "यथा स्थिति, संघ-लोक सेवा आयोग या राज्य-लोक सेवा आयोग से, ऐसे व्यक्ति पर, जो भारत सरकार अथवा किसी राज्य की असैनिक सरकार की असैनिक हैसियत में काम कर रहा है, प्रभाव डालने वाले अनुशासन विषयों से जो अभ्यावेदन या याचिकाएं सम्बद्ध हैं उनके सहित समस्त ऐसे अनुशासन विषयों पर······ · ·· 'परामर्श किया जायेगा।" अन्य शब्दों में, सिविल कर्मचारियों को प्रभावित करने वाले अनुशासनिक मामलों में लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना चाहिए। उक्त प्रावधान निदेशात्मक (directory) माना गया है न कि आदेशात्मक

(mandatory) जैसा कि उच्चत्तम न्यायालय ने यू पी सरकार वि मनबोध लाल[1] मे तथा ग्रन्य मामलो मे तय किया है। लोक सेवा आयोग कोई अपील प्राधिकारी नही है इसलिए उसकी राय मानना राष्ट्रपति के लिए जरूरी नही है (ए.एन डी सिलवा वि भारतीय सघ)।[2] ग्रतः सरकार लोक सेवा आयोग की राय माग भी सकती है या नही भी मागे और आयोग की राय स्वीकार करना जरूरी नही है।

यद्यपि उक्त प्रावधान केवल निदेशात्मक है, तथापि इसका तात्पर्य यह नही है कि प्राधिकारीगण की मनमानी इच्छा के अनुसार इसे टाला जा सके। इसका अर्थ यह हुआ कि आदेशात्मक प्रावधान का पालन नही करने से कार्यवाही अवैध हो जाएगी, परन्तु निदेशात्मक प्रावधान के सम्बन्ध मे उसका मोटे तौर से परिपालन पर्याप्त होगा और यदि यह भी नही किया जावे तो भी केवल इसी आधार पर कार्यवाही अवैध नही होगी। इसका अभिप्राय यह नही हुआ कि जिन प्राधिकारियों पर निदेशात्मक प्रावधान लागू हैं, वे उनकी अवमानना आदतन करते रहे। कार्यकारिणी सरकार ऐसी स्वच्छन्द नही हो सकती कि लोक सेवा आयोग की पूर्णत अवहेलना करे। "नियमित कार्य प्रद्धति बनाते हुए प्रावधान की पूरी अवमानना करना घोर अनुचित कार्य है।[3] जब एक बार नियम बना दिए गए हो, तो उनका परिपालन अक्षरत तथा मूलत होना ही चाहिए।[4]

***राजस्थान सरकार के अधिशासी निर्देश**—राज्य सेवाओ के सम्बन्ध मे, जिनमे नियुक्ति करने का प्राधिकार किसी अन्य प्राधिकारी को सुपुर्द किया हुआ नहीं हो, अनुशासनिक मामलो, जिनमे नजर सानी व अभ्यावेदन (review and memorials) शामिल हैं, के विषय मे आयोग की सम्मति प्राप्त करने के लिए, पत्राचार कार्मिक विभाग म राज्य सरकार के माध्यम से करना चाहिए और अधीनस्थ एव अन्य सेवाओ के सम्बन्ध म सम्बन्धित विभाग के राज्य सरकार के प्रशासनिक विभाग के माध्यम स।

अनुशासनिक मामले

जब कोई अनुशासनिक मामला, जिसमे आयोग से परामर्श लेना आवश्यक हो, विचार के लिए सामने आए, तो सावधानी पूर्वक यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आया कागजात पूरे हैं तथा सही तरीके से लगे हुए है, अनुशासनिक जाचों से सम्बन्धित मामलो म कि आया ऐसी जाचो से सम्बन्धित कानूनी प्रावधानो का परिपालन हो चुका है। यदि आवश्यक हो तो कागजात उस प्राधिकारी को जिससे प्राप्त हुए थ, इस निर्देशन के साथ लौटा देने चाहिए कि कानूनी प्रावधानो का समुचित पालन किया जावे। ऐसा तत्काल कर देना चाहिए और उस 'स्टेज' पर मामले के गुण-दोष नही जाचने चाहिये। ऐसी जाच 'केस' आयोग स प्राप्त होने पर, यह देखने के लिए करनी चाहिए कि आया कोई अपवाद स्वरूप परस्थिति विद्यमान है जिसस किसी विषय मे आयोग की सम्मति से भिन्न कार्य करने का औचित्य

1. AIR 1957 सुप्रीम कोर्ट 912,
2. AIR 1962 सुप्रीम कोर्ट 1130, AIR 1970 सुप्रीम कोर्ट 158, 1972 Lab. IC 1496 (आसाम), 1966 SLR 429-राम गोपाल चतुर्वेदी वि मध्य प्रदेश सरकार।
3. AIR 1957 पजाब 97-दुर्गासिंह वि पजाब सरकार।
4. 1978 Lab IC 1049 (मध्य प्रदेश) आदर्श कुमारी भारती वि के एन. सिन्हा तथा अन्य।

* राजस्थान लोक सेवा आयोग से परामर्श के विषय मे अधिशाशी निर्देशन (1972 सस्करण)।

गे। यदि भिन्न कार्य करना प्रस्तावित हो, तो, उसके कारण व्यक्त करने चाहियें और अतिम निर्णय लेने से पूर्व आयोग को अपनी सम्मत्ति पर पुनः विचार करने का अवसर देना चाहिए।

जब आयोग की सम्मत्ति मागी जानी हो, तो जाच से सम्बन्धित समस्त सारभूत अभिलेख, अपीलें या मेमोरियल्स, यथा स्थिति, सही तरीके से व्यवस्थित करके आयोग को अग्रसर करने चाहिये। आयोग को निर्देशन निर्धारित प्रपत्र पर, नियुक्ति विभाग के मीमो स F 16 (7) नियुक्ति (A) 60/III दिनाक 31-7-61 के अनुसार करना चाहिए। सरकार की ओर से मामले के गुण-दोषो पर राय अभिव्यक्त नही करनी चाहिए, और टिप्पणी पत्र या ऐसे अन्य कागजात जिन में मामले के गुण-दोषो का विवेचन हो, किसी भी दशा में लोक सेवा आयोग को नही भेजने चाहिये। किसी भी दशा में, जिसमें अनुशासनिक मामलो में आयोग की राय मागी गई हो, वह पत्र, जिसमें आयोग के निष्कर्ष समाविष्ट हो, मामले के अभिलेखो का भाग बनेगा और सिवाय उसके उन अशो के जिनमें किसी सरकारी महकमे के विरुद्ध कडी टीका की गई हो, जो सम्बन्धित अधिकारी या अधिकारियो को सूचित किया जाएगा।

सिवाय अपवाद स्वरूप परस्थितियो के, निदेशन के फल स्वरूप मामले में दी गई आयोग की सम्मत्ति स्वीकार करनी चाहिए। जब किसी मामले विशेष मे ऐसा अनुभव किया जावे कि आयोग की राय नही माननी चाहिए, तो आयोग को उसके कारण सूचित करने चाहिए ताकि वह अपनी राय पर पुन विचार कर सके। यदि आयोग की दुवारा सम्मत्ति प्राप्त होने पर, उसे स्वीकार करने का विचार नही हो तो मामला, नियुक्ति विभाग को निर्णय हेतु भेजा जाएगा, जिसमें आयोग की राय से असहमति के कारण भी व्यक्त किए जाएगे।

सभी मामलो में, आयोग की सिफारिशो पर क्या अतिम कार्यवाही की गई उसे (आयोग) को सूचित करनी चाहिए। सामान्यत ऐसे पत्राचार की प्रतिया पृष्ठाकित करना पर्याप्त होगा जिनमें आदेश सूचित किए गए हो, सिफारिश की गई हो, या अन्य कार्यवाही की गई हो।

अनुशासनिक प्राधिकारी को कर्मचारी के प्रतिवेदन पर विचार करना होगा—अनुशासनिक प्राधिकारी के लिए यह अनिवार्य है कि वह दोषी सिविल कर्मचारी के प्रतिवेदन पर समुचित विचार करे। आरोप अर्थात् चार्ज के आधार पर, कर्मचारी के अभिवेदन पर विचार किए बिना शास्ति लागू करने से शास्ति का आदेश निरस्त किया जाने योग्य होगा।[1] "अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा दोषी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण पर विचार नही करने से और अपने निष्कर्षों की पुष्टि में कारण अभिव्यक्त नही करने के फल स्वरुप सेवा से हटाने का विखण्डनीय आदेश दूषित हुआ है। यह आदेश इस कारण से भी दुषित है कि जाच अधिकारी के निष्कर्षो की जो अनुसानिक प्राधिकारी ने स्वीकार किए, शहादत द्वारा पुष्टि नही होती।"[2] दुरुपयोग के एक अन्य मामले मे, दोषी कर्मचारी ने कारण बताओ नोटिस पर अपनी आपत्ति पेश की थी। परन्तु अनुशासनिक प्राधिकारी ने उन आपत्तियो पर विचार किए बिना, उसकी सेवा समाप्ति का आदेश जारी कर दिया। अतः दण्ड का आदेश, कारण युक्त होना नही माना गया और इसलिये उसे अवैध करार दिया गया।[3]

---

1 AIR 1963 सुप्रीम कोर्ट 1612, ILR (1973) कर्नाटक 1199।

2 1973 WLN 663–भारतीय सघ वि वी. के दत्ता,
AIR 1972 राजस्थान 196–भारतीय सघ वि. रामगोपाल।

3. 1925 SLJ 387–तरलोचनसिह वि पजाब सरकार।

नियम 16 (11) लघु शास्तियों के अंतिम आदेश —यदि किसी मामले में अनुशासनिक प्राधिकारी इस नतीजे पर पहुंचे कि दोषी कर्मचारी पर नियम 14 के अनुच्छेद (i) से (iii) में निर्दिष्ट कोई लघु शक्ति अधिरोपित की जाए, तो वह मामले मे उपयुक्त आदेश जारी करेगा। निसन्देह, आदेश जारी करने से पूर्व ऐसे प्रत्येक मामले में जिसमें कि आयोग का परामर्श लेना आवश्यक हो, उसे लोक सेवा आयोग की राय पर विचार करना होगा।

नियम 16 (12)–अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों की सूचना —शास्ति अधिरोपित करने के आदेश की सूचना सम्बन्धित राज्य कर्मचारी को निम्नलिखित अभिलेखों की प्रतियों के साथ दी जायेगी —

(1) जांच अधिकारी की रिपोर्ट,

(2) अनुशासनिक प्राधिकारी के निष्कर्ष, जबकि वह स्वयं जांच अधिकारी नहीं हो,

(3) जांच अधिकारी के निष्कर्षों से असहमति के कारण संक्षेप में, यदि कोई हो, और यदि ये दस्तावेज पहले से ही नहीं दिये गये हो,

(4) लोक सेवा आयोग की सम्मति, और

(5) आयोग की सम्मति स्वीकार नहीं करने के संक्षिप्त कारण, यदि ऐसा हो।

नियम 16 (12) का द्वितीय उपखण्ड अधिसूचना संख्या F–3 (13) नियुक्ति (ए III) 63 दि 16 जून, 1965 द्वारा जोड़ा गया है, जिसके अनुसार यदि दोषी कर्मचारी को नियम 14 के खण्ड (i) से (iii) में निर्दिष्ट निम्नलिखितों में से कोई एक लघु शास्ति लागू करनी हो तो दोषी कर्मचारी को जांच अधिकारी के रिपोर्ट की प्रति देनी आवश्यक नहीं होगी —

(i) निन्दा,

(ii) वेतन वृद्धियां या पदोन्नति रोकना और

(iii) किसी आर्थिक हानि को वेतन से वसूल करना।

जब कि अनुशासनिक प्राधिकारी जांच अधिकारी के नतीजों से असहमत हो अथवा जब लोक सेवा आयोग का परामर्श अस्वीकार करे और कठोर शास्ति अधिरोपित करे, तो ऐसी असहमति के लिये कारण अनिवार्य रूप से देने होंगे। सतर्कता आयोग की रिपोर्ट यदि कोई हो, की प्रति कर्मचारी को देनी चाहिये।[1]

किसी सिविल कर्मचारी पर शास्ति लागू करने का आदेश "बोलता हुआ" होना चाहिये अर्थात् पूर्णतः कारण युक्त होना चाहिये। ऐसा आदेश सरसरी आज्ञा से भिन्न निष्कर्षों या नतीजों पर कारण व्यक्त करते हुए होना चाहिये।[2] ऐसा करना आवश्यक है क्योंकि निगरानी या अपील में आदेश को चुनौती देने के लिये उपलब्ध उपचार लिखित कारणों के अभाव में केवल दिखावा मात्र (छलपूर्ण) रह जाएंगे।[3] किसी व्यक्ति को दण्डित करने के लिये आदेश में अपने दृष्टिकोण के लिये

---

1 1970 आर एल डब्ल्यू 287–एम एन मिश्रा वि सरकार।

2 ए आई आर 1967 सु कोर्ट 1606–भगतराजा वि भारतीय संघ।

3 1973 ए एस आर 442 हरमेन्द्र सिंह वि जनरल मैनेजर, उत्तरी रेलवे।

तथा महत्वपूर्ण आपत्तियो को नहीं मानने के कारण देते हुए, अर्थात् तर्कपूर्ण विवेचन करना चाहिये।[1] जाच अब न्यायिक कार्यवाही होती है। अतः जबकि दोषी कर्मचारी के स्पष्टीकरण (प्रतिवेदन) पर विचार नहीं किया गया और उसे सेवा से हटाने के कारणो का भी उल्लेख नही किया गया तो, उक्त आदेश वैद्य नहीं माना जा सका क्योंकि वह 'बोलता हुआ' आदेश नही था।[2] आदेश स्वीकार्य सामग्री या साक्षी पर आधारित होना चाहिये अन्यथा वह अवैध होगा।[3]

इसके विपरीत, यदि अनुशासनिक प्राधिकारी जाच अधिकारी के निष्कर्षो से सहमत हो तो वह कारण व्यक्त करने के लिये बाध्य नही है। परन्तु यदि वह जाच अधिकारी के निष्कर्षों से असहमत हो तो उसे अपने स्वयं के निष्कर्षो के लिये कारण अभिव्यक्त करने होगे।[4]

आदेश सूचना देने की तिथि से प्रभावशील होगा —

"5 अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश उस तीथि मे लागू होगा जिस तीथि को वह सम्बन्धित राज्य कर्मचारी को सूचित किया जावे न कि उस तीथि से जिस दिन वह पारित हुआ।[5] अन्य शब्दो मे, आदेश उस तीथि से क्रियान्वित होगा जिस तीथि को उसे दोषी कर्मचारी ने प्राप्त किया।[6] अत, किसी आदेश को किसी पिछली तारीख से लागू नहीं किया जा सकता।[7] जबकि बर्खास्तगी का एक आदेश सेवा निवृत्त आयु से ठीक पहले पारित कर दिया गया और रेडियो प्रसारण द्वारा घोषित कर दिया गया और राजपत्र तथा समाचार पत्रो मे प्रकाशित कर दिया गया, तो यह सूचना सही प्रकार से दी गई मानी गई क्योकि उक्त नियम निदेशात्मक है न कि आदेशात्मक।[8]

17. छोटी शास्तियां लगाने की प्रक्रिया—(1) नियम 14 के खण्ड [1] से [3] मे विनिर्दिष्ट शास्तियो में से कोई शास्ति लगाने का तब तक आदेश नही दिया जाएगा जब तक कि—

(क) सरकारी कर्मचारी को उसके विरुद्ध कार्यवाही करने के प्रस्ताव तथा ऐसे अभिकथनो की, जिन पर ऐसा किया जाना प्रस्तावित है, लिखित रूप मे सूचना न दे दी गयी हो और उसको कोई अभ्यावेदन, जो वह देना चाहे, देने का अवसर न दे दिया गया हो,

(ख) ऐसे अभ्यावेदन पर यदि कोई हो, अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया हो।

---

1 (1974) 1 SLR 19, 1973 SLJ 834
2 (1975) Lab IC 1288 (कलकत्ता) जे पी बनर्जी वि भारतीय सघ। AIR 1974 सु कोर्ट 87 भारतीय सघ वि एम एल. कपूर।
3 1976 Lab IC 1598 (पटना) शिवध्यान सिंह वि बिहार सरकार।
4 1977 S.C.C (L & S) 151 ताराचन्द खत्री वि म्यूनिसपल कार्प देहली।
5 AIR 1966 सु. को 951 जीवरत्न वि मद्रास सरकार।
6 AIR 1966 सु को 1813, 1971 SLR 666.
7 AIR 1961 कलकत्ता 626—सुधीरंजन वि प बगाल सरकार।
8 1977 Lab IC (Noc) पजाब तथा हरियाणा—पजाब सरकार वि. करतार सिंह गरेवाल, 1976 SLWR 67।

*(ग) सरकारी कर्मचारी को, यदि वह चाहे तो, अपना मामला स्पष्ट करने के लिए, अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो।

(घ) उन मामलो मे जिनमें आयोग से परामर्श करना आवश्यक हो, परामर्श कर लिया गया हो।

(2) ऐसे मामलो में कार्यवाही के अभिलेख मे निम्नलिखित सम्मिलित होंगे—

[1] सरकारी कर्मचारी को, उसके विरुद्ध कार्यवाही करने के प्रस्ताव की सूचना की प्रति,

[2] उसकी ससूचित अभिकथन विवरण की प्रति,

[3] उसका अभ्यावेदन, यदि कोई हो,

[4] आयोग की सलाह, यदि कोई हो, और

[5] मामले पर दिये गये आदेश, उनके कारण सहित।

राजस्थान सरकार के निर्देश

स्पष्टीकरण मांगने के पत्र का मसौदा बनाना और तामील करना—नियम 17.–जिस मामले मे राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील) नियम, 1958 के नियम 14 के उप खण्ड (i) से (iii) म निर्दिष्ट कोई छोटी शास्ति लागू करना उचित प्रतीत हो, जब कि मामला मुख्यत मौखिक साक्ष्य पर आधारित न हो, अनुशासनिक प्राधिकारी को केवल एक पत्र दोषी कर्मचारी के नाम जारी कर देना चाहिए जिसम प्रथावलोकन पर उसके विरुद्ध बन मामलो के आरोपो का उल्लेख करना चाहिए और उसे निर्धारित अवधि म, जैसे कि पन्द्रह दिन म, अपने आचरण को स्पष्ट करन का अवसर प्रदान करना चाहिए। इस मेमोरेन्डम मे किसी प्रस्तावित शास्ति का उल्लेख नही करना चाहिए क्योकि दण्ड का निर्णय तो इस मेमोरेन्डम (पत्र) के उत्तर मे दोषी कर्मचारी स प्राप्त स्पष्टीकरण की जाच करने के पश्चात् करना है। उक्त मीमो पर अनुशासनिक प्राधिकारी को स्वय हस्ताक्षर करना चाहिए न कि किसी अन्य प्राधिकारी को। उक्त प्राधिकारी को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि स्पष्टीकरण आमन्त्रित करन का पत्र कमचारी को (रजिस्टर्ड ए. डी डाक से या अन्यथा) अवश्य मिल जावे।

‘6 स्पष्टीकरण की जाच—

दोषी कमचारी से उसकी प्रतिरक्षा म प्राप्त स्पष्टीकरण प्राप्त होने पर, अथवा निर्दिष्ट अवधि मे जैसी कि अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा समय समय (पर बढाई गई हो) यदि कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ हो, तो उसके बिना अनुशासनिक प्राधिकारी, को, मामले के तथ्यो के आधार पर, किसी निर्णय पर पहुचने के लिए, उसकी जाच करनी चाहिए।

---

* अधिसूचना स एफ 3 (9) कार्मिक/ए-III/78, जी एम आर 167 दिनाक 27 जनवरी, 1979 द्वारा जोडा गया जो राजस्थान राज-पत्र भाग 4 (ग) I दिनाक 8 फरवरी, 1979 को पृष्ट 443 पर प्रकाशित हुआ।

"7 दोषी कर्मचारियो को दोष मुक्त करना या उनपर छोटी शास्तियां लागू करना—

(क) यदि मामले की जाच के परिणाम स्वरूप (जिसमे दोषी कर्मचारी का स्पष्टीकरण मागा गया था, अनुशासनिक प्राधिकारी को तसल्ली हो जाए कि कोई भी दोष साबित नहीं हुआ है, तो अनुशासनिक प्राधिकारी कर्मचारी को दोष मुक्त कर सकेगा। ऐसी दोषमुक्ति की सूचना कर्मचारी को लिखित मे भेजी जाएगी।

(ख) यदि अनुशासनिक प्राधिकारी इस सम्मत्ति का हो कि मामले की जाच, स्पष्टीकरण सहित, कर्मचारी के विरुद्ध दोष सिद्ध होना दर्शाती है तो वह दोषी कर्मचारी के विरुद्ध नियम 14 के खण्ड (i) से (iii) मे विनिर्दिष्ट छोटी शास्तियो मे से कोई एक लागू कर सकेगा। छोटी शास्ति लागू करने से पहले दोषी कर्मचारी को कारण बताओ नोटिस जारी करना अपेक्षित नही है और, इसलिए, टाला जाना चाहिए।

(ग) यदि दोषी कर्मचारी अपना दोष स्वीकार करले, तो निर्णय लेने मे सुविधा होगी, परन्तु यदि कोई ऐसा न करे, तो किस सीमा तक दोष साबित हुआ है, यह सारभूत अभिलेखो के सदर्भ मे जाच करना होगा।

[राजस्थान सरकार की अनुशासनिक कार्यवाहियो पर पुस्तिका, 1963 सस्करण' अनुच्छेद 5, 6 तथा 7]

परिपत्र (सरक्यूलर)

नियुक्ति विभाग

स. F. 3 (7) Apptts A-III/70 दिनाक 23-5-1970.

"प्रतीत होता है कि राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही मे अनुसरणीय कार्य प्रणाली के विषय मे कुछ गड-बडी है। एक गलत विचारधारा यह है कि नियम 17 के अधीन दिए गए नोटिस के उत्तर मे दोषी अधिकारी का स्पष्टीकरण प्राप्त हो जाने के पश्चात्, अनुशासनिक प्राधिकारी या तो स्वय सारभूत अभिलेख के सदर्भ मे दोषी कर्मचारी के अभिकथन की जाच करे या वह सम्बन्धित अधीनस्थ अधिकारी का आदेश दे कि वह रेकार्ड मे उपलब्ध तथ्यो के सदर्भ मे प्रतिवेदन की जाच करे और तात्विक रिपोर्ट भेजे।

"सही प्रक्रिया यह है कि जब सी सी ए नियमो के नियम 17 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्य-वाही प्रारम्भ करनी हो, तो कोई औपचारिक आरोप (चार्ज) बनाना जरूरी नहीं है, और दोषी कर्मचारी को लिखित मे सूचित करना है कि उसके विरुद्ध कार्यवाही की जानी प्रस्तावित है और वे आरोप बनाए जावे जिन पर कार्यवाही प्रस्तावित है। उसे प्रतिवेदन करने का अवसर, यदि वह चाहे, तो दिया जावे, और यदि कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे तो उस पर अनुशासनिक प्राधिकारी विचार करके उचित आदेश पारित करेगा। यह प्रक्रिया पालन करने मे, प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद, अनुशासनिक प्राधिकारी के पास रखे रेकर्ड के आधार पर जिस पर कि आरोप आधारित है, अपना मानस बनाएगा कि आया उक्त आरोप दोषी अधिकारी के विरुद्ध पर्याप्त रूप से साबित हैं, और यदि वे साबित होते हैं, तो किसी मौलिक साक्ष्य की अपेक्षा नही है, और आदेश पारित किया जावे। यदि निर्दिष्ट अवधि मे दोषी अधिकारी कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत नही करे, तो वह (अनुशासनिक प्राधिकारी) यह मान लेगा कि दोषी अधिकारी को कुछ नही कहना है और रेकर्ड के आधार पर मामले को, गुण-

दोषों पर निपटाने के लिए अग्रसर होगा। किन्तु अनुशासनिक प्राधिकारी को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि दोषी अधिकारी से स्पष्टीकरण मागने का मेमोरेन्डम या पत्र उसे प्राप्त हो गया है। यदि अनुशासनिक प्राधिकारी यह अनुभव करे कि मामले म आगे छानबीन करनी जरूरी है जिसम अतिरिक्त दस्तावेजी या जबानी शहादत एकत्रित करनी आवश्यक है, अथवा प्रथमावलोकन से उन आरोपो पर कठोर शास्ति उपयुक्त होगी, तो नियम 17 के अधीन प्रक्रिया नही अपनानी चाहिए, परन्तु उसे नियम 16 की कार्यवाही आरम्भ कर देनी चाहिए और ताजा चार्जशीट और आरोपो का विवरण जारी करना चाहिये। यह तो केवल नियम 16 म ही है कि जिसम या तो अनुशासनिक अधिकारी स्वय जाच करे या राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील) नियमो के नियम 16 मे निर्धारित तरीके से जाच सचालन करने के लिए किसी जाच अधिकारी की नियुक्ति करे। किन्तु यह अनुज्ञ नही है कि नियम 17 के अन्तर्गत नोटिस का उत्तर प्राप्त होने के बाद जाच किसी अन्य अधिकारी से करवाई जावे।"

टिप्पणी

लघु शास्ति लागू करने की प्रक्रिया:—किसी सिविल कर्मचारी पर छोटी शास्ति लागू करने का आदेश पारित करने से पहले कुछ औपचारिकताओं का पालन करना होता है।

प्रथम तो, राज्य कर्मचारी को उसके विरुद्ध लगाए गए आरोप प्रस्तावित शास्ति के साथ भेजने चाहियें, जिसम उसको अवसर देना चाहिए कि यदि वह इस विषय मे कोई स्पष्टीकरण या अभ्यावेदन (representation) प्रस्तुत करना चाहे तो निर्दिष्ट अवधि मे पेश करे।

द्वितीय मे, जो अभ्यावेदन दोषी कर्मचारी से प्राप्त हो उस पर विचार करना चाहिए (यदि कोई अभ्यावेदन प्राप्त हो)।

तृतीय म, जब भी इन नियमो के अधीन आवश्यक हो, तो लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाना चाहिए।

*चतुर्थ मे एक नया प्रावधान हाल ही मे और जोडा गया है जिसके अनुसार दोषी कर्मचारी को यदि वह चाहे तो, व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा दिया जाना चाहिए।

अत अंतिम आदेश अनुशासनिक प्राधिकारी तभी दे सकेगा जबकि उसने सम्बन्धित कर्मचारी के लिखित प्रतिवेदन पर विचार कर लिया हो, यदि प्रतिवेदन प्राप्त हुआ हो, और कर्मचारी को, यदि वह इच्छा प्रकट करे, तो उसे व्यक्तिगत रूप से सुन लिया गया हो।

राज्य सरकार ने मुख्यत बल दिया है कि, पहले अनुशासनिक प्राधिकारी को केवल एक पत्र दोषी कर्मचारी के नाम जारी करना चाहिए जिसमे प्रथमावलोकन से जो आरोप उसके विरुद्ध बनते हो उनका उल्लेख होना चाहिए और कर्मचारी को इस विषय म अपना स्पष्टीकरण निर्दिष्ट समय, जैसे कि पन्द्रह दिन म प्रस्तुत करने का लिखा जाना चाहिए। इस पत्र म प्रस्तावित शास्ति का उल्लेख नही करना चाहिए, क्योकि शास्ति का निर्णय तो दोषी कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण पर

* अधिसूचना स एफ 3 (9) कार्मिक/ए III/78 जी एस. आर 167 दिनाक 27 जनवरी, 1979, जो राजस्थान राज पत्र भाग 4 (ग) (I) दिनाक 8 फरवरी, 1979 को पृष्ट 443 पर प्रकाशित हुआ।

वचार करने के बाद तथा उस व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् ही किया जा सकता है। यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि दोषी कमचारी को उक्त पत्र (जिस मीमो या मेमान्डम भी कहा जाता है) रजिस्टर्ड डाक सेवा या अन्य तरीके स प्राप्त हो गया है।

अनुशासनिक प्राधिकारी को मामले पर विचार तब करना चाहिए जबकि दोषी कर्मचारी का स्पष्टीकरण या प्रतिवेदन प्राप्त हो गया हो या कर्मचारी न निर्धारित अवधि या समय समय पर बढाई गई अवधि समाप्त हो जाने के बाद भी कोई स्पष्टीकरण पश नही किया हो।

यदि दोषी कर्मचारी अपना दोष स्वीकार करले तो निर्णय लेन म आसानी होगी, परन्तु यदि वह दोष स्वीकार नही करे तो मामल की जाच कमचारी के लिखित स्पष्टीकरण और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान प्रस्तुत मौखिक प्रतिवेदन पर विचार करते हुए की जानी चाहिए। यदि अनुशासनिक प्राधिकारी को विश्वास हो जाए कि कोई दोष साबित नही होता, तो वह कर्मचारी को दोष मुक्त करेगा और इसकी लिखित सूचना उस कर्मचारी को देगा।

इसके विपरीत यदि अनुशासनिक प्राधिकारी, कर्मचारी के स्पष्टीकरणो की जाच करने के बाद इस नतीजे पर पहुचे कि दोष साबित है, तो निम्नलिखितो म से कोई भी छोटी शास्ति जो वह मामले की परिस्थितियो को देखते हुए उपयुक्त समझे लागू कर सकेगा, अर्थात्

(i) निन्दा, या

(ii) वेतन वृद्धियो मे रूकावट, या

(iii) पदोन्नति रोकना, या

(vi) कर्मचारी की लापरवाही के कारण, या किसी कानून या आदेश के उलंघन के फल स्वरूप सरकार को पहुचाई गई आर्थिक हानि उसके वेतन से पूर्णत: या आंशिक रुप मे वसूल करना।

लघु शास्तियाँ लागू करने के मामले मे दोषी कर्मचारी को प्रस्तावित शास्ति के विरूद्ध कारण बताओ नोटिस जारी करना जरूरी नही है। राज्य सरकार ने तो आगे बढ कर यह चेतावनी दी है कि अनुशासनिक प्राधिकारी को उक्त नोटिस देना टाल देना चाहिए, अर्थात् नही देना चाहिए।

यदि आरोप उपलब्ध रेकर्ड के आधार पर साबित होता हो, तो किसी मौखिक साक्ष्य की अपेक्षा नहीं है। यदि अनुज्ञ अवधि मे दोषी कर्मचारी स्पष्टीकरण प्रेषित नही करे, तो अनुशासनिक प्राधिकारी को यह मान लेना चाहिए कि उसे कुछ भी नही कहना है और रेकर्ड के आधार पर मामल के गुण-अवगुणों पर फैसला देना चाहिए।

यदि प्रथमावलोकन से मामला कठोर शास्ति आरोपित करने योग्य प्रतीत हो तो ताजा नोटिस आदि देकर नियम 16 की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए, किन्तु नियम 17 के अधीन दिए गए नोटिस के उत्तर मे कमचारी का उत्तर प्राप्त हो जाने के पश्चात्, किसी अन्य अधिकारी से जाच करवाना अनुज्ञ नही है।

प्रक्रिया में परिवर्तन —

"यद्यपि अनुशासन प्राधिकारी ने प्रारम्भ मे नियम 16 के अधीन कार्यवाही शुरू की थी परन्तु बाद मे वह छोटी शास्ति लागू करने के लिए नियम 17 के अधीन आगे कार्यवाही कर सकेगा, परन्तु, नि सन्देह, यदि वह कार्य प्रणाली का नियम 16 से 17 मे परिवर्तन करना चाहता है, तो नियम 17

की प्रक्रिया अपनाने से पहले, उसे सम्बन्धित व्यक्ति को स्पष्ट नोटिस देना चाहिए।"[1] ऐसे नोटिस का अभाव शास्ति के आदेश को अवैध बना देगा।[2] किन्तु यदि कोई जाच, नियम 16 के अधीन की जाती है और पूरी हो जाती है, तो अनुशासन प्राधिकारी को स्वतन्त्रता होगी कि वह दोषी कर्मचारी पर केवल कोई छोटी शास्ति आरोपित करदे।[3] परन्तु दिल्ली उच्च न्यायालय ने इससे विपरीत सम्मति प्रकट की और आई डी गुप्ता वि दिल्ली प्रशासन[4] म फैसला दिया कि, 'यदि आरम्भ म, नियम 14 (राजस्थान नियम 16) के अधीन ममोरेन्डम दिया गया हो और दोषी कमचारी का उत्तर प्राप्त होन के पश्चात् प्राधिकारी इस राय का हो कि कोई छोटी शास्ति ही उचित होगी तो प्राधिकारी, नियम 14 (राजस्थान नियम 16) की विस्तृत जाच प्रक्रिया पूरी किए बिना, लघु शास्ति लागू कर सकेगा।

राजस्थान उच्च न्यायालय ने इस विषय पर एक महत्वपूर्ण निर्णय फतह सिंह लोडा वि राजस्थान सरकार[5] म इस प्रकार दिया है — केवल इसी कारण स कि प्रार्थी को पहले एक नोटिस 18 मई, 1964 को नियम 17 के अधीन जारी किय था, यह नही माना जा सकता कि जो ताजा अनुशासनिक कार्यवाही नियम 16 क अधीन, 29 अक्टूबर, 1964 को नोटिस देकर प्रारम्भ की गई, उस पर किसी प्रकार की रोक लगी हुई थी।" इसी मामले म आगे यह कहा गया है कि, "जब तक कि किसी लोक सेवक क विरुद्ध कोई शास्ति लागू करने का आदेश, या उस पर लगाए गए आरोपो से उसे दोष मुक्त करने का आदेश किसी जाँच पर आधारित न हो, तब तक यह नही कहा जा सकता कि उस लोक सेवक के विरुद्ध कोई आगे कार्यवाही शुरु नही की जा सकती। यहा तक कि ऐसे मामले भी जिसम उस पर शास्ति लागू करने की पहले की कार्यवाही बाद मे निरस्त कर दी गई थी, सम्बधित कर्मचारी क विरुद्ध ताजा अनुशासनिक कायवाही शुरु करने पर तब तक कोई रुकावट नही होगी जब तक कि पहले की अनुशासनिक कार्यवाही को निरस्त करने के आदेश म इस विषय मे कोई निदेशन हो या यदि सम्बधित कर्मचारी को आरोप मे दोष मुक्त कर दिया गया था।

"इस मामले मे उन्ही तथ्यो के आधार पर और मूलत उन्ही आरोपो पर पुन नई जाच करने पर कोई रुकावट नही थी और सक्षम प्राधिकारी को कानूनी अधिकार था कि प्रार्थी को इन नियमो क नियम 16 के अन्तर्गत नया नोटिस जारी करके वह नई जाच प्रारम्भ कर सके।"

लघु शास्तिया और कठोर शक्तिया लागू करने की प्रक्रियाओ मे अन्तर·—

नियम 16 के अधीन कठोर शास्तिया लागू करने तथा नियम 17 के अधीन छोटी शास्ति लागू करने की कार्य प्रणालियो मे बहुत अन्तर है। नियम 16 के अन्तर्गत, चार्ज शीट और आरोपो का विवरण दोषी कर्मचारी को भेजना पडता है और उसके बाद नियमित जाच करनी पडती है जिसम दोनो पक्षो की दस्तावेजी तथा मौखिक शहादत ग्रहण करनी होनी है, जिसम प्रत्येक पक्षकार को

---

1 I L R (1965) 15 राजस्थान 569–डा किशनसिंह वि राजस्थान सरकार: 1965 RLW 153 AIR 1966 राजस्थान 55

2 (1971) I SLR 40

3 AIR 1969 कलकत्ता 604–एम एम दत्ता वि भारतीय सघ। 1974 (2) SLR 602 (दिल्ली) क के मित्तल वि भारतीय सघ।

4 1973 (2) SLR।

5 1977 WLN 421।

विरोधी पक्ष के गवाहो से जिरह करने का हक होता है और तत्पश्चात बहस शुमार की जाती है। परन्तु छोटी (लघु) शास्तियो के लिए, प्रक्रिया सरल बनाई गई है और नियम 17 के अनुसार किसी मौखिक साक्ष्य की जरुरत नही होती।

जब किसी कर्मचारी पर केवल निन्दा (परिनिन्दा) या वेतन वृद्धिया रोकने की शास्ति अधिरोपित की जाती है तो लोक सेवा आयोग से परामर्श लेना आवश्यक नही होता।

सी ए डी' सोजा वि. मध्य प्रदेश सरकार[1] मे लोक सेवा आयोग ने सिफारिश की कि परिनिन्दा पर्याप्त सजा होगी। अतः न्यायालय ने तय किया कि इन परिस्थितियो मे अनुशासनिक प्राधिकारी के लिए यह आवश्यक नही था कि कथित सलाह पर दोषी कर्मचारी को नोटिस जारी करके टिप्पणी प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करता।

'परिनिन्दा' की शास्ति किसी कर्मचारी की सेवा पुस्तिका (सर्विस बुक) मे केवल 'रिमार्क' अंकित करन मात्र से भिन्न है। अमूल्य रतन नायक वि पश्चिम बगाल सरकार[2] के विशेष लाक्षणिक मामले मे, प्रार्थी ने उसकी सेवा पुस्तिका मे अंकित निम्नलिखित टिप्पणी को हटवाने के लिए परमादेश की याचिका (Writ of mandamus) प्रस्तुत की,—"सदेहास्पद सत्यशीलता का ओवरसीयर" (An overseer of doubtful integrity)" अदालत ने तय किया कि उक्त 'रिमार्क' केवल एक सम्मति थी और वह कोई 'परिनिन्दा' नही थी।

वेतन वृद्धि रोकने और वेतन रोकने मे अन्तर—वेतन वृद्धिया रोकना नियम 14 के खण्ड (ii) मे प्रावधानित एक छोटी शास्ति है, जबकि वेतन रोकना अनुज्ञ नही है और हमारे सविधान के सिद्धान्तो की अवहेलना है। उससे सविधान के अनुच्छेद 23 का उल्लघन होगा। सूरज नारायण वि मध्य प्रदेश सरकार[3] मे पाठशालाओ के निरीक्षक ने एक अध्यापक को, असन्तोषजनक कार्य होने के आधार पर, वेतन वितरण करने से मना कर दिया। इसमे यह फैसला दिया गया कि किसी आदमी को काम करने के लिए कहना और बाद मे उसका वेतन रोक लेना न केवल नियमो के विरुद्ध है बल्कि सविधान की भावना के भी प्रतिकूल है। जब कि राज्य कर्मचारी ने अपने वेतन म कटौती स्वीकार नही की जिसके कारण उसका वेतन 18 महीनो तक रोक लिया गया और अन्ततः, उसे सेवा स हटाने (discharge) का विकल्प दिया गया, तो निर्णय हुआ कि यदि देय वेतन कर्मचारी को नही दिया जावे तो वह निश्चिय ही ब्याज के रूप मे या समुचित मुआवजा पाने का हकदार है जो प्रत्यक्षत उसको देय पूरे वेतन को रोकने से उत्पन्न हुआ।[4]

अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अवसर—

जब किसी राज्य कर्मचारी पर केवल छोटी शास्ति लागू करनी हो, तो भी प्रस्तावित कार्यवाही के विरुद्ध अपना अभ्यावेदन (representation) पेश करने के लिए समुचित अवसर पाने का कर्मचारी हकदार होगा। अनुशासनिक प्राधिकारी का यह बाध्यकारी कर्त्तव्य है कि अंतिम आदेश पारित करने से पहले उसके अभ्यावेदन पर पूरा विचार करे। मामले पर अभ्यावेदन करने के लिए अवसर देने का तात्पर्य यह नही है कि कर्मचारी को गवाहो के बयानो की प्रतिया और दस्तावेजो की

1 AIR 1961 मध्य प्रदेश 261
2. AIR 1961 कलकत्ता 64
3 AIR 1960 मध्य प्रदेश 294।
4 AIR 1955 कलकत्ता 45–जैमिनी कान्ता दास वि भारतीय सघ।

प्रतियां दी जावें और गवाहों से जिरह करने का मौका दिया जावे। ऐसा करना नियम 17 की सीमा तथा परिधि में नहीं है।[1]

व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर—

पहले दोषी कर्मचारी केवल लिखित अभ्यावेदन दे सकता था और उसे व्यक्तिगत सुनवाई का कोई अधिकार नहीं था। परन्तु अब स्थिति बदल गई है। अब नियम 17 में खण्ड (ग) [2]अधिसूचना स एफ 3 (9) कार्मिक/II/78 जी एस. आर 167 दिनाक 27 जनवरी 1979 द्वारा नया स्थापित किया गया है, जिसके अनुसार यदि सरकारी कर्मचारी चाहे तो उसे अपना मामला स्पष्ट करने के लिए, अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर कानूनन उपलब्ध है। अतः अब तो राज्य कर्मचारी स्वय पर निर्भर है कि वह व्यक्तिगत सुनवाई की माग करे, जो अब उक्त नए प्रावधानानुसार अस्वीकृत नहीं की जा सकती।

उपर्युक्त नये प्रावधान के पहले भी, डाक्टर किशनसिंह वि राजस्थान सरकार[3] मे मामले की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय ने व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देना आवश्यक समझा था। अभिव्यक्ति 'समुचित" या 'पर्याप्त' (adequate) अवसर से अभिप्राय सुनवाई का अवसर दिये जाने अथवा आरोपो के विरुद्ध कारण बताने से है।[4]

राज्य कर्मचारियो को मत्रणा—

राज्य कर्मचारी को जब नियम 17 के अधीन नोटिस तथा आरोपो का अभिकथन (statement of allegations) मिले, तो उसे पहले सम्बन्धित रेकार्ड और सामग्री, यदि कोई हो, का निरीक्षण करके अपनी याददास्त ताजा कर लेनी चाहिए। उसे ऐसा हक अधिकार स्वरुप उपलब्ध है। इसके लिए उसे लिखित मे आवेदन करना चाहिए। कर्मचारी को उन सभी अभिलेखो के उद्धरण ले लेने चाहिये जिन पर आरोप आधारित हैं और उनसे भी जिन पर उसको प्रतिरक्षा मे आश्रय लेना है। उसके बाद उसे अपना अभ्यावेदन सावधानी से तथा प्रभावी तरीके मे बनाना चाहिए जिससे उसका बचाव हो सके या उसका दोष कम से कम हल्का तो हो ही जावे। अभ्यावेदन का मसौदा बनाने के लिए कर्मचारी अपने से अधिक विद्वान या प्रतिभाशाली मित्र से सहायता ले सकता है। ज्ञातव्य रहे कि अभ्यावेदन विश्वास पैदा करने वाला तथा अपने आप मे सम्पूर्ण होना चाहिए, क्योकि यही उसकी ढाल तथा प्रतिरक्षा का कथन होगा। अपने मामले की पुष्टि मे कर्मचारी अपने गवाहो के सत्यापित किये गये शपथ-पत्र (हलफनामे) या दस्तावेजो की नकलें पेश कर सकेगा। यदि आवश्यक हो, तो वह आवेदन करके अभ्यावेदन पेश करने की अवधि बढवा लेवे ताकि जल्दीबाजी के कु-परिणामो से बचकर सतुलित मानसिक स्थिति मे सरलता पूर्वक अभ्यावेदन तैयार कर सके।

सब से जरूरी यह है कि कर्मचारी व्यक्तिगत सुनवाई के लिए अनुशासनिक प्राधिकारी को आवेदन अवश्य करे। नियम 17 के नए खण्ड (ग) के प्रावधानानुसार अब उसे व्यक्तिगत सुनवाई

---

1. 1977 Lab IC No C 28 (जम्मू तथा कश्मीर) यह फैसला AIR 1973 सुप्रीम कोर्ट 1124 पर आधारित किया गया।
2. राजस्थान राज-पत्र भाग 4 (ग) (I) दिनाक 8 फरवरी, 1979 मे पृष्ट 443 पर प्रकाशित।
3. AIR 1966 राजस्थान 55 . 1965 RLW 153।
4. 1970 (2) ILR (पजाब) 580 मलविन्दरजित सिंह वि पजाब सरकार और यह भी 1970 Lab. IC 170 (सुप्रीम कोर्ट) बी डी गुप्ता वि हरयाना राज्य।

का कानूनी अधिकार मिल गया है और इसलिए अनुशासनिक प्राधिकारी इस प्रार्थना को अस्वीकार नहीं कर सकता। व्यक्तिगत सुनवाई के समय कर्मचारी को घबराना नही चाहिए और उसे अपना पक्ष स्वतन्त्रता से, स्पष्टता से और हिम्मत से प्रस्तुत करना चाहिए ताकि प्राधिकारी को तसल्ली या विश्वास हो जावे। अपनी दलीलो की पुष्टि मे उसे आवश्यक दस्तावेजो को पढकर सुनाना चाहिए और कोई सामग्री हो तो दिखानी चाहिए ताकि उसके तर्क न्याय सगत और सही समझे जावें। अपना मामला जीतने के लिए कर्मचारी महत्वपूर्ण निर्णय या नजीरें भी दृष्टान्त रूप से दे सकेगा।

2 **शास्ति का आदेश कारण युक्त होना चाहिए**—किसी सरकारी कर्मचारी पर शास्ति अधिरोपित करने का आदेश 'बोलता हुआ' होना चाहिए, अथवा उसमे निष्कर्ष के औचित्य पर कारण व्यक्त करने चाहिए। दूसरे शब्दो मे, उसमे अनुशासनिक प्राधिकारी का दिमाग यह बताते हुए प्रतिलिम्बित होना चाहिए कि जिससे उसने सम्बन्धित कर्मचारी को सजा देने का विचार किया।[1] एक अन्य मामले मे, वेतन वृद्धिया रोकने के आदेश मे, सिविल कर्मचारी के विरूद्ध लगाए गए आरोपो पर लिए गए निष्कर्ष अभिलिखित नही किए गए। अत न्यायालय ने निर्णय दिया कि शास्ति के आदेश मे कारणों का अभाव होने से नियम 23 के अधीन प्रदत्त अपील का अधिकार केवल दिखावा मात्र हो जाएगा, अत. उक्त आदेश अवैध तथा शून्य था।[2] इसी प्रकार वेदपाल किशन धीर वि राजस्थान सरकार[3] म पाया गया कि दोषी कर्मचारी की वेतन वृद्धिया रोकने के आदेश मे कोई कारण नही दिए गए थे जिनके आधार पर उसके विरूद्ध दुराचरण का मामला स्थापित किया गया। अत. यह आदेश अवैध घोषित किया गया।

दोषी कर्मचारी के अभ्यावेदन पर विचार जरूरी—अनुशासनिक प्राधिकारी का यह आवश्यक कर्त्तव्य है कि दोषी कर्मचारी द्वारा दिए गए अभ्यावेदन पर समुचित विचार करे। यह केवल औपचारिकता मात्र नही है। आदेश मे केवल एक सक्षिप्त वाक्य लिख देना कि "अभ्यावेदन पर" सावधानी से विचार कर लिया गया और वह सतोषप्रद नही पाया गया", कानून की अपेक्षताओ की पूर्ति नही करता। "जब कि नियम 8 (राजस्थान नियम 17) के अन्तर्गत वेतन वृद्धि रोकने की लघु शास्ति का आदेश यह नही दर्शाता कि दोषी अधिकारी के अभ्यावेदन पर विचार कर लिया गया है, तो ऐसा आदेश अवैध है क्योकि वह 'बोलता हुआ' (कारण युक्त) आदेश नही है। आदेश मे अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा उक्त विचार किया जाना प्रतिबिम्बित होना चाहिए। विखण्डनीय आदेश मे शब्द 'विचार किया (Considered) का विराम लगाना मात्र, नियम 8 (राजस्थान नियम 17) की अपेक्षताओ के लिए पर्याप्त नही है और न ही यह प्राकृतिक न्याय की अपेक्षताओ की पूर्ति ही करता है। आदेश की भाषा मे किसी प्रकार से ऐसा विचार किया जाना प्रदर्शित होना चाहिए।

"शास्ति का जो आदेश नियम 8 (राजस्थान नियम 17) के अधीन दिया गया है वह बिना नियमित विभागीय जाच के जारी किया गया है और वह सर्व प्रथम आदेश है जिसमे किसी रूप मे ऐसी सामग्री होनी चाहिए जो यह दर्शा वे कि अभ्यावेदन पर विचार किया गया है।[4]

1 (1977) SLR 809: 1978 Lab. IC Noc 85 (पजाब तथा हरियाणा) पजाब सरकार वि रामकिशन चोपडा। AIR 1972 सुप्रीम कोर्ट 2083 का आश्रय लिया गया।
2. 1978 Lab, IC (41) कलकत्ता-टी आर पाण्डे वि चीफ सी ए एन.
3. 1977 WLN UC 397
4. 1978 Lab IC Noc 85.

18 सयुक्त जांच—(1) जहा किसी मामले से दो या अधिक सरकारी कर्मचारी सबंधित हो, सरकार या कोई अन्य प्राधिकारी जो ऐसे समस्त सरकारी कर्मचारियों को सेवा से पदच्युत करने की शास्ति लगाने के लिए सक्षम हो, वह आदेश दे सकेगा कि उन सबके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही एक साथ की जाय।

(1) ऐसे किसी आदेश मे निम्नलिखित विनिर्दिष्ट किए जायेंगे —

[1] वह प्राधिकारी, जो उक्त एक साथ की जाने वाली कार्यवाही के लिए अनुशासनिक प्राधिकारी होगा,

[2] नियम 14 मे विनिर्दिष्ट वे शास्तिया जिन्हे लगाने के लिए उक्त अनुशासनिक प्राधिकारी समक्ष होगा, और

[3] क्या कार्यवाही मे नियम 16 में अथवा 17 मे विहित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाय।

राजस्थान सरकार का निर्देश

सयुक्त जाच —जहा दो या अधिक राज्य कर्मचारी (राजपत्रित या अराजपत्रित, जो एक ही सेवा के हो या भिन्न भिन्न सेवाओ के) किसी मामले से सम्बन्धित हो, तो सरकार या कोई अन्य प्राधिकारी जो उन सभी राज्य कर्मचारियो पर बर्खास्तगी की शास्ति लागू करने के लिए समक्ष हो, यह आदेश दे सकेगा कि उन सब के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही एक ही सम्मिलित कार्यवाही के अन्तर्गत की जावे। ऐसे मामला म वरिष्टतम दोषी कमचारी को बर्खास्त करने वाला प्राधिकारी सभी दोषी कमचारियो को चार्ज शीट जारी करेगा।

[राजस्थान सरकार की अनुशासनिक कायवाहिया पर पुस्तिका (1963 सस्करण, अनुच्छेद10]

टिप्पणी

नियम 18–सयुक्त जाच –जब दो या दो से अधिक राज्य कमचारी एक ही घटना चक्र म लिप्त हो, तो उन सब की जाच एक ही सम्मिलित कायवाही मे की जा सकेगी। सयुक्त जाच के लिए स्वीकृति अपेक्षित है जो या तो राज्य सरकार की होगी या उस प्राधिकारी की होनी चाहिए जो जाचग्रस्त सभी राज्य कमचारियो को सेवा से बर्खास्त करन की क्षमता रखता हो। उन सब के विरुद्ध सयुक्त जाच की कार्यवाही करने के आदश मे निम्नलिखित बात निर्दिष्ट की जाएगी —

(1) प्राधिकारी का नाम और पद जो अनुशासनिक प्राधिकारी के कर्त्तव्य पालन करेगा,

(2) शास्तिया जो उक्त अनुशासनिक प्राधिकारी लागू कर सकेगा।

(3) आया जाच करने की कार्य प्रणाली नियम 16 म (कठोर शास्तियो के लिए) निधारित प्रावधानों के अनुसार होगी, अथवा नियम 17 मे लघु शास्तियो के लिए) निर्धारित प्रावधानानुसार।

राजपत्रित और अराजपत्रित दोनो प्रकार के सरकारी अधिकारियो या कर्मचारियो के लिए एक ही जाच हो सकेगी, परन्तु उस सयुक्त जाच मे नियुक्त अनुशासनिक प्राधिकारी ऐसा अधिकारी होगा जो कि प्रत्येक सम्बन्धित दोषियो स सम्बन्धित अनुशासनिक प्राधिकारियो मे से वरिष्टतम हा जो कि प्रत्येक को सेवा स बरखास्त करने की सजा देने क लिए सशक्त हो। अत सभी को बर्खास्त करन की क्षमता प्राप्त प्राधिकारी ही सभी दोषियो को चार्ज शीट (आरोप-पत्र) जारी करेगा।

जबकि सरकार स्वय नियुक्ति प्राधिकारी हो और सयुक्त जाच का निदेशन दे, और अनुशासनिक प्राधिकारी के नियुक्ति आदेश मे शास्तिया निर्दिष्ट न करे, तो कोई विशेष त्रुटि नही होगी। सरकार किसी व्यक्ति को सयुक्त जाच करने के लिए नियुक्त कर सकती है।[1]

संयुक्त जांच के विरुद्ध में आपत्तिः—चार्ज शीट पाने वाला कोई भी एक या अधिक दोषी कर्मचारी, दूसरे कर्मचारियो के साथ साथ सयुक्त जाच किए जाने के विरोध मे अपनी आपत्ति जाच अधिकारी के सम्मुख प्रेषित कर सकेगा। परन्तु जब तक यह नही बता दिया जावे कि संयुक्त जाच से आपत्तिकर्त्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा, तब तक ऐसी जाच दोषपूर्ण नही मानी जा सकती।[2] जब सयुक्त जाच से कोई प्रतिकूल प्रभाव नही पडता हो तो जाच अवैध नही होगी।[3] विभागीय जाचो मे सयुक्त फौजदारी मुकदमो से सम्बन्धित भारतीय दण्ड प्रक्रिया सग्रह (जाब्ता फौजदारी) के प्रावधान लागू नही होंगे।[4]

19. कतिपय मामलों में विशेष प्रक्रिया—नियम 16, 17 तथा 18 मे किसी बात के होते हुए भी—

[1] जहा, सरकारी कर्मचारी पर कोई शास्ति, ऐसे आचरण के आधार पर लगाई जाएजिसके कारण वह किसी फौजदारी आरोप पर सिद्ध दोष हुआ हो, या

[2] जहा अनुशासनिक प्राधिकारी का, ऐसे कारणो से, जो लेखबद्ध किए जायेंगे, समाधान हो जाय कि उक्त नियमो मे विहित प्रक्रिया का अनुसरण करना युक्तियुक्त रूप से साध्य नही है, या

[3] जहा राज्यपाल का समाधान हो जाए कि राज्य की सुरक्षा के हित में ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करना समीचीन नही है, तो अनुशासनिक प्राधिकारी मामले की परिस्थितियो पर विचार कर सकेगा तथा ऐसे आदेश, जो वह उपयुक्त समझे, दे सकेगा :

परन्तु ऐसे किसी मामले मे, जिसमे आयोग से परामर्श करना आवश्यक हो, ऐसे आदेश देने से पहले आयोग से परामर्श किया जाऐगा।

टिप्पणी—यदि कोई प्रश्न उत्पन्न हो कि किसी व्यक्ति को सविधान के अनुच्छेद 311 के खण्ड (2) के अधीन कारण बताने का अवसर देना युक्तियुक्त रूप से साध्य है अथवा नही तो ऐसे व्यक्ति को पदच्युत करने, या हटाने या उसे पंक्ति में अवनत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के विनिश्चय की केवल एक ही अपील (उसमे) अगले उच्च प्राधिकारी को हो सकेगी।

---

1 1978 Lab. I C 41 (कलकत्ता) टी आर पाण्डे वि. चीफ कमीश्नर ए एन ; AIR 1971 सुप्रीम कोर्ट 862 का आश्रय लिया गया।

2. 1975 (1) SLR 315 आर नरसिंहा रेड्डी वि आन्ध्रप्रदेश सरकार।

3. AIR 1956 आन्ध्रप्रदेश 197–एस वी. जोगाराव वि. आन्ध्रप्रदेश सरकार।

4. AIR 1955 आन्ध्रप्रदेश 168–ठाकुरजी वि. आन्ध्रप्रदेश सरकार।

राजस्थान सरकार का निर्देशन

निम्नलिखित मामलों मे राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील) नियमो के नियम 16 17 एव 18 मे निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण नही करना है.—

(i) जहा राज्य कर्मचारी पर कोई शास्ति, एसे आचरण के आधार पर लागू की जावे जिसके कारण वह किसी फौजदारी चार्ज पर सिद्ध दोष (conviction) हुआ हो, या

(ii) जहा अनुशासनिक प्राधिकारी को ऐसे कारणो से, जो लिखित मे अभिलिखित किए जाए गे, तसल्ली हो जाए कि कथित नियमो म निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना उचित रूप से व्यवहार्य नहीं है, उदाहरणार्थ, जबकि मुलजिम फरार हो, या किसी अन्य कारण से उसे सम्पर्क स्थापित करना साध्य नही हो, या

(iii) जहा कि राज्यपाल को तसल्ली हो जाए कि राज्य की सुरक्षा के हित मे ऐसी प्रक्रिया अपनाना इष्टकर नहीं है,

(iv) विध्वसक गतिविधियो मे लगे होने के कारण राज्य कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही के लिए अनुसरणीय प्रक्रिया के सम्बन्ध मे राजस्थान सिविल सेवा (राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा) नियम, 1954 (Rajasthan Civil Service (Safe-guarding of National Security) Rules, 1954) देखिए।

[राजस्थान सरकार की अनुशासनिक कार्यवाही पर पुस्तिका (1963), अनुच्छेद 18]

टिप्पणी

नियम 19, सविधान के अनुच्छेद 311 (3) के उपखण्ड (क), (ख) और (ग) मे निर्धारित सिद्धान्त पर बनाया हुआ है। अनुच्छेद 311 (2) म लिखा है कि सिविल सेवा के किसी सदस्य को तब तक पदच्युत नही किया जाएगा अथवा पद से नही हटाया जाएगा अथवा पक्तिच्युत नही किया जाएगा जब तक ऐसी जाच, जिसमे उसे अपने खिलाफ दोषारोपो से अवगत करा दिया गया है और उन दोषारोपो के सम्बन्ध म सुनवाई का युक्ति युक्त अवसर दिया गया है नही करली जाती।" परतु इस सिद्धान्त क तीन परन्तुक हैं जिन दिशाओ मे उपर्युक्त प्रावधान (सिद्धान्त) लागू नही होगा, जो निम्नलिखित है:—

"(क) जहा कि कोई व्यक्ति ऐसे आचार के आधार पर पदच्युत किया गया या हटाया गया या पक्तिच्युत किया गया है जिसके लिए दण्ड दोषारोप पर वह सिद्धदोष हुआ है या

(ख) जहा कि किसी व्यक्ति को पदच्युत करन या पद से हटाने या पक्तिच्युत करने की शक्ति रखने वाले किसी प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि किसी कारण से, जो उस प्राधिकारी द्वारा लखबद्ध किया जायेगा, यह युक्तियुक्त रूप से व्यवहार्य नही है कि ऐसी जाच की जाये, या

(ग) जहा कि यथास्थिति राष्ट्रपति या राज्यपाल का समाधान हो जाता है कि राज्य की सुरक्षा के हित मे यह इष्टकर नही है कि ऐसी जाच की जाये।"

अत नियम 19 प्रावधान करता है कि उपर्युक्त बताई गयी तीन प्रकार की परिस्थितियो मे नियम 16, 17 तथा 18 की प्रक्रिया लागू नही होगी। इन नियमो का नियम 19 एक अपवाद है।

खण्ड (1)–ग्राचरण जिसके आधार पर फौजदारी आरोप सिद्ध दोष हुआ.—जब किसी राज्य कर्मचारी को किसी फौजदारी मुकदमे ये दोषी करार दिया गया हो तो उसके विरुद्ध कोई औपचारिक जाच करने की आवश्यकता नही है। यह आवश्यक नही है कि कर्मचारी का अपराध नैतिक पतन का हो। इस खण्ड मे शब्द 'आरोप (चार्ज)' से तात्पर्य दोषी पाये जाने से है, जो भारतीय दण्ड प्रक्रिया के मात्र शब्द 'चार्ज' के तकनीकी तात्पर्य से भिन्न है। न्यायालय के पीठाध्यक्ष के विरुद्ध अपमानजनक कथन करने से न्यायालय अपमान सिद्ध दोष होने पर राज्य कर्मचारी को नियम 19 के खण्ड (1) के अधीन दण्डित करने के लिए पर्याप्त कारण है यद्यपि उक्त अपमान भारतीय दण्ड सहिता के अधीन अपराध न भी हो।[1] एक पुलिस कान्सटेबल को सार्वजनिक स्थान पर नशे की हालत मे पाये जाने का अपराधी होने मे उसे पुलिस अधिनियम, 1861 की धारा 34 के अधीन सिद्ध दोष पाया गया। इस कारण से उसे सेवा से विना किसी जाच किए बर्खास्त कर दिया गया। उसने दलील पेश की कि कथित अपराध नैतिक पतन की श्रेणी मे नही आता। न्यायालय ने निर्णय दिया कि सविधान के अनु. 311 (2) के परन्तुक (क) मे यह बाहरी शब्द नही मिलाये जा सकते थे और आगे यह भी कि पुलिस अधिनियय की धारा 34 का अपराध नैतिक पतन बनता है।[2]

इसी प्रकार, दिनकर राव वि मध्य प्रदेश सरकार[3] मे जबकि अपीलकर्त्ता के विरुद्ध फौजदारी अपराध सिद्ध हुआ, तो उसको सुनवायी का अवसर दिये विना उसके विरूद्ध सेवा से बर्खास्तगी का आदेश पारित किया गया। अदालत ने इसे सविधान के अनुच्छेद 311 (2) के परन्तुक (क) का उल्लघन नही माना। दोष सिद्ध होने पर सरकारी कर्मचारी की सुनवाई करना तो आवश्यक नही है परन्तु उसे बर्खास्तगी का नोटिस देना जरूरी है, अन्यथा विना जांच या बिना नोटिस के शास्ति का आदेश जारी करना अवैध होगा, जैसा कि टीका राम विन्दर वि. रजिस्ट्रार मे निर्णित हुआ।[4]

अनुच्छेद 311 (2) के परन्तुक (क) द्वारा अपवाद का प्रावधान करने के पीछे कारण स्पष्ट है। सिद्ध दोष होने की अवस्था से पहले, फौजदारी न्यायालय मे न्यायिक जाच के दौरान, सिविल कर्मचारी को सुनवाई का तथा अपने आप की प्रतिरक्षा करने का पर्याप्त अवसर मिल चुका होता है। इससे पारस्परिक विरोधी नतीजो की सभावना भी टलती है। यह परन्तुक, अनुशासनिक प्राधिकारी को पहले, आरोपो के सम्बन्ध मे और तत्पश्चात्, प्रस्तावित शास्तियो के लिए, नोटिस जारी करने की आवश्यकता से भी मुक्त करता है।[5]

परन्तु जब कि एक राज्य कर्मचारी को भारतीय दण्ड सहिता की धारा 149 के अधीन विधि विरुद्ध जमाव (unlawful assembly) के रचनात्मक दायित्व (constructive liability) के लिए सिद्ध दोष किया गया और उस आधार पर उसे सेवा से हटा दिया गया, तो फैसला हुआ कि हटाये जाने का उक्त आदेश अवैध था, क्योंकि सजा कर्मचारी द्वारा वास्तविक भाग लेने पर ही आधारित होनी चाहिये।[6]

1. AIR 1946 मद्रास 375 वैंकटरामा Vs प्रोविन्स ऑफ मद्रास।
2. AIR 1957 पजाब 97–दुर्गासिह वि. पजाब सरकार।
3. 1977 Lab I C 34 : AIR 1977 मध्य प्रदेश 13 (पूर्ण पीठ)
4. 1978 Lab. 16 NOC–13 (म. प्र.)–1975–Lab I C 1598 (मु को.) का आश्रय लिया गया।
5. 1974 WLN 176; 1975 (1) SLR 792, कुलदीप सिंह वि. भारतीय सघ।
6. 1967 Lab. IC 868 (हिमाचल प्रदेश) हरदयाल सिंह वि. हिमाचल प्रदेश सरकार।

एक अन्य मामले महोम्मद तैय्यूम वि भारतीय सघ[1] मे रिश्वत लेने के आरोप पर जाच करने की प्रक्रिया नही अपनाई गई और अभिलिखित कारण को "अगाढ़, गलतफहमी तथा बिना सुसगतता के और बिना कानूनी औचित्य" (Superficial, misconceived and irrelevant without any legal justification) के करार दिया गया। अत न्यायालय न निर्णय दिया कि ऐसे मामले मे जाच परित्याग नही की जा सकती।

यदि बाद मे सिद्ध दोष (conviction) अपील मे या अन्यथा निरस्त कर दिया जावे, तो बर्खास्तगी के आदेश का प्रभाव समाप्त हो जायेगा और कर्मचारी को, जब तक कि वह सविधान के अनुच्छेद 311 (2) की पालना करते हुए सही तरीके से बर्खास्त नही किया जावे तब तक उसे तुरन्त पुनःस्थापित करना चाहिये और बर्खास्तगी की तिथि से बकाया वेतन उठाने की अनुमति दी जानी चाहिये।[2]

सविधान के अनुच्छेद 311 (2), जो राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रण और अपील) नियम 1958 के नियम 19 का आधार है, पर राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति वी पी बेरी और न्यायमूर्ति बी पी गुप्ता की खण्ड पीठ ने एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। यह फैसला कुलदीप सिह तथा अन्य वि भारतीय सघ[3] म घोषित किया गया है, जिसका पैरा 14 इस प्रकार है —

(1) यह भी दलील दी गयी कि दोष सिद्ध हो जाने के परिणाम स्वरूप रेलवे कर्मचारी को सेवा स हटाने या बर्खास्तगी से उसकी अयोग्यता (disqualification) बन गई। हम इससे सहमत होने मे असमर्थ है। उसका आचरण जिसके आधार पर फौजदारी आरोप सिद्ध हुआ, विनाय दावा पैदा करता है, ना कि सिद्ध दोष होना। सिद्ध दोष होने मात्र स कमचारी आवश्यक रूप से हटाया या बर्खास्त नही किया जायेगा ना ही किया जाना चाहिये।"

(2) स्थिति जबकि राज्य कर्मचारी को प्रोबेशन अधिनियम का लाभ दिया जावे —प्रोबेशन अधिनियम की धारा 12 निम्न-लिखित है —

"धारा 12 सिद्ध दोष से सलग्न अयोग्यता का हटना,—

किसी अन्य कानून मे कुछ भी समाविष्ठ होने के बावजूद जब किसी व्यक्ति को दोषी पाया जावे और उसके साथ धारा 3 या 4 का सलूक किया जावे तो वह किसी अनर्हता। (disqualification), यदि कोई हो, का भागी नही होगा जो कि उक्त कानून के अधीन किसी अपराध मे सिद्ध दोष होने पर लागू होती है।

परन्तु शर्त यह है कि इस धारा की कोई बात ऐसे व्यक्ति पर लागू नही होगी जिसे धारा 4 के अधीन छोड दिये जाने के पश्चात् मूल अपराध के लिये बाद मे सजा दी जावे।"

यह धारा प्रावधान करती है कि यदि किसी कानून के अन्तर्गत सिद्ध दोष होने का तात्पर्य अनर्हता (disqualification) है, तो वह व्यक्ति जिसके साथ प्रोबेशन अधिनियम की धारा 3 या 4

1 1977 Lab IC 1590।

2 AIR 1961 मद्रास 486, भारतीय सघ वि अक्बर, AIR 1959 पंजाब 401 दिलबाग वि सभागीय अधीक्षक, AIR 1960 इलाहबाद 538 दास वि सभागीय अधीक्षक।

3. 1974 WLN 176

के अधीन व्यवहार किया गया हो ऐसी अनर्हता का भागी नही होगा। इस सम्बन्ध मे न्यायालय ने निर्णय दिया कि, "सिद्ध दोष आवश्यक रूप से उसे सेवा मे रखे रहने के लिये अनर्हित नही करता और इसके विपरीत, कर्मचारी को प्रोवेशन अधिनियम का लाभ दिये जाने स अनुशासनिक कार्यवाहियो से उसे उन्मुक्ति (Immuni y) नही मिलेगी। जो बचाव धारा 12 प्रावधानित करती हैं, वह केवल अनर्हता (अयोग्यता) के विरूद्ध है यदि अनर्हता सिद्ध दोष से सलग्न किसी कानून के अधीन लागू की गई हो, और वह दुराचरण के मामले से भिन्न है जिसम कि नियोजन के सम्बन्ध मे भिन्न परिणाम निकल सकते हैं। " " ....प्रोवेशन अधिनियम की धारा 12 राज्य कर्मचारी को विभागीय कार्यवाहियो से उन्मुक्त नही करती।"

(3) जिस अपराध का अन्त सिद्ध दोष मे हुआ उसकी प्रकृति से कोई शर्त सलग्न नही है। अतः अनुच्छेद 311 (2) मे सभी प्रकार के सिद्ध दोष समाविष्ट हैं।

अनुशासनिक प्राधिकारी न्यायिक तथा इमानदार होना चाहिये.—जब एक सिविल कर्मचारी को फौजदारी अदालत ने बरी कर दिया तो उसे कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। प्राधिकारियों ने पहले से ही उस व्यक्ति को सजा देन का मानस बना लिया था और उसकी गैरहाजरी मे क्षति की मात्रा तथा आरोपित भूलचूक का अनुमान लगा रहे थे। नियमो के अधीन या प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार उसे कोई अवसर प्रदान नही किया गया। अतः न्यायालय न निर्णय दिया कि विभागीय अधिकारियो का पक्षप न रेकर्ड पर प्रत्यक्षनः स्पष्ट था। इसलिये उक्त आदेश खारिज किया गया।[1] प्राधिकारी को मामले की सभी परस्थितियो पर विचार करना चाहिए और विचार की कार्यवाही म. सजा की मात्रा के विषय मे दोषी कर्मचारी को सुनवाई का अवसर प्रदान करके उसे साथ लेकर चलना चाहिए।[2]

खण्ड (ii)–विहित प्रक्रिया का अनुसरण करना युक्तियुक्त रूप से साध्य नहीं है—जब अनुशासनिक प्राधिकारी को प्रतीत हो कि निधारित प्रक्रिया उचित रूप से पालन करना अव्यवहार्य है और दोषी कर्मचारी को कारण बताओ नोटिस देना असाध्य है, तो इस तथ्य को वह लिखित मे रेकर्ड पर रखेगा और उसके पश्चात् वह रेकर्ड से साबित तथ्यो के आधार पर शास्ति का आदेश पारित करने के लिये अग्रसर हो सकेगा। यह असाधारण प्रक्रिया वहुत ही अपवाद स्वरूप मामलो मे ही काम से ली जानी चाहिये। किसी कर्मचारी को सेवा से बर्खास्त करने या हटान का आदेश देने से पूर्व यह शास्तियाँ लागू करने के लिये सक्षम प्राधिकारी को, अर्थात् नियुक्त प्राधिकारी या किसी अन्य उचित प्राधिकारी को स्वय तसल्ली हो जानी चाहिये कि सामान्य निर्धारित प्रक्रिया अपनाना व्यवहारिक रूप से असाध्य है।[3] जबकि प्राधिकारी ने केवल उच्चत्तर प्राधिकारी के आदेश का पालन किया और स्वय ने स्थिति की जाच नही करते हुए सीधा कर्मचारी को बर्खास्त कर दिया तो इस आदेश की वैधता केवल इस आधार पर स्थिर नही रह सकी कि उसने नियम 19 के

1 1974 SLWR 407 दिल्ली: (1973) 2 SLR 331 1973 SLJ 918
2. AIR 1975 सुप्रीम कोर्ट 2216–डिविजनल परसोनल आफिसर–वि. टी आर चेल्लापा–इससे विपरीत राय के लिए देखिए–AIR 1971 सुप्रीम कोर्ट 2004–धी सी दास वि आसाम सरकार।
3. (1975) SLR 800–भारतीय संघ वि एन के चन्द।

खण्ड (ii) के अधीन अपनी शक्ति का प्रयोग किया था ।[1] जो प्राधिकारी ऐसी कठोर शास्तियां लागू करने के लिये सक्षम है उसे कर्मचारी को नियम 16, 17 या 18 मे प्रावधानित अवसर से वंचित करने के लिये उचित कारण लिखित में रिकर्ड पर लगाने चाहिये । जब कोई आदेश निर्धारित प्रक्रिया को टालते हुए जारी किया गया हो और तत्पश्चात उसे चुनौती दी गयी हो, तो यह दलील नहीं दी जा सकती कि उक्त आदेश उपयुक्त खण्ड के कारण वैध है ।[2]

जो प्राधिकारी बर्खास्तगी आदि की शास्ति लागू करने के लिये सक्षम हो उसे लिखित मे यह अभिलिखित करना जरूरी है कि नियम 16, 17 या 18 की प्रक्रिया का अनुसरण करना "युक्तियुक्त रूप से साध्य नहीं है" यह अभिव्यक्ति ऐसी परास्थिति के लिये है जबकि दोषी कर्मचारी उपलब्ध न हो, या फरार हो या जबकि उसे नोटिस देना सम्भव न हो ।[3]

नि सन्देह, दण्ड देने वाले प्राधिकारी का यह गर्भित (implied) कर्तव्य है कि वह "मामले की *परस्थितियो पर न केवल उद्देश्यपूर्ण विचार करें परन्तु यह भी आवश्यक है कि वह ऐसी प्रक्रिया मे* कर्मचारी को भी साथ रखा जावे । परन्तु इस प्रकार के ऐसे मामले म दोषी कर्मचारी को साथ रखना सदैव सभव नही भी हो सकता है उदाहरणार्थ जबकि वह गायब हो या उस तक नही पहुचा जा सकता हो या उसका पता नही लगाया जा सकता हो । अत उसको उतना ही साथ रखा जा सकेगा जितना कि व्यवहार रूप से सम्भव हो ।[4] जो मामले खण्ड (ii) मे आते हैं उनमे भी अनुशासनिक प्राधिकारी को सरसरी जाच करनी चाहिये जिसमे कर्मचारी को उसके विरुद्ध लगाये गये आरोपो के विरुद्ध स्पष्टीकरण देने का अवसर देना चाहिये ।[5]

क्या युक्तियुक्त रूप से साध्य नहीं है—नियम 19 के नीचे दी गयी टिप्पणी पीडित राज्य कर्मचारी को इस विषय पर केवल एक अपील अगले उच्च प्राधिकारी के समक्ष करने का प्रावधान *करती है इस प्रश्न के निर्णय हेतु कि क्या सविधान के अनुच्छेद 311 के खण्ड (2) के अधीन* कारण बताओ नोटिस देना युक्तियुक्त रूप से साध्य नही था । यह दोषी अपराधी के पक्ष मे एक कानूनी प्रावधान है, यद्यपि सविधान के अनुच्छेद 311 (3) के अनुसार, ऐसे व्यक्ति को सेवा से बर्खास्त करने, हटाने या पदावनत करने के लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय इस विषय मे अन्तिम है ।

चू कि नियम 19 के अधीन दिये गये आदेश की अपील हो सकती है और उसे रिट याचिका द्वारा भी चुनौती दी जा सकती है, अतः यह अत्यन्त आवश्यक है कि शास्ति आरोपित करन से पहले जाच नही करने के लिये आदेश मे जांच नही करने के पूर्ण कारण दिये जाने चाहियें । प्रभावित

---

1. AIR 1965 आसाम 18–मुगीराम वि पुलिस अधीक्षक ।
2. उपर्युक्तानुसार ।
3. AIR 1965 जम्मू-कश्मीर 53–करणसिंह वि यातायात आयुक्त ।
4. 1977 Lab IC 643 (दिल्ली)–आर. के मिश्रा वि जनरल मेनेजर उ रेलवे ।
5. AIR 1975 सु कोर्ट 2216 डिविजनल परशनल ओफिसर वि टी. आर. चेलाप्पा का का आश्रय लिया गया ।

त के लिये यह आवश्यक नहीं है कि वह ऐसे कारणो की प्रतिलिपि के लिये आवेदन करे ।[1]

नियन 19 (iii) राज्य की सुरक्षा के हित मे—सविधान के अनुच्छेद 311 (2) का परन्तुक) —जब कि राज्यपाल को समाधान (तसल्ली) हो जाए कि राज्य की सुरक्षा के हित मे सामान्य दशा का अनुसरण करना इष्टकर (उपयुक्त) नही है, तो अनुशासनिक प्राधिकारी मामले की रस्थितियों पर विचार करेगा और जैसा भी वह उचित समझे वैसा आदेश पारित करेगा । ऐसे मलों म राज्यपाल जाच करने से व यहा तक कि दोषी कमचारी को कारण बताओ नोटिस तक से मनाई कर सकता है, क्योंकि ऐसे मामले भी हो सकत हैं जिनम आरोप प्रकट करने से राज्य सुरक्षा पर प्रभाव पड सकता है । इस उप-खण्ड म अभिव्यक्ति "समाधान हो जाए" के साथ कोई नें लगी हुई नही हैं। अत राज्यपाल के लिए आवश्यक नही है कि वह इस असामान्य कायवाही लिए कारण प्रकट करे और इस विषय मे राज्यपाल को कोई जाच करना आवश्यक नही है । न्तु पश्चिम बगाल सरकार वि नरेन्द्र नारायण मे दिये गये हाल ही के एक फैसले के अनुसार, म आदेश जारी करने से पहले सविधान के अनुच्छेद 311 (2) परन्तुक (ग) की अपेक्षताओ का लन होना चाहिए, जो, नि सदेह, न्यायिक नजरसानी के अधीनस्थ है ।[2] "आरोपो की जाच के भाव मे, अनुच्छेद 311 (2) के परन्तुक (ग) के अधीन, प्रस्तावित कार्यवाही के विरुद्ध सभी कारण ताओ नोटिस नही देने का अभिप्राय यह लगाना चाहिए कि इसम आरोपो की सत्यता की जाच और सी जाच के बाद प्रस्तावित शास्ति का इरादा भी शामिल है ।"[3]

"अनुच्छेद 311 (2) का परन्तुक (ग), सरकार की मत्री मण्डल पद्धति के अधीन राष्ट्रपति या राज्यपाल के व्यक्तिगत समाधान की अपेक्षा सवैधानिक अर्थ मे नही करता । इसलिये अनुच्छेद 311 (2) के परन्तुक (ग) के अधीन शक्तिया, अन्य कार्यकारिणी के कार्यों की तरह व्यवहार्य नियमो (Rules of Business) द्वारा किसी को सुपुर्द की जा सकती हैं और ऐसी दशा मे, अनुच्छेद 166 (3) अधीन बनाये गये व्यवहार्य नियमो के अधीन किसी मन्त्री या अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय राज्यपाल का निर्णय माना जाएगा । इस दृष्टिकोण से, अनुच्छेद 311 (2) के परन्तुक (ग) के अधीन दिया गया आदेश कार्यकारिणी द्वारा प्रशासनिक शक्तियो का प्रयोग करना समझा जाएगा और इस प्रकार स शक्तियो का प्रयोग करना उसी प्रकार से न्यायिक नजरसानी के अधीनस्थ रहेगा जिस प्रकार से अन्य विभागीय आदेशो की जाच न्यायालय करत हैं ।'[4]

सविधान के उपर्युक्त अनुच्छेद 311 (2) के परन्तुक (ग) के खण्ड (iii) द्वारा प्रदत्त कार्यकारिणी का अधिकार स्वविवेकी (discretianary) है, और ' उसमे सोचागया समाधान अधिकरण

1 (1975) 1SLR 277 (गुजरात) भोलानाथ वि भारतीय सघ,
1977 Lab IC 105 (इलाहाबाद) इन्द्रदेवसिंह वि भारतीय सघ,
1977 Lab IC 174 (पटना) रामचरित शर्मा वि भारतीय सघ ।

2 ARI 1962 कलकत्ता 481 ।

3 1977 SLR 756—बी सी दास वि आसाम राज्य (AIR 1971 सुप्रीम कोर्ट 1547—सरदारीलाल के मामले म दिया गया फैसला उलट दिया गया ।)

4 1977 Lab IC 628 (पूर्ण पीठा) मृनाल कान्तिदास वि पश्चिम बगाल सरकार । यह भी देखिए—AIR 1974 सुप्रीम कोर्ट 1249—एम ए. रसीद वि केरल सरकार तथा AIR 1974 सुप्रीम कोर्ट 2192 जिसने AIR 1971 सुप्रीम कोर्ट 1947 को विखडित किया ।

सम्बन्धी (subjective) है।" परन्तु "किसी के व्यक्तिगत हित को सीधा प्रभावित करने वाले राजकीय प्राधिकार का प्रयोग किसी वैध बुनियाद पर आधारित होना चाहिए।[1] हैलिसबरी के "इगलैण्ड का कानून" चतुर्थ सस्करण की जिल्द के अनुच्छेद 20, 27, 61 और 62 के अनुसार, चू कि राज्यपाल, अनुच्छेद 311 (2) की अपेक्षाओं का परित्याग केवल तभी कर सकता है जब कि उसका समाधान हो जाये कि राज्य की सुरक्षा के हित में यह इष्टकर नहीं है कि ऐसी जाच की जाए, इसलिए न्यायालय को यह अख्तियार है कि वह यह सुनिश्चित करे कि आया ऐसी कार्यकारिणी शक्ति के प्रयोग पर लागू शर्तों का पालन किया गया है। स्वाभाविक है, कि न्यायालय उन कारणों की पर्याप्तता की जाच नही करता जिन के आधार पर कार्यकारिणी की निदशन शक्ति का प्रयोग किया गया है। प्रथम तो अदालत जाच कर सकती है कि आया 'राष्ट्रपति या राज्यपाल या उनके द्वारा प्रतिनियुक्त प्राधिकारी, न यदि कोई हो, अनुच्छेद 311 (2) के परन्तुक (ग) की शर्तों के अनुसार वास्तव म कोई निर्णय लिया है। दूसरे में स्वविवेकी शक्ति के प्रयोग के लिए कतिपय गर्भित शर्तों का पालन होना चाहिए, जो—(i) सद्भावना, (ii) सारभूत सामग्री पर विचार और (iii) कार्यकारिणी द्वारा न्यायिक कार्यवाही करना है।

मृनालकान्तिदास वि पश्चिम बगाल सरकार[6] मे यह निर्णय हुआ कि जब उच्च न्यायालय के समक्ष कोई ऐसी सामग्री नही थी जो यह सकेत देती कि राज्य की सुरक्षा के विषय म राज्यपाल के पास कोई तथ्य उपस्थित थे तो सविधान के अनुच्छेद 311 के खण्ड (2) के परन्तुक (ग) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए प्रार्थी की बर्खास्तगी का आदेश अवैध था।[2]

प्रशासनिक निर्णय यथोचित (reasonable) होना चाहिए। यथोचितता का प्रमाप (standrad), यथोचितता के बारे म न्यायालय की खुद की सम्मत्ति की यथोचित क्या है से लगाकर इस *इस मानदण्ड (निष्कर्ष) के बीच म रहेगा कि कोई भी न्यायोचित प्रशासनिक निकाय मामले म क्या* निर्णय लेता। अदालत यह पता लगाएगी कि आया राय बनाने से पहले की शर्तें वास्तविक बुनियाद पर टिकी हुई हैं या नही।[3] किसी सरकारी कर्मचारी को हटाने से पहले सभी परिस्थितियों पर स-उद्देश्य विचार होना चाहिए। अन्यथा, लागू की गई राशि शास्ति कानूनन अवैध होगी।[4]

[5][19 क--केन्द्रीय सरकार को या पब्लिक सैक्टर मे किसी कम्पनी को या राज्य अथवा केन्द्रीय विधान मण्डलों के अधिनियम द्वारा सृजित स्वशासी निकाय को उधार दिये गये अधिकारियों के सम्बध मे उपबध —

(1) जहा कि सरकारी कर्मचारी की सेवाये,—

[i] केन्द्रीय सरकार को

[ii] कम्पनी अधिनियम, 1965 (1956 का अधिनियम 1) के अधीन रजिस्ट्रीकृत पब्लिक सेक्टर में किसी कम्पनी को, या

---

1 हेलिसबरी का "इगलैण्ड का कानून–चतुर्थ सस्करण जिल्द ', पैरा 2।
2 1977 Lab IC 628(पूर्ण पीठ)।
3 AIR 1974 सुप्रीम कोर्ट–एम ए रशीद वि केरल राज्य।
4 1977 Lab I C (N O C) 75 (इलाहबाद) भारतीय सघ वि राजेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव।
5 अधिसूचना स F 3 (17) Apptts (A-III/67 दिनाक 9 अक्टूबर, 1974 द्वारा जोडा गया।

[iii] राज्य या केन्द्रीय विधान मण्डल के अधिनियम द्वारा सृजित सरकार के (जिसे इस नियम मे इसके पश्चात् उधारगृहीता प्राधिकारी कहा गया है) नियन्त्रण के अधीन किसी स्वशासी निकाय को उधार दी गई है, वहा उधारगृहीता प्राधिकारी को, उसे निलम्बित करने के प्रयोजनार्थ नियुक्ति प्राधिकारी की तथा उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने के प्रयोजनार्थ अनुशासनिक प्राधिकारी की शक्ति होगी :

परन्तु "उधारगृहीता प्राधिकारी" उस प्राधिकारी को, जिसने उसकी सेवाए उधार दी है (जिसे इस नियम मे इससे पश्चात "उधारदायी प्राधिकारी" कहा गया है), उसके (कर्मचारी के) निलम्बन या अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ करने के यथास्थिति आदेश दिये जाने की परिस्थितियो की तुरन्त सूचना देगा।

(2) सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध की गयी कार्यवाहियो के निष्कर्षो को ध्यान मे रखते हुए:—

[i] यदि उधारगृहीता प्राधिकारी का यह मत हो कि नियम 14 के खण्ड (i) से (iii) मे विनिर्दिष्ट शास्तियो मे से कोई शास्ति उस पर अधिरोपित की जानी चाहिए तो वह उधारदायी प्राधिकारी के परामर्श से, उस मामले मे ऐसे आदेश पारित कर सकेगा जैसे वह आवश्यक समझे :

परन्तु उधारगृहीता प्राधिकारी तथा उदारदायी प्राधिकारी के मध्य मतभेद होने की दशा मे, सरकारी कर्मचारी की सेवाए वापस उधारदायी प्राधिकारी के अधीन कर दी जायेंगी।

[ii] यदि उधारगृहीता प्राधिकारी का यह मत हो कि नियम 14 के खण्ड (iv) से (vii) मे विनिर्दिष्ट शास्तियो मे मे कोई शास्ति उस पर अधिरोपित की जानी चाहिए तो वह उसकी सेवाये पुनः उधारदायी प्राधिकारी के अधीन कर देगा तथा जाच की कार्यवाहिया भी भेज देगा और तब उधारदायी प्राधिकारी, यदि वह अनुशासनिक प्राधिकारी भी है, ऐसे आदेश पारित कर सकेगा जैसे वह आवश्यक समझे या यदि वह अनुशासनिक प्राधिकारी नही है तो वह उस मामले को अनुशासनिक प्राधिकारी को प्रस्तुत कर सकेगा जो ऐसे आदेश पारित करेगा जैसे वह आवश्यक समझे :

परन्तु अनुशासनिक प्राधिकारी ऐसे आदेश पारित करते समय नियम 16 के उपनियम (10) तथा (11) के उपबधो का पालन करेगा।

स्पष्टीकरण:—अनुशासनिक प्राधिकारी उधारगृहीता प्राधिकारी द्वारा भेजे गये जाच अभिलेख पर इस खण्ड के अधीन या ऐसी और जाच करने के पश्चात् जिसे वह आवश्यक समझे आदेश दे सकेगा।]

टिप्पणी

नियम 19 (क) अधिसूचना स. एफ. 3 (17) नियुक्ति (ए-III)/67 दिनाक 9 अक्टूबर, 1974 द्वारा जोड़ा गया है। यह नियम राजस्थान राज्य के उन कर्मचारियो के विषय मे प्रावधान

करता है, जिनकी सेवाए केन्द्रीय सरकार या, या सार्वजनिक क्षेत्र की किसी कम्पनी को या राज्य विधान मण्डल या केन्द्रीय विधान मण्डल के किसी अधिनियम द्वारा बनाई गई किसी स्वशासी निकाय (Autonomous body) को उधार दी गई हो। ऐसी दशा में उधार लेने वाले प्राधिकारी को, ऐसे कर्मचारी को निलम्बित करने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी की शक्ति होगी। उधार लेने वाला प्राधिकारी, उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने के लिए, अनुशासनिक प्राधिकारी की शक्ति का प्रयोग भी कर सकेगा, परन्तु इस शर्त के अधीन कि वह उधार देने वाले प्राधिकारी को, कर्मचारी को निलम्बित करने की या अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ करने के आदेश दिए जाने की यथास्थिति, परिस्थितियों से तुरन्त अवगत करायेगा।

अनुशासनिक कार्यवाहियों के नतीजों के आधार पर यदि उधार लेने वाला प्राधिकारी इस राय का हो कि उक्त कर्मचारी के विरुद्ध (नियम 14 के खण्ड (i), (ii) और (iii) में निर्दिष्ट) कोई छोटी शास्ति लागू की जाए, तो वह उधार देने वाले प्राधिकारी के परामर्श से, जैसा उचित समझे वैसा आदेश पारित कर सकेगा। यदि दोनों प्राधिकारियों के बीच मतभेद हो, तो राज्य कर्मचारी की सेवाए वापिस उसके मूल विभाग को लौटादी जाएगी जहा से वह प्रतिनियुक्ति पर आया था। यदि उधार लेने वाले प्राधिकारी की राय हो कि ऐसे कर्मचारी पर (नियम 14 के खण्ड (iv) (v), (vi) और (vii) मे निर्दिष्ट कोई कठोर शास्ति लागू की जाए, तो वह उस कर्मचारी की सेवाए वापिस उसके मूल विभाग को सुपुर्द कर देगा और उससे सम्बन्धित जाच कार्यवाहियों का पूरा रेकर्ड उधार देने वाले प्राधिकारी के भेज देगा। ऐसी स्थिति मे, उधार देने वाला प्राधिकारी, यदि वह स्वय अनुशासनिक प्राधिकारी है, तो जैसा वह उचित समझे वैसा आदेश पारित करेगा, और यदि वह अनुशासनिक प्राधिकारी नही है, मामला अनुशासनिक प्राधिकारी को यथोचित आदेश के लिए प्रेषित करेगा। कोई आदेश पारित करने से पहले, जब अनुशासनिक प्राधिकारी उक्त कर्मचारी के विरुद्ध तदर्थ रूप मे कोई कठोर शास्ति लागू करना चाहे, तो वह नियम 16 (10) के समस्त प्रावधानों का परिपालन करेगा और यदि किसी लघु (छोटी) शास्ति देना प्रस्तावित हो, तो नियम 16 (11) के प्रावधानो का अनुसरण करेगा। अनुशासनिक प्राधिकारी उधार लेने वाले प्राधिकारी द्वारा भेजे गए जाच अभिलेखो के आधार पर यथोचित आदेश पारित कर सकेगा। परन्तु यदि वह आवश्यक समझे, तो आगे जाच करने के लिए भी स्वतन्त्र है।

कठोर शास्तिया और लघु शास्तिया लागू करने की कार्य प्रणालियो का विवेचन विस्तार से नियम 16 व 17 के अन्तर्गत ऊपर किया जा चुका है।

20 सरकार के अतिरिक्त, दूसरे अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा अधीनस्थ सेवा तथा लिपिक वर्गीय सेवा के मामलो मे पारित आदेश [1][अपील प्राधिकारी] को ससूचित किए जायगे तथा चतुर्थ श्रेणी सेवा के मामलो मे अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश अगले उच्च प्राधिकारी को समूचित किए जायेगे।

टिप्पणी

नियम 20 मे शब्द "अपील प्राधिकारी नीचे फुट नोट मे दी गई दिनाक 9 अक्टूबर, 1974 की विज्ञप्ति द्वारा जोडा गया है। इस नियम के अनुसार अनुशासनिक प्राधिकारी को और सरकार

1 [विज्ञप्ति स F 3 (17) Apptts (A III) 67 दि 9 अक्टूबर, 1974 द्वारा सशोधित तथा राजस्थान राज-पत्र दि 10 अक्टूबर, 1974 मे प्रकाशित।]

को दोनो को दी जाएगी, सिवाय उन मामलो मे जिनमे सरकार स्वय ही अनुशासनिक प्राधिकारी हो, या जब कि सबधित दोषी कर्मचारी चतुर्थ श्रेणी सेवा का सदस्य हो । चतुर्थ श्रेणी सेवा के मामल म, अनुशासनिक प्राधिकारी आदेश की सूचना अगले उच्च प्राधिकारी को देगा ।

ऐसे आदेशो की सूचना उपर्युक्तानुसार नही भेजने से कार्यवाही दूषित नही होगी, क्योंकि यह नियम निदेशात्मक (Directory) है न कि आदेशात्मक (mandatory), और इससे कर्मचारी के किसी अधिकार का हनन नही होता । सरकार जब भी उचित समझे, तभी ऐसे आदेशो की नजरसानी (review) कर सकेगी ।

भाग VI

अपील

21. सरकार द्वारा दिए गए आदेशों की अपील नहीं होगी:—इस भाग मे अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी नियम 14 मे विनिर्दिष्ट शास्तियो से कोई शास्ति लगाने वाले सरकार द्वारा दिए गए किसी आदेश के विरुद्ध कोई अपील नही होगी ।

टिप्पणी

अनुशासनिक मामलो मे जो भी आदेश राज्य सरकार किसी कर्मचारी के विरुद्ध नियम 14 मे बताई गई कोई भी शास्ति लागू करने बाबत करे (चाहे शास्ति कठोर हो या लघु) और आदेश चाहे प्राथमिक हो या अपील के फैसले के रूप मे, उसके विरुद्ध अपील दायर करने का कोई प्रावधान नही है । नि सदेह, पीडित राज्य कर्मचारी, नियम 33 के अधीन सरकार को पुनर्विलोकन (नजरसानी अर्थात् 'रिव्यू') के लिए प्रार्थना कर सकेगा । राज्य सरकार स्वेच्छा से भी किसी मामले मे रेकार्ड पुनर्विलोकन के लिये मगवा सकती है । नियम 34 के अन्तर्गत राज्यपाल को भी ऐसे निर्णयो का पुनर्विलोकन करने का अधिकार है । पुनर्विलोकन का अधिकार भी कानून की ही एक कृति (creation of statute) है ।* पीडित कर्मचारी भी राज्यपाल को पुनर्विलोकन (नजरसानी) के लिए प्रार्थना कर सकता है और उसमे विफल हो जाने की दशा मे सविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालय मे रिट याचिका प्रस्तुत कर सकता है बशर्ते कि उसके लिए कोई न्यायिक औचित्य हो । अनुच्छेद 226 के अधीन, उच्च न्यायालय को क्षेत्राधिकार है कि वह इस बात की पूछताछ (जाच) कर सके कि आया सरकार के निष्कर्ष की जिस पर दण्ड का विवादग्रस्त आदेश आधारित है, किसी भी सबूत द्वारा कोई पुष्टि नही होती ।[1] परन्तु ऐसी रिट याचिका मे, उच्च न्यायालय साक्ष्य का पुनर्विलोकन किसी स्वतन्त्र निष्कर्ष पर पहुचने के लिए नही कर सकता ।[2] सरकार द्वारा या उसके अधिकारियो द्वारा सचालित (विभागीय) जाच की अपील उच्च न्यायालय नही सुनेगा । यह न्यायालय अपील अदालत नही है परन्तु उसका सम्बन्ध यह तय करने के लिए है कि आया जाच सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई और आया निर्धारित कार्य प्रणाली के अनुसार की गई और आया प्राकृतिक न्याय के नियमो का हनन नही हुआ है ।[3] नजरसानी (पुनर्विलोकन) के तरीके से विभागीय उपचार का उपभोग पहले

---

* 193 LAC 522 ।

1 AIR 1964 सुप्रीम कोर्ट 364 भारतीय सघ वि एच सी गोयल ।

2 AIR 1963 सुप्रीम कोर्ट 1723–आन्ध्र प्रदेश सरकार वि रामा राव ।

3 AIR 1963 सुप्रीम कोर्ट कोर्ट 1723–आन्ध्र प्रदेश सरकार वि रामा राव ।

समाप्त हो जाना जरुरी है उसके बाद ही अनुच्छेद 226 के अधीन रिट याचिका प्रस्तुत की जा सकती है अन्यथा वह चलन योग्य नही होगी।

पुनर्विलोकन की मयाद – पुनर्विलोकन का प्राथना-पत्र पश करने लिए समय की अवधि सशोधन किए जाने के आदेश की तिथि से छ महीने की है।

22 निलबन के आदेशो के विरुद्ध अपील –कोई सरकारी कर्मचारी निलम्बन के आदश के विरुद्ध उस प्राधिकारी को अपील कर सकेगा जिसके ठीक अधीनस्थ वह प्राधिकारी हो जिसने आदेश दिया हो या जिसके द्वारा दिया गया समझा जाय।

टिप्पणी

निलम्बन के आदेश के विरुद्ध अपील निलम्बन का आदेश देने वाले अधिकारी स ठीक उच्चतर प्राधिकारी क समक्ष की जा सकती है। अपील प्राधिकारी को नियम 30 (1) के प्रावधानानुसार अपील पर उपयुक्त विचार करना चाहिए। अपील प्राधिकारी मामले पर विचार करेगा और तय करगा कि आया —

(1) नियम 13 के प्रावधानो का परिपालन हुआ है और

(2) यह कि मामले की परिस्थितियो के अनुसार निलम्बन का आदेश न्याय सगत है, और तत्पश्चात वह या तो निलम्बन आदेश की पुष्टि करेगा या उसे रद्द कर देगा।

अपील पर विचार करना अध न्यायिक कर्त्तव्य है और इसम अपील प्राधिकारी को अपना दिमाग सक्रियता और कर्त्तव्यनिष्ठा से लगाना चाहिए और उस पर फैसला करने से पहल, मामले क सभी पहलुओ पर अर्थात् उसके पक्ष तथा विपक्ष (pros and cons) पर विचार करना चाहिए।[1]

23 शास्तिया लगाने के विरुद्ध अपील —पुलिस विभाग की अधीनस्थ सेवा, जिसमे आर ए सी सम्मिलित है, लिपिकवर्गीय सेवा या चतुर्थ श्रेणी सेवा का कोई सदस्य उस पर नियम 14 मे विनिर्दिष्ट शास्तियो में से कोई शास्ति लगाने वाले किसी आदेश के विरुद्ध उस प्राधिकारी को अपील कर सकेगा जिसके ठीक अधीनस्थ शास्ति लगाने वाला प्राधिकारी हो जब तक कि सरकार किसी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा कोई अन्य प्राधिकारी विनिर्दिष्ट न करे

*परन्तु लिपिकवर्गीय सेवा या चतुर्थ श्रेणी सेवा का सदस्य जिसके विरुद्ध आयुक्त विभागीय जाच द्वारा गबन की जाच के मामलो के सम्बन्ध मे, विभागाध्यक्ष के रूप मे नियम 14 मे विनिर्दिष्ट शास्तियो मे से कोई शास्ति लगाने वाला आदेश दिया जाय तो वह उस विभाग से सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग मे सरकार को अपील कर सकेगा

परन्तु यह और है कि लिपिकवर्गीय सेवा या चतुर्थ श्रेणी सेवा का कोई सदस्य जिसके विरुद्ध विशेषाधिकारी गबन जाच कार्य/सहायक आयुक्त, विभागीय जाच द्वारा गबन की जाच के मामलो मे, कार्यालयाध्यक्ष के रूप मे, नियम 14 मे विनिर्दिष्ट शास्तियो

1 AIR 1975 सुप्रीम कोट 2216–डिविजनल परसोनल ऑफिसर वि टि आर, चेल्लापा।

* अधिसूचना स F 3 (3) नियुक्ति (A-II) 63 दिनाक 27–4–64 द्वारा जोडा गया और दिनाक 9–7–59 से प्रभावशील हुआ।

में से कोई शास्ति लगाने वाला आदेश दिया जाय तो वह, आयुक्त, विभागीय जाच को अपील कर सकेगा।

(2) पुलिस विभाग, जिसमे आर ए सी सम्मिलित है, के अतिरिक्त अन्य अधीनस्थ सेवा का कोई सदस्य उस पर नियम 14 मे विनिर्दिष्ट शास्तियो मे से कोई शास्ति लगाने वाले किसी आदेश के विरुद्ध निम्नलिखित को अपील कर सकेगा —

(क) नियुक्ति प्राधिकारी को, उस आदेश के विरुद्ध जो उसके अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा दिया गया हो,

(ख) सरकार को, नियुक्ति प्राधिकारी या ऐसे किसी अन्य प्राधिकारी, जो नियुक्ति प्राधिकारी के अधीनस्थ न हो व जिसे नियमो के अधीन शास्तिया देने की शक्तिया सौंपी गई हो, द्वारा दिए गए आदेश के विरुद्ध ·

*परन्तु अधीनस्थ सेवा के किसी सदस्य के विरुद्ध गबन की जाच के मामला के सम्बन्ध मे आयुक्त विभागीय जाच द्वारा विभागाध्यक्ष के रूप मे नियम 14 मे विनिर्दिष्ट शास्तियो मे से कोई शास्ति लगाने वाला आदेश दिया जाए, तो वह उक्त विभाग से सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग मे सरकार को अपील कर सकेगा।

*स्पष्टीकरण—जहा सरकार या विभागाध्यक्ष ने नियुक्ति की शक्तिया किसी अधीनस्थ प्राधिकारी को सौंप दी हो तो सम्बन्धित विभागाध्यक्ष, नियम 2 (क) (4) के नीचे अंकित परन्तुक के निबन्धना के अनुसार इस उप नियम के उपबन्धो के प्रयोजनार्थ नियुक्ति प्राधिकारी होगा।

(3) राज्य सेवा का कोई सदस्य, जिसके विरुद्ध नियम 14 मे विनिर्दिष्ट शास्तिया मे से कोई शास्ति लगाने का आदेश सरकार के अतिरिक्त किसी प्राधिकारी द्वारा दिया गया हो तो वह ऐसे आदेश के विरुद्ध सरकार को अपील कर सकेगा ·

परन्तु [1][राजस्थान उच्चतर न्यायिक सेवा या] राजस्थान न्यायिक सेवा का सदस्य जिसके विरुद्ध सेवा से पदच्युति करने या हटाने की शास्तियो के सिवाय नियम 14 मे विनिर्दिष्ट शास्तियो मे से कोई शास्ति लगाने का आदेश सरकार के अतिरिक्त किसी प्राधिकारी द्वारा दिया गया हो तो वह केवल ऐसी समिति को ही अपील कर सकेगा जिसमे [1][मुख्य न्यायाधिपति द्वारा नामजद राजस्थान उच्च न्यायालय के तीन न्यायाधीशो की एक समिति होगी।]

*परन्तु यह और है कि राज्य सेवा का कोई सदस्य जिसके विरुद्ध आयुक्त विभागीय जाच द्वारा गबन के जाच के मामला म सौंपे गये प्राधिकारी के अधीन विभागाध्यक्ष के अधीन विभागाध्यक्ष के रूप मे नियम 14 मे विनिर्दिष्ट शास्तियो मे से कोई शास्ति लगाने

अधिसूचना स F 3 (30) A–A–II/69 दिनाक 27–4–1970 द्वारा स्थानापन्न।

* अधिसूचना स F 3 (3) नियुक्ति (A-II)63 दिनाक 27–4–64 द्वारा स्थानापन्न।

1 [विज्ञप्ति स G S R 27 एफ 3 (4) नियुक्ति (क-3) 72 दिनाक 24 सितम्बर 1963 द्वारा सशोधित जो राजस्थान राज-पत्र दिनाक 17 अप्रैल 1975 म पृष्ठ स 30–31 पर प्रकाशित हुई।]

ा आदेश दिया जाए तो वह उक्त विभाग से सबधित प्रशासनिक विभाग से सरकार को अपील कर सकेगा ।

[2](4) उप-नियम [1] से [3] मे अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, नियम 18 के अधीन एक ही कार्यवाही मे दिये गये किसी आदेश के विरुद्ध अपील उस प्राधिकारी को होगी जिसके ठीक अधीनस्थ उस कार्यवाही के लिए अनुशासनिक प्राधिकारी के रूप मे कार्य करने वाला प्राधिकारी हो ।

[2](5) जहा इस नियम के अधीन की जाने वाली अपील सरकार को होती हो तो उस पर विनिश्चय, लोक सेवा आयोग से परामर्श करने के बाद, जहा कही ऐसा परामर्श करना आवश्यक हो, किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण:—इस नियम मे अभिव्यक्ति 'सिविल सेवा का सदस्य' मे वह व्यक्ति, जो उस सेवा का सदस्य नही रह गया हो, सम्मिलित है ।

टिप्पणी

द्वितीय अपील निरस्त की गयी—जबकि सिविल कर्मचारियो पर अधिरोपित शास्तियो के सरकार के आदेशो के विरुद्ध अपील का कोई प्रावधान राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील) नियमो के अधीन नही है, (देखिये नियम 21) परन्तु अन्य मामलो मे एक अपील अनुज्ञ है । पहले कठोर शास्तियो के मामले म पीडित राज्य कर्मचारियो को दो अपीलो का मौका उपलब्ध था, जिसमे अन्तिम अपील, अपील प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत की जा सकती थी । परन्तु अब नियम 23 का खण्ड (4) (जो दो अपीलो का प्रावधान करता था) जी एस आर 129 अधिसूचना सख्या F 3 (17) नियुक्ति (A-III)/67 दिनाक 9 अक्टूबर, 1974 द्वारा निरस्त किया जा चुका है । इसके कारण उप खण्डो का क्रमाक बदल दिया गया है । नियम 23 म समय समय पर अनेक सशोधन हुए है जैसा कि फुटनोटो से विदित होगा ।

विभिन्न सेवाओ के सम्बन्ध मे कौन-कौन से प्राधिकारियो के समक्ष अपील प्रस्तुत की जा सकेगी वह निम्नाकित तालिकाओ स स्पष्ट होगा —

गबन के मामलों की जाच के अतिरिक्त अन्य मामलो मे अपील प्राधिकारीगण

क्रमाक 1	सेवा की श्रेणी 2	शास्ति 3	शास्ति लागू करने वाला प्राधिकारी 4	अपील प्राधिकारी 5	नियम सख्या 6
1	चतुर्थ श्रेणी सेवाए	नियम 14 मे निर्दिष्ट सभी शास्तिया	अनुशासनिक प्राधिकारी	अगला उच्च प्राधिकारी (विभागाध्यक्ष)	23 (1)
2	लिपिक वर्गीय सवाए	,,	,,	,,	,,

2 [Amended vide G S R 129 No F 3 (17) Apptts (A-III)/67 dated 9th October 1974]

1	2	3	4	5	6
3	अधीनस्थ सेवाए जो पुलिस तथा आ ए. सी की नही हो	नियम 14 मे निर्दिष्ट सभी शास्तिा	(क) नियुक्ति प्राधिकारी के नीचे का कोई अधिकारी	नियुक्ति प्राधिकारी	23 (2)
			(ख) नियुक्ति प्राधिकारी या अन्य प्राधिकारी जो उसके अधीनस्थ न हो	सरकार	23(2)(ख)
4	पुलिस विभाग की अधीनस्थ सवाए आर ए सी सहित	,,	अनुशासनिक प्राधिकारी	अगला उच्च प्राधिकारी (विभागाध्यक्ष)	23(1)
5	न्यायिक सेवाओ क अतिरिक्त अन्य राज्य सेवाए	,,	(क) सरकार	कोई अपील नही, परन्तु नियम 33 तथा 34 के अधीन पुर्नविलोपन	21
			(ख) सरकार के अतिरिक्त अन्य प्राधिकारी	सरकार	23 (3)
6	राजस्थान न्यायिक सवाए तथा उच्चतर न्यायिक सेवाए	,,	(क) सरकार	कोई अपील नही, परन्तु नियम 33 तथा 34 के अधीन पुर्नविलोकन	21
		सिवाए सेवा से हटाने या बर्खास्तगी के अन्य सभी शास्तिया	(ख) सरकार के अतिरिक्त कोई प्राधिकारी	मुख्य न्यायाधीश द्वारा मनोनीत राजस्थान उच्च न्यायालय के तीन न्यायाधीशो मे गठित समिति	23(3)
7	नियम 18 के अधीन सयुक्त कायवाही	सभी शास्तियां	अनुशासनिक प्राधिकारी	अगला उच्च प्राधिकारी	23(4)

24 किसी अपीलनीय आदेश के मामलो में उक्त आदेश पारित करने वाला प्राधिकारी युक्तियुक्त समय के अन्दर आदेश की एक प्रमाणित प्रति उस व्यक्ति को निः शुल्क देगा जिसके विरुद्ध आदेश पारित किया गया है।

टिप्पणी

आदेश की प्रमाणित प्रति मुफ्त देना.—इन नियमो के अधीन पारित किए गए आदेश की प्रमाणित प्रति (Certified copy) अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा सम्बन्धित दोषी कर्मचारी को मुफ्त दी जाएगी ताकि वह कथित आदेश के विरूद्ध सहजरूप मे अपील पेश कर सके। यदि ऐसे आदेश की अपील नहीं हो सकती हो, उदाहरणार्थ, राज सरकार द्वारा पारित आदेश, तो जब तक कि सम्बन्धित दोषी कर्मचारी इसके लिए आग्रह नही करे तब तक उसे प्रमाणित प्रति देने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी तस्दीकशुदा नकल वाजिब समय मे दे देनी चाहिए, मसलन एक सप्ताह मे। अपील पेश करने की मयाद, अपीलग्रस्त आदेश की प्रति अपीलकर्त्ता को प्राप्त होने की तिथि से तीन महीने की है।

25. अपीलो के लिए परिसीमा—इस भाग के अधीन कोई अपील तब तक ग्रहण नही की जाएगी जब तक कि वह उस दिन से तीन महीने की अवधि के अन्दर प्रस्तुत नही कर दी जाए, जिस दिन अपीलकर्त्ता को उस आदेश की प्रति प्राप्त हुई हो जिसके विरुद्ध अपील करनी हो :

परन्तु अपील प्राधिकारी उपर्युक्त समय के समाप्त होने के बाद भी अपील ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका समाधान हो जाए कि अपीलकर्त्ता के पास अपील को समय पर प्रस्तुत न करने के पर्याप्त कारण थे।

टिप्पणी

अपील प्रस्तुत करने की मयाद.—नियम 25 प्रावधान करता है कि अपील करने की मयाद तीन महीने की है यह अवधि उस तारीख से आरम्भ होनी मानी जाएगी जिस दिन अपीलकर्त्ता को उस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त हो जिसके विरुद्ध उसे अपील पेश करनी है। विभागीय जाच मे जिस प्राधिकारी ने दोषी कर्मचारी से सम्बन्धित आदेश पारित किया, उस प्राधिकारी से दोषी कर्मचारी उक्त आदेश की प्रमाणित प्रति निः शुल्क प्राप्त करने का अधिकारी है।

अपील पेश करने मे विलम्ब, हो जाने की दशा मे, यदि अधिकारी को तसल्ली हो जाए कि निर्धारित अवधि के भीतर अपील पेश नहीं कर सकने के पर्याप्त कारण हैं, तो वह कथित मयाद के बाद भी अपील सुनने के लिए ग्रहण कर सकेगा। फिर भी, दोषी कर्मचारी को सावधानी रख कर मयाद के भीतर अपील पेश कर देनी चाहिए और विलम्ब से पेश करने का खतरा नहीं उठाना चाहिए अन्यथा, उस मयाद समाप्त होने की तिथि से लगाकर, अपील प्रस्तुत करने की तारीख तक प्रत्येक दिन के लिए विलम्ब का कारण स्पष्ट करना होगा। परन्तु, यदि यह पाया जावे कि उससे पहले के समय मे अपीलकर्त्ता लापरवाह और अकर्मण्य (निष्क्रिय) रहा अथवा उसमे सद्भावना का अभाव (lacking in bonafieds) था, तो अपील प्राधिकारी उसके पक्ष मे अपने स्वविवेक का प्रयोग करने से इन्कार कर सकेगा।[1]

1. AIR 1961 इलाहाबाद 379–भगवत स्वरूप वि रामगोपाल, AIR 1960 सुप्रीम कोर्ट 260–सीताराम रामचरन वि एम एन. नागरसिंह।

अवैध बर्खास्तगी के विरुद्ध दीवानी वाद के लिए मयाद—अवैध बर्खास्तगी के विरुद्ध दीवानी दावा, या तो अधिघोषणा का वाद (declaratory suit) या बकाया वेतन दिए जाने की प्रार्थना के साथ किया जाने वाला दावा प्रस्तुत करने की मयाद भारतीय मयाद अधिनियम, 1963 के अनुच्छेद 113 के अधीन, बर्खास्तगी की तारीख से तीन वर्ष की है।

अपील पुनर्विलोकन के उपचार का उपयोग खतम कर लेने के बाद ही, पीड़ित राज्य कर्मचारी संविधान के अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत रिट याचिका उच्च न्यायालय के समक्ष पेश कर सकता है, यदि उस ऐसी सलाह दी गई हो, और इस प्रयोजन के लिए कोई समय की मयाद निर्धारित नहीं है। फिर भी ऐसी रिट याचिका का अधिकार अर्जित होने के बाद, जहा तक जल्दी संभव हो, वहा तक शीघ्र, रिट याचिका पेश कर देनी चाहिए।[1] परन्तु इसमें विलम्ब करना घातक नहीं है। एक मामले मे जब कि विलम्ब डेढ वर्ष का था, फिर भी उसको नजर अन्दाज (ignore) किया गया अर्थात् उपेक्षित किया गया।[2]

26. अपील का रूप तथा अन्तर्वस्तु—(1) अपील करने वाला प्रत्येक व्यक्ति पृथक रूप से तथा अपने स्वयं के नाम से अपील करेगा।

(1) अपील उस प्राधिकारी को, जिसको अपील होनी हो, सम्बोधित होगी। उसमें समस्त सारवान विवरण तथा तर्क जिन पर अपीलकर्ता निर्भर करता हो अन्तर्विष्ट होंगे, उसमें कोई अनादरपूर्ण या अनुचित भाषा का प्रयोग नहीं होगा और वह स्वयं मे पूर्ण होगी।

टिप्पणी

नियम 26 का आशय यह है कि यद्यपि विभागीय जाच धारा 18 के अन्तर्गत संयुक्त रूप से ही क्यों न की गई हो, फिर भी प्रत्येक दोषी कर्मचारी को अपने अपने नाम से अलग अलग अपील की दरख्वास्तें पेश करनी चाहिए। ऐसा करना आवश्यक हैं क्योंकि संयुक्त जाच मे भी, प्रत्येक कर्मचारी ने दुराचरण मे कितना व क्या भाग लिया इसका खयाल रखते हुए प्रत्येक पर भिन्न भिन्न शास्तिया अधिरोपित की जा सकती हैं और उनमे से एक या अधिक को दोषमुक्त भी किया जा सकता है। इस प्रकार प्रत्येक कर्मचारी की प्रतिरक्षा की रूप रेखा अलग अलग हो सकती है। अपील अपीलकर्ता कर्मचारी के खुद के नाम से होनी चाहिये, न कि उसके सहायक अधिकारी या वकील के माध्यम से। अपील नियम 23 द्वारा निर्धारित अपील प्राधिकारी को सम्बोधित की जानी चाहिये परन्तु उसे उचित माध्यम (Through proper Channel) के मारफत प्रेषित करनी चाहिये।

अपील की दरख्वास्त अपने आप मे पूर्ण (seef Contained) होनी चाहिए, अर्थात् एक एक दोषारोपण, या चार्ज या आरोप पर वह अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करे और उस पर सम्बन्धित साक्ष्य, मौखिक तथा दस्तावेजी शहादत सहित, का तर्क पूर्ण विवेचन करे। वह अपनी लिखित बहस उन्ही के आधार पर अपील मे पेश करे। इस प्रकार से अपील की दर्खास्त अपने आप मे पूर्ण होनी चाहिये। एक बात विशेष ध्यान देने योग्य है, वह यह कि अपील की भाषा किसी भी व्यक्ति के प्रति अनादर पूर्ण या अभद्र अर्थात् अनुचित नहीं होनी चाहिये यद्यपि अपीलकर्ता, जाच से सम्बन्धित

---

1 AIR 1958 पंजाब 16—सुरेन्द्र नाथ वि चीफ कन्जरवेटर वन विभाग, AIR 1955 पपसू 106 महेन्द्र सिंह वि पटियाला सरकार।

2 AIR 1958 जम्मू तथा काश्मीर 11—पंडित गोपीनाथ वि जम्मू और काश्मीर सरकार।

किसी भी व्यक्ति के बारे मे प्रतिकूल तथ्य निर्भयता से रख सकेगा। इस प्रकार, किसी गवाह के प्रमत्य भाषी होने या अविश्वसनीय होने के तथ्यो का उल्लेख किया जा सकेगा परन्तु उसकी भाषा उचित होगी, अशोभनीय नही होगी। दस्तावेजो की प्रमाणित प्रतिया अपील के साथ सलग्न की जा सकती हैं, परन्तु अपील प्राधिकारी ऐसे तथ्यो और दस्तावेजो का विचार के लिये अस्वीकार कर सकेगा, जब कि उनको, इस अवस्था मे, विलम्ब से प्रस्तुत करने का कोई तर्क पूर्ण, तत्सम्बन्धी कारण नही बताया गया हो।

नियम 30 में किये गये एक हाल ही के सशोधन[1] के अनुसार, अपीलकर्त्ता को अब यह अधिकार दिया गया है कि यदि वह चाहे, तो अपना पक्ष निवेदन व्यक्तिगत सुनवाई के रूप मे प्रस्तुत कर सकेगा। अपीलकर्त्ताओ को सलाह दी जाती है कि वह यह अवसर नही चूके। व्यक्तिगत सुनवाई का लाभ अवश्य उठावें और तर्कपूर्ण दलीलो के साथ निर्भयता से बहस करके और अपने हित के दस्तावेजो के तथा गवाहो के बयानो के सुसगत अश पढकर सुनावें, जिससे विजय श्री मिल सके।

अपील करने वाले कर्मचारियो के लिये यह भी हितकर होगा कि वह अपनी अपील का मसौदा किसी वकील की सहायता से या कम से कम किसी अन्य अधिक विद्वान राज्य कर्मचारी की सहायता से तैयार करे, जिसके लिये सभवतः वह व्यक्ति अधिक लाभदायक सिद्ध होगा जो विभागीय जाच के दौरान उसका सहायक अधिकारी रहा था।

अपील दण्ड देने वाले अधिकारी के प्रति अनादरपूर्ण भाषा का प्रयोग किसी भी दशा म नही करना चाहिये, विशेषतः इस कारण से कि कर्मचारी की अपील उसी के माध्यम से और उसकी टिप्पणी के साथ आगे अपीलकर्त्ता तक पहुचाई जायेगी। इसके अतिरिक्त, सरकार या उसके मन्त्रियो की प्रतिष्ठा गिराने का प्रयास नही करना चाहिय, क्योकि वे उसके मालिक (नियोजक) है, जो उसे इसी आधार पर सेवा से बर्खास्त कर सकते हैं।[2]

27. अपील प्रस्तुत करना—प्रत्येक अपील समुचित माध्यम से उस प्राधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी जिसके आदेश के विरूद्ध अपील की गयी हो.

परन्तु यदि ऐसा प्राधिकारी उस कार्यालय का अध्यक्ष नही है जिसमे अपीलकर्त्ता सेवा कर रहा हो, या यदि वह सेवा मे न हो तो उस कार्यालय का, जिसमे वह अतिम बार सेवा कर रहा था, कार्यालयाध्यक्ष नही है या वह ऐसे कार्यालय के अध्यक्ष का अधीनस्थ न हो, तो अपील, ऐसे कार्यालय के अध्यक्ष को प्रस्तुत की जाएगी जो उसे तुरत उक्त प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा.

परतु यह और है कि अपील की प्रति अपील प्राधिकारी को सीधी प्रस्तुत की जा सकेगी।

टिप्पणी

अपीलों का प्रस्तुतिकरण—नियम 27 प्रावधान करता है कि इन नियमो के अधीन प्रत्येक

1. देखिए अधिसूचना स F. 3 (7) (कार्मिक)/AA III/78 G S R. 168 दिनाक 27 जनवरी, 1979, जिसका प्रकाशन राजस्थान राज-पत्र भाग 4 (ग) I दिनाक 8 फरवरी, 1979 मे पृष्ट 445 पर हुआ।
2. AIR 1962 गुजरात 197–जगमोहनदास जगजीवनदास मोदी वि गुजरात सरकार AIR 1964 सुप्रीम कोर्ट 72

अपील उचित माध्यम से (Through proper Channel) पेश करनी चाहिये, यद्यपि अपील की एक प्रति सीधी अपील अधिकारी को प्रस्तुत करने के लिये अपीलकर्त्ता स्वतन्त्र है। यह तो पीडित राज्य कर्मचारी के स्वय के हित मे है कि एक प्रति सीधी अपील प्राधिकारी को पेश कर दे, ताकि यदि मध्यस्थ अधिकारीगण अनुचित विलम्ब करें, तो अपील प्राधिकारी उनको शीघ्रता करने के लिए निर्देशन दे सके अथवा वह उचित माध्यम से अपील की दरख्वास्त प्राप्त होने की प्रतीक्षा किए बिना, अपील पर कार्यवाही आरम्भ कर दे। इसके अतिरिक्त यदि अपील, नियम 28 के अन्तर्गत अनुचित आधारो पर रोकली जावे तो अपील प्राधिकारी रेकड मगवा सके और उस पर उचित कार्यवाही, जो वह उचित समझे कर सके।

अपीलकर्त्ता को चाहिये कि वह अपनी अपील अपील प्राधिकारी को सम्बोधित करे मगर उसे अपने मामले निकटतम उच्च अधिकारी को समर्पित करे जो उसे उस अधिकारी को अग्रसर करेगा जिसने अपील किया जाने वाला आदेश पारित किया था यदि वह स्वय अनुशासनिक प्राधिकारी नही था।

नियम 27 के नीचे दिया गया परन्तुक कहता है कि यदि शास्ति अधिरोपित करने वाला अधिकारी उस कार्यालय का कार्यालयाध्यक्ष नही है जिसम कि दोषी अपीलकर्त्ता काम करता है या वह पिछली बार काम करता था, या वह उक्त कार्यालयाध्यक्ष का अधीनस्थ न हो, तो अपील की दर्खास्त ऐसे कार्यालयाध्यक्ष को प्रस्तुत की जाएगी, जो उस तुरन्त सजा देने वाले अनुशासनिक प्राधिकारी को भेज देगा। अन यदि अपीलग्रस्त आदेश तहसीलदार द्वारा दिया गया था, जिसकी अपील जिलाधीश को होती है, तो दोषी-अपीलकर्त्ता अपील की दर्खास्त तहसीलदार को समर्पित करेगा जो उसे सम्बन्धित रेकर्ड और अपनी टिप्पणी सहित जिलाधीश को अग्रेषित करेगा। यदि दोषी कर्मचारी का स्थानान्तर किसी अन्य तहसील म हो गया हो तो एसा अन्य तहसीलदार अपील को जिलाधीश के पास भेजेगा। जो दोषी अब सरकारी सेवा मे ही नही रहा है वह अपनी अपील, उस कार्यालय के कार्यालयाध्यक्ष को पेश करेगा जिसमे वह अन्तिम बार नौकरी करता था।

28 अपीलो को रोक रखना—(1) वह प्राधिकारी जिसके आदेश के विरुद्ध अपील की गई हो अपील को रोक रख सकेगा यदि—

[1] वह अपील ऐसे किसी आदेश के विरुद्ध हो जिसकी कोई अपील न होती हो, या

[2] उसमे नियम 26 के उपबधो मे से किसी का अनुपालन न किया गया हो, या

[3] वह नियम 25 मे विनिर्दिष्ट अवधि के अन्दर प्रस्तुत न की गयी हो तथा विलम्ब का कोई कारण भी नही बताया गया हो, या

[4] वह किसी पूर्व विनिश्चित अपील की पुनरावृत्ति हो और कोई नये तथ्य या परिस्थितिया नही बताई गयी हो·

परतु कोई अपील जो केवल इस आधार पर रोकी गयी हो, कि उसमे नियम 26 के उपबधो का अनुपालन नही किया गया हो तो वह अपीलकर्त्ता को लौटा दी जाएगी और यदि उसके लौटाये जाने के एक मास के अन्दर उपर्युक्त उपबधो का अनुपालन करने के बाद, वह पुनः प्रस्तुत की जाये तो रोकी नही जाएगी।

(2) जहा कोई अपील रोकी जाए तो अपीलकर्त्ता को उस तथ्य तथा उसके कारणो के बारे मे सूचित किया जाएगा।

(3) किसी प्राधिकारी द्वारा पिछली तिमाही मे रोकी गयी अपीलो की सूची, उनके रोकने के कारणो सहित, उस प्राधिकारी द्वारा, अपील प्राधिकारी को प्रत्येक तिमाही के प्रारम्भ मे प्रस्तुत की जाएगा।

टिप्पणी

नियम 28–अपील अग्रेषित करने के बजाय रोक लेना—चूकि नियम 27 के अधीन, अपील प्राधिकारी को सम्बोधित प्रत्येक अपील उचित माध्यम द्वारा (Through proper Channel) प्रेषित करनी पडती है, इसलिए वह अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा आगे अपील प्राधिकारी का भेजी जाती है। नियम 28 मे कतिपय ऐसी परस्थितिया बताई गई है जिनमे अनुशासनिक प्राधिकारी अपील आगे नही भेजकर अपने पास ही रोक सकता है। प्रथम तो यह कि, यदि विखण्डनीय आदेश की अपील नियमानुसार हो ही नही सकती हो, तो उसे आगे नही भेजा जाएगा ताकि अपील प्राधिकारी का मूल्यवान समय फालतू नष्ट न हो। उदाहरणत. यदि वह द्वितीय अपील हो या सरकार द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध की गई हो, जो नही की जा सकती। अत ऐसी अपीलो को आगे भेजना निरर्थक होगा जब तक कि वे नजरसानी (रिव्यू) के रूप मे प्रस्तुत नही की गई हो।

दूसरा यह कि अपील नियम 26 द्वारा प्रावधानित रूप मे होनी चाहिये अर्थात् यदि अपील पीडित अपीलकर्त्ता के नाम से न हो, या अपील प्राधिकारी के अतिरिक्त किसी अन्य को सम्बोधित हो, या अपमानपूर्ण, अशिष्ठ या अनुचित भाषा मे लिखी हुई हो, तो अनुशासनिक, प्राधिकारी उसे रोक सकेगा। परन्तु यदि उसे रोक रखने का एक मात्र यही कारण हो तो वह अपीलकर्त्ता को दुरुस्तगी (सशोधन) के लिए लौटादी जाएगी। यदि लौटाय जाने की तिथि से एक महीने के भीतर अपीलकर्त्ता, नियम 26 का परिपालन करके, पुन अपील प्रस्तुत करे तो उसे नही रोका जायेगा, जैसा कि उपयुक्त नियम के खण्ड (1) के परन्तुक मे प्रावधान है।

अपील रोक रखने का तीसरा कारण उसका मयाद बाहर होना है, जो नियम 25 के अनुसार विखण्डनीय आदेश (जिसके विरूद्ध अपील की जा रही हैं) की प्रति प्राप्त होने की तारीख से तीन महीने की है। परन्तु यदि अपीलकर्त्ता ने विलम्ब से अपील पेश करने के कारण का उल्लेख किया, हो तो वह नहीं रोकी जाएगी, क्योकि नियम 25 के परन्तुक के अनुसार यह निर्णय करने का अधिकार अपील प्राधिकारी को है न कि अनुशासनिक प्राधिकारी को, कि आया अपील मयाद के भीतर पेश नहीं करने का पर्याप्त कारण है।

अन्त मे यह कि, यदि उक्त अपील पहले से निर्णीत अपील की पुनरावृत्ति हो और उसमे कोई नए तथ्य या परिस्थितिया नही बताई गई हो, तो शास्ति अधिरोपित करने वाला प्राधिकारी उसे रोक सकेगा।

नियम 27 का खण्ड (2) प्रावधान करता है कि यदि कोई अपील रोकी जाएगी तो उसकी सूचना अपीलकर्त्ता को, रोक रखने के कारणो सहित, अवश्य दी जाएगी।

न्यायिकता और पक्षपात हीनता की दृष्टि से, जब तक कि अपील रोक रखने के प्रबल कारण न हो तब तक वह नहीं रोकी जानी चाहिए, अन्यथा ऐसा करना शास्ति प्राधिकारी का पक्षपात पूर्ण भुभाव प्रदर्शित करेगा और इससे कर्मचारी को उच्च न्यायालय के सम्मुख रिट याचिका प्रस्तुत

करने का आधार मिल जाएगा। अपील करना एक कानूनी उपचार है, इसलिए सक्षम प्राधिकारी को उसे सुनने के लिए ग्रहण करना चाहिए।[1]

29 अपीलो का परिषण—(1) वह प्राधिकारी जिसके आदेश के विरुद्ध अपील की गयी है किसी बचे जा सकने वाले विलम्ब के बिना प्रत्येक अपील को जो नियम 28 के अधीन नही रोकी गयी हो उस पर अपनी टिप्पणी और सम्बंधित अभिलेखों के साथ अपील प्राधिकारी को पारेषित करेगा।

(2) वह प्राधिकारी जिसको अपील होती हो, नियम 28 के अधीन रोकी गई अपील को अपने पास पारेषित करने का निदेश दे सकेगा और तदुपरान्त ऐसी अपील सबंधित अभिलेखो और अपील रोकने वाले प्राधिकारी की टिप्पणी के साथ उस प्राधिकारी को पारेषित कर दी जाएगी।

टिप्पणी

नियम 29—अपीलें आगे भेजना—नियम 29, अपीलें अपील प्राधिकारी को पहुचाने का प्रावधान करता है। जब कोई अपील नियम 28 के अन्तगत रोकी नही गई हो, तो उसे सारभूत अभिलेखो के साथ दण्ड देने वाला प्राधिकारी अपनी टिप्पणी सहित अपील प्राधिकारी को यथा सभव अविलम्ब भेजेगा। नियम 29 के खण्ड (2) अपील प्राधिकारी को भी अधिकार प्रदत्त करता है कि वह अनुशासनिक प्राधिकारी को निर्देश देकर रोकी गई अपील मगवा सके। इस प्रकार से मागी जाने पर ऐसी अपील अपील रोक रखने वाले प्राधिकारी द्वारा सारभूत अभिलेखो और उसकी स्वय की टिप्पणी सहित अनिवार्य रूप से भेजी जाएगी अर्थात् फिर रोकी नही जा सकेगी। यह प्रावधान अनुशासनिक (सजा देने वाले) प्राधिकारियो पर नियन्त्रण का कार्य करता है ताकि वे सरकारी कर्मचारियो की अपीलें पक्षपाती रुख रखने के कारण रोक नही सकें। ऐसे भेजने वाले अधिकारी को अपनी टिप्पणी ईमानदारी से तथा न्यायिकता से अंकित करनी चाहिए और ऐसा टिप्पण नही करना चाहिए जो अपील प्राधिकारी के दिमाग को प्रभावित करे।[2]

30, अपीलो पर विचार—(1) किसी निलबन आदेश के विरुद्ध की गयी किसी अपील के मामले मे, अपील प्राधिकारी, विचार करेगा कि क्या नियम 13 के उपबन्धो को ध्यान मे रखते हुये तथा उस मामले की परिस्थितियो को दृष्टिगत रखते हुए निलबन का आदेश न्याय सगत है या नही और तद्नुसार आदेश को पुष्ट, या रद्द करेगा।

(2) नियम 14 मे विनिर्दिष्ट शास्तियो मे से कोई शास्ति लगाने के आदेश के विरुद्ध की गई किसी अपील के मामले मे, अपील प्राधिकारी निम्नांकित तथ्यो पर विचार करेगा कि—

(क) क्या इन नियमो मे विहित प्रक्रिया का अनुपालन किया गया है और यदि यदि नही, तो क्या ऐसे अनुपालन के परिणामस्वरूप सविधान के किन्ही उपबन्धो का अतिक्रमण हुआ है या न्याय नही हो पाया है,

(ख) क्या वे तथ्य जिनके आधार पर आदेश दिया गया था सिद्ध किये जा चुके है,

---

1　1971 (2) SLR 695—लक्ष्मीचन्द गिरधारीलाल पटेल वि गुजरात सरकार।

2　1973 (2) SLR 430 (राजस्थान) भारतीय सघ वि बी एस मिश्रा।

(ग) क्या सिद्ध तथ्यो के आधार पर कोई आदेश देने के लिए पर्याप्त औचित्य है, और

(घ) क्या लगाई गई शास्ति अत्यधिक है, पर्याप्त है या अपर्याप्त है, [1][और सरकारी कर्मचारी को, यदि वह ऐसा चाहे, अपने मामले को स्पष्ट करने हेतु व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्] और आयोग से परामर्श करने के बाद, यदि उस मामले मे ऐसा परामर्श करना आवश्यक हो, तो—

(i) उस शास्ति को अपास्त करने, कम करने, पुष्ट करने या बढाने, या

(ii) मामले को शास्ति लगाने वाले प्राधिकारी के पास या किसी अन्य प्राधिकारी के पास ऐसे निदेश के साथ जैसा वह मामले की परिस्थितियो मे उपयुक्त समझे, विप्रेषित करने का, आदेश देगा ·

परन्तु:—(i) अपील प्राधिकारी ऐसी कोई वर्धित शास्ति नही लगायेगा जिसको उस मामले मे लगाने के लिए वह स्वय या वह प्राधिकारी जिसके आदेश के विरुद्ध अपील की गयी है, सक्षम न हो,

(ii) वर्धित शास्ति लगाने का कोई आदेश तब तक पारित नही किया जाएगा जब तक कि अपीलकर्त्ता को ऐसा कोई अभ्यावेदन करने का, जो वह ऐसी वर्धित शास्ति के विरुद्ध करना चाहे, अवसर न दे दिया जाए,

(iii) यदि ऐसी वर्धित शास्ति, जिसके लगाने का अपील प्राधिकारी प्रस्ताव करे, नियम 14 के खण्ड [4] से [7] मे विनिर्दिष्ट शास्तियो मे से कोई एक हो और मामले मे नियम 16 के अधीन कोई जाच न की गई हो तो अपील प्राधिकारी नियम 18 *के उपबन्धो के अध्यधीन स्वय ऐसी जाच करेगा या ऐसी जाच करने के निदेश देगा और उसके बाद ऐसी जाच की कार्यवाही पर विचार करने के बाद और अपीलकर्त्ता को ऐसा कोई अभ्यावेदन करने का जो वह ऐसी शास्ति के विरुद्ध करना चाहे, एक अवसर देने के बाद, ऐसे आदेश पारित कर सकेगा जो वह उपयुक्त समझे।

राजस्थान सरकार का निर्णय

इस विभाग की इसी सख्या के परिपत्र दिनाक 6 दिसम्बर, 1962 पर, जिसमे मृत राज्य कर्मचारी के पीछे उसके वैद्य प्रतिनिधियो का अपील चालू रखने का अधिकार निर्धारित किया गया था आगे जाच की गई है। इस परीक्षण के फल स्वरूप यह निर्णय लिया गया है कि राजस्थान

---

1 अधिसूचना स F 3 (7) कार्मिक/A A-III/78 G S R 168 दिनाक 27 जनवरी, 1979 द्वारा जोडा गया और राजस्थान राज पत्र भाग 4 (ग) I दिनाक 8 2-79 म पृष्ठ 445 पर प्रकाशित।

* यहाँ नियम 16 होना चाहिए था।

नियुक्ति (A III) विभाग की अधिसूचना सख्या F 3 (5) नियुक्ति (A)/62 दिनाक 18-4-1963 द्वारा जोडा गया।

सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील (नियमो के अन्तर्गत, अपीलो के मामले मे समाप्त करने या प्रतिस्थापन के हक का प्रश्न नही उठता और अपील प्राधिकारी को, राज्य कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर भी, इन नियमो मे निर्दिष्ट तरीके से, ऐसे मृत राज्य कर्मचारी के उत्तराधिकारियो या वैध प्रतिनिधियो को पक्षकार बनाए बिना, अपील का निपटारा करना है।

अत उपर्युक्त विभागीय परिपत्र को निरस्त करते हुए, यह तय किया गया है कि ऐसी परिस्थितियो मे अपील प्राधिकारियो को मन्त्रणा है कि वे राज्य कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर भी, और उसके उत्तराधिकारियों या वैध प्रतिनिधियो के नाम रेकार्ड पर नही होने के बावजूद, परन्तु उक्त उत्तराधिकारियो/वैध प्रतिनिधियो को पक्षकार बनाए बिना, राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील) नियम, 1958 के नियम 30 मे बताए गए तरीके से अपील का निपटारा करें। स्पष्ट है कि वस्तुस्थिति की प्रकृति से ही, मामलो को वापिस भेजने (रिमाड करने) या शास्ति बढाने की आवश्यकता उत्पन्न नही होगी।

टिप्पणी

नियम 30—अपीलो पर विचार—यह एक महत्वपूर्ण नियम है। इसका प्रथम खण्ड निलम्बन के आदेश के विरुद्ध अपील के सम्बन्ध मे है। निलम्बन आदेश के विरुद्ध अपील, ऐसे आदेश जारी करने वाले अधिकारी से अगले उच्च अधिकारी को होगी, अर्थात् उस प्राधिकारी के पास जिसका निलम्बन की आज्ञा जारी करने वाला प्राधिकारी निकटतम अधीनस्थ है, (देखिए नियम 22)।

किसी राज्य कर्मचारी को नियम 13 के प्रावधानो के अधीन निम्नलिखित परिस्थितियो मे निलम्बन म रखा जा सकता है.—

(क) जब कि उसके विरुद्ध कोई विभागीय कार्यवाही करने का इरादा हो या ऐसी कार्यवाही चल रही हो, या

(ख) जब किसी फौजदारी अपराध के सम्बन्ध मे किसी मामले की तफ्तीश (अन्वेषण) या फौजदारी मुकद्दमा उसके विरुद्ध चल रहा हो।

निलम्बन का आदेश या तो नियुक्ति प्राधिकारी जारी कर सकता है, या इसका कोई अधीनस्थ अधिकारी या कोई अन्य अधिकारी जिसे राज्य सरकार ने इस प्रयोजन के लिए शक्ति प्रदान की हो। राजस्थान सरकार ने अधिसूचना स एफ 3 (9) नियुक्ति (ए) 62 दिनाक 11 सितम्बर, 1962 के अधीन उन सभी अधिकारियो को, जो नियम 14 मे निदिष्ट कोई छोटी शास्ति किसी कर्मचारी पर लागू करने के लिए सक्षम है उनको उक्त राज्य कर्मचारी को निलम्बन करने की शक्ति भी प्रदान की है। परन्तु यदि निलम्बन का आदेश जारी करने वाला अधिकारी नियुक्ति प्राधिकारी से नीचे के स्तर का है, तो वह तुरन्त अपनी रिपोर्ट नियुक्ति प्राधिकारी को देगा, जिसमे सम्बन्धित सिविल कर्मचारी को निलम्बित करने की परिस्थितिया दर्शाएगा।

अतः अपील प्राधिकारी, जिसको किसी निलम्बन आदेश के विरुद्ध अपील पेश की गई हो, यह सुनिश्चित करेगा, आया ऐसा आदेश जारी करने वाला अपीलकर्त्ता को निलम्बित करने की क्षमता रखता था और यह भी कि आया मामले की परिस्थितियो के अनुसार ऐसी कार्यवाही करना उचित था।

जब कोई निलम्बन आदेश नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा या अपील प्राधिकारी द्वारा खारिज कर

दिया जावे, तो ऐसे सम्बन्धित प्राधिकारी के लिए यह जरूरी है कि वह यह भी उल्लेख करे कि निलम्बन की अवधि किस रूप मे व्यवहार्य होगी।

जब कि निम्बन के बाद केवा मे पुन,स्थापन (re-instatement) किया जावे, तो राजस्थान सेवा नियमों का नियम 54, नियुक्ति प्राधिकारी पर यह कर्तव्य अधिरोपित करता है कि वह निलम्बन की अवधि के सम्बन्ध मे वेतन, भत्ते आदि के विषय मे उचित आदेश पारित करे।[1] यही सम्मत्ति राजस्थान सिविल सर्विसेज अपीलेट ट्रिब्यूनल ने चन्दनमल जैन वि कलेक्टर, टौंक[2] मे प्रकट की है। ट्रिब्यूनल का कथन है कि आदेश यह नही बताता कि आया निलम्बन की अवधि नौकरी पर कार्यरत रहने के रूप मे मानी जावे या नही। जब कि कलेक्टर ने एकाउन्टेंट जनरल (महालेखाकार) को सूचित कर दिया था कि यह अवधि ड्यूटी पर रहने के रूप मे शुमार की जावे, परन्तु बाद मे दिए गए आदेश म कलेक्टर ने, कर्मचारीयो को अपना पक्ष प्रनिवेदन करने का अवसर दिये बिना, यह तय किया कि यह अवधि ड्यूटी के रूप मे शुमार नही की जा सकती। अत, ट्रिब्यनल ने कलेक्टर के इस आदेश को दूषित घोषित किया।

शास्ति के आदेशों के विरुद्ध अपीलें,—किसी भी शास्ति के आदेश के विरुद्ध, जो चाहे कठोर शास्ति लागू करने का हो या लघु शास्ति का, अपील प्राधिकारी को इस तथ्य पर विचार करना होगा कि आया अनुशासनिक प्राधिकारी ने निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया या नही और यदि नही नहीं किया था, तो क्या उससे सविधान के किसी प्रावधान का उल्लघन हुआ या न्याय का हनन हुआ। एक पुलिस कमचारी के विरुद्ध किये गये विभागीय मुकद्मे मे यह पाया गया कि जाच अधिकारी स्वय ने जाच की कार्यवाही मे गवाही दी थी, तो सर्वोत्तम न्यायालय ने मत व्यक्त किया कि प्राकृतिक न्याय के नियमो की पूर्णत अवहेलना की गई और पुलिस अधीक्षक का मुकद्मे की कार्यवाही मे पीठाध्यक्ष बने रहने से न्यायिकता व पक्षपातहीनता के सिद्धान्तो का गभीर रूप मे उल्लघन हुआ। अत शास्ति अधिरोपित करने का आदेश सर्वोत्तम न्यायालय ने खारिज कर दिया।[3]

नारायण मिश्रा वि उडीसा सरकार[4] मे जाच अधिकारी ने दोषी कर्मचारी को तीन आरोपो म मे दो आरोपो मे दोषमुक्त कर दिया, परन्तु शास्ति प्रदान करने वाले प्राधिकारी ने उसको उन दो आरोपो म भी दोषी पाया। दण्ड देने से पहले, दोषी कर्मचारी का उन आरोपो पर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का समुचित अवसर नही दिया गया। अत सर्वोत्तम न्यायालय ने निर्णय दिया कि अपनाई गई प्रक्रिया म पक्षपातहीनता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो का उल्लघन हुआ है। उक्त परिस्थितियो मे दण्ड का आदेश निरस्त किया गया।

अपील प्राधिकारी को यह भी सुनिश्चित करना होगा, कि आया जिन तथ्यो पर आदेश पारित किया गया वे साबित हुए हैं या नही। यदि विश्वसनीय सबूत द्वारा आरोप सिद्ध नहीं हुए हो, तो कोई मामला नही बनेगा और कमचारी दोष-मुक्त किए जाने का पात्र होगा।

तीसरा बिन्दु जिसे तय करना अपील प्राधिकारी का कर्तव्य है, वह यह है कि आया अभिलेख पर स्थापित अर्थात् साबित किय गये तथ्यो पर पर अपीलग्रस्त आदेश पारित करने का पर्याप्त औचित्य था।

1. RLT 78 Part IV 29–मदनलाल कल्ला वि राजस्थान सरकार।
2. RLT 78 Part IV 131।
3. 1958 SCR 595 यू. पी सरकार वि मोहम्मद नूह AIR 1958 सुप्रीम कोर्ट 86।
4. 1969 SLR 657।

अन्त में, अपील प्राधिकारी यह भी तय करेगा कि आया अधिरोपित शास्ति अत्यधिक है, पर्याप्त है या अपर्याप्त है और यदि वह न्यायिक तथा तथा उचित समझे तो आदेश में संशोधन करेगा।

पहले अपीलकर्ता राज्य कर्मचारी को व्यक्तिगत सुनवाई का कोई कानूनी अधिकारी प्राप्त नही था। परन्तु अब नियम 30 के उप-नियम (2) के खण्ड (घ) मे निम्नलिखित अभिव्यक्ति जोडी गई है —

*"और सरकारी कर्मचारी को यदि वह ऐसा चाहे, अपने मामले को स्पष्ट करने हेतु व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्"

राज्य कर्मचारियो के लिए उपर्युक्त प्रावधान एक वरदान स्वरूप है और जररतमन्द व्यक्तियो को इस सुविधा का लाभ अकलमन्दी से उठाना चाहिए। अपीलकर्ता को चाहिए कि वह अपील प्राधिकारी को लिखित म आवेदन कर कि उस, अपना पक्ष स्पष्ट करने के लिए, नियम 30 (2) (घ) (सशोधित रूप) के अधीन, व्यक्तिगत रूप से सुनवाई का अवसर प्रदान किया जावे। उक्त सशोधन के अभाव म भी आसाम उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि कानूनी अपीलों मे सुनवाई का अवसर अपील करने वाले को दिया जाना चाहिए।[1]

अपील पर विचार—अपील प्राधिकारी का यह बाध्यकारी कर्त्तव्य है कि उनको प्रस्तुत की गई अपीलो पर पूरा तथा न्यायिकता से विचार करे। बिना स्वय कष्ट उठाए और अपना खुद का दिमाग लगा कर स्वतत्र निर्णय लेने के बजाय, अनुशासनिक प्राधिकारी के निर्णय की पुष्टि कर देना अन्यायपूर्ण होगा। अपील का निर्णय 'बोलता हुआ' आदेश होना चाहिए। अन्य शब्दों म, लिए गए निष्कर्षो की पुष्टि म कारण उल्लिखित करने जरूरी है। प्राकृतिक न्याय का यह सिद्धान्त, अर्ध-न्यायिक कार्य-प्रणाली पर भी लागू होता है और उसका अनुसरण वास्तव म किया जाना चाहिए न कि केवल दिखावे के रूप म। यदि किसी आदेश म, निष्कर्षों के कारण या आधार व्यक्त नही किए जावे, तो वह आदेश 'अवैध और प्रभावहीन होगा।"[2]

जब कोई अपील खारिज की जावे, तो अपील प्राधिकारी के लिए यह आवश्यक है कि वह अपना फैसला 'बोलते हुए आदेश' के रूप म लिखे, अर्थात् उसम निर्णयो के आधार या कारण बताए जाव। पहले के फैसलो मे जिनमे प्रतिकूल सम्मति दी गई थी, अब उलट दिए गए है। देखिये—देबी दीन वि डिवीजनल ओपरेटिंग सुप्रिन्टेन्डट, उत्तरी रेलवे।[3]

राजस्थान उच्च न्यायालय के गजराज सिंह वि॰ राजस्थान सरकार मे एक भिन्न मत प्रकट किया है। इस मामले म अपीलकर्ता ने दलील पश की कि नियम 30 क अधीन, राज्य सरकार

---

* अधिसूचना स F 3 (7) कार्मिक/A A III 78 G S R 168 दिनाक 27 जनवरी, 1979 द्वारा जोडा गया, जो राजस्थान राज पत्र भाग 4 (ग) (I) दिनाक 8 फरवरी, 1979 म पृष्ठ 445 पर प्रकाशित हुआ।

1 AIR 1963 आसाम 183 डी एम बर्मन वि आसाम सरकार, AIR 1968 आसाम 52 (खण्ड पीठ) जी सी गोस्वामी वि ए के रॉय।

2 1977 Lab IC (Noc) 20 (इलाहाबाद) जी एन श्रीवास्तव वि भारतीय सघ: AIR 1976 सुप्रीम कोर्ट 1785

3 AIR 1968 इलाहाबाद 355 (खण्ड पीठ)।

द्वारा अपील मे दिए गए निर्णय को निरस्त करना चाहिए क्योंकि नियम 30 के उपबन्धों का पालन नहीं किया गया, और दूसरे मे इस कारण से कि राज्य सरकार द्वारा पारित आदेश बोलता हुआ आदेश नही है अर्थात् उसमे निर्णय की पुष्टि में कारण व्यक्त नही हैं। उच्च न्यायालय ने इस दलील को अस्वीकार करते हुए तय किया कि, "जब अपील प्राधिकारी अनुशासनिक प्राधिकारी और जाच अधिकारी के निष्कर्षों से सहमत हो, तो अपील प्राधिकारी के लिए यह आवश्यक नही है कि अपील खारिज करते समय विस्तार से कारण अभिव्यक्त करे।" न्यायालय ने सन्तुष्टि अनुभव की कि राज्य सरकार द्वारा पारित आदेश मे कोई कमजोरी नहीं थी और यह कि जाच के समय अभिलिखित साक्ष्य अकाट्य थी और आगे, यह भी नही कहा जा सकता कि नियम 30 के उपबन्धों का अनुसरण नहीं किया गया, या यह कि राज्य सरकार द्वारा पारित आदेश "बोलता हुआ आदेश" नही था।

इसके विपरीत, सर्वोत्तम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि यदि, अपील प्राधिकारी, मूल प्राधिकारी के फैसले को स्थिर रखने के कारण नही बतावे, तो अपील प्राधिकारी का आदेश खारिज करने योग्य होगा।[2] जब तक कि कोई आदेश 'बोलता हुआ' आदेश नही हो तब तक अनुशासनिक प्राधिकारी के मूल्याकन को कोई कैसे समझ सकेगा और साथ ही अपील प्राधिकारी के मस्तिष्क को और उन आधारों को भी कैसे समझ पाएगा जिन पर अपील-ग्रस्त आदेश आधारित है।[3]

किन्तु निदेशक, डाक सेवाए वि दयानन्द[4] मे निर्णय हुआ कि, यदि अपील प्राधिकारी कोई अपील खारिज करे तो उसे दण्ड देने वाले प्राधिकारी के आदेश से सहमत होने से अधिक कारण उल्लिखित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सजा देने वाले प्राधिकारी के आदेश मे पहले से ही कारण मौजूद हैं। परन्तु यदि किसी नई सामग्री पर अपील मे बल दिया गया हो, तो अपील प्राधिकारी को नई सामग्री के मूल्याकन के विषय मे कारण अभिव्यक्त करने चाहिए, यद्यपि अन्तिम निर्णय मे वह सजा देने वाले प्राधिकारी के फैसले को स्थिर रखे।

अनुशासनिक प्राधिकारी की अक्षमता —जबकि अनुशासनिक प्राधिकारी को कानूनी शक्तियों के प्रयोग का अधिकार ही नही हो तो, उसके द्वारा पारित शास्ति का आदेश शून्य (प्रभावहीन) होगा और अपील प्राधिकारी अपनी पुष्टि द्वारा उसे वैद्य आदेश के रूप मे नही बदल सकता।[5]

लोक सेवा आयोग से परामर्श —अपीलों का तसफिया करने से पहले, उन मामलों मे जिनमे लोक सेवा आयोग से परामर्श लेना आवश्यक हो, अपील प्राधिकारी को भी आयोग से परामर्श लेना

1 1977 WLN 245.

2 1968 SLR 812; आई-मुथामनियम वि सेक्रेटरी, 1971 (1) SLR 720-विजय सिंह यादव वि हरियाणा सरकार।

3 AIR 1969 सुप्रीम कोर्ट 1297-गुजरात राज्य वि, पटेल राघव नाथ, 1973 SLJ 834-सी एल झा वि भारतीय सघ।

4 1972 SLR 325 (दिल्ली) डाइरेक्टर, पोस्टल सर्विसेज वि, दयानन्द।

5. 1975 Lab IC-1221, AIR 1925 सुप्रीम कोर्ट 1755-भारतीय सघ वि श्री रतन बिस्वास, 1978 Lab IC 41 कलकत्ता (खण्ड पीठ) टी आर पाण्डे वि चीफ कमीश्नर ए एण्ड एन।

चाहिए। यह परामर्श जरूरी है जबकि अपील प्राधिकारी राज्य सरकार हो। किन्तु फैसला करते समय राज्य सरकार आयोग की सम्मति से सहमत हो या नही भी हो।

अपील प्राधिकारी का निर्णय—अपील प्राधिकारी निम्नांकितो मे से कोई भी निर्णय दे सकता है–यदि वह सजा देने वाले प्राधिकारी की सम्मति स असहमत हो और इस मत का हो कि दोषी कर्मचारी, उसके विरुद्ध लगाये गए किसी भी आरोप का, रेकर्ड के आधार पर, दोषी नही है, तो वह सजा का आदेश रद्द कर सकेगा। परन्तु यदि अपील प्राधिकारी का विचार हो कि मामले की परस्थितियो मे, अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा लागू की गई शास्ति क्रूर है और यह कि उससे हल्की शास्ति न्याय की दृष्टि से उपयुक्त होगी, तो जैसी भी वह उचित समझे वैसी कम सख्ती की शास्ति लागू कर सकेगा। यदि अपील प्राधिकारी अनुशासनिक प्राधिकारी के निष्कर्षों से तथा उसके द्वारा अधिरोपित शास्ति से भी सहमत हो तो वह मूल आदेश की पुष्टि कर सकेगा।

शास्ति मे वृद्धि करना—यदि अपील प्राधिकारी यह अनुभव करे कि अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित शास्ति बहुत हल्की है जिससे न्यायिक प्रयोजन का समाधान नही होगा, तो वह नियम, 30(2) के नीचे दिए गए परन्तुक (i), (ii) और (iii) के प्रावधानो की पूर्ति करने के पश्चात, शास्ति मे वृद्धि कर सकेगा। इसमे ध्यान रखने योग्य प्रथम शर्त तो यह है कि अपील प्राधिकारी बढाई गई ऐसी कोई शास्ति लागू नही कर सकता जो उस मामले मे वह स्वय या मूल आदेश पारित करने वाला प्राधिकारी लागू करने के लिए सक्षम नही था। द्वितीय मे शास्ति मे वृद्धि करने का आदेश जारी करने से पहले, अपील प्राधिकारी अपील कर्त्ता को प्रस्तावित बढाई गई शास्ति के विरूद्ध अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए अवसर प्रदान करेगा। ऐसा करना नितान्त आवश्यक है।[1] जिन गवाहान ने अनुशासनिक कार्यवाहियो मे, दोषी कर्मचारी के विरुद्ध गवाही दी है, उनसे जिरह करने (cross-examination) का एक बहुत मूल्यवान अधिकारी दोषी कर्मचारी मे निहित है, और यदि यह प्रतीत हो कि जिस गवाह के साक्ष्य का आश्रय लिया है उसका बयान कर्मचारी की उपस्थिति मे नही लिए जाने के कारण, या अनुशासनिक जॉच के समय उसको जिरह करने के लिए उपलब्ध नही करने के कारण, कर्मचारी इस अधिकार का प्रभावपूर्ण प्रयोग नही कर सका था, तो इसका एक निश्चित परिणाम यह होगा कि जाच प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के अनुसार की जाना नही मानी जाएगी।

· · · गौरी शकर का कथित बयान जो प्रार्थी के पीठ पीछे (अनुपस्थिति मे) अभिलिखित किया गया था उसका आश्रय लेकर कलेक्टर, भीलवाडा द्वारा अधिरोपित शास्ति मे वृद्धि नही की जा सकती थी। इस मामले मे राजस्व मण्डल ने, एक ऐसे गवाह के बयान का आधार लेकर शास्ति मे वृद्धि कर दी जो प्रार्थी के विरूद्ध की गई विभागीय जाच मे न तो गवाह के रूप मे बुलाया गया था और न प्रार्थी को उससे जिरह करने का मौका मिला। अत अपील के दौरान, शास्ति बढाने की कार्यवाही दूषित करार दी जाकर, खारिज की गई।[2]

शास्ति मे बढोतरी करने पर एक प्रतिबन्ध और लगा हुआ है। नियम 30 (2) के नीचे दिए गये परन्तुक (iii) के अनुसार, यदि अपील प्राधिकारी किसी छोटी शास्ति को नियम 14 के खण्ड (iv) से (vii) मे उल्लेखित किसी कठोर शास्ति मे परिवर्तित करना प्रस्तावित करे और यदि नियम 16 के प्रावधानानुसार पहले से ही कार्यवाही नही हुई हो, तो अपील प्राधिकारी स्वय ऐसी जाच करेगा या

---

1 AIR 1963 सुप्रीम कोर्ट 375-मैसूर सरकार वि शिवबासप्पा।

2 1975 WLN 8 हमन लाल वि राजस्थान सरकार।

ऐसी जाच करने का निर्देशन देगा, और तव नियम 16 के अनुसार की गई कार्यवाही पर विचार करने के बाद और अपीलकर्त्ता को प्रस्तावित शास्ति के विरुद्ध प्रतिवेदन पेश करने तथा व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात जैसा उचित समझे वैसा आदेश पारित करेगा ।

अपील के दौरान अपीलकर्त्ता की मृत्यु—राजस्थान सरकार के दि 18 अप्रैल 1963 के निर्णयानुसार (जो ऊपर दिया जा चुका है), अपीलकर्त्ता राज्य कर्मचारी की मृत्यु हो जाने के बावजूद, और उसके उत्तराधिकारियों या वैध प्रतिनिधियों की रेकर्ड से अनुपस्थिति में और मामले में उनको पक्षकार बनाए बिना, अपील चालू रहेगी। परन्तु ऐसे मामले को वापिस रिमाड करने या शास्ति म वृद्धि करने का प्रश्न नही उठ सकता ।

मामला रिमाड करना—अपील प्राधिकारी यदि उचित समझे, तो मामले को शास्ति प्रदान करने वाले अधिकारी के पास वापिस उपयुक्त निर्देशनो के साथ भेज सकता है। यदि अपील प्राधिकारी अनुशासनिक कार्यवाही में कोई खामी पावे, तो वह जाच अधिकारी को मामला रिमाड करके, दिए गए निर्देशनो की पालना करके पुन. तय करने के लिए भेज सकेगा ।

31. अपील मे दिए गए आदेशो का कार्यान्वयन—वह प्राधिकारी जिसके आदेश के विरुद्ध अपील की गई है, अपील प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशो को कार्यान्वित करेगा ।

टिप्पणी

जब किसी जाच का निपटारा अन्तिम रूप से अपील प्राधिकारी द्वारा कर दिया गया हो, तो मूल आदेश पारित करने वाला प्राधिकारी, अपील प्राधिकारी द्वारा दिए गए आदेशो को क्रियान्वित करेगा, अर्थात् आदेश की तामील करवाएगा, उसी प्रकार जैसे कि दिवानी दावे अपील की अदालत द्वारा पारित फैसले की इजराय के लिए वापिस इब्तदाई अदालत को भेज दिए जाते हैं। परन्तु एक बार जबकि विभागीय जाच पूरी हो चुकी हो, तो जब तक कि सेवा नियमो मे कोई विशेष प्रावधान न हो, तब तक उसी कर्मचारी के विरुद्ध उन्हीं तथ्यों पर दूसरी विभागीय जाच नही की जा सकती ।*

भाग VII

पुनरीक्षण एवं पुनर्विलोकन (Revision & Review)

32. वह प्राधिकारी, जिसके पास नियम 14 मे विनिर्दिष्ट शास्तियो मे से कोई शास्ति लगाने के आदेश के विरुद्ध अपील होनी हो और यदि उसकी कोई अपील न की गई हो तो वह स्वेच्छा से या अन्यथा, अपने अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा की गई अनुशासनिक कार्यवाही मे मामले के अभिलेख मगवा सकेगा तथा उनका परीक्षण कर सकेगा और, यदि आवश्यक हो तो और अन्वेशण करने के बाद, ऐसे मामले मे पारित किसी आदेश का परीक्षण कर सकेगा तथा आयोग से परामर्श करने के बाद जहा ऐसा परामर्श करना आवश्यक हो—

(क) आदेश को पुष्ट, उपान्तरित या अपास्त कर सकेगा,

(ख) कोई शास्ति लगा सकेगा या आदेश द्वारा लगाई गई शास्ति को अपास्त, कम, पुष्ट या वर्धित कर सकेगा ।

---

* AIR 1958 राजस्थान 38-द्वारकाचन्द वि राजस्थान सरकार ।

(ग) मामले को उस प्राधिकारी को, जिसने आदेश दिया हो, या किसी अन्य प्राधिकारी को ऐसी आगे कार्यवाही या जाच करने का निर्देश देते हुए जैसा कि मामले की परिस्थितियो में वह उचित समझे, विप्रेषित कर सकेगा, या,

(घ) ऐसा आदेश जो वह उपयुक्त समझे पारित कर सकेगा :

परन्तु—

[1] किसी शास्ति को लगाने या वर्धित करने का कोई आदेश तब तक पारित नही किया जाएगा, जब तक कि सम्बन्धित व्यक्ति को अभ्यावेदन करने का जो वह ऐसी वर्धित शास्ति के विरुद्ध करना चाहे, अवसर न दे दिया गया हो,

[2] यदि अपील प्राधिकारी किसी ऐसे मामले जिसमे नियम 16 के अधीन कोई जाच नही की गयी हो नियम 14 के खण्ड [4] से [7] मे विनिर्दिष्ट शास्तियो मे से कोई शास्ति लगाने का प्रस्ताव करे तो वह, नियम 19 के उपबन्धो के अध्यधीन ऐसी जाच करने का निर्देश देगा और उसके बाद ऐसी जाच की कार्यवाही पर विचार करके तथा सम्बन्धित व्यक्ति को कोई अभ्यावेदन करने का, जो वह ऐसी शास्ति के विरुद्ध करना चाहे, अवसर देने के बाद, ऐसा आदेश पारित करेगा जो वह ठीक समझे,

[3] इस नियम के अधीन किसी कार्यवाही का आरम्भ, पुनरीक्षित किये जाने वाले आदेश के दिनाक से 6 महिनो के पश्चात् नही किया जाएगा।

टिप्पणी

पहले इस परिच्छेद का शीर्षक "पुनरीक्षण (रिवीजन)" था। उसके बाद अधिसूचना स F- 10 (9) नियुक्ति, A/59 ग्रुप II दिनाक 31-1-61 द्वारा बदल कर 'पुनर्विलोकन (रिव्यू)" कर दिया गया, और अब अधिसूचना स F 3 (17) नियुक्ति (A-III)/67 दिनाक 9 अक्टूबर, 1974 द्वारा पुन सशोधन किया जाकर "पुनरीक्षण एव पुनर्विलोकन (रिवीजन एण्ड रिव्यू)" रखा गया है, जो सही है।

अपील प्राधिकारी को अधिकार है कि वह अपने अधीनस्थ अधिकारी द्वारा सचालित किसी भी अनुशासनिक कार्यवाही के अभिलेख (रेकार्ड) या तो स्वेच्छा से अथवा पीडित राज्य कर्मचारी के आवेदन पर मगवा कर, उनका परीक्षण कर सके। अपील प्राधिकारी, यदि आवश्यक हो, तो उसमें आगे अन्वेषण कर सकेगा और उसके बाद, मामले मे पहले पारित आदेश का पुनरीक्षण (रिवीजन) कर सकेगा। किसी आदेश को पुनरीक्षण करने अर्थात् बदलने से पहले, यदि नियमानुसार आवश्यक हो तो लोक सेवा आयोग से भी परामर्श लेगा। पुनरीक्षण करते हुए, उक्त प्राधिकारी वह सभी कार्यवाही कर सकेगा जो अपील प्राधिकारी नियम 30 के अन्तर्गत अपील मे करने के लिए सक्षम था और यदि उक्त प्राधिकारी शास्ति बढ़ाने का प्रस्ताव करे तो वह उसी प्रकार के प्रतिबन्धो के अधीनस्थ रहगा, अर्थात् जब तक दोषी कर्मचारी को प्रस्तावित बढाई गई शास्ति के विरुद्ध प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का अवसर नही दिया गया हो, तब तक शास्ति मे वृद्धि नही की जा सकेगी। और यह भी कि, यदि लघु शास्ति को कठोर शास्ति मे परिवर्तित करने का इरादा हो और मूल जाच, नियम 16 के अनुबन्धो के अनुसार सचालित नही हुई हो, तो वह तद्नुसार जाच करने का निर्देशन देगा और ततुपश्चात् वैसी जाच की कार्यवाहियो पर विचार

करके और दोषी कर्मचारी को प्रस्तावित शास्ति के विरुद्ध अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अवसर देने के पश्चात्, जैसा भी वह उचित समझे वैसा आदेश पारित कर सकेगा।

पुनरीक्षण के लिए मयाद;—पुनरीक्षण (रिवीजन) की कार्यवाही आरम्भ करने के लिए मयाद (समयावधि), पुनरीक्षण किए जाने वाले आदेश की तारीख से छः महीने की है। परन्तु उक्त छः महीने की अवधि में कारण बताओ नोटिस देना आवश्यक नहीं है, जैसा कि राजस्थान उच्च न्यायालय ने विजयसिंह वि राजस्थान सरकार मे निर्णीत किया है।[1] इस मामले मे उप-महानिरीक्षक आरक्षी ने रेकार्ड मगवाकर, उनका परीक्षण करने के पश्चात् यह तय किया कि पुलिस अधीक्षक ने अपने आदेश दिनाक 10 जून, 1965 द्वारा जो शास्ति दोषी कर्मचारी पर अधिरोपित की वह उदार थी और मामला शास्ति मे वृद्धि करने हेतु कार्यवाही करने के लिए उपयुक्त था। छः महीने की अवधि समाप्त नही हुई थी जब कि दिनाक 11 अक्टूबर, 1965 को, उप-महानिरीक्षक आरक्षी ने दोषी कर्मचारी के विरुद्ध शास्ति बढाने के लिए आगे कार्यवाही करन कि सिफारिश का पत्र महा-निरीक्षक आरक्षी को भेजा क्योंकि वह कार्यवाही खुद नही करके महा-निरीक्षक से करवाना चाहता था, अन्यथा दोषी कर्मचारी को नोटिस वह स्वय ही जारी कर देता। अत न्यायमूर्ति श्री सिघल ने तय किया कि उप-महानिरीक्षक आरक्षी ने शास्ति मे वृद्धि करने की कार्यवाही नियम 32 मे निर्धारित 6 महीने की मयाद के भीतर आरम्भ कर दी थी जब कि उसने 11 अक्टूबर, 1965 को महा निरीक्षक आरक्षी के नाम पत्र भेजा। चू कि महानिरीक्षक आरक्षी के साथ पत्र व्यवहार करने मे कुछ समय नष्ट हुआ, इसलिए कारण बताओ नोटिस विलम्ब से दिनाक 10 अप्रेल, 1966 को जारी किया गया, क्योकि महा-निरीक्षक आरक्षी का मत था कि उप-महानिरीक्षक स्वय आवश्यक कार्यवाही कर सकता था। राजस्थान उच्च न्यायालय ने इसमे व्यक्त किया कि "आया नियम 32 के उप-नियम (3) के अधीन शास्ति मे वृद्धि करने की कार्यवाही के लिए, निर्धारित छः महीने की अवधि मे कोई कार्यवाही प्रारम्भ की गई थी या नही उसको तय करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करना वास्तव मे निर्णयात्मक नही माना जा सकता, क्योंकि नोटिस तो केवल तभी दिया जाता जब कि पुनरीक्षण प्राधिकारी शास्ति 'लागू करना" या "बढाना चाहता हो और न कि जब वह नियम 32 मे उल्लेखित कोई अन्य आदेश देना प्रस्तावित करे।' ····· ·· जब उक्त प्राधिकारी रेकर्ड मगवाए और उसका परीक्षण करे और यह तय करे कि लोक सेवा आयोग से परामर्श लेकर या अन्यथा पहले के आदेश को सशोधित या निरस्त करने के लिए वह मामले की कार्यवाही को आगे बढाएगा, तब से ही उक्त प्राधिकारी द्वारा ऐसे मामले मे कार्यवाही आरम्भ की जाना क्यो नही समझा जावे इसका कोई कारण नही है। इसलिए, नोटिस जारी करना (या प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए अवसर दिया जाना) ही यह निश्चित करने के लिए एक मात्र निर्णयात्मक परीक्षा नहीं है कि आया नियम 32 (उप-नियम 3) के अधीन कार्यवाही आरम्भ हो गई है।"

उक्त न्यायालय ने उसी न्यायालय के मोहनलाल वि राजस्थान सरकार[2] के फैसले का आश्रय लिया जिसमे अदालत ने यह मत व्यक्त किया था कि कार्यवाही तब से आरम्भ की जानी समझी जावे 'जब ऐसे व्यक्तियो के विरुद्ध तलबी का आदेश जारी हो अथवा जब प्राधिकारी कार्यवाही करने का मानस बनावे।" रमन कुट्टी वि. केरल सरकार[3] का भी आश्रय लिया गया जिसमे यह तय हुआ था कि

1 1973 WLN 285।

2 1963 RLW 209।

3 1973 (1) SLR 408।

ऐसे मामलो मे वास्तविक प्रश्न यह है कि आया दोषी कमचारी के विरुद्ध सम्बधित कार्यवाही करने का निएाय लिया गया है ।

एक बार जब कोई मामला गुण दोषो के आधार पर निर्णीत हो चुका हो, तो उसका पुनर्वि लोकन करके शास्ति बढाने के लिए सरकार सक्षम नही है, क्योंकि काई नए तथ्य प्रकाशित नही हुए है ।[1] जब पुनर्विलोकन की शक्ति प्रयाग म लाई जा चुकी हो और समाप्त हो गई हो, तो बारम्बार *पुनर्विलोकन करके इस शक्ति का फिर से प्रयोग नही किया जा सकता ।*[2]

33 राज्य सेवाओ के सदस्यो क सदस्यो के विरुद्ध अनुशासनिक मामलो मे आदेशो का पुनर्विलोकन —सरकार स्वेच्छा से या अन्यथा, उस मामले के अभिलेखो को मगवा सकेगी जिसमे कि राज्य सेवाओ के किसी सदस्य पर नियम 14 मे विनिर्दिष्ट शास्तियो मे से कोई शास्ति लगाने वाला आदेश दिया गया हो, ऐसे किसी मामले मे पारित किसी आदेश का पुनर्विलोकन कर सकेगी और आयोग से परामर्श करने के वाद जहा *ऐसा परामर्श करना आवश्यक हो*—

*[× × ×]

*[(क) 'आदेश की पुष्टि, उसका सशोधन या उसको निरस्त कर सकेगी,

(ख) कोई शास्ति अधिरोपित या निरस्त कर सकेगी या उसके द्वारा अधिरोपित किसी शास्ति को कम कर सकेगी या बढा सकेगी ।"

परन्तु किसी शास्ति को वर्धित करने का आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक तक कि सम्बन्धित व्यक्ति को कोई अभ्यावेदन करने का जो वह ऐसी वर्धित शास्ति के विरुद्ध करना चाहे अवसर न दे दिया गया हो

परन्तु यह और है कि इस नियम के अधीन किसो कार्यवाही का प्रारम्भ पुनर्विलो कित किये जाने वाले आदेश के दिनाक से तीन माहने से अधिक समय बाद नही किया जाएगा ।

+**टिप्पणी** —यह नियम राजस्थान न्यायिक सेवा के किसी ऐसे सदस्य के मामले मे लागू नही होगा जिसके विरुद्ध, सेवा से पदच्युति या हटाये जाने की शास्ति के अतिरिक्त नियम 14 मे विनिर्दिष्ट शास्तियो मे से कोई शास्ति लगाने का आदेश, प्रशासी न्यायाधीश द्वारा या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति द्वारा नामजद किसी न्यायाधीश द्वारा दिया गया हो या जबकि आदेश न्यायालय की समिति द्वारा अपील मे दिया गया हो ।

---

1 1977 Lab IC (NOC) 74 (इलाहाबाद) भारतीय सघ वि राम अवतार शर्मा ।

2 1977 Lab IC 1636 (दिल्ली) बशीधर वि भारतीय सघ ।

* जी एस आर 129 विज्ञप्ति स F 3 (17) नियुक्ति (A-III) 67 दिनाक 9 अक्टूबर, 1974 द्वारा सशोधित, जिससे अभिव्यक्ति 'ऐसा आदेश दे सकेगी जो वह ठीक समझे लोपित की गई ।

\+ अधिसूचना स F 3 (I) A (A)/60, ग्रुप III दिनाक 16 2-1960 तथा 9-1 61 द्वारा सशोधित रूप मे जोडी गई ।

टिप्पणी

नियम 33 राजस्थान सरकार को शक्ति प्रदान करता है जिससे कि वह, राजस्थान न्यायिक सेवाओं के अतिरिक्त, अन्य राज्य सेवाओं के सदस्यों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियों का पुनर्विलोकन (रिव्यू) कर सके। राज्य सरकार या तो स्वेच्छा से ऐसे मामले का अभिलेख (रेकर्ड) मंगवा सकेगी या सम्बन्धित दोषी अधिकारी के आवेदन पर ऐसा कर सकेगी। पुनर्विलोकन की कार्यवाही में राज्य सरकार, दोषी अधिकारी के विरुद्ध पारित शास्ति के आदेश की पुष्टि कर सकेगी या उसमें संशोधन कर सकेगी या उसे खारिज कर सकेगी, अथवा सम्बन्धित अधिकारी को अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् शास्ति में वृद्धि कर सकेगी। कोई भी आदेश जारी करने से पूर्व सरकार लोक सेवा आयोग से उन तमाम मामलों में परामर्श लेगी जिनमें ऐसा करना नियम 5 (2) के अनुसार आवश्यक है जो निम्नांकित है:—

"राज्य सेवाओं के सम्बन्ध में जिनकी नियुक्ति करने की शक्ति किसी अधीनस्थ प्राधिकारी को सुपुर्द की हुई नहीं हो तो निन्दा और वेतन वृद्धियों को रोकने की शास्तियों के अतिरिक्त कोई अन्य शास्ति अधिरोपित करने से पहले लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जायेगा।"

मयादः—नियम 33 के द्वितीय परन्तुक द्वारा पुनर्विलोकन की मयाद जिस आदेश का पुनर्विलोकन करना है उसकी तीथि से तीन महिने की निश्चित की हुई है। अपीलों, पुनर्विलोकन तथा पुनर्विलोकन तथा पुनर्विलोकन प्रस्तुत करने की मयाद निम्नानुसार है —

(1) नियम 30 अपील	जिस तीथि को अपीलकर्त्ता अपीलग्रस्त आदेश की प्रति प्राप्त करे उस दिन से 3 महीने मे (देखिये नियम 25)
(2) नियम 32 पुनरीक्षण	जिस आदेश का पुनरीक्षण करना है उस आदेश की तीथि से 6 महिनों में।
(3) नियम 33 सरकार द्वारा न्यायिक सेवाओं को छोड कर अन्य राज्य सेवाओं के सदस्यों के विरुद्ध आदेशों का पुनर्विलोकन,	जिस आदेश का पुनर्विलोकन करना है उसकी तीथि से 3 महिनें मे।
(4) नियम 34 राज्यपाल द्वारा पुनर्विलोकन	जिस आदेश का पुनर्विलोकन करना है उसकी तीथि से तीन वर्ष मे।

पीडित राज्य कर्मचारी को सामान्यतः अपना अपील करने का अधिकार का प्रयोग समाप्त करने के पश्चात् ही पुनर्विलोकन के लिये प्रार्थना करनी चाहिये। परन्तु कानूनन यह अनिवार्य नहीं है।

राजस्थान न्यायिक सेवाओं के सदस्यों के सम्बन्ध में नियम 33 के नीचे दिये गये नोट का अवलोकन करें।

34 राज्यपाल की पुनर्विलोकन सम्बन्धी शक्तियां:— इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्यपाल, स्वेच्छा से या अन्यथा, मामले के अभिलेखों को मंगाने के बाद, किसी आदेश का जो इन नियमों या नियम 35 द्वारा निरसित नियमों

के अधीन दिया गया हो या अपीलनीय हो, पुनर्विलोकन कर सकेंगे और आयोग से परामर्श करने के बाद, जहा ऐसा परामर्श करना आवश्यक हो—

(क) आदेश को पुष्ट, उपरान्तरित या अपास्त कर सकेंगे,

(ख) कोई भी शास्ति लगा सकेंगे या आदेश द्वारा लगाई गई शास्ति को अपास्त, कम या पुष्ट अथवा वर्धित कर सकेंगे,

(ग) मामले को, उस प्राधिकारी को, जिसने आदेश दिया हो, या किसी अन्य प्राधिकारी को ऐसी अन्य कार्यवाही या जाच के निर्देश देते हुए, जैसा कि वे मामले की परिस्थितियो मे उचित समझे, विप्रेशित कर सकेंगे, या

(घ) ऐसे अन्य आदेश जैसा वे उपयुक्त समझे, पारित कर सकेंगे :

परतु शर्त यह है कि:—

(i) किसी शास्ति को लगाने या वर्धित करने का कोई आदेश तब तक नही दिया जाएगा, जब तक कि सम्बधित व्यक्ति को अभ्यावेदन करने को, जो वह ऐसी वर्धित शास्ति के विरुद्ध करना चाहे, अवसर न दे दिया गया हो।

(ii) यदि राज्यपाल किसी ऐसे मामले मे जिसमे नियम 16 के अधीन कोई जाच नही की गई है, नियम 14 के खण्ड [4] से [7] मे विनिर्दिष्ट शास्तियो मे से कोई शास्ति लगाने का प्रस्ताव करें तो वे, नियम 19, के उपबंधों के अध्यधीन ऐसी जाच करने का निदेश देगे और उसके बाद ऐसी जाच की कार्यवाही पर विचार करने तथा सम्बधित व्यक्ति को ऐसा अभ्यावेदन करने का, जो वह ऐसी शास्ति के विरुद्ध करना चाहे, अवसर देने के बाद, ऐसा आदेश पारित करेंगे जो वे ठीक समझें।

*[पुनर्विलोकन की जाने वाली आज्ञा के दिनाक से तीन वर्ष से अधिक के बाद इस नियम के अधीन कोई कार्यवाही आरम्भ नही की जावेगी।]

टिप्पणी:—यह नियम राजस्थान न्यायिक सेवा के किसी ऐसे सदस्य के मामले मे लागू नही होगा जिसके विरुद्ध सेवा से पदच्युति या हटाये जाने की शास्ति के अतिरिक्त नियम 14 मे विनिर्दिष्ट शास्तियो मे से कोई शास्ति लगाने का आदेश प्रशासी न्यायाधीश द्वारा, या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति द्वारा नामजद किसी न्यायाधीश द्वारा दिया गया हो या जब कि आदेश न्यायालय की समिति द्वारा अपील मे दिया गया हो।

राजस्थान सरकार का निर्णय—"प्रश्न यह है कि आया राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील) नियम, 1958 के नियम 34 के अन्तर्गत पीडित अधिकारियो द्वारा उन पर लागू की गई शास्ति के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत किये गये पुनर्विलोकन के प्रार्थना-पत्रों का फैसला करने से पूर्व राजस्थान लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाना चाहिए। राजस्थान लोक सेवा (कार्यों की सीमा) विनियम 1951 के विनियम स 11 के साथ पठित सविधान के अनुच्छेद 320 (3) (ग) के परन्तुक के अनुसार, जब राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील) नियम, 1958 के नियम 14 म उप खण्ड (i) तथा (ii) मे निर्दिष्ट शास्तिया सरकार लागू करे, तो आयोग

* [वि स. 3(2) कार्मिक (क-3) 75 जी एस आर 29 दिनाक 25-7-75 द्वारा निविष्ठ]

से परामर्श लेना आवश्यक नहीं है। इस लिए ऊपर बनाए गई शास्तियों के विषय में आदेश या पुनर्विलोकन-प्रार्थना-पत्र पर आयोग का परामर्श लेना न तो जरूरी है और न आदेशानुसार। ऊपर बताई गई शास्तियों के अतिरिक्त अन्य शास्तियाँ लागू करने से सम्बन्धित अनुशासनिक मामलों में, इसी प्रकार पुनर्विलोकन प्रार्थना-पत्र के विषय में भी आयोग से परामर्श लेना अवश्यक होगा।"

टिप्पणी

नियम 34–राज्यपाल की पुनर्विलोकन (रिव्यू) की शक्ति—इस नियम के अधीन राज्यपाल को अधिकार है कि वह किसी भी वर्ग के सिविल सेवा के सदस्य के विरुद्ध चलाए गए अनुशासनिक मामलों का पुनर्विलोकन कर सकें। इसके विपरीत नियम 33 के अन्तर्गत राज्य सरकार, (राजस्थान न्यायिक सेवाओं को छोड़कर) केवल राज्य सेवाओं के सदस्यों से सम्बन्धित मामलों में ही पुनर्विलोकन कर सकती है। राजस्थान न्यायिक सेवाओं के सम्बन्ध में, नियम 34 के नीचे दी गई टिप्पणी देखिए। राज्यपाल यह कार्य स्वेच्छा से कर सकते हैं या व्यथित सरकारी कर्मचारी की प्रार्थना पर भी कर सकते हैं।

मयाद;—पहले नियम *34* के अन्तर्गत कोई मयाद निश्चित नहीं थी। परन्तु अब परन्तुक (ii) में निम्नांकित नया खण्ड जोड़ा गया है।—

*"पुनर्विलोकन की जाने वाली आज्ञा के दिनांक से तीन वर्ष से अधिक के बाद इस नियम के अधीन कोई कार्यवाही आरम्भ नहीं की जावेगी।"

सर्वोत्तम न्यायालय ने सूआलाल यादव वि राजस्थान सरकार[1] में एक रोचक निर्णय दिया है। इस मामले में, पुलिस के एक सब-इन्सपेक्टर को एक ऐसी विभागीय जांच करके सेवा से बर्खास्त कर दिया गया जिसमें वह उपस्थित नहीं था। व्यथित व्यक्ति ने राज्यपाल को पुनर्विलोकन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिसे उन्होंने ग्रहण किया और आदेश दिया कि मामला पुनर्विलोकन (रिव्यू) के लिए उपयुक्त नहीं था। तत्पश्चात, दो या तीन महिने के भीतर, उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका पेश की गई। उच्च न्यायालयन ने रिट याचिका मुख्यतः इस आधार पर खारिज कर दी कि राज्यपाल को पुनर्विलोकन के लिए आवेदन-पत्र दो वर्ष की देरी के बाद पेश किया गया, जो उनकी सम्मति में अनुचित विलम्ब था। सर्वोतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि इस मामले में उच्च न्यायालय का मूल्यांकन सही नहीं था। चूंकि राज्यपाल ने पुनर्विलोकन-आवेदन-पत्र विलम्ब के कारण खारिज नहीं किया था और उसे ग्रहण (entertain) करने के पश्चात् पुनर्विलोकन के लिए उपयुक्त नहीं माना, इस लिए सर्वोतम न्यायालय ने यह मन धारण किया कि राज्यपाल ने आवेदन-पत्र उसके गुण दोषों पर खारिज किया था। स्थिति उस प्रकार की होने से, उच्च न्यायालय के लिए यह खुला नहीं था कि उस दूरस्थ अवस्था में (remote stage) पुनर्विलोकन-आवेदन-पत्र के विलम्ब के आधार को पुनर्जीवित करता और उसे रिट याचिका खारिज करने का आधार बनाता। अतः अपील स्वीकार की गई और उच्च न्यायालय का आदेश रद्द किया गया और रिट याचिका वापिस भेजी जाकर उसका निपटारा कानून के अनुसार करने का आदेश दिया गया।

---

* अधिसूचना स F. 3 (2) कार्मिक (A-III)/75, G S R 29 दिनांक 25 जुलाई, 1975 द्वारा जोड़ा गया।

1 AIR 1977 सुप्रीम कोर्ट 2050–1970 Lab IC 1366,

सवैधानिक बिन्दु —अपील में या पुनर्विलोकन म उठाए जा सकते हैं। सरकार पुनर्विलोकन आवेदन पत्र इस आधार पर खारिज नहीं कर सकती कि प्रार्थी की दलीलें ऐसी सवैधानिक पेचीदगियों से सम्बन्धित हैं या उसमें ऐसे कानूनी बिन्दु हैं जिन पर नीचे के प्राधिकारीयों के समक्ष बल नहीं दिया गया था। सरकार भी उच्च न्यायालय के समान ही सविधान और कानून को मान्यता देने के लिए बाध्य है।[1]

राज्यपाल की पुनर्विलोकन शक्ति–आया व्यक्तिगत है या सवैधानिक मुखिया के रूप में — पहले, सर्वोत्तम न्यायालय और राजस्थान उच्च न्यायालय भी इस सम्मति के थे कि जो अधिकार किसी प्राधिकारी विशेष म निहित हो उसका प्रयोग वह केवल स्वय ही कर सकता है, जिसका अर्थ यह हुआ कि नियम 34 के अधीन पुनर्विलोकन का अधिकार केवल राज्यपाल द्वारा प्रयोग में लाया जाना चाहिए न कि सरकार द्वारा।[2] शमशेर सिंह वि पजाब सरकार और ईश्वरचन्द अग्रवाल वि पजाब सरकार[3] में यह निश्चित किया गया है कि राष्ट्रपति/राज्यपाल एक औपचारिक व सवैधानिक मुखिया (Constitutional Head) है। वह सविधान के प्रावधानानुसार अपने मत्रीपरिषद् के सामजस्य से अपने स्वविवेक का प्रयोग करता है। नियुक्तियां तथा व्यक्तियों को सेवा से हटाया जाना राष्ट्रपति/राज्यपाल द्वारा कार्यकारीणी के सवैधानिक मुखिया (Constitutional Head) होने के नाते, और मत्री परिषद् की सहायता तथा परामर्श से करते हैं। यही कारण है कि भारतीय सघ या राज्य के किसी कर्मचारी द्वारा नियुक्ति या बर्खास्तगी के विषय म लाया गया दावा भारतीय सघ या राज्य सरकार के विरुद्ध लाया जाता है न कि राष्ट्रपति/राज्यपाल के विरुद्ध।

इसी प्रकार का निर्णय भारतीय सघ वि श्री पति रजन विश्वास[4] म दिया गया। इस मामले मे घोषित किया गया कि किसी राज्य कर्मचारी की नियुक्ति या बर्खास्तगी के क्षेत्राधिकार का प्रश्न, सघीय सरकार की दशा म राष्ट्रपति और राज्य की दशा म राज्यपाल के कार्यकारीणी कर्तव्यों की परिधि म आता है। अत यह तथ्य कि अन्तिम आदेश स पहले या उसके साथ किसी मत्री ने अर्धन्यायिक जाच की राष्ट्रपति के कर्तव्यों की किस्म को प्रभावित नहीं करता जबकि भारत का सविधान उसे निश्चित रूप म सवैधानिक राष्ट्रपति मानता है, तो यह अनुज्ञ नहीं है न ऐसा इरादा ही किया गया कि राष्ट्रपति म इससे भिन्न शासनिक सम्राट का अधिकार निहित किया जावे। सविधान के अधीन बनाए गए किसी भी नियम क अन्तर्गत राष्ट्रपति का कोई भी सदर्भ उसके सवैधानिक मुखिया (Constitutional Head) के रूप मे राष्ट्रपति स है' जिसमे सवैधानिक कार्यवाही करते हुए मत्री परिषद् की सहायता और सेवा से कार्य करने का अभिप्राय है। केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण नियन्त्रण और अपील) नियम, 1957 के नियम 23 (2) के अनुसार मन्त्री द्वारा लिया गया अपील का निपटारा राष्ट्रपति द्वारा उचित और कानूनी निपटारा है जिसने बर्खास्तगी के आदेश की पुष्टि, मन्त्री की सलाह पर कार्य करते हुए की है। ऐसे मामले मे शक्ति की सुपुर्दगी (delegation of power) सम्मिलित नहीं है।

---

1 1975 Lab, IC 331 (जम्मू व काश्मीर) जी एस ब्रोका वि जम्मू कश्मीर सरकार।

2 AIR 1961 सुप्रीमकोर्ट 751–यू पी सरकार वि बाबूराम उपाध्याय, AIR 1967 राजस्थान 414–लोगमल वि सरकार।

3 1974 सुप्रीम कोर्ट 2192, 1976 ASR 269

4. 1976 ASR 87–AIR 1975 सुप्रीमकोर्ट 1255.

'किसी आदेश',—अभिव्यक्ति 'किसी आदेश का जो इन नियमो या नियम 35 द्वारा निरसित नियमो के अधीन दिया गया हो या अपीलनीय हो" राज्यपाल को पुनर्विलोकन की विस्तृत शक्ति प्रदान करती है और सिविल कर्मचारी को विस्तृत अवसर प्रदान करती है, क्योकि अनुशासनिक कार्यवाहियो मे न केवल अन्तिम आदेश बल्कि निलम्बन के आदेश या कोई मध्यवर्ती (interlocutory) आदेश भी पुनर्विलोकन के विषय हो सकते हैं। उदाहरणत जाच अधिकारी की नियुक्ति, वकील रखने की अस्वीकृति किसी गवाह को सम्मन करने से इन्कार, किसी अभिलेख को ग्रहण करने म इकार किसी गवाह से जिरह करने की अस्वीकृति, इकतरफा आदेश निरस्त करने की अस्वीकृति, अभिलेख निरीक्षण करने की अनुमति नही देना, नियम 18 के अधीन सयुक्त जाच आदि राज्यपाल द्वारा उसकी स्वेच्छा से या अन्यथा अर्थात पीडित पक्षकार द्वारा आवेदन करने पर पुनर्विलोकन किये जा सकेंगे। राज्यपाल पर यह भी कोई प्रतिबन्ध नही है जिससे कि वह पुनर्विलोकन के फलस्वरूप दिये गये स्वय के आदेशो का पुनर्विलोकन नही कर सके। यह केन्द्रीय सरकार के एम एच एफेयर्स के आदेश, मीमो सख्या F-39/1/69 Ests (A) दिनाक 16 अप्रेल 1969 के समरूप है।

पुनर्विलोकन आदेश एक बोलता हुआ आदेश होगा:—जो प्राधिकारी अपील पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन का फैसला करें उनको अपने निष्कर्ष कानून के अनुसार निकालने चाहियें और उनको अपने निर्णय की पुष्टि म कारण उल्लेखित करने चाहिये। ऐसा करना आवश्यक है, "ताकि उच्च न्यायालय (जिसे अपने सवैधानिक कर्त्तव्यो का पालन रिट याचिकाओ पर करना होता हैं) इस स्थिति में हों कि वह यह सुनिश्चित कर सके कि आया निर्णय न्यायिकता से और निष्पक्षता से और सम्बन्धित विषय के तथ्यो और कानून पर उचित विचार करके और नीति या औचित्य के बाहरी प्रभावो से अप्रभावित रहते हुए किया गया था। यह भी ध्यान देन योग्य है कि कारण अभिलिखित करना इस लिये भी आवश्यक है क्योकि इससे मामले को स्पष्टी करण मिलता है मनमान आचरण का मौका कम होता है, आम जनता के मस्तिष्क मे विश्वास पैदा होता है, जिस पक्षकार के विरूद्ध आदेश दिया गया है उसे सतुष्टि होनी है और भारत के सविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन न्यायालय अपनी शक्ति का प्रयोग करने के लिये समर्थ होकर न्यायाधिकरणो और कार्यकारणी को अपनी सीमा के भीतर रहने के लिये बाध्य कर सकता है।[1]

शेष उपचार—जब कोई सरकारी कमचारी अपील, पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन के माध्यम से विफल हो जाये तो, वह उस पर अधिरोपित शास्ति के विरुद्ध राज्यपाल को मेमोरियल याचिका पेश कर सकता है जो कि एक प्रकार मे फौजदारी मुकदमे मे सजा दिये जाने पर किसी अभियुक्त की क्षमा याचना के समान है। सविधान के अनुच्छेद 161 के अधीन राज्यपाल को क्षमादान करने या सजा कम करने की शक्ति है। परन्तु न्यायालय रिट याचिका प्रस्तुत करन म विलम्ब को माफ करने के लिये कार्यकारणी प्राधिकारियो को आवेदन करने तथा मेमोरियल प्रस्तुत करने मे व्यतीत किया गया समय नहीं गिनेगी।[2]

भाग VIII
प्रकीर्ण तथा अस्थाई

35 निरसन तथा व्यावृत्ति:—(1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियत्रण और अपील) नियम, 1950 और ऐसे किन्ही नियमों के अधीन जारी की गई अधिसूचना

1. 1976 Lab IC 1979 (जम्मू कश्मीर) पूर्ण पीठ) एम शरीफुदीन वि जम्मू-कश्मीर सरकार, (1973) I S L R 1168 (जम्मू कश्मीर) हफीज-उल्ला वि जम्मू-कश्मीर सरकार।
2 AIR 1954 बम्बई 202।

और दिए गए आदेश उस सीमा तक, एतद्द्वारा निरसित किए जाते है, जहा तक कि वे उन व्यक्तियो पर लागू होते है जिन पर ये नियम लागू होते हैं, और जहा तक वे अनुसूचो मे विनिर्दिष्ट सिविल सेवाओ के वर्गीकरण से सम्बन्धित हो अथवा जहा तक वे नियुक्तिया करने, शास्तिया लगाने या अपील ग्रहण करने की शक्तिया प्रदान करते हैं :

परतु :—

(क) ऐसा निरसन उक्त नियमो, अधिसूचनाओ और आदेशो अथवा तद्धीन पहले की गई किसी बात या कार्यवाही के प्रवर्तन को प्रभावित नहीं करेगा,

(ख) उक्त नियमो, अधिसूचनाओ या आदेश के अधीन कोई कार्यवाहिया जो इन नियमो के प्रारम्भ के समय लम्बित थी चालू रहेगी और यथा सम्भव इन नियमो के उपबधो के अनुसार निपटाई जाएगी ।

(2) इन नियमो मे कोई भी बात, ऐसे व्यक्ति को, जिस पर कि ये नियम लागू होते हो, अपील करने के उस अधिकार से वंचित करने का प्रभाव नही रखेगी जो कि इन नियमो के प्रारम्भ होने से पूर्व पारित किसी आदेश के सम्बध मे उसको उप नियम (1) द्वारा निरसित नियमो, अधिसूचनाओ या आदेशो के अधीन प्रोद्भूत हो चुका था ।

(3) इन नियमो के प्रारम्भ होने के समय लम्बित या बाद मे की गई अपील पर जो किसी ऐसे आदश के विरुद्ध हो जो इन नियमो के प्रारम्भ से पूव दिया गया था, *इन नियमो के अनुसार विचार किया जाकर उस पर आदेश पारित किए जाएगे ।

टिप्पणी

नियम 35 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रण और अपील) नियम 1950 तथा उसके अधीन जारी की गयी अधिसूचनाओ तथा आदेशो को निरस्त करता है । यह निरसन उस सीमा तक होता है जहा तक कि वे उन व्यक्तियो पर लागू होते है, जिन पर यह नये नियम लागू होते हैं । परन्तु उपनियम 1 के नीचे दिया गया परन्तुक कहता है कि ऐसा निरसन पहले के कानून के अधीन की गई कार्यवाहियो को प्रभावहीन नही करता अर्थात् यह कि उनके अन्तर्गत जो भी कार्यवाही की गयी वह वैध रहेगी । परन्तु पहले के प्रावधानो के अधीन की गयी कार्यवाही जो इन नियमो के चालू होने के समय विचाराधीन चल रही थी वे जारी रहेंगी और, जहां तक सम्भव हो वह इन (नये) नियमो के अनुसार शाशित होगी । अत. कोई भी की गयी कार्यवाही या पारित किया गया आदेश वैध रहेगा और प्रभावशील बना रहेगा । किन्तु जो आदेश पहले भी शून्य या वह अब भी अवैध रहेगा ।

परन्तु उपनियम (2) मे राज्य कर्मचारियो के लिये एक सरक्षण का उपबन्ध किया गया है जिसके अनुसार नये नियम राज्य कर्मचारी को निरस्त किये गये नियमो, अधिसूचनाओ या आदेशो के अधीन पहले से प्राप्त किसी अधिकार से वचित नही सकते, जो कि 1958 मे इन नियमो के लागू होने से पहले अर्जित हो चुके थे । परन्तु उपनियम (2) पर एक प्रतिबन्ध उपबन्ध (3) द्वारा प्रावधानित किया गया है, वह यह है कि जो अपील इन नये नियमो के लागू होने से पहले विचाराधीन थी या जो इन नियमो के लागू होने से पूर्व पारित आदेशों के विरुद्ध है परन्तु नये नियम लागू होने के पश्चात

---

*परिपत्र स एफ 3 (12) नियुक्ति (क) 61 श्रे 3 दिनाक 11-9-61 द्वारा निविष्ट ।

प्रस्तुत की गयी है वह इन नये नियमो के प्रावधानुसार विचारणीय होगी और उसी के अनुसार तय की जायगी। 1950 के पहले के नियमो मे अपील प्राधिकारी को शास्ति म वृद्धि करने का अधिकार नहीं था, परन्तु अब 1958 के नियमो मे नियम 30 के अन्तर्गत अपील प्राधिकारी को शास्ति मे वृद्धि करने की शक्ति प्रदान की गयी है। एक प्रश्न यह उत्पन्न हुआ कि आया कथित सशोधन आगे के लिये है या भूतकाल से प्रभावशील है। मोहन लाल वि राजस्थान सरकार[1] मे राजस्व मण्डल ने प्रार्थी की पदावनति कर दी और आदेश दिया कि तीन वर्षों के लिये उसे किसी उच्च पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने का अवसर नही दिया जाए। प्रार्थी ने शास्ति के इस आदेश के विरुद्ध अपील पेश की जो लगभग 6 वर्षों तक अनिर्णीत रही और उसके दरम्यान 1958 के नये नियम प्रभावशील हो गये और तत्पश्चात सरकार ने, अपील तय करते हुए, नियम 30 के अधीन अपील प्राधिकारी को प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए प्रार्थी की शास्ति मे वृद्धि करते हुए उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया। अपील प्राधिकारी के इस निर्णय को प्रार्थी ने उच्च न्यायालय मे चुनौती दी जिसमे निर्णय हुआ कि नियम 35 के उपनियम (3) मे किया गया सशोधन आगे के लिये (Prospective) प्रभावशील था न कि भूतकालिक प्रभाव से (Retrospective)। अत प्रार्थी की शास्ति म वृद्धि करने की सरकार की गलती अभिलेख पर प्रत्यक्ष रूप से स्पष्ट है। इस प्रावधान का अर्थ यह लगाना न्यायपूर्ण नही होगा कि अपील प्राधिकारी को ऐसी शक्ति प्रदत्त हो गयी है कि वह पहले से ही विचाराधीन अपील, नये नियमो के नियम 30 मे निर्धारित तरीके से तय करे और शास्ति म वृद्धि कर दे।

36. सदेहो का निराकरण:—जहा कोई सदेह उत्पन्न हो कि किसी कार्यालय का अध्यक्ष कौन है या कोई प्राधिकारी किसी दूसरे प्राधिकारी के अधीनस्थ है या उससे उच्चतर है या इन नियमो के उपबधो मे से किसी भी उपबधो के निर्वचन मे या उनकी प्रयोज्यता मे सदेह हो, तो मामला सरकार को नियुक्ति विभाग मे निर्दिष्ट किया जाएगा, जिसका उस पर विनिश्चय अतिम होगा।

37 कतिपय अधिकारियो के लिये विशेष उपबन्ध —जहा कोई अधिकारी एकीकरण की योजनाओ मे से किसी योजना मे किसी पद पर नियुक्त नही किया गया है, तो वह राजस्थान मे सम्मिलित उसी इकाई के उस पर लागू होने वाले नियमो से जिसमे उसने अन्तिम नियुक्ति धारण की हो, शासित होता रहेगा।

---

1. ILR (1961) 11 राजस्थान 783.

राजस्थान सिविल सेवा
[वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील] नियम 1958

अनुसूचियां

(क) 1. सूची विभागाध्यक्ष-प्रथम श्रेणी

2. सूची विभागाध्यक्ष-प्रथम श्रेणी के अतिरिक्त

(ख) कार्यालयाध्यक्ष

(1) राज्य सेवाएं

(2) अधीनस्थ सेवाएं

(3) लिपिक वर्गीय सेवाएं

(4) चतुर्थ श्रेणी सेवाएं

अनुसूची (क)

(1) विभागाध्यक्षो (प्रथम श्रेणी) की सूची

1 महाधिवक्ता
2 अध्यक्ष, राजस्व मण्डल
3 मुख्य वन सरक्षक
4 विलोपित
5 मुख्य अभियन्ता, भवन एव पथ
6. मुख्य अभियन्ता, सिंचाई
7. कर आयुक्त, राजस्थान
8. निदेशक, उद्योग एव रसद विभाग
9 मुख्य निर्वाचन अधिकारी
10 मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार
11 आयुक्त, आबकारी विभाग
12 निदेशक शिक्षा विभाग
13. निदेशक चिकित्सा एव स्वास्थ्य सेवा
14 निदेशक खान एव भूगर्भ विभाग
15. निदेशक कृषि एव खाद्य आयुक्त
16. सयुक्त विकास आयुक्त
17. विकास आयुक्त एव अपर मुख्य सचिव
18. महानिरीक्षक पुलिस
19 महानिरीक्षक, कारागार (निदेशक, सुधार सेवाओ के अधीन विषयो को छोडकर[1])
20 निरीक्षक पजीयन एव स्टाम्प
21 जागीर आयुक्त
22. श्रम आयुक्त
23 विधि परामर्शी
24 न्यायाधीश, औद्योगिक न्यायाधिकरण
25 पजीयक सहकारी समिति
26 बन्दोबस्त आयुक्त
27 परिवहन आयुक्त
27A अतिरिक्त परिवहन आयुक्त[2]
28 निदेशक, मुद्रण एव लेखन सामग्री (उस तारीख से जिससे राजस्थान प्रशासनिक सेवा का अधिकारी उस पद को धारण करे।
29 अपर निदेशक शिक्षा विभाग
30 निदेशक तकनीकी शिक्षा
31 निदेशक बीमा विभाग
32 देवस्थान, आयुक्त
33 निदेशक, चकबन्दी जात
34 प्रधानाचार्य, अधिकारी प्रशिक्षण विद्यालय
35 मुख्य लेखा अधिकारी, चम्बल परियोजना
36 निदेशक, पशु चिकित्सा एव पशुपालन
37 अध्यक्ष तकनीकी शिक्षा मण्डल
38. अध्यक्ष, पाठ्य पुस्तक राष्ट्रीयकरण मण्डल
39 अपर महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग[3]
40 मुख्य अभियन्ता, राजस्थान नहर परियोजना
41 द्वितीय मुख्य अभियन्ता, सिंचाई
42 निदेशक, रोजगार
43 सहायता आयुक्त
44 निदेशक, लघु बचत एव लोटरीज[4]
45 उपनिवेशन आयुक्त, राजस्थान नहर परियोजना बीकानेर[5]
46 विशेषाधिकारी, जाच गृह (परिवहन) विभाग (ऐसी अनुशासनिक कार्यवाहियो के सम्बन्ध में जो किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा उसके भूतपूर्व राजस्थान स्टेट रोडवेज डिपार्टमेंट मे सेवा काल के दरमियान या राजस्थान राज्य सडक परिवहन निगम मे प्रतिनियुक्ति के दौरान किए गए किन्ही कामो के सम्बन्ध मे अथवा किन्ही कामो में की गई किन्ही गलतियो के सम्बन्ध मे लम्बित हो या पुन स्थापित की जाती हो।)
47 आयुक्त, विभागीय जाच
48 अपर आयुक्त वाणिज्य कर एव पदेन प्रधानाचार्य, वाणिज्य कर प्रशिक्षणालय

---

1 विज्ञप्ति सख्या एफ 3 (3) कार्मिक (क-3) 77 दि० 14-2-77 द्वारा निविष्ट।
2 विज्ञप्ति सख्या एफ 3 (20) कार्मिक (क-3) 75 दि० 22-12-75 द्वारा प्रतिस्थापित।
3 विज्ञप्ति सख्या एफ 3 (1) कार्मिक (क-3) 77 दिनाक 2-2-77 द्वारा पुन निविष्ट।
4 विज्ञप्ति सख्या 3 (6) कार्मिक (क-3) 77 दिनाक 19-5-77 द्वारा प्रतिस्थापित।
5 विज्ञप्ति सख्या एफ 3 (9) कार्मिक (क-3) 75 दिनाक 28-1-76 द्वारा प्रतिस्थापित।

49 निदेशक भेड व ऊन विभाग
50 निदेशक, राष्ट्रीय कैडिट कोर
51 अध्यक्ष क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण
52 परीक्षक, स्थानीय निधि अंकेक्षण
53 निदेशक, जिला गजेटियर
54 मुख्य नगर आयोजक
55 मुख्य अभियन्ता, जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी
56 निदेशक भाषा विभाग
57 सदस्य राज्य परिवहन अपील अधिकरण
58 निदेशक चम्बल विकास
59 निदेशक, दुग्धशाला विकास एवं अपर पंजीयक, सहकारी समितियां[1]
60 आयुक्त, मरुस्थल विकास आयुक्त राजस्थान जोधपुर[2]
61 निदेशक, नागरिक रक्षा एवं महासमादेष्टा, गृह रक्षक[3]
62 निदेशक, नगर भूमिया, राजस्थान जयपुर[4]
63 निदेशक, अभियोजन[5]
64 अध्यक्ष, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, राजस्थान[6]
65 अपर महानिरीक्षक (पुलिस सतर्कता)[7]
66 निदेशक, सुधार सेवायें जेल विभाग, जयपुर[8]

(2) विभागाध्यक्षों (प्रथम श्रेणी के अतिरिक्त) की सूची

1 अपर जागीर कमिश्नर
2 निदेशक, अर्थ विज्ञान एवं सांख्यिकी
3 निदेशक पुरातत्व एवं संग्रहालय
4 विलोपित
5 अध्यक्ष आयुर्वेदिक एवं यूनानी पद्धति औषधि पंजीयन मण्डल
6 सक्षम अधिकारी (निष्क्रान्त सम्पत्ति) अलवर
7 विलोपित
8 जिलों के कलेक्टर
9 आफिसर कमांडिंग, राष्ट्रीय कैडिट कोर यूनिट
10 निदेशक, आयुर्वेद विभाग
11 निदेशक, स्थानीय निकाय
12 निदेशक, जन सम्पर्क कार्यालय
13 निदेशक, समाज कल्याण विभाग
14 विलोपित
15 जिला एवं सत्र न्यायाधीशगण
16 विलोपित
17 अध्यक्ष, पुरातत्व मंदिर का
18 व्यवस्थापक, आयुर्वेदिक फार्मेसी
19 प्रधानाचार्य, स्नातक एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालय
20 प्रधानाचार्य, फोर्ड फाउण्डेशन प्रशिक्षण केन्द्र, छत्रपुरा (कोटा)
21 प्रधानाचार्य, मगनीराम बांगड मैमोरियल इन्जीनियरिंग कालेज, जोधपुर
22 पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय
23 सचिव नगर विकास
24 विशिष्ट अधिकारी नगर विकास एवं शासन सचिव
25 सचिव, लोक सेवा आयोग
26 उप निदेशक भेड एवं ऊन
27 विलोपित
28 अधीक्षक, आयुर्वेद अध्ययन

---

1 वि स एफ 3 (15) कार्मिक (क-3) 75 दि० 9-1-76 द्वारा निविष्ट।
2 वि स एफ 3 (17) कार्मिक (क-3) 75 दि० 28-1-76 द्वारा निविष्ट।
3 वि स एफ 3 (18) कार्मिक (क-3) 75 दि० 17-2-76 द्वारा निविष्ट।
4 वि स एफ 3 (6) कार्मिक (क-3) 76 दि० 24-5-76 द्वारा निविष्ट।
5 वि स एफ 3 (12) कार्मिक (क-3) 76 दि० 15-7-76 द्वारा निविष्ट।
6 वि स एफ 3 (16) कार्मिक (क-3) 76 दि० 6-8-76 द्वारा निविष्ट।
7 वि स एफ 3 (19) कार्मिक (क-3) 77 दि० 18-1-77 द्वारा निविष्ट।
8 वि स एफ 3 (3) कार्मिक (क-3) 77 दि० 14-2-77 द्वारा निविष्ट।

29 प्रधानाचार्य, पशु चिकित्सा महाविद्यालय, बीकानेर
30. प्रधानाचार्य, श्री करण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर
31 राजकीय विद्युत निरीक्षक, वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ 18 (11) एफ 11/15, दिनांक 13 अक्टूबर 1956 में वर्णित पदों के लिए।
32 विलोपित
33 विशेषाधिकारी, राजस्थान कृषि महाविद्यालय, उदयपुर जैसे अधिकार प्रधानाचार्य पशु चिकित्सा महाविद्यालय, बीकानेर को दिये गये हैं, ये अधिकार किसी प्रधानाचार्य के कार्यभार संभालने तक के होंगे।
34 निम्नलिखित योजनाओं के सम्बन्ध में विशिष्ट शिक्षा अधिकारी, योजना –
(क) बहुउद्देशीय विद्यालय तथा उच्चतर माध्यमिक शालायें
(ख) केन्द्रीय सभागीय एवं जिला पुस्तकालय
(ग) समाज शिक्षा
35 राजस्थान के महाविद्यालयों के विशेषाधिकारी
36 उप-आयुक्त, उपनिवेशन, राजस्थान नहर परियोजना, बीकानेर
37. आयुक्त, उपनिवेशन, चम्बल परियोजना कोटा
38 विलोपित
39 यूनिट अभिलेख कार्यालयों के लिए उप-सचिव नियुक्ति विभाग
40 वक्फ आयुक्त
41 सचिव, पाठ्य पुस्तक राष्ट्रीयकरण मण्डल
42 प्रधानाचार्य, पोलोटेकनिक (बहुतकनीकी)
43 प्रधानाचार्य अतिरिक्त प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र सुमेरपुर
44 निदेशक, सहायता एवं पुनर्वास
45 निदेशक, संस्कृत शिक्षा
46 विलोपित
47 निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री
48 अतिरिक्त आयुक्त, वाणिज्य कर एवं पदेन प्रधानाचार्य वाणिज्य कर प्रशिक्षणालय
49 भारसाधक अभियन्ता और सचिव, भू-जल मण्डल, जोधपुर
50 मुख्य लेखा अधिकारी
51 निदेशक, पर्यटन विभाग
52 उप-महानिरीक्षक, पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग
53 मुख्य निरीक्षक, फैक्ट्री एवं बायलर्स,
54 अपर उपनिवेशन आयुक्त, राजस्थान नहर योजना, बीकानेर[1]
55 सचिव, मरुस्थल विकास आयुक्त, राजस्थान, जोधपुर[2]
56 अपर बन्दोबस्त आयुक्त (1-4-1974 से)[3]
57 पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण[4]
58 निदेशक, सतर्कता, वन विभाग, राजस्थान, जयपुर[5]

---

1 वि स एफ 3 (9 कार्मिक (क-3)/75 दि॰ 28-1-1976 द्वारा निविष्ट
2 वि स एफ 3 (17) कार्मिक (क-3)/75 दि॰ 28-1-1976 द्वारा निविष्ट
3 वि स एफ 3 (3) कार्मिक (क-3)/75 दि॰ 31-1-1976 द्वारा निविष्ट
4 वि स. एफ 3 (16) कार्मिक (क-3)/76 दि॰ 6-8-1976 द्वारा निविष्ट
5 वि स एफ 3 (13) कार्मिक (क-3)/77 दि॰ 6-8-1977 द्वारा निविष्ट

अनुसूची 'ख'

कार्यालय अध्यक्ष जो सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील) नियम के भाग 3 तथा नियम 15 (1) में निर्दिष्ट शक्तियों का, लिपिक वर्गीय सेवा चतुर्थ श्रेणी सेवाओं के सम्बन्ध में प्रयोग करने के अधिकार रखते हैं :—

विभाग	कार्यालय	चतुर्थ श्रेणी सेवाएं कार्यालय अध्यक्ष	चतुर्थ श्रेणी सेवाएं निकटतम उच्चतर प्राधिकारी	लिपिक वर्गीय सेवाएं कार्यालय अध्यक्ष	लिपिक वर्गीय सेवाएं निकटतम उच्चतर प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6
1 कृषि	मुख्यालय कार्यालय	उप-निदेशक (शस्य कृषि कर्म)	निदेशक	उप-निदेशक (शस्य कृषि कर्म	निदेशक
(क) शस्य शासन कृषि कर्म	जिला कृषि कार्यालय	जिला कृषि अधिकारी	उप-निदेशक (शस्य कृषि कर्म)	जिला कृषि अधिकारी	उप-निदेशक (शस्य कृषि कर्म)
	फार्म	फार्म मैनेजर	सम्बन्धित उपनिदेशक	सम्बन्धित उप-निदेशक	निदेशक
	कृषि विद्यालय	प्रधानाचार्य	,,	प्रधानाचार्य	सम्बन्धित उप-निदेशक
(ख) पशुधन	कार्यालय, उप-निदेशक	उप-निदेशक (पशुधन)	निदेशक	उप-निदेशक (पशुधन)	निदेशक
	कार्यालय, पशुपालन अधिकारी	पशुपालन अधिकारी	,,	,,	,,
	डेयरी विकास शाखा	दुग्धशाला विकास अधिकारी	,,	,,	,,
	पशु प्रजनन प्रक्षेत्र	भारसाधक अधीक्षक	,,	,,	,,
	कुक्कुट क्षेत्र	भारसाधक अधिकारी	,,	,,	,,
	गोशाला विकास शाखा	पशुधन विकास अधिकारी	उप-निदेशक (पशुधन)	उप-निदेशक (पशुधन)	,,
	पशुधन विकास	पशुधन विकास अधिकारी	उप-निदेशक (पशुधन)	उप-निदेशक (पशुधन)	,,
	मास्टर क्षेत्र	भारसाधक पर्यवेक्षक	,,	,,	,,

1	2	3	4	5	6
(ग) पशु चिकित्सा	कार्यालय, उप-निदेशक	उप-निदेशक (पशु चिकित्सा)	निदेशक	उप-निदेशक (पशु चिकित्सा)	निदेशक
	प्रादेशिक कार्यालय	सम्बन्धित प्रादेशिक अधिकारी (द्वितीय वर्ग अधिकारी) (क) जयपुर (ख) जोधपुर	उप-निदेशक (पशु चिकित्सा)	सम्बन्धित प्रादेशिक अधिकारी (द्वितीय वर्ग अधिकारी)	उप-निदेशक (पशु चिकित्सा)
	पशु चिकित्सालय या औषधालय	भारसाधक पशु चिकित्सक	क्षेत्रीय प्रादेशिक अधिकारी (द्वितीय वर्ग अधिकारी)	सम्बन्धित प्रादेशिक अधिकारी (द्वितीय वर्ग अधिकारी)	उप-निदेशक (पशु चिकित्सा)
2 उड्डयन विमान विभाग	केन्द्रीय कार्यालय कार्यालय कोटा	स्थल अभियन्ता स्थल अभियन्ता, कोटा	मुख्य विमान चालक ,,	स्थल अभियन्ता स्थल अभियन्ता, कोटा	मुख्य विमान चालक ,,
3 आयुर्वेद विभाग	मुख्यालय कार्यालय आयुर्वेदिक विभाग	उप-निदेशक आयुर्वेद विभाग	निदेशक, आयुर्वेद विभाग	निदेशक, आयुर्वेद विभाग	शासन सचिव
	*क्षेत्रीय कार्यालय महाविद्यालय एवं आयुर्वेद संस्थान	क्षेत्रीय उप-निदेशक प्रधानाचार्यगण	अपर निदेशक निदेशक, आयुर्वेद विभाग	क्षेत्रीय उप-निदेशक प्रधानाचार्य	अपर निदेशक निदेशक, आयुर्वेद विभाग
	औषध निर्माणशालाएं	प्रभारी वैद्य	मैनेजर	मैनेजर	,,
	औषधालय 'ए' वर्ग	प्रभारी वैद्य	उप-निदेशक, आयुर्वेद विभाग	प्रभारी वैद्य	निदेशक, आयुर्वेद विभाग
	यूनानी दवाखाना 'ए' वर्ग	प्रभारी हकीम	—	प्रभारी हकीम	—
....	औषधालय 'बी' और 'सी' यूनानी दवाखाना 'बी' और 'सी'	निरीक्षक	उप-निदेशक, आयुर्वेद विभाग	निरीक्षक	निदेशक आयुर्वेद विभाग

★ वि. स एफ (11) कार्मिक (क-3) 75 दि 22-12-75 द्वारा निविष्ट।

4	पुरातत्व तथा संग्रहालय विभाग	केन्द्रीय कार्यालय 'परिमण्डल कार्यालय	मुख्य अधीक्षक अधीक्षक	शासन सचिव मुख्य अधीक्षक	मुख्य अधीक्षक अधीक्षक	शासन सचिव मुख्य अधीक्षक
		संग्रहालय अध्यक्ष के अधीन संग्रहालय	संग्रहालयाध्यक्ष	सम्बन्धित परिमण्डल के अधीक्षक	संग्रहालयाध्यक्ष	सम्बन्धित सर्कल के अधीक्षक
		परिरक्षक के अधीन संग्रहालय	परिरक्षक	सम्बन्धित परिमण्डल अधीक्षक	सम्बन्धित परिमण्डल के अधीक्षक	मुख्य अधीक्षक
		खगोलीक वेधशाला, (जतरमतर) जयपुर	पर्यवेक्षक	मुख्य अधीक्षक	मुख्य अधीक्षक	शासन सचिव
5	जनगणना विभाग	केन्द्रीय कार्यालय कार्यालय उप अधीक्षक	अधीक्षक उप-अधीक्षक	शासन सचिव अधीक्षक	अधीक्षक उप-अधीक्षक	शासन सचिव अधीक्षक
6	सरकिट हाउसेज तथा राजकीय (विश्रामालय)	(क) सरकिट हाउस जयपुर, राजकीय प्रवास भवन, जयपुर, राजस्थान और बीकानेर हाउस, नई दिल्ली	अधीक्षक (मैनेजर/ पर्यवेक्षक	शासन उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग	अधीक्षक/मैनेजर/ प्रयवेक्षक	शासन उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग
		(ख) अन्य सरकिट हाउस जिनमें अधीक्षक/मैनेजर अधीक्षक/मैनेजर का पद न हो।		जिलाधीश	अधीक्षक/मैनेजर	जिलाधीश
		(ग) अन्य सरकिट हाउस जिनमे अधीक्षक/मैनेजर का पद न हो।	मुख्यालय या उप-सभाग अधिकार	जिलाधीश	मुख्यालय का उप-सभाग अधिकारी	जिलाधीश
7	खाद्य प्रदाय विभाग	मुख्यालय कार्यालय	★उप-आयुक्त	खाद्य आयुक्त	सहायक खाद्य आयुक्त	★अतिरिक्त आयुक्त
		जिला रसद अधिकारी कार्यालय	जिलाधीश	,,	जिलाधीश	,
8	सहकारी विभाग	केन्द्रीय कार्यालय	सहायक पंजीयक, मुख्य कार्यालय	उप-पंजीयक जो मुख्य कार्यालय में प्रशासन का भारसाधक हो	उप-पंजीयक जो मुख्य कार्यालय मे प्रशासन का भारसाधक हो।	पंजीयक पंजीयक
		†विशेष अंकेक्षक कार्यालय	विशेष अंकेक्षक	मुख्य अंकेक्षक	विशेष अंकेक्षक	मुख्य अंकेक्षक

★ विज्ञप्ति सं. एफ 3 (9) कार्मिक (क-3) 76 दिनाक 6-7-1976 द्वारा जोडा गया।

† अधिसूचना सं एफ 3(7) कार्मिक/क III/77 GSR 102 दि 23-9-1978 द्वारा बजाय शब्द 'अपर आयुक्त' स्तम्भ 3 मे और 'खाद्य आयुक्त' स्तम्भ 6 प्रतिस्थापित किए गए राज राज-पत्र भाग 4(ग) I दि 19-10-1978, पृष्ठ 304।

1	2	3	4	5	6
	कार्यालय सहायक पजीयक कार्यालय शिक्षा अधिकारी प्रचार कार्यालय	सहायक पजीयक शिक्षा अधिकारी प्रचार अधिकारी	सम्बन्धित उप पजीयक ,, ,,	सहायक पजीयक शिक्षा अधिकारी प्रचार अधिकारी	सम्बन्धित उप पजीयक ,, ,,
	निरीक्षक, सहायक निरीक्षक एव प्रकेक्षक कर्मचारीगण	सहायक पजीयक	,,	सहायक पजीयक	,,
9 (क) वाणिज्य कर विभाग	मुख्य कार्यालय	प्रशासन अधिकारी	अपर आयुक्त	प्रशासनिक अधिकारी	अपर आयुक्त
	उपायुक्त (प्रशासन) कार्यालय उपायुक्त (अपील का कार्यालय)	उपायुक्त (प्रशासन) उपायुक्त (अपील)	,, ,,	उपायुक्त (प्रशासन) उपायुक्त (अपील)	अपर आयुक्त ,,
	वाणिज्य कर अधिकारिगण/सहायक वाणिज्य कर अधिकारिगण के कार्यालय	ऐसे वाणिज्य कर अधिकारीगण/सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारीगण जिनके कार्यालय वाणिज्यिक कर अधिकारी के मुख्यालय के अतिरिक्त हैं।	उपायुक्त (प्रशासन)	वाणिज्य कर अधिकारी	उपायुक्त (प्रशासन)
	वाणिज्य कर प्रशिक्षण स्कूल	उप प्रधानाचार्य	अपर आयुक्त (पदेन प्रधानाचार्य)	उप प्रधानाचार्य	अपर आयुक्त, पदेन प्रधानाचार्य)
	पडताल चौकिया (चेक पोस्टस) उडन दस्ते	वाणिज्य कर अधिकारी सहायक वाणिज्य कर अधिकारी, निवारक दल)	उपायुक्त (प्रशासन) ,,	वाणिज्य कर अधिकारी अधिकारी (निवारक दल) अधिकारी (निवारक दल)	उपायुक्त (शासन) ,,
9 (ख) आबकारी विभाग	मुख्य कार्यालय	प्रशासनिक अधिकारी	आयुक्त	प्रशासन अधिकारी	आयुक्त
	उपायुक्त कार्यालय (आबकारी) उपायुक्त कार्यालय निवारक	उपायुक्त (आबकारी) उपायुक्त (निवारक)	,, ,,	उपायुक्त (आबकारी) उपायुक्त (निवारक)	,, ,,

कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी	जिला आबकारी अधिकारी	उपायुक्त (आबकारी)	जिला आबकारी	उपायुक्त (आबकारी)
कार्यालय सहायक आबकारी अधिकारी	सहायक आबकारी अधिकारी (जिनका कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी के मुख्यालय के अतिरिक्त हो)	उपायुक्त (आबकारी)	जिला आबकारी अधिकारी	उपायुक्त (आब०)
कार्यालय सहायक आबकारी अधिकारी (निवारक दल)	सहायक आबकारी अधिकारी (निवारक दल)	उपायुक्त (निवारक दल)	सहायक आबकारी अधिकारी	उपायुक्त (निवारक दल)
जिला आब० अधिकारी (निवारक दल)	जिला आबकारी अधिकारी (निवारक दल)			
मुख्यालय कार्यालय	सहायक अधीक्षक	अधीक्षक	सहायक अधीक्षक	अधीक्षक
सहायक अधीक्षक का कार्यालय तथा उसके 'क्षेत्र' मे निरीक्षक कर्मचारीगण	"	"	"	"
निदेशक कार्यालय	सहायक निदेशक	उप-निदेशक (रेंज)	सहायक निदेशक	निदेशक, शिक्षा
उप-निदेशक	उप-निरीक्षक	"	उप-निदेशक (रेंज)	"
निरीक्षक कार्यालय	निरीक्षक अथवा निरीक्षिका	"	निरीक्षक या निरीक्षिका	उप-निदेशक (रेंज)

नोट: - इन अनुसूची के प्रयोजनार्थ निम्नांकित अधिकारी निरीक्षको के श्रेणी में सम्मिलित है :—
(1) सस्कृत पाठशालाओ का निरीक्षक (2) प्रौढ शिक्षा अधिकारी (3) पजीयक, विभागीय परीक्षायें

कार्यालय उप-निरीक्षक या उप-निरीक्षका	उप-निरीक्षक या उप-निरीक्षिका	निरीक्षक या निरीक्षका	उप-निरीक्षक या उप-निरीक्षका	निरीक्षक या निरीक्षिका

नोट:—इस अनुसूची के प्रयोजनार्थ निम्नांकित अधिकारी, उप-निरीक्षको के प्रवर्ग मे सम्मिलित है —
(1) आयोजन सचिव, बालचर सस्था (2) अधीक्षक, शारीरिक शिक्षा (3) पर्यवेक्षक, बुनियादी शिक्षा

सब-डिप्टी-निरीक्षक, कार्यालय	सब-डिप्टी-निरीक्षक	उप-निरीक्षक	उप-निरीक्षक	निरीक्षक
महा विद्यालय प्रथम	सस्थान अध्यक्ष	शासन सचिव, – –	सस्थान अध्यक्ष	शासन सचिव शिक्षा

1	2	3	4	5	6
	राजकीय इन्टरमिजियेट महाविद्यालय	"	निदेशक शिक्षा विभाग	"	निदेशक, शिक्षा विभाग
	अध्यापक प्रशिक्षण महाविद्यालय, बीकानेर और सादुल पब्लिक स्कूल बीकानेर				
	नार्मल एवं प्रशिक्षण विद्यालय	"	उप निदेशक (रेंज)	"	उप निदेशक (रेंज)
	हाई स्कूल	"	निरीक्षक	'	निरीक्षक
	इसी प्रवर्ग के या निम्नतर प्रवर्ग के अन्य शिक्षा संस्थान।	"	"	"	"
	मुख्यालय कार्यालय, आयुर्वेदिक अध्ययन	अधीक्षक	शासन सचिव	अधीक्षक	शासन सचिव
	राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय]	प्रधानाचार्य	अधीक्षक, आयुर्वेदिक अध्ययन	प्रधानाचार्य	अधीक्षक, आयुर्वेदिक अध्ययन
	'ए' श्रेणी के पुस्तकालय	पुस्तकालय का भारसाधक अधिकारी	निदेशक, शिक्षा विभाग	पुस्तकालय का भारसाधक अधिकारी	निदेशक, शिक्षा विभाग
	अन्य पुस्तकालय	प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी	उप-निदेशक (रेंज)	प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी	उप निदेशक (रेंज)
	पाठ्य पुस्तक राष्ट्रीयकरण मण्डल	सचिव, पाठ्य पुस्तक राष्ट्रीयकरण मण्डल	शिक्षा सचिव	सचिव, पाठ्य पुस्तक राष्ट्रीयकरण मण्डल	शिक्षा सचिव]
12 निर्वाचन विभाग	मुख्यालय कार्यालय	सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी	मुख्य निर्वाचन अधिकारी	उप-मुख्य निर्वाचन अधिकारी	मुख्य निर्वाचन अधिकारी
	जिला कार्यालय	जिलाधीश	अध्यक्ष द्वारा नामजद राजस्व मण्डल का सदस्य	जिलाधीश	अध्यक्ष द्वारा नामजद राजस्व मण्डल का सदस्य
	निर्वाचन पंजीयन अधिकारी कार्यालय	निर्वाचन पंजीयन अधिकारी	जिलाधीश	जिलाधीश	"

13 विद्युत निरीक्षणालय	मुख्यालय कार्यालय	सहायक विद्युत निरीक्षक (मुख्यालय)	शासन विद्युत निरीक्षक	सहायक विद्युत निरीक्षक (मुख्यालय)	शासन विद्युत निरीक्षक
	सम्भाग कार्यालय	सहायक विद्युत निरीक्षक	विद्युत निरीक्षक	सहायक विद्युत निरीक्षक	शासन विद्युत निरीक्षक
14 निष्कान्त सम्पत्ति (प्रशासन) विभाग	केन्द्रीय कार्यालय	प्रशासन का भारसाधक	परिरक्षक	प्रशासन का भारसाधक	परिरक्षक
		सहायक परिरक्षक	"	सहायक परिरक्षक	"
		उप परिरक्षक	"	उप परिरक्षक	
	उप-परिरक्षक कार्यालय सहायक परिक्षक	सहायक परिक्षक	जिले का उप परिरक्षक	सहायक परिरक्षक	जिले का उप-परिक्षक
15 खाद्य आयुक्त विभाग	मुख्यालय कार्यालय	विशिष्ट अधिकारी खाद्य	खाद्य आयुक्त	विशिष्ट अधिकारी खाद्य	खाद्य आयुक्त
	सभाग खाद्य सहायक कार्यालय	खाद्य सहायक	विशिष्ट अधिकारी खाद्य	"	"
	पौध रक्षण शाखा	पौध रक्षण अधिकारी	खाद्य आयुक्त	पौध रक्षण अधिकारी	"
16 (1) वन	मुख्यालय कार्यालय	मुख्य वन सरक्षक का तकनीकी सहायक	मुख्य वन सरक्षक	मुख्य वन सरक्षक का तकनीकी सहायक	मुख्य वन सरक्षक
	परिमण्डल कार्यालय	संरक्षक	"	सरक्षक	"
	सभाग कार्यालय	सभाग वन अधिकारी	वन सरक्षक	सभाग वन अधिकारी	वन सरक्षक
	उप-सभाग कार्यालय	उप-सभाम वन अधिकारी	सभाग वन अधिकारी	उप-सभाग वन अधिकारी	सभाग वन अधिकारी
	रेंजर या उप-रेंजर के भार के अधीन रेंज या अन्य अनुभाग	रेंजर	उप-सभाग वन अधिकारी	"	"
	वन विद्यालय, कोटा	निदेशक	मुख्य वन सरक्षक	निदेशक	मुख्य वन सरक्षक
	वन्य जीव परिरक्षण शाखा	प्रासन्न भारसाधक अधिकारी तथा आखेट सरक्षक (गेम वार्डन), सहायक आखेट सरक्षक, वरिष्ठ आखेट पर्यवेक्षक, कनिष्ठ आखेट पर्यवेक्षक।	सम्पृक्त परिमण्डल का सरक्षक	सम्पृक्त परिमण्डल का सरक्षक	,

(2) वन बन्दोबस्त विभाग	मुख्यालय कार्यालय	वन बन्दोबस्त अधिकारी	मुख्य वन संरक्षक	वन बन्दोबस्त अधिकारी	मुख्य वन संरक्षक
	सभाग कार्यालय	सभाग बन्दोबस्त अधिकारी	वन बन्दोबस्त अधिकारी	सभाग वन बन्दोबस्त अधिकारी	,,
7 मोटरशाला विभाग	1 केन्द्रीय मोटरशाला कारखाना जयपुर	मुख्य अधीक्षक	निदेशक परिवहन विभाग	मुख्य अधीक्षक केवल कनिष्ट लिपिको एव वरिष्ट लिपिकों के लिए	निदेशक, परिवहन विभाग
	2 राजकीय मोटरशाला उदयपुर	अधीक्षक मोटरशाला उदयपुर	मुख्य अधीक्षक	,,	,,
8 राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग	मुख्यालय कार्यालय जिसमें केन्द्रीय लेखन सामग्री भण्डार सम्मिलित है।	निदेशक, मुद्रण एव लेखन सामग्री	शासन सचिव	निदेशक, मुद्रण एव लेखन सामग्री	शासन सचिव
	राजकीय मुद्रणालय	आसन्न भारसाधक अधिकारी	निदेशक मुद्रण एव लेखन सामग्री	आसन्न भारसाधक अधिकारी	निदेशक, मुद्रण एव लेखन सामग्री
9 उद्योग एव नागरिक रसद विभाग	1. मुख्यालय (बाट और माप को छोडकर)	सहायक निदेशक	निदेशक	सहायक निदेशक	निदेशक
	2. मुख्यालय कार्यालय, नियत्रक (बाट और माप)	नियत्रक बाट और माप	,,	नियत्रक, बाट और माप	,
	3 प्रादेशिक सहायक निदेशक; कार्यालय	सम्पृक्त प्रादेशिक सहायक निदेशक	,,	प्रादेशिक सहायक निदेशक	,,
	4 रासायनिक प्रयोगशाला कार्यालय	प्रयोगशाला अधिकारी	,,	प्रयोगशाला अधिकारी	,
	5. परियोजना अधिकारी कार्यालय	परियोजना अधिकारी	,,	परियोजना अधिकारी	,,
	6. कार्यालय, प्रधानाचार्य ऊन कुटीर उद्योग प्रशिक्षण सस्थान	प्रधानाचार्य	,,	प्रधानाचार्य	,,

	7 कार्यालय, सहायक निदेशक (चर्म) (चर्म प्रशिक्षण संस्थान)	सहायक निदेशक	"	सहायक निदेशक	"
	8 जयपुर को छोड़कर जिले के लिए जिला उद्योग अधिकारी का कार्यालय	सम्पृक्त जिला उद्योग अधिकारी	प्रादेशिक सहायक निदेशक	जिला उद्योग अधिकारी	प्रादेशिक सहायक निदेशक
	9 कार्यालय प्रधीक्षक एव डिजायनर/आर्टिस्ट हस्त शिल्पकला विकास केन्द्र, जयपुर	प्रधीक्षक एवं डिजायनर/आर्टिस्ट	निदेशक	प्रधीक्षक एवं डिजायनर/आर्टिस्ट	निदेशक
20 लोक निर्माण विभाग (सिंचाई)	मुख्यालय कार्यालय	मुख्य प्रभियन्ता का तकनीकी सहायक	मुख्य अभियन्ता	मुख्य अभियन्ता का तकनीकी सहायक	मुख्य अभियन्ता
	परिमण्डल कार्यालय	प्रधीक्षण प्रभियन्ता	"	प्रधीक्षण प्रभियन्ता	"
	परिमण्डल कार्यालय (अपर मुख्य प्रभियन्ता के भार के प्रधीन	"	प्रपर मुख्य अभियन्ता	"	प्रपर मुख्य प्रभियन्ता
	सभाग कार्यालय	प्रधिशासी प्रभियन्ता	प्रधीक्षण अभियन्ता	अधिशासी अभियन्ता	अधीक्षण प्रभियन्ता
	उप-सभाग कार्यालय	सहायक प्रभियन्ता	प्रधिशासी अभियन्ता	सहायक अभियन्ता	अधिशासी अभियन्ता

नोट—कोटा स्थित मुख्य विकास अभियन्ता के प्रधीन परियोजना से सम्बन्धित कर्मचारियों पर उपयुक्त प्रत्यायोजन यथोचित परिवर्तन सहित लागू होगा।

लोक निर्माण विभाग (सिंचाई)	राजस्थान नहर बोर्ड	सहायक सचिव, राजस्थान नहर बोर्ड	सचिव, राजस्थान नहर बोर्ड	सहायक सचिव, राजस्थान नहर बोर्ड	सचिव, राजस्थान नहर बोर्ड
21 लोक निर्माण विभाग (भवन एव सड़क	मुख्यालय कार्यालय	मुख्य अभियन्ता का तकनीकी सहायक	मुख्य प्रभियन्ता	मुख्य प्रभियन्ता का तकनीकी सहायक	मुख्य अभियन्ता

1	2	3	4	5	6
	अधीक्षकों के अधीन चिकित्सालय	अधीक्षक	उप-निदेशक, मैडिकल स्टोर तथा चिकित्सालय	अधीक्षक	उप-निदेशक, मैडिकल स्टोर तथा चिकित्सालय
	सभाग कार्यालय तथा जोन के सामान भन्डार	सभाग के सहायक निदेशक सबद्ध स्वास्थ्य अधिकारी या सहायक स्वास्थ्य अधिकारी	सभाग के सहायक निदेशक	सभाग के सहायक निदेशक	उप-निदेशक (जन स्वास्थ्य तथा ग्राम चिकित्सा सहायता)
	जिला कार्यालय	जिला चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी	उप-निदेशक चिकित्सा एव स्वास्थ्य सेवाए (प्रशासन)	जिला स्वास्थ्य एव चिकित्सा अधिकारी	उप-निदेशक चिकित्सा एव स्वास्थ्य सेवाए (प्रशासन)
	चिकित्सालय, दवाखाना या इसी प्रकार के चिकित्सा या स्वास्थ्य सस्थान जो उपर्युक्त मे सम्मिलित नही हैं।	भारसाधक अधिकारी	जिला चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी	भारसाधक अधिकारी	जिला चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी
	टी बी क्लिनिक	प्रान्तीय टी बी अधिकारी	उप-निदेशक (जन स्वास्थ्य एव ग्राम चिकित्सा सहायता)	प्रान्तीय टी. बी अधिकारी	उप-निदेशक (जन स्वास्थ्य एव ग्राम चिकित्सा अधिकारी)
	केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला	मुख्य लोक विश्लेषक	,,	मुख्य लोक विश्लेषक	,,
	सभाग प्रयोगशालाएं	सभाग का सहायक निदेशक	,,	सभाग का सहायक निदेशक	,,
			,,		
	स्वास्थ्य विद्यालय	अधीक्षिका	सभाग का सहायक निदेशक	,,	,,

		आयुर्विज्ञान महाविद्यालय	प्रधानाचार्य	निदेशक	प्रधानाचार्य	निदेशक
	परिवार नियोजन	राज्य प. नि. ब्यूरो	प्रशासनिक अधिकारी	राज्य प नि अधिकारी	प्रशासन अधिकारी	रा प नि अ
		जिला. प. नि ब्यूरो	2उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी	,,	2उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी	,,
		शहरी परिवार नियोजन केन्द्र	प्रभारी, अस्पताल/मातृ शिशु कल्याण केन्द्र	जि प. नि. अधिकारी	प्रभारी	जि प नि. अ
		ग्रामीण प नि. केन्द्र	प्रभारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/डिस्पे.	,,	प्रभारी	,,
		क्षेत्रीय प. नि. अधिकारी	प्राचार्य, क्षेत्रीय प. नि प्र. केन्द्र	राज्य प नि अधिकारी	प्राचार्य	राज्य प नि अ
		मृत शल्य केन्द्र	निदेशक मृत शल्य	,,	निदेशक मृत शल्य	,,
		स्वास्थ्य परिवहन संगठन	मुख्य परिवहन अधिकारी	,,	मुख्य परिवहन अधि	,,
28	खान एवं भू-विज्ञान विभाग	मुख्यालय कार्यालय	संयुक्त निदेशक	निदेशक	संयुक्त निदेशक (प्रशासन)	निदेशक
		संभाग कार्यालय	खान अभियन्ता	संयुक्त निदेशक (प्रशासन)	खान अभियन्ता	संयुक्त निदेशक (प्रशासन)
		उप-सम्भाग कार्यालय	सहायक खान अभियन्ता	खान अभियन्ता संभाग	सहायक खान अभियन्ता	खान अभियन्ता संभाग
		पलाना कोयला खान, बीकानेर	खान मैनेजर	संयुक्त निदेशक (प्रशासन)	खान मैनेजर	संयुक्त निदेशक (प्रशासन)
29	जन सम्पर्क विभाग	मुख्य कार्यालय	सहायक निदेशक	अपर निदेशक	सहायक निदेशक (केवल कनिष्ठ लिपिकों के लिए	अपर निदेशक
					अपर निदेशक (केवल कनिष्ठ लिपिकों से ऊपर की श्रेणी के लिए)	निदेशक

1	2	3	4	5	6
	अधीनस्थ कार्यालय	जन सम्पर्क अधिकारी तथा सूचना केन्द्रो के भारसाधक अधिकारी	,,	(i) जन सम्पर्क अधिकारी (केवल कनिष्ठ लिपिको के लिए)	अपर निदेशक
				(ii) सूचना केन्द्रा के भारसाधक अधिकारी (केवल कनिष्ट लिपिको के लिए)	अपर निदेशक
				(iii) अपर निदेशक (कनिष्ठ लिपिक मे ऊपर की श्रेणी के लिए)	निदेशक
0 पुलिस विभाग	मुख्यालय कार्यालय	सहायक महानिरीक्षक (बल)	अपर महानिरीक्षक पुलिस (बल)	सहायक महानिरीक्षक (बल)	अपर महानिरीक्षक पुलिस (बल)
	रेंज	उप महानिरीक्षक	महानिरीक्षक, पुलिस	उप महानिरीक्षक रेंज	महानिरीक्षक पुलिस
	अधीक्षको के भारसाधन के अधीन जिला तथा पुलिस लाइने	अधीक्षक	उप महानिरीक्षक पुलिस, रेंज	अधीक्षक	उप महानिरीक्षक पुलिस, रेंज
	उप-अधीक्षक या निरीक्षको के भारसाधन के अधीन परिमण्डल	भारसाधक अधिकारी	जिला पुलिस अधीक्षक	जिला पुलिस अधीक्षक	उप महानिरीक्षक पुलिस, रेंज
	थाने तथा चौकिया	भारसाधक अधिकारी	परिमण्डल का भारसाधक अधिकारी	जिला पुलिस अधीक्षक	उप महानिरीक्षक, पुलिस रेंज
	खुफिया पुलिस विभाग तथा गुप्त वार्ता ब्यूरो (क) मुख्यालय (ख) जोन	सस्थापना का भारसाधक पुलिस अधीक्षक भारसाधक अधिकारी	उप महानिरीक्षक पुलिस, खुफिया पुलिस विभाग	सस्थापना का भारसाधक पुलिस अधीक्षक भारसाधक अधिकारी	उप-महानिरीक्षक पुलिस, खुफिया पुलिस विभाग

	पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय ...		पुलिस (बल)		...
	प्रशिक्षण केन्द्र रेंज	,	उप महानिरीक्षक पुलिस, रेंज	,	उप महानिरीक्षक पुलिस रेंज
	बेतार (वायरलैस)	,,	अपर महानिरीक्षक पुलिस, बल	,,	अपर महानिरीक्षक पुलिस (बल)
	मोटर परिवहन	,,	सहायक महानिरीक्षक पुलिस, बल,	,	सहायक महानिरीक्षक पुलिस, (बल)
			महानिरीक्षक	*उप महानिरीक्षक	महानिरीक्षक
31 रजिस्ट्रीकरण स्टाम्प विभाग	मुख्यालय कार्यालय (अपर महानिरीक्षक रजिस्ट्रीकरण तथा स्टाम्प), राजस्थान, जयपुर	*उप महानिरीक्षक	*उप महानिरीक्षक	,,	,,
रजिस्ट्रीकरण	परिमंडल निरीक्षक कार्यालय सब-रजिस्ट्रार कार्यालय	निरीक्षक सब रजिस्ट्रार	,,	,,	*उप महानिरीक्षक
स्टाम्प्स	कोषागार	कोषाधिकारी	,	कोषाधिकारी	अध्यक्ष
32 राजस्व विभाग	कार्यालय राजस्व बोर्ड	रजिस्ट्रार	अध्यक्ष	रजिस्ट्रार	राज्य सरकार
(1) राजस्व विभाग	जिला	कलेक्टर	अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट राजस्व बोर्ड का सदस्य	अध्यक्ष द्वारा नामजद राजस्व बोर्ड का सदस्य	
		(i) कार्यालय अधीक्षक प्रथम श्रेणी एवं आशुलिपिक द्वितीय श्रेणी के लिए जिनको जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर एवं बीकानेर में नियुक्त किया गया है।			
		(ii) अपने कार्यालयों के कार्यालय अधीक्षक, प्रथम और आशुलिपिक द्वितीय श्रेणी के पद धारण करने वालों के लिए केवल छोटी शास्ति के लिए		कलक्टर	अध्यक्ष द्वारा नामजद राजस्व बोर्ड का सदस्य
		(iii) अन्य कर्मचारियों अर्थात कनिष्ठ लिपिक, वरिष्ठ लिपिक आदि के लिये।		,,	,,

1	2	3	4	5	6
		(iv) तहमील राजस्व लेखाकारा पर छोटी शक्तिया अधिरोपित करने के लिए		कलेक्टर	राजस्व बोर्ड
	उप-सभाग मजिस्ट्रेट न्यायालय तहसील	उप-सभाग अधिकारी मजिस्ट्रेट तहसीलदार	कलेक्टर , उप सभाग अधिकारी	उप-सभाग अधिकारी मजिस्ट्रेट तहसीलदार	कलेक्टर ,, उप-सभाग अधिकारी
		(क) तहसीलदार राजस्व, लेखाकारो पर जो तहसीलदारो के कार्यालयो से सबद्ध हैं, छोटी शास्तियां लगाने के लिए सम्पृक्त		तहसीलदार	कलेक्टर
		(ख) बडी शास्तियां लगाने के लिए		कलेक्टर	राजस्व बोर्ड
	उप-तहसीलदार	तहसीलदार	उप सभाग अधिकारी	तहसीलदार	उप-सभाग अधिकारी
	राजस्व प्रशिक्षणालय के प्रधानाचार्य का कार्यालय	प्रधानाचार्य	अध्यक्ष राजस्व बोर्ड	प्रधानाचार्य	अध्यक्ष राजस्व बोर्ड
	राजस्व अपील प्राधीकारी का कार्यालय	राजस्व अपील प्राधीकारी	अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट राजस्व बोर्ड का सदस्य	राजस्व अपील प्राधिकारी	अध्यक्ष द्वारा नामजद राजस्व बोर्ड का सदस्य
उपनिवेशन विभाग	1 उपनिवेशन आयुक्त	उपनिवेशन आयुक्त का निजी सहायक	उपनिवेशन आयुक्त	सहायक उपनिवेशन आयुक्त मुख्यालय	उपनिवेश आयुक्त
[1](2) उपनिवेश विभाग राजस्थान नहर परियोजना	उपनिवेश आयुक्त	अतिरिक्त उपनि० आयुक्त आयुक्त द्वारा मनोनीत	,	अति० उपनिवेशन आयुक्त द्वारा मनोनीत	,,

	उपायुक्त	उपायुक्त (पुनर्वास)	,,	उपायुक्त (पुनर्वास)	,,
	उपायुक्त	उपायुक्त	,,	उपायुक्त	प्रति० आयुक्त बीकानेर आयुक्त द्वारा मनोनीत
	सहा० आयुक्त	सहा० आयुक्त	उपायुक्त	सहा० आयुक्त	,,
	उपनिवेशन तहसीलदार	उपनिवेश तहसीलदार	सहायक आयुक्त	सहायक आयुक्त	अध्यक्ष, राजस्व बोर्ड
(3) भू-अभिलेख	मुख्यालय कार्यालय	सहायक निदेशक कार्यालय)	अध्यक्ष राजस्व बोर्ड	सहायक निदेशक (कार्यालय)	,,
			अध्यक्ष राजस्व बोर्ड	सम्पृक्त सहायक निदेशक	,,
	कार्यालय सहायक निदेशक भू-अभिलेख (प्रदेश) जिला कार्यालय	सम्पृक्त सहायक निदेशक भू-अभिलेख भू-अभिलेख अनुभाग का भारसाधन उप सभाग अधिकारी	कलेक्टर	भू-अभिलेख अनुभाग का भार साधक उप-सभाग अधिकारी	कलेक्टर
	तहसील कर्मचारी वर्ग	तहसीलदार	सम्पृक्त उप सभाग अधिकारी	तहसीलदार	सम्पृक्त उप सभाग अधिकारी

नोट:—सदर कानूनगो, सहायक कानूनगो, तथा भू-अभिलेख विभाग के निरीक्षक पद-धारको सम्बन्ध मे सम्पृक्त जिले का कलेक्टर, "कार्यालयाध्यक्ष" तथा राजस्व बोर्ड का भू-अभिलेख का भारसाधक सदस्य अगला उच्च प्राधिकारी होगा।

(4) बन्दोबस्त	मुख्यालय कार्यालय	अपर बन्दोबस्त आयुक्त	बन्दोबस्त आयुक्त	अपर बन्दोबस्त आयुक्त	बन्दोबस्त आयुक्त
	परिमण्डल	बन्दोबस्त अधिकारी	,,	बन्दोबस्त अधिकारी	,,
		सहायक बन्दोबस्त अधिकारी	बन्दोबस्त अधिकारी	सहायक बन्दोबस्त अधिकारी	बन्दोबस्त अधिकारी
	सहायक अभिलेख			सहायक अभिलेख अधिकारी	
	सहा. अभिलेख अधिकारी के अधीन तहसील या क्षेत्र अधिकारी	सहायक अभिलेख			

नोट:—सदर कानूनगो, सहायक सदर कानूनगो, कार्यालय तथा भू-अभिलेखविभाग के पद धारको के सम्बन्ध मे सम्पृक्त जिले का कलेक्टर, "कार्यालयाध्यक्ष" तथा निदेशक भू-अभिलेख अगला उच्च प्राधिकारी होगा।

31 सहायता एव पुनर्वास विभाग	मुख्यालय कार्यालय	सहायक लेखाधिकारी (पुनर्वास) जयपुर	उप सचिव (सहायता एव पुनर्वास) एवं पदेन निदेशक, सहायता एव पुनर्वास विभाग	सहायक लेखाधिकारी (पुनर्वास) जयपुर	उप-सचिव/सहायता एव पुनर्वास एव पदेन निदेशक सहायता विभाग

1	2	3	4	5	6
	जिला कर्मचारी वर्ग, अलवर	सहायक लेखाधिकारी (पुनर्वास) अलवर	,,	सहायक लेखाधिकारी (पुनर्वास) अलवर	,,
	अलवर के अलावा जिला कर्मचारी वर्ग	कलेक्टर (पुनर्वास)	,,	कलेक्टर (पुनर्वास)	,,
34 सचिवालय	—	(क) सम्पृक्त विभाग/प्रकोष्ठ/कार्यालय के शासन उपसचिव/सहायक शासन सचिव/अनुभाग अधिकारी और तत्समान हैसियत के अन्य अधिकारी, ऐसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को परिनिन्दा एवं एक वेतन वृद्धि रोकने की शास्ति लगाने के लिए जिनके विभाग/अनुभाग/प्रकोष्ठ/कार्यालय से उक्त कर्मचारी अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ करने के समय सम्बन्ध थे	(1) शासन सचिव, जहां विभाग/प्रकोष्ठ/कार्यालय का उप सचिव कार्यालयाध्यक्ष है (2) शासन उप सचिव नियुक्ति (ख) विभाग, अन्य समस्त मामलों के सम्बन्ध में	(क) विभाग/प्रकोष्ठ/कार्यालय में शासन उप सचिव या तत्समान हैसियत का कोई अधिकारी और जहां ऐसा कोई अधिकारी उपलब्ध नहीं हो, अनुभाग अधिकारी एवं मुख्य अनुवादक को छोड़कर अपने अधीन कार्य करने वाले लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के सम्बन्ध में उप-सचिव नियुक्ति (ख) विभाग उन कर्मियों के लिए जो पदीय कर्तव्य का निर्वहन करने में की गई हों, परिनिन्दा और एक वेतन वृद्धि रोकने की शास्ति लगाने के सम्बन्ध में	विशिष्ट शासन सचिव, नियुक्ति विभाग
		[1]सहायक शासन सचिव कार्मिक (क-2) विभाग	शासन उप सचिव नियुक्ति विभाग	(ग) उपर्युक्त लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के सम्बन्ध में समस्त अन्य	विशिष्ट शासन सचिव, नियुक्ति विभाग

1 वि म एफ 3 (2) कार्मिक (क-3) 77 दि 2-'-77 द्वारा प्रतिस्थापित।

मामलो के लिये और मुख्य सचिव/शासन सचिव/ विशिष्ट शासन सचिव/मुख्य मन्त्री/मंत्री/उप मंत्री/ ससदीय सचिव के कार्यालय से सम्बद्ध ऐसे अन्य कर्मचारियो के सम्बन्ध मे, शासन उप सचिव, नियुक्ति (ख) विभाग

(ग) अनुभाग अधिकारी और मुख्य अनुवादक के सम्बन्ध मे, विशिष्ट शासन सचिव, नियुक्त विभाग | मुख्य सचिव

5. सैनिक बोर्ड	(क) जिला सैनिक बोर्ड–	+सचिव, जिला सैनिक बोर्ड	सचिव, राज्य सैनिक बोर्ड +सचिव, जिला सैनिक बोर्ड		सचिव, राज्य सैनिक बोर्ड
	(ख) राज्य सैनिक बोर्ड	सचिव राज्य सैनिक बोर्ड			

+[अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ करने के समय उनके विभाग से सम्बद्ध चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, लिपिक वर्ग तथा कल्याण-सगठनकर्त्ता (वेलफेयर आर्गेनाईजर्स) को परिनिन्दा, एक वेतन वृद्धि रोकने तथा वेतन मे से वसूली के दण्ड देने की शक्तियां सचिव, जिला सैनिक मण्डल मे निहित होगी।]

36. राज्य बीमा विभाग		उप-निदेशक	निदेशक	उप-निदेशक	निदेशक
37. निदेशालय अर्थ विज्ञान एवं सांख्यिकी	मुख्यालय कार्यालय	भारसाधक सहायक निदेशक, प्रशासन	निदेशक	भारसाधक सहायक निदेशक	निदेशक
	जिला कार्यालय	सांख्यिक	"	सांख्यिक	"
++38 परिवहन	मुख्यालय कार्यालय	परिवहन उप-आयुक्त	अपर परिवहन आयुक्त	परिवहन उप-आयुक्त	अपर परिवहन आयुक्त
	प्रादेशिक परिवहन कार्यालय	प्रादेशिक परिवहन अधिकारी	परिवहन उप-आयुक्त	प्रादेशिक परिवहन अधिकारी	परिवहन उप-आयुक्त

1	2	3	4	5	6
	जिला परिवहन कार्यालय	जिला परिवहन अधिकारी	प्रादेशिक परिवहन अधिकारी	जिला परिवहन अधिकारी	प्रादेशिक परिवहन अधिकारी
39 कोषागार	कोषागार उप कोषागार	कोषाधिकारी तहसीलदार	कलेक्टर कोषाधिकारी	कोषाधिकारी ,,	कलेक्टर ,,
40. राज्यपाल के सचिवालय	राज्यपाल का सचिवालय	राज्यपाल का सचिव	शासन सचिव	राज्यपाल का सचिव	मुख्य सचिव
41 विधि विभाग	(1) महाअधिवक्ता कार्यालय	महाधिवक्ता	शासन सचिव, विधि	महाधिवक्ता	शासन सचिव, विधि विभाग
	(2) सरकारी अधिवक्ता कार्यालय	उप-सरकारी अधिवक्ता	सरकारी अधिवक्ता	सरकारी अधिवक्ता	विधि परामर्शी
42 विकास एवं पंचायत विभाग (पंचायत कक्ष)	मुख्य कार्यालय	उप-विकास आयुक्त	संयुक्त विकास आयुक्त (पंचायत)	उप विकास आयुक्त (पंचायत)	संयुक्त विकास आयुक्त पंचायत
	कलेक्टरों के कार्यालय	उप-जिला विकास अधिकार	कनिष्ट लिपिकों के लिए	कलक्टर	अध्यक्ष द्वारा नामजद राजस्व बोर्ड का सदस्य
			वरिष्ट लिपिका के लिए	उप-विकास आयुक्त (पंचायत)	,,
			पंचायत समितियों में प्रतिनियुक्त लेखालिपिकों पर परिनिन्दा तथा बिना आकलित प्रभाव के दो वेतन वृद्धियां रोक रखने की शास्तियां लगाने के सम्बन्ध में सम्पृक्त कलेक्टर		अपर विकास आयुक्त

43 राष्ट्रीय कैडेट कोर	राष्ट्रीय कैडेट कोर निदेशालय	उप निदेशक	निदेशक	उप निदेशक	निदेशक
	राष्ट्रीय कैडेट कोर यूनिट	आफिसर कमांडिंग	,,	आफिसर कमांडिंग	,,
44 स्थानीय निधि	मुख्यालय कार्यालय	सहायक परीक्षक	परीक्षक	परीक्षक	शासन सचिव, वित्त विभाग
	अंकेक्षण विभाग रेंज कार्यालय	सहायक परीक्षक	,,	सहायक परीक्षक	परीक्षक
45 पुरातत्व निदेशालय	सहायक निदेशक	निदेशक	निदेशक	निदेशक	शासन सचिव शिक्षा विभाग
46 सचिवालय	जिला मुख्यालय तथा सामान्य निक्षिप्त अभिलेखागार	कलेक्टर	उप सचिव नियुक्ति (ख) विभाग	कलेक्टर	उप-सचिव नियुक्ति (ख) विभाग
	उप-सभाग मुख्यालय	उप सभाग अधिकारी	,,	उप सभाग अधिकारी	,,
47 जागीर विभाग	मुख्यालय कार्यालय	अपर जागीर आयुक्त	जागीर आयुक्त	अपर जागीर आयुक्त	जागीर आयुक्त
	जिला जागीर कार्यालय	उप-कलेक्टर, जागीर सहायक कलेक्टर (जमीदारी एव विस्वेदारी	कलेक्टर	उप कलेक्टर, जागीर सहायक कलेक्टर जागीर जमीदारी एव विस्वेदारी	कलेक्टर
48 मुख्य लेखाधिकारी	मुख्यालय कार्यालय	लेखाधिकारी	मुख्य लेखाधिकारी	लेखाधिकारी	मुख्य लेखाधिकारी
49 समाज कल्याण विभाग	मुख्य कार्यालय	उप निदेशक	निदेशक	उपनिदेशक	निदेशक
	सभाग कार्यालय	सहायक निदेशक, सभाग कार्यालय	उप निदेशक (मुख्यालय)	सहायक निदेशक सभाग कार्यालय	उप-निदेशक (मुख्यालय)
	जिला कार्यालय	समाज कल्याण अधिकारी	सहायक निदेशक खण्ड कार्यालय	,,	,,

1	2	3	4	5	6
	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नागौर, खेतड़ी, पाली सीकर भीलवाड़ा रतनगढ़ गंगानगर	सम्बन्धित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के अधीक्षक		सम्बन्धित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के अधीक्षक	
(ख) शिक्षा विंग	मुख्यालय कार्यालय	सहायक निदेशक तकनीकी शिक्षा		सहायक निदेशक तकनीकी शिक्षा	
	पोलिटेक्निक संस्थान	सम्बन्धित पोलिटेक्निक के प्रधानाचार्य		सम्बन्धित पोलिटेक्निक के प्रधानाचार्य	I
(ग)	तकनीकी शिक्षा बोर्ड कार्यालय	पंजीयक	सचिव	पंजीयक	सचिव
60 भाषा विभाग	निदेशालय	सहायक निदेशक	निदेशक	सहायक निदेशक	निदेशक
61 निरीक्षणालय फैक्ट्री तथा बायलर	मुख्य कार्यालय	फैक्ट्री तथा बायलर निरीक्षक (मुख्यालय) और मुख्य निरीक्षक फैक्ट्री तथा बायलर के तकनीकी सहायक	मुख्य निरीक्षक फैक्ट्री तथा बायलर	फैक्ट्री तथा बायलर निरीक्षक (मुख्यालय) और मुख्य निरीक्षक फैक्ट्री तथा बायलर के तकनीकी सहायक	मुख्य निरीक्षक फैक्ट्री तथा बायलर
	मुख्यालय पर पदस्थापित फैक्ट्री तथा बायलर निरीक्षक को सम्मिलित करते हुए वरिष्ठ निरीक्षक फैक्ट्री तथा बायलर	वरिष्ठ निरीक्षक फैक्ट्री तथा बायलर		वरिष्ठ निरीक्षक फैक्ट्री तथा बायलर	
	जिला स्थित फैक्ट्री तथा बायलर निरीक्षक	फैक्ट्री तथा बायलर निरीक्षक		फैक्ट्री तथा बायलर निरीक्षक	

	विभाग	कार्यालय	चतुर्थ श्रेणी सेवाएं		लिपिक वर्गीय सेवाएं	
			कार्यालय अध्यक्ष	अगला उच्च अधिकारी	कार्यालय अध्यक्ष	अगला उच्च अधिकारी
	1	2	3	4	5	6
+62	भेड तथा ऊन	1 निदेशालय भेड तथा ऊन	सहायक निदेशक (प्रशासन)	निदेशक	सहायक निदेशक (प्रशासन)	निदेशक
		2 जिला कार्यालय	जिला भेड तथा ऊन अधिकारी	,,	जिला भेड तथा ऊन अधिकारी	,,
		3 ऊन श्रेणीकरण केन्द्र	ऊन श्रेणीकरण अधिकारी प्रिंसीपल	,,	ऊन श्रेणीकरण अधिकारी प्रिंसीपल	,,
		4 भेड तथा ऊन प्रशिक्षण केन्द्र	प्रिंसीपल	,,	प्रिंसीपल	,,
		5. भेड प्रजनन फार्म	अधीक्षक	,,	अधीक्षक	,,
		6 ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला	प्रयोगशाला अधिकारी	,	प्रयोगशाला अधिकारी	,,
		7 नर कतरन योजना	मुख्य कतरन अधिकारी	,,	मुख्य कतरन अधिकारी	
		8. सहायक निदेशक (कृत्रिम गर्भाधान	सहायक निदेशक (कृत्रिम गर्भाधान	,	सहायक निदेशक (कृत्रिम गर्भाधान)	,,
		9 कृत्रिम गर्भाधान कार्यालय	कृत्रिम गर्भाधान प्रसार अधिकारी	निदेशक	सहायक निदेशक (कृत्रिम गर्भाधान)	निदेशक
		10 रोग अन्वेषण प्रयोगशाला	रोग अन्वेषण अधिकारी (भेड, बकरी)	,	रोग अन्वेषण अधिकारी	,
		11 रोग निदान प्रयोगशाला	सहायक रोग अन्वेषण अधिकारी	,,	सहायक रोग अन्वेषण अधिकारी	,

अधिसूचना सं एफ 3 (5) कार्मिक/ए-III/78 जी एस आर 47 दि० 16 मई, 1979 द्वारा भेड व ऊन विभाग के मौजूदा इन्द्राजात के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया। जिसका प्रकाशन राजस्थान राज-पत्र भाग 4 (ग) (I) दि० 5 जुलाई 1979 में पृष्ठ 141 पर हुआ।

अनुसूची-1—राज्यसेवाएं (State Services)

1 निम्नलिखित सेवाओं में सम्मिलित पदो के धारक—

[1][1 राजस्थान उच्च न्यायिक सेवा 2 राजस्थान प्रशासनिक सेवा
3 राजस्थान न्यायिक सेवा 4 राजस्थान पुलिस सेवा
5 राजस्थान लेख सेवा 6 राजस्थान सचिवालय सेवा]

नोट राजस्थान पुलिस सेवा के पद धारको के सम्बन्ध मे परनिंदा और वेतन-वृद्धि रोक रखने की शास्तिया लगाने की शास्तिया महा निरीक्षक पुलिस में निहित होगी।

2 नीचे प्रगणित अन्य पदो के धारक –

नोट—नीचे प्रगणित पदो के धारको के सम्बन्ध म भाग 3 और नियम 15 के उप नियम (1) में विनिर्दिष्ट शक्तिया जो विभागाध्यक्ष में प्रत्यायोजित प्राधिकारी के अधीन निहित हैं, वे सरकार द्वारा आयुक्त, विभागीय जाच को सौंपे गए विभिन्न विभागो से सम्बधित 50/- रु या इससे अधिक राशि के गबन की जाच के मामलो के सबध मे आयुक्त विभागीय जाच में निहित होगी।

कृषि विभाग

क-कृषि अनुभाग

1 निदेशक, कृषि विभाग, 2 उप निदेशक 3 सहायक निदेशक 4 प्रशासन सहायक 5 अथ वनस्पति विज्ञ, 6 कृषि रसायनज्ञ, 7 कीट विज्ञानी, 8 कवक विज्ञानी, (माइकोलोजिस्ट 9, सांख्यिक 10 कृषि अभियता 11 सहायक कृषि अभियता, 12 जल वैज्ञानिक, 13 अधीक्षक बुनियादी कृषि विद्यालय, 14 जिला कृषि अधिकारी, 15 फल विशेषज्ञ, 16 सभागीय पशु चिकित्सा अधिकारी 17 पशुपालन अधिकारी, 18 दुग्धशाला अधिकारी, 19 प्रधानाचार्य, राजस्थान पशु चिकित्सा महाविद्यालय, बीकानेर 20 जिला पशु चिकित्सा अधिकारी, 21, सहायक पौध सरक्षण अधिकारी, 22 सहायक भूमि सरक्षण अधिकारी, 23 भारसाधक अधिकारी, कनिष्ठ कर्मचारी प्रशिक्षण केन्द्र।

नोट – मद 14 के पदो के धारको के सबध मे भाग 3 तथा नियम 15 (1) मे विनिर्दिष्ट शक्तिया, उनमे अन्तर्विष्ट उपबधो के अध्यधीन निदेशक, कृषि विभाग मे निहित होगी।

ख-पशुधन अनुभाग

1 उप-निदेशक 2 सहायक निदेशक, पशुचिकित्सा विभाग
3 अधिकारी, प्रथम श्रेणी 4 अधिकारी, द्वितीय श्रेणी
5 गोशाला विकास अधिकारी 6 पशुधन विकास अधिकारी
7 अधीक्षक, पशु प्रजनन प्रक्षेत्र 8 सहायक मजन पशु चिकित्सा

नोट.– मद 4 तथा 7 के पदो के धारको के सबध मे भाग 3 तथा नियम 15 (1) में विनिर्दिष्ट शक्तिया, उनमें अन्तर्विष्ट उपबन्धो के अध्यधीन निदेशक कृषि विभाग म निहित होगी।

पुरातत्व एव सग्रहालय विभाग

1 मुख्य अधीक्षक 2 अधीक्षक 3 सग्रहालयाध्यक्ष 4 पुरातत्व रसायनज्ञ 5 गवेषणा एव खुदाई अधिकारी 6 मुद्रा-शास्त्रज्ञ।

---

1 वि स 3 (4) नियुक्ति (क-3) 72 दि 24-9-1973, जो राजपत्र म दि 17-4-75 को प्रकाशित हुआ, द्वारा प्रतिस्थापित।

उड्डयन विभाग

1 मुख्य पायलट 2 पायलट 3 ग्राउन्ड अभियंता 4 रेडियो चालक।

आयुर्वेद विभाग

1 निदेशक, आयुर्वेद विभाग 2 प्रभारी मैनेजर, औषध निर्माणशाला 3 प्राचार्य आयुर्वेद महाविद्यालय 4 उप-निदेशक।

जनगणना विभाग (लोपित)

सर्किट हाउस

1 अधीक्षक, राजस्थान स्टेट होटल्स, जयपुर 2 भण्डार निरीक्षक।

खाद्य एवं नागरिक रसद विभाग

1 जिला रसद अधिकारी 2 विशिष्ट लेखा अधिकारी 3 लेखा अधिकारी 4 सहायक लेखा अधिकारी 5 सांख्यिक।

सहकारी विभाग

[1]1 अपर पंजीयक	2 प्रादेशिक संयुक्त पंजीयक
3 उप-पंजीयक	4 मुख्य (आडिटर) अंकेक्षक
5 सहायक पंजीयक	6 विशिष्ट अंकेक्षक
7 शिक्षा अधिकारी	8 प्रचार अधिकारी

नोट — सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां के लिए परिनिन्दा तथा दो वेतनवृद्धियां रोकने का दण्ड देने की शक्तियां पंजीयक, सहकारी समितियों में निहित होगी। [वि स एफ 3 (5) नियम (क-3) 76 S O 85 दि 13-5-76]

वाणिज्यिक कर विभाग

1 उप आयुक्त, (प्रशासन)	2 उप-आयुक्त, (अपील)
3 प्रशासन अधिकारी	4 वाणिज्यिक कर अधिकारी

5 उप-प्रधानाचार्य, वाणिज्यिक कर प्रशिक्षण विद्यालय

6 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी

7 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी (निवारक दल)

8 सांख्यिक अधिकारी

नोट — क्रमांक 6 और 7 के पदों के धारकों को अर्थात् सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी और सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी (निवारक दल) और वाणिज्यिक कर अधिकारी (ग्रेड 4) जो रा प्र से के नहीं हैं को परिनिन्दा और वेतनवृद्धि रोक रखने की शक्तियां तत्संबंधी शक्तियां, कर आयुक्त, राजस्थान में निहित होंगी।

आबकारी विभाग

1 उप-आयुक्त (आबकारी)	2 प्रशासन अधिकारी
3 जिला आबकारी अधिकारी	4 सहायक आबकारी अधिकारी
5 मुख्य अभियोजन निरीक्षक	6 उप आयुक्त (निवारक दल)

7 सहायक आबकारी अधिकारी [निवारक दल]

---

1 स एफ 3 [9] कार्मिक/क-3/76 दि 6-7-76 द्वारा प्रतिस्थापित।

9 लेखा अधिकारी 10 उद्यान विशेषज्ञ 11 उद्यान अधीक्षक 12 रसायनज्ञ (जल प्रदाय विभाग 13 विशेष अधिकारी ग्राम जल-प्रदाय (जल प्रदाय विभाग)।

जेल विभाग

1 महानिरीक्षक, कारागार 2 उप-महानिरीक्षक, कारागार 3 अधीक्षक, केन्द्रीय जेल 4 अधीक्षक, जिला जेल 5 उप-अधीक्षक, केन्द्रीय एव जिला जेल 6 निदेशक, जेल उद्योग 7 चिकित्सा अधिकारी, सहायक सिविल सर्जन, प्रथम श्रेणी एव द्वितीय श्रेणी।

नोट— मद 5 के पद धारको के सम्बन्ध मे भाग (3) तथा नियम 15 (1) मे विनिर्दिष्ट शक्तिया उनमे अन्तर्विष्ट उपबन्धो के अध्यधीन महानिरीक्षक कारागार मे निहित होगी।

श्रम विभाग

1 श्रम आयुक्त 2 सयुक्त श्रम आयुक्त 3 उप श्रम आयुक्त 4 सहायक श्रम आयुक्त 5 कार्मिक अधिकारी 6 श्रम कल्याण अधिकारी।

चिकित्सा एव जन स्वास्थ्य विभाग

क - चिकित्सा एव जन स्वास्थ्य विभाग

1 निदेशक, चिकित्सा एव स्वास्थ्य सेवा 2 उप-निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा 3 सहायक निदेशक, चिकित्सा एव स्वास्थ्य सेवा 4 मुख्य उपचर्या अधीक्षक 5 प्रान्तीय टी० बी० अधिकारी 6 जन्म मरण गणना अधिकारी 7 लेखा अधिकारी 8 प्रधान चिकित्सा अधिकारी 9 चिकित्सालय अधीक्षक 10 वरिष्ठ सर्जन 11 वरिष्ठ भिषक 12 वरिष्ठ स्त्री रोग चिकित्सक 13 वरिष्ठ नेत्र चिकित्सक 14 सर्जन 15 भिषक 16 स्त्री रोग चिकित्सक 17 नेत्र चिकित्सक 18 रश्मि विद 19 दन्त चिकित्सक 20 जिला चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी 21 सहायक सिविल सर्जन, प्रथम श्रेणी (चार दन्त चिकित्सको को सम्मिलित करते हुए) 22 उपचर्या अधीक्षक 23 मातृका (मैट्रन) 24 स्वास्थ्य अधिकारी (एम बी बी एस) 25 अधीक्षिका, स्वास्थ्य विद्यालय 26 औषध रसायनज्ञ 27 जिवाणु विज्ञानी 28 मुख्य सरकारी विश्लेषक 29 रसायन परीक्षक 30 मैनेजर सैन्ट्रल मैडिकल स्टोर 31 राजस्थान चिकित्सा एव स्वास्थ्य सेवा प्रथम श्रेणी (सलेक्शन ग्रेड) 32 राजस्थान चिकित्सा एव स्वास्थ्य सेवा, प्रथम श्रेणी 33 राजस्थान चिकित्सा एव स्वास्थ्य सेवा द्वितीय श्रेणी (वरिष्ठ वेतनमान) 34 राजस्थान चिकित्सा एव स्वास्थ्य सेवा द्वितीय श्रेणी (कनिष्ठ वेतनमान) 35 सहायक स्वास्थ्य अधिकारी 36 सचिव सामान्य व्यय सगठन 37 प्रशासन अधिकारी 38 निदर्शक 39 आहार विद 40 सरकारी विश्लेषक *[41 एन्टोमोलोजिस्ट 42 वरिष्ठ ड्रग निरीक्षक 43 ड्रग निरीक्षक 44 ड्रग विश्लेषक 45 सहायक ड्रग विश्लेषक 46 ड्रग निरीक्षक (आयुर्वेद) 47 विधि अधिकारी, आयुर्वेद 48 रेडियो-फिजोसिस्ट]

ख—सवाई मानसिंह आयुर्विज्ञान महाविद्यालय

1 प्रधानाचार्य, सवाई मानसिंह आयुर्विज्ञान महाविद्यालय 2 (क) आचार्य, शरीर क्रिया विज्ञान (ख) आचार्य, शरीर रचना विज्ञान (ग) आचार्य, औषधि प्रभाव विज्ञान (घ) आचार्य, विकृति विज्ञान 3 (क) उपाचार्य, विकृति विज्ञान (ख) उप चार्य, मैडीसन (क्लीनिकल) (ग) उपाचार्य जीव रसायन 4 (क) सहायक आचार्य, शरीर क्रिया विज्ञान (ख) सहायक आचार्य, शरीर

---

* नि स एफ 3 (15) कार्मिक (क 3) 76 जी एस आर 62 दि 2-8-76) द्वारा निविष्ट]

रचना विज्ञान 5 (क) वरिष्ठ निदेशक, शरीर क्रिया विज्ञान (ख) वरिष्ठ निदर्शक, शरीर रचना ज्ञान (ग) वरिष्ठ निदर्शक, औषध प्रभाव विज्ञान (घ) वरिष्ठ निदर्शक, विकृति विज्ञान प्राध्यापक।

ग—आयुर्विज्ञान महाविद्यालय

1 पुस्तकाध्यक्ष (375–850 के वेतनमान में)

2 व्यायाम शिक्षक (375–850 के वेतनमान में)

खान एवं भू-विज्ञान विभाग

1 निदेशक 2 संयुक्त निदेशक, प्रशासन 3 खान अभियंता 4 सहायक खान अभियंता 5 रसायनज्ञ एवं सिरेमिक औद्योगिकी विज्ञ 6 खान मैनेजर 7 सहायक खान मैनेजर 8 उप वेधक अभियंता 9 रसायनज्ञ 10 सिरेमिक सहायक 11 सहायक अभियन्ता (सर्वेक्षण) 12 मैनेजर, पाटन परियोजना 13 श्रमिक कल्याण अधिकारी 14 वरिष्ठ भू विज्ञान 15 कनिष्ठ भू विज्ञानी 16 रसायनज्ञ एवं सिरेमिक अभियन्ता।

पुलिस विभाग

[1][1 पुलिस वाहन अधिकारी 2 निदेशक न्याय (फोरमेन्सिक) विज्ञान प्रयोगशाला 3 सहायक निदेशक, फो वि प्रयोगशाला 4 वैज्ञानिक अधिकारी, फो वि प्र।

टिप्पणी—पद सं 1, 3 व 4 को परिनिन्दा व वेतन वृद्धि रोकने का दण्ड देने की शक्तियां महानिरीक्षक, आरक्षी में निहित होगी।]

जन सम्पर्क निदेशालय

1 निदेशक 2 उप निदेशक 3 सहायक निदेशक 4 समीक्षा अधिकारी 5 वरिष्ठ फोटोग्राफर 6 सहायक सम्पादक 7 सम्पर्क अधिकारी 8 जन सम्पर्क अधिकारी 9 पूछताछ अधिकारी।

सहायता एवं पुनर्वास विभाग

1 वित्तीय सलाहकार 2 ऋण अधिकारी

समाज कल्याण विभाग

1 निदेशक 2 सहायक निदेशक 3 कल्याण अधिकारी 4 अनुसंधान अधिकारी 5 प्रचार अधिकारी 6 विशेष अधिकारी (पुनर्वास) 7 चिकित्सा अधिकारी 8 अधीक्षक गृह 9 मुख्य परियोजना अधिकारी 10 प्रधानाचार्य 11 प्राध्यापक 12 जन जाति कल्याण एवं सुधार कार्य प्रशासन व अध्यापक।

निर्वाचन विभाग

1 मुख्य निर्वाचन पर्यवेक्षक

पर्यटन निदेशालय

1 निदेशक 2 उप निदेशक 3 सहायक निदेशक 4 मैनेजर।

पंजीयन एवं स्टाम्प विभाग

1 निरीक्षक

राजस्व एवं भू अभिलेख विभाग (लोपित)

नाविक, सैनिक तथा वैमानिक मण्डल

1 सचिव

1 सं प 3 (12) कार्मिक/क 3/77/GSR/162/दि 6 8-77 द्वारा प्रतिस्थापित।

सचिवालय

1 सहायक शासन सचिव 2 व्यवस्था एव पद्धति अधिकारी 3 निजी सचिव 4 लाविन 5 [1][6 सतर्कता अधिकारी]।

राज्य बीमा

1 निदेशक 2 उप निदेशक 3 सहायक निदेशक

अर्थ विज्ञान एवं सांख्यिकी निदेशालय

1 निदेशक अर्थ विज्ञान एव सांख्यिकी 2 सांख्यिक 3 उप निदेशक 4 सहायक निदेशक।

स्वायत शासन (स्थानीय निकाय)

1 प्रादेशिक निरीक्षक 2 सभागीय पंचायत अधिकारी।

विकास विभाग

1 विकास अधिकारी 2 पशुपालन अधिकारी 3 कृषि प्रसार अधिकारी 4 सम्पादक, राजस्थान ग्राम विकास 5 प्रधानाचार्य ग्राम सेवक केन्द्र।

[2]विकास अधिकारी पर शास्ति अधिरोपित करने का अधिकार—

(1) सम्बन्धित कलेक्टर (जिला विकास अधिकारी) को परिनिन्दा तथा असंचयी प्रभाव से दो तक वेतन वृद्धियां रोकने के लिये।

(2) अन्य लघु शास्तियां के लिए—निदेशक सामुदायिक विकास।

(3 कलक्टर के द्वारा दी गई शास्ति के आदेश की अपील—निदेशक सामुदायिक विकास। उप निवेशन विभाग ××× (लोपित दि० 28 1 76 से)

राजस्थान उच्च न्यायालय

1 उप-पंजीयक (प्रशासन) 2 सहायक पंजीयक एव मुख्य न्यायाधिपति के सचिव 3 पुस्तकाध्यक्ष (375–850 के वतनमान मे)

विधि एवं न्याय विभाग

1 पूर्णकालिक लोक अभियोजक 2 सरकारी अधिवक्ता।

पंचायत विभाग

1 सहायक निदेशक 2 वरिष्ठ प्रशिक्षक तथा अन्य प्रशिक्षक 3 जिला पंचायत अधिकारी।

अल्प बचत संगठन

1 विशेष अधिकारी अल्प बचत 2 सभागीय अधिकारी अल्प बचत।

रोजगार निदेशालय

1 निदेशक 2 उप निदेशक 3 सहायक निदेशक 4 उप प्रादेशिक रोजगार अधिकारी 5 सहायक रोजगार अधिकारी 6 जिला रोजगार अधिकारी।

चकबंदी विभाग

1 चकबन्दी अधिकारी

राजस्थान लोक सेवा आयोग (विलोपित)

अधिकारी प्रशिक्षण विद्यालय, जयपुर

1 प्रशासन अधिकारी

---

1 स० एफ 3(11) कार्मिक/क 3/75 दि 28 1 76 द्वारा जोड़ा गया।

2 स० प० 9 (18) कार्मिक/क III/77 दि० 10 1 78।

मूल्यांकन संगठन

1 प्रादेशिक मूल्यांकन अधिकारी 2 अन्वेषण अधिकारी

राजस्थान नहर परियोजना

1 सहायक नगर आयोजक

राजस्थान भू-गर्भ जल विभाग

1 भारसाधक अभियन्ता एवं सचिव 2 अधिशासी अभियन्ता (वेधन) 3 अधिशासी अभियन्ता (विस्फोटक) 4 भू-गर्भ जल वैज्ञानिक 5 सहायक अभियन्ता 6 कनिष्ठ भू विज्ञानी 7 रसायनज्ञ 8 वेधन फोरमैन[1] [9 कनिष्ठ जल वैज्ञानिक 10 कनिष्ठ भौतिकीक 11 कनिष्ठ रसायनज्ञ]

जिला गजेटियर्स निर्देशालय

1 अनुसंधान अधिकारी

निर्देशालय पुरालेख

1 निदेशक पुरालेख 2 सहायक निदेशक पुरालेख

नागरिक सुरक्षा विभाग

[2][1 निदेशक, नागरिक सुरक्षा एवं कमांडेंट जनरल, होमगार्ड्स 2 उपनिदेशक, नागरिक सुरक्षा एवं डिप्टी कमांडेंट जनरल 3 बटालियन कमांडेंट 4 वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी नागरिक सुरक्षा 5 वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी, होमगार्ड 6 उप कमांडेंट, नगर होमगार्ड 7 बटालियन में द्वितीय कमांडेंट 8 कनिष्ठ स्टाफ अधिकारी 9 लेखाधिकारी।

टिप्पणी—पद स० 3 से 9 को 'परिनिन्दा' तथा दो स अनधिक वेतन वृद्धियां संचयी प्रभाव से रोकने की शक्तियां निदेशक में निहित होगी।]

नगर आयोजना विभाग

1 मुख्य नगर आयोजक एवं वास्तुशिल्प सलाहकार 2 वरिष्ठ नगर आयोजक 3 उप-नगर आयोजक 4 उप नगर आयोजक (सिविल सर्वेक्षण) 5 सहायक नगर आयोजक (तकनीकी सहायक को सम्मिलित करते हुए) 6 सहायक अभियंता (सर्वेक्षण) 7 सांख्यिक 8 अनुसंधान अधिकारी।

तकनीकी शिक्षा निर्देशालय

1 निदेशक, तकनीकी शिक्षा 2 अध्यक्ष, तकनीकी शिक्षा बोर्ड 3 संयुक्त निदेशक, तकनीकी शिक्षा 4 सचिव, तकनीकी शिक्षा बोर्ड 5 प्रशिक्षण एवं काम दिलाने वाला अधिकारी 6 प्रधानाचार्य, पोलिटेक्निक 7 सहायक निदेशक, तकनीकी शिक्षा 8 अध्यक्ष, अभियांत्रिक विभाग 9 प्राध्यापक, तकनीकी 10 प्राध्यापक, गैर तकनीकी 11 अधीक्षक, वर्कशाप 12 उप-निदेशक, प्रशिक्षण 13 राज्य उप शिशुता सलाहकार 14 सहायक निदेशक, प्रशिक्षण 15 राज्य सहायक शिशुता सलाहकार 16 प्रधानाचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान 17 अधीक्षक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान 18 पंजीयक तकनीकी शिक्षा बोर्ड* [19 उपनिदेशक 20 रीडर 21 पाठ्यक्रम विकास का अध्यक्ष 22 शैक्षणिक अधिकारी 23 सहायक प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट अधिकारी]।

भाषा विभाग

1. निदेशक 2. सहायक निदेशक 3 जिला भाषा अधिकारी

---

1 स० एक 9 (55) कार्मिक/क-3/76 GSR 128 दि० 27-6-77 द्वारा जोड़े गये।

2 स० 3 (2) कार्मिक/क-3/76 दि० 29-3-1976 द्वारा प्रतिस्थापित।

* अधि० स० एफ 3(10) कार्मिक/क-3/76 दि० 2-8-76 द्वारा जोड़े गये।

निरीक्षणालय फैक्ट्रीज तथा बायलर

1 मुख्य निरीक्षक
2 वरिष्ठ निरीक्षक
3 निरीक्षक
4 चिकित्सा निरीक्षक

जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग

1 मुख्य अभियन्ता 2 अधीक्षण अभियन्ता 3 अधिशासी अभियन्ता 4 सहायक अभियन्ता 5 वरिष्ठ रसायनज्ञ 6 कनिष्ठ रसायनज्ञ।

भेड एव ऊन विभाग

1 उप-निदेशक (विपणन) 2 उप-निदेशक (प्रसार) 3 प्रधानाचार्य भेड एव ऊन प्रशिक्षण सस्थान 4 सहायक निदेशक (विपणन) 5 सहायक निदेशक (प्रशा०) 6 जिला भेड एव ऊन अधि 7 ऊन श्रेणीकरण अधिकारी 8 कृत्रिम गर्भाधान अधिकारी 9 प्रयोगशाला अधिकारी (ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला) 10 अधीक्षक, भेड प्रजनन सस्थान 11 मुख्य कतन अधिकारी 12 प्राध्यापक, भेड एव ऊन प्रशिक्षण सस्थान 13 सहायक कृत्रिम गर्भाधान अधिकारी 14 भेड एव ऊन प्रसार अधिकारी।

प्रावधिक निधि (प्रोविडेंट फण्ड) विभाग[1]

1 निदेशक प्रावधिक निधि 2 लेखाधिकारी

दुग्धशाला विकास विभाग[2]

1 निदेशक, दुग्धशाला विकास एव अपर पजीयक सहकारी समितियां 2 अपर निदेशक (दुग्ध उत्पादन वृद्धि कार्यक्रम) 3 सयुक्त निदेशक (दुग्धशाला अभियान्त्रिकी) 4 उप निदेशक (कार्यकारी अभियन्ता, सिविल) 5 उप निदेशक (कार्पोरेशन) 6 उप निदेशक (मानव शक्ति विकास) 7 उप निदेशक (विपणन व क्रय) 8 उप निदेशक (पशु प्रजनन) 9 सहायक निदेशक (पशुपालन एव चारा विकास) 10 सहायक निदेशक (सर्वेक्षण)।

अभियोजन विभाग[3]

राजस्थान अभियोजन सेवा के सदस्य

विश्व खाद्य कार्यक्रम परियोजना विभाग[4]

1 प्रोजेक्ट प्रबन्धक 2 सहायक प्रोजेक्ट प्रबन्धक

अल्प बचत एव लौटरी विभाग[5]

1 उप निदेशक 2 सहायक निदेशक

---

1 स एफ 3(16) नि (क-3) 75 दि 28 1-76 द्वारा जोडा गया।
2 स एफ 3(15) कार्मिक/क 3/75 दि 9-1-76 द्वारा जोडा गया।
3 स एफ 3(12) कार्मिक/क-3/76 दि 15-7-76 द्वारा जोडा गया।
4. स एफ 3(12) नियुक्ति (क-3)/71 दि 4-9-76 द्वारा जोडा गया।
5 स एफ 3 (6) कार्मिक क-3/77 GSR 68 दि 19-5-77 द्वारा जोडा गया।

अनुसूची (2) अधीनस्थ सेवाएं

निम्नलिखित पद या इसी प्रकार के पदो के धारक

वित्त विभाग लेखा एवं विनियोजन/राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के सदस्य

नोट—विभागो/कार्यालयो मे सम्बद्ध लेखाकारो [1][तथा कनिष्ठ लेखाकारो] के सम्बन्ध में छोटी शास्तिया लगाने की शक्तिया विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष में भी निहित हैं।

कृषि विभाग

(क) कृषि अनुभाग

1 बोरिंग सुपरवाइजंस 2. बोरिंग करने वाला 3 सगणक 4 ओवरसियरगण 5. नक्शानवीस 6. कलाकार 7 तकनीशियन 8. मिस्त्री 9 बरमा चालक 10. प्रयोगशाला सहायक 11. कृषि सहायक 12 क्षेत्र सहायक 13. सहायक तकनीशियन 14. प्रक्षेत्र मिस्त्री 15. कृषि अध्यापक 16 उद्यान पर्यवेक्षक 17. प्रशिक्षक 18. यान्त्रिक 19. कपास निरीक्षक 20. पौध सरक्षक सहायक 21. सहायक जिला कृषि अधिकारी 22. ट्रैक्टर फोरमैन 23 प्रक्षेत्र मैनेजर 24. अनुसधान सहायक 25 कृषि प्रसार अधिकारी 26. डिजाइनर, कृषि निर्माणशाला 27 कृषि फील्डमैन।

(ख) पशुधन शाखा

1. शालिहोत्री 2. टीका लगाने वाला 3. मुख्य पशुपाल एवं पशुपाल 4. पशुधन निरीक्षक 5 मत्स्य क्षेत्र पर्यवेक्षक 6. कम्पाउण्डर पशु चिकित्सालय 7. कुक्कुट पालन निरीक्षक, उप निरीक्षक तथा सहायक 8. प्रयोगशाला सहायक 9. सहायक अधीक्षक, पशु प्रजनन प्रक्षेत्र 10. पशुपालन प्रसार अधिकारी और भेड एव ऊन प्रसार अधिकारी।

नोट :—पशुपालक प्रसार अधिकारियों के सम्बन्ध मे "परिनिन्दा" करने और बिना आकलित प्रभाव से दो से अनधिक "वेतन वृद्धिया रोक रखने" की शास्तिया लगाने की शक्तियां राजपत्रित कोटि के अधिकारियो के सम्बन्ध मे सम्पृक्त उप-निदेशक, पशुपालन विभाग मे निहित होंगी और अराजपत्रित कोटि के कर्मचारियों के सम्बन्ध मे सपृक्त जिला पशुपालन अधिकारी मे निहित होंगी। कृषि प्रसार अधिकारियो एवं भेड तथा ऊन विकास अधिकारियो के विषय मे उक्त शक्तिया क्रमशः सयुक्त जिला कृषि अधिकारी और जिला पशुपालन अधिकारियो के पास होंगी।

पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग

1. परिरक्षक 2. सरक्षण सहायक 3. पर्यवेक्षक, खगोल वेधशाला, जयपुर 4. फोटोग्राफर 5 नक्शानवीस 6. कलाकार 7. पुस्तकाध्यक्ष 8. पर्यवेक्षक, किला एवं पैलेस 9. प्रयोगशाला सहायक 10. निशानेबाज 11. मुख्य फोटोग्राफर 12. बढ़ई।

आयुर्वेद विभाग

1. निरीक्षक, आयुर्वेद एव यूनानी औषधालय 2 वैद्य एव सहायक वैद्य, औषध निर्माणशाला 3 वैद्य एव हकीम, औषधालय 4. कम्पाउण्डरगण 5. नर्स 6 प्राध्यापक, आयुर्वेद महाविद्यालय 7. पजीयक, भारतीय मैडिकल मण्डल।

सर्किट हाउस

1. भारसाधक पर्यवेक्षक, सर्किट हाउस, प्रथम श्रेणी 2. पर्यवेक्षक, राजकीय प्रवास भवन,

---

1. स. एफ 3(4) कार्मिक (क-3) 76 19 (27) दि. 11-5-76 द्वारा जोड़ा गया।

3 वरिष्ठ स्वागतकर्ता 4 कनिष्ठ स्वागतकर्त्ता 5 मैनेजर, सर्किट हाउस 6 सहायक अधीक्षक, राजस्थान राज्य होटल, जयपुर 7 मैनेजर, बीकानेर हाउस, नई दिल्ली ।

नागरिक उड्डयन विभाग

1 यान्त्रिक (मैकेनिक्स)

खाद्य पूर्ति विभाग

1 क्षेत्रीय रसद अधिकारी 2 प्रवर्तन अधिकारी 3 गोदाम अधिकारीगण 4 सहायक जिला पूर्ति अधिकारी 5 प्रवर्तन निरीक्षकगण ।

ग्राम पुनर्निर्माण सहकारी विभाग

1 निरीक्षक 2 सहायक निरीक्षक 3 क्षेत्रीय प्रचार सहायक 4 चालक 5 ग्रामसेवक 6 अध्यापक, ग्राम पुनर्निर्माण विभाग 7 वैद्य 8 प्रबन्धक नाट्य दल 9 कलाकार, नाट्य दल 10 अभिनेता, नाट्य दल 11. संगीतज्ञ, नाट्य दल 12 सहकार प्रसार अधिकारी ।

[1][टिप्पणी —(1) इन नियमो के नियम 14 में वर्णित समस्त शास्तिया निरीक्षक अधिशासी तथा सहायक निरीक्षको के लिए देन की सम्पूर्ण शक्तिया अपर पजीयक मे निहित होगी ।

(2) निरीक्षक (आडिट) पर समस्त शास्तिया देने की सम्पूर्ण शक्तिया मुख्य आडिटर मे निहित होगी ।

(3) नियम 14 मे वर्णित (i), (ii) व (iii) साधारण दण्ड देने की शक्तिया निरीक्षक (अधिशासी) मय सहकारिता प्रसार अधिकारी, सहायक निरीक्षको के जो सम्बन्धित अधिकारिता मे है। उस क्षेत्र के क्षेत्रीय एव सयुक्त/उप पजीयको मे निहित होगी ।

(4) उनके अधिकार क्षेत्र मे कार्य कर रहे निरीक्षक (अधिशासी) मय सहकारिता प्रसार अधिकारी, सहायक निरीक्षको पर परिनिन्दा या दो से अनधिक वेतन वृद्धिया बिना सचयी प्रभाव से रोकने के साधारण दण्ड देने की शक्तिया सहायक पजीयक मे निहित होगी जो तदर्थ (एडहाक) या पूर्णत: अस्थाई रूप से यह पद धारण नही करते हो ।

(5) उनके अधिकार क्षेत्र मे कार्य कर रहे निरीक्षक (आडिट) पर परिनिन्दा या दो से अनधिक वेतन वृद्धिया बिना सचयी प्रभाव से रोकने की शक्तिया विशिष्ट आडीटर मे निहित होगी, जो तदर्थ या पूर्णत अस्थाई रूप से यह पद धारण नही करते हो ।]

वाणिज्यिक कर विभाग

1 विधि सहायक 2 निरीक्षक, प्रथम श्रेणी 3 निरीक्षक, द्वितीय श्रेणी 4 निरीक्षक, तृतीय श्रेणी 5 गश्त अधिकारी 6 जमादार 7 सिपाही 8 ड्राइवर ।

नोट.—(1) क्रमाक 2 से 4 पुन: सख्यांकित पदो के सम्बन्ध मे अर्थात् निरीक्षक प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय पर 'परिनिन्दा" और बिना आकलित प्रभाव के दो से अनधिक वेतन वृद्धिया रोक रखने की शास्तिया लगाने की शक्तिया वाणिज्यिक कर अधिकारियों मे निहित होगी ।

(2) क्रमाक 7 और 8 के पदा अर्थात् सिपाही और ड्राइवरा पर परिनिन्दा की शास्ति लगाने की शक्तिया सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारिया (निवारक दल) में निहित होगी

( ) क्रमाक 2 से 8 तक के पदा के सम्बन्ध में समस्त छोटी शास्तिया, जैसा कि राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील) नियम 1958 के नियम, 14[1], [2] और [3] में विहित है, लगाने की शक्तिया उप आयुक्त, वाणिज्यिक कर (प्रशासन) का होगी।

आबकारी विभाग

1 निरीक्षक, प्रथम श्रेणी 2 निरीक्षक, द्वितीय श्रेणी 3 निरीक्षक, तृतीय श्रेणी 4 अभियोजन निरीक्षक 5 गश्त अधीक्षक, (निवारक दल) 6 गश्त अधिकारी, प्रथम श्रेणी (निरोधक दल) 7 गश्त अधिकारी, द्वितीय श्रेणी (निरोधक दल) 8. जमादार (निरोधक दल) 9 सिपाही और सवार (निरोधक दल)।

नोट —(1) क्रमाक 1 से 4 तक क पदा के सम्बन्ध मे परिनिन्दा और बिना आकलित प्रभाव के दो से अनधिक वेतन वृद्धिया रोक रखने की शास्तिया लगाने की शक्तिया सहायक आबकारी, अधिकारी, जिला आबकारी अधिकारी को होगी।

(2) क्रमाक 8 तथा 9 के पदो के सम्बन्ध मे परिनिन्दा की शास्ति लगाने की शक्तिया सहायक आबकारी अधिकारी (निरोधक दल), जिला आबकारी अधिकारी (निरोधक दल) को होगी।

(3) क्रमांक 1 से 4 तक के पदो के सम्बन्ध में समस्त छोटी शास्तियां, जैसा कि उपर्युक्त नियमों के नियम 14[1], [2] तथा [3] के अधीन विहित है, लगाने की शक्तिया उप-आयुक्त, आबकारी मे और क्रमाक 5 से 9 तक के पदो के सम्बन्ध मे उप-आयुक्त (निरोधक दल) को होगी।

धर्मार्थ विभाग

1 निरीक्षक 2 सहायक निरीक्षक

शिक्षा विभाग

1 उप-सहायक निरीक्षक

2 हाई स्कूलो तथा वैसे ही शिक्षा सस्थानो के अतिरिक्त राजकीय विद्यालयो के प्रधानाध्यापकगण।

3 भारसाधक पुस्तकाध्यक्ष, महाराजा सार्वजनिक पुस्तकालय, जयपुर। किंगजार्ज पचम रजत जयन्ती पुस्तकालय, बीकानेर और सुमेर सार्वजनिक पुस्तकालय, जोधपुर।

4 समस्त राजकीय सस्थाओ के अध्यापक 5 अधीक्षक शारीरिक शिक्षा 6 चिकित्सा अधिकारी 7 समाज शिक्षा आयोजक 8 ओवरसीयर 9 उप-प्रधानाचार्य, कला सस्थान, जयपुर 10 शारीरिक शिक्षक 11 प्रयोगशाला सहायक 12 निदेशक 13 आशुलिपि शिक्षक 14 चम प्रसाधक 15 कलाकार 16 उद्यान पर्यवेक्षक 17 सग्रहपाल 18 गैसमैन 19 सैक्शन कटर 20 सस्कृत महाविद्यालय में प्राध्यापक 21 शिक्षा प्रसार अधिकारी 22 सहायक शारीरिक शिक्षक 23 सगीत एव नृत्य शिक्षक 24 वायलिन वादक 25 तबला शिक्षक 26 बस ड्राइवर 27 मैट्रन 28 यान्त्रिक और मिस्त्री 29 स्नातक महाविद्यालय के पुस्तकाध्यक्ष 30 सहायक सांख्यिक 31 सगणक 32 प्रवर्तक अधिकारी 33 सहायक प्रवर्तक अधिकारी 34 हास्टल अधिकारी 35 मण्डलीय पुस्तकाध्यक्ष 36 मैट्रन 37 प्रूफ रीडर।

नोट —(1) बेसिक वरिष्ठ अध्यापक प्रमाणपत्र, प्रशिक्षण विद्यालय में सहायक अध्यापकों को सम्मिलित करते हुए अप्रशिक्षित स्नातक, प्रशिक्षित स्नातक ग्रेड के अध्यापक के पदधारकों के सम्बन्ध मे भाग 3 तथा नियम 15 (1) में विनिर्दिष्ट शक्तिया उनमे अन्तर्विष्ट उपबन्धों मे अध्यधान उप-निदेशक शिक्षा विभाग को होगी।

(2) मैट्रिक प्रशिक्षित मैट्रिक, अप्रशिक्षित इन्टर और प्रशिक्षित इन्टर ग्रेड के अध्यापकों से पदधारकों के सम्बन्ध मे भाग 3 तथा नियम 15 (1) में निर्दिष्ट शक्तिया, उनमें अन्तर्विष्ट उपबन्धो के अध्यधीन, विद्यालय निरीक्षकों मे (जिला भारसाधक विद्यालय उप-निरीक्षकों को सम्मिलित करते हुए) होगी।

(3) कन्या विद्यालया के अप्रशिक्षित तथा प्रशिक्षित इन्टर ग्रेड के अध्यापकों के पदधारकों के सम्बन्ध में भाग 3 तथा नियम 15 (1) मे विनिर्दिष्ट शक्तिया, उनमें अन्तर्विष्ट उपबन्धो के अध्यधीन सहायक निदेशक शिक्षा विभाग (महिला) मे निहित होगी।

(4) कन्या विद्यालयों के मैट्रिक और प्रशिक्षित मैट्रिक ग्रेड के अध्यापकों के पद धारकों के विषय में भाग 3 तथा नियम 15 (1) मे विनिर्दिष्ट शक्तिया उनमे अन्तर्विष्ट उपबन्धो के अध्यधीन विद्यालय उप-निरीक्षिका को होगी।

(5) शिक्षा प्रसार अधिकारियो के पदधारकों पर परिनिन्दा और बिना आवर्तित प्रभाव के दो से अनधिक वेतन वृद्धिया रोक रखने की शास्तियां लगाने की शक्तिया सम्पृक्त विद्यालय निरीक्षक को होगी।

अनुसूची 3 मे शिक्षा विभाग शीर्षक के अधीन मद 4 को तागवित कर देना चाहिये।

नोट – (1) प्रशिक्षित इन्टर, अप्रशिक्षित स्नातक और प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों के पदधारकों के सम्बन्ध मे भाग 3 मे विनिर्दिष्ट शक्तिया उनमे अन्तर्विष्ट उपबन्धो के अध्यधीन उप-निदेशक, शिक्षा विभाग को होगी।

(2) मिडिल, प्रशिक्षित मिडिल, मैट्रिक, प्रशिक्षित मैट्रिक और अप्रशिक्षित इन्टर ग्रेड के अध्यापकों के पदधारकों के सम्बन्ध मे भाग 3 मे निर्दिष्ट, शक्तिया, उनमे अन्तर्विष्ट उप बन्धो के अध्यधीन, विद्यालय निरीक्षकों मे (जिला भारसाधक विद्यालय उप निरीक्षकों को सम्मिलित करते हुए) होगी।

(3) कन्या विद्यालया मे मैट्रिक, प्रशिक्षित मैट्रिक और अप्रशिक्षित इन्टर ग्रेड के अध्यापकों के पदधारका के सम्बन्ध में भाग 3 मे निर्दिष्ट शक्तिया, उनमें अन्तर्विष्ट उपबंधो के अध्यधीन, सहायक निदेशक शिक्षा विभाग (महिला वर्ग) को होगी।

(4) कन्या विद्यालयों मे मिडिल और प्रशिक्षित मिडिल ग्रेड के अध्यापकों के पदधारकों के सम्बन्ध मे भाग 3 मे निर्दिष्ट शक्तिया, उनमे अन्तर्विष्ट उपबन्धो के अध्यधीन, विद्यालय उप निरीक्षकों को होगी।

पुरातत्व मन्दिर (राजस्थान ओरियन्टल रिसर्च इन्स्टीट्यूट)

1 कनिष्ठ अनुसंधान सहायक 2 सर्वेक्षक

वन विभाग

1. सीमाकन रेंजर तथा उप-रेंजर, घास प्रक्षेत्र को सम्मिलित करते हुए रेंजरगण 2 उप-रेंजरगण 3 प्रशिक्षक, कोटा वन विद्यालय 4 मुख्य रक्षक 5 हवलदार 6 वनपाल 7 नाकेदार सर्वेक्षक 10 नक्शानवीस 11 अमीन 12 ओवरसियर।

गैरेज विभाग

1. ड्राइवर सहायक ड्राइवर, मोटर ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, ट्रेक्टर ड्राइवर को सम्मिलित करते हुए 2 फोरमैन 3 बिजलीवाला 4 यांत्रिक 5 फिटर 6 यांत्रिक निरीक्षक

नोट – (1) इन मदों का वर्गीकरण अन्य विभाग के वैसे ही पद धारकों पर लागू होगा।

नोट – (2) (1) यांत्रिक, (2) फिटरों, (3) बिजली वालों, (4) ड्राइवरों को नियुक्त करने और परिनिन्दा एवं उनकी वेतन वृद्धियां रोक रखने की शास्तियां लगाने की शक्तियां मुख्य अधीक्षक, मोटर गैरेज जयपुर को होगी।

सार्वजनिक निर्माण विभाग (सिंचाई)

1 सहायक क्षेत्र अभियन्ता 2 सगणक 3 प्राक्कलनकार 4 नक्शानवीस, मुख्य नक्शानवीस, वरिष्ठ नक्शानवीस, कनिष्ट नक्शानवीस और सहायक नक्शानवीस को सम्मिलित करते हुए 5 अनुरेखक 6 ओवरसियर 7 सर्वेक्षक वरिष्ठ एवं कनिष्ठ सर्वेक्षक को सम्मिलित करते हुए 8 पर्यवेक्षक 9 आयोजना अभिलेखापाल 10 फैरो मुद्रक एवं फोरमैन 11 सर्विस फोरमैन 12 यांत्रिक फोरमैन 13 प्रशिक्षक 14 मुख्य सकेतकार तथा सकेतकार 15 जिलेदार तथा नायब जिलदार 16 डिप्टी कलेक्टर 17 यांत्रिक एवं विद्युत ओवरसीयर 18 अनुसंधान सहायक 19 मुख्य प्रयोगशाला सहायक 20 प्रयोगशाला सहायक 21 ओवरसीयर 22 नहर तहसीलदार 23 क्षेत्र सहायक 24 मिट्टी विश्लेषक 25 प्रेक्षक 26 मिस्त्री 27 श्रमिक कल्याण निरीक्षक।

नोट (1) ओवरसीयर के पद के धारकों पर परिनिन्दा और बिना आकलित प्रभाव के दो से अनधिक वेतन वृद्धियां रोक रखने की शास्तियां लगाने की शक्तियां संयुक्त अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई को होगी।

(2) भाग 3 और नियम 15 (1) में विनिर्दिष्ट शक्तियां, अपर मुख्य अभियन्ता, सिंचाई के प्रभाराधीन परिमण्डलों मे अधीनस्थ सेवाओं के पदों के सम्बन्ध मे, अपर मुख्य अभियन्ता, सिंचाई को होगी।

सहायता एवं पुनर्वास विभाग

1 तहसीलदार 2 सहायक ग्राम पुनर्वास अधिकारी 3 ऋण निरीक्षक 4 पर्यटक निरीक्षक 5 नायब तहसीलदार 6 विक्रय निरीक्षक।

समाज कल्याण विभाग

1 सहायक अनुसंधानाधिकारी 2 सहायक प्रचाराधिकारी 3 सहायक सांख्यिक अधिकारी 4 फोटोग्राफर एवं कलाकार 5 कल्याण एवं पुनर्वास निरीक्षक 6 लेखा निरीक्षक 7 प्रचार सहायक 8 कल्याण कर्मी 9 कल्याण कर्मिणी 10 ओवरसीयर एवं नक्शानवीस 11 प्रचारक 12 चालक 13 मुख्य निरीक्षक 14 वरिष्ठ गृह निर्माण निरीक्षक 15 उद्योग निरीक्षक 16 विद्यालय पर्यवेक्षक 17 गृह निर्माण निरीक्षक 18 कूप निरीक्षक 19 वैद्य 20 कम्पाउण्डर 21 छात्रावास अधीक्षक 22 छात्रावास अधीक्षिका 23 सिलाई शिक्षक 24 बढ़ईगिरी शिक्षक 25 जूता निर्माण निरीक्षक 26 बांस एवं बेंत निर्माण शिक्षक 27 कृषि शिक्षक 28 लोहारगिरी शिक्षक 29 बुनियादी प्रशिक्षक (बुनियादी विद्यालय) 30 शिल्प विद्यालय अध्यापक 31 अध्यापक 32 सहायक अधीक्षक 33 महिला कल्याण अधिकारी 34 जिला समाज कल्याण अधिकारी 35 अन्वेषक (क्षेत्र सर्वेक्षण) 36 परिवीक्षा अधिकारी 37 सहायक महिला कल्याण अधिकारी 38 अधीक्षक, परवर्ती सेवा गृह/उद्धारगृह/भिक्षुगृह और वृद्ध एवं अशक्तता 39 प्रधानाध्यापक, सर्टीफाइड स्कूल 40 सहायक अधीक्षक, परवर्ती सेवा गृह उद्धारगृह/भिक्षुगृह/जिला आश्रालय और अनाथालय 41 सहायक परिवीक्षा अधिकारी 42 कल्याण अधिकारी (कारावास) 43 अन्वदणकर्त्ता (गृह)।

सार्वजनिक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़क)

1 अभियान्त्रिक अधीनस्थ, वरिष्ठ एवं कनिष्ठ 2 प्राक्कलनकार 3 सगणक 4 नक्शानवीस, मुख्य नक्शानवीस वरिष्ठ नक्शानवीस, कनिष्ठ नक्शानवीस और सहायक नक्शानवीस को सम्मिलित करते हुए 5 फैरोमैन 6 कारखाना पर्यवेक्षक 7 कारखाना फोरमैन 8 जल निरीक्षक 9 मीटर निरीक्षक 10 मीटर पढ़ने वाला 11 प्रयोगशाला सहायक 12 फिल्टर एटेण्डेण्ट 13 पम्प एटेण्डेण्ट

14 अनुरेखक 15 उद्यानो के निरीक्षक 16 सहायक उद्यान निरीक्षक 17 कानूनी सहायक 18 सहायक वास्तुविद 19 सहायक सांख्यिक 20 मिस्त्री 21 पम्प चालक [1][22 भौतिक वैज्ञानिक 23 रसायनिक वैज्ञानिक 24 प्रयोगशाला चालक]।

नोट ओवरसियर के पदधारको पर परिनिन्दा और बिना आकलित प्रभाव के दो से अनधिक वेतन वृद्धिया रोक रखने की शास्तिया लगाने की शक्तिया सम्बन्ध अधिशाषी अभियन्ता (लोक निर्माण विभाग, भवन एवं सडक) सशक्त होगे।

श्रम विभाग

1 निरीक्षक 2 अन्वेषक 3 सांख्यिक सहायक 4 सगणक 5 नक्शानवीस 6 शिक्षक, प्रौढ़ शिक्षा [2][7 महिला दर्जी]।

जेल विभाग

1 जेलर 2 उप जेलर 3 नायब जेलर 4 मुख्य महाप्रहरी 5 मैट्रन 6 मुख्य प्रहरी 7 कारखाना मैनेजर 8 सहायक फैक्ट्री मैनेजर 9 अध्यापक 10 मुख्य कम्पाउण्डर 11 कम्पाउण्डर 12 मुद्रक 13 निरीक्षक जेल एवं बन्दीगृह 14 कम्पाउण्डर 15 नर्स दाई [3][16 वार्डर 17 डायर (रंगरेज) 18 खाती (कारपेन्टर) 19 लोहार 20 चर्म शिक्षक 21 दर्जी]।

राजस्व, उपनिवेशन, बन्दोबस्त एवं भू अभिलेख विभाग

1 नायब तहसीलदार

नोट—इन पदो के धारको के सम्बन्ध में कार्यालयाध्यक्ष अपने अपने जिले के जिलाधीश [4][तथा उपनिवेश विभाग में उपनिवेश आयुक्त] होगे।

2 सहायक भू अभिलेख अधिकारी

नोट– इन पदो के धारको के सम्बन्ध मे कार्यालय अध्यक्ष निदेशक भू-अभिलेख होगा।

3 बन्दोबस्त विभाग के कार्यालय मे निरीक्षक या पडतालक
4 निरीक्षक भू-अभिलेख विभाग
5 मुख्य नक्शानवीस तथा नक्शानवीस
6 सीमा निरीक्षक
7 सदर कानूनगो, सहायक सदर कानूनगो तथा कार्यालय कानूनगो
[4]8 [सदर मुन्सरिम]
9 सहायक कार्यालय कानूनगो 10 वरिष्ठ सीमा निरीक्षक 11 राजस्व लेखा निरीक्षक 12 अनुरेखक 13 फोरमैन 14 तहसीलदार 15 सहायक बन्दोबस्त अधिकारी (रा त से)

टिप्पणी —तहसीलदार तथा नायब तहसीलदार के पदो को धारण करने वाले व्यक्तियो के सम्बन्ध में "परिनिन्दा तथा वेतन वृद्धिया रोक रखने" सम्बन्धी शास्तिया लगाने की शक्तिया सम्बद्ध जिलो जहा कि वह घटना घटी हो, जिसके सम्बन्ध मे शिकायत की गई हो, के कलेक्टरो को होगी।

रजिस्ट्रेशन एवं स्टाम्प विभाग

1 उप रजिस्ट्रार

स्थानीय निकाय निदेशालय

1 सहायक प्रादेशिक निरीक्षक

चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य विभाग

(क) चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य विभाग

1 सहायक अधीक्षक, चिकित्सालय 2 सहायक औषध रसायनज्ञ 3 सहायक परिचारिकाए 4 सिस्टर और जूनियर सिस्टर 5 नर्स तथा नर्सदाई दाई जिनमे मेल नर्स सम्मिलित है 6 कम्पाउण्डर

---

1 स एफ 3(18) कार्मिक/क–3/दिनांक 26 11-76 द्वारा जोडे गये।
2 स एफ 3(14) कार्मिक/क–3/75 दि० 28-1-1976 द्वारा जोडा गया।
3 F 3(1) Per (A III) 75 दि० 10 3-75 द्वारा जोड गये।
4 स० 3 (9) कार्मिक/क-3/75 दि० 28 1-1976 द्वारा सशोधित।

7 औषधकारक 8 तकनीशन 9 एक्स र सहायक 10 प्रचार सहायक 11 कलाकार 12 महिला स्वास्थ्य अधिकारी 13 प्रयोगशाला सहायक 14 मिडीया मैन 15 स्वास्थ्य निरीक्षक 16 सफाई निरीक्षक 17 मलेरिया सर्वेक्षक 18 स्वास्थ्य वीक्षक 19 टीका लगाने वाला 20 मिस्त्री 21 बिजली वाला 22 सिस्टर टयूटर 23 स्टाफ नस 24 मिडवाइफ 25 पशु गृहपाल 26 फोटोग्राफर 27 व्यावसायिक थैरापिस्ट 28 प्रतिमान कार 29 व्यायाम शिक्षक 30 मोटर मिस्त्री 31 यूनिट अधिकारी मलेरिया।

(ख) सवाई मा सिंह आयुर्विज्ञान महाविद्यालय

1 कनिष्ठ निदशक 2 संग्रहालयाध्यक्ष 3 पुस्तकाध्यक्ष 4 व्यायाम शिक्षक

नोट —सफाई निरीक्षको के पदधारको पर ' परिनिंदा और बिना आवर्तित प्रभाव के दो से अनधिक वतन वृद्धियां रोक रखने ' की शास्तिया लगाने की शक्तिया सपृक्त जिला चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी को होगी।

[1]परिवार नियोजन विभाग

1 परिवार नियोजन शिक्षा एव प्रचार अधिकारी 2 स्वास्थ्य शिक्षा एव प्रसार अधिकारी 3 स्वास्थ्य शिक्षा प्रशिक्षक 4 सामाजिक विज्ञान प्रशिक्षक 5 जन स्वास्थ्य नस प्रशिक्षक 6 प नि शहरी प्रसार शिक्षक 7 प नि ब्लाक प्रसार शिक्षक 8 परिचर्या सिस्टर 9 स्टाफ नस 10 कम्पाउण्डर श्रे 2 11 महिला स्वास्थ्य विजिटर 12 क्षेत्र शिक्षक 13 फोटोग्राफर 14 कलाकार एव फोटोग्राफर 15 कैमरामैन 16 कम्पोजिटर ग्रेड I (अक्षरयोजक) 17 कम्पोजिटर ग्रेड II 18 आफसेट मशीन चालक 19 सहायक आफसेट मशीन चालक 20 फोटो कलाकार आफसट प्रेस 21 हैमियो आफसेटर 22 डेवलपर 23 कैमरा फोटो कलाकार 24 कलाकार एव ड्राफ्टमैन 25 प्रोजेक्शनिस्ट 26 मैकेनिक श्रे 1 27 मैकेनिक श्रे II 28 चालक एव यांत्रिकी 29 चालक 30 सहायक परिचारिका दाई 31 प नि स्वा सहायक 32 प नि कल्याण कार्यकर्त्ता 33 प नि क्षेत्र कार्यकर्त्ता 34 फोरमैन श्रे I 35 फोरमैन श्रे II 36 बिजली वाला 37 54 ?

[2][टिप्पणी—परिनिन्दा की शास्ति अधिरोपित करने और मद स 1 स 54 के सम्मुख बताये गये पदधारकों के सम्बन्ध में असचयी प्रभाव से दो से अधिक वेतनवृद्धिया रोकने की शक्तिया सबधित विभाग के कार्यालय अध्यक्ष को होगी।]

खनिज एव भू विज्ञान विभाग

1 सर्वेक्षक 2 बिजली वाला 3 संग्रहालय सहायक 4 रसायनिक सहायक 5 अयस्क प्रसाधक 6 यान्त्रिक 7 मार्कडी पटियो की खान के मैनेजर 8 कम्प्रेसर चालक 9 पूर्वेक्षण ग्यवेक्षक 10 पम्प चालक 11 जेनेरेटर चालक 12 चट्टानबरमा चालक 13 वेधक सहायक 14 रिगमैन 15 सैक्शन कटर 16 अनुरेखक 17 कम्प्रेसर ड्राइवर 18 वेधक प्रथम श्रेणी 19 वेधक द्वितीय श्रेणी 20 सहायक वेधक 21, खान सर्वेक्षक 22 साख्यिक सहायक 23 सगणक 24 खान फोरमैन प्रथम श्रेणी 25 खान फोरमैन द्वितीय श्रेणी 26 नक्शानवीस प्रथम श्रेणी 27 नक्शानवीस द्वितीय श्रेणी 28 क्षेत्र सहायक प्रथम श्रेणी 29 क्षेत्र सहायक द्वितीय श्रेणी 30 वरिष्ठ निगरा 31 कनिष्ठ निगरा 32 वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक 33 कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक 34 कारखाने का यान्त्रिक 35 बरमा यान्त्रिक 36 फिटर द्वितीय श्रेणी 37 जीप टक एव ट्रैक्टर ड्राइवर।

पुलिस विभाग

[3][1 निरीक्षक/कम्पनी आदेशक
2 उपनिरीक्षक S I /सुपरवाइजर
3 उपनिरीक्षक/प्लाटून आदेशक
4 सहायक उपनिरीक्षक (A S I)
5 मुख्य आरक्षी (H C)
6 आरक्षी (कान्स्टेबिल)
7 चालक (ड्राइवर)
8 पुलिस फोटोग्राफर
9 फोरमैन साइंस लेबोरेटरी में फोटोग्राफर/वैज्ञानिक सहायक।
10 तकनीकी सहायक
11 कनिष्ठ तकनीकी सहायक
12 मैकेनिक
13 प्रयोगशाला सहायक अ धक
14 प्रयोगशाला एटेंडेंट।

1 वि स 3(11) नि (क 3) 71 दि० 27 3 1973
2 [वि स एफ (3) कार्मिक (क 3) 75 दि० 21 7 75]
3 स एफ 3(12) कार्मिक/क 3/77/GSR–162 दि० 6 8 77 द्वारा प्रस्थापित

टिप्पणियां—नियम 15(1) में वर्णित शक्तियां—

(1) पद संख्या 2 3 व 8 के लिए-निदेशक राज्य पुलिस बेतार/उप महानिरीक्षक को होगी।

(2) पद संख्या 4 5,6 7 के लिए-पुलिस अधीक्षक या उसके समकक्ष पदा धकारी या निदेशक, राज्य पुलिस बेतार को होगी।

(3) पद संख्या 12,13,14 के लिए-निदेशक पुलिस फोरसैनिक प्रयोगशाला का होंगी।

(4) दण्ड संख्या (1) ; (11) व (111) देने की शक्तियां—
पद संख्या 1 के लिए-उपमहानिरीक्षक/निदेशक राज्य पुलिस बेतार में पद संख्या 2,3,8 लिये पुलिस अधीक्षक या समान पदाधिकारी में पद संख्या 9,10,11 के लिये निदेशक, पुलिस फोरसैनिक साइन्स प्रयोगशाला में तथा पद संख्या 13 [4 के लिए सहायक निदेशक पुलिस फो वि प्रयोगशाला को हागी।

(5) पद स 5 को निम्न श्रेणी, वेतनमान आदि मे पदावत करने तथा पद स 4,5, 6, 7 को दड स (1), (11) व (111) देने की शक्तियां अपर पुलिस अधीक्षक (Ad.S P) को होंगी।

(6) पद संख्या 4, 5, 6 व 7 को परिनिन्दा का दण्ड देने की शक्तियां उप अधीक्षक पुलिस/अपर अधीक्षक/सहायक कमाडेंड/एजुटेन्ट को हागी।

(7) अपर टिप्पणी 2 व 4 मे सहायक महानिरीक्षक,कमाडेंट/आचार्य, प्रशिक्षण संस्थान भी सम्मिलित होंगे।
[अपर पुलिस महानिरीक्षक (सतर्कता रेल्वे एव पुलिस मुख्यालय) राजस्थान को नियम 23 के अन्तगत पुलिस उपनिरीक्षकों एव प्लाटून कमाडरो की अपीलें निर्णीत करने के अधिकार दिये गये हैं।][1]

जन सम्पर्क निदेशालय

1 फोटोग्राफर 2 डार्क रूम सहायक 3 कलाकार 4 यांत्रिक एव चालक 5 चालक 6 मिस्त्री।

[2]अर्थ विज्ञान एवं सांख्यिकी विभाग

1 अधीनस्थ साख्यकी सेवा के सदस्य 2 पुस्तकाध्यक्ष 3 मुख्य कलाकार 4 वरिष्ठ कलाकार [3]5 फोटोलिथो चालक 6 कनिष्ठ कलाकार 7 मिस्त्री।

टिप्पणी—विभिन्न विभागो के साथ संलग्न अधीनस्थ सांख्यिकी सेवा के सदस्यो को साधारण दण्ड देने के अधिकार सम्बन्धित विभागाध्यक्षो में भी निहित होंगे।

यातायात विभाग

[4][1 सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी] 2 परिवहन निरीक्षक 3 परिवहन उप-निरीक्षक 4 सर्वेक्षण निरीक्षक 5 फोरमैन 6 ड्राइवर 7 यन्त्र निरीक्षक।

1 वि० स० एफ 1(क)(48) गृह (ग्रु-1) 77 दि 25-8 78
2 [वि स० एफ 3(13) नि क-3/72 दि 28-1-76]
3 उपरोक्त क्र स 5 को वि स 3(13) नि (क 3) 72 GSR 19 (48) दि० 25-5-76 द्वारा हटा दिया।
4 वि स एफ 3(9) कार्मिक (क 3) 74 दि० 27-2-75 द्वारा जोड़ा गया।

विकास विभाग

1 सहकारी एवं पंचायत अधिकारी 2. समाज शिक्षा अधिकारी 3. ओवरसियर 4 ड्राइवर *5 महिला आहार प्रसार अधिकारी।

पंचायत विभाग

1 पंचायत प्रसार अधिकारी, प्रथम श्रेणी

2 पंचायत प्रसार अधिकारी, द्वितीय श्रेणी

पर्यटक सुविधायें विभाग

1 पर्यटन सहायक 2 वरिष्ठ स्वागतकर्ता 3 ड्राइवर 4 कण्डक्टर।

चकबन्दी विभाग

1 सहायक चकबन्दी अधिकारी 2 मुन्सरिम 3 निरीक्षक।

उद्योग विभाग

1 जिला उद्योग अधिकारी 2 सूचना अधिकारी (जिला उद्योग अधिकारी के रैंक में) 3 अधीक्षक एवं डिजाइनर आर्टिस्ट 4 तकनीकी अधिकारी 5 तकनीकी व्यवस्थापक 6 प्राध्यापक, चर्म 7 विश्लेषक, रसायनिक प्रयोगशाला 8 व्यवस्थापक औद्योगिक सम्पदा 9 प्रशिक्षक, बढ़ईगिरी 10 आर्थिक अनुसंधानकर्ता 11 सांख्यिक सहायक 12 सर्वेक्षण अधिकारी 13 डिजाइनर हस्तशिल्पकला 14 अधीक्षक लवण 15 उद्योग निरीक्षक 16 व्यवस्थापक, औद्योगिक सम्पदा जयपुर को छोड़ कर 17 निरीक्षण लवण 18 पर्यवेक्षक, कोटि अकन 19 पर्यवेक्षक, चर्म 20 निरीक्षक, हस्तशिल्पकला 21 विद्युत कर्घा प्रशिक्षक 22 होजरी मास्टर 23 ऊन बुनाई 24 रंगाई मास्टर 25 डिजाइनर, हस्तशिल्पकला विकास केन्द्र 26 फिनिशिंग मास्टर 27 रसादनज्ञ (शोरा) 28 उद्योग विस्तार अधिकारी 29 निरीक्षक बाट और माप 30 नक्शानवीस, शोरा 31 निरीक्षक, कोटि अकन 32 मरम्मतकार बाट और माप 33 प्रशिक्षक, चर्म जूता 34 सहायक निरीक्षक, बाट और माप 35. प्रयोगशाला सहायक 36 मिस्त्री चर्म संस्थान 37 मिस्त्री/यान्त्रिक रंगरेज एवं मुद्रक 38 बुनाई प्रशिक्षक कुटीर उद्योग संस्थान 39 सहायक बुनाई प्रशिक्षक, कुटीर उद्योग संस्थान 40 दक्ष जुलाहा 41 यान्त्रिक 42 रंगरेज 43 मिलर 44 प्रशिक्षक, मुड्डा एवं बाण 45 प्रशिक्षक, मृदा बर्तन निर्माण 46 मिस्त्री 47 ड्राइवर 48 बढ़ई।

टिप्पणी—उद्योग प्रसार अधिकारियों को परिनिन्दा तथा दो से अनधिक वेतन वृद्धियां रोकने का दण्ड देने की शक्तियां जिला उद्योग अधिकारी को निहित होगी।

मूल्यांकन संगठन

1 अनुसंधान सहायक 2 अनुसंधानकर्ता 3 गणनाकार।

अधिकारी प्रशिक्षण विद्यालय

1 व्यायाम एवं खेल-कूद प्रशिक्षक

राजस्थान नहर मण्डल

1 स्टोर अधीक्षक

---

* अधिसूचना स एफ 3(8) डी ओ पी /ए-III/78, जी एस आर 173 दि० 31 जनवरी, 79 द्वारा जोड़ा गया (राज० राज-पत्र भाग 4 (ग) (I) दि० 8-2-1979 में पृष्ठ 451 पर प्रकाशित।

भेड एव ऊन विभाग

1 सहायक जिला भेड तथा ऊन अधिकारी 2 प्रगति सहायक 3 कृषि सहायक 4 अनुसधान सहायक 5 विन निरीक्षक 6 प्रशिक्षक (कर्तन/श्रेणीकरण) 7 पयवक्षक 8 ओवरसियर 9 नक्शानवीस 10 प्रक्षेत्र सहायक 11 श्रेणीकर्त्ता 12 पशुपाल सहायक 13 पशुपाल 14 यांत्रिक 15 चालक 16 ड्राइवर 17 मास्टर कर्तक।

दुग्धशाला विकास विभाग[1]

1 तकनीकी सहायक 2 दुग्धशाला विकास अधिकारी 3 पशुपालन प्रसार अधिकारी 4 कृषि प्रचार अधिकारी 5 सहकारी इन्सपेक्टर।

अभियोजन विभाग[2]

1 सहायक जन अभियोक्ता श्रेणी (2)

टिप्पणी—उपरोक्त पदाधिकारियो को परिनिन्दा तथा वेतन वृद्धि रोकने के दण्ड देन के अधिकार सम्बन्धित डिस्टीक्ट मजिस्ट्रेट मे निहित होगे।

2 सहायक जन अभियोक्ता (श्रेणी प्रथम) अभियोजन विभाग के लिए नियम 14 मे वर्णित परिनिन्दा तथा वेतनवृद्धि रोकने क दण्ड देने की शक्तिया निदेशक, अभियोजन राजस्थान को प्रदत्त की गई है[3]।

आयोजना (गॅजेटयर्स) अनुसधानकर्ता विभाग[4]

1 शोध सहायक (वरिष्ठ) 2 गुप्त सदेशक (डीसाइफरिस्ट) 3 शोध सहायक 4 कनिष्ठ शोध सहायक 5 अनुसधानकर्त्ता (फील्ड इन्वेस्टीगेटर)।

भूमि एव भवन कर विभाग[5] 1 विधिक सहायक 2 कनिष्ठ अभियन्ता/अधिदशक 3 वरिष्ठ प्रारूपकार 4 निरीक्षक श्रे 2 5 ट्रेसर (रेखाकक) 6 वाहन चालक 7 फोरमैन।

टिप्पणी–क्र स 2 व 4 के सम्बन्ध मे परिनिन्दा, दो वेतन वृद्धिया तक बिना सचयी प्रभाव से रोकने, सरकार को किसी कानून या आज्ञा की अवहेलना या लापरवाही स हुई हानि को पूर्णत या अ शत वेतन मे से वसूली करने के दण्ड देने की शक्तिया 'सहायक निदेशक म निहित होगी।

अल्प बचत एव लाटरी विभाग[6]

1 प्रचार सहायक 2 ड्राइवर 3 आपरेटर (प्रचालक)

"राजस्थान लोकसेवा आयोग"[7]

1 चालक।

---

1 स एफ 3 (15) कार्मिक/क-3/75 दि 9-1-76 द्वारा जोडा गया।
2 [वि स एफ 3 (12) का (क-3) 76 G S R 41 दि 15-7-76]
3 [वि स एफ 3(4) कार्मिक/क-3/77 एस ओ 35 दि 5-4-77 द्वारा, जो राजपत्र मे दि. 21-4-77 को पृ 29 पर प्रकाशित हुई]
4 एफ 3 (13) कार्मिक/क-3/76 दि 15-7-76
5 [वि स एफ 3 (14) का (क-3) 76 G S R 46 दि 23-7-76]
6 एफ 3 (6) कार्मिक/क-3/77 G S R दि 19-5-77
7 एफ 3 (9) कार्मिक/क-3/77 G S R 119 दि 16-6-77

अनुसूची (3) लिपिक वर्गीय सेवाएं

समस्त विभागों में निम्नलिखित प्रवर्गों के पदधारन करने वाले जैसे :—

1. जिला राजस्व लेखाकार और तहसील राजस्व लेखाकार 2 महलमद, वरिष्ठ, कनिष्ठ अथवा सहायक महलमद 3. लेखालिपिक और कनिष्ठ लेखा लिपिक 4. लेख संकलनकर्ता 5. सहायक जिसमें राजस्व सहायक, न्यायिक सहायक, स्थापना सहायक, विविध सहायक एवं आयोजना सहायक सम्मिलित हैं 6 प्रवेक्षा, चिट्ठियात लिपिक 7. अवेक्षा लिपिक 8. सभागीय प्रवेक्षक को सम्मिलित करते हुए प्रवेक्षक 9. बिल लिपिक 10. बिल्टी लिपिक 11. जिल्दसाज 12 खजान्ची एवं सहायक खजान्ची 13. लिपिक जिसमें दीवानी लिपिक, फौजदारी लिपिक, विविध लिपिक, अपील लिपिक, निगरानी लिपिक, अंग्रेजी लिपिक सम्मिलित हैं। 14. गणना यंत्र चालक 15. शिविर लिपिक 16 सूचीकार 17. संकलनकर्ता जिसमें निदेशक जिला गजेटियर्स के मुख्य संकलनकर्ता भी सम्मिलित हैं 18. अंतरंग लिपिक 19. नकलनवीस 20. कोर्ट नोटिस लिपिक 21. पटल लिपिक 22. डाक लिपिक 23. प्रेषण लिपिक 24. डायरी लिपिक 25. सभाग लिपिक 26. स्थापना लिपिक 27. आबकारी लिपिक 28. प्रक्षेत्र लिपिक 29. विलोपिन 30. क्षेत्र सहायक 31. सैन्य लिपिक 32. फर्नीचर लिपिक 33. गजधर 34. राजपत्र लिपिक 35. मुख्य लिपिक 36. जनगणना विभाग में निरीक्षक 37 खुफिया निरीक्षक, चुंगी एवं आबकारी विभाग के उप-निरीक्षक तथा सहायक निरीक्षक 38. उपकरण लिपिक 39. कनिष्ठ लिपिक 40. खाता जमाबन्दी लिपिक 41. अभिलेख लिपिक 42 प्रदान एवं प्रेषण लिपिक 43. कार्यालयों के पुस्तकाध्यक्ष या पुस्तकालय लिपिक 44. अनुसूची (1) या (2) में वर्णित पुस्तकालयों के अतिरिक्त पुस्तकालयों के पुस्तकाध्यक्ष, सहायक पुस्तकाध्यक्ष, शाखा पुस्तकाध्यक्ष, सदर्भ पुस्तकाध्यक्ष 45. छुट्टी आरक्षित लिपिक 46. सदर मुसरिम को सम्मिलित करते हुए मुसरिम 47. मुंशी एवं मुख्य मुंशी 48. मोहर्रिर 49. मुकद्दम 50. नाकेदार 51. नाजिर 52. कागज विशेषज्ञ, सहकारी विभाग का 53. पार्सल लिपिक 54. पटवारी 55. वेतन लिपिक 56. पेंशन लिपिक 57. विभागाध्यक्षों अथवा कार्यालयाध्यक्षों के निजी सहायक जो विभाग के सवर्ग से सबंधित नहीं है।

नोट:—मद 57 के पद धारकों के सबंध में कार्यालयाध्यक्ष सम्बन्धित विभागाध्यक्ष होगा।

58. पेशकार और कनिष्ठ अथवा सहायक पेशकार *59* याचिका लिपिक *60* प्रूफरीडर 61. जनसम्पर्क निदेशालय में निम्नलिखित पद —जांच अधिकारी समाचार सम्पादक, समाचार सहायक, पत्रकार, संवीक्षक, उत्पादन अधिकारी, व्याख्याता 62. पेशकार एवं मुख्य पेशकार 63 प्राप्ति लिपिक 64. अभिलेखपाल सहायक अभिलेखपाल तथा अभिलेख लिपिक 65. प्रत्यर्पण लिपिक 66. रोजनामचा लिपिक 67. शाखा प्रभारी और शाखा लिपिक 68. वरिष्ठ लिपिक जिसमें जागीर विभाग के निरीक्षक सम्मिलित हैं 69. लेखन सामग्री लिपिक 70 सांख्यिकी लिपिक 71. आशुलिपिक 72. माल पड़तालिया 73. भण्डारी तथा सहायक भण्डारी 74. उपभाग लिपिक 75. अधीक्षक महा अधीक्षक, अनुभाग अधीक्षक, जिसमें कार्यालय अधीक्षक एवं पंजीयक मंगनीराम बांगड़ इन्जीनियरिंग महाविद्यालय, जोधपुर सम्मिलित है। 76 पर्यवेक्षकगण 77 सारणीकार 78. समयपाल और सहायक समयपाल 79 कार्यालयों के अनुवादक 80. यात्राव्यय लिपिक 81. कार्यालयों के कोषाध्यक्ष, सहायक कोषाध्यक्ष तथा कनिष्ठ कोषाध्यक्ष 82 टंकणकर्ता 83. भाषा लिपिक 84

लेखक 85 ग्राम सेवक 86 मुहाफिजान 87 उप पंजीयक, विभागीय परीक्षाएं लापित 88 टिकिट बाबू एव कण्डक्टर, राजकीय परिवहन सेवा, सिरोही 89 देव यान विभाग के मैनेजर प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी *90 दारोगा, प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी 91 ओहदेदार, प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी 92 महन्त, प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी 93 मुखिया, प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी 94 पुजारी प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी 95 गोस्वामी प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी 96 सहायक स ादक 97 संवाददाता 98 वरिष्ट प्रूफरीडर 99 निदेशक, कृषि विभाग के निजी सहायक 100 भण्डार पर्यवेक्षक 101 खेल-कूद पर्यवेक्षक एव सहायक 102 पर्यवेक्षिका 103 महिला दर्जी 104 निरीक्षक, भण्डार एव लेखा 105 अमीन 106 टेलीफोन चालक 107 चकबन्दी विभाग के सर्वेक्षक 108 मार्गदर्शक 109. कनिष्ठ स्वागतकर्त्ता 110 कारिंदा 111 सचिवालय और राजस्थान लोक सेवा आयोग कार्यालयों के शाखा अधिकारी 112 लेखा निरीक्षक 113 अभिलेख सहायक 114 अन्वेषक 115 रिकार्ड अटेंडेंट 116 छटाईकर्त्ता 117 परिरक्षण सहायक 118 प्रयोगशाला सहायक 119 मुख्य अनुवादक सचिवालय 120 लोक निर्माण (भवन एव सडक) विभाग मे प्रशासन सहायक 121 भेड ऊन कार्यालय में मास्टर कर्तक 122 प्रशासनिक सहायक 123 मुख्य अनुवादक 124 सहायक मुख्य अनुवादक 125 साक्षर अटेंडेंट +126 देखभालकर्ता।

---

*91 से 96 देवस्थान विभाग के पद हैं।

+[दि. 16.10.78 को जोड़ा गया]

अनुसूची (4) चतुर्थ श्रेणी सेवाएं

अनुसूची—(3)

समस्त विभागों में निम्न लिखित श्रेणी के पदधारण करने वाले, जैसे—

1 शिल्पकार (लोहार, बढ़ई, कलाईगर, खरादी, रंगसाज आदि) 2 अटेंडेंट जिसमें गैलेरी अटेंडेंट, वार्ड अटेंडेंट, अस्पताल अटेंडेंट रिविटर अटेंडेंट, सब स्टेशन अटेंडेंट सम्मिलित हैं 3 नाई 4 बारूदसाज 5 भिश्ती 6 जिल्दसाज तथा सहायक जिल्दसाज 7 बोहरिया 8 बाय जिसमें लाइब्रेरी बाय, टेलीफोन बाय वर्ड बाय, पैट्रोल बाय सम्मिलित हैं 9 बंडल उठाने वाला 10 क्लीनर 11 गाड़ीवान 12 गाड़ी चालक 13 चवालिया 14 चौकीदार 15 जरीबी 16 सिनेमा कर्मचारी 17 क्लीनर 18 रसोइया 19 कुली 20, दफेदार 21 दफ्तरी 22 दाई या मिड वाइफ 23 डाक ले जाने वाला 24 ड्रेसर 25 फर्राश 26 फिल्टर चालक 27 माली (हाली, माली, चौगी आदि) 28 गैंगमेन और गैंगमन 29 गेट पास चैकर 30. द्वारपाल एवं गेट सार्जेन्ट 31 पहरेदार जिसमें कोष रक्षक वन रक्षक, आगेट रक्षक तथा रिजर्व रक्षक सम्मिलित हैं। 32 हरकारा 33 मददगार 34 हाथनायक 35 जमादार 36 कावड़िया 37 खलासी 38 श्रमिक जिसमें स्थायी श्रमिक तथा कुशल श्रमिक सम्मिलित है। 39 लिफ्टमैन 40 लाइन बेलदार 41 मेट एवं हैडमेट 42 नोपित 43 मोचिया 44 निगरा और निगरानेदार जिसमें सहायक निगरा तथा निगरानेदार सम्मिलित हैं 45 अर्दली 46 वेष्टक 47 पैदल 48 प्रहरी 49 चपरासी 50 बस्ताबरदार 51 रोड जमादार 52 शहना 53 शिकारी 54 सवार जैसे साईकिल सवार ऊंट सवार, सुतर सवार, घुड़ सवार डाक सवार 55 मेहतर 56 सईस 57 दर्जी 58 टनकी एवं सहायक टनक 59 प्रहरी 60 वार्डमैट 61 धोबी 62 जलधारी 63 किसान 64 चरवाहा 65 नील 66 मूर्ता 67 भण्डारी 68 बटर 69 मशालची 70 कोठारी 71. स्टीवर्ड या खानसामा 72 आबदार 73 शकरची 74 बकर 75 बरा 76 बलदार 77 वायरर अटेंडेंट 78 मोचित 79 धन रक्षक 80 पापोशा 81 लापित 82 पहरायती 83 सरवण 84 टिनमैन 85 नापित 8[illegible] कोठार सेवक 87 गद्दी बनाने वाला 88 मोची 89. लोपित 90 लश्कर 91 सराई पर्यवेक्षक 92 सिनेमा चालक 93 नदर ड्योढ़ी 94 नादर खिड़की 95 दरबान 96 हजारी 97 नेवगन 98 भण्डार कर्मचारी 99 गाड़ी निर्माता 100 मालागर 101. वल्केनाइजर 102 कलईसाज 103. बैटरीमैन 104 मोची 105 रंगसाज *[106 कोठारी 107 भण्डारी 108 रानडिया 109 तोपखानी 110 अभिषेकी 111 बालभोगी 112 शुभचिन्तक 113 रसोइया 114 टहलवा 115 झापटिया 116 बीनणिया 117 चोबदार 118 हरकारा 119. पोशाकी 120 जलघड़िया] 121 प्रवचाता 122 कर वसूल करने वाला 123 सहायक भंडारी 124 यत्रपान 125 प्रक्षेत्र सेवक 126 मुख्य हलवाला 127 हलवाला 128 मछुआ 129 हैडमैन (देवासा) 130 धोबी 131 आदेशिका वाहक 132 नोपित 133 लोपित 134 सहायक बुनाई सामग्र, परिसज्जक, सूत बुनाई सहायक बॉयलरमैन 135 चमड़ेवाला 136 तुलारा 137 प्रोजेक्ट चालक 138 गेज रीडर 139 प्रयोगशाला सवाहक (शिक्षा विभाग) 140 प्रयोगशाला सेवक (शिक्षा विभाग) 141 लोहार 142 लोपित 143 खरादी 144 बाजावाला 145 सारंगिया

---

*106 से 120 तथा 144 से 155 देवस्थान विभाग के पद हैं।

146 पखावजिया 147 बाडदार 148 मुखिया 149 पुजारी 150 भीतरिया 151 भापटिया 152 देश का पोशवान 153 नगारची 854 प्रचारक 155 शहनायची] 156 साड परिचारक 157 ग्वाला तथा हाली 158 सहायक गेसमैन 159 मेनुअल सहायक 160 मानचित्र पात्र 161 फैरोमैन 162 डिजल बॉय 163 भारिक 164 लश्कर 165 प्रयोगशाला बॉय 166 मडर (मरम्मत करने वाला) 167 नौकापाल 161 एलममैन 169 की मैन 170 वाट कीपर 171 बाइलर मैन ★172 वॉच एण्ड वार्ड स ।

★ अधिसूचना स एफ 3 (10) कार्मिक/ए–III/78, जी एस. आर 174 दि 31 जनवरी, 1979 द्वारा जोडा गया, (राज राज-पत्र भाग 4 (ग) (I) दि 8–2–1979 म पृष्ठ 452 पर प्रकाशित ।

परिशिष्ट—क

विभागीय जाचों के लिय आदेश प्रपत्र

प्रपत्र स 1

[नियम 13 (1) (क) के अन्तगत निलम्बन आज्ञा]

राजस्थान सरकार

विभाग

आज्ञा

क्रमाक　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　दिनाक

चू कि

[राज्य कमचारी का नाम तथा पद]

के विरुद्ध एक अनुशासन कायवाही करने का विचार है/चल रही है

2 अत अब राज्यपाल/निम्न हस्ताक्षरकर्ता राजस्थान सिविल सेवाए (वर्गीकरण नियत्रण और अपील) नियम　　　क नियम 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए । श्री　　　को तत्कालिक प्रभाव स निलम्बित करते हैं ।

अनुशासन प्राधिकारी का हस्ताक्षर एव पद ।

प्रतिलिपि श्री　　　　　　(निलम्बित कमचारी का नाम तथा पद)
को प्र पित । निलम्बन की अवधि में उनको देय निर्वाह भत्ते के विषय में पृथक आदेश जारी किया जायेगा ।

अनुशासन प्राधिकारी ।

प्रपत्र स० 2

[नियम 13 (1) (ख) के अन्तगत निलम्बन आज्ञा]

राजस्थान सरकार

विभाग

आज्ञा

क्रमाक　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　दिनाक

चू कि श्री　　　　　　(राज्य कमचारी का नाम तथा पद)
के विरुद्ध फौजदारी दोषारोपण के विषय में मामला अन्वेषण/विचारण हो रहा है ।

2 अत, अब राज्यपाल/निम्न हस्ताक्षरकर्ता राजस्थान सिविल सेवाए (वर्गीकरण नियन्त्रण और अपील) नियम,　　　के नियम 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कथित श्री　　　　को तत्कालिक प्रभाव से निलम्बित करते हैं ।

अनुशासन प्राधिकारी का　　　एव पद ।

पृष्ठाकन ऊपर लिखे अनुसार

★ निलम्बन वापिस लेने के कारण निम्नलिखित है :—

अत: अब राज्यपाल/निम्न हस्ताक्षरकर्ता एतद् द्वारा कथित निलम्बन आदेश को तत्कालिक प्रभाव से वापिस लेते है।

हस्ताक्षर··· ··· ··· ···

★ यहां संक्षेप में कारण लिखिए।

प्रतिलिपि श्री··· ··· ··· ··· ··· ··· (निलम्बित अधिकारी का नाम तथा पद) को प्रेषित।

अनुशासन प्राधिकारी

प्रपत्र संख्या 7

[नियम 16 (4) के अन्तर्गत जाच अधिकारी की नियुक्ति]

राजस्थान सरकार

··· ··· ··· ··· ···विभाग

आज्ञा

क्रमांक··· ··· ··· दिनांक··· ··· ··· ···

चूंकि राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत जांच श्री··· ··· ··· ··· ··· ··· ···के विरुद्ध की जा रही है।

(राज्य कर्मचारी का नाम तथा पद)

2, और चूंकि राज्यपाल/निम्न हस्ताक्षरकर्ता का विचार है कि उसके विरुद्ध अरोपित आरोपो की जाच करने के लिए एक जाच अधिकारी/जांच मण्डल नियुक्ति किया जाना चाहिये।

3. अतः, अब, राज्यपाल/निम्न हस्ताक्षरकर्ता एतद् द्वारा श्री··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ···/सर्व श्री··· का (जाच अधिकारी/जांच मण्डल के सदस्यगणों के नाम तथा पद) को जाच अधिकारी/जांच मडल कथित श्री··· ··· ··· ··· ··· ··· के विरुद्ध आरोपो की जांच करने के लिए नियुक्त करते हैं/करता है।

अनुशासन प्राधिकारी के हस्ताक्षर एव पद

क्रमांक··· ··· ··· दिनांक··· ··· ···

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित की जाती हैं:—

1. श्री··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ···

(जाच अधिकारी का नाम तथा पद)

2. श्री··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ···

(राज्य कर्मचारी का नाम तथा पद)

3. अन्य सम्बन्धित, यदि कोई हो।

प्रपत्र सं० 8

[नियम 18 के अन्तर्गत जांच अधिकारी की नियुक्ति]

राजस्थान सरकार

.............................विभाग

क्रमांक.......... दिनांक..............

चूंकि सर्व श्री ....(कर्मचारियों के नाम एवं पद) के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील) नियम, 1958 के अन्तर्गत जांच की जा रही है।

2. और चूंकि राज्यपाल/निम्न हस्ताक्षरकर्ता के विचार में उनके विरुद्ध अरोपित आरोपों की जांच करने के लिए जांच अधिकारी नियुक्त किया जाना चाहिये।

3. अतः, अब, राज्यपाल निम्न/हस्ताक्षरकर्ता, राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण नियन्त्रण और अपील) नियम, 1958 के नियम 18 के अन्तर्गत श्री...............................
...............(जांच अधिकारी का नाम तथा पद) को उनके विरुद्ध आरोपित आरोपों की संयुक्त जांच करने के लिए नियुक्त करते हैं/करता है। कार्यवाही में कथित नियमों के नियम 16 द्वारा निर्धारित कार्य प्रणाली का अनुसरण किया जावे।

अनुशासन प्राधिकारी के हस्ताक्षर एव पद

क्रमांक.......... दिनांक..............

प्रतिलिपि प्रेषित है :—

1. श्री..को

(जांच अधिकारी का नाम तथा पद)

2. श्री..को

(राज्य कर्मचारियों के नाम तथा पद)

3. अन्य सम्बन्धित व्यक्तियों को, यदि कोई हो।

प्रपत्र सं० 9

(पिछले जाच अधिकारी के स्थान पर नए जांच अधिकारी की नियुक्ति)

राजस्थान सरकार

.............................विभाग

आज्ञा

क्रमांक.......... दिनांक..............

आज्ञा/आज्ञायें क्रमांक..............................दिनांक..............................
के सिलसिले में राज्यपाल प्रसन्न होकर/निम्न हस्ताक्षरकर्ता श्री..............................
(नाम एवं पद)..............................को..............................में सम्बन्धित मामले/मामलों की जांच करने के लिए जांच प्राधिकारी नियुक्त करते है/करता है, जो गतकालिक जांच प्राधिकारी श्री ....द्वारा अपूर्ण छोड़ दिया गया था।

कोई अभिवेदन करें तो उस पर, प्रस्तावित कायवाही करने से पूव, उनके द्वारा विचार किया जायगा ऐसा अभिवेदन, यदि कोई हो तो लिखित मे हो और आप द्वारा इस पत्र की प्राप्ति स पन्द्रह दिन म निम्न हस्ताक्षरकर्ता को मिल जाना चाहिय ।

3 इस पत्र की पहु च भेजें ।

अनुशासन प्राधिकारी के हस्ताक्षर एव पद

प्रपत्र 13

(देखिए नियम 16 (12)

राजस्थान सरकार

विभाग

लोक सेवा आयोग स परामश करन के पश्चात अ तिम आदेश

स० दिनाक

श्री (नाम तथा पद) क विरुद्ध कतिपय आर पा के आधार पर निम्न लिखित चाज बनाए गए थे ।

नामाथ —

राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियन्त्रण और अपील) नियम 1958 के अधीन उर युक्त अभियोगो की समुचित जाच के पश्चात, राजस्थान लोक सवा आयोग से परामश करके, राज्यपाल महोदय ने तदनुसार निश्चय किया है कि आपको (यहा शास्ति लिखिए) से दण्डित किया जावे ।

राजस्थान लोक सेवा आयाग के पत्र की प्रति (जिसमे उन्होने अपनी सम्मति लिखी है, आपके सूचनाथ सलग्न है ।

श्री को निवेदन हैं कि वह इस पत्र की पहु च भेजें ।

अनुशासन प्राधिकारी

प्रपत्र 14

[भारतीय दण्ड विघान एव भ्रष्टाचार विरोधी अधिनियम के अन्तगत सरकारी कमचारी पर फौज दारी मुकदमा चलाने की स्वीकृति]

राजस्थान सरकार

का कृत्य करते हुए श्री (नाम तथा पद) की साजिश में राकड़ बहियों (कैशबुक) में गलत तथा फर्जी प्रविष्टियां द्वारा विभिन्न धनराशियों को विभिन्न व्यक्तियों एवं संस्थाओं के नाम वितरण करना दर्शाया जो वास्तव में वितरित नहीं की गई थी एवं कुल धनराशि रु० जो इस प्रकार विभिन्न संस्थाओं को फर्जी वितरित की जाना बताई गई वह कथित अधिकारी द्वारा अपराधिक अपहरण (दुरुपयोग) की गई और कतिपय व्यय श्री ने भी गलत प्रमाणित किये हैं, और

2 चूंकि राजस्थान सरकार/निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता के यह भी ध्यान में लाया गया है कि रुपये जो श्री स्टेट बैंक आफ इण्डिया से दिनांक को प्राप्त किये वे न तो रोकड़ बही में जमा हैं न उनका सही व्यक्ति को अथवा पद मुक्त करने वाले अधिकारी को भुगतान ही किया गया है और इस राशि का भी कथित अधिकारियों ने अपहरण किया है और

3 चूंकि अभिलेख के अवलोकन से तथा मामले के सब तथ्यों एवं परिस्थियों पर विचार करने के पश्चात्, सरकार/निम्न हस्ताक्षर कर्त्ता को तसल्ली हो गई कि कथित श्री और श्री ने भ्रष्टाचार विरोधी अधिनियम की धारा के साथ पठित भारतीय दण्ड विधान की धारा के अन्तर्गत अपराध किये हैं और।

४ इसलिये, अब जा ता फौजदारी की धारा तथा भ्रष्टाचार विरोधी अधिनियम की धारा का अनुसरण करते हुए राज्य सरकार/निम्न हस्ताक्षर कर्त्ता एतद द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हैं कि श्री के विरुद्ध भारतीय दण्ड विधान की धारा तथा भ्रष्टाचार विरोधी अधिनियम की धारा में भारतीय दण्ड विधान की धारा का पठन करते हुए एवं सक्षम क्षेत्राधिकार रखने वाली न्यायालय में कोई अन्य अपराध बने तो उसके अन्तर्गत फौजदारी मुकदमा चलाया जावे।

अनुशासन प्राधिकारी के हस्ताक्षर एवं पद

मुहर

दिनांक

दिनांक

प्रतिलिपि समस्त सम्बन्धितों को सिवाय उन राजकीय कर्मचारियों के जो इस मामले में सम्मलित हों।

प्रपत्र सं 15

(अपील/नजरसानी के मामलों के लिए प्रपत्र)

प्रेषित

श्री सचिव,

राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर।

1 राज्य कर्मचारी का नाम
2 शास्ति से पूर्व पद

3 शास्ति के बाद का पद

4 आया यह प्रथम अपील हैं या द्वितीय अथवा रिवाजन या रिव्यू

5 अनुशासनिक प्राधिकारी

6 अपील प्राधिकारी

7 शास्ति की तारीख

8 दिनाक जिस दिन अपील/रिव्यू/रिवीजन प्रस्तुत की गई।

9 (क) यह प्रमाणित किया जाता है कि (प्राधिकारी का पद) ने राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील) नियम 1958 के अधीन नियमित विभागीय जाच का आदेश दिया था और उक्त प्राधिकारी ऐसा आदेश देने और नियम 16 (4) के अतगत जाच अधिकारी नियुक्त करने के लिए सक्षम था। नियमित विभागीय जाच का आदेश फाइल स मे पृष्ठ पर हैं।

(ख) सक्षम प्राधिकारी के आदेशाधीन चाज और आरोपो का विवरण दोषी अधिकारी/कमचारी पर तामील कराए गए और ये फाइल स में पृष्ठो पर उपलब्ध हैं।

(ग) राज्य कर्मचारी को आवेदित सरकारी रेकाड का निरीक्षण करने तथा उनसे उद्धरण लेने की अनुमति दी गई थी जिवाय निम्नलिखित दस्तावेजो के जिसके कारण निम्नलिखित है –

(घ) जाच अधिकारी प्रारम्भिक जाँच करने वाले से भिन्न व्यक्ति था।

(ङ) अधिकारी/कमचारी का लिखित प्रतिवेदन उसको तैयार करने हेतु पर्याप्त और समुचित समय दिये जाने के बाद यथोचित प्राप्त हो गई, और फाइल स के पृष्ठ पर है। उसकी उपस्थिति मे लिए गए गवाहो के बयान फाईल स में पृष्ठ पर हैं। जाच अधिकारी ने अधिकारी/कमचारी को व्यक्तिगत सुनवाई का पूरा अवसर दिया।

(च) अधिकारी/कर्मचारी का तथा उसके द्वारा प्रस्तुत बचाव पक्ष के गवाहो के बयान फाइल स में पृष्ठ पर उपलब्ध हैं। जाच अधिकारी की रिपोट फाईल स मे पृष्ठ पर उपलब्ध है।

(छ) राज्य कमचारी पर दण्ड सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित किया गया और जारी किया गया आदेश राज्य कमचारी को भेज दिया गया।

(ज) अपील/रिवीजन मयाद के भीतर है, अथवा यदि मयाद बाहर है तो विलम्ब राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियन्त्रण और अपील) नियम 1958 के नियम 25 के अधीन आदेश दिनाक पृष्ठ द्वारा क्षमा कर दिया गया है।

जब कठोर शास्ति अधिरोपित की गई हो तो पूरक बिन्दु

(1) जाच अधिकारी की रिपोट की प्रति अनुशासनिक प्राधिकारी की टिप्पणी सहित, राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियन्त्रण और अपील) नियम के नियम 16 (10) (ग) के [illegible] कारण बताओ नोटिस के साथ सविधान के अनुच्छेद 311 (2) की अपक्षतानुसार, राज्य को दिए जा चुके है जो फाइल स में पृष्ठ पर हैं।

(2) जब कि अनुशासनिक प्राधिकारी जांच अधिकारी के निष्कर्षों से असहमत था, तो असहमति के कारण संक्षेप में सूचित कर दिए थे, फाइल सं. ...... पृष्ठ......... ।

विविध :

* (क) राज्य कर्मचारी को सूचित कर दिया गया है कि उसकी सेवा के पिछला रिकार्ड पर जो उसके पक्ष में नहीं है, सजा की मात्रा तय करने लिए, विचार किया जाएगा ।

(ख) राज्य कर्मचारी के ऐसे कृत्यों या कमियों के लिए जो चार्ज-शीट में उल्लिखित नहीं है कोई शास्ति नहीं दी गई है ।

(ग) उपर्युक्त प्रत्येक बिन्दु से सम्बन्धित रेकार्ड एकत्रित कर लिया गया है और संबंधित कार्यालयों में फाइलें तैयार करवाके, समस्त सारभूत कागजात, अपील/रिव्यू/रिवीजन के प्रार्थना-पत्र के साथ राजस्थान लोक सेवा आयोग को सम्मति हेतु भेजे जा रहे हैं ।

---

* नियुक्ति (ए-III) विभाग के मीमो सं. एफ 16 (7) नियुक्ति (ए) 60 ग्रुप III दिनांक

परिशिष्ट—ख

राजस्थान अनुशासनात्मक कार्यवाहियां (गवाहों का आव्हान तथा प्रलेखों का प्रस्तुतिकरण) अधिनियम, 1959[1]

(अधिनियम क्रमांक 28, सन 1959 का)

(राज्यपाल की अनुमति दिनांक 24 मई, 1959 को प्राप्त हुई)

एक

अधिनियम

राजस्थान राज्य के कार्यों से सम्बन्धित सार्वजनिक सेवाओं तथा पदों पर नियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाहियों में गवाहों की उपस्थिति बाध्य करने एवं प्रलेखों को प्रस्तुत करने के लिए प्रावधान निर्मित करने हेतु।

राजस्थान राज्य विधानमण्डल द्वारा गणराज्य के दसवें वर्ष में निम्न रूपेण अधिनियमित किया जाता है।

1 संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ —(1) यह अधिनियम राजस्थान अनुशासनात्मक कार्यवाहियां (गवाहों का आव्हान तथा प्रलेखों का प्रस्तुतिकरण) अधिनियम, 1959 कहलायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में होगा।

(3) यह तुरन्त प्रभाव में आयेगा।

2 अधिनियम का लागू होना – यह अधिनियम राजस्थान राज्य के कार्यों से सम्बन्धित सार्वजनिक सेवाओं तथा पदों पर नियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध समस्त विभागीय जांचों पर लागू होगा।

3 परिभाषायें इस अधिनियम में, जब तक कि प्रसंग तथा विषय द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) "विभागीय जांच" से अभिप्राय उस जांच से है जो किसी व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत बताये गये किसी कानून अथवा नियमों के अथवा अनुच्छेद 313 के अन्तर्गत जारी किए गये किसी नियमों के अन्तर्गत या उनके अनुसार की गई हो, और

(ख) "जांच प्राधिकारी" से तात्पर्य उस पदाधिकारी अथवा प्राधिकारी से है जो किसी व्यक्ति के आचरण की विभागीय जांच करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अथवा राज्य सरकार के अधीनस्थ किसी पदाधिकारी या प्राधिकारी द्वारा नियुक्त किया गया हो और इसमें वह पदाधिकारी या प्राधिकारी भी सम्मिलित हैं जिसे जांच करने का अधिकार किसी और प्रकार से हो।

---

1. प्रथमबार राजस्थान राज पत्र, असाधारण भाग 4–क दिनांक 30–5–59 को अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ।

4. गवाहों को उपस्थिति के लिए बाध्य करने तथा प्रलेखों को प्रस्तुत करने के लिए विवश करने की जांच प्राधिकारी की शक्तियां—(1) जांच प्राधिकारी को गवाहों को आह्वान करने, एवं उनकी उपस्थिति के लिए बाध्य करने तथा प्रलेखों का प्रस्तुत करने के लिए विवश करने की वह समस्त शक्तियां प्राप्त होंगी जो किसी वाद को सुनवाई करते समय, जाब्ता दीवानी, 1908 (केन्द्रीय अधिनियम पंचम सन 1908) के अन्तर्गत किसी दिवानी न्यायालय को अधिकृत है।

(2) ऐसे जांच प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये गवाहों की उपस्थिति के लिए अथवा प्रलेखों को प्रस्तुत करने हेतु बाध्य करने के सब आदेश-पत्रों की तामील उस सत्र न्यायाधीश के माध्यम से होगी जिसके क्षेत्राधिकार में गवाह अथवा कोई अन्य व्यक्ति जिस पर आदेश-पत्र तामील होनी है, निवास करता है।

5. नियम बनाने की शक्ति—राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

परिशिष्ट-ग

राजस्थान अनुशासनात्मक कार्यवाहियां

(गवाहों का आव्हान एवं प्रलेखों का प्रस्तुतिकरण)
नियम, 1960[1]

राजस्थान अनुशासनात्मक कार्यवाहियां (गवाहों का आव्हान एवं प्रलेखों का प्रस्तुतिकरण) अधिनियम, 1959 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती हैं, यथा —

नियम

1 संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ —(1) ये नियम राजस्थान अनुशासनात्मक कार्यवाहियां (गवाहों का आव्हान एवं प्रलेखों का प्रस्तुतिकरण) नियम, 1960 कहलायेंगे।

(2) ये नियम तुरन्त प्रभाव में आयेंगे।

2 सम्मन एवं आदेश-पत्र —(1) इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी गवाही में जांच प्राधिकारी किसी पक्ष को आदेश दे सकता है कि वह सम्मन के छपे हुए प्रपत्र की प्रतियों में देवनागरी लिपि में, सिवाय उपस्थिति पेशी का दिनांक/तथा सम्मन/नोटिस (सूचना पत्र) के जारी होने के दिन के विषयों को पूरी तरह भर कर उन गवाहों पर तामील कराने के लिए प्रस्तुत करे जिनको वह अपने पक्ष में साक्ष्य में पेश करना चाहता हो।

(2) सम्मनों एवं सूचना पत्रों में उपस्थिति/पेशी का दिनांक एवं जारी होने का दिनांक [1]जांच प्राधिकारी के कार्यालय में भरे जायेंगे तथा [1]जांच प्राधिकारी अथवा उसका कार्यालय अधीक्षक अथवा निजी सहायक अथवा कर्मचारी वर्ग का कोई अन्य सदस्य जिसको ऐसा प्राधिकार प्रत्यायुक्त किया गया हो, सम्मन/सूचना पत्र पर हस्ताक्षर करेगा एवं हस्ताक्षर करने का दिनांक भी अंकित करेगा।

(3) प्रपत्र तब तक स्वीकृत नहीं किए जाएंगे जब तक कि वे बड़े स्पष्ट एवं पढ़े जाने योग्य अक्षरों में नहीं भरे गए हों। वह पक्ष उस प्रपत्र पर नीचे के बाएं हाथ के कोने पर अपने हस्ताक्षर करेगा और उस प्रपत्र में प्रविष्टित वृतान्त की सत्यता का उत्तरदायी होगा।

(4) [1]जांच प्राधिकारी द्वारा जारी किए या दिए प्रत्येक आदेश-पत्र या आज्ञा में, जारी करने वाले या देने वाले अधिकारी का नाम सबसे ऊपर स्पष्ट अक्षरों में लिखा जायेगा।

सब दशाओं में [1]जांच प्राधिकारी या उसका कार्यालय अधीक्षक, या निजी सहायक या उपरोक्त नियम 2 (2) में निर्दिष्ट कर्मचारी वर्ग का अन्य सदस्य अपने नाम के हस्ताक्षर साफ साफ एवं पढ़ने योग्य अक्षरों में करेगा। ऐसा कोई हस्ताक्षर मुद्रा (स्टाम्प) द्वारा नहीं किया जायेगा।

(5) प्रपत्र अथवा आदेश-पत्र, आवश्यक परिवर्तनों तथा संशोधनों सहित वही होगा जो राजस्थान के दीवानी न्यायालयों के लिए सामान्य नियम (सिविल) 1952 के अन्तर्गत निर्धारित है।

---

1 प्रथम बार राजस्थान राजपत्र, असाधारण भाग 4-क दिनांक 8-12-1960 को अंग्रेजी में

(6) आदेश-पत्र जारी करने से पूर्व जारी करने वाला अधिकारी इस बात की तसल्ली करेगा कि जिस व्यक्ति को आदेश-पत्र भेजना हो अथवा जिस व्यक्ति के विषय में अथवा जिस सम्पत्ति के विषय में वह जारी किया जा रहा है उसके वर्णन की प्रविष्टियां ऐसी है जिनमे तामील कुनिन्दा को ऐसे व्यक्ति अथवा सम्पत्ति को पहिचानने मे गलती करने का खतरा नहीं रहे। आदेश में नाम पिता का नाम, व्यवसाय, जिला, मोहल्ला (यदि कोई हो) ग्राम या नगर दर्ज किये जायेंगे। जब कि जाच प्राधिकारी को निवेदन करने वाले व्यक्ति के आवेदन-पत्र में इस प्रकार का वर्णन किया हुआ नही हो तो, जारी करने वाले अधिकारी को तुरन्त जाच प्राधिकारी की आज्ञा प्राप्त करनी चाहिए।

(7) जब कोई सम्मन किसी सैनिक, नाविक, वायु सैनिक अथवा सार्वजनिक कर्मचारी को जारी किया जाना हो तो यथा सभव गवाहो के आव्हान तथा प्रलेखो हेतु, सामान्य नियम (सिविल) 1952 के अध्याय 3 मे दिये गये प्रावधानो का उपयोग किया जावेगा।

(8) साधारणतया समस्त आदेश-पत्र तामील हेतु उस जिला एव सत्र न्यायाधीश के न्यायालय मे भेजे जावेंगे जिसका उस क्षेत्र मे क्षेत्राधिकार है जिसमे उक्त गवाह निवास करता हो अथवा जिसके सरक्षण से प्रलेख प्रस्तुत करवाना हो।

(एफ 23 (93) ए /58/प्र.प तृतीय दिनाक 21-10-1960)

1 "प्रथम श्रेणी दण्ड नायक" के स्थान पर, नियुक्ति (ए-तृतीय) विभाग के प्रपत्र एफ 23 (93) ए स/58 प्र.प तृतीय दिनाक 15 जून 1961 द्वारा लिया गया।

राजस्थान सिविल सेवा आचरण नियम, 1971

जी एस आर 29—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान राज्य के राज्यपाल, प्रसन्न होकर एतद्द्वारा राजस्थान राज्य में और उसके कार्यों के सम्बन्ध में नियोजित राज्य कर्मचारियों के आचरण को नियमित करने हेतु निम्नांकित नियम बनाते है :—

1 संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और प्रयोग—

(1) ये नियम राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1971 कहलायेंगे।

(2) ये तुरन्त लागू होंगे।

(3) जब तक इन नियमों में अन्यथा प्रावधानित नहीं किया गया हो, ये ऐसे व्यक्तियों पर लागू होंगे जो कि राज्य के कार्यों से सम्बन्धित सिविल सेवाओं और पदों पर नियुक्त हों।

परन्तु शर्त यह है कि जब कोई राज्य कर्मचारी किसी अन्य राज्य-सरकार या केन्द्रीय-सरकार में प्रतिनियुक्ति (डेप्युटेशन) पर रखा गया हो तो वह प्रतिनियुक्ति की अवधि में, इन नियमों के अपवर्जन (exclusion) में उधार लेने वाली सरकार के आचरण नियमों द्वारा उस सीमा तक शासित होगा।

परन्तु आगे शर्त यह है कि राज्यपाल अपनी साधारण या विशिष्ट आज्ञा द्वारा ऐसे राज्य कर्मचारियों को जो किसी विशेष वर्गीकरण के हो, को इन नियमों से पूर्णतः या आंशिक रूप में लागू होने से मुक्त कर सकेंगे।

परन्तु और शर्त यह भी है कि उन नियमों का कोई अंश उन राज्य कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा जो कि अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य हैं और जो अखिल भारतीय सेवाएं (आचरण) नियम 1968 के अधीनस्थ हैं।

2 परिभाषाएं :—

इन नियमों में, जब तक कि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(अ) 'नियुक्ति-अधिकारी' से अभिप्राय वही होगा जो कि राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील) नियम, 1958 में दिया गया है :

(आ) "सरकार" से तात्पर्य राजस्थान सरकार से है।

(इ) "सरकार कर्मचारी" से तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है, जो कि राज्य के कार्यों के सम्बन्ध में सरकार द्वारा किसी सिविल सेवा या पद पर नियुक्त हो, और इसमें वह व्यक्ति भी शामिल होगा जिसकी सेवाएं अन्य राज्य या केन्द्रीय सरकार से प्रतिनियुक्ति पर उधार ली गई हों।

(ई) "परिवार के सदस्य" में सरकारी-कर्मचारी के सम्बन्ध में निम्नलिखित सम्मिलितहोंगे.—

---

1. [राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग (ग्रुप II-III) की विज्ञप्ति सं० एफ० 4 (3) कार्मिक (III-II)/65 दि० 4 अगस्त 1972 द्वारा राजस्थान राज पत्र भाग-4 ग (I) असाधारण दि० 18-8-1972 में प्रकाशित।]

(1) कर्मचारी की पत्नि या पति, यथा स्थिति, चाहे वह कर्मचारी के साथ निवास करता/करती हो या नहीं, लेकिन ऐसी पत्नी या पति, जैसा भी हो, शामिल नहीं होंगे जो किसी डिग्री या सक्षम न्यायालय की डिक्री या आज्ञा द्वारा सरकारी कर्मचारी से जुदा कर दिया गया/दी गई हो।

(2) कर्मचारी का पुत्र या पुत्री या सौतेला पुत्र या सौतेली पुत्री, जो कि कर्मचारी पर पूर्णतः आश्रित हो, लेकिन ऐसा बच्चा या सौतेला बच्चा शामिल नहीं होगा जो अब किसी प्रकार भी सरकारी कर्मचारी पर आश्रित न हो या किसी कानून के अन्तर्गत कर्मचारी को उसके संरक्षण से वंचित कर दिया गया हो।

(3) अन्य व्यक्ति जो रक्त से या विवाह से कर्मचारी की पत्नि या पति से सम्बन्धित हो और कर्मचारी पर पूर्णतः आश्रित हो।

3 सामान्य.

(1) प्रत्येक सरकारी कर्मचारी सदैव

(i) पूर्णतः ईमानदार रहेगा और

(ii) कर्तव्य निष्ठा और कार्यालय की गरिमा बनाए रखेगा।

(2) (i) प्रत्येक सरकारी कर्मचारी, जो कि पर्यवेक्षीय पद (supervisory post) पर हो एस सब कदम उठावेगा जिससे कि उसके नियन्त्रण और प्राधिकार में काम कर रहे समस्त कर्मचारियों की ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा सुनिश्चित हो सके।

(ii) सरकारी कार्य करते समय प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोई कर्मचारी अपने उत्तम-निर्णय के अन्यथा कोई कार्य नहीं करेगा जब तक कि वह किसी निर्देश के अन्तर्गत कार्य न कर रहा हो और उस निर्देश को जहां तक सम्भव हो लिखित रूप में प्राप्त करेगा और जहां लिखित निर्देश प्राप्त करना सम्भव न हो, वहां कार्य के शीघ्र पश्चात् यथा सम्भव शीघ्र वह निर्देश की लिखित पुष्टि प्राप्त करेगा।

स्पष्टीकरण.—उप नियम (2) के खण्ड (ii) में किसी का भी अर्थ ऐसा नहीं लगाया जावेगा जिससे कि सरकारी कर्मचारी को अपना उत्तरदायित्व टालने हेतु अपने उच्च अधिकारी या प्राधिकारी से निर्देश या स्वीकृति प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो जबकि शक्तियों तथा उत्तरदायित्वों की आवंटन योजना (Scheme of distribution of powers & responsibility) के अधीन ऐसी आवश्यकता नहीं हो।

4 अनुचित तथा अशोभनीय आचरण (Improper and Unbecoming Conduct).—

कोई भी सरकारी कर्मचारी जो—

(1) कर्तव्य करते समय या अन्यथा किसी ऐसे अपराध का दोषी करार दिया गया हो जिसमें नैतिक पतन (moral turpitude) शामिल हो।

(2) जनता के बीच ऐसे बेढंगे प्रकार से व्यवहार करे जो कि सरकारी कर्मचारी होने के नाते उसके पद के लिए अशोभनीय हो।

(3 यह सिद्ध हो जावे कि उसने किसी प्राधिकारी को बेनाम से या झूठे नाम से कोई याचिका (प्रार्थना पत्र) भेजा है।

(4) अनैतिक जीवन व्यतीत करता हो, वह अनुशासनिक कार्यवाही किए जाने का जिम्मेदार होगा।

स्थापित सरकार को उलटने मे लगी हो, उसमे भाग लेने, चन्दा देने या अन्य प्रकार से सहायता करने से रोकने का भरसक प्रयत्न करे और जहा सरकारी कर्मचारी अपने परिवार के सदस्य को ऐसी कार्यवाही, गतिविधि सहायतार्थ चन्दा देने, अथवा अन्य प्रकार से सहायता देने मे रोकने में असमर्थ हो, तो उक्त सरकारी कर्मचारी इसकी सूचना सरकार को देगा ।

(3) यदि यह प्रश्न उत्पन्न हो कि कोई दल राजनैतिक-दल है, या कोई सस्था राजनीति में भाग लेती है या कोई गतिविधि या कार्यवाही उपनियम (2) के क्षेत्र के अन्तर्गत आती है या नही तो उस पर सरकार का निर्णय अन्तिम होगा ।

(4) कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी विधान मण्डल या स्थानीय प्राधिकारी (Local authority) के चुनाव के सम्बन्ध मे न तो मत (vote) देने प्रभाव डालेगा, न अन्य प्रकार से दखल देगा और न उसमे भाग लेगा ।

परन्तु शर्त यह है कि—

(1) कोई सरकारी कर्मचारी जो ऐसे चुनाव में मत (vote) देने मे योग्य है अपना मत देन के अधिकार का प्रयोग कर सकेगा और जहा ऐसा करेगा, वह ऐसा कोई सकेत नही देगा कि उसका किसी के पक्ष मे वोट देने का प्रस्ताव है या वोट दिया है,

(2) कोई सरकारी कर्मचारी जिसको कि किसी कानून, जो कि तत् समय लागू हो, के अन्तर्गत चुनाव सम्पादन कराने का काम दिया गया हैं और वह यदि वे चुनाव सम्पादन करवाता है तो यह नही समझा जावेगा कि उसने इस नियम के प्रावधान का उल्लघन किया है ।

स्पष्टीकरण—किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा अपने स्वय के वाहन या निवास स्थान पर किसी चुनाव चिन्ह के प्रदर्शन करने का अर्थ उसके द्वारा चुनाव के सम्बन्ध मे अपने प्रभाव का इस उप-नियम के अर्थ मे प्रयोग करना समझा जायगा ।

टिप्पणी—किसी सरकारी कर्मचारी को यदि सकारण ऐसा विश्वास हो कि उसके उच्च-अधिकारी या उपर वाले व्यक्ति द्वारा या उनकी ओर से ऐसे प्रयत्न किये जा रहे हैं जिससे कि इस नियम के प्रावधान का उल्लघन होगा तो वह ये तथ्य राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव को रिपोर्ट करेगा ।

(2) चुनाव में किसी उम्मीदवार का नामाकन प्रस्ताव या अनुमोदन करना या पोलिंग एजेन्ट के रूप मे कार्य करना, चुनाव में सक्रिय भाग लेना समझा जाएगा ।

8 सरकारी कर्मचारी द्वारा सघों में सम्मिलित होना—

कोई सरकारी कमचारी न तो किसी ऐसे सघ (association) मे सम्मिलित होगा न उसके सदस्य के रूप मे ही बना रहेगा जिसके उद्देश्य और गतिविधिया भारत की प्रभुसत्ता और अखण्डता के हित या लोक व्यवस्था और नैतिकता के प्रतिकूल हो ।

9 प्रदर्शन तथा हड़तालें:—

(1) कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी ऐसे प्रदर्शन मे नहीं लगेगा और न भाग ही लेगा जो भारत की प्रभुसत्ता और अखण्डता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यो से मैत्री सम्बन्धो, लोक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता के हित के प्रतिकूल हों, या जिनसे न्यायालय का अपमान या ---- हानि हो या जिनसे किसी अपराध को प्रोत्साहन मिलता हो ।

(2) अपनी सेवा या अन्य सरकारी कर्मचारी की सेवाओं से सम्बन्धित मामलों में न तो किसी प्रकार की हड़ताल का माध्यम अपनावेगा और न हड़ताल को किसी प्रकार प्रोत्साहन देगा।

10 प्रेस या रेडियो से सम्बन्ध —

(1) कोई भी सरकारी कर्मचारी सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी समाचार पत्र या अन्य सामयिक प्रकाशन का पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से न तो स्वामित्व ग्रहण करेगा और न उसका सम्पादन या प्रबन्ध ही करेगा, न उसमें भाग लेगा।

(2) कोई भी सरकारी कर्मचारी—

(अ) किसी रेडियो प्रसारण में, सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना भाग नहीं लेगा, या

(आ किसी समाचार पत्र या पत्रिका में नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई लेख या पत्र बेनाम या स्वयं के नाम से या अन्य किसी नाम से प्रकाशनार्थ प्रेषित नहीं करेगा—

परन्तु शर्त यह है कि यदि ऐसा प्रसारण या लेख, जो शुद्ध रूप में साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक प्रकार का हो और उसमें ऐसा कोई मामला नहीं हो जिसे किसी कानून, नियम या विनियम के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारी द्वारा प्रकट करना निषेध हो, तो ऐसी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी।

और यह, कि यदि उस प्रसारण या लेख में सरकारी कर्मचारी के विभाग से सम्बन्धित पावने (चाहे वे सरकारी स्रोत से तैयार किये हो या नहीं) हो तो कर्मचारी द्वारा जो फीस ली जाती वही ली जावेगी और वह सरकारी कर्मचारी उस फीस से अधिक वसूल नहीं करेगा जो किसी गैर सरकारी व्यक्ति को ऐसे प्रसारण या लेख पर देय होती हो।

11 सरकार की आलोचना —

कोई भी सरकारी कर्मचारी अपने रेडियो प्रसारण या दस्तावेज में जो कि उसके नाम से बेनाम या कल्पित नाम या अन्य के नाम से प्रकाशित हो, या प्रेस को दिये जाने वाले पत्र व्यवहार या सार्वजनिक रूप में दिये बयानों या विचारों में निम्न प्रकार की बातें नहीं कहेगा—

(1) जिसका केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के वर्तमान या हाल ही की नीति या कार्यवाही पर प्रतिकूल आलोचना का प्रभाव पड़ता हो।

(2) जो केन्द्रीय सरकार और किसी राज्य सरकार के मध्य सम्बन्धों में उलझन पैदा कर सकते हों।

(3) जो केन्द्रीय सरकार और किसी मित्र विदेशी सरकार के मध्य सम्बन्धों में उलझन पैदा कर सकते हों।

परन्तु शर्त यह है, कि इस नियम का कुछ भी किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा दिये गये ऐसे बयानों या उसके द्वारा प्रकट किये ऐसे विचारों पर लागू नहीं होगा जो कि उसने सरकारी पद की हैसियत से या अपने निर्धारित कर्तव्यों का समुचित पालन करते हुए दिया हो।

12 किसी समिति या अन्य अधिकारी के समक्ष साक्ष्य देना—

(1) कोई भी सरकारी कर्मचारी उप नियम (3) में दिये प्रावधान के अतिरिक्त अपने नियुक्ति अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी व्यक्ति, समिति (कमेटी) या प्राधिकारी द्वारा की जा रही जांच में साक्ष्य (गवाही) नहीं देगा।

(2) जहा उपनियम (1) के अधीन कोई स्वीकृति दी गई हो, वहा कोई सरकारी कर्मचारी ऐसी साक्ष्य देते समय राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या अन्य राज्य सरकार की नीति या कोई स्वीकृति की आलोचना नही करेगा।

(3) इस नियम मे कुछ भी निम्न लिखितो पर लागू नही होगा--

(अ) सरकार, ससद या राज्यकीय विधान मण्डल नियुक्त किए गए प्राधिकारी के समक्ष जाच के सम्बन्ध मे दी गई साक्ष्य या

(आ) न्यायिक जाच म दी गई साक्ष्य, या

(इ) ऐसी विभागीय जाच मे दी गई साक्ष्य जो सरकार के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा दिये गये आदेश से की जा रही हो।

13 अनाधिकृत सूचना का आदान प्रदान --

कोई भी सरकारी कर्मचारी, सरकार की सामान्य या विशेष आज्ञा या या निर्धारित कर्त्तव्यो का सद्भावनापूर्वक पालन करने के अतिरिक्त किसी अन्य विभाग सरकारी कर्मचारी को परोक्ष या अपरोक्ष रूप स कोई दस्तावेज या सूचना जो कि उसके द्वारा कर्त्तव्य करने के दौरान या सरकारी स्रोत या अन्य प्रकार से तैयार या सकलन की गई हो, नही देगा।

परन्तु शर्त यह है कि, इस नियम का कुछ भी उस अधिकारी को जिसका कर्त्तव्य सरकार की गतिविधियो का सरकार के सामान्य व विशिष्ट निर्देशानुसार प्रचार करना हो, प्रेस (समाचार पत्र) के साथ सचार करने मे नही रोकेगा।

परन्तु यह और है कि, इस नियम का कुछ भी किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा पुलिस भ्रष्टाचार विरोधी विभाग) को कोई सूचनाए या दस्तावेज देन से वर्जित नही माना जावेगा जब कि उसे ईमान्दारी क साथ ऐसा विश्वास हो कि उक्त सूचना भ्रष्टाचार या अन्य दुराचार रोकने या अपराधियो का पता लगाने या उन्हे दण्ड देने म सहायक होगी।

14 चन्दे--

कोई भी सरकारी कर्मचारी, सरकार या निर्धारित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति या आज्ञा के बिना किसी भी उद्देश्य के लिए न तो चन्दे मागेगा न स्वीकार करेगा, तथा अन्य प्रकार से कोई राशि या वस्तुओ के एकत्रीकरण मे या अन्य प्रकार मे अपने आप को सम्बद्ध नही करेगा।

15 उपहार --

(1) इन नियमों के प्रावधानो के अतिरिक्त कोई सरकारी कर्मचारी किसी प्रकार का उपहार न तो स्वय स्वीकार करेगा न अपने परिवार के किसी सदस्य को या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति को स्वीकार करने की अनुमति देगा।

स्पष्टीकरण --अभिव्यक्ति 'उपहार" में नि शुल्क यातायात आवास भोजन या अन्य सवाऐ या अन्य आर्थिक लाभ सम्मिलित है जिन्हे किसी एस व्यक्ति ने उपलब्ध किये हो जो कर्मचारी का निकट सम्बन्धी या व्यक्तिगत मित्र जिसका उसके सरकारी व्यवहार से कोई सम्बन्ध होने के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति हो।

नोटः--(1) कभी कभी (Casual) भोजन, सवारी या अन्य सामाजिक आतिथ्य उपहार नही माने जाएगे।

नोट: (ii) सरकारी कर्मचारी, ऐसे व्यक्ति से, जिसका सरकार में काम काज है या जो औद्योगिक वाणिज्यिक फर्म या संस्थायें आदि हैं, से खर्चीले आतिथ्य या बार बार आतिथ्य स्वीकार नहीं करेगा।

(2) ऐसे अवसरों जैसे कि विवाह-वार्षिकोत्सव, मृत्यु या धार्मिकोत्सवों पर जिनमे कि उपहार देना, धार्मिक या सामाजिक परम्परा के अनुकुल है, सरकारी कर्मचारी अपने निकट सम्बन्धियो से उपहार स्वीकार कर सकेगा, लेकिन उसे इसकी सूचना सरकार को देनी होगी, यदि ऐसे उपहार का मूल्य—

(i) रु० 500 00 से अधिक हो, ऐसे सरकारी कर्मचारी के सम्बन्ध में जो किसी कि राज्य सेवा या अधीनस्थ सेवा का पद धारण करता हो।

(ii) रु० 200.00 से अधिक हो, ऐसे सरकारी कर्मचारी के सम्बन्ध में जो किसी कि और मत्रालयिक (मिनिस्टेरियल) सेवा का पद धारण करता हो;

(iii) रु० 100 00 से अधिक हो ऐसे सरकारी कर्मचारी के सम्बन्ध में जो कि चतु श्रेणी का पद पर धारण करता हो।

(3) ऐसे अवसरों पर जो कि उपनियम (2) मे स्पष्ट किये गये हैं, कोई सरकारी कर्मचारी अपने व्यक्तिगत मित्रो जिनका सरकार मे काम काज है, से उपहार स्वीकार कर सकता है, लेकिन इसकी सूचना सरकार को देनी होगी यदि ऐसे उपहार का मूल्य:—

(1) रु० 200.00 से अधिक हो, ऐसे सरकारी कर्मचारी के सम्बन्ध मे जो किसी राज्य सेवा या अधीनस्थ सेवा का पद धारण करता हो।

(2) रु० 100 00 से अधिक हो, ऐसे सरकारी कर्मचारी के मामले में जो मत्रालयिक (Ministerial) सेवा का पद धारण करता हो; और

(3) रु० 50 00 से अधिक हो, ऐसे सरकारी कर्मचारी के सम्बन्ध मे जो चतुर्थ श्रेणी सेवा का पद धारण करता हो।

(4) किसी अन्य मामले में, सरकारी कर्मचारी सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई उपहार स्वीकार नही करगा, यदि उसका मूल्य:—

(i) रु० 75.00 से अधिक है, ऐसे सरकारी कर्मचारी के सम्बन्ध मे जो किसी राज्य सेवा या अधीनस्थ सेवा का पद धारण करता हों; और

(ii) रु० 25.00 से अधिक हो, ऐसे सरकारी कर्मचारी के सम्बन्ध में जो मत्रालयिक (Ministerial) या चतुर्थ श्रेणी सेवा का पद धारण करता हो।

16 सरकारी कर्मचारो के सम्मान में लोक प्रदर्शन:—

कोई भी सरकारी कर्मचारी नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना स्वय के सम्मान में दिया गया कोई अभिनन्दन स्वस्तिवाचन या प्रमाण पत्र स्वीकार नही करेगा तथा उसके सम्मान मे या किसी अन्य सरकारी कर्मचारी के सम्मान में की गई सभा या मनोरंजन में उपस्थित नहीं रहेगा।

परन्तु इस नियम का कुछ भी निम्नांकितो पर लागू नहीं होगा:—

(i) स्वय सरकारी कर्मचारी के या अन्य सरकारी कर्मचारी के सम्मान मे उसकी सेवा-निवृत्ति या स्थानान्तरण के अवसर पर, या ऐसे अन्य व्यक्ति के सम्मान मे दिया गया विदाई समारोह जिसने कि हाल ही मे सरकारी सेवा छोडी हो, या

(ii) स्थानीय निकायो (local bodies) या सस्थाओं द्वारा दिए गए साधारण अल्प व्यय के मनोरजन को स्वीकार करना।

नोट :—किसी सरकारी कर्मचारी को किसी विदाई समारोह के लिए चाहे वह मुख्यतः व्यक्तिगत या अनौपचारिक हो चन्दा देने के लिए दबाव डालना या प्रभावित करना और मत्रालयिक (मिनिस्टेरियल) या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से किन्ही परिस्थितियों में, ऐसे सरकारी कर्मचारियो के मनोरजन हेतु चन्दा इकट्ठा करना वर्जित है जो कि मत्रालयिक (मिनिस्टेरियल) या चतुर्थ श्रेणी सेवा के न हो।

17 शिक्षा सस्थाओ में प्रवेश लेने या उपस्थित न होने पर प्रतिबन्ध : –

किसी सरकारी कर्मचारी को जब तक कि वह सरकारी सेवा मे है अपने सम्बन्धित विभागाध्यक्ष की पूर्व अनुमति बिना, मान्य बोर्ड या विश्वविद्यालय की परीक्षा हेतु तैयारी करने हेतु या परीक्षा मे बैठने हेतु किसी शिक्षण सस्था मे सम्मिलित होने की अनुमति नही होगी।

परन्तु, शर्त यह है कि—

(i) इस नियम का कुछ भी उस सरकारी कर्मचारी पर लागू नही होगा जिसने कि राजस्थान सेवा नियमों के अधीन देय अवकाश हेतु आवेदन दिया है और जो स्वीकृत हुआ है ताकि वह उस विद्यालय या महाविद्यालय के पूर्ण सत्र की अवधि में सम्मिलित हो सके जिसके लिए वह अपने स्वय को तैयार करता है,

(ii) सरकारी कर्मचारी जिसने कि (वर्ष 1955 में या उससे पहले) कोई परीक्षा का प्रथम खण्ड पास कर लिया है, उसका कार्यालय समय के अलावा समय में नियुक्ति प्रति अधिकारी द्वारा पूर्व की परीक्षा के पश्चात अन्तिम परीक्षा की तैयारी करने या बैठने हेतु, किसी शिक्षा सस्था मे उपस्थित होने या सम्मिलित होने की अनुमति दी जा सकेगी।

(iii) नियुक्ति प्राधिकारी किसी सरकारी कर्मचारी को कार्यालय समय के पश्चात किसी मान्य बोर्ड या विश्वविद्यालय की मैट्रीकुलेशन परीक्षा या अन्य परीक्षा जो कि किसी मान्य बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा ली जाती है की तैयारी करने और बैठने हेतु कोई शिक्षण सस्था में प्रवेश लेने या उपस्थित होने की अनुमति दे सकेगा।

(iv) किसी अध्यापक या पुस्तकालय अध्यक्ष को शिक्षा विभाग के नियमो तथा उपनियमो के अधीन और पुरातत्व राजस्थान ओरियँटल रिसर्च इन्सीट्यूट, एव पुरातत्व की सेवा और (आरकीयोलोजिकल) विभाग के सदस्यो को नियुक्त प्राधिकारी, उन्हें मेट्रिकुलेशन परीक्षा से उच्च शिक्षा हेतु किसी मान्य बोर्ड या विश्वविद्यालय या उसके समकक्ष घोषित परीक्षा की तैयारी करने या उसमें बैठने की कार्यालय समय के पश्चात अनुमति दे सकेगा।

(v) विभागीय नियमो के अधीनस्थ किसी तकनीकी अधिकारी को भी, उसके कार्यालय समय के अलावा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उच्च तकनीकी शिक्षा बढ़ाने और तकनीकी परीक्षा में बैठने हेतु कोई तकनीकी सस्था मे प्रवेश लेने और उपस्थित होने की अनुमति दी जा सकेगी।

स्पष्टीकरण —(अ) अभिव्यक्ति 'प्रथम खण्ड परीक्षा'' का अर्थ उस परीक्षा से है जो कि माध्यमिक या स्नातक या स्नातकोत्तर परीक्षाओ की अन्तिम परीक्षा से ठीक पहले होती है।

(आ) अभिव्यक्ति "तकनीकी प्रधिकारी" का सदर्भ उन प्रधिकारियो से है जो राजस्थान राज्य या अन्य राज्य के चिकित्सा और स्वास्थ्य कृषि पशु-पालन, वन, सार्वजनिक निर्माण और खनिज एवं भू विभागों में तकनीकी पदो पर आसीन है; या राज्य क स्वामित्व वाले कारखानो या राज्य के उद्योग विभाग के अधीनस्थ या उसके नियन्त्रणाधीन उत्पादन केन्द्रो मे पदासीन हैं।

(इ) ऐसी, हिन्दी परीक्षाऐं जैसे विशारद, साहित्य-रत्न आदि जो ff विभिन्न सस्थाओं द्वारा ली जाती है, इस नियम के क्षेत्र म नही आती।

18 निजी व्यापार या नियोजन —

(1) कोई भी सरकारी कर्मचारी सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना, परोक्ष या अपरोक्ष रूप में, किसी व्यापार, वाणिज्य में नहीं लगेगा या अन्य प्रकार की सस्था में नियोजन स्वीकार नहीं करेगा परन्तु सरकारी कर्मचारी, सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई ऐसा अवैतनिक (honorary) कार्य जो सामाजिक या पुण्यात्मक (Charitable) प्रकार का हो या साहित्यिक या कलात्मक या का सामायिक (occasional) हो वह कर सकेगा बशर्ते कि ऐसा करने से उसके राज कार्य पर वैज्ञानिक प्रकार प्रतिकूल प्रभाव नही पडता हो, लेकिन वह ऐसे काय को स्वीकार नहीं करेगा और उसे छोड देगा, यदि राज्य सरकार उसे ऐसा करने का निर्देश दे।

स्पष्टीकरण —(1) सरकारी कर्मचारी द्वारा किसी बीमा-ऐजेन्सी, कमीशन ऐजेन्सी या इसी प्रकार के वाणिज्यक कार्य का प्रचार करना जिस पर उसकी पत्नी या परिवार किसी अन्य सदस्य का स्वामित्व या प्रबन्ध हो, इस नियम का उल्लघन करना समझो जाएगा।

(2) यदि उसके कुटुम्ब का कोई सदस्य किसी व्याप र या वाणिज्य में लगा हुआ है या वह किसी बीमा ऐजेन्सी या कमीशन ऐजेन्सी का स्वामी या प्रबन्धक है तो सरकारी कर्मचारी इसकी सूचना राज्य सरकार को देगा।

(3) कोई सरकारी कर्मचारी, सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना, अपने राजकाय के अति रिक्त, किसी बैंक के पजीयन (रजिस्ट्रेशन) विकास या व्यवस्था कार्य में या अन्य कम्पनी अधिनियम 1956 का (1956 का 9) या अन्य कानून जो उस समय लागू हो, के अधीन पजियन (रजिस्ट्रेशन) आवश्यक हैं या अन्य वाणिज्यिक प्रयोजन की सहकारी सस्था के कार्यों म भाग नहीं लेगा।

परन्तु शर्त यह है कि सरकारी कर्मचारी, किसी सहकारी संस्था जो मुख्यत सरकारी कर्मचारियो के लाभार्थ हो, क पजियन, विकास या व्यवस्था जो कि राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम,1965 या अन्य कानून जो ततुसमय लागू हों के अन्तर्गत पजिबद्ध है, या जो साहित्यिक, वैज्ञानिक या पुण्यात्मक सस्थाए में जो कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1890' (1890 का 21) या अन्य कानून के अन्तर्गत पजिपद्ध (registered) है, में भाग ले सकेगा।

19 विनियोजन (Investment), ऋण का लेन देन.—

(1) कोई सरकारी कर्मचारी स्टॉक, शेयर या अन्य प्रकार के विनियोजन (Investment) में सट्टा (स्पेकुलेट) नही करेगा।

स्पष्टीकरण.—शेयर, सिक्योरिटी या अन्य प्रकार विनियोग (इनवेस्टमेन्ट) का बार बार क्रय, विक्रय या दोनो कार्यवाही करना, इस उप-नियम के अधीन सट्टा (स्पेकुलेशन) करना समझा जाएगा।

(2) कोई सरकारी कर्मचारी न तो स्वय करेगा और न अपने परिवार के किसी सदस्य को या ऐसे व्यक्ति को जो कर्मचारी के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता हो, इस प्रकार के

(Investment) की अनुमति नही देगा जिससे कि उसे राजकीय कर्त्तव्यो के पालन में उलझन या प्रभाव में आना पडे।

(3) यदि, यह प्रश्न उत्पन्न हो कि कि आया कोई कार्य, उप-नियम, (1) और (2) में बतलाये प्रकार का है तो इस मामले में सरकार का निर्णय अंतिम होगा।

(4) कोई भी सरकारी कर्मचारी, किसी बैंक या प्रतिष्ठित फर्म जिसे कि बैंकिंग-कार्य करने का अधिकार हो के साथ बैंकिंग के साधारण कार्य के अतिरिक्त, न तो स्वयं और न अपने परिवार के किसी सदस्य या अन्य व्यक्ति द्वारा जो कि कर्मचारी की ओर से कार्य करता हो वो निम्न कार्य नही करेगा —

(अ) स्वामी (Principal) या प्रतिनिधि के रूप मे कोई सरकारी कर्मचारी अपने स्थानीय सीमा मे किसी ऐसे व्यक्ति से रकम की लन-देन नही करेगा जिससे कि कर्मचारी का राज-काज मे सम्पर्क होता हो या उस पर किसी अन्य प्रकार से कोई वित्तिय भार पडता हो,

(आ) किसी भी व्यक्ति को कोई रकम न तो व्याज पर और न इस प्रकार से उधार देगा जिसमे कि रोकड या वस्तु के रूप में भुगतान प्राप्त होती हो।

परन्तु, सरकारी कर्मचारी अपने किसी सम्बन्धी या व्यक्तिगत मित्र के साथ छोटी राशि का केवल अस्थाई ऋण, ब्याज या बिना ब्याज पर आदान–प्रदान कर सकेगा या किसी सद्भावी व्यापारी के साथ उधार खाता रख सकेगा या अपने निजि कर्मचारियो को अग्रिम वेतन दे सकेगा।

जब किसी कर्मचारी की नियुक्ति या स्थानान्तरण ऐसे या उस प्रकार के पद पर हो जहा उप नियम (2) या उप नियम (4) के प्रावधानो का उल्लंघन हो, तो वह कर्मचारी तुरन्त अपने निर्धारित प्राधिकारी को उक्त परिस्थितियो की सूचना देगा और तत्पश्चात् अपने प्राधिकारी द्वारा दिये गए आदेश के अनुसार कार्यवाही करेगा।

20 दिवालियापन और आदतन कर्जदारी —

(1) सरकारी कर्मचारी आदतन कर्जदारी स्वाभाविक ऋण ग्रस्तता से दूर रहेगा।

(2) जब भी कोई सरकारी कर्मचारी दिवालिया करार या घोषित कर दिया जावे या जब उसके वेतन का आधा भाग लगातार कर्ज हो रहा, या दो वर्ष से अधिक अवधि तक वेतन लगातार कुर्क किया जा रहा हो या जो इतनी राशि के लिए कुर्क हो रही है जिसका कि साधारण परिस्थितियों मे कर्मचारी द्वारा दो वर्षो में भुगतान नही हो सकता हो तो उसे राज्य सेवा से बरखास्त होने योग्य समझा जावेगा।

(2) जब कोई सरकारी कर्मचारी सरकार की स्वीकृति के बिना राज्य सेवा से बरखास्त नही किया जा सके लेकिन वह दिवालिया घोषित है और उसके वेतन का आधा भाग कुर्क है तो इसकी सूचना सरकार को प्रेषित की जावेगी।

(4) ऐसे अन्य सरकारी कर्मचारी का मामला उसके कार्यालय अध्यक्ष या विभागाध्यक्ष को जिसके अधीन वह सेवा–युक्त है भेजना चाहिये।

(5) जब किसी अधिकारी के वेतन का आधा भाग जप्त हो तो प्रतिवेदन मे यह दर्शाया जाना चाहिये कि कर्ज का उसके वेतन से क्या अनुपात है और उसके सरकारी कर्मचारी होने के नाते उसकी कार्य दक्षता कहा तक कम करता है, आया ऋणी की स्थिति असाध्य है और आया मामले की उन परिस्थितियो मे उसे अपने पद या अन्य सरकारी पद पर रखा जाना वाञ्छनीय है जबकि यह मामला सूचित कर दिया गया था।

(6) इस नियम के हर मामले में यह सिद्ध करना कर्जदार पर भार होगा कि उसका दिवा-नियापन या ऋण ग्रस्तता, ऐसी परिस्थितियों के फलस्वरूप है जिनका समान्य उद्यम से पूर्वाभास नहीं हो सकता या और जिन पर उसका नियंत्रण नही था और वह उसके खर्चीले या दुराचारी स्वभाव के फलस्वरूप नहीं है।

21. चल अचल तथा मूल्यवान सम्पत्ति,—

(1) प्रत्येक सरकारी कर्मचारी, किसी सेवा या पद पर नियुक्त होते ही या तत्पश्चात ऐसे अन्तरालों (इंटरवल्स) मे जैसा कि सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जावे, अपनी सम्पत्ति और दायित्वो (Liabilities) का प्रतिवेदन ऐसे प्रपत्र में, जैसा कि सरकार निर्दिष्ट करे, प्रेषित करेगा जिसमें निम्न विषयक पूर्ण विवरण होगा—

(अ) अचल सम्पत्ति, जो इसने उत्तराधिकार में प्राप्त की हो, या जिस पर उसका स्वामित्व हो, या जिसे उसे प्राप्त किया हो, या जो लीज या रहन से उसके अधिकार मे आई हो, चाहे वह कर्मचारी के स्वय के नाम या उसके परिवार किसी सदस्य के नाम या किसी अन्य व्यक्ति के नाम हो,

(आ) शेयर्स, डिबेन्चर्स और रोकड, व बैंक डिपोजिट को सम्मिलित करते हुए, जो उसने उत्तराधिकार रूप मे प्राप्त की हो, या इसी प्रकार उस पर स्वामित्व प्राप्त किया हो या जो ग्रहण की गई हो या जिस पर उसका कब्जा हो,

(इ) अन्य चल सम्पत्ति जो उसे उत्तराधिकार रूप में प्राप्त हुई हो, या इसी प्रकार उस पर स्वामित्व प्राप्त किया हो, या जो ग्रहण की गई हो या उस पर उसके द्वारा धारण की हुई हो, और

(ई) ऋण और अन्य देनदारियाँ जो उसने परोक्ष या अपरोक्ष रूप से ग्रहण की हो।

नोट (I).—उपनियम (1) सामान्यत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों पर लागू नही होगा। लेकिन सरकार यह निर्देश दे सकेगी कि वह किसी अमुक सरकारी कर्मचारी या सरकारी कर्मचारियो की अमुक श्रेणी पर लागू होगा।

नोट (II)—समस्त प्रतिवेदनों मे, अचल सम्पत्ति के आईटमों, जिनका मूल्य रु० 1000/- से कम हो का योग कर एक मुश्त बतलाये जावे। दैनिक प्रयोग में आने वाली वस्तुएं जैसे, कपड़ा, बर्तन, चीनी के बर्तन, पुस्तकें आदि का मूल्य उक्त प्रतिवेदन मे सम्मिलित करना आवश्यक नहीं है।

नोट III—प्रत्येक सरकारी कर्मचारी जो इन नियमो के प्रारम्भ होने के दिन सेवा में था, इस उप-नियम के अधीन अपना प्रतिवेदन, सरकार द्वारा निर्दिष्ट तिथि या उसके पूर्व पेश करेगा।

(2) कोई भी सरकारी कर्मचारी, निर्धारित प्राधिकारी के पहले सूचना दिए बिना कोई अचल सम्पत्ति लीज, रहन, क्रय, विक्रय, उपहार या अन्य प्रकार से अपने या अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम न तो प्राप्त करेगा और न देगा।

परंतु शर्त यह है कि, निर्धारित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति सरकारी कर्मचारी द्वारा प्राप्त की जावेगी, यदि कोई व्यवहार

(1) ऐसे व्यक्ति से सम्बन्धित हो, जिसका सरकारी कर्मचारी से राजकाज में सम्पर्क होता हो, या

(2) जो नियमित या प्रतिष्ठित व्यापारी व्यक्ति के अतिरिक्त, अन्य से सम्बन्धित हो,

(3) ऐसा सरकारी कर्मचारी जो राज्य सेवा और अधीनस्थ सेवा के किसी पद पर हों और सम्पत्ति का मूल्य रु० 1000 से अधिक हो या ऐसा कर्मचारी जो मंत्रालय (ministerial) सेवा और चतुर्थ श्रेणी सेवा के किसी पद पर हो, और सम्पत्ति का मूल्य रु० 500 है, अपने निर्धारित

प्राधिकारी को ऐसी चल सम्पत्ति से सम्बन्धित हर मामले की सूचना देनी होगी जिस पर उसके स्वय के नाम से या परिवार के किसी सदस्य के नाम से लेन देन हुआ हो ।

परन्तु शर्त यह है कि निर्धारित अधिकारी की पूर्व स्वीकृति ली जावेगी, यदि कोई व्यवहार

(1) ऐसे व्यक्ति से सम्बन्धित हो जिसका सरकारी कर्मचारी से राज काज मे सम्पर्क होता हो,

(2) जो नियमित या प्रतिष्ठित व्यापारी के अतिरिक्त अन्य से सम्बन्धित हो ।

(3) सरकार या निर्धारित प्राधिकारी किसी भी समय सामान्य या विशिष्ट आज्ञा द्वारा सरकारी कर्मचारी से ऐसी चल या अचल सम्पत्ति जो उसके अधिकार मे है, या प्राप्त की गई है या उसके स्वय के द्वारा या उसके नाम पर परिवार के किसी सदस्य के द्वारा प्राप्त की गई हैं का पूर्ण विवरण में निर्दिष्ट अवधि मे मांग सकते हैं। यदि सरकार या निर्धारित अधिकारी एसा चाहेंगे तो उक्त विवरण में यह भी सम्मिलित किया जावेगा कि सम्पत्ति किस प्रकार एवं किस स्त्रोत से प्राप्त की गई ।

(4) सरकार किसी को अधिनस्थ सेव और चतुर्थ श्रेणी सेवाओ के किसी वर्ग को इन नियमों के किसी प्रावधान, उपनियम (4) के अतिरिक्त से मुक्त कर सकती है । ऐसी छूट किसी हालत में नियुक्ति (A–III) विभाग की सहमति के बिना नही होगी ।

स्पष्टीकरण:—इस नियम के प्रयोजनार्थ, 'चल सम्पत्ति' में निम्नलिखित सम्मिलित होगे —

(अ) जवाहरात, और बीमा-पालीसिया, जिनका वार्षिक प्रीमीयम रु० 1000/- से अधिक हो, या सरकार से प्राप्त कुल वार्षिक परिलाभो से 116 से अधिक हो, जो भी इन दोनो मे से कम हो, और शेयर, सिक्योरिटिया और डिबेंचर्स ।

(आ) ऐसे सरकारी कर्मचारी द्वारा दिये गये अग्रिम ऋण चाहे प्रतिभूत पर हो या नही,

(इ) मोटर गाडिया, मोटर साईकिलें, मकान, या अन्य प्रकार की गाडिया, और

(ई) रेफरीजरेटर, रेडियो और रेडियोग्राम

(2) "निर्धारित प्राधिकारी" का अर्थ है :—

(अ) (1) सरकार, उस सरकारी कर्मचारी के मामलो में जो ऐसे पद पर हो जो पद राज्य सेवा मे सम्मिलित हो सिवाय उसके जब सरकार द्वारा कोई निम्न प्राधिकारी इस प्रयोजन के लिए निर्दिष्ट हो,

(2) विभागाध्यक्ष, उस सरकारी कर्मचारी के मामले मे जो अधीनस्थ सेवा का कोइ पद धारण करता हो,

(3) कार्यालय अध्यक्ष, उस सरकारी कर्मचारी के मामलो में जो मत्रालय (मिनिस्टेरियल) सेवा और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सेवाओ मे कोई पद धारण करता हो,

(आ) ऐसे सरकारी कर्मचारी के विषय में जो वैदेशिक सेवा या केन्द्रीय-सरकार, निगम, राजकीय उपक्रम या अन्य ऐसी जगह पर प्रति निम्नयुक्ति पर हो तो उसका पैतृक विभाग जिसके कैडर पर उक्त सरकारी कर्मचारी है ।

22. सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्रतिवेदन :—

कोई भी सरकारी कर्मचारी, सरकार को या अन्य अधीनस्थ प्रा[illegible] में प्रतिवेदन अतिरिक्त जो कि नियमों, आदेशों आदि जैसा कि सरकार समय-समय [illegible] मे [illegible]

23 सरकारी कर्मचारी द्वारा अपने कार्य और चरित्र को न्याय संगत बताने हेतु प्रतिशोध :—

कोई सरकारी कर्मचारी सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना, ऐसे सरकारी कार्य जिस पर अपकीर्ति या प्रतिकूल चर्चा हुई हो को न्याय संगत ठहराने हेतु किसी न्यायालय या समाचार पत्र का आश्रय नहीं लेगा।

स्पष्टीकरण—इस नियम का कुछ भी, सरकारी कर्मचारी के व्यक्तिगत कार्य या चरित्र को (न्याय संगत) ठहराने के अधिकार को न तो सीमित और या न अन्य प्रकार से प्रभावित करेगा।

नोट—सरकार किसी को न्यायालय या समाचार पत्र का आश्रय लेने की स्वीकृति देने के पूर्व, प्रत्येक मामले में यह निर्णय लेगी कि सरकार स्वयं न्यायालय की कार्यवाही का खर्चा वहन करेगी या कर्मचारी अपने स्वयं के खर्चे पर न्यायालय कार्यवाही आरम्भ करेगा, और यदि ऐसा है तो ऐसा कर्मचारी के हक में निर्णय हो जाने पर सरकार उसे पूर्ण या आंशिक रूप से प्रतिपूर्ति करेगी।

24 अराजकीय एवं अन्य प्रकार के प्रभाव डालना :—

कोई सरकारी कर्मचारी किसी उच्च अधिकारी पर ऐसे मामलों में जो राज्य सेवा से सम्बन्धित हो किसी प्रकार का राजनैतिक या अन्य प्रभाव डालने का प्रयत्न नहीं करेगा।

25 दूसरा विवाह —

(1) कोई सरकारी कर्मचारी जिसके एक पत्नि जीवित है सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना दूसरा विवाह करने या करार नहीं करेगा, चाहे इस प्रकार के पुनर्विवाह की उसके व्यक्तिगत कानून जो तत्समय लागू है, के अन्तर्गत अनुमति है।

(2) कोई स्त्री सरकारी कर्मचारी सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसके पत्नि जीवित है विवाह नहीं करेगी।

+25-क कोई भी सरकारी कर्मचारी :—

(i) कोई दहेज न देगा न लेगा और न किसी को इसके लिए नहीं उकसायेगा, या

(ii) किसी वर या वधू, यथा स्थिति के माता पिता या संरक्षक से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में किसी दहेज की मांग नहीं करेगा।

स्पष्टीकरण—इस नियम के प्रयोजनार्थ, 'दहेज' से तात्पर्य वही है जो दहेज निवारण अधिनियम, 1961 (सन् 1961 का केन्द्रीय अधिनियम 28) में दिया हुआ है।

×25 ख [विलुप्त।]

26 नशीले पेय या औषधि का प्रयोग :—

(1) कोई सरकारी कर्मचारी :—

(क) नशीले पेय और पदार्थ सम्बन्धी कानून, जो उस क्षेत्र पर लागू हो जहां कर्मचारी तत् समय मौजूद हो का कठोरता से पालन करेगा,

●(ख) अपने कर्तव्य पालन के समय किसी मादक पेय या औषधि के नशे में नहीं रहेगा और इसकी भी उचित सावधानी बरतेगा कि किसी भी समय इसका कर्तव्य पालन ऐसी मादक पेय या औषधि से किसी भी प्रकार से प्रभावित न हो, न वह ऐसे समय के निकट ऐसे पेय या औषधि का

+ अधिसूचना स. एफ 4 (2) कार्मिक/ए-3/76 दि 5-1-1977 द्वारा जोड़ा गया।
× अधिसूचना सं एफ 4 (3) कार्मिक/ए-3/76 दि 23-1-1977 द्वारा विलोपित।
● विज्ञप्ति सं एफ 8 (34) कार्मिक/ए-3/73 दि 1 [illegible] द्वारा प्रतिस्थापित।

सेवन करेगा जब उसे नौकरी पर उपस्थित होना हो और तब उसके मुख की दुर्गन्ध या व्यवहा दूसरों को ऐसा प्रतीत हो कि उसने कोई मादक पेय या औषधि सेवन की है।]

(ग) मादक द्रव्य या औषधि के नशे की हालत मे सार्वजनिक स्थान पर नही जाएगा।

(घ) किसी प्रकार के नशीले पेय और पदार्थ का अधिक मात्रा में सेवन नही करेगा।

27 अधिकारीगण द्वारा विदेशी संविदायुक्त फर्मों से यात्रा व्यय एवं आतिथ्य स्वीकार करना —

यदि इस प्रकार की सुविधायें देने हेतु विदेशी संविद वाली फर्म, परोक्ष या अपरोक्ष रूप तैयार हो फिर भी अधिकारीगण कि न तो वे स्वय, विदेश जाने हेतु यात्रा व्यय और वहा नि शुल भोजन एवं ठहरने की सुविधायें स्वीकार करेंगे और न उनकी किसी को अनुमति देंगे। इसका अपवा केवल उनके सम्बन्ध में होगा जो सुविधायें विदेशी फर्म विदेश मे शिक्षण हेतु प्रदान करती है और एव में वे विदेशी सरकारी कर्मचारी से सहायता-कार्यक्रम के अ श के रूप मे, भुगतान प्राप्त करती हैं।

28. अधीनस्थ कर्मचारियों से दौरे पर आतिथ्य स्वीकार करना :—

सरकारी कर्मचारी जब दौरे पर जावे तो अपने भोजन एव ठहरने के स्थान का स्वयं प्रबन्ध करेंगे, और अपने अधीनस्थ कर्मचारियो का न तो आतिथ्य स्वीकार करेंगे और न ही अधीनस्थ कर्मचारी अपने उच्च अधिकारियों को इस प्रकार का आतिथ्य करने को कहेंगे।

29. सेवा के मामलों मे कानूनी आश्रय :—

कोई सरकारी कर्मचारी पहले सामान्य शासकीय प्रणाली का उपाय या सहारा लिए बिना सेवा या सेवा की शर्तो क मामलो मे उत्पन्न व्यथा के सम्बन्ध मे न्यायालय का निर्णय प्राप्त करने का प्रयत्न नही करेगा ऐसे मामलों में भी जिनमें कि न्यायिक कार्यवाही का उसे अधिकार है।

30. व्याख्या —

यदि इन नियमो के सम्बन्ध में व्याख्या (Interpretation) का प्रश्न उत्पन्न हो, तो सरकार के कार्मिक विभाग को मामले मे लिखा जावेगा जिसका उस पर निर्णय अंतिम होगा।

31 शक्तियों का प्रत्यायोजन (Delegation) :—

सरकार किसी सामान्य या विशिष्ट आदेश द्वारा ऐसे निर्देश दे सकेगी कि सरकार या किसी विभागाध्यक्ष की इन नियमो के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियां (इस नियम और नियम (30) के अतिरिक्त) और आदेश मे उल्लिखित शर्तो के अधीन रहते यदि कोई हों, ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी जो कि आ देश में बतलाये जावेंगे, प्रयोग कर सकेंगे।

32 निरसन और व्यावृत्ति (Repeal & Saving) :—

(1) राजस्थान राज्य कर्मचारी और पेंशनर्स आचरण नियम 1950, जो इस समय लागू है और कोई विज्ञप्ति और आदेश जो ऐसे किसी नियमो के अन्तर्गत जारी किये गये हो, उस सीमा तक जहां वे उन व्यक्तियो पर लागू होते हैं, जिन पर कि ये नियम लागू हैं एतद् द्वारा निरस्त किये जाते हैं।

परन्तु शर्त यह है कि—

(i) उक्त निरसन कथित नियमो, विज्ञप्ति और आज्ञाओ के पूर्व-प्रभाव को या उनके अन्तर्गत की गई किसी कार्यवाही को प्रभावित नही करेगा,

(ii) उन नियम के अन्तर्गत की गई कोई कार्यवाही, विज्ञप्ति या आज्ञाए जो कि इन नियमों के प्रारम्भ के समय विचाराधीन थी या नियमो के प्रारम्भ होने के पश्चात, शुरू की गई थी, जारी रखी जावेगी और उन पर जहां तक हो सकेगा इनके अनुसार निपटाई जाए गी।

(2) इन नियमो में कुछ भी किसी व्यक्ति को जिस पर ये नियम लागू है, किसी ऐसे अधिकार से वंचित नहीं करेगा जो उसे उप-नियम (1) द्वारा निरसत-नियमो, अधिसूचनाओ या आदेशो के अन्तर्गत, इन नियमों के प्रारम्भ होने से पहले प्रदान किए हुए किसी आदेश से अर्जित हो गए थे।